VIDYA UNIVERSITY PRESS

TOUCH n PASS

सर्वश्रेष्ठ परीक्षा पथ-प्रदर्शक

B.A.
तृतीय वर्ष
(डिग्री कोर्स)
सेमेस्टर-V

राजनीति विज्ञान

तुलनात्मक सरकार और राजनीति

SYLLABUS

UNIT-I

Nature, scope, approaches and utility of comparative study of politics.
Dharma and the idea of Dharma Rajya.

UNIT-II

Capitalism and the idea of liberal democracy.

UNIT-III

Socialism and the Working of socialist state.

UNIT-IV

Decolonization, political development, political culture.

UNIT-V

Salient features of the British constitution and examination of the relationship between the executive and legislature and role of judiciary in UK.

UNIT-VI

Essential features of the constitution of USA, composition powers and functions of the executive, legislature and judiciary in USA.

UNIT-VII

Essential features of Vietnamese constitution, legislature, executive and judiciary, Vietnam communist party.

UNIT-VIII

Plural executive, direct democracy, referendum, initiative, the administrative system of switzerland.

TOUCH 'n PASS

VIDYA®
UNIVERSITY PRESS

पंजीकृत कार्यालय
विद्या एम्पायर, बागपत रोड,
मेरठ, उत्तर प्रदेश (NCR) 250 002
www.vidyauniversitypress.com

© प्रकाशक

लेखन एवं सम्पादन
शोध एवं अनुसन्धान प्रकोष्ठ

मुद्रक
विद्या यूनिवर्सिटी प्रेस

TOUCH 'n' PASS

विषय-सूची

UNIT-I	:	राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन	...3
UNIT-II	:	पूँजीवाद एवं उदार लोकतन्त्र का विचार	...25
UNIT-III	:	समाजवाद एवं समाजवादी राज्य की कार्यप्रणाली	...48
UNIT-IV	:	राजनीतिक विकास एवं संस्कृति	...69
UNIT-V	:	ब्रिटिश संविधान की विशेषताएँ	...97
UNIT-VI	:	संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की विशेषताएँ	...117
UNIT-VII	:	वियतनामी संविधान की विशेषताएँ	...146
UNIT-VIII	:	स्विट्ज़रलैण्ड की प्रशासनिक व्यवस्था	...158

UNIT-I

राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन
Comparative Study of Politics

खण्ड-अ अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन को कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है?
The study of comparative politics into how many parts have been devided?

उत्तर तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है—(i) उदग्र तुलनात्मक अध्ययन तथा (ii) क्षैतिज तुलनात्मक अध्ययन।

प्र.2. तुलनात्मक राजनीति के परम्परागत उपामग की किसी एक आलोचना का उल्लेख कीजिए।
Mention any one criticism of the traditional approach of comparative politics.

उत्तर परम्परागत उपागम वर्णनात्मक अधिक था तथा विश्लेषणात्मक कम।

प्र.3. संरचनात्मक-कार्यात्मक विश्लेषण उपागम का राजनीति विज्ञान में प्रयोग कब प्रारम्भ हुआ?
When did the use of structural functional analysis approach start in political science?

उत्तर यह प्रयोग 1950 के उपरान्त प्रारम्भ हुआ।

प्र.4. तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक उपागमों की किसी एक आलोचना का उल्लेख कीजिए।
Mention any one criticism of the modern approaches of comparative politics.

उत्तर यह उपागम विकासशील राज्यों के अध्ययन पर अत्यधिक बल देता है जोकि त्रुटिपूर्ण है।

प्र.5. राजनीतिक विकासवादी उपागम के किन्हीं दो समर्थकों के नामों का उल्लेख कीजिए।
Mention the names of any two supporters of political evolutionary approach.

उत्तर (i) डेविड एप्टर तथा (ii) ल्यूसिमन डब्ल्यू० पाई।

प्र.6. आधुनिक समय में राजनीतिक विज्ञान में तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन कब से प्रारम्भ हुआ?
When did the study of comparative politics start in political science in modern times?

उत्तर आधुनिक समय में राजनीति विज्ञान में तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् प्रारम्भ हुआ।

प्र.7. किन रचनाओं का आगमन तुलनात्मक राजनीति में परिवर्तन का प्रतीक है?
The advent of which works marks a change in comparative politics?

उत्तर सन् 1908 में ग्राहम वालेस की रचना *'Human Nature in Politics'* तथा आर्थर बेंटले की रचना *'The Process of Government'* का आगमन तुलनात्मक राजनीति में परिवर्तन का प्रतीक है।

प्र.8. व्यवस्था सिद्धान्त का प्रतिपादन किसने किया?
Who propounded the system theory?

उत्तर व्यवस्था सिद्धान्त का प्रतिपादन डेविड ईस्टन ने 1953 में प्रकाशित अपनी पुस्तक 'दी पॉलिटिकल सिस्टम' में किया।

TOUCH 'n' PASS

प्र.9. ईस्टन तथा ऑमण्ड द्वारा दिये गये व्यवस्था मॉडलों को क्या कहते हैं?

What are the system models given by Easton and Almond?

उत्तर ईस्टन द्वारा दिये गये मॉडल को निवेश-निर्गत मॉडल (Input output model) और ऑमण्ड-पॉवेल द्वारा दिये गये मॉडल को संरचनात्मक प्रकार्यात्मक (Structural functions) मॉडल कहा जाता है।

प्र.10. ऑमण्ड और पॉवेल, ईस्टन से किस प्रकार भिन्न हैं?

How are Almond and Powell different from Easton?

उत्तर ऑमण्ड-पॉवेल ने राजनीतिक व्यवस्था के बारे में मौलिक रूप से ईस्टन की ही व्यवस्था को स्वीकार किया, किन्तु उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था के संघटकों को लेकर ईस्टन से आगे बढ़ाने का प्रयास किया तथा राजनीतिक ढाँचे को इसके प्रकार्यात्मक पहलुओं से पृथक करके समझने का प्रयास किया।

प्र.11. तुलनात्मक राजनीति में मार्क्सवादी-लेनिनवादी उपागम के प्रयोग के कारण क्या हैं?

What are the reasons for the use of Marxist-Leninist approach in comparative politics?

उत्तर इसके तीन प्रमुख कारण हैं—

प्रथम—पाश्चात्य विद्वानों द्वारा प्रस्तुत उपागमों की सामान्य सिद्धान्त के निर्माण में असफलता।

द्वितीय—पाश्चात्य विकासवादी विश्लेषण का प्रत्ययी पतन और

तृतीय—पाश्चात्य उपागमों द्वारा विकासशील राज्यों की राजनीतियों का सन्तोषजनक स्पष्टीकरण देने में असफलता।

प्र.12. विकासशील देशों की समस्याएँ किस उपागम के आधार पर सर्वाधिक स्पष्ट रूप से समझी जा सकती है?

The problems of developing countries can be understood most clearly on the basis of the approach.

उत्तर विकासशील देशों की समस्याएँ मार्क्सवादी-लेनिनवादी उपागम के आधार पर ही सर्वाधिक स्पष्ट रूप से समझी जा सकती है क्योंकि इनकी राज्य शक्ति, वर्ग तथा उद्योगों की धारणा, विकासशील राज्यों में इनसे सम्बन्धित धारणाओं से बहुत मेल खाती है।

प्र.13. राजनीतिक सांस्कृतिक उपागम किस प्रकार तुलनात्मक राजनीति को सुदृढ़ करता है?

How does the political culture approach strengthen comparative politics?

उत्तर राजनीतिक संस्कृति द्वारा राजनीति संस्थाओं की अन्त:क्रिया एवं राजनीतिक प्रक्रियाओं के अनौपचारिक रूपों को व्यक्त करने में किया जाता है। इससे तुलनात्मक राजनीति की आधारशिला सुदृढ़ होती है।

प्र.14. किसने कहा है ''प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था राजनीतिक कार्यों के एक विशिष्ट ढाँचे से बंधी होती है।''

Who has said, "Every political system is bound to a specific structure of political functions."

उत्तर ग्रेब्रियल ऑमण्ड ने।

प्र.15. ''व्यवस्था'' का अर्थ क्या है?

What is the meaning of arrangement?

उत्तर व्यवस्था का अर्थ सुपरिभाषित अन्तर-क्रियाओं के समूह से है जिसकी सीमाएँ निश्चित की जा सकें।

प्र.16. 'दुष्क्रियात्मकता' क्या है?

What is dysfunction?

उत्तर संरचना के अन्तर्गत निरन्तर सम्पन्न होने वाले जिन व्यवहारों से उस संरचना के अस्तित्व पर आघात पहुँचता है, उन व्यवहारों को समाज वैज्ञानिक 'दुष्क्रियात्मकता' कहते हैं।

TOUCH 'n PASS

प्र.17. डेविड ईस्टन के व्यवस्था सिद्धान्त तथा ऑमण्ड के संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक व्यवस्था के प्रमुख चरण क्या हैं?
What are the main stages of David Easton's system theory and Almond's structural procedural system?

उत्तर इनके प्रमुख चरण हैं—(i) राजनीतिक व्यवस्था के आदा या निवेश, (ii) रूपान्तरण प्रक्रिया; तथा (iii) राजनीतिक व्यवस्था के प्रदा या निर्गत।

खण्ड-ब लघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. परम्परागत तुलनात्मक राजनीति का योगदान क्या है?
What is the contribution of traditional comparative politics?

उत्तर

परम्परागत तुलनात्मक राजनीति
(Traditional Comparative Politics)

परम्परागत तुलनात्मक राजनीति की कमियों को देखते हुए यह स्पष्ट होता है कि परम्परागत अध्ययन बहुत संकुचित रहा है। पश्चिमी विद्वानों द्वारा लिखी गयी अधिकांश पुस्तकों में अमेरिकी और यूरोपीय संस्थाओं का ही वर्णन है। कतिपय रचनाओं को छोड़कर इन ग्रन्थों में सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक कारकों का तो कोई विश्लेषण है ही नहीं। परम्परागत लेखक व्यापक राजनीतिक सिद्धान्त का भी प्रतिपादन नहीं करते और उनकी दृष्टि राजनीतिक संस्थाओं के औपचारिक वर्णन तक ही सीमित रही है। इन सारी कमियों के बावजूद परम्परागत अध्ययनों को अर्थशून्य नहीं कहा जा सकता। परम्परागत अध्ययनों ने इतने राजनीतिक तथ्य संकलित किये कि उनसे बाद में उपयोगी विश्लेषण सम्भव हुए। इन अध्ययनों के कारण राजनीतिक व्यवस्थाओं की जटिलताओं का आभास मिला और राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन के लिए नूतन अभिमुखों की आवश्यकता महसूस की गयी। **एलेन बाल** के शब्दों में, "परम्परागत राजनीतिक विद्वानों द्वारा खड़े किये गये 'विचारों के महल' चाहे कितना ही कमजोर बुनियाद पर हों, उनकी कृतियों द्वारा ही सर्वप्रथम तुलनात्मक सरकार के बारे में हमें जानकारी होती है।"

प्र.2. तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक उपागमों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
Describe the characteristics of modern approaches to comparative politics.

उत्तर

तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक उपागमों की विशेषताएँ
(Characteristics of Modern Approaches to Comparative Politics)

तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक उपागमों की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

1. **तुलनात्मक राजनीति का सामाजिक आधार**—आधुनिक युग में तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए जो आधुनिक दृष्टिकोण अपनाया गया है उसकी सर्वप्रथम विशेषता राजनैतिक संस्थाओं का अध्ययन सामाजिक आधार पर करने की है क्योंकि मनुष्य केवल एक राजनैतिक प्राणी होने से पूर्व एक सामाजिक प्राणी है। अत: समाज में रहकर ही राजनैतिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए। यही बात वर्तमान युग में तुलनात्मक राजनीति में आधुनिक दृष्टिकोण को अपनाकर की जा रही है।
2. **वैज्ञानिक विधि का प्रयोग**—आधुनिक दृष्टिकोण द्वारा अध्ययन की वैज्ञानिक विधि ही अपनाई गई है जिसमें 'कार्य-कारण' एवं 'क्रिया-प्रतिक्रिया' के सिद्धान्तों के आधार पर एक व्यवस्थित व्याख्या की जाती है। वस्तुत: आधुनिक ही वैज्ञानिक युग है। जीवन और ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में वैज्ञानिकता का समावेश है। इसलिए वर्तमान युग में तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में भी वैज्ञानिक विधि का ही प्रयोग किया जाता है।
3. **व्यापक एवं विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण**—आधुनिक दृष्टिकोण एक विस्तृत एवं विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण है। वर्तमान युग में राजनीति का अध्ययन केवल वर्णात्मक न होकर विश्लेषणात्मक हो गया है। सर्वप्रथम परिकल्पनाएँ की जाती हैं तत्पश्चात् परीक्षण किये जाते हैं तथा आँकड़ों को एकत्र करके सामान्य नियमीकरण करने के लिए विश्लेषणात्मक अध्ययन तुलनात्मक परिपेक्ष्य में किया जाता है। विश्लेषण द्वारा ही अनुभव के आधार पर परिकल्पनाओं की जाँच करके नवीन सिद्धान्तों का नियमीकरण होता है। इसलिए तुलनात्मक राजनीति में यह विश्लेषणात्मक विधि अब और भी अधिक महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुई है।

TOUCH 'n' PASS

4. **व्यवस्थामूलक दृष्टिकोण**—आधुनिक दृष्टिकोण में एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि वर्तमान युग में संविधान की अपेक्षा राजनैतिक व्यवस्था का अध्ययन प्रमुख रूप से किया जाता है। विभिन्न परीक्षणों के आधार पर यह सिद्ध किया जा चुका है कि प्रत्येक राजनैतिक व्यवस्था के मूल में तीन शक्तियाँ कार्य करती हैं—(a) राज्य सत्ता, (b) शक्ति का एकाधिकार, (c) शक्तितन्त्र। इन तीनों शक्तियों के आधार पर ही विभिन्न राजनैतिक व्यवस्थाओं को परिभाषित किया गया है तथा यही एक या दो शक्तियाँ मिलकर किसी राजनैतिक व्यवस्था का औचित्य तथा अनौचित्य सिद्ध कर सकती है।
5. **संरचना एवं कार्यमूलक दृष्टिकोण**—परम्परागत दृष्टिकोण से भिन्न आधुनिक दृष्टिकोण की एक विशेषता यह भी है कि वह संरचना एवं कार्यमूलक दृष्टिकोण है। वर्तमान युग की यह एक स्पष्ट धारणा है कि राजनीतिक व्यवस्थाओं एवं संस्थाओं की संरचना एवं कार्यों में बहुत ही निकट का सम्बन्ध होता है तथा यह रचनात्मक भी होता है अर्थात् वे एक-दूसरे के नियामक भी होते हैं। इस दृष्टि से आधुनिक दृष्टिकोण इस धारणा पर बल देता है कि तुलनात्मक राजनीति में राजनैतिक संस्थाओं का अध्ययन इन दोनों के आधार पर किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, किसी संस्था के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करने अथवा उसकी तुलना करने के लिए केवल इस बात को जान लेना ही पर्याप्त नहीं है कि उसका रूप-स्वरूप क्या है? अपितु इस बात का भी स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है कि उस संस्था की रचना संगठन एवं कार्य में वास्तविक सम्बन्ध क्या है? प्राचीन समय के मत में अब बड़ा परिवर्तन आ चुका है कि राजनैतिक व्यवस्थाओं एवं संस्थाओं की संरचना एवं कार्यों में एक ऐसा सम्बन्ध है जो एक-दूसरे के लिए नियामक है तथा सावयव एकता (Organic Unity) इन दोनों में व्याप्त है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर यह सुगमता से कहा जा सकता है कि प्राचीन एवं परम्परागत दृष्टिकोण एक संकुचित दृष्टिकोण है जो प्राचीन यूरोपीय संस्थाओं के विवरण मात्र प्रस्तुत करके सन्तोष कर लेता है किन्तु आधुनिक दृष्टिकोण एक व्यापक अर्थों वाला दृष्टिकोण है जो विभिन्न प्रकार की संस्थाओं के विश्लेषणात्मक एवं वैज्ञानिक अध्ययन को प्रस्तुत करके तुलना हेतु नवीनतम आशा में प्रस्तुत करता है।

प्र.3. तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति को बताइए।
Give the nature of comparative politics.

उत्तर

तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति
(Nature of Comparative Politics)

तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति के सम्बन्ध में दो प्रमुख अवधारणाएँ अथवा दृष्टिकोण प्रतिपादित किए गए हैं—

1. **उदग्र तुलनात्मक अध्ययन** (Vertical Comparative Politics)—इस अवधारणा के अनुसार तुलनात्मक राजनीति के अन्तर्गत, एक ही देश में विभिन्न स्तरों पर स्थापित सरकारों अर्थात् राष्ट्रीय, प्रान्तीय एवं स्थानीय या आंशिक सरकारों और उनको प्रभावित करने वाले राजनीतिक व्यवहारों का तुलनात्मक विश्लेषण एक अध्ययन किया जाता है।
2. **क्षैतिज तुलनात्मक अध्ययन**—इस अवधारणा के अनुसार तुलनात्मक राजनीति राष्ट्रीय सरकारों का क्षैतिज तुलनात्मक अध्ययन है। राजनीतिशास्त्रियों का बहुमत इसी बात को स्वीकार करता है। ऐसी तुलना में ही 'सामान्यीकरण' सम्भव होता है तथा ऐसी तुलना दो प्रकार से हो सकती है—
   (i) एक तुलना तो एक ही देश की विभिन्न कालों में विद्यमान राष्ट्रीय सरकारों की परस्पर हो सकती है, तथा
   (ii) दूसरी तुलना उन राष्ट्रीय सरकारों में हो सकती है जो आज सम्पूर्ण विश्व में विद्यमान हैं।

तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति परम्परागत रूप में इसके आधुनिक व नवीन रूप से भिन्न रही है। इसी प्रकार इस अनुशासन का आधुनिक से नवीन होना भी इसकी प्रकृति में आए परिवर्तनों के आधार पर ही समझ गया है।

प्र.4. तुलनात्मक राजनीति का अर्थ व विभिन्न परिभाषाएँ लिखिए।
Write the meaning and different definitions of comparative politics.

उत्तर

तुलनात्मक राजनीति का अर्थ
(Meaning of Comparative Politics)

जी०के० रॉबर्ट्स ने तुलनात्मक राजनीति का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है कि "तुलनात्मक राजनीति एक विस्तृत विषय है जिसके अन्तर्गत तुलनात्मक सरकारों के अध्ययन की विषय-वस्तु को सम्मिलित किया जाता है तथा साथ ही गैर-राज्यीय, राजनीति, कबीले, समुदाय एवं वैयक्तिक संघों आदि की राजनीति का अध्ययन भी किया जाता है।"

TOUCH 'n' PASS

तुलनात्मक राजनीति की परिभाषाएँ (Definitions of Comparative Politics)

तुलनात्मक राजनीति की प्रमुख परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं—

1. **एम० कर्टिस** के शब्दों में, "तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक संस्थाओं की कार्यविधि व राजनीतिक व्यवहार की महत्त्वपूर्ण निरन्तरताओं, समानताओं और असमानताओं का तुलनात्मक विश्लेषण है।"
2. **एडवर्ड ए० फ्रीमैन** के अनुसार, "तुलनात्मक राजनीति संस्थाओं एवं सरकारों के विविध प्रकारों का एक तुलनात्मक विवेचन एवं विश्लेषण है अर्थात् तुलनात्मक राजनीति में केवल सरकारों के विभिन्न रूपों का ही तुलनात्मक अध्ययन सम्मिलित नहीं होता, वरन् विविध राजनीतिक प्रक्रियाओं व उनसे सम्बद्ध राजनीतिक व गैर-राजनीतिक संस्थाओं का भी तुलनात्मक अध्ययन सम्मिलित होता है।"
3. **जी०के० रॉबर्ट्स** के अनुसार, "जब राजनीति का यह तुलनात्मक अध्ययन केवल संरचनात्मक तुलनाओं तक ही सीमित नहीं रहा है वरन्, इसके अन्तर्गत कबीलों, समुदायों, संघों, समूहों और गैर-राज्यीय इकाइयों का व्यवहारात्मक अध्ययन भी होने लगा है। यही कारण है कि आज तुलनात्मक राजनीति को या तो 'सब कुछ' या 'कुछ नहीं' कहा जाने लगा है।"

'तुलनात्मक राजनीति' शब्दावली का अच्छा स्पष्टीकरण तभी हो सकता है जब हम 'तुलनात्मक राजनीति' और 'तुलनात्मक सरकार' शब्दावलियों के बीच तर्कसम्मत अन्तर को समझ लें। इन दोनों के अन्तर को **जी०के० रॉबर्ट्स** ने शब्दों में व्यक्त किया है कि "तुलनात्मक शासन का प्रयोग राज्यों, उनकी संस्थाओं और उनके कार्यों से सम्बद्ध कुछ समूहों (राजनीतिक दल, दबाव गुट आदि) के अध्ययन हेतु उपयुक्त लगता है, जबकि 'तुलनात्मक राजनीति' शब्दावली एक अधिक व्यापक अर्थ रखती है जिसमें तुलनात्मक शासन तथा गैर-राज्यीय राजनीति (कबीले व निजी संस्थाएँ आदि) का भी समावेश किया जाता है।"

संक्षेप में कहा जा सकता है कि तुलनात्मक राजनीतिक एक विस्तृत विषय है जिसके अन्तर्गत तुलनात्मक सरकारों के अध्ययन की विषय-वस्तु को सम्मिलित किया जाता है तथा साथ ही गैर-राज्यीय राजनीति, कबीलों, समुदायों एवं वैयक्ति संघों आदि की राजनीति का अध्ययन भी किया जाता है।

खण्ड-स विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. तुलनात्मक राजनीति की परम्परागत विधियों का वर्णन कीजिए।
Describe the traditional approaches of comparative politics?

उत्तर

तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की परम्परागत विधियाँ (Traditional Approaches of Comparative Politics)

तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की परम्परागत विधियों का सम्बन्ध इतिहास, नीतिशास्त्र, दर्शन और विधि की प्रधानता से रहा है जिसने उन पर 'परम्परागत उपागमों' की छाप लगायी है। प्रारम्भ में परम्परागत उपागमों में विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं के औपचारिक अध्ययन पर बल दिया गया। बाद में ऐतिहासिक कानूनी पद्धतियों की प्रतिक्रिया स्वरूप संरूपण पद्धति (configurative method) को अपनाया गया। कालान्तर में नये राज्यों के फलस्वरूप 'क्षेत्रीय अध्ययन' (Area-studies) पर जोर दिया गया।

तुलनात्मक राजनीति की परम्परागत विधियाँ निम्न हैं—

1. **दार्शनिक विधि** (Philosophical Method)—प्लेटो, रूसो, मिल आदि विचारकों ने इस पद्धति को प्रमुख रूप से अपनाया। प्लेटो की **'रिपब्लिक'** और थामस मूर की **'यूरोपिया'** तो इस पद्धति के अनुपम उदाहरण हैं। प्लेटो द्वारा दार्शनिक शासन और आदर्श राज्य की कल्पना, मूर के स्वर्गिक राज्य की धारणा, लॉक के प्राकृतिक नियम और प्राकृतिक अधिकार की धारणा और रूसो द्वारा सामान्य इच्छा की धारणा का प्रतिपादन दार्शनिक पद्धति के आधार पर ही किया गया है। इस पद्धति का विशेष गुण यह है कि इसके द्वारा राजनीतिक जीवन के आदर्शों को निश्चित कर राजनीति को नैतिकता के नजदीक लाने का कार्य किया जाता है।

   प्लेटो, रूसो तथा हीगल जैसे विद्वानों ने 'राज्य के स्वरूप' एवं 'आज्ञापालन के आधारों' की विवेचना की और आदर्शपरक प्रश्नों को उठाया। भले ही उनकी रचनाओं का सम्बन्ध राजनीति से प्रत्यक्ष रूप से न हो, किन्तु न्याय, स्वाधीनता तथा नागरिक दायित्वों के बारे में उन्होंने जो प्रश्न उठाये, हैं, उनका आज भी महत्त्व है।

2. **ऐतिहासिक विधि** (The Historical Method)—राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण नहीं होता अपितु यह विकास का परिणाम होता है। अत: प्रत्येक राजनीतिक संस्था का एक अतीत होता है और उसके अतीत से परिचित होकर ही उसके यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए तुलनात्मक राजनीति के विद्यार्थी के लिए ऐतिहासिक पद्धति का बहुत अधिक महत्त्व है। **गिलक्राइस्ट** के अनुसार, "इतिहास न केवल संस्थाओं की व्याख्या करता है, वरन् यह भविष्य के लिए मार्ग बतलाने में भी सहायक होता है।" ऐतिहासिक पद्धति की इसी उपयोगिता के कारण अरस्तू के समय से इस पद्धति का प्रयोग किया जाता रहा है। लास्की, मेकियावली, माण्टेस्क्यू, हीगल, मार्क्स, स्पेन्सर आदि ने किसी-न-किसी रूप में इस पद्धति का उपयोग किया है।

ऐतिहासिक पद्धति हमें अतीत में देखने में सहायता प्रदान करती है और अतीत के इस प्रकार में हम, भविष्य के लिए मार्ग निकाल सकते हैं। यह पद्धति हमें बतलाती है कि राजनीतिक घटनाएँ असम्बद्ध रूप से घटित नहीं होतीं, वरन् एक न टूटने वाली शृंखला के रूप में आती है। यह महान् राजनीतिक आन्दोलन और विचार की खोज करती है। इसके आधार पर यह मालूम किया जा सकता है कि वर्तमान राजनीतिक संस्थाएँ और विचार कितने प्रामाणिक हैं।

कालान्तर में ऐतिहासिक विधि ने राजनीतिक विकासवादी उपागम का रूप धारण कर लिया। **सर हेनरी नेन** तथा **मैकाइवर** की रचनाओं में विकासवादी सिद्धान्तों की स्पष्ट झलक दृष्टिगोचर होती है। तुलनात्मक राजनीति के विकास में इन विकासवादी राजनीतिक सिद्धान्तों का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है।

इसमें सन्देह नहीं कि ऐतिहासिक पद्धति ने हमें राजनीतिक संस्थाओं, आदर्शों और प्रणालियों का सही मूल्यांकन करने में बड़ी सहायता दी है किन्तु कुछ विद्वान ऐतिहासिक पद्धति के महत्त्व को स्वीकार नहीं करते। **सिजविक** का कहना है कि इतिहास इस बात का निर्णय नहीं कर सकता कि राजनीतिक जीवन में क्या अच्छा तथा क्या बुरा और क्या उचित अथवा अनुचित है। हर युग की अपनी कठिनाइयाँ और समस्याएँ होती हैं। अत: व्यावहारिक राजनीति की समस्याओं को हल करने के लिए मुख्य रूप से ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग नहीं कर सकते।

3. **औपचारिक एवं कानूनी विधि** (The Formal and Legal Method)—19वीं शताब्दी में ऐतिहासिक पद्धति के विरुद्ध प्रतिक्रिया प्रारंभ हो गयी। इस समय कुछ विचारक ऐसे सामने आये जिन्होंने राजनीतिक संस्थाओं पर विशुद्ध कानूनी दृष्टिकोण से विचार किया। औपचारिक या कानूनी पद्धति का अनुसरण करने वालों में सबसे ज्यादा प्रसिद्धि जर्मन विद्वानों ने पायी। अमेरिका और इंग्लैण्ड में कई ऐसे विधिवेत्ता हुए जिन्होंने कानून और संविधानों को ही राजनीति का विषय-क्षेत्र मान लिया था। डायसी की पुस्तक *'Law of the Constitution'* तुलनात्मक राजनीति की पाठ्य सूची पर हावी थी। थियोडोर, बुल्से, बुडरो विल्सन, कार्टर, हर्ज, न्यूमैन आदि विद्वानों ने देश-विदेश की कानूनी संहिताओं और संविधानों का विश्लेषण करके तुलनात्मक राजनीति की पुष्टि की है। औपचारिक तथा कानूनी आधार पर लिखी गयी अधिकाधिक पुस्तकें वर्णनात्मक हैं तथा औपचारिक संस्थाओं व कानूनों के अध्ययन पर बल देती हैं। इन रचनाओं की सबसे बड़ी कमी यह है कि ये सामाजिक-आर्थिक मनोवैज्ञानिक कारकों की उपेक्षा करती है।

4. **संरूपण विधि** (The Configurative Approach)—इस विधि का प्रयोग करने वाले विद्वानों में न्यूमैन, कार्टर, हर्ज, रोशर इत्यादि प्रमुख है। इसमें प्रत्येक राज्य की राजनीतिक व्यवस्था को 'धुरी' मानकर उसका अलग से अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन के द्वारा बहुत-से-आँकड़े तथा अन्य आवश्यक सामग्री एकत्रित करके तुलनात्मक विश्लेषण किया जाता है। इस उपागम की कमजोरी यह है कि यह वर्णनात्मक एवं संकुचित है और इसमें सामाजिक-आर्थिक कारकों की उपेक्षा की जाती है। फिर भी इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि इस उपागम ने तुलनात्मक राजनीति को ठोस आधार तथा पर्याप्त सामग्री प्रदान की है।

5. **समस्यागत विधि** (The Problem Approach)—इन विधि के द्वारा समस्यागत क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। कई विद्वानों ने इस उपागम के द्वारा शासन प्रणालियों की प्रचलित 'समस्याएँ' जैसे 'लोकतन्त्र तथा आर्थिक नियोजन में सम्बन्ध', 'द्विसदनात्मक व्यवस्था का ह्रास', 'प्रदत्त व्यवस्थापन' आदि का अध्ययन प्रस्तुत किया। इस उपागम ने तुलनात्मक अध्ययनों को औपचारिक-कानूनी अध्ययन के मार्ग से हटाकर ठोस आधार पर खड़ा कर दिया। इस उपागम को अधिक उपयोगी बनाने के लिए मनुष्यों के व्यवहार तथा राजनीति संस्थाओं एवं अन्य सामाजिक-आर्थिक कारकों में सम्बन्ध की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

6. **क्षेत्रीय उपागम** (The Area Approach)—द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में क्षेत्रीय उपागम का विशेष रूप से प्रयोग किया जा रहा है। क्षेत्रीय उपागम के आधार पर अनेक विद्वानों ने विकासशील देशों की

TOUCH N PASS

राजनीति को अपने अध्ययन का विषय बनाया। **मैक्रिडीस** के शब्दों में, ''कतिपय देशों के ऐसे समूहों को एक क्षेत्र माना जा सकता है जिनमें पर्याप्त सांस्कृतिक एकरूपता हो ताकि उनकी राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके।'' क्षेत्रीय उपागम के आधार पर लिखे गये ग्रन्थों में आमण्ड एवं कोलमैन की पुस्तक *'The Politics of Developing Areas'*, रॉबर्ट स्केलापिनों की कृति *'Democracy and Party Movement in Pre-war Japan'*, बेरिंगटन मूर की कृति *'Soviet Politics : The Dilemman of Power'* आदि प्रमुख हैं। इन कृतियों में भौगोलिक समीपता के आधार पर विभिन्न देशों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता था। आगे चलकर 'अन्त:शास्त्रीय' अध्ययनों का विकास हुआ और कई विद्वानों ने मानवशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र 'इत्यादि के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन करना प्रारम्भ कर दिया। ऐसे अध्ययनों में डेविस की कृति *'Government and Politics in South East Asia'*, हरारी की कृति *'Government and politics of Middle East'* प्रमुख हैं।

यह उपागम भौगोलिक समीपता को 'क्षेत्र' के निर्धारण का आधार मानता है। किन्तु भौगोलिक समीपता किसी भी प्रकार ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा जातीय एकरूपता की परिचायक नहीं हो सकती है। अत: तुलनात्मक विश्लेषण के आधार पर सामान्य सिद्धान्त के निर्माण में यह उपागम अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकता।

7. **संस्थागत कार्यात्मक उपागम** (The Institutional Functional Approach)—इसमें राज्य अथवा शासन को एक इकाई के रूप में नहीं देखा जाता अपितु समस्त राजनीतिक व्यवस्था को ही एक इकाई माना जाता है। इसमें राजनीतिक संस्थाओं के संगठनात्मक एवं कार्यात्मक अंगों पर एक जैसा बल दिया जाता है। इसमें मोटे रूप से राजनीतिक संस्थाओं द्वारा सम्पादित कार्यों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। हरमन फाइनर, कार्ल जे० फेडरिक तथा के०सी० ह्वीयर के अध्ययनों में इसी उपागम को अपनाया गया है। संस्थागत-कार्यात्मक उपागम का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें राजनीति के गतिशील कारकों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता।

प्र.2. परम्परागत तुलनात्मक राजनीति की विशेषताएँ बताइए एवं इसके दृष्टिकोण की आलोचना कीजिए।
Give the general characteristics of traditional comparative politics and criticise its approach.

उत्तर

परम्परागत, तुलनात्मक राजनीति की विशेषताएँ
(General Characteristics of Traditional Comparative Politics)

परम्परागत दृष्टिकोण से लिखे गये समस्त विवरणों में तुलनात्मक अध्ययन जैसे तत्त्व बहुत कम है। अधिकांश विवरण एक देश अथवा अनेक देशों की राजनैतिक संस्थाओं के सम्बन्ध में परिचयात्मक अथवा समान्तर विवरण (Paralleal Description) मात्र है। देश-विदेश के विवरण मात्र होने के कारण उनके द्वारा किये गये अध्ययन को तुलनात्मक अध्ययन न कहकर ''देश-विदेश अध्ययन'' (country by country study) कहकर पुकारा गया है। आर०सी० मैक्रिडिस के अनुसार परम्परागत तुलनात्मक राजनीति केवल नाम से ही तुलनात्मक थी; यह तो विदेशी शासन विधानों का अध्ययन मात्र थी जिसमें सरकारों की संरचना तथा राज्य संस्था के औपचारिक संगठनों का विवरणात्मक, ऐतिहासिक एवं कानूनी अध्ययन किया जाता था। मोटे तौर से इसमें लिखित संवैधानिक दस्तावेजों एवं कानूनी आलेखों के अध्ययन पर बल दिया जाता था।

मैक्रिडिस ने तुलनात्मक राजनीति की पाँच विशेषताएँ बतलायी हैं—(1) प्रधानत: अ-तुलनात्मक (Essentially Non-Comparative); (2) प्रधानत: वर्णनात्मक (Essentially Descriptive); (3) मूलत: संकीर्ण (Essentially Parochial); (4) मूलत: स्थिर (Essentially Static); तथा (5) मूलत: प्रबन्धकीय (Essentially Monographic)।

1. **तुलनाविहीन मात्र विवरण** (Non-comparative Only Descriptive)—आर०सी० मैक्रिडिस ने परम्परागत तुलनात्मक राजनीति को मूलत: अ-तुलनात्मक बताया है। यह माना जाता था कि 'एक देश' अपने आप के अध्ययन की पूर्ण इकाई है। इसलिए परम्परागत अध्ययन एक देशीय ही रहे और तुलना का प्रश्न ही नहीं उठ पाया। फिर परम्परागत अध्ययन समानान्तर संस्थाओं के अध्ययन तक ही सीमित रहे, जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटिश राजा से करना। ऐसे अध्ययनों से उभरने वाली समानताओं-असमानताओं की तुलना को ही तुलनात्मक अध्ययन कह दिया जाता था। वस्तुत: परम्परागत लेखकों का मुख्य उद्देश्य विभिन्न देशों के संविधानों, विधायिताओं, मन्त्रिमण्डलों अथवा राष्ट्राध्यक्षों की औपचारिक एवं संस्थागत विवेचना मात्र था।

2. **प्रधानतः वर्णनात्मक** (Essentially Descriptive)—परम्परागत दृष्टिकोण युक्त समस्त विवरणों में वर्णनात्मक विधि का प्रयोग किया गया है। अधिकांशतः ग्रन्थों में मुख्य रूप से राजनैतिक संस्थाओं का ही वर्णन किया गया है और जो थोड़ी-बहुत तुलना की भी गई है वह केवल उन संस्थाओं के गुण-दोषों के वर्णन तक सीमित रही है। इन ग्रन्थों की उपयोगिता तुलनात्मक राजनीति के स्थान पर विषय का परिचय प्राप्त करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। तुलनात्मक राजनीति के परम्परागत दृष्टिकोण में, तुलनात्मक अध्ययन एवं व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक अध्ययन जैसी बात नहीं है। राजनीतिक संस्थाओं की आधारभूत राजनीतिक प्रक्रियाओं, दबाव, हित, समूहों, व्यवहार आदि के विषय में इस दृष्टिकोण से बिल्कुल अध्ययन नहीं किया जाता जबकि आधुनिक तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन में इनका प्रमुख स्थान है। परम्परागत लेखकों ने शासन के संगठन तथा कार्यों के वर्णन को अत्यधिक महत्त्व दिया। उनकी मान्यता थी कि संस्थाओं का वर्णन ही उनकी व्याख्या के लिए पर्याप्त है। इसलिए इन विद्वानों ने शासन व्यवस्थाओं का वर्णन करके विभिन्न शासन तन्त्रों के बीच समानताओं और असमानताओं का ही स्पष्टीकरण किया किन्तु उनमें समानताओं और असमानताओं के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों और कारकों का अध्ययन नहीं किया गया।

   यही नहीं परम्परागत दृष्टिकोण में केवल फ्रांस, रूस, स्विट्जरलैण्ड, ब्रिटेन तथा जर्मनी आदि देशों की राजनैतिक पद्धतियों का वर्णन करके ही कर्त्तव्य की इतिश्री समझ ली गयी है। जैसे 'मुनरो' की 'Constitution of United States' और 'Government of Europe' पुस्तके, ऑग व जिंक की 'Modern Foreign Governments' तथा जेम्स टी० शाटवेल द्वारा सम्पादित 'Governments of Continental Europe' इन्हीं देशों की सरकारों का अध्ययन प्रस्तुत करती है। इसलिए इसको 'Europe Oriented Studies' का नाम भी दिया गया है। इसके अतिरिक्त जिस वर्णनात्मक विधि का प्रयोग करके इन प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना की गयी है उन्हें मात्र 'राजनैतिक रूपवर्णता' (Political Morphology) कहना अधिक उपयुक्त है क्योंकि इन ग्रन्थों में राजनीतिक संस्थाओं का वर्णन अधिक किया गया है तुलना कम। जो कुछ तुलनात्मक अध्ययन के नाम पर लिखा भी गया है वह गुण-दोषों का वर्णन मात्र है। आर०सी० मैक्रीडिस ने इनकी आलोचना में एक विशेष बात की ओर ध्यान आकर्षित किया है और वह है इन पुस्तकों की रचना में अपनाया गया ऐतिहासिक एवं वैधानिक ढंग का सम्मिलित होना। इसका अभिप्राय यह है कि ऐतिहासिक ढंग से किये गये तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाओं के जन्म एवं विकास के साथ-साथ अन्त का विवरण व्यक्त रहता है न कि किसी विश्लेषणात्मक ज्ञान की अभिव्यक्ति होती है एवं वैधानिक ढंग में राजनैतिक संस्थाओं के वैधानिक स्वरूप एवं उनके पारस्परिक सम्बन्धों का वर्णन होता है। **मैक्रीडिस** के अनुसार उपरोक्त दृष्टिकोण के अनुसार वर्णित पुस्तकों में ऐसी दोनों विधियों का समावेश तो मिलता है किन्तु भविष्य के किसी विकास एवं क्रियाशीलता के विषय में 'मोटी संकल्पनाएँ' (Broad Hypothests) आदि नहीं मिलती।

3. **एक संकीर्ण दृष्टिकोण** (Essentially Parochia)—परम्परागत तुलनात्मक अध्ययन प्रधानतः पाश्चात्य राज्यों की शासन व्यवस्थाओं की संकीर्ण परिधि में बंधे रहे। परम्परागत विद्वानों की रचनाओं में अमेरिका और पश्चिमी यूरोप की राजनीतिक संस्थाओं का ही विवरण मिलता है। विद्वानों ने फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, स्विट्जरलैण्ड, स्वीडन और डेनमार्क की शासन संरचनाओं का तो वर्णन किया, पर एशिया, अफ्रीका तथा दक्षिणी अमेरिका की राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन में कोई अभिरुचि नहीं दिखाई। **एक्सटीन व ऐप्टर** के शब्दों में, "परम्परागत दृष्टिकोण पाश्चात्य राजनीतिक व्यवस्थाओं तक सीमित रहा और प्रमुखतया एक संस्कृति संरूपण या समूह का ही इसमें अध्ययन किया गया"

   इसके अतिरिक्त अधिकांश परम्परागत लेखकों का ध्यान केवल लोकतन्त्रीय शासन प्रणालियों तक ही सीमित था। अधिकांश विचारकों का मत था कि केवल यूरोपीय देशों में ही लोकतन्त्र सम्भव है। जर्मनी, इटली, पुर्तगाल आदि की राजनीतिक संस्थाएँ लोकतन्त्रीय नहीं मानी जाती थीं और ऐसी पथविमुख व्यवस्थाओं का अध्ययन अनावश्यक माना गया। कम विकसित और पिछड़े हुए देशों की उपेक्षा के कारण परम्परावादी विद्वानों का अध्ययन क्षेत्र सिमटकर बहुत संकीर्ण रह गया।

   कार्ल फ्रैडरिक ने यद्यपि अपनी पुस्तक "Constitutional Government and Democracy" में कुछ नवीन आधारों पर तुलना करने का प्रयास किया है किन्तु उनको भी इस दिशा में पूर्ण सफलता मिली हो, ऐसा कहना उचित नहीं होगा। **प्रो० हर्मन फाइनर व प्रो० फ्रैड्रिक** के प्रयत्न भी इस दिशा में प्रयास मात्र ही है। वस्तुतः जब तक केवल यूरोपीय राजनैतिक संस्थाओं का ही विवरण इस दृष्टिकोण से हट नहीं जाता और गैर यूरोपीय राज्यों की संस्थाओं के नवीन

TOUCH 'n PASS

उदाहरणों को अध्ययनार्थ प्रस्तुत नहीं किया जाता तब तक इस दृष्टिकोण को संकुचितता की सीमा से मुक्त नहीं किया जा सकता।

4. **स्थैतिकी का गुण** (Quality of Static)—परम्परागत उपागम में उन गतिशील कारकों का अध्ययन नहीं किया गया जोकि विविध राजनीतिक संस्थाओं की उत्पत्ति तथा विकास का आधार होते हैं। परम्परागत विद्वानों ने कानूनी सन्दर्भ में राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया और उन तत्त्वों की अव्हेलना की जो राजनीतिक परिवर्तनों एवं विकास की समस्याओं एवं दिशाओं से सम्बन्धित होते हैं। उन्होंने उन परिस्थितियों एवं तत्त्वों का अध्ययन करना आवश्यक नहीं समझा जो किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में संसदीय प्रणाली को सफल अथवा असफल बनाता है। परम्परागत दृष्टिकोण में कार्यात्यात्मक क्रियाओं की पूर्ण उपेक्षा की जाती है अर्थात् इस दृष्टिकोण में केवल उन्हीं विषयों का उल्लेख मिलता है जो किसी देश की राजनैतिक संस्थाओं का इतिहास केवल उसके संविधान एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में बताते हैं। आधुनिक राजनीति के विभिन्न पहलू, जिनमें जनमत, हित समूह, दबाव समूह एवं व्यक्ति के राजनैतिक सम्बन्ध आदि का समावेश होता है इस दृष्टिकोण की पहुँच से बाहर ही दिखते हैं। इसलिए इस दृष्टिकोण में समस्त गतिशील विषयों की अवहेलना करने से स्थैतिकी (Static) का गुण आ गया है।
5. **प्रजातन्त्र प्रशंसक दृष्टिकोण** (Favouring Democratic System)—परम्परागत दृष्टिकोण की यह विशेषता रही है कि वह सदैव प्रजातन्त्र का प्रशंसक रहा है। इसका कारण यह है कि उन सभी पश्चिमी देशों में, जिनकी राजनैतिक संस्थाओं का वर्णन यह दृष्टिकोण करता है, राजतन्त्री व्यवस्था समाप्त कर प्रजातन्त्र की स्थापना की गई। साथ-ही-साथ परम्परागत तुलनात्मक अध्ययन आदर्शपरक थे। वे कतिपय आदर्शपरक धारणाओं को राजनीतिक संस्थाओं के लिए कसौटी मानकर चलते हैं तथा अध्ययन में मूल्यों तथा सिद्धान्तों पर जोर दिया जाता था। यही कारण था कि परम्परागत अध्ययन पाश्चात्य लोकतन्त्र तक ही सीमित रहा और अलोकतान्त्रिक एवं औपनिवेशिक व्यवस्थाओं के अध्ययन में कोई अभिरुचि नहीं दिखायी गयी।
6. **वैधानिक संस्थाओं का विवरण** (Description of Legal Institutions)—राजनीति के परम्परागत अध्ययनों द्वारा प्रस्तुत विवरण केवल राजनैतिक क्षेत्र की वैधानिक संस्थाओं तक सीमित रहा। दूसरे शब्दों में, इस दृष्टिकोण में राजनीतिक संस्थाओं का औपचारिक तथा कानूनी अध्ययन किया गया था अर्थात् संविधान की प्रमुखता तथा उसके अनुसार किस प्रकार वैधानिक संस्थाएँ कार्य करती हैं अथवा करनी चाहिए आदि का वर्णन ही प्राय: इस दृष्टिकोण के विवरणों का विषय रहा है। अराजनैतिक विषय, जिनकी राजनैतिक संस्थाओं के विकास में एक प्रभावी भूमिका विद्यमान रहती है, इस दृष्टिकोण से सदैव दूर रहे है।
7. **प्रधानत: प्रबन्धकीय** (Essentially Monographic)—तुलनात्मक शासन से सम्बन्धित अधिकांश परम्परागत रचनाएँ लम्बे निबन्धों जैसी हैं। इस कालावधि में विदेशी शासन प्रणालियों पर जो महत्त्वपूर्ण अध्ययन लिखे गये हैं, उनमें से अनेक में किसी एक शासन व्यवस्था की संस्था अथवा उस व्यवस्था में किसी खास संस्था का विवेचन किया गया है। जॉन मेरियट, कीथ, ब्राइस, आइवर जैनिंग्स, एच०जे० लास्की, डायसी, वुडरो विल्सन आदि लेखकों की रचनाओं को इस श्रेणी में रखा जा सकता है। इन विद्वानों के अध्ययन के प्रिय विषय रहे हैं—'अमेरिकी राष्ट्रपति', 'ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था', 'ब्रिटिश कैबिनेट', 'अमेरिकी कांग्रेस', 'फ्रेंच प्रशासनिक कानून' आदि अर्थात् ये सभी अध्ययन एक-एक संस्था या एक ही व्यवस्था पर विस्तृत निबन्ध के समान है।

परम्परागत तुलनात्मक राजनीतिक दृष्टिकोण की आलोचना
(Criticism of Traditional Comparative Political Approach)

परम्परागत तुलनात्मक राजनीति को दर्शन, इतिहास और कानून की ओर से जो सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण वसीयत मिली है वह वर्णनात्मक तथा संस्थागत अध्ययन पद्धतियों के क्षेत्र में है। परम्परागत अध्ययनों में सही अर्थों में तुलनाओं की उपेक्षा ही की गयी है। राजनीतिक व्यवहार के अराजनीतिक तत्त्वों की इसमें उपेक्षा हुई तथा राजनीतिक आचरण की व्याख्या करने का प्रयत्न नहीं किया गया। परम्परागत दृष्टिकोण की आलोचना भी वस्तुत: उनकी विशेषताओं के आधार पर की गई है। इस दृष्टिकोण की प्रमुख कमियाँ इस प्रकार हैं—

1. **अर्थपूर्ण तुलनाओं का अभाव** (Lack of Meaningful Comparisons)—परम्परागत अध्ययनों में अर्थपूर्ण तुलनाओं का प्रयास नहीं किया गया है। इसमें केवल शासन प्रणालियों अथवा संस्थाओं के ऊपरी ढाँचे की समानताओं

TOUCH 'n' PASS

और असमानताओं की तुलना की गई अथवा अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटिश प्रधानमन्त्री से करने का प्रयत्न किया गया जिसे अर्थपूर्ण तुलना नहीं कहा जा सकता। **आमण्ड एवं पॉवले** के शब्दों में, "परम्परागत तुलनात्मक राजनीति, अलग-अलग राजनीतिक व्यवस्थाओं की विशिष्ट विशेषताओं पर प्रकाश डालने तक ही सीमित रही और व्यवस्थित तुलनात्मक विश्लेषण नाममात्र का ही था।"

2. **अराजनैतिक तत्त्वों की उपेक्षा** (Ignored Non-political Elements)—परम्परागत तुलनात्मक अध्ययनों में उन गैर-राजनीतिक कारकों की उपेक्षा की गयी जो शासन प्रणाली के स्वरूप को निर्धारित करने में अत्यन्त प्रभावी होते हैं। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों का वस्तुत: राजनीतिक व्यवस्था पर इतना अधिक प्रभाव होता है कि उनको समझे बिना राजनीतिक व्यवस्था के अन्तरंग की तुलना सम्भव नहीं है। इन तत्त्वों की उपेक्षा करके तुलनात्मक अध्ययन अत्यधिक औपचारिक (tormal) बन गया। ऑमण्ड व पॉवेल के शब्दों में, "इनका मुख्य जोर संस्थाओं, कानूनों, विधियों व राजनीतिक विचारों तथा विचारधाराओं पर ही था और उनके कार्य, अन्त:क्रिया, व्यवहार व उपलब्धियों की उपेक्षा की गयी।"
3. **विश्लेषण का अभाव** (Lack of Evaluation)—परम्परागत उपागम वर्णनात्मक अधिक था और विश्लेषणात्मक कम। इन अध्ययनों में केवल राजनीतिक ढाँचे का मोटा वर्णन किया गया और आधुनिक तुलनात्मक दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया। इनमें विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं का वर्णन किया गया है और उनकी परस्पर तुलना की उपेक्षा की गयी है। परम्परागत अध्ययनों में जो कुछ तुलना की गयी है उसमें संघीय व एकात्मक व्यवस्था, संघात्मक व अध्यक्षात्मक व्यवस्था अथवा प्रजातन्त्र व अधिनायकवाद आदि के गुण-दोषों और उनके बीच समानताओं-असमानताओं को दर्शाया गया है।
4. **संकुचित अध्ययन** (Limited Study)—परम्परागत तुलनात्मक अध्ययन संकुचित कहे जाते हैं। परम्परागत लेखकों ने न तो अलोकतान्त्रिक शासन-व्यवस्था का ही अध्ययन किया और न ही विकासशील देशों की शासन प्रणालियों को अपने अध्ययनों में शामिल किया। तुलनात्मक राजनीति पर लिखी गयी अधिकांश पुस्तकों में लोकतान्त्रिक व विशेष तौर से पश्चिमी यूरोपीय संस्थाओं का ही वर्णन है।
5. **आनुभविक वैज्ञानिक पद्धति की उपेक्षा** (Lack of Scientific Technique)—परम्परागत तुलनात्मक अध्ययनों में ऐतिहासिक और वैज्ञानिक पद्धति पर जोर दिया गया है। इन अध्ययनों में आनुभाविक तथ्यों पर जोर नहीं दिया गया है और परिमाणन (Quantification) का अभाव रहा है।
6. **सिद्धान्त निर्माण के लक्ष्य का अभाव** (Lack of Theory Building)—परम्परागत विद्वान केवल राजनीतिक संस्थाओं के वर्णन तक ही सीमित रहे। उनके पास विस्तृत सामान्यीकरण अथवा सिद्धान्त निर्माण का व्यापक लक्ष्य नहीं था, जबकि तुलनात्मक, राजनीति का अन्तिम उद्देश्य सिद्धान्त उत्पन्न करना है—प्रामाणिक सामान्यीकरण (valid generalization) तक पहुँचने में सहायता करना है। इस प्रकार यदि हम संक्षेप में कहना चाहें तो कह सकते हैं कि—
   (i) परम्परागत दृष्टिकोण एक संकुचित दृष्टिकोण है।
   (ii) यह दृष्टिकोण केवल वर्णनात्मक है। इसमें विश्लेषण एवं वैज्ञानिकता का कोई समावेश नहीं है।
   (iii) इस दृष्टिकोण में अराजनैतिक व्यवस्थाओं का कोई वर्णन नहीं मिलता।
   (iv) इस दृष्टिकोण में केवल प्रजातन्त्रीय संस्थाओं को प्रशंसा की दृष्टि से देखा गया है तथा अप्रजातान्त्रिक शासन पद्धतियों के विषय में यह मौन है।
   (v) यह दृष्टिकोण एकांगी है क्योंकि इस दृष्टिकोण के आधार पर किये गये विवरण में केवल सैद्धान्तिक पक्ष पर ही बल दिया गया है तथा व्यावहारिक पक्ष के विषय में यह सदा मौन रहा है।

प्र.3. तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक उपागम क्या है? कोई दो उपागमों का वर्णन कीजिए।
What are the modern approaches of comparative politics? Describe any two approaches

उत्तर तुलनात्मक राजनीति के परम्परागत उपागम राजनीतिक व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं की वास्तविकताओं को समझने में तथा वर्तमान सिद्धान्तों के प्रतिपादन में सहायक नहीं हुए, इसलिए नये उपागमों एवं विधियों की खोज प्रारम्भ हुई। राजनीतिक संस्थाओं व राजनीतिक व्यवहार के तुलनात्मक अध्ययन को अधिक वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने के लिए विद्वानों ने परम्परागत तुलनात्मक

TOUCH 'n PASS

राजनीति के विचारकों से भिन्न जो पद्धति या दृष्टिकोण अपनाया, उसे तुलनात्मक राजनीति अध्ययन के आधुनिक उपागम कहते हैं। सन् 1908 में ग्राहम वालेस की रचना *'Human Nature in Politics'* तथा आर्थर बेंटले की रचना *'The Process of Government'* का आगमन राजनीतिक अध्ययन में एक परिवर्तन का प्रतीक है। अब राजनीति की औपचारिक प्रक्रियाओं पर अधिक और राज्य की राजनीतिक संस्थाओं पर कम बल दिया जाने लगा। समाज विज्ञानों की समाजशास्त्र, मनोविज्ञान जैसी शाखाओं से अब खुलकर सहायता की जाने लगी। अन्तत: राजनीतिशास्त्र के अध्ययन की इस नयी अनुभववादी पद्धति का यह प्रभाव पड़ना ही था कि शक्ति, प्रतिकार, राजनीतिक श्रेष्ठजन (elite) जैसी संकल्पनाओं के परीक्षण हों।

तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक उपागम
(Modern Approaches of Comparative Politics)

तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक उपागम परम्परावादी उपागमों की उपेक्षा अधिक वैज्ञानिक एवं क्रमबद्ध है। आधुनिक उपागमों के प्रयोग से तुलनात्मक राजनीति के विषय-क्षेत्र को क्रमबद्ध एवं परिपेक्ष्य में प्रयुक्त करने में सहायता मिलती है। इन उपागमों से विश्लेषण के तथ्यों के चयन का आधार तथा उनकी संगति का मापदण्ड मिलता है।

तुलनात्मक राजनीति के प्रमुख आधुनिक उपागम इस प्रकार हैं—

1. संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक उपागम (Structural-Functional Analysis Approach)
2. मार्क्सवादी-लेनिनवादी उपागम (Marxist-Leninist Framework Approach)
3. राजनीतिक विकास उपागम (Political Development Approach)
4. राजनीतिक आधुनिकीकरण उपागम (Political Modernization Approach)
5. राजनीतिक संस्कृति उपागम (Political Culture Approach)।

1. राजनीतिक व्यवस्था विश्लेषण उपागम (Political System Analysis Approach)

व्यवस्था विश्लेषण सिद्धान्त आधुनिक तुलनात्मक राजनीति की वैज्ञानिकता, व्यापकता और प्रौढ़ता का अनुपम उदाहरण है। यह सिद्धान्त परम्परागत तुलनात्मक राजनीति के संकीर्ण दायरे से निकलकर विज्ञानों की खोजों से प्राप्त निष्कर्षों को भी औजार के रूप में इस्तेमाल करता है। राजनीति विज्ञान में व्यवस्था विश्लेषण सिद्धान्त का प्रयोग राजनीति विज्ञान के परिवर्तित अध्ययन-क्षेत्र का परिचायक है। आधुनिक राजनीतिक विश्लेषण राजनीतिक व्यवस्थाओं का ही विश्लेषण है। अभी तक राजनीति विज्ञान के अध्ययन का मुख्य बिम्ब 'राज्य' तथा वे राजनीतिक संस्थाएँ थीं जिन्हें राज्य के कानून द्वारा स्थापित तथा नियन्त्रित समझा जाता था। किन्तु अनुभववाद की स्थापना के पश्चात् राज्य एवं उसकी संस्थाओं के अध्ययन के बदले अध्ययन क्षेत्र की पुनर्व्याख्या करने की आवश्यकता हुई। वस्तुत: पारम्परिक विचारकों ने राज्य का अध्ययन केवल औपचारिक संस्थाएँ जैसे—सरकार, न्यायपालिका तक ही सीमित रखा। उन्होंने उन अनौपचारिक संस्थाओं जैसे-परिवार, जाति, धर्म, वर्ग तथा प्रभावकारी समूह आदि के कार्यों एवं भूमिका की उपेक्षा की जो हमारी औपचारिक संस्थाओं के स्वरूप, कार्यप्रणाली और सम्बन्धों को निर्धारित करते हैं। यदि हमें राजनीतिशास्त्र को अधिक वैज्ञानिक, प्रभावशाली विषय बनाना है जिसके अन्तर्गत हमें सभी प्रकार के समाजों को सम्मलित करना है तो हमें एक व्यापक 'विश्लेषण सिद्धान्त' की आवश्यकता है। 'राजनीतिक व्यवस्था' (Political System) की संकल्पना इस उद्देश्य की पूर्ति करती है। 'राजनीतिक व्यवस्था' क्या है? हमें सर्वप्रथम 'व्यवस्था' शब्द का अर्थ समझना चाहिए।

यह शब्द भौतिक विज्ञानों से लिया गया है। भौतिक विज्ञानों के अन्तर्गत "व्यवस्था का अर्थ सुपरिभाषित अन्तर-क्रियाओं के समूह से है जिसकी सीमाएँ निश्चित की जा सके।" शाब्दिक परिभाषा के अनुसार 'व्यवस्था' का अर्थ हैं—"जटिल सम्बन्धित वस्तुओं का समग्र समूह, विधि संगठन, पद्धति के निश्चित सिद्धान्त तथा वर्गीकरण का सिद्धान्त।" इन अर्थों में महत्त्वपूर्ण शब्द हैं—सम्बन्धित, संगठित और संगठन। अर्थात् एक व्यवस्था संगठित होनी चाहिए अथवा उसमें संगठन हो, उसके अंग सम्बद्ध हों। यदि किसी भी स्थान पर हमें संगठन मिलता है अथवा जहाँ से संगठित होने के गुण पाये जाते हैं और उसके सभी अंग एक-दूसरे से सम्बद्ध हैं तो वहाँ 'व्यवस्था' विद्यमान है। व्यवस्था में तीन गुण पाये जाते हैं जो निम्न हैं—

1. **व्यापकता** (Prevalence)—व्यापकता का अर्थ है—व्यवस्था के अन्तर्गत हम सभी परस्पर क्रियाओं को शामिल करते हैं। दूसरे शब्दों में, हम व्यवस्था के अन्तर्गत न केवल उन अंगों को शामिल करते हैं जो विधि पर आधारित हैं, जैसे—विधान मण्डल, कार्यपालिका आदि वरन् समस्त संरचनाओं को उनके राजनीतिक रूप में शामिल करते हैं; जैसे—जाति, धर्म, परिवार आदि।

TOUCH n PASS

2. **अन्योन्याश्रय** (Interaction)—अन्योन्याश्रय का अर्थ है कि जब व्यवस्था के एक अंग के गुणों में परिवर्तन आता है तो उसका प्रभाव अन्य संघटकों पर भी स्वत: पड़ता है। उदाहरण के लिए मानव शरीर एक व्यवस्था है। जब शरीर के किसी एक भाग में पीड़ा होती है तो उसका प्रभाव सम्पूर्ण शरीर पर पड़ता है।
3. **सीमाएँ** (Limitations)—सीमाओं से हमारा तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यवस्था किसी एक बिन्दु से प्रारम्भ होती है तथा किसी एक निश्चित स्थान पर उसका अन्त होता है। दूसरे शब्दों में ऐसा बिन्दु जहाँ पर अन्य व्यवस्थाओं की परिधि समाप्त होती है और राजनीतिक व्यवस्था की परिधि प्रारम्भ होती है, उसे हम राजनीतिक व्यवस्था की सीमा कहते हैं।
   समाज स्वयं एक व्यवस्था है जिसका निर्माण राजनीतिक व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य व्यवस्थाओं जैसे—आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, धार्मिक और जैविक व्यवस्थाओं से होता है। ये सभी व्यवस्थाएँ एक-दूसरे को प्रभावित करती हैं। व्यक्ति का राजनीतिक आचरण न केवल उसके राजनीतिक मूल्यों अथवा प्रतिमानों से प्रभावित होता है। वरन् रक्त सम्बन्ध, धार्मिक सम्बन्ध, आर्थिक क्रियाओं तथा सांस्कृतिक उपलब्धियों से भी प्रभावित होता है। व्यवस्था का अर्थ है—''मानवीय सम्बन्धों का स्वरूप'' (Pattern of Human Relationship) कोई भी मानवीय सम्बन्धों की संरचना

'राजनीतिक व्यवस्था' बन जाती है यदि उसके अन्तर्गत शक्ति, नियम और सत्ता के तत्त्व दृष्टिगोचर होने लगते हैं। राजनीतिक व्यवस्था राजनीतिक संस्थाओं तक ही सीमित नहीं हैं। जाति, समूह, चर्च, व्यवसायिक संगठन सभी में राजनीतिक व्यवस्था की कल्पना की जा सकती है, यदि संस्था के सदस्य सत्ता, शक्ति और नियम से सम्बन्धित है। वस्तुत: प्रत्येक संगठन का एक राजनैतिक पहलू होता है।

रॉबर्ट डाहल के अनुसार, ''राजनीतिक व्यवस्था मानव सम्बन्धों का वह स्थायी संरूप है जिसके अन्तर्गत शक्ति, नियम और सत्ता महत्त्वपूर्ण मात्रा में अन्तर्ग्रस्त हों।''

डेविड ईस्टन के अनुसार, ''राजनीतिक व्यवस्था के तीन संघटक हैं—प्रथम, राजनीतिक व्यवस्था नीतियों के माध्यम से मूल्यों का आवंटन है; द्वितीय, इसका आवंटन प्राधिकारिक होता है; तीसरा, इसका प्राधिकारिक आवंटन समाज पर बाह्य रूप से लागू होता है।''

अत: राजनीतिक व्यवस्था एक ऐसी उप-व्यवस्था है जिसके विभिन्न भागों में ऐसी सम्बन्ध-सूत्रता होती है कि व्यवस्था के किसी भी भाग में हुआ कोई भी परिवर्तन अन्य अन्त: क्रियाशील अंगों तथा सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में भी अनुकूल परिवर्तन ला देता है।

डेविड ईस्टन द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था सिद्धान्त
(Easton's View of Political System)

तुलनात्मक राजनीति में व्यवस्था की अवधारणा का प्रयोग करने वाले विद्वानों में ईस्टन का नाम अग्रणी है। सन् 1953 में प्रकाशित पुस्तक *'दी पॉलिटिकल सिस्टम'* में उसने राजनीतिक विज्ञान के एक 'सामान्य व्यवस्था सिद्धान्त' निर्माण का विचार प्रस्तुत किया था।

डेविड ईस्टन के अनुसार, ''राजनीतिक व्यवस्था अन्तर-क्रियाओं का ऐसा समूह है जिसके अन्तर्गत माँगों को निर्गत (Output) में बदला जाता है।'' राजनीतिक व्यवस्था संस्थाओं एवं प्रक्रियाओं का एक जटिल समूह है जो समाज के भीतर आधिकारिक मूल्यों का विनियोजन करती है। हम राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन इसलिए करते हैं क्योंकि उनके अधिकारपूर्ण निर्णय (Authoritative decisions) के परिणामों का समाज के लिए बहुत महत्त्व है और इन परिणामों को निर्गत (Output) कहा

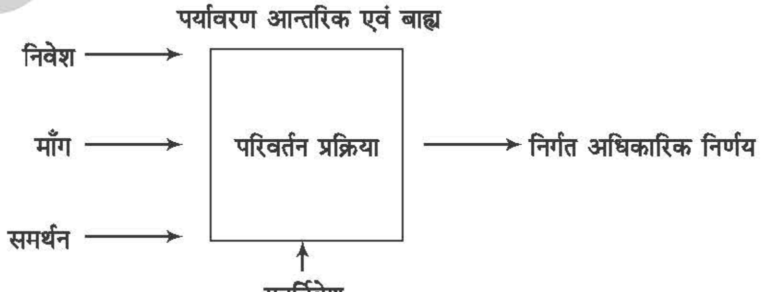

(ईस्टन का राजनीतिक व्यवस्था प्रतिमान)

जाता है। किसी भी व्यवस्था को जीवित रखने के लिए यह आवश्यक है कि उसमें निरन्तर निवेश (Input) होता रहे। निवेश के बिना कोई भी व्यवस्था कार्य नहीं कर सकती। निर्गत के बिना उसके कार्यों को समझा-पहचाना नहीं जा सकता।

1. **निवेश प्रकार्य** (Inputs)—निवेश से तात्पर्य माँग तथा समर्थन से है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था के सामने पर्यावरण से कुछ 'माँगे' रखी जाती है। इन माँगों के पीछे माँग रखने वालों का 'समर्थन' होता है जो राजनीतिक व्यवस्था में निर्णय लेने वालों का ध्यान उन माँगों की ओर आकर्षित करता है। इसके साथ-ही-साथ 'समर्थन' राजनीतिक व्यवस्था को विभिन्न प्रकार की माँगों से निपटने की शक्ति भी प्रदान करता है क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था का अस्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि उसे जनता का कितना समर्थन प्राप्त है। यह समर्थन उसकी माँगों की पूर्ति की क्षमता पर निर्भर करता है। माँगें हमें यह समझने में सहायता करती हैं कि किस तरह पर्यावरण सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था पर अपना प्रभाव डालता है क्योंकि माँगों का जन्म सामाजिक पर्यावरण में होता है। माँगों की वैधता, व्यवस्था की क्षमता तथा स्थायित्व से समझने में समर्थन सहायता करती है।
2. **माँगे** (Demands)—माँग मन की अभिव्यक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु विशेष के प्राधिकारिक आबंटन (Allocation) के लिए उन लोगों से जो कि इसको करने के लिए उत्तरदायी हैं कहा जाता है कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। माँगें कई प्रकार की हो सकती हैं—संकीर्ण, विशिष्ट तथा सामान्य। उनको व्यक्त करने वाले लोगों तथा उनके उद्देश्यों पर यह निर्भर रहता है।
   माँगों की अपनी एक निर्दिष्ट दिशा होती है। उनका बहाव सदैव सत्ता की ओर होता है। माँगों के दो रूप होते हैं—सुझाव तथा निर्देश। माँगें दो प्रकार की होती हैं—स्पष्ट तथा अस्पष्ट। माँगें वैयक्तिक स्वार्थ तथा जनहित दोनों से सम्बन्धित हो सकती है।
3. **समर्थन** (Support)—राजनीतिक व्यवस्था कुछ कार्य करती है। कार्य करने के लिए समर्थन का होना बहुत ही आवश्यक है। समर्थन एक महत्त्वपूर्ण निवेश है जिसके होने या न होने से महत्त्वपूर्ण परिणाम निकलते हैं। बिना समर्थन के माँगों का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है। यह एक ऐसा बल है जो अधिकारियों का ध्यान माँगों की ओर आकर्षित करता है। समर्थन एक ऐसी कड़ी है जो राजनीतिक व्यवस्था को पर्यावरण से जोड़ती है। यदि अधिकारियों को व्यवस्था में समर्थन प्राप्त नहीं हैं तो 'माँगों' का निवेश के रूप में विधायन करना सम्भव नहीं हो पायेगा। बिना समर्थन के शासन में स्थिरता नहीं आ पाती। सामाजिक एकता बनाये रखने के लिए समर्थन आवश्यक है।
4. **निर्गत प्रकार्य** (Outputs)—निर्गत वे उत्पादित वस्तुएँ हैं जो निवेश के रूपान्तरण के बाद प्राप्त होती हैं। निवेश को समर्थन द्वारा सूत्रबद्ध करके व्यवस्था के सामने निर्णय लेने के लिए रखा जाता है। राजनीतिक व्यवस्था विभिन्न प्रकार के निवेशों पर निर्णय लेती है। निर्गत व्यक्तियों द्वारा रखी गई माँगों पर राजनीतिक व्यवस्था का निर्णय है।
5. **पुनर्निवेशन** (Feedback)—निर्गत का उद्देश्य सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। व्यवस्था के निर्गत से सदस्यों की आवश्यकताएँ पूरी हुई या नहीं, जनता की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है, इस सम्बन्ध में जो सूचनाएँ अधिकारीगणों के पास आती हैं उसे 'पुनर्निवेशन' कहते हैं।
   राजनीतिक व्यवस्था के भीतर सम्पादित होने वाले सभी कार्यों में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कार्य पुनर्निवेशन चक्र (Feedback loop) का है, क्योंकि इसके द्वारा सम्पादित कार्य की प्रक्रिया से राजनीतिक कार्यों का चक्र संचालित होता है।
6. **पर्यावरण** (Environment)—राजनीतिक व्यवस्था सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था में अन्य उप-व्यवस्थाओं (आर्थिक, धार्मिक) की तरह एक उप-व्यवस्थाओं की भूमिका अदा करती है। इसके पर्यावरण से आंशिक रूप से इसकी सहयोगिनी उप-व्यवस्थाओं का बोध होता है जिन्हें आन्तरिक सामाजिक पर्यावरण (Inter-societal Environment) की संज्ञा दी गयी है। आन्तरिक सामाजिक पर्यावरण को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि राजनीतिक व्यवस्था वातावरण (Ecology), जैविक तत्त्व तथा समाज की पद्धतियों द्वारा प्रभावित होती है।

ऑमण्ड द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था सिद्धान्त
(Almond's View of Political System)

राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा के ईस्टन द्वारा दिये गये मॉडल को निवेश-निर्गत मॉडल (Input-output Model) कहा जाता है और ऑमण्ड-पॉवेल द्वारा दिये गए मॉडल को संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक मॉडल (Structural Functional

TOUCH'n PASS

Model) कहा जाता है। ऑमण्ड-पॉवेल ने राजनीतिक व्यवस्था के बारे में मौलिक रूप से ईस्टन की ही व्यवस्था को स्वीकार किया है। किन्तु उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था के संघटकों को लेकर ईस्टन से बहुत आगे बढ़ने का प्रयास किया है। वे राजनीतिक व्यवस्था के ढाँचे को इसके प्रकार्यात्मक पहलुओं से पृथक करके समझने का प्रयास करते हैं।

आमण्ड ने राजनीतिक व्यवस्था की तीन विशेषताएँ बतलायी हैं—(1) विशदता, (2) अन्योन्याश्रितता, और (3) सीमाएँ। उसने सभी व्यवस्थाओं में पाँच समानताएँ दर्शायी हैं—(1) राजनीतिक व्यवस्थाओं की सार्वभौमिकता, (2) राजनीतिक संरचनाओं की सार्वभौमिकता, (3) राजनीतिक प्रकार्यों की सार्वभौमिकता, (4) राजनीतिक संरचनाओं की बहुप्रकार्यता, (5) राजनीतिक व्यवस्थाओं की सांस्कृतिक रूप से मिश्रित विशेषता।

राजनीतिक व्यवस्था के दो प्रकार्य हैं—(1) निवेश (Input), तथा (2) निर्गत (Outputs)। निवेश चार प्रकार के हैं—(1) राजनीतिक समाजीकरण और भर्ती, (2) हित अभिव्यक्तिकरण, (3) हित समूहन, (4) राजनीतिक संचार। निर्गत तीन प्रकार के हैं—(1) नियम निर्माण, (2) नियम प्रयोग, (3) नियम निर्णय। आमण्ड का दावा है कि उसका -राजनीतिक व्यवस्था सिद्धान्त' आधुनिक और विकसित राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना करने के लिए है।

'राजनीतिक संस्कृति' की धारणा के आधार पर आमण्ड ने राजनीतिक व्यवस्थाओं को चार भागों में विभाजित किया है—(1) आंग्ल-अमेरिकन राजनीतिक व्यवस्था, (2) यूरोपीय महाद्वीपीय राजनीतिक व्यवस्था, (3) पूर्व-औद्योगिक या आंशिक रूप से औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्थाएँ तथा (4) सर्वसत्ताधारी राजनीतिक व्यवस्थाएँ।

वस्तुत: ऑमण्ड-पॉवेल ने राजनीतिक व्यवस्था को निवेश-निर्गत के रूप में देखने के बजाय संरचनाओं और प्रकार्यों के रूप में समझने का प्रयत्न किया है। इसलिए इसका 'राजनीतिक व्यवस्था उपागम' के अन्तर्गत विस्तार से विवेचन न करके आगे 'संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक विश्लेषण' के उपागम में विस्तार से विवेचन किया गया है।

राजनीतिक व्यवस्था उपागम के लाभ
(Benefits of Political System Approach)

राजनीतिक व्यवस्था उपागम से तुलनात्मक विश्लेषण का सर्वश्रेष्ठ सिद्धान्त प्रस्तुत हुआ। इससे तुलनाएँ करना आसान और उपयोगी बना गया। **डॉ० एस०पी० वर्मा** ने **डेविड ईस्टन** के व्यवस्था विश्लेषण सिद्धान्त की दो विशेषताएँ बतलायी हैं—**प्रथम**, इस विश्लेषण पद्धति में सन्तुलन दृष्टिकोण से आगे तक जाकर व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों और गत्यात्मकताओं पर ध्यान दिया गया है। **द्वितीय**, तुलनात्मक राजनीति में इसके द्वारा प्रस्थापित प्रत्ययों, प्रविधियों और अवधारणाओं के माध्यम से सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था का तुलनीय अवलोकन किया जा सकता है। मुख्य रूप से तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में व्यवस्था विश्लेषण सिद्धान्त के लाभ इस प्रकार हैं—

1. यह सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था पर ध्यान केन्द्रित करता है।
2. इस दृष्टिकोण का सम्बन्ध किसी विचारधारा से नहीं होने के कारण, हर राजनीतिक व्यवस्था की इस दृष्टिकोण के प्रयोग द्वारा तुलना और विश्लेषण करना सम्भव है।
3. यह राजनीतिक व्यवस्थाओं के गत्यात्मक विश्लेषण का मार्ग खोल देता है।
4. इससे राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तनों और विकास की दिशा का अन्दाजा लगाया जा सकता है।
5. इसके आधार पर राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता या सामर्थ्यों का संकेत मिल जाता है।
6. यह अवधारणा विकास की गति का भी संकेत देने में समर्थ है।

अन्तत: यह कहा जा सकता है कि तुलनात्मक राजनीति को परम्परागतता से निकालकर आधुनिक बनाने में 'राजनीतिक व्यवस्था' की अवधारणा आधारभूत देन मानी जाती है।

2. संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम (Structural Functional Approach)

तुलनात्मक राजनीति में व्यवस्था विश्लेषण का संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक उपागम ईस्टन के निवेश-निर्गत विश्लेषण से उत्पन्न असत्यों के कारण अस्तित्व में आया। ईस्टन का निवेश-निर्गत मॉडल सामान्य सिद्धान्त निर्माण में तुलनात्मक राजनीति को बहुत आगे तक नहीं ले जा पाया। अत: ऑमण्ड ने राजनीतिक व्यवस्थाओं को संरचनाओं और प्रकार्यों के रूप में समझने के प्रयत्न का विचार प्रस्तुत किया।

TOUCH 'n' PASS

संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से अभिप्राय
(Meaning from structural functional Perspective)

संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक उपागम इस बात की व्याख्या करता है कि कौन-सी संरचना राजनीतिक व्यवस्था के अन्तर्गत कौन-से कार्यों का सम्पादन करती है। यह वस्तुत: व्याख्या और परीक्षण का एक उपकरण है। यह उपागम दो प्रमुख धारणाओं पर केन्द्रित है और ये धारणाएँ हैं—'प्रकार्य' और 'संरचना' की धारणाएँ।

संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक उपागम के अन्तर्गत हम तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन सरकारों की संरचना एवं कार्यों का विश्लेषण करके कर सकते हैं। संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक विश्लेषण की मूलभूत मान्यता यह है कि मनुष्य सुसंगत ढंग से क्रिया करता है अर्थात् वह अपनी भूतकालीन आपसी क्रियाओं को दुहराता रहता है। जब इन अन्त: क्रियाओं को एक सीमा के बाहर दुहराया जाता है तब इसके परिणामस्वरूप संरचनाओं (structures) की उत्पत्ति होती है। जब किसी संरचना में निरन्तर सम्पादित होने वाले व्यवहारों के कारण उस संरचना के अस्तित्व को स्थिर रहने का सहारा मिलता है तो समाज वैज्ञानिक उन क्रियाओं को प्रकार्यात्मक (Functional) कहते हैं। इसके विपरीत संरचना के अन्तर्गत निरन्तर सम्पन्न होने वाले जिन व्यवहारों से उस संरचना के अस्तित्व पर आघात पहुँचता है, उन व्यवहारों को समाज वैज्ञानिक दुष्क्रियात्मकता (Dys-Functional) की संज्ञा देते हैं।

'कार्य' शब्द का व्यवहार भी विभिन्न रूपों में किया जाता है। कुछ संरचनाओं द्वारा किये जाने वाले कार्य नितान्त स्पष्ट होते हैं। इसलिए विशेष संरचना द्वारा सम्पादित कार्यों को स्पष्ट कार्य (Manifest Functions) कहा जाता है। राजनीति में कुछ स्पष्ट कार्यों का वर्णन संविधानों में कर दिया जाता है। इसके विपरीत, संरचनाओं के कुछ कार्य स्पष्ट नहीं होते और उनका तब तक पता नहीं चलता जब तक उनकी खोज नहीं की जाती। इन कार्यों को अव्यक्त (Latent) कार्य कहा जाता है। इन्हें जानने की क्रिया कौशल (Skill) की माँग करती है। इसलिए जो समाज वैज्ञानिक संरचनाओं के अव्यक्त कार्यों का जितना अधिक, उद्घाटन करते हैं, वे उतने ही अधिक कुशल माने जाते हैं।

कुछ संरचनाएँ एक समान दिखती है और एक समान कार्यों का सम्पादन भी करती है। इसके विपरीत कुछ संरचनाएँ एक समान प्रतीत होने के बावजूद भिन्न-भिन्न कार्यों का सम्पादन करती है। अत: संरचनाओं की तुलना कठिन कार्य है। इसलिए अधिकांशत: इनके कार्यों की तुलना ही की जाती है।

इस उपागम की मुख्य मान्यताएँ निम्नलिखित हैं—

1. प्रत्येक व्यवस्था की संरचनाएँ होती हैं।
2. इन संरचनाओं को पहचाना जा सकता है।
3. इन संरचनाओं के अंग अथवा तत्त्व व्यवस्था के अन्तर्गत कार्य करते हैं।
4. व्यवस्था की संरचनाओं के अंगों द्वारा किये गये कार्यों का महत्त्व व्यवस्था के कार्यों के परिप्रेक्ष्य में ही है।
5. व्यवस्था की संरचनाओं के अंग कार्य की दृष्टि से अन्योन्याश्रित होते हैं।
6. इन कार्यों का महत्त्व उसी समय तक है जब तक वे व्यवस्था के अंग हैं।
7. व्यवस्था की प्रवृत्ति सन्तुलन (Equilibrium) की ओर होती है।

संरचना की संकल्पना (Concept of Structure)

संरचना, व्यवस्था के भीतर उन प्रबन्धों को बनाती है जो प्रकार्यों का निष्पादन करते हैं। राजनीति की दुनिया में जिसे व्यवस्था कहा जाता है, उसका एक ढाँचा होता है और यह ढाँचा (structure) या संरचना अपने आप में एक गतिशील मशीन की भाँति कुछ कार्य करती है। जैसे, संसद या राजनीतिक दल राजनीतिक व्यवस्था के भीतर एक संरचना है जो विविध कार्य करते हैं।

प्रकार्यों की संकल्पना (Concept of Functions)

मर्टन के अनुसार प्रकार्य प्रेक्षित परिणाम हैं जो किसी व्यवस्था के अनुकूल या पुन: समायोजन की व्याख्या करते हैं और उन प्रेक्षित परिणामों को उपक्रिया कहते हैं, जो किसी व्यवस्था के अनुकूलन या समायोजन को कम करते हैं। प्रकार्यों की संकल्पना में तीन बुनियादी प्रश्न निहित हैं—किस व्यवस्था में कौन-से बुनियादी कार्य किये जाते हैं? ये कार्य किस उपकरण से किये जाते हैं? और किन परिस्थितियों में इन प्रकार्यों का निष्पादन किया जाता है?

एलेन बाल के अनुसार, ''सामान्य व्यवस्था सिद्धान्त के फलस्वरूप संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक अध्ययन उपागम अस्तित्व में आया।'' तुलनात्मक राजनीति में इस उपागम का विशेष रूप से प्रयोग आमण्ड एवं पॉवेल ने किया है और उन्होंने ईस्टन की तरह

TOUCH 'n PASS

ही राजनीतिक व्यवस्था के चार लक्षण माने हैं—(i) राजनीतिक व्यवस्था के भागों अन्तनिर्भरता; (ii) राजनीतिक व्यवस्था की सीमा; (iii) राजनीतिक व्यवस्था का पर्यावरण; तथा (iv) राजनीतिक व्यवस्था द्वारा बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग। किन्तु ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था को 'निवेश-निर्गत' के रूप में समझने का प्रयास किया है जबकि आमण्ड इसे संरचनाओं और प्रकार्यों के आधार पर समझते हैं।

प्र.4. ऑमण्ड और पॉवेल द्वारा प्रतिपादित संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक उपागम अन्य विभिन्न आगमों का वर्णन कीजिए।
Describe the structural function approach given by Almond and Powell and other different approaches of comparative politics.

उत्तर

ऑमण्ड और पॉवेल द्वारा प्रतिपादित संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक उपागम
(Structural Functional Approach Given by Almond and Powell)

संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक उपागम की दिशा में सबसे अधिक योगदान जी०ए० ऑमण्ड का है। ऑमण्ड 'राज व्यवस्था के प्रकार्यात्मक सिद्धान्त' की तलाश में है। ऑमण्ड का विश्लेषण संरचनात्मक प्रकार्यिक विश्लेषण है। इस विश्लेषण पद्धति का सबसे पहले विकास जैविक तथा तांत्रिक विज्ञानों में हुआ। सामाजिक विज्ञानों में सर्वप्रथम इसे मानव विज्ञान के अध्ययन में अपनाया गया। बाद में इसे परिष्कृत कर टालकट पारसन्स तथा मेरियिम लेवी ने समाजशास्त्रीय विश्लेषण की एक पद्धति के रूप में अपनाया।

इस विश्लेषण पद्धति में यह माना जाता है कि प्रत्येक व्यवस्था में संरचनाएँ होती हैं। इन संरचनाओं को पहचाना जा सकता है। इन संरचनाओं के अंग अथवा तत्त्व व्यवस्था के अन्तर्गत कार्य करते हैं। व्यवस्था की सक्रियता इनके कार्यों को अर्थ प्रदान करती है अर्थात् व्यवस्था की संरचनाओं के अंगों द्वारा किये गये कार्यों का महत्त्व व्यवस्था के कार्यों के ही परिप्रेक्ष्य में है। संरचना के एक अंग अथवा तत्त्व की क्रियाएँ दूसरे अंग अथवा तत्त्व पर निर्भर करती है। व्यवस्था की संरचनाओं के अंग कार्य की दृष्टि से अन्योन्याश्रित होते हैं। सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं को वे चाहे किसी भी प्रकार की क्यों न हों, यदि उन्हें क्रियाशील तन्त्र के रूप में कायम रहना है, तो उन्हें एक विशिष्ट प्रकार के कार्य को अवश्य करना पड़ेगा। सतत् क्रियाशीलता राजनीतिक व्यवस्थाओं की एक विशेषता है। ये व्यवस्था की प्रकार्यक आवश्यकताएँ हैं। विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं में यह कार्य विभिन्न प्रकार की राजनीतिक संरचनाओं और कभी-कभी उन संरचनाओं के द्वारा, जिन्हें हम राजनीतिक संरचनाएँ नहीं कहते, किया जाता है। अत: राजनीतिक व्यवस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन में न केवल औपचारिक संरचनाओं की तुलना की जानी चाहिए, अपितु उन अनौपचारिक संरचनाओं की भी तुलना करनी चाहिए जिन्हें हम राजनीतिक संरचनाओं की श्रेणी में नहीं रखते।

ऑमण्ड के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था की चार विशेषताएँ हैं जिन्हें, 'अन्त:क्रिया के औचित्यपूर्ण प्रतिमान' कहा जाता है—

1. प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था की कुछ संरचनाएँ होती हैं, उनमें से कुछ अधिक विशेषीकृत होने के कारण अधिक कार्य कर सकती हैं और अन्य कम विशेषीकृत होने के कारण कम कार्य कर सकती है।
2. व्यवस्था और इसकी संरचनाओं में कुछ भी अन्तर हो सकता है, लेकिन सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में समान राजनीतिक कार्य किये जाते हैं।
3. राजनीतिक संरचनाएँ कई ऐसे कार्य करती हैं जिन्हें बहुकार्यक कहा जा सकता है।
4. पूर्ण समाज का अंग होने के कारण सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं की अपनी संस्कृति होती है जो कि हमेशा परम्परागत और आधुनिक का मिश्रण होती है।

ऑमण्ड ने राजनीतिक व्यवस्था की संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक व्यवस्था में ईस्टन के समान ही तीन चरण स्वीकार किये हैं—(i) राजनीतिक व्यवस्था के आदा या निवेश, (ii) रूपान्तरण प्रक्रिया, तथा (iii) राजनीतिक व्यवस्था के प्रदा या निर्गत।

राजनीतिक व्यवस्था के निवेशों के लिए ऑमण्ड 'माँगों तथा समर्थनों' को स्वीकार करता है। उसके अनुसार निवेशों के रूप में आने वाली माँगों की चार श्रेणियाँ हैं—

(i) वस्तुओं और सेवाओं के वितरण या आवंटन सम्बन्धी माँगे; (ii) व्यवहारों को नियन्त्रित करने सम्बन्धी माँगे; (iii) राजनीतिक सहभागिता सम्बन्धी माँगे; (iv) संचार से सम्बन्धित माँगे। इन्हें दूसरे शब्दों में—(i) राजनीतिक समाजीकरण और भर्ती, (ii) हित उच्चारण, (iii) हित सामग्रीकरण और (iv) राजनीतिक संचार कहा जाता है।

माँगों की तरह ही ऑमण्ड ने समर्थन को भी चार श्रेणियों में विभक्त किया है—

(i) द्रव्यात्मक समर्थन, (ii) आज्ञाकारिता समर्थन, (iii) सहभागिता समर्थन, (iv) श्रद्धात्मक समर्थन।

ऑमण्ड की राजनीतिक व्यवस्था विश्लेषण की प्रमुख देन रूपान्तरण प्रक्रिया से ही सम्बन्धित है। ऑमण्ड के अभिमत में माँगों की रूपान्तर प्रक्रिया उतनी सरल नहीं है जितनी ईस्टन ने मान ली है। माँगों के रूपान्तरण के राजनीतिक प्रकार्य वर्ग तथा माँगों के रूपान्तरण के शासकीय प्रकार्य प्रवर्ग। प्रथम में, माँगों को रूपान्तरण योग्य बनाया जाता है। इसमें केवल सरकार की संरचनाएँ ही सम्मिलित नहीं होती, अपितु राजनीतिक दृष्टि से गैर-सरकारी संरचनाएँ भी सम्मिलित होती हैं।

राजनीतिक दल, दबाव समूह और हित समूह या अन्य ऐसे ही संगठन इस स्तर पर माँगों के संसाधन व रूपान्तरण में सरकारी संरचनाओं के साथ अन्त: क्रियाशील रहते हैं। दूसरे में, माँगों को सत्तात्मक या अधिकारिक निर्णयों की स्थिति तक पहुँचाने की औपचारिकता सम्मिलित होती है। इसमें प्रमुखत: शासन संरचनाएँ सम्मिलित होती है किन्तु इस स्तर पर भी वे तत्त्व सक्रिय रहते हैं, जिन्होंने माँगों को संसाधित करके सत्ताओं के ध्यान देने की स्थिति तक धकेला होता है।

ऑमण्ड ने राजनीतिक व्यवस्था के निर्गतों के विवेचन में ईस्टन का मॉडल स्वीकार नहीं किया है। उसने निर्गतों के चार भिन्न प्रकार माने हैं—

(i) निकालने या उगाहने या लेने वाले निर्गत; (ii) नियामक निर्गत; (iii) वितरणी निर्गत; (iv) प्रतीकात्मक निर्गत। निर्गतों में पहली श्रेणी का सम्बन्ध कर वसूली व्यक्तिगत सेवाएँ और सहयोग तथा योगदान से है। दूसरे में मानव व्यवहार को नियमित और नियन्त्रित करना सम्मिलित रहता है। विवरणात्मक निर्गतों में वस्तुओं, सेवाओं, लाभों, अवसरों सम्मानों इत्यादि का आवंटन शामिल है। प्रतीकात्मक निर्गत मूल्यों की पुष्टि तथा राजनीतिक प्रतीकों का प्रदर्शन, नीतियों और उद्देश्यों की घोषणा से सम्बन्धित होता है। जिस विधि तथा यन्त्र द्वारा राजनीतिक व्यवस्था आगत को रूपान्तरित करता है तथा पर्यावरण की प्रतिक्रियाओं का प्रत्युत्तर देता है, उसे ऑमण्ड रूपान्तरण प्रक्रिया कहते हैं। राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता इस बात में निहित है कि वह किस सीमा तक आगत (Input) को निर्गत (Output) में रूपान्तरित करने की क्षमता रखता है। आगत के निर्गत में रूपान्तरित करने की क्षमता को व्यवस्था की क्षमता कहा जाता है।

ऑमण्ड के सम्पूर्ण विश्लेषण का निष्कर्ष यह है कि जो राजनीतिक व्यवस्था जितनी विकसित होगी, उसकी संरचनाएँ (structures) भी उतनी ही विशेषीकृत होगी। ऑमण्ड आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था उस व्यवस्था को कहते हैं जिसकी राजनीतिक संस्कृति विशेषीकृत होती है। इस प्रकार वह संस्कृतिक विशेषीकरण के आधार पर राजनीतिक व्यवस्थाओं का विभाजन करता है।

संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक उपागम की आलोचना
(Criticism of Structural Functional Approach)

1. इस उपागम पर परिवर्तन विरोधी होने के कारण आरोप लगाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसके समर्थक समाज में गत्यात्मकता के स्थान पर यथास्थितिवाद के समर्थक हैं।
2. इस उपागम का प्रयोग उन लोगों ने किया है जो हार्वड तथा शिकागो के बन्द कमरों में बैठते हैं। इससे तीसरी दुनिया के देशों की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन सम्भव नहीं है।
3. इस उपागम का ध्येय 'यथा स्थितिवाद' का समर्थन करना है अर्थात् प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था की रक्षा करना ताकि दुनिया में साम्यवादी व्यवस्था का प्रसार न हो सके।
4. राजनीतिक व्यवस्था की प्रकार्यात्मक अपेक्षाओं को सुस्पष्ट करना कठिन है।

मार्क्सवादी-लेनिनवादी उपागम (Marxist Leninist Approach)

पश्चिमी देशों में राजनीतिशास्त्रियों ने तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययनों में नये-नये प्रत्ययों का प्रयोग करके राजनीतिक व्यवहार को समझने का प्रयास किया है। किन्तु इनमें मार्क्सवादी-लेनिनवादी दृष्टिकोण से राजनीतिक उथल-पुथल को समझने का कोई क्रमबद्ध प्रयास नहीं किया गया। साम्यवाद के विस्तार से राजनीतिशास्त्रियों ने मार्क्सवादी-लेनिनवादी परिप्रेक्ष्य के द्वारा राजनीतिक सामान्यीकरण करने की सम्भावनाओं की तरफ ध्यान देना शुरू किया। सबसे पहले स्टेफेन क्लासिन ने इस बात पर ध्यान दिया कि सोवियत संघ का 'विकास सिद्धान्त' अर्थात् मार्क्सवादी-लेनिनवादी परिप्रेक्ष्य तुलनात्मक विश्लेषण का वैकल्पिक ढाँचा बन सकता है। मोटे रूप से तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन में मार्क्सवादी-लेनिनवादी उपागम के प्रयोग के तीन कारण हैं—**प्रथम**, पाश्चात्य विद्वानों द्वारा प्रस्तुत उपागमों की सामान्य सिद्धान्त के निर्माण में असफलता; **द्वितीय**, पाश्चात्य विकासवादी विश्लेषण का प्रत्ययी पतन और **तृतीय**, पाश्चात्य उपागमों द्वारा विकासशील राज्यों की राजनीतियों का सन्तोषजनक स्पष्टीकरण देने में असफलता।

मार्क्सवादी–लेनिनवादी उपागम के समर्थक कतिपय मान्यताएँ रखते हैं। वे राज्य की औपचारिक संरचनाओं को बहुत कम महत्त्व देते हैं। विकासशील देशों की समस्याएँ मार्क्सवादी–लेनिनवादी उपागम के आधार पर ही समझी जा सकती हैं क्योंकि इनकी राज्य शक्ति, वर्ग तथा उद्योगों की धारणा, विकासशील राज्यों में इनसे सम्बन्धित धारणाओं से बहुत मेल खाती है। उदाहरण के लिए, लोकतन्त्र का अर्थ विकासशील राज्यों व मार्क्सवादी–लेनिनवादी विचारधारा वाले राज्यों में अधिक साम्यता रखता है। मार्क्सवादी–लेनिनवादी दृष्टिकोण में अन्त: शास्त्रीय अध्ययन दृष्टिकोण निहित है। इस उपागम के अनुसार सामाजिक विज्ञानों को स्वायत्त अनुशासनों के रूप में रखने से महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रश्न टुकड़ों में विभक्त होकर रह जाते हैं और समस्याओं के समाधान नहीं होते, इसलिए यह दृष्टिकोण समग्र दृष्टि से सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था को देखकर समझने के प्रयास पर बल देता है। इस उपागम में व्यष्टि के स्थान पर समष्टि को इकाई के लिए चुनना उपयुक्त माना गया है। यह सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था को इकाई या सन्दर्भ मानकर उसकी प्रक्रियात्मक अभिव्यक्तियों को समझने का प्रयत्न करते हैं।

मार्क्सवादी–लेनिनवादी यह मानते हैं कि सामाजिक जीवन में शक्ति के आर्थिक पहलू की सर्वोपरिता ही महत्त्वपूर्ण होती है। आर्थिक शक्ति की सर्वोपरिता का तर्कसंगत परिणाम आर्थिक शक्तियुक्त वर्ग का प्रभुत्व की व्यवस्था में होना है। यह राजनीतिक शक्ति की गौणता का सूचक है। आर्थिक शक्ति की सर्वोपरिता तथा समाज में इससे सम्पन्न वर्ग का प्रभुत्व राजनीतिक शक्ति को भी इसके अधीन बना देता है। अत: तुलनात्मक विश्लेषण राजनीतिक शक्ति के आधार पर करने के साथ–ही–साथ आर्थिक शक्ति की संरचना को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। मार्क्सवादियों के अनुसार, "उत्पादन और वितरण के साधनों पर किसका स्वामित्व है, सम्पत्ति का किस प्रकार समाज में वितरण है, ये तथ्य राजनीतिक व्यवस्था की वास्तविक प्रकृति के निर्धारक होते हैं। इसलिए, तुलनात्मक राजनीति वास्तव में यथार्थवादी तभी बन सकती है जब शक्ति के आर्थिक पहलू को ध्यान में रखा जाये।"

मार्क्सवादी–लेनिनवादी उपागम की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

1. **प्रत्ययी स्वामित्व**—इस दृष्टिकोण की प्रत्ययी व्यवस्था में स्थायित्व पाया जाता है। इसके प्रत्यय व शब्दावली पिछली आधी शताब्दी से आश्चर्यजनक समानता रखती रही है। उदाहरण के लिए, 'वर्ग–संघर्ष', 'राज्य' या 'सरकार' जैसे प्रत्ययों के अर्थ आज भी वहीं हैं जो पचास वर्ष पूर्व थे। प्रत्ययी एकता के कारण तुलनात्मक अध्ययन विश्लेषणों को समझना सरल हो जाता है।
2. **समग्रवादी पद्धति**—इस उपागम में समग्रवादी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए देश की राजनीतिक व्यवस्था में सम्बन्धित घटनाओं को समझने के लिए इतिहास, समाज की अवस्था, अर्थव्यवस्था की प्रकृति और राजनीति को समग्रतावादी विश्लेषण में समाहित कर दिया जाता है।
3. **गत्यात्मकता**—मार्क्स ने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या करके आर्थिक नियतिवाद और भौतिक द्वन्द्ववाद का सिद्धान्त प्रतिपादित करके, वर्ग-संघर्ष के द्वारा समाजों की गत्यात्मकता को समझने का प्रयास किया तथा यह बताया कि ऐतिहासिक विकास की प्रमुख प्रेरक शक्तियाँ विश्लेषणों से बाहर नहीं जा सकती है।
4. **सामाजिक दृष्टि से प्रासंगिक ढाँचा**—मार्क्सवादी–लेनिनवादी आदर्श सिद्धान्तों के बजाय समाज की ठोस समस्याओं को लेकर उनको समझने और उनके स्पष्टीकरण का प्रमुख ध्येय रखते हैं। उनकी मान्यता है कि तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययनों का प्रमुख जोर समाज से सम्बन्धित व प्रासंगिक बातों को ही अध्ययन व तुलनाओं के लिए चुनने में होना चाहिए।

इस उपागम की इस आधार पर आलोचना की जाती है कि यह 'विचारधारा' विशेष से सम्बद्ध है। इसमें मार्क्सवादी–लेनिनवाद से कहीं अधिक बल साम्यवाद पर केन्द्रित होने की स्थिति आ जाती है। अत: तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन निष्पक्षता की स्थिति से दूर हट जाते हैं।

राजनीतिक विकास उपागम (Political Development Approach)

व्यवस्था सिद्धान्त और संरचनात्मक–प्रकार्यात्मक उपागम पश्चिमी राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझने में काफी सहायक हो रहे हैं किन्तु विकासशील राज्यों की राजनीतिक व्यवस्थाओं के होने वाले उलट–फेर को समझने और समझाने में विशेष सहायता नहीं कर सके। लूसियन पाई, ऑमण्ड, कोलमैन, रिग्स और वीनर जैसे सिद्धान्त ऐसे प्रत्यय के प्रयोग में लग गये जो विकास की सम्पूर्णता के सन्दर्भ में नये राज्यों की राजनीतिक प्रक्रियाओं को समझने में सहायक हों। इन विद्वानों ने राजनीतिक विकास के प्रत्यय का प्रयोग करके नये तुलनात्मक विश्लेषण उपागम की आवश्यकता को महसूस किया जिससे राजनीतिक परिवर्तन को विकास के प्रवाह में समझा जा सके।

गैर पश्चिमी देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझने के लिए उनके सम्पूर्ण सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पर्यावरण को समझना आवश्यक है। इन देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं में यह देखना आवश्यक था कि इन देशों में किस प्रकार के राष्ट्रवाद पनप रहे हैं। ये राज्य राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर पर किस प्रकार के असंमजसों का सामना कर रहे हैं? इनके राजनीतिक विकास में नौकरशाही, सेना या धर्म ने क्या भूमिका निभाई है। आर्थिक पिछड़ेपन ने राजनीति की प्रकृति को किस प्रकार प्रभावित किया है? इन प्रश्नों की जटिलताओं से यह तो 'स्पष्ट था कि इनका सीधा-साधा उत्तर दे सकना सम्भव नहीं है। इसका परिणाम यह हुआ कि तुलनात्मक राजनीति को विकास के सामान्य पर्यावरण में समझने के लिए 'राजनीतिक विकास' का नया दृष्टिकोण विकसित हुआ जो इतना व्यापक बनाया गया कि वह 'राजनीतिक संस्थाओं और संरचनाओं के विश्लेषण के अलावा सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र की परिस्थितिकीय शक्तियों को भी विश्लेषण में विशेष रूप से सम्मिलित कर सके।

विकासशील राज्यों में अस्थायित्व, अस्त-व्यस्तता और अनिश्चितता के घटनाक्रम चालू रहे है। इन घटनाओं को समझने के लिए कोलमैन, रिग्स, विण्डर, पाई, वीनर, ऐप्टर आदि ने नाइजीरिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, इण्डोनेशिया, बर्मा (म्यांमार), भारत, घाना आदि विकासशील राज्यों की राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया। अलग-अलग विद्वानों ने विभिन्न देशों के राजनीतिक विकास का अलग-अलग अध्ययन किया। इन सभी अध्ययनों को परस्पर मिलाकर निष्कर्ष निकालने का प्रयास करने के लिए नवीन अध्ययन दृष्टिकोण की आवश्यकता स्पष्ट होने लगी। विकासशील राज्यों के बारे में उपलब्ध नवीन तथ्यों को समुचित प्रत्ययी ढाँचे में ही स्पष्ट किया जा सकता था। अत: तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययनों को राजनीतिक विकास के प्रत्यय पर आधारित किया जाने लगा। तुलनात्मक राजनीति को सामान्यीकरण की अवस्था में पहुँचाने के लिए यह आवश्यक है कि राजनीतिक अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों को मापा जा सकें। 'राजनीतिक विकास' उपागम में ऐसी सामर्थ्य है कि इससे देश के राजनीतिक विकास के स्तरों को मापा जा सकता है।

तुलनात्मक राजनीति में उपयोगिता (Importance in Comparative Politics)

राजनीतिक विकास उपागम तुलनात्मक राजनीति में विशेष उपयोगी हैं—

1. इससे राजनीतिक व्यवस्थाओं का विवेचन, तुलना, स्पष्टीकरण और उनके बारे में भविष्यवाणी करने का आधार स्थापित करने में सहायता मिलती है।
2. इससे राजनीतिक व्यवस्थाओं का उनके राजनीतिक अतीत और भविष्य, जिनका वे सामना करेंगी, के सन्दर्भ में वर्गीकरण करने में सहायता मिलती है।
3. इससे राजनीतिक व्यवस्थाओं की अर्थपूर्ण मानदण्डों के आधार पर तुलना करना सम्भव होता है।
4. राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में सामान्यीकरण करने में सहायता मिलती है।

राजनीतिक आधुनिकीकरण उपागम (Political Modernization Approach)

राजनीतिक आधुनिकीकरण की संकल्पना उस राजनीतिक परिवर्तन की स्थिति की ओर निर्देश करती है जो विशेषकर आधुनिक काल में यूरोपीय देशों में और फिर हाल ही के वर्षों में विश्व के अन्य देशों में हुआ। यह एक बहुपक्षीय प्रक्रिया है जिसके कई आयाम हैं। मनोवैज्ञानिक स्तर पर इसमें लोगों के मानकों, मूल्यों और अभिविन्यासों में परिवर्तन की अपेक्षा की जाती है। बौद्धिक स्तर पर इसके अपने पर्यावरण के बारे में व्यक्ति की ज्ञान के विसरण की अपेक्षा की जाती है। जनांकिकीय स्तर पर इसका निहितार्थ जीवन-स्तर में सुधार एवं नगरीकरण से है। सामाजिक स्तर पर इसमें यह प्रवृत्ति पायी जाती है कि परिवार और अन्य प्राथमिक गुटों के प्रति निष्ठा की भावना के केन्द्र-बिन्दु को स्वैच्छिक रूप से संगठित आनुषागिक संगठनों के प्रति निष्ठा में बदला जाये। आर्थिक स्तर पर इसमें बाजारी कृषि के विकास, औद्योगीकरण का विकास एवं आर्थिक कार्यकलाप का व्यापक होना है।

तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययनों में आधुनिकीकरण का उपागम राजनीतिक व्यवहार को समझने के प्रयत्न और सन्दर्भ को और अधिक व्यापक बनाने के प्रयास स्वरूप स्थापित हुआ उपागम है। कतिपय विचारकों का मानना है कि राजनीतिक व्यवस्थाओं को **'विकास'** के परिप्रेक्ष्य में देखने के बजाय आधुनिकीकरण के एक पक्ष के रूप में देखने से राजनीतिक प्रक्रियाओं की वास्तविकताओं की तह तक पहुँचना सम्भव होगा। इन लोगों की मान्यता रही है कि राजनीतिक विकास राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का परिणाम है और राजनीतिक आधुनिकीकरण समाज की आधुनिकीकरण प्रक्रिया से प्रेरित और निरूपित होता है। राजनीतिक विकास की अवधारणा राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता एवं सततता से सम्बन्धित होने के कारण अपेक्षाकृत स्थैतिक अवधारणा मानी जाती है। इसलिए ऐप्टर ने ऐसी अवधारणा के प्रयोग पर बल दिया जो स्थैतिकता के दुर्गुण से

TOUCH 'n PASS

मुक्त हो तथा समाज के हर पहलू में होने वाले परिवर्तन की समग्रता से सम्बन्धित रहे। राजनीतिक व्यवस्था को आधुनिकीकरण की समग्र प्रक्रिया के सन्दर्भ में समझाने के लिए राजनीतिक आधुनिकीकरण उपागम की आवश्यकता अनिवार्य हो गई।

राजनीतिक संस्कृतिक उपागम (Political Cultural Approach)

राजनीतिक संस्कृति के सन्दर्भ में अब तुलनात्मक राजनीति का सांगोपांग–अध्ययन सम्भव हो गया है। विभिन्न देशों की राजनीतिक संस्कृति के सन्दर्भ में हम तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करते हैं तो समष्टिवादी विश्लेषण और व्यष्टिवादी विश्लेषण को एक साथ मिलाना सम्भव होता है। इससे सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था एवं उसके निर्माणक तत्त्वों के व्यवहार एवं गत्यात्मकता का साथ–साथ अध्ययन किया जा सकता है। राजनीतिक संस्कृति के आर्थिक एवं सामाजिक तत्त्वों का अध्ययन करके हम राजनीतिक संस्थाओं के वस्तुपरक अध्ययन की ओर ही अपने चरण बढ़ा सकते हैं।

राजनीतिक संस्कृति द्वारा राजनीतिक संस्थाओं के बाहरी ढाँचे का अध्ययन सम्भव है। राजनीतिक व्यवस्थाओं की प्रक्रियाओं में परिवर्तित रूपों का भी अध्ययन किया जा सकता है। राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक संस्थाओं में राजनीतिक घटनाओं और उन घटनाओं की प्रतिक्रिया–स्वरूप व्यक्तियों के व्यवहार के बीच एक कड़ी का कार्य करती है। राजनीतिक संस्कृति द्वारा राजनीतिक संस्थाओं की अन्त:क्रिया एवं राजनीतिक प्रक्रियाओं के अनौपचारिक रूपों को व्यक्त किया जाता है। इससे तुलनात्मक राजनीति की आधारशिला अधिक सुदृढ़ होगी और कतिपय नूतन तथ्यों का उद्घाटन होगा। इससे तुलनात्मक राजनीति परम्परावादी। परिवेश से निकलकर आधुनिक परिवेश को धारण कर सकेगी।

राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा गेब्रियल ऑमण्ड की उस उक्ति में ढूँढी जा सकती है जहाँ उसने लिखा था कि ''प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था राजनीतिक कार्यों के एक विशिष्ट ढाँचे से बंधी हुई होती है।'' 'राजनीतिक संस्कृति' का सिद्धान्त इसलिए विकसित किया गया है कि यह उस बढ़ती हुई खाई को पार कर सके जिसे व्यवहारवादी दृष्टिकोण ने गहरा बनाया था। राजनीतिक विश्लेषण की यह खाई जिसका एक धरातल व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार की मनोवैज्ञानिक व्याख्या और उसका 'माइक्रो विश्लेषण' था; अपने दूसरे धरातल पर राजनीतिक समाजशास्त्र का 'मैक्रो विश्लेषण' प्रस्तुत करती है। इस प्रकार राजनीतिक संस्कृति का प्रयास एक ऐसा प्रयास है जोकि मनोविज्ञान तथा समाजशास्त्र को जोड़ता है और वह भी इस उद्देश्य से कि इस व्यवस्था द्वारा विशाल समाजों के दृष्टिकोणों को हम इस प्रकार नाप सकें कि हमारे राजनीतिक विश्लेषण में आधुनिक मनोविज्ञान के क्रान्तिकारी निष्कर्ष और आधुनिक समाजशास्त्रीय तकनीकों के विकास का पूरा–पूरा लाभ मिल सके। राजनीति विज्ञान के अध्येत्ताओं में राजनीतिक संस्कृति की यह अवधारणा एक ऐसे प्रयास का शुभारम्भ है जोकि राजनीतिक विचारधारा, वैधता, सम्प्रभुता, राष्ट्रीयता तथा कानून का शासन जैसे परम्परावादी विचारों के अध्ययन को व्यवहारवादी विश्लेषण के अनुरूप बनाता है।

राजनीतिक सांस्कृतिक उपागम की आवश्यकता (Need of Political Cultural Approach)

विकासशील राज्यों के उदय से राजनीति विज्ञान के अध्ययन दृष्टिकोण में परिवर्तन आ गये। अब राजनीतिक व्यवस्थाओं को संविधानों, संरचनाओं और संस्थाओं के आधार पर समझना कठिन हो गया क्योंकि सैद्धान्तिक व्यवस्था और व्यवहार में अत्यधिक अन्तर आने लगे थे। पश्चिम की स्थिर राजनीतिक व्यवस्थाओं से भिन्न, नवोदित राज्यों में राजनीतिक व्यवहार और संस्थागत व्यवस्थाओं में सर्वाधिक अन्तर देखने में आने लगे। इसलिए इन अन्तरों को समझने के लिए राजनीतिक व्यवहार की वास्तविक संचालन शक्ति की खोज होने लगी। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि राजनीतिक संरचनाओं, प्रक्रियाओं एवं प्रकार्यों को उन अभिवृत्तियों के सन्दर्भ में समझा जा सकता है जो इनको संचालित रखने वाले मानव समुदाय में पायी जाती है। दूसरे शब्दों में, राजनीतिक व्यवस्थाओं की गत्यात्मक शक्तियों को समझने के लिए उनसे सम्बन्धित राजनीतिक संस्कृति को समझना आवश्यक हो गया। अब यह माना जाने लगा कि राजनीतिक संस्कृति के माध्यम से ही यह गुत्थी सुलझाई जा सकती है कि विभिन्न व्यवस्थाओं में एक सी राजनीतिक संस्थाएँ भिन्न–भिन्न प्रकार से सक्रिय क्यों होती हैं?

हर देश की राजनीति पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं से प्रभावित होती है किन्तु इनमें सांस्कृतिक पहलू का विशेष महत्त्व होता है। सांस्कृतिक पर्यावरण में व्यक्तियों के मूल्य विश्वास और अभिवृत्तियाँ आदि आते हैं और ये ही राजनीति को इस या उस प्रकार का रंग देने के लिए उत्तरदायी होते है। अत: राजनीतिक व्यवस्था का आधार मूलत: राजनीतिक संस्कृति में गड़ा हुआ सा रहता है। इस कारण तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषणों को यथार्थवादी बनाने के लिए राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा के आधार पर तुलनाएँ करना आवश्यक माना जाने लगा।

तुलनात्मक राजनीति में उपयोगिता (Its use in Comparative Politics)

तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक सांस्कृतिक उपागम की उपयोगिता को निम्न बिन्दुओं पर स्पष्ट किया जा सकता है—

1. राजनीतिक संस्कृति के प्रत्यय से राजनीतिक समुदाय या समाज पर एक गत्यात्मक सामूहिक सत्ता के रूप में अध्ययन करने के लिए ध्यान आकर्षित हुआ है। इससे व्यक्ति के स्थान पर सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था अध्ययन का केन्द्र बनी है।
2. राजनीतिक संस्कृति उपागम ने राजनीतिशास्त्रियों को उन सामाजिक और आर्थिक कारकों का भी अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया जिनसे किसी देश की राजनीतिक संस्कृति का रूप निर्धारित होता है।
3. इस दृष्टिकोण ने यह समझने में सहायता की है कि क्यों विभिन्न राजनीतिक समाज राजनीतिक विकास की विभिन्न दिशाओं में जाने लगे है?
4. राजनीतिक संस्कृति का उपागम तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषणों में बहुत उपयोगी है। यह राजनीतिक आधुनिकीकरण के उपागम की कमियों की पूर्ति करने वाला उपागम माना जाता है।

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्र.1. किसके अनुसार ''तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक संगठनों के स्वरूपों, उनके गुणों, सहसम्बन्धों, विविधताओं और परिवर्तन के तरीकों का अध्ययन है?''

(क) एम०जी० स्मिथ (ख) एम० कर्टिस (ग) ई०ए० फ्रीमैन (घ) उपरोक्त सभी

उत्तर (क) एम०जी० स्मिथ

प्र.2. किसके अनुसार, ''सरकार तुलनात्मक राजनीति के छात्रों की एकमात्र चिन्ता नहीं है?''

(क) रॉय सी० मैक्रिडिस (ख) रॉबर्ट वार्ड
(ग) (क) और (ख) दोनों (घ) एम०जी० स्मिथ

उत्तर (ग) (क) और (ख) दोनों

प्र.3. यह किसने कहा था ''तुलनात्मक राजनीति का सम्बन्ध राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज और राजनीतिक व्यवहार में महत्त्वपूर्ण नियमितताओं, समानताओं और अन्तरों से है?''

(क) ई०ए० फ्रीमैन (ख) एम० कर्टिस (ग) रॉबर्ट वार्ड (घ) इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर (ख) एम० कर्टिस

प्र.4. किसके अनुसार, ''तुलनात्मक राजनीति सरकार के विभिन्न रूपों और विविध राजनीतिक संस्थानों का तुलनात्मक विश्लेषण है?''

(क) ई०ए० फ्रीमैन (ख) एम० कर्टिस
(ग) मैक्रिडिस (घ) इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर (क) ई०ए० फ्रीमैन

प्र.5. तुलनात्मक सरकारों के अध्ययन के लिए कौन-सा दृष्टिकोण 19वीं सदी के ऐतिहासिकतावाद की प्रतिक्रिया के रूप में उभरा?

(क) जातीय (ख) परम्परागत (ग) आधुनिक (घ) उपरोक्त सभी

उत्तर (ख) परम्परागत

प्र.6. ''मॉडर्न पॉलिटिकल रेजिम्स'' पुस्तक किसने लिखी?

(क) डेविड ई० एप्टर (ख) रॉय मैक्रिडिस (ग) हैरी एक्स्टीन (घ) उपरोक्त सभी

उत्तर (ख) रॉय मैक्रिडिस

प्र.7. ''मेकिंग ऑफ ए स्टॉर्मट्रूपर'' के लेखक कौन हैं?

(क) हैरी एक्स्टीन (ख) पीटर मर्कल (ग) सिडनी वर्बा (घ) इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर (क) हैरी एक्स्टीन

TOUCH 'n' PASS

प्र.8. बहुदलीय प्रणाली क्या है?

(क) 2 से अधिक प्रमुख पार्टियाँ मौजूद हैं (ख) 2 से भी कम प्रमुख पार्टियाँ मौजूद हैं
(ग) कोई पार्टी अस्तित्व में नहीं है (घ) राजशाही शासन

उत्तर (क) 2 से अधिक प्रमुख पार्टियाँ मौजूद हैं

प्र.9. भारत की द्विसदनीय संसद का ऊपरी सदन किस सदन को कहा जाता है?

(क) राज्य सभा (ख) लोक सभा (ग) मन्त्रिपरिषद् (घ) इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर (क) राज्य सभा

प्र.10. भारत की द्विसदनीय संसद का निचला सदन किस सदन को कहा जाता है?

(क) विधान सभा (ख) राज्य सभा (ग) लोक सभा (घ) उपरोक्त सभी

उत्तर (ग) लोक सभा

प्र.11. तुलनात्मक राजनीति के अन्तर्गत अध्ययन किया जाता है—

(क) सरकार की क्रियाविधियों का (ख) राजकीय संस्थाओं की प्रक्रियाओं का
(ग) (क) और (ख) दोनों (घ) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर (ग) (क) और (ख) दोनों

प्र.12. इनमें से कितने तुलनात्मक राजनीति के अन्तर्गत दबाव समूह और राजनीतिक दलों के अध्ययन को स्वीकार किया?

(क) राबर्ट्स (ख) फ्रीमैन (ग) पारसन्स (घ) मैक्रीड्स

उत्तर (क) राबर्ट्स

प्र.13. तुलनात्मक राजनीति के लम्बात्मक (Vertical) धारणा के अनुसार—

(क) तुलनात्मक राजनीति एक ही देश की सरकारों के राजनीतिक व्यवहारों का तुलनात्मक विश्लेषण है
(ख) तुलनात्मक राजनीति विभिन्न देशों में स्थापित सरकारों के राजनीतिक व्यवहारों का तुलनात्मक विश्लेषण है
(ग) (क) और (ख) दोनों
(घ) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर (क) तुलनात्मक राजनीति एक ही देश की सरकारों के राजनीतिक व्यवहारों का तुलनात्मक विश्लेषण है

प्र.14. तुलनात्मक राजनीति की क्षैतिज (Horizontal) अवधारणा का समर्थन किया है—

(क) पारसन्स ने (ख) लॉस्की ने (ग) ब्लॉण्डेल ने (घ) फ्रीमैन ने

उत्तर (ग) ब्लॉण्डेल ने

प्र.15. तुलनात्मक राजनीति के संस्थागत उपागम के समर्थक हैं—

(क) फाइनर (ख) अरस्तू (ग) ब्राइस (घ) उपरोक्त सभी

उत्तर (घ) उपरोक्त सभी

प्र.16. तुलनात्मक राजनीति के संस्थागत उपागम के अन्तर्गत किस के अध्ययन को सम्मिलित किया जाता है—

(क) विधायिका (ख) कार्यपालिका (ग) न्यायपालिका (घ) उपरोक्त सभी

उत्तर (घ) उपरोक्त सभी

❑

TOUCH'n' PASS

UNIT-II

पूँजीवाद एवं उदार लोकतन्त्र का विचार

Capitalism and the Idea of Liberal Democracy

खण्ड-अ अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. उदार लोकतन्त्र की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

What are the mainfeatures of liberal democracy?

उत्तर उदार लोकतन्त्र शक्तियों के पृथक्करण, एक स्वतन्त्र न्यायपालिका और सरकार की शाखाओं के बीच जाँच और सन्तुलन की व्यवस्था पर जोर देता है। कम से कम दो स्थायी, व्यवहार्य राजनीतिक दलों वाली बहुदलीय प्रणालियाँ उदार लोकतन्त्रों की विशेषता हैं।

प्र.2. उदारवाद से क्या तात्पर्य है?

What is meant by liberalism?

उत्तर उदारवाद एक राजनीतिक और नैतिक दर्शन है जो स्वतन्त्रता, शासित की सहमति और कानून के समक्ष समानता पर आधारित है। उदारवाद आमतौर पर सीमित सरकार, व्यक्तिगत अधिकारों (नागरिक अधिकारों और मानवाधिकारों सहित), पूँजीवाद (मुक्त बाजार), लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, लिंग समानता, नस्लीय समानता और अन्तर्राष्ट्रीयता का समर्थन करता है।

प्र.3. लोकतन्त्र की विशेष विशेषताएँ क्या हैं?

What are the special features of democracy?

उत्तर लोकतन्त्र एक प्रकार की शासन व्यवस्था है, जिसमें सभी व्यक्ति को समान अधिकार होता हैं। एक अच्छा लोकतन्त्र वह है जिसमें राजनीतिक और सामाजिक न्याय के साथ-साथ आर्थिक न्याय की व्यवस्था भी है। देश में यह शासन प्रणाली लोगों को सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक स्वतन्त्रता प्रदान करती है।

प्र.4. कल्याण पूँजीवाद से क्या तात्पर्य है?

What is meant by welfare capitalism?

उत्तर लोकतान्त्रिक पूँजीवाद, जिसे कल्याण पूँजीवाद के रूप में भी जाना जाता है, एक आर्थिक प्रणाली है जो पूँजीवादी सिद्धान्तों को एक मजबूत कल्याणकारी राज्य से जोड़ती है, ताकि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की ज्यादतियों पर अंकुश लगाया जा सके। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद पूँजीवाद और लोकतन्त्र (विशेष रूप से यूरोप में) सह-अस्तित्व में देखे गए थे। इस काल के अपेक्षाकृत स्थिर राजनीतिक माहौल में आधुनिक कल्याणकारी राज्य के तथ्य का समर्थन किया गया था जो सोवियत साम्यवाद के विपरीत सामाजिक लोकतन्त्र के पक्ष में था।

प्र.5. पूँजीवाद और समाजवाद क्या हैं?

What are capitalism and socialism?

उत्तर पूँजीवाद एक आर्थिक संरचना है जहाँ निजी व्यक्ति उत्पादन उपकरण के मालिक होते हैं। समाजवाद एक आर्थिक प्रणाली है जिसमें सरकार उत्पादन के अधिकांश साधनों का स्वामित्व और नियन्त्रण करती है।

प्र.6. पूँजीवाद से आप क्या समझते हैं? इसके तत्त्व तथा विकास के चरणों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए।

What do you understand by capitalism? Briefly mention its elements and stages of development.

उत्तर पूँजीवाद प्रणाली में निजी सम्पत्ति का अधिकार होता है। जिसका प्रयोग उन व्यक्तियों के द्वारा स्वयं के लाभ के लिए किया जाता है। उत्पत्ति के साधनों पर जिन व्यक्तियों का अधिकार होता है। वे सरकारी नियन्त्रण से पूर्णत: मुक्त होते हैं। दूसरे शब्दों में उनकी उत्पादन क्रियाओं पर सरकार का कोई नियन्त्रण एवं हस्तक्षेप नहीं होता है।

TOUCH 'n' PASS

प्र.7. पूँजीवाद के प्रकार क्या हैं?

What are the types of capitalism?

उत्तर पूँजीवाद प्राय: दो प्रकार का होता है, निजी स्वामित्व वाला पूँजीवाद या उद्यमियों के स्वामित्व वाला पूँजीवाद और राज्य पूँजीवाद। यह वर्गीकरण स्वामित्व तथा पूँजी व वितरण या नियन्त्रण के आधार पर किया गया है।

प्र.8. पूँजीवाद की 6 विशेषताएँ क्या हैं?

What are the six characteristics of capitalism?

उत्तर पूँजीवाद की केन्द्रीय विशेषताओं में पूँजी संचय, प्रतिस्पर्धी बाजार, मूल्य प्रणाली, निजी सम्पत्ति, सम्पत्ति अधिकार मान्यता, स्वैच्छिक विनिमय और मजदूरी श्रम शामिल हैं।

प्र.9. पूँजीवाद समाज को कैसे प्रभावित करता है?

How does capitalism affect society?

उत्तर पूँजीवाद निस्सन्देह आधुनिक युग में नवाचार, धन और समृद्धि का एक प्रमुख चालक है। प्रतिस्पर्धा और पूँजी संचय व्यवसायों की दक्षता को अधिकतम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जो निवेशकों को उस विकल्प और उपभोक्ताओं को सामानों की व्यापक श्रेणी पर कम कीमतों का आनन्द लेने की अनुमति देता है।

प्र.10. पूँजीवाद को विकास की आवश्यकता क्यों है?

Why does capitalism need development?

उत्तर पूँजीवादी अर्थव्यवस्था को खुद को पकड़ने के लिए बढ़ने की जरूरत है। प्रतिस्पर्धा का दबाव पूँजीवादी व्यवस्था के बढ़ने की आवश्यकता का क्लासिक मार्क्सवादी खाता हो सकता है और बेरोजगारी को दूर करने और माँग को मजबूत करने की आवश्यकता क्लासिक सामाजिक लोकतान्त्रिक खाता हो सकता है।

खण्ड-ब लघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. लोकतन्त्र का अर्थ व परिभाषा दीजिए।

Give the meaning and definition of democracy.

उत्तर

लोकतन्त्र का अर्थ व परिभाषा
(Meaning and Definition of Democracy)

लोकतन्त्र की संकल्पना का इतिहास इतना लम्बा है कि इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं बताया जा सकता। **प्लेटो** से लेकर आज तक राजनीति विज्ञान में लोकतन्त्र चर्चा का विषय रहा है। प्लेटो ने लोकतन्त्र को उपयुक्त शासन के रूप में अमान्य करार दिया वहीं अरस्तु ने सीमित लोकतन्त्र को उचित शासन माना। हालाँकि प्राचीन काल में लोकतन्त्र को सराहा नहीं गया किन्तु फिर भी यहाँ इक्का-दुक्का प्रत्यक्ष लोकतन्त्र के उदाहरण दिखाई दिये।

इस प्रकार प्राचीन काल से 18वीं सदी तक के काल का ऐतिहासिक अवलोकन किया जाए तो लोकतन्त्र कहीं भी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर सका बल्कि इसे बहुत घृणित व निन्दनीय दृष्टि से देखा जाता रहा। किन्तु **जॉन लॉक** (1632-1704) जो ब्रिटिश क्रान्ति के दार्शनिक कहे जाते हैं, ने व्यक्ति के महत्त्व को इतना बढ़ा दिया कि निरंकुश राजतन्त्र की जड़ें हिल गईं। लॉक ने व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्रदान किया और इसलिए 17वीं सदी प्राकृतिक अधिकारों की सदी कही जाने लगी जिनके आधार पर लोकतंत्र का समर्थन किया गया और इस प्रकार 20वीं सदी आते-आते लोकतन्त्र सर्वश्रेष्ठ सम्मानीय शब्द में परिवर्तित हो गया। वर्ष 1776 की अमेरिकी क्रान्ति व वर्ष 1789 की फ्रांसीसी क्रान्ति आधुनिक लोकतन्त्र के विकास की क्रमश: पहली और दूसरी महत्त्वपूर्ण क्रान्तियाँ थी।

लोकतन्त्र के अंग्रेजी पर्याय डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द डेमोस जिसका अर्थ है जनसाधारण व क्रेटिया जिसका अर्थ है शासन या शक्ति, से मिलकर हुई है। जिसका अर्थ है जनसाधारण का शासन या शक्ति। अत: संक्षिप्त रूप में लोकतन्त्र वह शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता का अन्तिम सूत्र जनता के हाथों में होता है ताकि उसका प्रयोग जनता के हित में किया जा सके। किन्तु अपने व्यापक अर्थ में लोकतन्त्र जनता के शासन से कहीं अधिक है। लोकतन्त्र को व्यापक दृष्टि से समझने के लिए आवश्यक है कि उसका संकल्पनात्मक आशय स्पष्ट किया जाए। संकल्पनात्मक दृष्टि से लोकतन्त्र के निम्न भावार्थ है—

TOUCH 'n' PASS

लोकतन्त्र निर्णय करने की विधा है—लोकतन्त्र को निर्णय करने के ढंग के आधार पर सर्वप्रथम अरस्तु ने परिभाषित किया था। वही निर्णय लोकतान्त्रिक ढंग से लिए हुए कहे जाते हैं जिनमें विचार-विनिमय व अनुनयता हो, जन सहभागिता हो अर्थात विचार विमर्श प्रक्रिया में सम्पूर्ण जन समाज का सहभागी होना आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि लोकतन्त्र में भागीदार होना उतना महत्त्वपूर्ण नहीं है जितना की अवसर की उपलब्धता अर्थात सारे जनसमाज को लोकतान्त्रिक निर्णय लेने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहभागी होने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। और नियत कालिक चुनाव तथा व्यस्क मताधिकार जन सहभागिता के उपकरण है। हालाँकि सम्पूर्ण जनता का सहभागी होना निर्णय प्रक्रिया के लिए आदर्श कहा जाता किन्तु सभी निर्णयों में सभी को भागीदारी असम्भवहै इसलिए व्यवहार में बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं और इन्हीं को लोकतान्त्रिक मान लिया जाता है। बहुमत पर आधारित निर्णय में यह सम्भव है कि कुछ लोगों का हित न हो, तो ऐसी अवस्था में बहुमत के निर्णय अल्पसंख्यकों के हित को ध्यान में रख कर होने चाहिए।

प्र.2. लोकतन्त्र का विभिन्न रूपों में उल्लेख कीजिए।
Mention democracy in different forms.

उत्तर

लोकतन्त्र के विभिन्न रूप
(Different Forms of Democracy)

1. लोकतन्त्र निर्णय लेने की सिद्धान्त के रूप में (Democracy as a principal of decision making)

लोकतान्त्रिक व्यवस्था में कोई भी राजनीतिक निर्णय सिद्धान्तों के आधार पर लिए जाने चाहिए अन्यथा निर्णय तो समरूपी रहेंगे और न ही दिशात्मक एकतायुक्त बन पाएँगे। लोकतान्त्रिक व्यवस्था का अस्तित्व उसी राजनीतिक व्यवस्था में सम्भव हैं जहाँ समाज के सम्बन्ध में निर्णय लेने के आधार स्वरूप कुछ सिद्धान्त व्यवहार में प्रयुक्त होते हैं ये निम्नलिखित हैं—

(i) **प्रतिनिधि सरकार का सिद्धान्त**—राजनीतिक व्यवस्था में निर्णय लेने का कार्य जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा ही सम्पादित होना चाहिए।

(ii) **उत्तरदायी सरकार का सिद्धान्त**—प्रतिनिधियों को सत्ता जनता द्वारा प्राप्त होती है। अत: उनका जनता के प्रति उत्तरदायी होना आवश्यक है।

(iii) **संवैधानिक सरकार का सिद्धान्त**—शासन व्यवस्था को लोकतान्त्रिक आधार प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि इस की संरचनात्मक व्यवस्था व कार्य प्रणाली संविधान द्वारा निरूपित होनी चाहिए उल्लेखनीय है कि संविधान के साथ संवैधानिक सरकार भी हो जो संविधान को व्यवस्थाओं के अनुसार संगठित, सीमित और नियन्त्रित होती हो तथा किसी व्यक्ति विशेष को इच्छाओं के स्थान पर केवल विधि के अनुरूप ही संचालित हों।

(iv) **प्रतियोगी राजनीतिक का सिद्धान्त**—लोकतान्त्रिक व्यवस्था की जीवन रेखा प्रतियोगी राजनीति है। राजनीति को प्रतियोगी बनाने के लिए आवश्यक है कि दो या दो से अधिक संगठन दलीय समूहों के रूप में वैकल्पिक पसन्दों की विद्यमानता हो, सर्वव्यापी व्यस्क मताधिकार हो, प्रतिनिधित्व की अधिकतम एकरूपता हो तथा नियतकालिक चुनाव की व्यवस्था हो।

2. लोकतन्त्र आदर्श मूल्यों के समूह के रूप में (Democracy as a set of Ideal Values)

मूल्य या आदर्श लोकतान्त्रिक व्यवस्था की कसौटी के आधारभूत तत्त्व होते हैं। जिनके आधार पर कोई भी राजनीतिक या सामाजिक व्यवस्था लोकतान्त्रिक या अलोकतान्त्रिक रूप धारण करती है। **कोरी** तथा **अब्राह्म** ने निम्न मूल्यों को लोकतान्त्रिक समाज के लिए आधारभूत माना है—

(i) व्यक्तिगत व्यक्तित्व का सम्मान
(ii) व्यक्तिगत स्वतन्त्रता
(iii) विवेक में विश्वास
(iv) समानता
(v) न्याय
(vi) विधि का शासन

लोकतन्त्र जीवनशैली के रूप में (Democracy as a Way of Life)

शास्त्रीय उदारवादी के समर्थक लोकतन्त्र को जीवन शैली के रूप में चित्रित करते हैं। लोकतान्त्रिक जीवन शैली का आशय दूसरों के विचारों के प्रति सहिष्णु होना है। **मिल** के अनुसार "दूसरों के विचारों का सम्मान करना ही लोकतान्त्रिक जीवन शैली हैं।" इसी

TOUCH 'n' PASS

प्रकार अमेरिकी दार्शनिक **जॉन डयूई** जो कि इस विचार सम्प्रदाय के प्रमुख विचारक माने जाते हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक *"डेमोक्रेसी एण्ड एजुकेशन"* में लिखा है कि "जब बहुत सारे नागरिक एक दूसरे से मिलते हैं परस्पर संवाद स्थापित करते हैं विचारों का आदान-प्रदान करते हैं और उनके प्रभाव की जाँच करने के लिए उन्हें कार्य रूप देते हैं तब सही अर्थ में लोकतान्त्रिक समुदाय अस्तित्व में आता है।

प्र.3. लोकतन्त्र के प्रकारों का उल्लेख कीजिए।
Mention the types of democracy.

उत्तर

लोकतन्त्र के प्रकार
(Types of Democracy)

1. **विशुद्ध लोकतन्त्र या प्रत्यक्ष लोकतन्त्र** (Pure democracy or direct democracy)—यह लोकतन्त्र का वह रूप है जिसमें जनता शासन में स्वयं भाग लेती है। शासन का संचालन करती हैं एवं समस्त नागरिक जनता परिषद् या सभा के रूप में एकत्रित होकर स्वयं शासन सम्बन्धी नीतियों, योजनाओं व विधियों का निर्माण करती हैं। लोकतन्त्र का यह रूप प्राचीन काल में यूनान व रोम में प्रचलित था। वर्तमान में यह केवल स्विट्जरलैण्ड में केवल कुछ कैण्टनों (ग्लॉरस, इनरअपेनजैल, आउटर अपेनजैल, ओब वाल्डेन व निड़ वाल्डेन) में प्रचलित है प्रत्यक्ष लोकतन्त्र की क्रियान्विति निम्न साधनों से की जाती है—
   (i) **लोक निर्णय**—इसका अभिप्राय है कि किसी विषय को जनता के समक्ष निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाए। विधायिका द्वारा कोई कानून बनाने या संविधान में संशोधन करने से पहले ऐसे विधायकों को जनता से सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है।
   (ii) **आरम्भक (उपक्रम)**—इस प्रक्रिया में कानून निर्माण की पहल जनता की ओर से भी हो सकती है। यह लोक निर्णय के विपरित है। लोक निर्णय में जनता किसी अनावश्यक कानून का खण्डन कर सकती है। वहीं आरम्भक के माध्यम से किसी आवश्यक कानून को बनवाने की पहल कर सकती है।
   (iii) **प्रत्यावाहन**—प्रत्यावाहन से अभिप्राय जनता के उस अधिकार से है जिसके द्वारा निर्वाचकों को अपने प्रतिनिधियों को वापस बुलाने या पदच्युत करने का अधिकार है।
   (iv) **जनमत संग्रह**—किसी राजनीतिक या राष्ट्रीय महत्त्व के विषय पर जनता की जब प्रत्यक्ष राय ली जाती है तो उसे जनमत संग्रह कहते हैं। लोकनिर्णय व जनमत संग्रह में अन्तर यह है कि पहला कानून या संविधान से सम्बन्धित है वहीं दूसरा राजनीतिक या राष्ट्रीय महत्त्व के प्रश्नों या मुद्दों से सम्बन्धित है।
2. **अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र या प्रतिनिध्यात्मक लोकतन्त्र** (Indirect democracy or representative democracy)—अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र उसे कहते है जिसमें शासन का संचालन जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। इसी कारण इसे प्रतिनिध्यात्मक लोकतन्त्र भी कहते हैं। विश्व के अधिकांश देशों (भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इत्यादि) में यही लोकतन्त्र का रूप देखने को मिलता है। इसके भी दो रूप देखे जाते हैं—संसदीय लोकतन्त्र व अध्यक्षात्मक लोकतन्त्र। संसदात्मक लोकतन्त्र में वास्तविक शासन सत्ता, जनता द्वारा निर्वाचित संसद व मन्त्रिमण्डल में निवास करती हैं; जैसे—ब्रिटेन व भारत में। वहीं अध्यक्षात्मक लोकतन्त्र में सम्पूर्ण सत्ता जनता द्वारा चुने हुए राष्ट्राध्यक्ष में निवास करती है; यथा—अमेरिकी राष्ट्रपति।

प्र.4. लोकतन्त्र के गुणों की व्याख्या कीजिए।
Explain the merits of democracy.

उत्तर

लोकतन्त्र के गुण
(Merits of Democracy)

लोकतन्त्र के गुणों की व्याख्या निम्नलिखित हैं—

1. **जनता का शासन**—प्रजातन्त्र के कुछ मौलिक गुण हैं जिनके कारण ही वह आज श्रृद्धा का पात्र बना हुआ है। हर जगह उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की जा रही है। प्रजातन्त्र का सबसे बड़ा गुण यह है कि यह जनता की सरकार है। यह जनता के सहयोग पर आधारित है। राजतन्त्र में तो शासक एक राजा होता है। कुलीनतन्त्र में कुछ व्यक्ति ही शासक होते हैं किन्तु प्रजातन्त्र में हर व्यक्ति शासक होता है। राज्य की सार्वभौम सत्ता जनता के हाथों में रहती है।

TOUCH 'n' PASS

2. **जनमत पर आधारित**—प्रजातन्त्र जनमत पर आधारित होता है। यह वैसा राज्य है जिसमें जनमत का स्थान सर्वोपरि होता है। राजतन्त्र, कुलीनतन्त्र एवं अधिनायकवाद में जनमत की अपेक्षा भी की जा सकती है। किन्तु प्रजातन्त्र में उसकी अवहेलना नहीं की जा सकती है। "पूर्ण प्रजातन्त्र में कोई भी यह शिकायत नहीं कर सकता है कि उसे अपनी बात कहने का अवसर नहीं मिला।"
3. **लोक-कल्याण**—प्रजातन्त्र का मुख्य उद्देश्य है लोक-कल्याण। लोक-कल्याण के लिए ही प्रजातन्त्र सरकार की स्थापना की जाती है। इसमें किसी वर्ग विशेष के कल्याण पर जोर नहीं दिया जाता है। जाति, धर्म, भाषा, प्रान्त, रंग, लिंग के आधार पर पक्षपात नहीं किया जाता है। अधिक से अधिक लोगों की अधिक से अधिक भलाई पर जोर दिया जाता है। अत: इसमें लोक-कल्याण की भावना सर्वोपरि होती है।
4. **समानता**—प्रजातन्त्र समानता का पोषक है। यह समानता के आधार पर ही टिका हुआ है। इसमें सभी व्यक्ति समान हैं। अमीर-गरीब, ऊँच-नीच, स्त्री-पुरुष, गोरा-काला एवं जाति का भेदभाव नहीं किया जाता है। कानून की दृष्टि में सभी समान है। राजनीतिक दृष्टि से भी समान है। किसी को विशेषाधिकार नहीं दिया जाता है। सभी को समान अधिकार प्राप्त होते हैं।
5. **स्वतन्त्रता**—प्रजातान्त्रिक सरकार में व्यक्ति को स्वतन्त्रता मिलती है। उसे बोलने की एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता मिलती है। घूमने, पेशा चुनने, संघ बनाने, सभा करने, जुलूस निकालने की भी स्वतन्त्रता मिलती है। उसे अपनी वैयक्तिक सम्पत्ति की भी स्वतन्त्रता दी जाती है। राज्य की ओर से किसी भी प्रकार बन्धन नहीं रहता है। राजतन्त्र, कुलीनतन्त्र एवं अधिनायक तन्त्र में तो व्यक्ति की नाममात्र की स्वतन्त्रता दी जाती है।
6. **आत्म-विकास**—प्रजातन्त्र ही एक ऐसा राज्य है जिसमें हर व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए पूरा मौका मिलता है। सामाजिक व्यवस्था समानता के आधार पर आधारित होती है। अर्थात् सभी को समान अवसर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की स्वतन्त्रताएँ भी दी जाती है। इन स्वतन्त्रताओं का उपयोग कर, कोई सामान्य व्यक्ति भी आगे की ओर बढ़ सकता है। हम देखते हैं कि प्रजातन्त्र में आत्म-विकास की सारी सुविधाएँ उपलब्ध रहती है।
7. **राष्ट्रीय प्रेम**—प्रजातन्त्र सरकार जनता की इच्छा पर आधारित होती हैं यह जनता की सरकार होती है। अत: जनता के ह्दय में स्वत: राष्ट्रीय-प्रेम का उद्रेक हो जाता है। चूँकि राष्ट्र की सुरक्षा में ही व्यक्ति की सुरक्षा निहित है। राष्ट्र की रक्षा के लिए व्यक्ति तैयार रहते हैं। राष्ट्र की अवनति का अर्थ है कि व्यक्ति की अवनति। इसलिए राष्ट्र के सम्मान को बढ़ाने के लिए हर व्यक्ति सतत प्रयत्नशील रहता है। प्रजातन्त्र राज्य में राष्ट्रीयता की भावना हर व्यक्ति के ह्दय में कूट-कूटकर भरी होती है।
8. **राजनीतिक शिक्षा**—प्रजातन्त्र वह शेर है जिसकी गर्जन से सभी व्यक्ति जाग उठते हैं। राजनीतिक दल का इसमें प्रमुख हाथ रहता है। सरकार का निर्माण दल के ही आधार पर होता है। राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेना, सही मतदान पत्र का उपयोग करना, इत्यादि की जानकारी भी लोगों को होती है।
9. **क्रान्ति नहीं**—प्रजातन्त्र सरकार जनता की इच्छा पर आधारित होती है। शासन का संचालन भी उसी की इच्छा के अनुसार होता है। हमेशा सांविधानिक तरीकों का प्रयोग किया जाता है। जिस कारण इसमें क्रान्ति होने की सम्भावना बहुत कम रहती है। **गिलक्राइस्ट** के शब्दों में, "लोकप्रिय सरकार सर्वसम्मति की सरकार है इसलिए स्वभाव से ही वह क्रान्तिकारी नहीं होती।" प्रजातन्त्र उत्तरदायी सरकार है। यह हमेशा जनता के प्रति उत्तरदायी रहती है। जिस समय यह जनता का विश्वास खो देती है। उसका विघटन हो जाता है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हमेशा जनता के प्रति उत्तरदायी रहते हैं।

प्र.5. प्रजातन्त्र के विभिन्न दोषों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
Briefly describe the various demerits of democracy.

उत्तर

प्रजातन्त्र के विभिन्न दोष
(Various Demerits of Democracy)

प्रजातन्त्र के जितने गुण हैं, उतने ही दोष भी। **प्लेटो** एवं अरस्तू ने प्रजातन्त्र को निकृष्ट दृष्टि से देखा। **लेकी, सिजविक, गिडिंग्स, हेनरीमेन वेल्स** एवं अन्य विद्वानों ने इसकी काफी आलोचना की है। अर्थात् इन्होंने हम लोगों का ध्यान उसके दोषों की ओर आकृष्ट किया है ये दोष निम्नलिखित हैं—

1. **मूर्खों का शासन**—प्रजातन्त्र राज्य का सबसे बड़ा दोष यह है कि यह मूर्खों एवं अयोग्य व्यक्तियों का शासन है। **वेल्स** ने बुद्धिहीनों एवं अज्ञानियों का शासन बताया है। चूँकि चुनाव में विद्वानों एवं पढ़े-लिखे व्यक्ति शायद ही खड़े होते हैं, खडे

भी होते हैं तो हार जाते हैं। **लेकी** का मत है कि ''प्रजातन्त्र का सबसे बड़ा दोष यह है कि यह सबसे अधिक दरिद्र, सबसे अधिक अज्ञानी और अयोग्य का शासन है चूँकि स्वभवत: वे ही अधिक संख्या में पाए जाते हैं।''

2. **भीड़तन्त्र**—प्रजातन्त्र को भीड़तन्त्र भी कहा जाता है। चूँकि इसका शासन भीड़ के द्वारा होता है। शासक में भीड़ मनोवृत्ति पाई जाती है जिनको शासन का भी अर्थ समझ में नहीं आता है।
3. **अल्पमत का शासन**—प्रजातन्त्र में तो सरकार गठन बहुमत दल करता है किन्तु जब हम व्यावहारिकता की ओर दृष्टिपात करते हैं तो पता चलता है कि अल्पमत प्राप्त दल ही सरकार की स्थापना करता है। कल्पना कीजिए कि एक लाख मतदाता हैं। 'अ' 'ब', 'स', 'द' चार उम्मीदवार है। 'अ' चालीस हजार 'ब' को तीस हजार, 'स' को बीस हजार एवं 'द' को दस हजार वोट मिलते हैं। 'अ' को चालीस हजार प्राप्त हुए हैं, इसलिए वह निर्वाचित घोषित किया जाता है। यदि हम सभी मतों की गणना करें तो पता चलेगा कि एक लाख में चालीस हजार ही 'अ' को मिले हैं। साठ हजार दूसरे को मिले हैं। अत: यह सिद्ध है कि अल्पमत द्वारा ही सरकार का गठन होता है।
4. **उत्तरदायित्व नहीं**—प्रजातन्त्र को उत्तरदायी सरकार कहा जाता है, किन्तु व्यवहार में यह अनुत्तरदायी सरकार है। चूँकि सरकार हमेशा बदलती रहती है। अत: किसी निश्चित नीति या योजना के लिए किसको दोषी ठहराया जाए। **बर्क** का कहना है कि ''संसार में विशुद्ध प्रजातन्त्र सबसे अधिक लज्जाशून्य वस्तु है और चूँकि यह लज्जाहीन होती है। अत: सबसे निर्भय होती है।''
5. **दलबन्दी**—प्रजातन्त्र सरकार की स्थापना दल पर होती है। एक राजनीतिक दल के अन्दर भी बहुत-से छोटे-छोटे दल होते हैं जो अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए कभी-कभी राष्ट्र-हित की बातों को भी ठुकरा देते हैं। दल-हित की भावना ही उसके सामने काम करती रहती हैं।
6. **धन का अपव्यय**—प्रजातन्त्र में धन का काफी अपव्यय होता है। एक तो चुनाव में काफी रुपये बर्बाद किए जाते हैं। दूसरे आवश्यकता से अधिक व्यक्ति शासन के काम में लिए जाते हैं, जिस काम को दस व्यक्ति कर सकते हैं, उसके लिए पचास व्यक्तियों को नियुक्ति की जाती है। प्रजातन्त्र में धन को कोई देखने वाला नहीं होता है। मूर्ख जनता कहती है कि सरकार का रुपया बर्बाद हो रहा है। सरकार के कुछ बड़े पदाधिकारी कहते हैं कि मारो गोली, जनता का पैसा जा रहा है इसमें हमार क्या बिगड़ता है?
7. **समय की बर्बादी**—प्रजातन्त्र राज्य में समय की भी काफी बर्बादी होती हैं। किसी भी काम को करने के पहले उस पर काफी सोच-समझ लिया जाता है। जनता की राय लेनी वांछनीय है। एक साधारण काम के लिए भी वाद-विवाद करना पड़ता है। इसलिए प्रजातन्त्र राज्य में लालफीताशाही मशहूर है।
8. **पेशा**—बहुत-से लोग राजनीति को पेशा बना लेते हैं। वे इस पेशे को खानदानी समझते हैं। वे कभी भी छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं। बड़े दुख की बात है कि भारत में पिता के मरने पर उसके पुत्र को मन्त्रिमण्डल में स्थान दिया जाता है।

लार्ड ब्राइस ने प्रजातन्त्र के मुख्यत: छह दोष बताए हैं—

(i) शासन तथा व्यवस्थापन पर धन का अनुचित प्रभाव।
(ii) राजनीतिक का वैयक्तिक लाभ के लिए प्रयोग।
(iii) शासन में अपव्यय।
(iv) समानता के सिद्धान्त का दुरुपयोग और प्रशासकीय विशेषता की उपेक्षा करना।
(v) राजनीतिक दलों को अनुचित मात्रा में शक्ति मिलती है तथा दल की भक्ति के सामने राजभक्ति गौण हो जाती है।
(vi) व्यवस्थापकगण चुनाव में नागरिकों से मत प्राप्त करने के लिए विशेष राज्य-नियम बनाते हैं तथा राजाज्ञा के विरुद्ध चलने वालों को उचित दण्ड से बचाते हैं।

प्र.6. लोकतन्त्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तों का उल्लेख कीजिए।
Mention the conditions necessary for the success of democracy.

उत्तर

लोकतन्त्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें
(Necessary Condition for the Success of Democracy)

हमने लोकतन्त्र के अवगुणों पर विचार कर लिया। प्रत्येक समस्या का निदान है लोकतन्त्र में कुछ दोष है। **बर्न्स** का विचार है कि ''कोई भी इस बात को मानने से इन्कार नहीं कर सकता कि मौजूदा प्रतिनिधि सभाएँ दोषपूर्ण है परन्तु अगर कोई मोटरगाड़ी खराब हो जाए तो उसे छोड़ बैलगाड़ी को अपनाना मूर्खता ही होगी चाहे वह कितनी ही आकर्षक क्यों न हो।''

लोकतन्त्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें निम्नलिखित हैं—

1. **शिक्षा**—लोकतन्त्र जनता की सरकार है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति का शिक्षित होना आवश्यक है। शासन एक कला है हर कोई शासन को नहीं चला सकता; जबकि वहाँ पर हर व्यक्ति के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था हो। शिक्षा अनिवार्य एवं नि:शुल्क हो। हर व्यक्ति को राजनीतिक शिक्षा मिलनी चाहिए। जिससे वह वोट के महत्त्व को समझ सके। अपने अधिकारों एवं कर्त्तव्यों को पहचान सके तथा राजनीतिक दलों के कार्यों से अवगत हो सके।
2. **स्वतन्त्रता**—स्वतन्त्रता लोकतन्त्र की आत्मा है। लोकतन्त्र राज्य में वस्तुत: हर व्यक्ति को बोलने की, भाषण की एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए। घूमने, संघ बनाने, सभा करने एवं किसी भी पेशे को चुनने की स्वतन्त्रता हर इन्सान को मिलनी चाहिए। उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहिए। समाचार पत्रों, पत्र-पत्रिकाओं, रेडियों, दूरदर्शन इत्यादि को भी पूरी स्वतन्त्रता देनी चाहिए। चूँकि जनमत निर्माण के ये ही मुख्य साधन है।
3. **आर्थिक समानता**—लोकतन्त्र राज्य में तो आर्थिक समानता होनी चाहिए। चूँकि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक समानता का कोई महत्त्व नहीं है। एक भूखे व्यक्ति के लिए वोट का कोई महत्त्व नहीं हैं। आर्थिक समानता का लोग गलत अर्थ समझ लेते हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि सभी को समान मात्रा में अर्थ का वितरण हो। वस्तुत: इसका सही अर्थ यह है कि कम से कम सभी को भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा एवं चिकित्सा का उचित प्रबन्ध हो। दरिद्र देश में कभी भी प्रजातन्त्र सफल नहीं हो सकता है। अत: अमीर-गरीब के बीच में जो बहुत बड़ी आर्थिक खाई है उसको पाटना है।
4. **स्वस्थ राजनीतिक दल**—राजनीतिक दल ही लोकतन्त्र राज्य में सरकार का गठन करता है। अत: उसका उद्देश्य महान होना चाहिए। उसके सिद्धान्त में जनहित निहित हो। उसका निर्माण संकुचित सिद्धान्तों पर नहीं होना चाहिए। बहुत से दलों का निर्माण भाषा, जाति एवं सम्प्रदाय पर होता है उसमें सभी जाति के व्यक्तियों का स्थान रहना चाहिए। वस्तुत: राजनीतिक दल तो लोकतन्त्र की आत्मा हैं।
5. **सशक्त विरोधी दल**—एक राजनीतिक दल से लोकतन्त्र शासन का काम नहीं चलता है। एक दल के द्वारा तो अधिनायकवाद का प्रादुर्भाव होता है। अत: लोकतन्त्र राज्य में कम से कम दो दलों का रहना अति आवश्यक है। एक दल सरकार का गठन करता है। जहाँ पर अनेक दल होते हैं वहाँ पर सशक्त विरोधी दल का अभाव रहता है। किन्तु लोकतन्त्र राज्य में विरोधी दल का रहना आवश्यक है। चूँकि जब एक दल की सरकार असफल हो जाती है तो ऐसी स्थिति में विरोधी दल ही सरकार का गठन करता है। अत: सशक्त विरोधी दल समय की माँग है।
6. **स्वस्थ जनमत**—जनमत का स्थान लोकतन्त्र में सर्वोपरि है। जनमत के आधार पर ही प्रतिनिधि चुने जाते हैं और वही प्रतिनिधि सरकार का निर्माण करते हैं। ऐसी स्थिति में देश के अन्दर स्वस्थ जनमत का प्रचार करना आवश्यक है। उसी के बल पर ही योग्य प्रतिनिधियों का चुनाव हो सकता है। सही जनमत के अभाव में जनता अयोग्य प्रतिनिधियों को चुन लेती है।
7. **निष्पक्ष समाचार पत्र**—समाचार पत्रों के जरिए ही देश-विदेश की खबरों को प्रसारित किया जाता है। सरकार की नीतियों का प्रचार किया जाता हैं, जनता के विचारों को सरकार के पास पहुँचाया जाता हैं। अत: समाचार पत्रों का निष्पक्ष, स्वतन्त्र एवं निर्भय होना अति आवश्यक हैं।
8. **अल्पसंख्यकों की रक्षा**—लोकतन्त्र राज्य में अल्पसंख्यकों की रक्षा करनी चाहिए। उनके हितों का हमेशा ख्याल करना चाहिए। उन्हें किसी भी प्रकार की तकलीफे नहीं देनी चाहिए। ताकि वह अपने को अजनबी या निर्जन महसूस न कर सके। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा में ही लोकतन्त्र का कल्याण है।
9. **स्वतन्त्र न्यायपालिका**—स्वतन्त्र न्यायपालिका हर प्रजातन्त्र देश में रहती है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा वही करती है। संविधान का उचित रूप से पालन हो रहा है या नहीं? कानूनों की व्याख्या इत्यादि का काम स्वतन्त्र न्यायपालिका का है। न्यायपालिका स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं निर्भिक होनी चाहिए।
10. **स्थानीय स्व-शासन**—लोकतन्त्र सरकार की नींव जनता से तैयार की जाती है, यह ऊपर से लादी नहीं जाती। अत: इसमें स्व-शासन का बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। हर ग्राम में इसका प्रबन्ध होना चाहिए। चूँकि लोकतन्त्र के गुणों की शिक्षा स्व-शासन संस्थाओं से पहले दी जाती हैं। अत: हर स्थानीय संस्था को पूरी स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए। जिससे वह सुविधापूर्वक स्थानीय कार्यों का सम्पादन कर सके।

TOUCH 'n' PASS

खण्ड-स विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. पूँजीवाद के ऐतिहासिक तटबन्ध और उदार लोकतन्त्र का वर्णन कीजिए।
Describe the historical bulwarks of capitalism and liberal democracy.

उत्तर

पूँजीवाद के ऐतिहासिक तटबन्ध और उदार लोकतन्त्र
(The Historical Bulwarks of Capitalism and Liberal Democracy)

उदार लोकतन्त्र और पूँजीवाद आन्तरिक चुनौतियों के बावजूद सबसे सफल राजनीतिक और आर्थिक प्रणाली साबित हुए हैं। यह इकाई उदार लोकतन्त्र और पूँजीवाद विभिन्न आयामों पर चर्चा करती हैं तथा यह उस अर्थ के योगदान को संपुटित करता है जो ये एक दूसरे के लिए करते हैं। मौलिक रूप से, लोकतन्त्र आम लोगों के लिए किए जाने वाली अच्छाई मनाता है। और पूँजीवाद व्यक्तिगत भलाई मनाता है। पूँजीवाद असमान सम्पत्ति अधिकारों के तर्क का अनुसरण करता है; जबकि लोकतन्त्र का उद्देश्य सबको एक समान नागरिक और राजनीतिक अधिकार देना है। लोकतान्त्रिक राजनीति सहमति और समझौते में अन्त:स्थापित है और पूँजीवाद सभी पदानुक्रमिक निर्णय लेने के बारे में हैं। **वुल्फगैंग मर्केल**, जो कि लोकतन्त्र के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कहा कि पूँजीवाद लोकतान्त्रिक नहीं हैं, लोकतन्त्र पूँजीवादी नहीं हैं।

चूँकि पूँजीवाद एक विचार के रूप में या एक दृष्टिकोण के रूप में हमेशा अपने आदिम अवतार में मौजूद होना चाहिए, पूँजीवाद के आरम्भिक चिन्हों की ओर संकेत पाना मुश्किल है। मनुष्य की विकास-यात्रा इस बात की द्योतक हैं कि प्राकृतिक मनुष्य अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में व्यस्त हो गया और उसने धीरे-धीरे पूँजी/संसाधनों को जमा करना सीखा तथा उद्यम और पूँजी के अप्राप्य धन में बदलने के अनुमान की कला के महत्त्व को समझा। हालाँकि, एक प्रणाली के रूप में पूँजीवाद का विकास 16वीं शताब्दी में शुरू हुआ। पूँजीवाद के जिस औद्योगिक रूप से हम परिचित हैं वह पहली बार इंग्लैण्ड में 18वीं शताब्दी में विकसित हुआ और यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड तथा दक्षिण अफ्रीका के अन्य भागों में फैल गया। 19वीं शताब्दी के अन्त तक, यूरोपीय औपनिवेशिक शासन के विस्तार के साथ, पूँजीवाद पूरे विश्व पर हावी हो गया।

इस बात की ओर संकेत किया गया कि पूँजीवाद का उदय तीन मुख्य विशेषताओं से जुड़ा हुआ है—(1) पूँजीवादी भावना की संवृद्धि अर्थात् लाभ की इच्छा, (2) पूँजी का संचय और (3) पूँजीवादी तकनीकों का विकास। **मैक्स वेबर** का मानना था कि पूँजीवाद बुद्धिसंगत व्याख्या और तार्किकता का उत्पाद था जो कि आधुनिकता का एक महत्त्वपूर्ण अभिलक्षण था। इस प्रकार पूँजीवाद उत्पादक उद्यम का एक तर्कसंगत संगठन था। वेतन वाले कर्मचारी या श्रमिक की अवधारणा ने, जो औद्योगिक क्रान्ति के बाद उभरा, पूँजीवाद के विकास में एक महत्त्वपूर्ण चरण का संकेत दिया। औद्योगिक क्रान्ति से पूर्व की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के इतिहास पर एक संक्षिप्त नजर डालने से पता चलता है कि पूँजीवाद न तो कुछ आविष्कारों के प्रयासों से उत्पन्न हुआ, जो औद्योगिक क्रान्ति का कारण बने और न ही ब्रिटिश पूँजीवादियों में कुछ विशेष उद्यमी भावना थी। यह सामन्तवाद की सामाजिक और आर्थिक प्रणाली की व्यवस्था के टूटने से और उसके स्थान पर वेतन-श्रम प्रणाली लागू होने से उत्पन्न हुआ। कार्ल मार्क्स ने पूँजीवादी व्यवस्था के विकास का ऐतिहासिक और द्वन्द्वात्मक विश्लेषण किया तथा इसे पहले सामन्ती क्रम के अन्दर मिलनेवाले विरोधाभासों की उपज माना जाता है। उन्होंने कहा कि पूँजीवाद इतिहास में एक ऐसा चरण था। जिसने सामन्तवाद की जगह ले ली और इस तरह से सामन्तों पर सामन्ती प्रभुओं का नियन्त्रण समाप्त हो गया। गुलामों को कारखाने के कामगारों के रूप में अवशोषित कर लिया गया, यानि कि, बड़े पैमाने पर उत्पादन की नई प्रणाली में मजदूरी करने वाले वेतनभोगी और मजदूर। इस प्रकार पूँजीवादी व्यवस्था की पकड़ पूरी तरह से स्थापित हो गई। मार्क्स ने कहा कि पूँजीवाद जैसे ही अपनी उच्च श्रेणी स्तर पर पहुँचेगा वह अपने अन्तर्निहित अन्तर्विरोधों के कारण से टूट जाएगा तथा एक सर्वहारा वर्ग की क्रान्ति द्वारा उखाड़ फेंका जाएगा। हालाँकि, इस तरह की एक श्रमिक वर्ग की क्रान्ति केवल अविकसित रूस की स्थापना करने के लिए हुई, जिसकी बाद में राज्य के पूँजीवाद की आलोचना की जाने लगी। जब कम्युनिस्ट गुट का विघटन और पतन हुआ, तो फ्रांसिस फुकायामा, एक अमेरिकी राजनीतिक सिद्धान्तकार ने उनकी किताब, एण्ड ऑफ हिस्ट्री एण्ड दी लास्ट मैन में लिखा कि, मानव जाति वैचारिक विकास के अन्तिम बिन्दु पर पहुँच गई है। सोवियत रूस में साम्यवाद के पतन ने उदार लोकतन्त्र और पूँजीवाद की विजय का संकेत दिया। अगले कुछ वर्षों में, नवउदारवादी विचारों से प्रभावित अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा प्राप्त सहायता से उदारवादी बाजारों ने वैश्विक पूँजीवाद का मार्ग प्रशस्त किया। हालाँकि 2008 के हालिया वैश्विक वित्तीय संकट ने समाविष्ट बाजारों के पक्ष में, वैश्वीकरण को वापस लेने और पुनर्वितरण नीतियों को बढ़ावा देने के लिए गति प्रदान की। फुकायामा ने अपने कथन पर फिर से सोचना शुरू किया और आय और सम्पत्ति में भारी असन्तुलन को दूर करने के लिए पुनर्वितरण कार्यक्रम आमन्त्रित किया।

लोकतन्त्र को आज सफल राजनीतिक प्रणालियों में से एक के रूप में मनाया जाता है, जिसमें व्यावहारिक रूप से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। इसका आधारभूत अर्थ है सरकार का एक अभिरूप जिसमें निर्णय लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों का होता है। बहरहाल, लोकतन्त्र के असंख्य रूप और प्रकार हैं। आमतौर पर, लोकतन्त्र की ऐतिहासिक जड़ें प्राचीन यूनानी शहरों एथेंस और स्पार्टा तक पहुँचती है। जहाँ शहर की विधानसभा में लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाता था। उसके साथ-साथ, यूनानी लोकतन्त्र की रूपरेखा समस्याग्रस्त भी थी। यह महिलाओं, मेटिक्स (विदेशी निवासी) और दासों को प्रणाली के वैध प्रतिभागियों के रूप में मान्यता नहीं देता था। हाल के वर्षों में, विचार है कि, लोकतन्त्र अनिवार्य रूप से एक प्रणाली है जिसकी उत्पत्ति पश्चिमी विश्व में हुई थी और प्रतियोगी के रूप में वैदिक साहित्य में सभा और समिति के अभ्यास का सन्दर्भ लेता है, जहाँ लोग निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेते थे, गैर-पश्चिमी विश्व में भी इस तरह की व्यवस्था का सन्दर्भ मिला।

उदार लोकतन्त्र को विशेष रूप से एक उत्पाद और आधुनिकता की विशेषता के रूप में माना जाता है। शाही निपेक्षता के खिलाफ गृह युद्ध के परिणामस्वरूप यह अस्तित्व में आया और क्राउन (राजशाही) से संसद में शक्तियों के हस्तान्तरण का मार्ग प्रशस्त किया। तब से, उदार लोकतन्त्र का न केवल भौतिक रूप से विस्तार हुआ, बल्कि उसके अर्थ के सन्दर्भ में भी परिपक्व हुआ है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से औद्योगिक पूँजीवाद के विकास के साथ अमेरिकी और फ्रांसिसी क्रान्तियों ने लोकतन्त्र की जड़ों को मजबूत किया है। लोकतन्त्र के विकास में विशेष रूप से उसकी उदारता के अर्थों में, फ्रांसिसियों की मानव अधिकारों की घोषणा (1789) अमेरिका की स्वतन्त्रता की घोषणा (1776), जॉन लॉक (जिसने मनुष्य के अयोग्य अधिकारों का विचार उत्पन्न किया) के राजनीतिक विचारों ने, बेंथम की प्रतिनिधि राजनीति के बचाव ने, जे० एस० मिल का महिलाओं के मताधिकार का समर्थन, ने बहुत योगदान दिया है। लोकतन्त्र ने न केवल एक विचार के रूप में, बल्कि विभिन्न सामाजिक-आर्थिक स्तरों, सार्वजनिक शिक्षा और चुनाव सुधारों से सम्बन्धित, जनसंख्या के क्रमिक उत्थान के साथ एक राजनीतिक प्रणाली के रूप में भी बहुत प्रगति की। विश्व की राजनैतिक स्वतन्त्रता तथा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में नए स्वतन्त्र हुए देशों द्वारा आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए किए गए दावों ने भी दुनिया के लोकतन्त्रीकरण में योगदान दिया।

हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि लोकतन्त्र शब्द से पहले विशेषण 'उदार' व्यक्तिगत स्वतन्त्रता राज्य की भूमिका और बाजार की भूमिका के एक विशिष्ट अर्थ और परिभाषा को दर्शाता है। लोकतन्त्र की उदार समझ अधिक व्यक्तिगत अधिकारों और राज्य के कम हस्तक्षेप के पक्ष में रही है। उदारवादी शब्द के दो विपरीत अर्थ हो सकते हैं। उदाहरण के लिए इसका अर्थ अंकुश की अनुपस्थिति (नकारात्मक स्वतन्त्रता) हो सकती है अथवा इसका अर्थ हो सकता है शासन और निर्णय लेने की प्रक्रिया में सम्बद्ध होने की व्यक्ति की क्षमता। इस प्रकर, स्वतन्त्रता/व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और राज्य की भूमिका के विचार के लिए अपनाए गए अर्थ और परिभाषा के आधार पर लोकतन्त्र के विभिन्न संस्करण हैं। उदाहरण के लिए, उदार लोकतन्त्र जो कि श्रमिक वर्ग के हितों को प्राथमिकता देता है और व्यक्तिगत/निजी स्वामित्व पर सीमा नियन्त्रण का प्रयोग करता है। उसे समाजवादी लोकतन्त्र माना जा सकता है जबकि जो व्यक्ति की स्वतन्त्रता के आनन्द से परे समाज के प्रति कर्त्तव्यों, जिम्मेदारियों और दायित्वों को वरीयता देते हैं, उन्हें कम्युनिस्ट लोकतन्त्र माना जा सकता है और यदि कोई राजनीतिक प्रणाली पर्यावरण सम्बन्धी चिन्ताओं या महिलाओं/लिंग से सम्बन्धित चिन्ताओं को प्राथमिकता देना चाहती है तो ऐसी प्रणालियों में पर्यावरण की ओर और नारीवाद की ओर झुकाव देखा जा सकता है।

प्र.2. पूँजीवाद और उदार लोकतन्त्र क्या हैं? विवेचना कीजिए।

What are capitalism and liberal democracy? Discuss.

उत्तर

पूँजीवाद और उदार लोकतन्त्र
(Capitalism and Liberal Democracy)

आधुनिक अर्थशास्त्र का **मैकमिलन** शब्दकोष की परिभाषा अनुसार पूँजीवाद, एक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रणाली हैं जिसमें पूँजीगत सम्पत्ति सहित सम्पत्ति का अधिकांश भाग निजी व्यक्तियों के स्वामित्व और नियन्त्रण में होता है। पूँजीवाद निश्चित रूप से एक आर्थिक प्रणाली है जो व्यक्तिगत उद्यमों के लाभ से चालित है। यह निजी स्वामित्व, असम्बद्ध स्वतन्त्रता, संविदात्मक लेनदेन और आर्थिक प्रतिस्पर्धा के लिए अधिक स्थान की माँग करता है। दूसरे शब्दों में, पूँजीवाद एक ऐसी प्रणाली है जिसमें किसी समाज के संसाधनों का आवंटन मूल्य तन्त्र पर आधारित होता है। पूँजीवाद के विभिन्न रूपों में अन्तर, मूल्य तन्त्र के उपयोग की हद, बाजारों में प्रतिस्पर्धा का स्तर और सरकारी हस्तक्षेप का स्तर तय करते हैं। अपने चरम रूप ''लैस्से फ्येरे मॉडल' (अक्षरश: अर्थ—हमें अकेला छोड़ दें) में, पूँजीवाद सरकारी नियन्त्रण और विनियमन के प्रत्येक रूप की उपेक्षा करता है। इस प्रकार की मुक्त बाजार प्रणाली को यदि नियन्त्रित और उसकी निगरानी न की जाए, तो वह सबसे क्रूर और बेईमान प्रणालियों में

परिवर्तित हो जाती है। पूँजीवाद भी आर्थिक सम्बन्धों के लिए अप्रत्यक्ष शासन की एक प्रणाली है, जहाँ सभी बाजार संस्थागत ढांचे के अन्दर मौजूद होते हैं जो राजनीतिक अधिकारियों अर्थात् (स्कॉट 2006) द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इस दृष्टिकोण से, पूँजीवाद किसी भी अन्य संगठित खेल की तरह तीन–स्तरीय प्रणाली हैं बाजार प्रथम स्तर पर अधिकार जमाते हैं जहाँ प्रतियोगिता होती है, संस्थागत प्रतिष्ठान (प्रशासनिक और नियामक बुनियादी ढाँचा) जो उन बाजारों को रेखांकित करते हैं वे दूसरे स्तर पर तथा राजनीतिक प्राधिकरण जो खेल के नियम बनाता है और व्यवस्था को प्रशासित करता है वह तीसरे स्तर पर आता है। दूसरे शब्दों में, समय के माध्यम से प्रभावी विकासात्मक अर्थों में विकसित होने वाली पूँजीवादी व्यवस्था के दो हाथ होने चाहिए एक नहीं। एक अदृश्य हाथ जो कि मूल्य निर्धारण तन्त्र में निहित है और एक दृश्यमान हाथ है जिसे स्पष्ट रूप से सरकार द्वारा विधायिका और नौकरशाही के माध्यम से प्रबन्धित किया जाता है।

मैक्स वेबर के अनुसार, पूँजीवादी तर्कसंगत और व्यवस्थित रूप से लाभ कमाने का एक दृष्टिकोण है। इसलिए, आर्थिक प्रणाली का यह रूप संसाधनों के निजी स्वामित्व, उत्पादन और वितरण की तर्कसंगत तकनीकों, मुक्त बाजार, मुक्त श्रम शक्ति, अर्थव्यवस्था के व्यावसायीकरण और तर्कसंगत कानून पर पनपता है। दूसरी ओर, कार्ल मार्क्स पूँजीवाद को एक ऐसे प्रगतिशील ऐतिहासिक मंच के रूप में देखते हैं। जिसका अपने आन्तरिक विरोधाभासों के भार से ही टूटना तय है। मार्क्स के लिए पूँजीवाद तीव्र शोषण, वर्ग विभाजन, असमानता और उत्पीड़न की एक प्रणाली है। पूँजीवाद निजी सम्पत्ति, लाभ के लिए कारखाने प्रणाली के तहत वस्तुओं को बड़े पैमाने पर उत्पादन और श्रमिक वर्ग के अस्तित्व पर पनपता है। यह श्रमिक वर्ग अपनी–अपनी श्रम शक्ति को बाजार में बेचने के लिए मजबूर किया जाता है और अन्ततः यह होने (उत्पादन के साधनों के मालिक या पूँजीपति) और न होने (मजदूरी करने वाले या सर्वहारा वर्ग) के बीच के ध्रुवीकरण का कारण बनती है। मार्क्स का कहना है कि उदार लोकतन्त्र में सरकार पूँजीवादी वर्ग की कार्यकारी संस्था के रूप में कार्य करती है। पूँजीपति वर्ग के हाथों में आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का ये विलयन सर्वहारा वर्ग के शोषण का कारण बनता है। उनका मानना था कि, जब सर्वहारा वर्ग लड़ने के लिए एकजुट हो जाते हैं तो उदारवादी लोकतन्त्र और पूँजीवाद दोनों एक कम्युनिस्ट समाज की स्थापना के लिए उखाड़ फेंके जाते हैं। इस प्रकार, मार्क्स के अनुसार, पूँजीवाद और लोकतन्त्र सर्वहारा वर्ग के शोषण के पीछे के प्रमुख कारक हैं।

इस प्रकार पूँजीवाद को उद्यम की भावना, उत्पादन की एक विशेष विधि और एक वाणिज्यिक प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। पूँजीवाद को काम करने के लिए, एक नियमबद्ध आर्थिक नीति, संवैधानिक रूप से सुनिश्चित की गई बाजारों की सुरक्षा तथा विवेकाधीन राजनीतिक हस्तक्षेप से सम्पत्ति के अधिकार, स्वतन्त्र नियामक प्राधिकरण, चुनावी दबाव से सुरक्षित केन्द्रीय बैंकों तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों की आवश्यकता होती है (स्ट्रीक, 2011)। यामामूरा और स्ट्रीक दो प्रकार के पूँजीवाद के बारे में बात करते हैं, गैर–उदारवादी और उदारवादी पूँजीवाद। वे इन शब्दों का उपयोग विशेष अर्थव्यवस्थाओं में सामाजिक और राजनीतिक विनियमन की सीमाएँ बतलाने तथा अधिकतर मौलिक रूप से, 'जिस तरह से राष्ट्रीय समाज अपनी अर्थव्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने और वास्तव में जिस हद तक वे ऐसा करते हैं' के लिए करते हैं।

लोकतन्त्र मूलतः सहमति से बनी सरकार है जिसमें आवधिक, प्रतिस्पर्धी स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव अनिवार्य हैं। चुनाव प्रमुख संस्थागत प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोकतन्त्र कार्य करता है। नागरिकों/शासितों का मत एक लोकतान्त्रिक प्रणाली में सर्वोपरि है। सर्वसम्मति–निर्माण की प्रक्रिया उदार लोकतान्त्रिक प्रक्रिया के केन्द्र में हैं। **डेविड ईस्टन** के अनुसार ऐसी सहमति को तीन स्तरों पर उपार्जित करने की आवश्यकता है—(1) समुदाय स्तर पर आम सहमति (बुनियादी सर्वसम्मति), (2) शासन स्तर पर आम सहमति (प्रक्रियात्मक सर्वसम्मति) तथा (3) नीति स्तर पर आम सहमति (नीति सर्वसम्मति)। **सर्तोरी** कहते हैं कि, लोकतन्त्र में, कोई भी शर्त रहित और असीमित शक्ति का उपभोग नहीं कर सकता। शक्ति का सीमित प्रयोग और जवाबदेही लोकतन्त्र के प्रमुख तत्त्व हैं। दूसरे शब्दों में, व्यक्तिवाद, लोकप्रिय सम्प्रभुता और सीमित सरकार उदार लोकतन्त्र की नींव है।

तुलनात्मक सरकार और राजनीति का परिचय—लोकतन्त्र को और स्पष्ट करने के लिए, लोकतन्त्र के प्रक्रियात्मक पहलुओं के साथ–साथ मूलभूत पहलुओं को समझना आवश्यक है। प्रक्रियात्मक पहलू संवैधानिक ढाँचे पर केन्द्रित होते हैं; जबकि लोकतन्त्र के मूलभूत पहलू हमें विकास और विकास के फलों के समान वितरण के लिए प्रयास करना याद दिलाते हैं। उदार लोकतन्त्रों के उदारवादी लोकतन्त्र होने का दावा इस दावे पर टिका हुआ है कि उनके पास व्यक्तिगत नागरिकों की स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए दोनों अच्छी प्रकार से स्थापित और सुलभ प्रक्रियाएँ हैं। (वेयर, 1992)। उदार लोकतान्त्रिक प्रक्षेपपथ यह भी प्रकट करता है कि स्वतन्त्रता, समानता और बन्धुत्व जैसे मूल्य इसके निर्माण खण्ड हैं। ये मूल्य ही लोकतन्त्र के प्रक्रियात्मक पहलू को मजबूत बनाते हैं तथा संसाधनों पर समान रूप से पुनर्वितरण के प्रयासों को सुनिश्चित करने वाले बाजारों पर अनुशासित नियन्त्रण में योगदान देता है। उदार लोकतन्त्र के दो महत्त्वपूर्ण घटक हैं—उदारवादी घटक जो राजनीतिक शक्ति पर लगाम की बात करते

हैं और लोकतान्त्रिक घटक जो लोगों के शासन, भागीदारी और प्रतिनिधि संस्थानों से सम्बन्धित हैं। उदारवाद का अर्थ लोगों को मुक्त करना है और लोकतन्त्र लोगों को सशक्त बनाने के लिए खड़ा है। इसका अर्थ अत्याचार और मनमानी से लोगों की रक्षा करना भी है। यह लोगों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। लोकतान्त्रिक समाज में लोगों को यह प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए राजनीतिक दल महत्त्वपूर्ण माध्यम होते हैं। प्रतिनिधित्व का रूप प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, अनुपातिक आदि हो सकता है। प्रत्येक समाज में विभिन्न प्रकार की पार्टी प्रणालियाँ होती हैं जो उस समाज की जनसंख्या की प्रकृति और संरचना पर निर्भर करती हैं। उदाहरण के लिए, किसी अधिक सजातीय समाज में दो–पक्षीय प्रणाली होती है और एक विषम समाज में बहु–पक्षीय प्रणाली होती है स्वतन्त्रता, समानता और बन्धुत्व जैसे मूल्यों को एक उदार लोकतान्त्रिक समाज के मौलिक मूल्य माना जाता है। दूसरी ओर, उदार लोकतन्त्र से मुक्त बाजार और सम्पत्ति के अधिकार अविभाज्य हैं। उदारवादी लोकतन्त्र की मार्क्सवादी आलोचना इस कारण से है कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक समानता दूरगामी होती है। निजी सम्पत्ति को समाप्त करके, वर्ग विभाजन को समाप्त करना होगा, जो पूँजीवाद की एक अन्तर्निहित विशेषता है। समाजवादी लोकतन्त्र का उद्देश्य अनिवार्य रूप से पूँजीवाद को उखाड़ फेंकना है जिसे उदारवादी लोकतन्त्र से शक्ति मिलती है। उदारवादी लोकतन्त्र की आलोचना गालानो मोस्का, विल्फ्रेडो परेतो और रॉबर्ट मिशेल जैसे संभ्रान्त सिद्धान्तकारों द्वारा भी की जाती है। जो इस ओर इशारा करते हैं कि उदारवादी लोकतन्त्र में बड़े पैमाने पर लोगों के बजाय किसी समाज में कुछ समाज में कुछ संभ्रान्त लोग शासन करते हैं।

प्र.3. उदारवादी लोकतन्त्र और पूँजीवाद के बीच अन्तर्सम्बन्ध बताइए।

Explain the interrelationship between liberal democracy and capitalism.

उत्तर

उदारवादी लोकतन्त्र और पूँजीवाद के बीच अन्तर्सम्बन्ध
(The Interrelationship between Liberal Democracy and Capitalism)

अर्थव्यवस्था और राजव्यवस्था मानव समाज के मुख्य समस्या समाधान तन्त्र हैं। उन प्रत्येक के अपने विशिष्ट साधन होते हैं और उनमें से प्रत्येक का अपना अच्छा या अन्त होता है। वे आवश्यक रूप से एक–दूसरे से परस्पर प्रभावित रहते हैं और इस प्रक्रिया में एक दूसरे में बदलाव ले आते हैं। (एल्मण्ड, 1991)। एक प्रश्न जो हमें कचोटता है कि पूँजीवाद और लोकतन्त्र, जो एक–दूसरे से कई प्रकार से विपरीत विचारों के हैं, कैसे दुनिया भर में एक–दूसरे के पूरक बन कर सामने आ रहे हैं। पहला असमान असमानताएँ पैदा करता है तथा दूसरा समान राजनीतिक अधिकारों के वितरण के माध्यम से एक समतावादी समाज को तैयार करता है। एक तरफ, ऐसी प्रणाली है जो मुक्त बाजार को बढ़ावा देती है और दूसरी ओर ऐसी प्रणाली है जो एक पुनर्वितरण कल्याणकारी राज्य के लिए तरसती है। 1970 के दशक के बाद से बढ़ती मुद्रास्फीति निजी ऋणग्रस्तता, वित्तीय संकट ने सुरक्षा के लिए बढ़ती माँगों (सरकार द्वारा वित्त पोषित सामाजिक कार्यक्रम, प्रगतिशील कराधान के माध्यम से आय और धन का पुनर्वितरण) के बीच संघर्ष को उजागर किया है जो बाजार के साथ मूलभूत रूप से असंगत है। इन दोनों विचारों के ऐतिहासिक विकास और इसके अभ्यास के बारे में विस्तृत जाँच से पता चलता है कि वे दोनों अपने विरोधाभासी स्वभाव का जवाब देने में कामयाब रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के कल्याणकरी राज्यों के समझौते ने एक अनियमित पूँजीवादी बाजार के परिणामस्वरूप बढ़ती असमानताओं को कम करने की कोशिश की। बाद में, 1970 के दशक में वित्तीय संकट (ब्रेटेन वुड्स) की शुरुआत ने 1980 के दशक के बाद से भूमण्डलीकरण, नव–उदारवादी सुधारों के विस्तार क्षितिज को जन्म दिया। इससे कल्याणकारी राज्य के विचार में सेंध लग गई। जबकि राज्य नष्ट नहीं हुआ, उसने पूँजीवाद के वैश्वीकरण के लिए पर्याप्त जगह बनाई। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि लोकतान्त्रिक राजनीति में एक प्रकार से 'उदार' की मात्रा और प्रकृति एक निर्धारित प्रणाली/समाज के तहत पूँजीवाद के स्थान और संरचना का निर्धारण करती है। उदाहरण के लिए, सरकारें जो संरक्षण और पुनर्वितरण के लोकतान्त्रिक दावों पर ध्यान देने में विफल हो जाती हैं उनकी अपनी बहुमत की हानि होने का जोखिम होता है जबकि सरकारें जो उत्पादन के संसाधनों के मालिकों से मुआवजें के दावों की अवहेलना करती हैं, जैसा कि सीमान्त उत्पादकता की भाषा में व्यक्त किया गया है। आर्थिक दुष्क्रिया और विकृतियों का कारण बनती है तो तेजी से अस्थिरता की ओर जाती है और इससे राजनीतिक समर्थन भी कमजोर होता है। (स्ट्रीक, 2011)।

मार्क्स का मानना था कि पूँजीवाद इसलिए पनपता है क्योंकि सर्वहारा वर्ग का दमन किया जाता है और उसे गलत जानकारियाँ दी जाती है। अपने अन्तर्विरोधों के भार तले पूँजीवादी व्यवस्था के पतन की उनकी धारणा अब सही नहीं बैठती; क्योंकि पूँजीवाद ने उदारवादी लोकतान्त्रिक व्यवस्था के अन्दर खुद को ढालकर और समायोजित करके इन चुनौतियों से बचा लिया है। वास्तव में,

आज पूँजीपति वर्ग लोकतन्त्र और नियन्त्रण के लिए पुनर्वितरण हेतु अपनी सहमति देती है जिसके परिणामस्वरूप क्रान्ति का खतरा बढ़ जाता है।

पूँजीवाद और लोकतन्त्र के बीच के अन्तर्संबन्धों के अवलोकन के लिए विभिन्न धारणाएँ, सिद्धान्त और दृष्टिकोण हैं। उदाहरण के लिए, चूँकि औसत मतदाता निम्न आय वर्ग के हैं इसलिए, अधिक लोकतन्त्रीकरण का परिणाम अधिक पुनर्वितरण होता है (मेल्टज़र एण्ड रिचर्ड मॉडल 1981) हालाँकि, वे विभिन्न देशों में देखी गई पुनर्वितरण की राजनीति में भिन्नता को समझाने से लाभ नहीं मिलता। पूँजीवाद और लोकतन्त्र के अध्ययन के लिए अन्य मुख्य दृष्टिकोण राजनीतिक शक्ति की भूमिका पर केन्द्रित होते हैं, विशेषरूप श्रम की संगठनात्मक और राजनीतिक ताकत। यदि पूँजीवाद वर्ग संघर्ष के बारे में होता है, तो वर्गों के संगठन और अंतरंग राजनीतिक ताकत, नीतियों और आर्थिक परिणामों को प्रभावित करती है। इस दृष्टिकोण के दो संस्करण हैं। शक्ति संसाधन सिद्धान्त कल्याणकारी राज्य के आकार और संरचना पर ध्यान केन्द्रित करता हैं, इसे मध्य वर्ग के साथ गठबन्धनों द्वारा मध्यस्तता करते हुए राजनीतिक वाम की ऐतिहासिक ताकत के प्रकार्य के रूप में समझा जाता है। दूसरे संस्करण को नियो कॉरपोरेटवादी सिद्धान्त कहा जाता है जो श्रम के संगठन और राज्य के साथ उसके सम्बन्धों पर केन्द्रित होता है—विशेष रूप से यूनियनों के केन्द्रीकरण की डिग्री और सार्वजनिक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनके समावेश (आइवरसन, 2006)।

जोसफ शम्पेटर का कहना है कि लोकतन्त्र पूँजीवाद की सभ्यता की कहनी का एक भाग है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि लोकतन्त्र ऐतिहासिक रूप से पूँजीवाद द्वारा समर्थित था। पूँजीवाद, समाजवाद और लोकतन्त्र (1942) के बारे में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि, इतिहास स्पष्ट रूप से पुष्टि करता है कि आधुनिक लोकतन्त्र पूँजीवाद के साथ-साथ बढ़ा है और इनका आपस में नैमित्तिक संयोजन है। आधुनिक लोकतन्त्र पूँजीवादी प्रक्रिया का एक उत्पाद है। हालाँकि, पूँजीवाद और उदार लोकतन्त्र का विकास संघर्षपूर्ण रहा है, इसने विशेषरूप से द्वितीय विश्वयुद्ध के अन्त और कल्याणकरी राज्य के जन्म के बाद से एक मजबूत आधार पाया है (जो कीनेसियन अर्थशास्त्र से प्रेरित था।) कल्याणकारी राज्य नीतियों को अपनाने के तीन दशकों बाद, पश्चिमी दुनिया ने अभूतपूर्व आर्थिक विकास का अनुभव किया जहाँ उदार लोकतान्त्रिक राजनीति और पूँजीवाद बाजार एक साथ बढ़े। उदार लोकतन्त्र और पूँजीवाद के सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व के बारे में हमेशा सन्देह रहा। बैरिंगटन मूर के अनुसार, औद्योगिक आधुनिकीकरण के लिए तीन ऐतिहासिक मार्ग हैं। पहला मार्ग ब्रिटेन और फ्रांस ने अपनाया, जहाँ पूँजीपति व्यापारीवाद को बढ़ावा देकर लोकतान्त्रिक पूँजीवाद प्रमुखता से उभरा। जापान और जर्मनी ने जमींदार कुलीन तन्त्र की मदद से दूसरा मार्ग अपनाया जिससे पूँजीवाद की एक ऐसी प्रणलाी का जन्म हुआ जो सैन्य अभिजात वर्ग के प्रभुत्व वाले सामंती अधिनायकवादी ढाँचे में संलग्न था। रूस ने राज्य द्वारा नियन्त्रित औद्योगिक अर्थव्यवस्था के साथ-साथ एक सत्तावादी कम्युनिस्ट शासन को चुना। इसलिए मूर ने ये निष्कर्ष निकाला कि उन्नीसवीं सदी में उभरते लोकतन्त्र की एक नियत विशेषता पूँजीवाद है। रॉबर्ट डाहल ने भी कहा कि यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि आधुनिक लोकतान्त्रिक संस्थान मुख्य रूप से निजी स्वामित्व वाले, बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों या पूँजीवादी देशों में ही मौजूद हैं जिस नाम को आप पसन्द करें। पीटर बर्गर ने अपनी पुस्तक दी कैपिटलिस्ट रेवोल्यूशन (1986) में पूँजीवाद और लोकतन्त्र के सम्बन्धों पर चार प्रस्तावों पर चर्चा की है जो मुख्य रूप से दोनों के बीच सम्बन्धों के सकारात्मक स्वरूप की व्याख्या करते हैं। दूसरी ओर, दोनों के बीच परस्पर विरोधी सम्बन्ध हैं। उदाहरण के लिए, **फ्रेडरिक वॉन हायकिन** ने अपने बाद के वर्षों में आर्थिक स्वतन्त्रता और नागरिक स्वतन्त्रता की रक्षा में लोकतन्त्र को खत्म करने की वकालत की। जॉन स्टर्ट मिल ने ऐसा ही दृष्टिकोण अपनाते हुए कहा कि पूँजीवाद ने लोकतन्त्र का नाश कर दिया। इसलिए, उन्होंने एक कम प्रतिस्पर्धी और अन्ततः एक समाजवादी समाज की कल्पना की। मिल बाजार की अर्थव्यवस्था और प्रमुख राजनीति दोनों की ज्यादतियों को उपभोक्ताओं और उत्पादकों, नागरिकों और राजनेताओं की शिक्षा द्वारा नियन्त्रित करना चाहते थे, जो कि नैतिक रूप से बेहतर मुक्त बाजार और लोकतान्त्रिक सुव्यवस्था बनाने के हित में होते। **थॉमस जेफरसन** ने धन-सम्पत्ति में अर्थपूर्ण असमानताओं पर आपत्ति नहीं जताई किन्तु उनका मानना था कि आर्थिक रूप से स्वतन्त्र नागरिकता स्वतन्त्रता और लोकतन्त्र के लिए आवश्यक थी। इसी प्रकार मार्क्स भी बताते हैं कि कैसे मुक्त भूमि/संसाधनों तक पहुँच के लिए पूँजीवादी प्रभुत्व और श्रम का शोषण एक बाधा के रूप में कार्य करता है। दूसरे शब्दों में, जब आर्थिक संसाधनों/शक्तियों को समान रूप से वितरित किया जाता है और सरकार द्वारा नियन्त्रित किया जाता है तो यह पूँजीवाद पर एक नियन्त्रण के रूप में कार्य करता है। गैब्रियल एल्मण्ड लोकतन्त्र और पूँजीवाद के बीच के बातचीत के विभिन्न आयामों पर चर्चा करते हैं। वह चर व्यापक प्रकार के अन्तर्सम्बन्धों की पहचान करते हैं ये निम्न हैं—

1. पूँजीवाद का लोकतन्त्र को समर्थन,
2. पूँजीवाद का लोकतन्त्र का नाश करना या उसको पलट देना,

3. लोकतन्त्र का पूँजीवाद का नाश करना, तथा
4. लोकतन्त्र का पूँजीवाद को प्रोत्साहन देना (एल्मण्ड, 1991)।

इस बात को जानना बहुत आवश्यक है कि लोकतन्त्र और पूँजीवाद दोनों सकारात्मक और नकारात्मक रूप से एक-दूसरे से सम्बन्धित हैं। वे एक-दूसरे को प्रोत्साहन भी देते हैं और विनाश भी करते हैं।

प्र.4. प्रतियोगिता, तर्क-वितर्क, पूँजीवाद और उदारवादी लोकतन्त्र का भविष्य में योगदान बताइए।
Explain the contribution of competition, argument, capitalism and liberal democracy in the future.

उत्तर प्रतियोगिता, तर्क-वितर्क, पूँजीवाद और उदारवादी लोकतन्त्र का भविष्य
(Competition, Argument, Capitalism and Liberal Democracy in the Future)

उन्नीसवीं शताब्दी में आधुनिकता और औद्योगिक पूँजीवाद की छाया में उदार लोकतन्त्र का जन्म हुआ, जो बाद में एक वैश्विक घटना बन गई और इसे ऐतिहासिक रूप से स्थापित कर सामाजिक रूप दिया गया।
आज विश्व स्तर पर उदार लोकतन्त्र और पूँजीवाद के विकास पर फिर से विचार किया जा रहा है। दुनिया अकल्पनीय समस्याओं और मुद्दों में फंस गई है। अभूतपूर्व तकनीकी और भौतिक प्रगति पूँजीवादी व्यवस्था का एक परिणाम है। लेकिन इसने होने और न होने के बीच एक अकल्पनीय खाई पैदा कर दी है, आर्थिक स्थितियों में अत्यावश्यक दबाव के कारण समुदायों में बढ़ते तनाव, बढ़ते आतंकवाद बढ़ती बेरोजगारी और सबसे महत्त्वपूर्ण स्वयं की इच्छा और अव्यवस्थित व्यक्तियों में वृद्धि। **फुकुयामा** की थीसिस 'एण्ड ऑफ हिस्ट्री' में इन समकालीन चुनौतियों के सामने उदार लोकतन्त्र की जीत हुई, यह विचित्र है। बल्कि इतिहास में त्वरण हुआ है। **रॉबर्ट डी कपलान** अपने भविष्यसूचक लेख 'द कमिंग एनार्कि' में बताते हैं कि अभाव, अपराध, अधिक आबादी, जनजातीयता और बिमारियाँ तेजी से हमारे ग्रह के सामाजिक ताने-बाने को नष्ट कर रहे हैं। आज जो बुनियादी मुद्दा है जिससे मनुष्य गुजर रहा है वो है अपवाद और असमानता की पराकाष्ठा। **इसाबेल वी० सॉहिल** ने अपने लेख 'कैपिटलिज्म एण्ड दी फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी' के प्रारम्भ की अकाट्य टिप्पणी में कहती हैं 'अमेरिका एक खिचड़ी है। कई अन्य पश्चिमी राष्ट्र भी। लोकप्रियतावाद बढ़ रहा है; क्योंकि हमारे बाजार आधारित मौजूदा उदार लोकतान्त्रिक प्रणाली हमारे नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कम उत्पादन कर रहे हैं।' वे अमेरिकी समाज के सन्दर्भ में परस्पर सम्बन्धित समस्या पर चर्चा कर रही हैं किन्तु उनके तर्क की प्रासंगिकता वैश्विक है। उदाहरण के लिए, कुछ वैश्विक समस्याओं की प्रकृति आर्थिक होती है जैसे बढ़ती असमानताएँ, स्थिर वेतनमान, रोजगार की कमी, पीढ़ियों के बीच की गतिशीलता में कमी, स्वास्थ्य और शिक्षा के निराशाजनक स्तर, सार्वजनिक और निजी ऋण के बढ़ते स्तर, स्थान आधारित असमानताएँ। कुछ अन्य समस्याओं की प्रकृति राजनीतिक होती है जैसे कि अति-पक्षपात, प्रभावपूर्ण खरीद और भ्रष्टाचार का उच्चतम स्तर, पक्षाघात और सरकार पर विश्वास में गिरावट और अन्ततः कुछ मुद्दे सांस्कृतिक होते हैं जैसे कि, प्रवासियों की नाराजगी तथा नस्ल/जातीय पहचान और लिंग पर बढ़ता तनाव। इन समस्याओं का विभक्त रूप से समाधान नहीं किया जा सकता।
वैश्विक स्तर पर इन आसन्न मुद्दों में जो योगदान दिया गया वह मानसिकता है, जो यह मानती है कि बाजार काम करते हैं परन्तु सरकारें नहीं और सरकारों को बाजारों के काम करने के लिए एक वातावरण बनाना होगा। अधिकांश आधुनिक समाजों में तीन क्षेत्र होते—राज्य, बाजार और नागरिक समाज। अधिकांश राजनीतिक दर्शनों का इन तीनों क्षेत्रों में से एक की ओर निहित पूर्वाग्रह होता है जहाँ समाजवादियों का झुकाव राज्य की ओर होता है, पूँजीवादी मुक्त बाजारों में विश्वास रखते हैं। पूँजीवाद का एक सौम्य संस्करण, जिसको हम उदार लोकतन्त्र या मिश्रित-अर्थव्यवस्था मॉडल कहते हैं, बाजारों के महत्त्व को स्वीकार करता हैं, लेकिन सरकार की बाजार की विफलताओं को सही करने और वितरण सम्बन्धी सवालों के समाधान की आवश्यकता को भी पहचानता है। इस प्रकार की मिश्रित अर्थव्यवस्था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यू० एस० में प्रचलित रही और जिसमें विश्व के कई नेताओं ने महारथ हासिल की (सॉहिल, 2020) हार्वर्ड के प्रोफेसर **माइकल सैंडल** का कहना है कि यू० एस० बाजार की अर्थव्यवस्था से निकल कर धीरे-धीरे बाजार के समाज की ओर बढ़ रहा है। यह कहना उचित होगा कि अमेरिका के साझा नागरिक जीवन का अनुभव इस बात पर निर्भर करता है कि उनके पास कितना पैसा है। बाजार अर्थव्यवस्था और बाजार समाजों ने सब कुछ बिक्री योग्य चीजों में बदल दिया है। (माइकल सैंडल की किताब *'व्हाट मनी कान्ट बाय?'* देखें) उदार लोकतान्त्रिक पूँजीवाद के विजयी मार्च ने दुनिया भर में राजनेताओं (जैसे बर्नी सैंडर्स आदि) की एक नस्ल को काफी हद तक उभारा है, जिन्होंने आज इस

प्रणाली के अभ्यास और इरादों पर प्रश्न उठाया है। दुनिया भर में अकल्पनीय और बढ़ती असमानताओं के मुद्दों से लड़ने और सम्बोधित करने के लिए समाजवाद में रुचि पुनर्जीवित होती प्रतीत होती हैं। **थॉमस पिकेटी** ने अपनी पुस्तक *'कैपिटल इन दी ट्वेंटी—फर्स्ट सेंचुरी (2013)* में तर्क दिया है कि विकसित देशों में पूँजी वापसी की दर लगातार आर्थिक विकास की दर से अधिक रह रही है और इससे भविष्य में धन-सम्पत्ति की असमानता बढ़ेगी। इस समस्या के समाधान के लिए, पिकेटी ने धन पर प्रगतिशील वैश्विक कर के माध्यम से पुनर्वितरण का प्रस्ताव रखा। हालाँकि इस प्रकार के प्रस्तावों का राजनीतिक औचित्य कमजोर है, तथ्य यह है कि इस पर भी चर्चा की जा रही है, अब मुद्दा यह है कि हम दर्शन और इसके विकल्पों के रूप में बाजार पूँजीवाद के बीच लड़ाई में एक टिपिंग बिन्दु के पास हो सकते हैं।

उदार लोकतान्त्रिक और पूँजीवादी दुनिया की व्यवस्था को उस प्रस्ताव को फिर से प्रस्तुत करने की आवश्यकता है जब बाजार सरकार/राजनीतिक प्रणाली द्वारा पूरक होते हैं। बढ़ती असमानताएँ राजनीतिक व्यवस्था से बाजार के प्रसार पर पर्दा डालने के लिए तत्काल ध्यान आकर्षित करती है। आज पहले से कहीं अधिक आर्थिक शक्ति राजनीतिक शक्ति बन गई है; जबकि नागरिकों से लगभग पूरी तरह से उनके लोकतान्त्रिक सुरक्षा और राजनीतिक अर्थव्यवस्था के हितों पर प्रभाव डालने की उनकी क्षमता छीन ली गई है तथा पूँजी स्वामियों से अतुल्नीय माँग करते हैं। वास्तव में, 1970 के दशक से लोकतान्त्रिक-पूँजीवादी संकट के क्रम को देखते हुए, कोई भी किसी नए के होने की सम्भावना से डर नहीं सकता है, हालाँकि अस्थायी पूँजीवाद में सामाजिक संघर्ष का समाधान इस बार पूर्ण रूप से अंचित वर्गों के पक्ष में है जो अब उनके राजनीतिक रूप से असंवैधानिक संस्थागत गढ़, अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय उद्योग में मजबूती से जमे हुए हैं।

(स्ट्रीक, 2011)। यह मानना बहुत ही आशावादी और हास्यस्पद होगा कि उदार लोकतन्त्र लोगों की बाते सुनने के लिए जगह बनाता है। मार्टिन गिलेंस और बेंजामिन पेज के अनुभवजन्य अध्ययन से पता चलता है कि आर्थिक संभ्रान्त वर्ग और संगठित व्यापारिक हितों का एक बड़ा प्रभाव है; जबकि औसत नागरिक का वास्तव में कोई प्रभाव नहीं है। मध्यम वर्ग के मतदाता का लोकतान्त्रिक प्रणाली में विधायी निर्णयों पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। यह उदार लोकतन्त्र की एक बहुत ही तिरस्कारपूर्ण आलोचना है; क्योंकि यह व्यक्तिगत स्वतन्त्रता सुनिश्चित करने में विफल रहता है; और लोकतान्त्रिक स्थान अन्ततः निजी/व्यावसायिक हित से अपहृत है।

दूसरी ओर, इस तथ्य पर भी विचार करना आवश्यक है कि इस अत्यन्त उदार लोकतान्त्रिक स्थान ने वैकल्पिक राजनीति को सबसे आगे आने का मौका दिया। दुनिया भर में, हम असमानता, नस्लीय/जातीय भेदभाव, लिंग आधारित उत्पीड़न आदि के खिलाफ लोगों की भीड़ में वृद्धि देखते हैं। यह उम्मीद की एक किरण है कि लोकतन्त्र अभी भी वैकल्पिक राजनीति के साथ-साथ अर्थशास्त्र के लिए एक महत्त्वपूर्ण स्थान दे सकता है। इसाबेल ने बाजार पूँजीवाद द्वारा अपहृत किए जा रहे उदार लोकतन्त्रों से दुनिया को बचाने के लिए तीन संभावित विकल्पों पर चर्चा की। वे लोकतान्त्रिक समाजवाद (अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप), लोकतान्त्रिक उदारवाद (मिश्रित अर्थव्यवस्था) और सामाजिक पूँजीवाद (सामाजिक पूँजी और विश्वास का नवीकरण) हैं। ये विकल्प एक आसन्न समस्या के प्रभावी समाधान की पेशकश कर सकते हैं जो अन्य सभी अन्तर्सम्बन्धित समस्याओं की जड़ में हैं, अर्थात् असमानता। **विलियम गैल्स्टन** के शब्दों में—"यह अकारण है कि एक निश्चित बिन्दु से परे आर्थिक असमानता उदार लोकतन्त्र के लिए खतरा है।"

प्र.5. लोकतन्त्र की परिभाषा एवं इसके विभिन्न दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए।

Describe the definition of democracy and its different perspectives.

उत्तर

लोकतन्त्र की परिभाषा
(Definition of Democracy)

विभिन्न विचारकों ने लोकतन्त्र को विभिन्न रूपों में परिभाषित किया है; यथा—

"लोकतन्त्र ऐसा शासन है जिसमें राज्य की सर्वोच्च सत्ता सम्पूर्ण जाति को प्राप्त हो" **—हेरोडोटस**

"लोकतन्त्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है।" **—अब्राहम लिंकन**

"जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लोकतन्त्र का एक सन्दर्भ है और प्रत्येक क्षेत्र में यह कई ऐसी विशेष समस्याएँ उठाता है जिन्हें सर्वव्यापक स्तर पर सन्तोषजनक ढंग से हल नहीं किया जा सकता।" **—लास्की**

"लोकतन्त्रीय व्यवस्था वह है जो सरकार को उत्तरदायी तथा नियन्त्रणकारी बनाती हो तथा जिसकी प्रभावकारिता मुख्यत: इसके नेतृत्व की योग्यता तथा कार्यशीलता पर निर्भर हो।" **—सारटोरी**

"लोकतन्त्र शासन का वह प्रकार है, जिसमें शासक समुदाय सम्पूर्ण राष्ट्र का अपेक्षाकृत एक बड़ा भाग हो।" **—डायसी**

"लोकतन्त्र ऐसी शासन प्रणाली है, जिसमें कानून की दृष्टि से राज्य की नियामक सत्ता किसी विशेष वर्ग या वर्गों के हाथों में नहीं रहती, बल्कि समुदाय के सभी सदस्यों में निहित होती हैं।" **—ब्राइस**

"लोकतन्त्र शासन का वह रूप है जिसमें राज्य के अधिकार विशेषज्ञ श्रेणी के लोगों को नहीं बल्कि समूचे समाज के लोगों को प्रदान किये जाते हैं।" **—ब्राइस**

"लोकतन्त्र सरकार का वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी होती है।" **—सीले**

"वह राज्य शासन जिसमें सर्वोच्च सत्ता में भाग लेने का अधिकार केवल जनता को ही प्राप्त हो लोकतन्त्र कहलाता है।" **—गैटेल**

इस प्रकार स्पष्ट है कि ज्यों-ज्यों राजव्यवस्थाओं और समाज का परिवर्तन होता रहा है त्यो-त्यों लोकतन्त्र का रूप बदलता रहा है। अत: इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा देना अत्यन्त दुष्कर कार्य हो गया है। एक लेखक ने कहा है कि लोकतन्त्र मस्तिष्क की उपज है और जितने अधिक मस्तिष्क होंगे लोकतन्त्र उतना ही बिखरा होगा।

लोकतन्त्र के विभिन्न दृष्टिकोण
(Different Perspectives of Democracy)

लोकतन्त्र की अवधारणा को मान्यताओं की समानता व प्रचलन के आधार पर तीन वर्गों में बाँटा जा सकता है—पश्चिमी या उदारवादी अवधारणा, समाजवादी अवधारणा व साम्यवादी अवधारणा।

I. लोकतन्त्र का पश्चिमी या उदारवादी दृष्टिकोण (Western and Liberal View of Democracy)

लोकतन्त्र की पश्चिमी अवधारणा के प्रमुख विचारक **रोबोट सी० बोन० एलेन बाल, जीन ब्लोडले, पीटर मर्कल** को माना जाता है। लोकतन्त्र की पश्चिमी अवधारणा मुख्यत: व्यक्ति की स्वतन्त्रता, राजनीतिक समानता, सामाजिक आर्थिक न्याय तथा लोक कल्याण की सिद्धि पर जोर देती है। उदारवाद और लोकतन्त्र के इस संयोग में ऐतिहासिक परिस्थितियों का विशेष हाथ रहा है। 17वीं शताब्दी के समाज के आर्थिक जीवन में पूँजीवाद को बढ़ावा दिया जिसमें उत्पादन वितरण व नियमित के साधन पूँजीपतियों के हाथों में केन्द्रित हो गए इससे बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण और शहरीकरण को बढ़ावा मिला। परिणाम यह हुआ कि एक विशाल कामगार वर्ग बड़े-बड़े औद्योगिक नगरों में केन्द्रित हो गया। खुले बाजार में प्रतिस्पर्द्धा में कामगार वर्ग की दशा लगातार खराब हो गई परन्तु यह वर्ग अपनी विशाल संख्या से जुड़ी हुई शक्ति के प्रति भी सजग हो गया। तब कामगार वर्ग ने अपनी दुर्दशा से उबरने के लिए राजनीतिक अधिकारों की माँग की। अत: उदारवादी राज्य ने मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के साथ धीरे-धीरे सार्वजनिक व्यस्क मताधिकार के सिद्धान्त को अपना लिया व उदार लोकतन्त्र की उत्पत्ति हुई। उदार लोकतन्त्र के समर्थक लोकतन्त्र की व्यवस्थाओं व प्रक्रियाओं पर विशेष बल देते हैं। पश्चिमी उदार लोकतन्त्र में मुख्यत: तीन आधार स्वीकार किए जाते हैं—दार्शनिक, सैद्धान्तिक और संस्थागत।

1. **दार्शनिक आधार**—ये उदार लोकतान्त्रिक समाजों को साध्यों, आदर्शों या मूल्यों का संकेत करते हैं। ये राजनीतिक व्यवस्थाओं के गन्तव्यों से सम्बन्ध रखते हैं। मुख्यत: उदार लोकतान्त्रिक राज्यों में चार दार्शनिक आधार स्वीकार किए जाते हैं—
   - (i) व्यक्ति की स्वतन्त्रता
   - (ii) सामाजिक व आर्थिक न्याय
   - (iii) राजनीतिक समानता
   - (iv) लोक कल्याण
2. **सैद्धान्तिक आधार**—ये आधार भी दार्शनिक आधारों की भाँति साध्यों, आदर्शों या मूल्यों की ओर संकेत करते हैं तथा दार्शनिक आधारों को व्यवहार में ठोस रूप प्राप्त कराने की व्यवस्था करते हैं। इसमें निम्न सिद्धान्तों को आवश्यक रूप से अपनाया जाता है—
   - (i) प्रतिनिधि सरकार का सिद्धान्त
   - (ii) उत्तरदायी सरकार का सिद्धान्त
   - (iii) संवैधानिक सरकार का सिद्धान्त
   - (iv) प्रतियोगी राजनीति का सिद्धान्त
   - (v) जन सम्प्रभुता का सिद्धान्त

TOUCH'n PASS

3. **संस्थागत आधार**—संस्थागत आधार साध्यों को व्यवहार में प्राप्त करने के साधनों की व्यवस्था करता है। सामान्यत: उदार लोकतन्त्रों में निम्न संस्थागत आधार पाई जाती है—
   (i) प्रतियोगी राजनीतिक दल
   (ii) सर्वव्यापी वयस्क मताधिकार
   (iii) स्वतन्त्र तथा नियमित चुनाव
   (iv) स्वाधीन तथा निष्पक्षक न्यायपालिका
   (v) बहुमत के आधार पर निर्णय।

II. लोकतन्त्र का साम्यवादी मार्क्सवादी दृष्टिकोण (Communist Marxist riew of Democracy)

यह अवधारणा 20वीं शताब्दी में उभरकर सबके सामने आई। वस्तुत: उदारवादी और साम्यवादी (मार्क्सवादी) दोनों लोकतन्त्र का समर्थन करते हैं और दोनों ही लोकतन्त्र को जनता का शासन मानते हैं। परन्तु व्यवहार के धरातल पर जनता के शासन को कैसे सार्थक किया जा सकता है इस विषय पर दोनों में मतभेद है। उदारवाद के समर्थक लोकतन्त्र को उसकी संस्थाओं और प्रक्रियाओं से पहचानते हैं। जिसमें निर्वाचित विधानमण्डल, व्यस्क मताधिकार, सत्ता प्राप्ति के लिए अनेक राजनीतिक दलों की प्रतिस्पर्धा, नियतकालिक चुनाव, विचार अभिव्यक्ति संगठन सभा करने की स्वतन्त्रता इत्यादि शामिल हैं; जबकि साम्यवाद के समर्थक लोकतन्त्र के सिद्धान्त या लक्ष्य को प्रमुख स्थान देते हैं और इसकी कसौटी यह है कि शासन जनसाधारण के हित में कार्य करें और उसमें जनसाधारण का शोषण ना हो दूसरे शब्दों में उदारवादी विचारक लोकतन्त्र व पूँजीवाद संस्थाओं में कोई विरोध नहीं देखते । परन्तु मार्क्सवादी विचारक समाज की आर्थिक संरचना को सारे सामाजिक सम्बन्धों का आधार मानते हुए यह तर्क देते हैं कि जब तक समाज की संरचना लोकतन्त्रीय नहीं होगी तब तक राजनीतिक स्तर पर लोकतन्त्र केवल आडम्बर बना रहेगा। अत: वे लोकतन्त्र की सार्थकता के लिए समाजवाद को अनिवार्य मानते हैं। उनका दावा है कि उत्पादन के प्रमुख साधनों पर समाज का स्वामित्व व नियन्त्रण स्थापित कर देने से धनवान व निर्धन वर्गों की दूरी मिट जाएगी और समाज का स्वरूप लोकतान्त्रिक हो जाएगा। इसके लिए साम्यवादी निम्न व्यवस्थाओं को स्थापित करना चाहते हैं—

1. उत्पादन व वितरण के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व।
2. सम्पत्ति का समान वितरण
3. सर्वहारा वर्ग का अधिनामकतन्त्र
4. साम्यवादी कल (लोकतान्त्रिक केन्द्रवाद)

इन सभी व्यवस्थाओं में साम्यवादी सर्वहारा वर्ग के अधिनायकतन्त्र को सर्वाधिक महत्त्व देते हुए इसे ठोस लोकतन्त्र की संज्ञा देते हैं। सर्वहारा का अधिनायकतन्त्र एक ऐसे राज्य की ओर संकेत है जिसमें सर्वहारा अर्थात् निर्धन बहुसंख्यक कामगार वर्ग का प्रभुत्व होगा। इस अधिनायकवाद की स्थापना तब होती है जब सर्वहारा वर्ग के लोग क्रान्ति करके पूँजीवादी व्यवस्था को धराशाही कर देते हैं। साम्यवादियों का मानना है यदि लोकतन्त्र का अर्थ बहुमत का शासन है तो पूँजीवादी व्यवस्था में लोकतन्त्र सम्भव ही नहीं है; क्योंकि वहाँ मुट्ठीभर पूँजीपति बहुत बड़े कामगार वर्ग पर शासन करते हैं। यह प्रभुत्व मानवीय स्वतन्त्रता के लिए घातक है। इसके विपरीत सर्वहारा के अधिनायकतन्त्र में समाजवादी उत्पादन प्रणाली के अन्तर्गत अल्पमत (पूँजीपति वर्ग) पर बहुमत (कामगार वर्ग) का प्रभुत्व रहेगा। अत: सर्वहारा का अधिनायकतन्त्र इसलिए ठोस लोकतन्त्र हैं क्योंकि इसका ध्येय लोक शक्ति का प्रभुत्व स्थापित करना है। साम्यवादियों का मानना है कि सर्वहारवर्ग के अधिनायकतन्त्र के अन्तर्गत शासन लोकतन्त्रीय केन्द्रवाद के सिद्धान्त के अनुरूप चलाया जायेगा। इस सिद्धान्त का प्रयोग साम्यवाद दल द्वारा किया जायेगा। इस सिद्धान्त की नींव सोवियत संघ के संस्थापक नेता वी० आई० लेनिन ने रखी थी। तथा इसका तात्पर्य यह है कि दल या शासन के निचले अंग क्रमश: अपने ऊँचे अंगों का निर्वाचन करेंगे व उच्च अंगों के निर्णयों का पालन करने को बाध्य होंगे।

III. लोकतन्त्र का समाजवादी दृष्टिकोण (Socialist View of Democracy)

अभी हमने पहली (उदारवादी) और दूसरी (साम्यवादी) दुनिया के देशों में लोकतन्त्र के प्रति दृष्टिकोण की चर्चा की किन्तु तीसरी दुनिया (विकासशील देश) में लोकतन्त्र के प्रति कुछ भिन्न प्रकार का दृष्टिकोण देखा गया। इसमें उदारवादी व साम्यवादी दोनों दृष्टिकोणों की मान्यताओं व लक्षणों को अपनाया गया। समाजवादी लोकतन्त्रों में राजनीतिक समाजों के मूल्य उदारवादी लोकतन्त्रों की संकल्पना के समान स्वतन्त्रता, राजनीतिक समानता, सामाजिक व आर्थिक न्याय तथा लोक कल्याण की साधना के होते हैं किन्तु साधनों को दृष्टि से ये लोकतन्त्र साम्यवादी संकल्पना के समीप होते हैं। यही कारण है कि अनेक नवोदित राज्यों में लोकतन्त्र का एक नया रूप विकसित होता हुआ दिखाई देता है किन्तु यह नया रूप सभी राज्यों में समान नहीं होता। कई ऐसे राज्य है जहाँ लोकतन्त्र की संस्थागत व्यवस्थाएँ व राजनीतिक समाज के आदर्श एक ही दिशा में जाने वाले होते जा रहे हैं। इन्हीं राज्यों

के लोकतन्त्र को समाजवादी लोकतन्त्र के नाम से जाना जाता है। लोकतन्त्र का समाजवादी दृष्टिकोण के तहत लोकतन्त्र को अनेक रूपों में देखा गया है। जैसे जनवादी लोकतन्त्र, बुनियादी लोकतन्त्र, निर्देशित लोकतन्त्र इत्यादि।

दूसरे विश्व युद्ध (1939-45) के बाद जब पूर्वी यूरोप के देशों मुख्यत: हंगरी, पोलैण्ड, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया में तत्कालीन सोवियतसंघ की छत्रछाया में समाजवादी प्रणालियाँ स्थापित की गई तो उन्हें 'जनवादी लोकतन्त्र' की संज्ञा दी गई। इसे उदार लोकतन्त्र से अलग माना गया; क्योंकि उसमें पूँजीवादी राजनीतिक दलों व पूँजीपतियों के हितों की प्रधानता रहती है। दूसरी ओर इसे सोवियत संघ के सर्वहारा लोकतन्त्र के साथ भी नहीं मिलाना चाहिए; क्योंकि इसके अन्तर्गत सर्वहारा वर्ग अपनी शक्ति का प्रयोग किसी अन्य वर्ग के साथ मिल बाट कर नहीं करता अर्थात् वहाँ सर्वहारा वर्ग का एक छत्र राज रहता है। परन्तु जनवादी लोकतन्त्र के अन्तर्गत बुजफ्रआ, किसान और सर्वहारा वर्ग अपनी मिली जुली सरकार बनाते हैं हालाँकि उसमें सर्वहारा वर्ग की प्रधानता रहती है। मतलब यह है कि पूर्वी यूरोप के जनवादी लोकतन्त्र की सरकारों में साम्यवादी दलों के साथ-साथ गैरसाम्यवादी दलों को भी सम्मिलित कर लिया गया था। इसी प्रकार के एक और लोकतन्त्र "निर्देशित लोकतन्त्र" का विचार 1957 में इण्डोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति सुकर्ण ने रखा था। यह लोकतन्त्र का एक संशोधित रूप माना जा सकता है जिसमें प्रतिनिधित्व की जगह परामर्श को विशेष महत्त्व दिया जाता है। राष्ट्रपति सुकर्ण ने तर्क दिया कि लोकतन्त्र का पश्चिमी प्रतिरूप ऐसे देश के लिए उपयुक्त नहीं होगा। जिस में साक्षरता और समृद्धि का स्तर बहुत निम्न हो। तथाकथित निर्देशित लोकतन्त्र के अन्तर्गत लोकप्रिय नेता विभिन्न व्यवसायों के प्रतिनिधियों से परामर्श करके अधिकांश निर्णय अपने विवेक से करता है।

लोकतन्त्र के चरण या लहरें—सैमुअल हटिंग्टन ने अपनी रचना *"The Third wave Democratization in the Late Twentieth Century"* में लिखा है कि विश्व में लोकतन्त्र के विकास की तीन चरण या लहरे रही है—

1. **पहली लहर** (1828-1926)—इस चरण में 30 देशों ने न्यूनतम रूप से लोकतान्त्रिक संस्थाओं की स्थापना की। इसमें फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाड़ा, जर्मनी, न्यूजीलैण्ड जैसे देश लोकतान्त्रिक हुए।
2. **दूसरी लहर** (1943-1962)—इस चरण में इटली, पश्चिमी जर्मनी, भारत, जापान, इजराइल जैसे देश लोकतान्त्रिक हुए हैं। इस काल में निर्मित नई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाएँ इतनी मजबूत नहीं थी।
3. **तीसरी लहर** (1974)—स्पेन, पुर्तगाल, चीली, अर्जेंटीना और पूर्वी यूरोप के अन्य देश लोकतान्त्रिक हुए जो पहले साम्यवाद थे।
4. **अरब बसन्त** (Arab Spring) **व लोकतन्त्र की चौथी लहर**—लोकतन्त्र की चौथी लहर या अरब बसन्त की अवधारणा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश जूनियर द्वारा प्रस्तुत की गई थी। जिसके तहत अरब देशों में 2010-13 तक प्रजातन्त्र, स्वतन्त्र चुनाव, मानव अधिकार, बेरोजगारी एवं शासन परिवर्तन के लिए किए गए प्रदर्शन विरोध व क्रान्तिकारी जन आन्दोलनों को स्वीकार किया गया था। अरब बसन्त नाम का प्रयोग प्रथम बार 6 जून 2011 को अमेरिकी जर्नल 'The Foreign Policy' में **माक्रलिंच** ने अपने लेख में किया। इस आन्दोलन की शुरुआत ट्यूनीशिया की क्रान्ति से हुई और शीघ्र ही यह आन्दोलन मिश्र, लीबिया, यमन, बहरीन, सीरिया, अल्जीरिया, इराक, जार्डन, मोरक्को, सूडान, ओमान, सऊदी अरब इत्यादि देशों में फैल गया। कुछ विद्वानों ने इसे लोकतन्त्र की चौथी लहर का नाम भी दिया । अरब देशों में चली आ रही तत्कालीन प्रशासन व्यवस्था एवं सरकार में बदलाव लाना अरब का मुख्य उद्देश्य था और इस आन्दोलन के लिए निम्न कारण उत्तरदायी रहे; जैसे—अधिनायक वादी शासन व्यवस्थाएँ, मानवाधिकारों का उल्लंघन, राजनैतिक भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, प्रशासन में नौकरशाही का हावी होना इत्यादि। अरब आन्दोलनकारियों ने विरोध के लिए अहिंसात्मक वह हिंसात्मक दोनों तरीके अपनाए। यमन के **तवकॉल करमान** को 2011 का नोबेल शांति पुरस्कार अरब बसन्त में शान्तिपूर्ण विरोध के आयोजन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए संयुक्त रूप से दिया गया। अरब बसन्त के माध्यम से अरब देशों में जो प्रजातन्त्र व सुधारों की क्रान्तिकारी लहर चली उससे वर्षों से चली आ रही तानाशाही सरकारों का अन्त हुआ और सभी अरब देशों में सुधारात्मक दृष्टिकोण की ओर ध्यान दिया जाने लगा; जैसे—
5. ट्यूनीशिया के जैनुअल आब्दीन अली मिश्र के होस्नी मुबारक, लीबिया के कर्नल गद्दफी एवं यमन के शाह अब्दुल्ला का तख्ता पलट दिया गया व नई सरकारें बनी।
6. कुवैत, लेबनान, ओमान व बहरीन ने भी विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए अपने प्रशासन में कई सुधार किए।
7. मोरक्को एवं जॉर्डन में संवैधानिक सुधारों की क्रियान्विती हुई।
8. अल्जीरिया में 19 वर्ष पूर्व लागू की गई आपातकालीन स्थिति को हटाया गया।

TOUCH-N-PASS

प्र.6. लोकतन्त्र के विभिन्न सिद्धान्तों का वर्णन कीजिए।
Describe the various principles of democracy.

उत्तर

लोकतन्त्र के सिद्धान्त
(Principles of Democracy)

लोकतन्त्र के विकास की एक लम्बी परम्परा है किन्तु कार्य रूप में लोकतन्त्र की सम्भावना प्रतिनिधित्व एवं निर्वाचन के विचार नियमों को स्वीकार करने के कारण हो सकी। इस दिशा में **जे० एस० मिल०** सहित अनेक उपयोगिता वादियों ने योगदान दिया। इन सब के परिणामस्वरूप पश्चिम में लोकतन्त्र को एक सर्वमान्य शासन व्यवस्था के रूप में स्वीकार एवं आत्मसात कर लिया गया। ज्यों-ज्यों लोकतन्त्र को कार्य रूप दिया गया त्यों-त्यों उसकी अनेक दुर्बलताएँ, सीमाएँ एवं बाधाएँ भी सामने आयी। राजवेत्ताओं ने विभिन्न दृष्टिकोणों से इन पर विस्तार से विचार किया और अनेक वैचारिक व क्रियात्मक समाधान सुझाए। इस व्यापक विचार मंथन के फलस्वरूप लोकतन्त्र के अनेक सिद्धान्त सामने आए—

1. लोकतन्त्र का परम्परागत सिद्धान्त
2. लोकतन्त्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धान्त
3. लोकतन्त्र का बहुलवादी सिद्धान्त
4. लोकतन्त्र का सहभागी सिद्धान्त

प्लेटो और अरस्तू ने कुछ प्राचीन यूनानी नगर राज्य में विशेषत: एथेंस में लोकतन्त्र को सक्रिय रूप में देखा परन्तु प्राचीन यूनानी नगर राज्यों में लोकतन्त्र का जो रूप प्रचलित था उसे आदर्श शासन प्रणाली नहीं माना जा सकता था। प्लेटो ने स्वयं कहा था कि "जनसाधारण इतने शिक्षित नहीं होते कि वे सर्वोत्तम शासकों व सबसे बुद्धिमतापूर्ण नीतियों का चयन कर सके।" फिर अरस्तु ने भी लोकतन्त्र को "बहुत सारे लोगों के शासन" के रूप में पहचाना। यह बहुत सारे लोग साधारणत: निर्धन अशिक्षित और असंस्कृत थे। जिसमें योग्यता का नितान्त अभाव था। एक आदर्श तथा स्थिर शासन प्रणाली की तलाश करते करते अरस्तु इस निष्कर्ष पर पहुँच की आदर्श शासन प्रणाली "अभिजात तन्त्र और लोकतन्त्र" का मिश्रण होना चाहिए जिसे उसने "**मिश्रित संविधान**" (Mixed Constitution) का नाम दिया। अर्थात् आदर्श शासन प्रणाली वह होगी जिसमें सत्ता तो कुलीन वर्ग के हाथ में रहेगी परन्तु शासन की नीतियों के लिए जनसाधारण की सहमति आवश्यक होगी। इस प्रकार अरस्तु ने स्वयं तो लोकतन्त्र को नहीं सराहा किन्तु आदर्श शासन प्रणाली में उसे उपयुक्त स्थान देने का समर्थन अवश्य करता है।

1. लोकतन्त्र का परम्परागत सिद्धान्त (Traditional Theory of Democracy)

लोकतन्त्र के उदारवादी या परम्परागत (चिरसम्मत) सिद्धान्त की परम्परा में स्वतन्त्रता, समानता, अधिकार, धर्मनिरपेक्षता तथा न्याय जैसी अवधारणाओं का प्रमुख स्थान रहा है। उदारवादी चिन्तक आरम्भ से ही इन अवधारणाओं को मूर्त रूप से देने वाली सर्वोत्तम प्रणाली के रूप में लोकतन्त्र की वकालत करते रहे हैं। समान्तवाद से मुक्ति के बाद समाज के संचालन की दृष्टि से लोकतन्त्र को स्वभाविक राजनीतिक प्रणाली के रूप में स्वीकार किया गया। लोकतान्त्रिक भावना की सही शुरुआत सामाजिक संविदा के जन्म के साथ हुई। **थॉमस हॉब्स** ने अपनी पुस्तक **लेवियाथन (1651)** में प्रमुख लोकतान्त्रिक सिद्धान्तों की वकालत करते हुए लिखा कि सरकार का निर्माण जनता द्वारा एक सामाजिक संविदा के तहत होती है। **लॉक** ने लिखा कि सरकार को सत्ता प्राप्त करने के लिए लगातार नागरिकों की सहमति प्राप्त करनी चाहिए। इसी प्रकार से **एडम स्मिथ** ने मुक्त बाजार का प्रतिमान इस लोकतान्त्रिक आधार पर प्रस्तुत किया कि प्रत्येक व्यक्ति को उत्पादन करने, खरीदने और बेचने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। **रूसो** ने लोकतन्त्र की आत्मा के रूप में अपना "साामान्य इच्छा का सिद्धान्त" प्रतिपादित किया। प्रसिद्ध उपयोगिता वादी दार्शनिक **बेंथम** व **मिल** ने पूरी तरह से लोकतन्त्र का समर्थन किया और उपयोगितावाद के माध्यम से लोकतन्त्र को प्रभावी बोधिक का आधार प्रदान किया। उनके अनुसार लोकतन्त्र "अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख" को अधिकतम संरक्षण प्रदान करता है। जे० एस० मिल ने प्रतिपादित किया की लोकतन्त्र किसी भी अन्य शासन की तुलना में मानव जाति के नैतिक विकास में सर्वाधिक योगदान प्रदान करता है। इन उपयोगिता वादी विचारकों ने प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र, संवैधानिक सरकार, बहुमत का शासन, गुप्त मतदान इत्यादि कई तरीके बताएँ जिनके द्वारा लोकतन्त्र को सुनिश्चित किया जा सकता है। 20वीं शताब्दी में अर्नेस्ट बाकर, लिंडसे, लास्की, पिनोक आदि विचारक इस सिद्धान्त के प्रबल समर्थक माने जा सकते हैं। 18वीं शताब्दी की अमेरिकी एवं फ्रांसीसी क्रान्तियों द्वारा लोकतन्त्र के सिद्धान्तों को व्यावहारिक रूप प्रदान करने का प्रयास किया गया।

TOUCH 'n' PASS

लोकतन्त्र के परम्परागत सिद्धान्त की विशेषताएँ—इस सिद्धान्त की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं—

(i) मनुष्य विवेकशील है इसलिए अपना अच्छा बुरा जानता है।

(ii) राजनैतिक सत्ता जनता की अमानत है।

(iii) सरकार का उद्देश्य सामान्य जन का भला करना तथा व्यक्ति का चहुँमुखी विकास करना है।

(iv) सरकार सीमित व जनता के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए।

(v) विचार व अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता होनी चाहिए व सरकार द्वारा लोकमत का आदर किया जाना चाहिए।

आलोचना—इस सिद्धान्त की आलोचनाएँ निम्नलिखित हैं—

(i) यह सिद्धान्त मानकर चलता है कि सभी मनुष्य विवेकशील है इसलिए शासन के संचालन में जन सहभागिता होनी चाहिए; जबकि लार्ड ब्राइस, ग्राहम वालेस इत्यादि विचारक मानते हैं कि मनुष्य उतना विवेकशील, तटस्थ व सक्रिय नहीं है जितना कि इस सिद्धान्त के तहत उसे मान लिया गया है। आलोचक कहते हैं कि यदि लोकतन्त्र को बचाना है तो उसे जनता के शासन से दूर रखो।

(ii) लोकतन्त्र से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सामान्य हित में काम करेगा लेकिन किसी भी समाज में सामान्य हित विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न अर्थ रख सकता है।

(iii) यह सिद्धान्त मूल्यों तथा आदर्शों पर अधिक ध्यान देता है। राजनैतिक वास्तविकताओं पर कम। यह ऊँचे आदर्शों जैसे सामान्य इच्छा, लोगों का शासन, सामान्य कल्याण आदि से भरा पड़ा है। जिन्हें प्रयोगात्मक परीक्षण का विषय नहीं बनाया जा सकता। ये सभी शब्द भ्रामक हैं।

(iv) यह सिद्धान्त राजनीतिक समानता पर बल देता है; जबकि व्यावहारिक स्तर पर राजनैतिक समानता का हो पाना सम्भव नहीं होता।

(v) यह सिद्धान्त राजनीति में नेताओं, शासन करने वाले विशिष्ट वर्ग तथा संगठित संस्थाओं को उचित महत्त्व प्रदान नहीं करता।

2. लोकतन्त्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धान्त (Elite Theory of Democracy)

लोकतन्त्र के परम्परागत उदारवादी सिद्धान्त ने सरकार के कार्यों में राजनीतिक समानता और व्यक्तिगत भागीदारी को जो केन्द्रीय महत्त्व दिया था। वह 20वीं शताब्दी के लेखकों द्वारा आलोचना का शिकार हो गया। 20वीं शताब्दी के आरम्भिक दौर में इटली के दो प्रसिद्ध समाज वैज्ञानिक—**विल्फेड़ो पैरेटो** (1848-1923) और **गीतानों मोस्का** (1858-1941) ने यह सिद्धान्त प्रस्तुत किया कि किसी भी समाज या संगठन के अन्तर्गत महत्त्वपूर्ण निर्णय केवल गिने-चुने लोग ही करते हैं, चाहे उस संगठन का बाहरी रूप कैसा भी क्यों ना हो। यह सिद्धान्त विशिष्ट वर्गीय सिद्धान्त कहलाया। मूलत: विशिष्ट वर्गीय सिद्धान्त समाज विज्ञान के क्षेत्र में यह व्याख्या देने के लिए विकसित किया गया कि सामाजिक संगठन के भीतर मनुष्य किस तरह व्यवहार करते हैं। इसी प्रकार जर्मन समाज वैज्ञानिक **रॉबर्ट मिशेल्स** (1876-1936) ने "गुटतन्त्र का लोह नियम" (Iron law of Oligarchy) का प्रतिपादन किया और उन्होंने तर्क दिया कि अधिकांश मनुष्य स्वभाव से जड़ आलसी और दब्बू होते हैं। जो अपना शासन स्वयं चलाने में समर्थ नहीं होते। परन्तु उनके नेता बड़े कर्मठ दबंग और चतुर होते हैं। जो अपनी वाक्यपटुता एवं वक्तृत्व के बल पर लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करके सत्ता पर अधिकार जमा लेते हैं। अत: इस प्रकार समाज में चाहे कोई भी शासन प्रणाली क्यों ना अपनाई जाए वह अवश्य ही गुटतन्त्र (Oligrachy) या इने-गिने लोगों के शासन का रूप धारण कर लेती है।

अत: इस प्रकार से यह सिद्धान्त विशिष्ट वर्ग या अभिजन शब्द का प्रयोग किसी समूह के ऐसे अल्पसंख्यक वर्ग के लिए करता है जो कुछ कारकों की वजह से समुदाय में विशिष्ट हैसियत रखते हैं। यह अल्पसंख्यक वर्ग समाज में सत्ता के वितरण में अग्रणी भूमिका निभाता है। इस सिद्धान्त का मुख्य आधार यह मानता है कि समाज में दो तरह के लोग होते हैं—गिने चुने विशिष्ट (अभिजन) लोग तथा विशाल जनसमूह। विशिष्ट लोग हमेशा शिखर तक पहुँचते हैं; क्योंकि वे सारी अर्हताओं से सम्पन्न सर्वोत्तम लोग होते हैं। बहुसंख्यक समूह विशिष्ट वर्ग द्वारा मनमाने ढंग से नियन्त्रित व निर्देशित होता है। इन समाजवैज्ञानिक सिद्धान्तों ने लोकतन्त्र की सम्भावनाओं को चुनौती देते हुए इस समस्या पर नए सिरे से विचार करते हुए उदार लोकतन्त्र की नई व्याख्या प्रस्तुत की जिसमें इस विशिष्टवर्गीय सिद्धान्त की मान्यताओं को भी उपयुक्त स्थान दिया गया। उन्होंने जो विचार प्रस्तुत किए उन्हें सामूहिक रूप से "लोकतन्त्र का विशिष्टवर्गीय सिद्धान्त" कहा जाता है। इसमें मैन्हाइम, शुम्पीटर, आरों तथा सारटोरी के विचार

विशेष स्थान रखते हैं। सारटोरी ने लोकतन्त्र में नेताओं की भूमिका को विशेष महत्त्व दिया। उन्होंने अपनी पुस्तक **"The Democratic Theory"** (1958) में लिखी कि "लोकतन्त्र को असली खतरा नेतृत्व के अस्तित्व से नहीं, बल्कि नेतृत्व के अभाव से है। इसी प्रकार मैन्हाइम ने विशिष्ट वर्ग के शासन व लोकतान्त्रिक शासन में तालमेल बैठाने के लिए सुझाव दिया कि नेताओं का चुनाव योग्यता के आधार पर होना चाहिए तथा जनसाधारण व विशिष्ट वर्ग के बीच की दूरी कम की जानी चाहिए।

लोकतन्त्र के विशिष्टीवर्गीय सिद्धान्त की मुख्य विशेषताएँ
(Main Features of Specialization Theory of Democracy)

इस सिद्धान्त की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

(i) लोग समान रूप से योग्य नहीं होते अत: विशिष्ट वर्ग व जन साधारण का निर्माण अपरिहार्य है।

(ii) अपनी उच्चतर योग्यताओं के बल पर विशिष्ट वर्ग सत्ता नियन्त्रण व सत्ता विवरण में मुख्य भूमिका निभाता है।

(iii) विशिष्ट वर्ग अनवरत एक जैसा नहीं रहता। इस वर्ग में नए लोग शामिल होते हैं और पुराने बाहर हो जाते हैं।

(iv) बहुसंख्यक जनसमुदाय में अधिकांश भाव शून्य, आलसी व उदासीन होते हैं। इसलिए एक ऐसे अल्पसंख्यक वर्ग का होना आवश्यक है जो नेतृत्व प्रदान कर सके।

(v) आधुनिक युग में विशिष्ट वर्ग में मुख्य रूप से बुद्धिजीवी, औद्योगिक प्रबन्धक व नौकरशाह होते हैं।

अत: इस प्रकार यह सिद्धान्त मानता है कि राजनैतिक नेतृत्व चुनिन्दा सक्षम लोगों के हाथ में होना चाहिए। यह सिद्धान्त लोगों की अति सहभागिता को भी खतरनाक मानता है। इसलिए इस सिद्धान्त की मान्यता है कि लोकतान्त्रिक व उदारवादी मूल्यों को बचाए रखने के लिए जनसमूह को राजनीति से अलग रखना जरूरी है। यह सिद्धान्त लोकतन्त्र को विशिष्ट वर्गों के बीच होने वाली प्रतिद्वन्दिता व प्रतिस्पर्धा के रूप में देखता है और जिसमें जनता द्वारा केवल यह निर्णय लिया जाता है कि कौन–सा विशिष्ट वर्ग उन पर शासन करेगा।

लोकतन्त्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धान्त की कई विचारकों ने आलोचना की जिनमें सी० बी० मैक्फर्सन, बैरी होल्डन, राबर्ट डाहल, क्रिश्चियन बे, बाटोमोर गोल्ड स्मिथ आदि प्रमुख हैं। इस सिद्धान्त के विरुद्ध निम्न आपत्तियाँ प्रतिपादित की गई हैं।

(i) यह सिद्धान्त लोकतन्त्र का अर्थ ही विकृत कर देता है। इसके अनुसार लोकतन्त्र का अर्थ केवल जनता द्वारा प्रतिनिधियों का चुनना भर है; जबकि लोकतन्त्र का अर्थ जनसहभागिता व उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना है। यह सिद्धान्त लोकतन्त्र के इस पक्ष की अवहेलना कर केवल एकांगी व एक पक्षीय अध्ययन को प्रस्तुत करता है।

(ii) यह सिद्धान्त लोकतन्त्र की पुरातन अवधारणा के नैतिक पक्ष को समाप्त कर देता है। पुरातन अवधारणा के अनुसार लोकतन्त्र का लक्ष्य जनकल्याण व मानवजाति का उन्नयन है; जबकि यह सिद्धान्त अल्पसंख्यक विशिष्ट वर्ग के लाभ व हितों पर ही समस्त चिन्तन केन्द्रित करता है।

(iii) विशिष्टवर्गीय सिद्धान्त सहभागिता, जो लोकतान्त्रिक शासन का केन्द्रीय तत्त्व है, का महत्त्व घटा देता है और दावा करता है कि जन सहभागिता सम्भव है ही नहीं।

(iv) यह सिद्धान्त एक सामान्य व्यक्ति को राजनैतिक दृष्टि से अक्षम और निष्क्रिय मानता है जिसका कार्य केवल विशिष्ट वर्ग का चुनाव करना होता है। मनुष्य से सम्बन्धित यह विश्लेषण एकांकी व एक पक्षीय है।

(v) यह सिद्धान्त लोकतान्त्रिक प्रक्रिया के द्वारा मौलिक परिवर्तन लाने के स्थान पर स्थायित्व बनाए रखने पर विशेष बल देते हैं। यह सामाजिक आन्दोलनों को लोकतन्त्र के लिए खतरा मानता है।

3. लोकतन्त्र का बहुलवादी सिद्धान्त (Pluralistic Theory of Democracy)

बहुलवादी सिद्धान्त की उत्पत्ति विशिष्टवर्गीय सिद्धान्त की आंशिक प्रतिक्रिया के रूप में हुई। विशिष्टवर्गीय सिद्धान्त एक ऐसी स्थिति के निर्माण से सन्तुष्ट है जिसमें सत्ता ऐसे विशिष्ट वर्ग में निहित होती है जो महत्त्वपूर्ण निर्णय लेता है; जबकि बहुलवाद का मानना है कि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अपेक्षाकृत स्वायत्त समूहों के बीच सौदेबाजी की प्रक्रिया है। जिसके अन्तर्गत ये समूह आपस सौदेबाजी करके ऐसी नीतियों के लिए अपनी सहमति व्यक्त करते हैं जिनसे उनके परस्पर विरोधी हितों में समायोजन स्थापित हो सके। बहुलवाद की अवधारणा वैसे तो पुरानी है किन्तु इसको सशक्त अभिव्यक्ति 20वीं शताब्दी में देखी गई। सामान्य अर्थ में बहुलवाद सत्ता को समाज में एक छोटे से समूह तक सीमित करने के बदले उसे प्रसारित और विकेन्द्रीत मानता है। आधुनिक औद्योगिक और प्रौद्योगिक काल में बहुवादियों के अनुसार सत्ता विखण्डित हो गई है और इसमें प्रतियोगी सार्वजनिक और निजी

TOUCH'n'PASS

समूहों की साझेदारी बढ़ गई है। उच्च स्थानों पर आसीन लोगों के पास पूर्व की भाँति सत्ता नहीं रह गई हैं। लोकतन्त्र की बहुलवादी अवधारणा का विकास मुख्य रूप से अमेरिका में हुआ। इसके प्रणेताओं में एस० एम० लिण्डसेर, राबर्ट डाहल, प्रेस्थस, एफ हंटर आदि प्रमुख है। **एफ० ए० बेंटली** ने अपनी पुस्तक *The Process of Government (1908)* में विचार दिया कि लोकतन्त्र एक ऐसा राजनीति खेल है जिसमें तरह-तरह के समूह हिस्सा लेते हैं। बहुलवादी विचारकों का मानना है कि राजनीतिक सत्ता उतनी सरल नहीं होती जितनी वह दिखाई देती है। यह विभिन्न समूहों, संगठनों, वर्गों, संघों सहित विशिष्ट वर्ग जो आमतौर पर समाज का नेतृत्व प्रदान करता है, के बीच बंटी हुई है।

बहुलवादी सिद्धान्त की विशेषताएँ—बहुलवादी सिद्धान्त की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

(i) यह सिद्धान्त राज्य को एक समुदाय मानता है। मानव जीवन के अनेक पहलुओं पर विभिन्न संघों का नियन्त्रण रहता है। ये संघ राज्य की शक्ति पर रोक लगाते हैं तथा इन संघों से पृथक राज्य विशिष्ट कार्यों का सम्पादन करता है।

(ii) यह सिद्धान्त साधारण समाज की निष्क्रियता को केवल एक तथ्य ही नहीं बल्कि राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए आवश्यक भी मानना है।

(iii) यह सिद्धान्त नागरिकों को तोड़ने का अधिकार देता है जो राजनीतिक विशिष्ट जनों के व्यवहार को सन्तुलित बनाए रखने व उन्हें निरकुंश बनने से रोकता है।

आलोचना—इस सिद्धान्त की निम्नलिखित आलोचनाएँ हैं—

(i) यह सिद्धान्त रूढिवाद को बढ़ावा देता है।

(ii) यथास्थितिवादी है।

(iii) मानवीय विकास के लिए उपयुक्त नहीं।

4. लोकतन्त्र का सहभागी सिद्धान्त (Participatory Theory of Democracy)

इस सिद्धान्त की उत्पत्ति का श्रेय 1960 के बाद मैक्फर्सन, फैरोल, पैटमैन तथा पोनांजे जैसे विचारकों को जाता है। इस सिद्धान्त का विकास विशिष्टवर्गीय तथा बहुलवादी सिद्धान्तों के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। यह दृष्टिकोण प्रशासन के चलाने में नागरिकों के अधिक से अधिक भागीदारी को बढ़ाये जाने पर बल देता है। इस सिद्धान्त के अनुसार राजनीतिक सहभागिता लोकतन्त्र का बुनियादी लक्षण है। यह एक ऐसी गतिविधि है, जिससे अन्तर्गत कोई व्यक्ति सार्वजनिक नीतियाँ व निर्णयों के निर्माण, निरूपण तथा क्रियान्वयन की प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेता है।

सहभागी लोकतन्त्र की विशेषताएँ—सहभागी लोकतन्त्र की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

(i) विधायिकाओं, लोकसेवाओं, राजनीतिक दलों का लोकतान्त्रिकरण हो जिससे समाज को उत्तरदायी युक्त बनाए जा सके।

(ii) शक्तियों का विकेन्द्रीकरण हो व नीतियों के निर्माण व शासन कार्यों में लोगों की भागीदारी बढ़े।

(iii) राजनीतिक मुद्दों व निर्णयों का समाजीकरण हो ताकि समाज के सभी व्यक्ति उसमें अपने हितों का निरीक्षण कर सके।

(iv) लोकतान्त्रिक निर्णय में नए आयामों की सम्भावना को सुरक्षित करने के लिए राज्य की संस्थात्मक व्यवस्था खुली होनी चाहिए।

आलोचना—इस सिद्धान्त की निम्नलिखित आलोचनाएँ हैं—

(i) समाज को राजनीति के प्रति जागरूक बनाने के लिए सहभागिता को बढ़ावा देना आवश्यक है। किन्तु सहभागिता हमेशा सकारात्मक हो यह आवश्यक नहीं।

(ii) सहभगिता बढ़ जाने से गुणात्मकता का अभाव हो सकता है। जिससे निर्णय लेने की समस्या बढ़ सकती है।

(iii) राजनीतिक सहभागिता बढ़ जाने से राजनीतिक व्यवस्था के अतिभार होने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में व्यवस्था सभी कार्यों को निपटाने में असक्षम हो सकती है।

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्र.1. ''एक बार बोलने वाला हमेशा वक्ता ही रहता है'' यह वाक्यांश किससे सम्बन्धित है?

(क) यू०एस०ए० (ख) फ्रांस (ग) भारत (घ) ग्रेट ब्रिटेन

उत्तर (घ) ग्रेट ब्रिटेन

TOUCH 'n' PASS

प्र.2. किस प्रधानमन्त्री को 'ग्रेट ब्रिटेन की लौह महिला' के रूप में सलाम किया जाता है?

(क) टोनी ब्लेयर (ख) क्रॉमवेल

(ग) आरे (घ) क्लेरेंडन डी० मार्गरेट थैचर

उत्तर (घ) क्लेरेंडन डी० मार्गरेट थैचर

प्र.3. ग्रेट ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमन्त्री—

(क) टोनी ब्लेयर (ख) क्रॉमवेल (ग) आरे क्लेरेंडना (घ) मार्गरेट थैचर

उत्तर (घ) मार्गरेट थैचर

प्र.4. ग्रेट ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमन्त्री मार्गरेट थैचर का सम्बन्ध है—

(क) कंजवेर्टिव पार्टी (ख) श्रमिकों का दल

(ग) लिबरल पार्टी (घ) सोशलिस्ट पार्टी

उत्तर (क) कंजवेर्टिव पार्टी

प्र.5. ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमन्त्री ने द्वितीय विश्व युद्ध में देश को विजय दिलाई?

(क) ग्लैडस्टोन (ख) जॉर्ज ब्राउन

(ग) मार्गरेट थैचर (घ) विंस्टन चर्चिल

उत्तर (घ) विंस्टन चर्चिल

प्र.6. 'कंगारू-बंद' का मतलब है—

(क) चर्चा के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण विधेयकों का चयन करने की अध्यक्ष की शक्ति

(ख) स्पीकर घोषित करने की शक्ति, सभी बिल बिना चर्चा के पारित

(ग) उचित प्रश्नों का चयन करने की वक्ता की शक्ति

(घ) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर (क) चर्चा के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण विधेयकों का चयन करने की अध्यक्ष की शक्ति

प्र.7. ब्रिटेन में 'सम्पूर्ण सदन की समिति' है—

(क) एक समिति में सदन के सभी सदस्य शामिल होते हैं

(ख) एक समिति में चयन समिति के सभी सदस्य शामिल होते हैं

(ग) एक समिति में दोनों हाउस ऑफ कॉमन्स के सभी सदस्य शामिल होते हैं

(घ) हाउस ऑफ लॉर्ड्स

उत्तर (क) एक समिति में सदन के सभी सदस्य शामिल होते हैं

प्र.8. 'बकिंघम पैलेस' किसका आधिकारिक निवास है—

(क) अमेरिका के राष्ट्रपति (ख) भारत के राष्ट्रपति (ग) ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री (घ) ग्रेट ब्रिटेन के राजा

उत्तर (घ) ग्रेट ब्रिटेन के राजा

प्र.9. ग्रेट ब्रिटेन का सर्वोच्च न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था?

(क) 2011 (ख) 2008 (ग) 2009 (घ) 2010

उत्तर (ग) 2009

प्र.10. 'कानून के शासन' की प्रणाली विकसित की गयी थी—

(क) भारत (ख) चीन (ग) यू०एस०ए० (घ) ग्रेट ब्रिटेन

उत्तर (घ) ग्रेट ब्रिटेन

प्र.11. 1947 में भारत को स्वतन्त्रता मिलने पर ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री थे—

(क) जवाहरलाल नेहरू (ख) क्लेमेंट एटली (ग) माउंट बैटन (घ) विंस्टन चर्चिल

उत्तर (ख) क्लेमेंट एटली

TOUCH 'n PASS

प्र.12. निम्नलिखित में से कौन-सी ब्रिटिश स्पीकर की शक्ति नहीं है?
(क) अपने विरुद्ध सदन की रक्षा करें (ख) नियमों की व्याख्या
(ग) विशेषाधिकारों का संरक्षण (घ) मन्त्रिमण्डल का गठन

उत्तर (घ) मन्त्रिमण्डल का गठन

प्र.13. ब्रिटेन का वार्षिक बजट कौन प्रस्तुत करता है?
(क) प्रधानमन्त्री (ख) लॉर्ड चांसलर
(ग) राजकोष के चांसलर (घ) इनमें से कोई नहीं

उत्तर (ग) राजकोष के चांसलर

प्र.14. निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश प्रधानमन्त्री की शक्ति नहीं है?
(क) मन्त्रिमण्डल का गठन (ख) मन्त्रिमण्डल के अध्यक्ष
(ग) हाउस ऑफ कॉमन्स के नेता (घ) हाउस ऑफ कॉमन्स का विघटन

उत्तर (घ) हाउस ऑफ कॉमन्स का विघटन

प्र.15. किसने कहा था कि ''इंग्लैण्ड में मन्त्रिमण्डल राज्य के जहाज का स्टीयरिंग व्हील है?
(क) रामसे मुदूर (ख) आइवर जेनिंग्स (ग) विंस्टन चर्चिल (घ) ग्लैडस्टोन

उत्तर (क) रामसे मुदूर

प्र.16. निम्नलिखित में से कौन 'कानून के शासन' का प्रसिद्ध व्याख्याता है?
(क) ए०वी० दीसे (ख) आइवर जेनिंग्स (ग) विंस्टन चर्चिल (घ) ग्लैडस्टोन

उत्तर (क) ए०वी० दीसे

प्र.17. ब्रिटेन में संसद को कौन बुलाता और स्थगित करता है?
(क) राजा (ख) प्रधानमन्त्री (ग) स्पीकर (घ) विपक्ष के नेता

उत्तर (क) राजा

प्र.18. नीति निर्धारण मुख्यतः निम्नलिखित का कार्य है—
(क) मन्त्रिमण्डल (ख) प्रधानमन्त्री (ग) राजा (घ) विपक्षी नेता

उत्तर (क) मन्त्रिमण्डल

प्र.19. गलत कथन पहचानें, ब्रिटेन में 'धन विधेयक' है—
(क) एक सार्वजनिक विधेयक
(ख) उनकी उत्पत्ति सदैव निचले सदन में होती है
(ग) धन विधेयक के मामले में उच्च सदन की भूमिका औपचारिक होती है
(घ) धन विधेयक के मामले में दोनों सदनों को समान शक्तियाँ प्राप्त हैं

उत्तर (घ) धन विधेयक के मामले में दोनों सदनों को समान शक्तियाँ प्राप्त हैं

TOUCH 'n PASS

UNIT-III

समाजवाद एवं समाजवादी राज्य की कार्यप्रणाली
Socialism and the Working of Socialist State

खण्ड-अ अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. "The Ruling Elite" पुस्तक किसने लिखी है?
Who has written the book "The Ruling Elite"?

उत्तर "The Ruling Elite" पुस्तक मोस्का ने लिखी।

प्र.2. "The Power Elite" पुस्तक किसने लिखी?
Who has written the book "The Power Elite"?

उत्तर "The Power Elite" पुस्तक सी० राइट मिल्स ने लिखी।

प्र.3. "Elite and Society" पुस्तक के लेखक कौन हैं?
Who is the author of the book "Elite and Society"?

उत्तर Elite and Society पुस्तक के लेखक टी०बी० बॉटोमोर है।

प्र.4. अभिजन वर्ग की धारणा से सम्बन्धित दो विचारकों के नाम लिखिए।
Write the names of two thinkers related to the concept of elite class.

उत्तर अभिजन वर्ग की धारणा से सम्बन्धित दो विचारक सी० राइट मिल्स तथा परेटो हैं।

प्र.5. परेटो ने अभिजन को किन दो भागों में बाँटा है?
Into which two parts has Pareto divided the elite?

उत्तर (1) शासक अभिजन, (2) अशासक अभिजन।

प्र.6. अशासक अभिजन से क्या तात्पर्य है?
What is meant by non-ruling elite?

उत्तर अशासक अभिजनों में वैज्ञानिक बुद्धिजीवी तथा अभियन्ता आदि आते हैं।

प्र.7. राजनीति विज्ञान में समाजीकरण की धारणा के प्रथम व्यवस्थित विश्लेषण किसने किये?
Who did the first systematic analysis of the concept of socialization in political science?

उत्तर राजनीति विज्ञान में समाजीकरण की धारणा के प्रथम व्यवस्थित विश्लेषण हर्बर्ट हाइमैन ने किये।

प्र.8. ''राजनीतिक समाजीकरण एक निरन्तर और गतिशील प्रक्रिया है।'' राजनीतिक समाजीकरण के इस लक्षण पर सबसे अधिक बल किसने दिया है?
"Political socialization is a continuous and dynamic process" who has given maximum emphasis on this characteristic of political socialization?

उत्तर ऑमण्ड तथा पॉवेल ने।

प्र.9. राजनीतिक समाजीकरण का एक महत्त्व लिखिए।
Write one importance of political socialization.

उत्तर राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक संस्कृति के निर्माण तथा विकास में निर्णायक भूमिका निभाता है।

TOUCH 'n' PASS

प्र.10. राजनीतिक समाजीकरण की दो विशेषताएँ लिखिए।

Write two characteristics of political socialization.

उत्तर (1) राजनीतिक समाजीकरण एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है।

(2) यह निरन्तर तथा गतिशील प्रक्रिया है।

प्र.11. राजनीतिक समाजीकरण का अर्थ लिखिए।

Write the meaning of political socialization.

उत्तर राजनीतिक समाजीकरण सीखने तथा ज्ञान प्राप्त करने की ऐसी प्रक्रिया है जिससे लोग राजनीति की ओर उन्मुख होते हैं तथा उनमें राजनीतिक मूल्यों, आदर्शों विश्वासों तथा भावनाओं का निर्माण होता है जिससे अन्ततः उनकी राजनीति में भूमिका तथा सक्रियता निर्धारित होती है।

प्र.12. राजनीतिक समाजीकरण के दो प्रमुख अभिकरण लिखिए।

Write two major agencies of political socialization.

उत्तर (1) परिवार, (2) जनसंचार के साधन।

प्र.13. एक प्रक्रिया के रूप में राजनीतिक समाजीकरण का अर्थ लिखिए।

Write the meaning of political socialization as a process.

उत्तर राजनीति के बारे में लोगों की प्रवृत्तियों विचारों तथा आस्थाओं के बनने की प्रक्रिया को ही राजनीतिक समाजीकरण कहते हैं।

प्र.14. राजनीतिक संस्कृति के दो निर्माणकारी तत्त्व लिखिए।

Write two formative elements of political culture.

उत्तर (1) राष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, (2) सामाजिक आर्थिक संरचना।

प्र.15. समाजवाद से आप क्या समझते हैं?

What do you understand by socialism?

उत्तर समाजवाद (Socialism) एक आर्थिक-सामाजिक दर्शन है। समाजवादी व्यवस्था में धन-सम्पत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के नियन्त्रण के अधीन रहते हैं। आर्थिक, सामाजिक और वैचारिक प्रत्यय के तौर पर समाजवाद निजी सम्पत्ति पर आधारित अधिकारों का विरोध करता है।

प्र.16. समाजवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है?

What is the main objective of socialism?

उत्तर वेकर कोकर के अनुसार, "समाजवाद वह नीति या सिद्धान्त है जिसका उद्देश्य एक लोकतान्त्रिक केन्द्रीय सत्ता द्वारा प्रचलित व्यवस्था की अपेक्षा धन को श्रेष्ठ कर वितरण और उसके अधीन रहते हुए धन का श्रेष्ठतर उत्पादन करना है।" बर्नार्ड शॉ के अनुसार, "समाजवाद का अभिप्राय सम्पत्ति के सभी आधारभूत साधनों पर नियन्त्रण से है।

प्र.17. समाजवाद की रचना किसने की?

Who created socialism?

उत्तर पहले आधुनिक समाजवादी 19वीं सदी के आरम्भिक पश्चिमी यूरोपीय सामाजिक आलोचक थे। इस अवधि में समाजवाद मुख्य रूप से ब्रिटिश और फ्रांसीसी विचारकों-विशेष रूप से थॉमस स्पेंस, चार्ल्स फूरियर, सेंट-साइमन, रॉबर्ट ओवेन के साथ जुड़े विभिन्न प्रकार के सिद्धान्तों और सामाजिक प्रयोगों से उभरा।

प्र.18. समाजवाद की चार विशेषताएँ क्या हैं?

What are the four characteristics of socialism?

उत्तर (i) समाजवाद हमेशा पूँजीवाद का विरोधी रहा है। (ii) समाजवाद में असमानता तथा अन्याय का मुख्य कारण पूँजीवादी बताया गया है। (iii) समाजवाद आर्थिक समानता का हिमायती रहा है। (iv) समाजवाद किसी भी तरह की प्रतियोगिता का विरोध करता है और वो परस्पर सहयोग पर बल देता है।

TOUCH 'n' PASS

खण्ड-ब लघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. राजनीतिक समाजीकरण के नियामक अर्थात् निर्धारक तत्त्वों का उल्लेख संक्षेप में कीजिए।
Mention the regulatory or determing elements of political socialization.

उत्तर राजनीतिक समाजीकरण के नियामक तत्त्व निम्नलिखित हैं—

1. **राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति**—राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप राजनीतिक समाजीकरण का सबसे महत्त्वपूर्ण निर्धारक तत्त्व हैं राजनीतिक व्यवस्थाएँ लोकतान्त्रिक, सर्वाधिकारवादी या निरंकुश प्रकार की होती हैं। प्रत्येक व्यवस्था में राजनीतिक-समाजीकरण का स्वरूप भिन्न प्रकार का होता है। लोकतन्त्र में खुलापन रहता है। अत: राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया स्वाभाविक ढंग से बिना किसी दबाव के तथा अप्रकट रूप में चलती रहती है।
   अधिनायकवादी तथा निरंकुश प्रणालियों में शासक वर्ग अपनी इच्छानुसार राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया का संचालन करने का प्रयास करता है। इनमें शासक वर्ग जनता पर राजनीतिक समाजीकरण के अभिकरणों द्वारा अपने आदर्श थोपन का प्रयास करता है।
2. **राजनीतिक समाज के आदर्श**—राजनीतिक समाज के आदर्श भी राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। किसी राजनीतिक समाज द्वारा पूँजीवाद धर्म आदि को अपना आदर्श बनाया जा सकता है। जबकि अन्य राजनीतिक समाज धर्मनिरपेक्षता, आधुनिकीकरण तथा समाजवाद को अपना आदर्श बना सकता है।
3. **समाज में समाजीकरण की स्थिति**—किसी भी राष्ट्र में राजनीतिक समाजीकरण समाज में समाजीकरण की स्थिति पर निर्भर करता है यदि किसी समाज का समाजीकरण नहीं हुआ है, तो राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया बाधित हो जाती है।
4. **जनसम्पर्क के साधनों की स्थिति**—राजनीतिक समाजीकरण में जनसम्पर्क के साधनों की महत्त्वपूर्ण स्थिति होती है। उल्लेखनीय है कि विभिन्न राज्यों में जनसम्पर्क के साधनों की स्थिति अलग-अलग होती है। जैसे कुछ राज्यों में प्रेस रेडियो तथा टेलीविजन आदि साधन कुछ राज्यों में अधिक विकसित हो सकते हैं तथा कुछ अन्य में कम विकसित। कुछ राज्यों में इन साधनों को अधिक स्वतन्त्रता प्राप्त हो सकती है। कुछ में कम। इन सब स्थितियों का राजनीतिक समाजीकरण पर प्रभाव पड़ता है।
5. **राजनीतिक संस्कृति**—यद्यपि राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में राजनीतिक समाजीकरण की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। परन्तु अनेक बार जब किसी राष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति में ठहराव आ जाता है, तो वह राजनीतिक समाजीकरण में रोड़ा बन जाती है।

प्र.2. अभिजन सिद्धान्त तथा मार्क्सवादी सिद्धान्त (समाजवादी सिद्धान्त) के आपसी विरोध को स्पष्ट करें।
Explain the mutual opposition between elite theory and marrist theory (Socialist Theory).

उत्तर **अभिजन सिद्धान्त तथा मार्क्सवादी सिद्धान्त**—पैरेंटो, मोस्का, वेबर तथा मिचेल्स द्वारा प्रतिपादित अभिजन वर्ग का सिद्धान्त का मुख्य रूप से शत्रु मार्क्सवादी सिद्धान्त है। इन विचारकों का लक्ष्य अभिजन वर्ग के सिद्धान्त के माध्यम से मार्क्सवादी सिद्धान्त का खण्डन करना था।

अभिजन वर्ग सिद्धान्त के समर्थक मार्क्स के इस विचार से सहमत नहीं हैं कि समाज में केवल दो वर्ग होते हैं तथा उनमें सदैव संघर्ष होता है। मार्क्स के अनुसार समाज में एक वर्ग वह होता है, जिसका उत्पादन के समस्त साधनों पर नियन्त्रण होता है तथा इसी वर्ग के हाथ में समस्त राजनीतिक शक्ति होती है। दूसरा वर्ग वह होता है, जो गरीब होता है तथा जिसके पास कोई सम्पत्ति नहीं होती। इन दोनों वर्गों में निरन्तर संघर्ष रहता है। मार्क्स के अनुसार आर्थिक शक्ति ही समाज में श्रेष्ठता निर्धारित करती है तथा सब परिवर्तनों की स्रोत है। अभिजनवादी लेखकों की धारणा है कि समाज में दो से अधिक वर्गों का अस्तित्व होता है। पूँजीपति तथा श्रमिक वर्ग के अतिरिक्त मध्यम वर्ग भी होता है। इनके अतिरिक्त तक्नीशियन, प्रबन्धन तन्त्र आदि अन्य वर्ग भी होते हैं। दूसरी मुख्य बात यह है कि केवल आर्थिक शक्ति ही किसी वर्ग की श्रेष्ठता निर्धारित नहीं करती, सैनिक शक्ति, तकनीकी ज्ञान, प्रबन्धन का ज्ञान आदि किसी भी वर्ग की श्रेष्ठता निर्धारित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

अभिजनवादी लेखकों की यह भी धारणा है कि आर्थिक शक्तियाँ ही परिवर्तनों का मूल स्रोत नहीं हैं जब पुराना अभिजन वर्ग भ्रष्ट तथा पतित हो जाता है व उनके गुणो का ह्रास हो जाता है, तो उन्हें हटना पड़ता है और उनकी जगह नया अभिजात वर्ग आ जाता है, जो योग्य व उच्च्व गुणों से सम्पन्न होता है।

TOUCH-N-PASS

अभिजनवादी लेखक मार्क्सवाद के इस सिद्धान्त से भी सहमत नहीं हैं कि साम्यवादी क्रान्ति के पश्चात वर्गविहीन समाज की स्थापना हो जाएगी। उनकी यह धारणा है कि समाज में वर्ग न तो कभी समाप्त हुए हैं तथा न ही हो सकते हैं। प्रयेक समाज में सदैव अल्पसंख्यक वर्ग ही शासन करता है।

अभिजनवादी लेखकों के अनुसार मार्क्सवादी सिद्धान्त की यह धारणा कि क्रान्ति के बाद सर्वहारा वर्ग जो बहुसंख्या में है, के हाथ में शक्ति आ जाएगी, भी उचित नहीं है। क्योंकि साम्यवादी राज्यों में सैद्धान्तिक रूप में तो शक्ति सर्वहारा वर्ग के हाथ में होती है परन्तु व्यवहार में शक्तियों का प्रयोग एक अभिजन वर्ग ही करता है, जो श्रमिक संघ के नेता, साम्यवादी दल के महत्त्वपूर्ण नेता, सैन्य अधिकारी आदि को मिलकर बनता है।

अत: अभिजन वर्ग के सिद्धान्त ने मार्क्सवाद के मूल सिद्धान्तों का खण्डन किया है।

प्र.3. राजनीतिक समाजीकरण का अर्थ एवं विभिन्न परिभाषाएँ दीजिए।

Give the meaning and different definition of political socialization.

उत्तर

राजनीतिक समाजीकरण का अर्थ व परिभाषा
(Meaning and Definition of Political Socialization)

राजनीतिक समाजीकरण की अवधारणा समाजीकरण पर आधारित है। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जो मनुष्य को बाल्यकाल से अन्तिम क्षणों तक जीवन के सभी क्षेत्रों का ज्ञान उपलब्ध कराती रहती है। यह एक सतत् प्रक्रिया है। इसका सर्वप्रथम अभिकर्ता परिवार है। मनुष्य जैसे-जैसे बड़ा होता जाता है, वैसे-वैसे उसके समाजीकरण का क्षेत्र भी बढ़ता जाता है। संसार में ऐसी कोई औपचारिक संस्था नहीं है, जहाँ समाजीकरण की विशेष शिक्षा दी जाती हो। मनुष्य परिस्थितियों से सीखता है। मनुष्य का समाज के कार्यों के प्रति रुझान बहुमुखी प्रकृति का होता है, इसी कारण समाजीकरण की प्रक्रिया भी बहुमुखी है। समाजीकरण को परिभाषित करते हुए जॉनसन ने लिखा है—"समाजीकरण एक प्रशिक्षण है जो प्रशिक्षार्थी को समाज में उसकी भूमिका निभाना सिखाता है।"

गिलिन और **गिलिन** ने कहा है—"समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह के स्तरों के अनुसार समूह की गतिविधियों के अनुकूल उसकी परम्पराओं का पालन करके और स्वयं सामाजिक अवस्थाओं को अनुकूल करके, समूह के क्रियाशील सदस्य के रूप में विकसित होता है।" इस तरह समाजीकरण एक सतत् व विस्तृत प्रक्रिया है। राजनीतिक समाजीकरण तो उसका एक विशेष भाग है। इसका प्रचलन द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद बढ़ा है। राजनीतिक समाजीकरण के बारे में अनेक विद्वानों ने अलग-अलग परिभाषाएँ दी हैं जो इसके अर्थ व प्रकृति दोनों को स्पष्ट करती हैं।

राजनीतिक समाजीकरण को एक प्रक्रिया तथा संकल्पना दोनों अर्थों में प्रयोग किया जाता है। राजनीति के बारे में लोगों की अभिवृत्तियों, विचारों और आस्थाओं के निर्माण की प्रक्रिया राजनीतिक समाजीकरण कहलाती है। एक प्रक्रिया के रूप में यह लोगों की राजनीति सम्बन्धी रुझान बनाने की प्रक्रिया है। एक संकल्पना के रूप में यह व्यक्ति के राजनीति सम्बन्धी मूल्यों, विश्वासों, अभिवृत्तियों व विचारों का ताना-बाना है। एक संकल्पना व प्रक्रिया के रूप में विभिन्न विद्वानों ने राजनीतिक समाजीकरण की निम्नलिखित परिभाषाएँ दी हैं—

1. **ऑमण्ड व पॉवेल** के अनुसार—"राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक-संस्कृतियों का अनुरक्षण और उनका परिवर्तन किया जाता है तथा लोगों को राजनीति में दीक्षित करने के लिए उनके विचारों का निर्माण किया जाता है।"
2. **एलेन आर० बाल** के अनुसार—"राजनीतिक व्यवस्था के बारे में लोगों का दृष्टिकोण और विश्वास की स्थापना तथा विकास राजनीतिक समाजीकरण कहलाता है।"
3. **डेनिस कावानाग** के अनुसार—"राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति राजनीति के प्रति आकर्षित होता है और उसे सीखता एवं विकसित करता है।"
4. **पीटर एच० मर्कल** के अनुसार—"राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा व्यवहार प्रतिमान और राजनीतिक अभिवृत्तियाँ प्राप्त करना है।"
5. **ऑस्टीन रेने** के अनुसार—"राजनीतिक समाजीकरण, समाजीकरण का वह भाग है जो आम आदमी का राजनीतिक व्यवस्था के प्रति दृष्टिकोण विकसित करता है।"

TOUCH N PASS

प्र.4. राजनीतिक समाजीकरण व राजनीतिक व्यवस्था में सम्बन्ध बताइए।
State the relationship between political socialization and political system.

उत्तर

राजनीतिक समाजीकरण व राजनीतिक व्यवस्था में सम्बन्ध
(Relationship between Political Socialization and Political System)

राजनीतिक समाजीकरण तथा राजनीतिक व्यवस्था में गहरा सम्बन्ध है। राजनीतिक समाजीकरण ही वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार भी निश्चित होता है और राजनीतिक व्यवस्था का भी। आज राजनीतिक आधुनिकीकरण और विकास का सबसे प्रबल आधार राजनीतिक समाजीकरण ही है। यह राजनीतिक व्यवस्था को स्थिरता व कुशलता प्रदान करने का भी कार्य करता है। यह राजनीतिक व्यवस्था में भर्ती, सहभागिता आदि का नियामक होता है। राजनीतिक समाजीकरण व्यक्तियों के मन में मूल्यों, मानकों और अभिवृत्तियों का विकास करता है जिससे उनके मन में राजनीतिक व्यवस्था के प्रति गहरा लगाव पैदा होता है। यह सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं को जोड़ने का महत्त्वपूर्ण कार्य करता है। इसके अभाव में न तो राजनीतिक व्यवहार में स्थायित्व आ सकता है और न ही राजनीतिक व्यवस्था में। बाल्यकाल में व्यक्ति को राजनीतिक व्यवहार का जो ज्ञान कराया जाता है, उसका राजनीतिक समाजीकरण से ही गहरा रिश्ता होता है। राजनीतिक समाजीकरण के अभिकरणों द्वारा किया गया राजनीतिक अभिमुखीकरण ही राजनीतिक चेतना का आधार होता है। यही चेतना राजनीतिक व्यवस्था के विकास के लिए रीढ़ की हड्डी का कार्य करती है। राजनीतिक व्यवस्था में उठने वाली माँगों व दबावों का नियामक भी राजनीतिक समाजीकरण ही होता है। यही राजनीतिक समाज में व्यक्तियों की राजनीतिक सहभागिता या सक्रियता की मात्रा का निर्धारक भी होता है। राजनीतिक सहभागिता राजनीतिक समाजीकरण से सापेक्ष सम्बन्ध रखती है। राजनीतिक व्यवस्था के प्रति जो विश्वास व धारणाएँ बनती बिगड़ती हैं, उनके पीछे राजनीतिक समाजीकरण का ही हाथ होता है। राजनीतिक समाजीकरण ही राजनीतिक व्यवस्था के प्रति मूल्यों और निष्ठा के पनपने का आधार है। यही वह साधन है जो व्यक्ति को राजनीतिक मानव बनाता है। इसी के कारण व्यक्ति अपनी अभिरुचि राजनीतिक समाज के प्रति रखने लगता है और निदेशक की भूमिका निभाने को भी तत्पर हो जाता है। राजनीतिक व्यवस्था में माँगों की तीव्रता, मात्रा व प्रकृति का निर्धारक भी राजनीतिक समाजीकरण ही करता है। आज व्यक्ति का प्रत्येक कार्य-व्यवहार राजनीति से प्रभावित होने के कारण राजनीतिक समाजीकरण का ऋणी हो गया है। व्यक्ति को राजनीतिक मानव बनाने के लिए राजनीतिक भर्ती व सहभागिता का नियमन राजनीतिक समाजीकरण ही करता है। राजनीतिक व्यवस्था के पुन:निर्माण हेतु राजनीतिक संस्कृति को शक्तियुक्त बनाने का कार्य भी राजनीतिक समाजीकरण ही करता है अर्थात् राजनीतिक संस्कृति को राजनीतिक व्यवस्था के अनुकूल बनाने का कार्य भी राजनीतिक समाजीकरण ही करता है। राजनीतिक व्यवस्था के पुन: निर्माण में राजनीतिक समाजीकरण के अभिकरणों की ही मदद ली जाती है ताकि बिना बाधा के राजनीतिक व्यवस्था गतिशील बनी रहे।

जिस तरह राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करता है, उसी तरह राजनीतिक व्यवस्था राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया को भी निश्चित करती है। राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति राजनीतिक समाजीकरण की मात्रा निर्धारित करती है। जो राज-व्यवस्था जितनी स्थायी होगी, उतनी ही राजनीतिक समाजीकरण के मुख्य अभिकर्ताओं को विशिष्ट बना देगी। लोकतन्त्र में खुलापन रहने के कारण राजनीतिक समाजीकरण के अभिकरण उतने ही अधिक स्वतन्त्र ढंग से कार्य करते हैं, जबकि सर्वाधिकारवादी या निरंकुश शासन-व्यवस्थाओं में राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति ही समाजीकरण की नियामक बन जाती है। ऐसी व्यवस्थाओं में राजनीतिक समाजीकरण के अभिकरणों को राजनीतिक व्यवस्था की अपेक्षाओं के अनुभव ही सक्रिय होना पड़ता है। सर्वाधिकारवादी समाज राजनीतिक समाजीकरण पर विशेष ढंग से जोर देता है। लेनिन ने लिखा है—"शिक्षण संस्थाओं और युवकों के प्रशिक्षण को क्रान्तिकारी ढंग से नए सिरे से ढालने पर ही हम सुनिश्चित कर पाएँगे कि युवा पीढ़ी के प्रयासों के परिणामस्वरूप समाज की पुनर्रचना होगी जो परम्परागत समाज से भिन्न होगी।" इस प्रकार राजनीतिक समाजीकरण के साधनों को आरोपित करने के प्रयास के कारण ही सर्वसत्ताधिकारी राज-व्यवस्था लोकतन्त्रीय राज-व्यवस्था से भिन्न है। अत: निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राजनीतिक व्यवस्था भी राजनीतिक समाजीकरण की नियामक होती है।

प्र.5. राजनीतिक समाजीकरण व राजनीतिक संस्कृति में क्या सम्बन्ध है?
What is the relationship between political socialization and political culture.

उत्तर

राजनीतिक समाजीकरण व राजनीतिक संस्कृति में सम्बन्ध
(Relationship between Political Socialization and Political Culture)

राजनीतिक समाजीकरण व राजनीतिक संस्कृति में घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। राजनीतिक समाजीकरण के माध्यम से ही राजनीतिक संस्कृति बाल्यकाल से युवावस्था तक चलती रहती है। राजनीतिक समाजीकरण ही राजनीतिक संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी

पीढ़ी तक पहुँचता है। इससे राजनीतिक संस्कृति में गतिशीलता के साथ-साथ सजीवता भी बनी रहती है। ऑमण्ड और वर्बा ने लिखा है—"राजनीतिक समाजीकरण ही वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृतियों को बनाये रखा जाता है या परिवर्तन किया जाता है।" राजनीतिक समाजीकरण ही राजनीतिक संस्कृति का नियामक होता है। राजनीतिक समाजीकरण के अभिकरण ही व्यक्ति को राजनीतिक संस्कृति में दीक्षित करते हैं। राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक संस्कृति को विशेष पहचान देता है। उससे ही राजनीतिक संस्कृति को तत्त्व और अन्तर्वस्तु प्राप्त होती है और राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक व्यवस्था की क्रियात्मकता में निर्णायक भूमिका निभाने में समर्थ हो पाती है। राजनीतिक विकास की तरफ उन्मुख सभी नवोदित राष्ट्र अपने अनुकूल राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया पर बहुत जोर देते हैं। वे संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति को सहभागी राजनीतिक संस्कृति के विकास में राजनीतिक समाजीकरण ही महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह राष्ट्र के प्रति निष्ठा तथा विशिष्ट मूल्यों को पनपाने में मदद करता है और राजनीतिक व्यवस्था के प्रति लोगों का लगाव भी बढ़ाता है। यह प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। इस प्रक्रिया को गति देने में राजनीतिक समाजीकरण के अभिकरण-परिवार, शिक्षण संस्थाएँ, स्वैच्छिक समूह, सरकार, राजनीतिक दल व जनसम्पर्क के साधन अहम् भूमिका निभाते हैं।

इसी तरह राजनीतिक संस्कृति की प्रकृति भी राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करके राजनीतिक समाजीकरण को कुछ-न-कुछ प्रभावित करने की चेष्टा करती है। राजनीतिक संस्कृति ही राजनीतिक प्रक्रिया को अर्थ व ढाँचा प्रदान करती है। राजनीतिक व्यवस्था का ढाँचा ही समाजीकरण की मात्रा को निश्चित करता है। पराधीन संस्कृति वाले समाजों में समाजीकरण की प्रक्रिया अधिक सक्रिय नहीं हो पाती है, जबकि विकसित संस्कृति वाले देशों में समाजीकरण को विशेष महत्त्व दिया जाता है। इसी कारण राजनीतिक संस्कृति का पराधीन रूप सर्वाधिकारवादी देशों में राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया पर नियन्त्रण बनाये रखने में सफल रहता है। राजनीतिक संस्कृति लोगों की राजनीतिक व्यवस्था के प्रति मनोवृत्ति व रुचि का प्रतिमान होने के कारण राजनीतिक संस्कृति के अनुरूप ही राजनीतिक समाजीकरण का नियमन करता है। राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक समाजीकरण के आपसी सम्बन्ध ही राजनीतिक व्यवस्था को नया अर्थ देते हैं। अड़ियल प्रकार की संस्कृति राजनीतिक समाजीकरण के साथ-साथ राजनीतिक व्यवस्था को भी गतिहीन बना देती है।

प्र.6. राजनीतिक समाजीकरण की अवधारणा का मूल्यांकन संक्षेप में कीजिए।

Explain in brief evaluation of the concept of political socialisation.

उत्तर

राजनीतिक समाजीकरण की अवधारणा का मूल्यांकन
(Evaluation of the Concept of Political Socialization)

राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया राजनीति विज्ञान की नई संकल्पना है जो द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद उजागर हुई है। यह राजनीतिक विकास व आधुनिकीकरण को गति देती है और राजनीतिक संस्कृति का अनुरक्षण करती है। व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति के अनुरूप बनाकर यह राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व व कार्यकुशलता का गुण भी पैदा करता है। राजनीतिक भर्ती व सहभागिता को क्रियान्वित करके राजनीतिक समाजीकरण ही राजनीतिक विकास व आधुनिकीकरण के लक्ष्य को पूरा करता है। मनुष्य को राजनीतिक मानव बनाने में राजनीतिक समाजीकरण जो भूमिका अदा करता है, वह कार्य अन्य किसी व्यवस्था द्वारा सम्भव नहीं है। एक सतत् प्रक्रिया के रूप में यह राजनीतिक व्यवहार व राजनीतिक व्यवस्था दोनों का नियामक होता है। इसका राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण व राजनीतिक व्यवहार से गहरा सम्बन्ध रहता है। अपने विभिन्न अभिकरणों के माध्यम से यह नियामक बना रहता है। अत: राजनीतिक समाजीकरण की संकल्पना राजनीतिक विज्ञान में काफी महत्त्व रखती है। इसके आगमन से राजनीति विज्ञान को नई दिशा मिली है।

प्र.7. समाजवाद को परिभाषित करते हुए इसके प्रमुख तत्त्वों का उल्लेख कीजिए।

Define socialism and mention its main elements.

उत्तर

समाजवाद का अर्थ व परिभाषा
(Meaning and Definition of Socialism)

समाजवाद किसी एक विचारधारा का नाम नहीं, अपितु विचारधाराओं का अपने आप में एक संसार है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना स्वयं का समाजवाद होता है। लोकतन्त्र की भाँति समाजवाद भी राजनीतिशास्त्र के उन शब्दों में से एक है जिसके अनेक अर्थ लगाये जाते हैं। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए **प्रो० जोड** का कथन है कि "समाजवाद उस टोपी की भाँति है जिसकी आकृति नष्ट हो चुकी है क्योंकि हर व्यक्ति उसे पहनता है।" इसी प्रकार **रैम्जे म्योर** ने समाजवाद को ऐसा गिरगिट बताया है जो

परिस्थितियों के अनुसार अपना रंग बदलता रहता है। वस्तुत: समाजवाद, पूँजीवाद से पनपी त्रुटियों के विरुद्ध एक आवाज है। यह आर्थिक शोषण असमानता व बेरोजगारी के विरुद्ध एक आवाज है। विभिन्न विचारकों ने समाजवाद को अलग-अलग तरीके से परिभाषित किया यथा—

अत: इस प्रकार समाजवाद एक आन्दोलन व एक विचारधारा दोनों हैं जो पूँजीवादी व्यवस्था से उत्पन्न धन की विषमताओं व अन्याय को संवैधानिक मार्ग से समाप्त करने पर बल देता है। जिससे समाज में समानता व न्याय की स्थापना हो सके और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह धन के उत्पादन, वितरण तथा विनिमय की आधुनिक निजी स्वामित्व की व्यवस्था को समाप्त कर उत्पादन के साधनों का सामूहिक स्वामित्व व नियन्त्रण समस्त समाज के हाथों में निहीत करने का एक प्रयास है। संक्षेप में, समाज के आर्थिक व भौतिक साधनों को जन मानस के नियन्त्रण में लाकर सामाजिक उत्पादों का समानान्तर न्याय संगत वितरण समाजवाद है।

समाजवाद के प्रमुख तत्त्व (Main Elements of Socialism)

(i) समाजवाद एक समष्टि प्रधान दर्शन या विचारधारा है जो व्यक्ति की अपेक्षा समाज को अधिक महत्त्व देती है। अत: यह वैयक्तिक हितों को सामाजिक हितों के अधीन करने पर बल देती है। यह सामाजिक हित व समानता को अपना आदर्श स्वीकार करता है।

(ii) समाजवाद स्वतन्त्रता का अर्थ बन्धनों का अभाव नहीं मानता। इसके अनुसार स्वतन्त्रता से तात्पर्य व्यक्ति को दिये गये अवसरों से है जिनका उपयोग कर व्यक्ति अपने भौतिक व नैतिक जीवन का उत्थान कर सकता है।

(iii) समाजवाद पूँजीवाद को समाप्त करना अपना लक्ष्य मानता है जिससे कि व्यक्ति को न्याय, समानता व स्वतन्त्रता सुलभ हो सके। समाजवाद का मानना है कि पूँजीवाद व्यक्तिवाद का व्यावहारिक परिणाम है और पूँजीवाद की शोषण व्यवस्था के विरुद्ध समाजवादी दर्शन की उत्पत्ति हुई इसलिए समाजवाद का लक्ष्य न केवल पूँजीवाद का अन्त करना वरन् उससे उत्पन्न आर्थिक विषमताओं को समाप्त कर सामाजिक न्याय की स्थापना करना भी है।

(iv) समाजवाद राज्य को आवश्यक बुराई नहीं मानता और न ही न्यूनतम राज्य की अवधारणा को स्वीकार करता है। यह राज्य को व्यक्ति के लिए हितकारी संस्था मानता है। समाजवादियों का मानना है कि राज्य जनता के हितों की अभिभावक संस्था है जिसके सक्रिय नेतृत्व एवं योगदान के द्वारा आर्थिक जीवन की उन्नति की जा सकती है। समाजवाद राज्य को लोकतान्त्रिक रूप से गठित कर उसे न्यायपूर्ण वितरण तथा उत्पादन प्रणाली का व्यवस्थापक बनाने की योजना प्रस्तुत करना है। सारांश रूप से राज्य के कार्यक्षेत्र सम्बन्धी समाजवाद की धारणा अधिक व्यापक व सकारात्मक है।

5. समाजवाद स्वतन्त्र प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग के सिद्धान्त को स्वीकार करता है। समाजवाद मानवीय व्यक्तित्व की गरिमा का प्रबल समर्थक है इसलिए प्रतिस्पर्धा के स्थान पर सहकारिता में विश्वास करता है।

प्र.8. समाजवाद की मूलवर्ती धारणा का उल्लेख कीजिए।
Mention the basic concept of socialism.

उत्तर

समाजवाद की मूलवर्ती धारणा
(Basic Concept of Socialism)

समाजवाद एक ऐसी धारणा है जिसकी जड़ें सामाजिक-आर्थिक सिद्धान्त में हैं। समाजवाद शब्द का इस्तेमाल 19वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में पश्चिम में सेंट साइमन ने किया था। यद्यपि समाजवाद के लक्षणों में सामाजिक सहयोग, समाज के कमजोर वर्गों का विकास करना, सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करना आदि 19वीं शताब्दी के पहले भी मौजूद थे, परन्तु विद्वानों का यही तर्क है कि समाजवाद की अवधारणा 19वीं शताब्दी में अस्तित्व में आई। सामान्यत: 'समाजवाद' शब्द का प्रयोग दो विभिन्न व स्वतन्त्र संदर्भों में किया जाता है—एक, मूल्यों तथा नैतिकता के संदर्भ में तथा इस तरह की कल्पना के अन्य सिद्धान्तों के रूप में। इस प्रकार समाजवाद—स्वतन्त्रता, समानता, भाईचारा, सामाजिक न्याय, शान्ति, वर्ग-विहीनता, सहयोग, प्रचुरता आदि मानवतावादी मूल्यों का एक साथ प्रतिनिधित्व करता है (नारायण, 1936) दूसरे, यह उन सामाजिक-राजनैतिक संस्थानों के व्यावहारिक पक्षों का प्रतीक है जो समाजवादी सिद्धान्तों का प्रतिनिधित्व करते हैं। संस्थानों के स्तर पर समाजवाद पूँजीवादी अर्थव्यवस्था का विरोधी है। यह उत्पादन पर पूँजीवादी पतियों के स्वामित्व तथा नियन्त्रण को स्वीकार नहीं करता, इसके स्थान पर वह उत्पादन प्रणाली पर जनता के स्वामित्व अथवा सामूहिक स्वामित्व का समर्थन करता है। समाजवादियों का यह आग्रह सामाजिक न्याय तथा समानता की अवधारणा पर आधारित है। समाजवादी सोच वाले लोग तथा जन-कल्याण से जुड़ी गतिविधियों में लगे लोग सामाजिक हितों के व्यापक संरक्षक माने जाते हैं परन्तु केवल इन दो खेमों के लोग ही समाजवाद का प्रतिनिधित्व नहीं करते। 'समाजवाद' शब्द से

अनेक अर्थ जुड़े हैं। इस इकाई में हम समाजवाद का आर्थिक पक्षों के संदर्भों में तथा मानव कल्याण के संदर्भ में व्याख्या करेंगे। समाजवाद से जुड़ी समस्याओं पर विचार करने से पहले हम समाज विज्ञान के विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रस्तुत की गई समाजवाद विचारधारा को समझाने का प्रयास करेंगे। नारायण (1934) समाजवाद की 'सामाजिक पुनर्संरचना की प्रणाली' को मानते हैं। उनके अनुसार समाजवाद का अर्थ है—आर्थिक तथा सामाजिक जीवन का समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा पुनर्संगठन करना। इसमें उत्पादन के साधनों का पुनर्गठन तथा सामूहिक स्वामित्व को बढ़ावा देना शामिल है, इससे निजी स्वामित्व स्वत: ही समाप्त हो जाएगा। रसेल (1938) ने समाजवाद की परिभाषा करते हुए कहा है—'समाजवाद' भूमि और पूँजी पर सामुदायिक स्वामित्व की वकालत करना समाजवाद है। सामुदायिक स्वामित्व से अभिप्राय 'राज्य के स्वामित्व के लोकतान्त्रिक स्वरूप' से है जो सबसे साझेहित के लिए हो। 1951 में महात्मा गाँधी ने कहा था—"समाजवादी समाज वह समाज है जिसमें समाज के सब सदस्य समान होते हैं—कोई नीचा या ऊँचा नहीं होता"। इस प्रकार हम देखते हैं कि सभी परिभाषाओं का केन्द्रीय अभिप्राय उत्पादन से होने वाले लाभ के स्वामित्व, नियन्त्रण की प्रकृति और समानता के विचारों पर है। समाजवाद का सामान्यत: अर्थ यह है कि वस्तुओं का उत्पादन लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होना चाहिए, व्यापार करने और लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं। उत्पादन से आर्थिक लाभ प्राप्त करना पूँजीवादी व्यवस्था का लक्षण है। समाजवादी व्यवस्था में लेन-देन प्रतियोगिता आधारित नहीं रहता, वह सहयोग व सहकार आधारित हो जाता है। इस प्रकार के लेन-देन में अनेक स्तरों पर लोगों में मौजूद सभी प्रकार की असमानताएँ समाप्त हो जाती हैं और लोगों को समान अवसर प्राप्त होते हैं।

खण्ड-स विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. अभिजन की धारणा के विकास पर प्रकाश डालिए। राजनीतिक समाजीकरण का अर्थ एवं इसकी विशेषताएँ बताइए।
Highlight the growth of Elite theory. Discuss the meaning and features of political socialization.

उत्तर

अभिजन की धारा का विकास
(Growth of Elite Theory)

राजनीति विज्ञान में अभिजन वर्ग अर्थात् सम्भ्रान्त वर्ग के सिद्धान्त की स्थापना 19वीं सदी के अन्त तथा 20वीं सदी के आरम्भ में इटली के दो समाज वैज्ञानिकों विल्फ्रेड पैरेटो तथा गिटानो मोस्का के योगदानों के परिणामस्वरूप हुई। माइकेल्स, सी० राइटमिल्स, टी०बी० बोटोमोर, कार्लमैनहीम, बर्नहम आदि ने इस सिद्धान्त के विकास में अपना योगदान दिया है। यद्यपि इनमें काफी मतभेद हैं, परन्तु, सभी इस बात पर एकमत हैं कि प्रत्येक समाज में एक अल्पसंख्यक वर्ग का ही शासन होता है, जिसके पास विशेष गुण व योग्यता होती है। जो लोग शिखर पर पहुँचते हैं, वे ही हमेशा श्रेष्ठ समझे जाते हैं तथा उन्हें विशिष्ट वर्ग या अभिजन वर्ग कहा जाता है।

अभिजन वर्ग के अग्रणी सिद्धान्तशास्त्रियों के निम्न विचार हैं—

पैरेटो—पैरेटो का प्रसिद्ध कथन है कि "इतिहास कुलीनतन्त्रों का कब्रिस्तान है।" उसके अनुसार व्यक्तियों की क्षमताओं में असमानता है। पैरेटो का अन्य प्रसिद्ध कथन है कि "वे व्यक्ति जो अपने कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत सबसे अधिक उच्च श्रेणी पर हैं, वे ही अभिजन हैं।" पैरेटो ने मानवीय असमानताओं के आधार पर समाज को दो वर्गों में बाँटा है—

(1) अभिजन (2) अभिजनेतर अर्थात गैर विशिष्ट वर्ग। अभिजन को उसने पुन: दो भागों में विभाजित किया है—(1) शासक अभिजन (Governing Elite) (2) अशासक अभिजन (Non-governing Elite)। अशासक अभिजन में वैज्ञानिक, बुद्धिजीवी तथा अभियन्ता आदि आते हैं।

पैरेटो की स्पष्ट धारणा है कि प्रत्येक समाज में व्यक्तियों में जन्म से ही अन्तर होते हैं। कुछ व्यक्ति अन्यों की तुलना में बुद्धि, निपुणता तथा क्षमता में अधिक होते हैं। जो व्यक्ति योग्य, कुशल तथा निपुण होते हैं, वे अल्पसंख्यकों में होते हैं तथा ये ही अभिजन वर्ग का निर्माण करते हैं। अपनी श्रेष्ठता तथा गुणों के कारण यह अल्पसंख्यक वर्ग दूसरों पर हावी रहता है। दूसरा वर्ग जिसमें योग्यता तथा गुणों का अभाव है, सदैव संस्था में अधिक होता है। ये अभिजन वर्ग के निर्देशन व नियन्त्रण में चलते हैं।

अभिजन वर्ग में अदला-बदली, परिवर्तन या अभिजन वर्ग में संचलन (Circulation of Elites)—अभिजन वर्ग की धारणा के सम्बन्ध में एक महत्त्वपूर्ण विचार अभिजन वर्ग में परिवर्तन अर्थात् अभिजन वर्ग का परिसंचरण है। पैरेटो के अनुसार राजनीतिक अभिजन स्थायी नहीं होते, उनमें परिवर्तन होते रहते हैं। पुराने भ्रष्ट होकर पतित हो जाते हैं तथा उन्हें हटना पड़ता है। उसके अनुसार प्रत्येक समाज में व्यक्तियों का ऊपर से नीचे तथा नीचे से ऊपर को आना-जाना लगा रहता है। अभिजन वर्ग में

भ्रष्ट तत्त्वों में वृद्धि होती रहती है। इसी प्रक्रिया के माध्यम से समाज का प्रत्येक अभिजन वर्ग अन्ततः नष्ट हो जाता है और उसके स्थान पर दूसरे लोग आ जाते हैं। यही अभिजन के संचालन का सिद्धान्त है।

पैरेटो की धारणा है कि अनेक बार परिवर्तन की प्रक्रिया केवल अभिजन वर्ग से ही हो जाती है अर्थात् अभिजन वर्ग में से ही अन्य लोग पुराने राजनीतिक अभिजनों का स्थान ले लेते हैं परन्तु कभी-कभी शासित वर्ग में से अनेक लोग निम्न स्तर से ऊपर उठकर अभिजन वर्ग में आ जाते हैं।

पैरेटो ने अभिजनों में समय-समय पर परिवर्तन को आवश्यक माना है, क्योंकि यदि एक ही अभिजन वर्ग के हाथ में शक्ति रहेगी, तो क्रान्ति का भय रहेगा। पैरेटो के शब्दों में "क्रान्ति जब होती है, तब व्यक्तियों की स्थिति में परिवर्तन की गति बहुत धीमी हो जाती है।" परन्तु साथ ही पैरेटो यह भी कहता है कि यह परिवर्तन आये दिन की बात नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वर्ग में अत्यधिक परिवर्तन न हो। इस हेतु अभिजनों को अपने विशिष्ट गुणों को बनाये रखना चाहिए।

मोस्का के राजनीतिक अभिजन सम्बन्धी विचार—मोस्का के अनुसार, समाज में दो वर्ग होते हैं—शासक वर्ग (Ruling Elite) तथा शासित वर्ग। शासक वर्ग संख्या में कम होता है तथा संगठित व श्रेष्ठ गुणों से सम्पन्न होता है। इन्हीं कारणों से वह समाज में सम्मानित होता है। इस वर्ग का सत्ता पर नियन्त्रण रहता है। दूसरा वर्ग अर्थात् शासित वर्ग बहुसंख्यक होने के कारण असंगठित होता है तथा इसका नियन्त्रण तथा निर्देशन पहले वर्ग द्वारा किया जाता है।

मिचेल्स का अल्पतन्त्र का लौह नियम (Iron Law of oligrachy)—उसके अनुसार, सरकार केवल अल्पमतों का संगठन है, जो बहुमत पर शासन करते हैं। मिचेल्स यह मानता है कि समाज के बहुसंख्यक व्यक्ति स्वभाव से उदासीन, आलसी तथा गुलाम प्रवृत्ति वाले होते हैं तथा वे शासन में भाग लेने में असमर्थ होते हैं। इन्हीं कारणों से अल्पसंख्यक वर्ग बहुसंख्यकों पर शासन करते हैं। यही अल्पतन्त्र का लौह नियम है। सक्रिय अल्पमत सदैव निष्क्रिय बहुमत पर शासन करता है।

सी० राइट मिल्स—अभिजन वर्ग के सिद्धान्त के अन्य लेखक सी० राइट मिल्स ने शासक वर्ग के स्थान पर शक्ति अभिजन (Power Elite) शब्द का प्रयोग किया है। उसके अनुसार, शक्ति अभिजन में आर्थिक, राजनीतिक तथा सैनिक दृष्टि से शक्तिशाली लोग अभिजन वर्ग में शामिल होते हैं।' मिल्स ने अमेरिका में तीन प्रमुख अभिजन वर्ग बतलाये हैं—(1) निगमों के प्रधान, (2) राजनीतिक नेता तथा (3) सैनिक प्रमुख। ये तीनों विशिष्ट वर्ग का निर्माण करते हैं।

बर्नहम के विचार—बर्नहम ने अपने अभिजन वर्ग के सिद्धान्त के माध्यम से प्रबन्धकीय क्रान्ति की बात की है। उसने अपने अभिजन के सिद्धान्त द्वारा साम्यवादी सिद्धान्तों की आलोचना की है। उसके अनुसार, साम्यवादी क्रान्ति के बाद शक्ति मजदूर वर्ग के हाथ में नहीं होती, अपितु प्रबन्धकों के हाथ में आ जाती है, जिसके वैज्ञानिक, तकनीकी व्यक्ति उद्योगों के निदेशक एवं संयोजक आदि शामिल होते हैं। ये प्रबन्धक ही अभिजन वर्ग का निर्माण करते हैं।

मेरी कोला बिन्सका के विचार—कोला बिन्सका ने फ्रांस में अभिजन वर्ग का अध्ययन करते हुए इसमें चार वर्ग बताये हैं—(1) धनी वर्ग, (2) सामन्त वर्ग, (3) सशस्त्र कुलीन वर्ग, (4) धर्मोपदेशक; इन्हीं चार वर्गों के हाथ में शक्ति होती है।

टी०बी० बोटोमोर—बोटोमोर ने अपनी पुस्तक *Elitenal Society* में कहा है कि प्रत्येक समाज में अभिजन वर्ग के हाथ में शक्ति होती है। यह अभिजन वर्ग बुद्धिजीवी, प्रबन्धक तथा नौकरशाह को मिलकर बनता है।

राजनीतिक समाजीकरण किसी देश की राजनीतिक संस्कृति तथा राजनीतिक व्यवस्था की कार्यप्रणाली तथा राजनीति में नागरिकों की भूमिका का निर्धारक तत्त्व है। प्रत्येक देश में राजनीतिक समाजीकरण ही यह निर्धारित करता है कि जनता कैसे-कैसे विचार तथा दृष्टिकोण बनाएँगे तथा राजनीतिक व्यवस्था में कैसी भूमिका निभाएँगे। राजनीतिक समाजीकरण एक प्रक्रिया तथा अवधारणा दोनों है।

राजनीतिक समाजीकरण
(Political Socialization)

राजनीतिक समाजीकरण एक प्रक्रिया के रूप में सामान्यतया राजनीतिक समाजीकरण को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। राजनीति के बारे में लोगों के विचारों, आस्थाओं तथा दृष्टिकोणों के बनने की प्रक्रिया को ही राजनीतिक समाजीकरण कहते हैं। यह वह प्रक्रिया है, जो लोगों के राजनीतिक व्यवस्था, उसकी विभिन्न संस्थाओं तथा उनके नेताओं आदि के प्रति उनके दृष्टिकोण तथा रुख को निर्धारित करती है व उनकी भूमिका निर्धारित करती है।

आमण्ड तथा पॉवेल के अनुसार, "राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्तियों को राजनीति में दीक्षित करते हुए राजनीतिक बातों के बारे में उनके विचारों का निर्माण किया जाता है।"

सीगल के अनुसार, "राजनीतिक समाजीकरण व्यक्तियों के मन में ऐसे मूल्यों, मानकों तथा ऐसे विचारों का विकास करता है जो उनमें राजनीतिक व्यवस्था के प्रति विश्वास की भावना को जन्म दे तथा वे राजनीतिक समाज के अच्छे कार्यकारी नागरिक बन सके।"

लेंगटन के अनुसार, "राजनीतिक समाजीकरण वह तरीका है, जिसके द्वारा समाज राजनीतिक संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तान्तरित करता है।"

अत: राजनीतिक समाजीकरण सीखने की तथा ज्ञान प्राप्त करने की ऐसी प्रक्रिया है, जिससे लोग राजनीति की ओर उन्मुख होते हैं और उनमें राजनीतिक मूल्यों, आदर्शों, विश्वासों तथा भावनाओं का निर्माण होता है, जिससे अन्तत: उनकी राजनीति में भूमिका तथा सक्रियता निर्धारित होती है।

राजनीतिक समाजीकरण एक अवधारणा के रूप में—राजनीति विज्ञान में राजनीतिक समाजीकरण की अवधारणा का प्रथम व्यवस्थित विश्लेषण हर्बर्ट हाइमैन ने किया है। एक अवधारणा के रूप में राजनीतिक समाजीकरण व्यक्ति के राजनीति सम्बन्धी मूल्यों, विश्वासों, अभिवृत्तियों (दृष्टिकोण) एवं विचारों का योग है। इनसे व्यक्ति की राजनीतिक व्यवस्था में भूमिका का निर्धारण होता है तथा इन्हीं से राजनीतिक व्यवस्था के लिए समर्थन या अलगाव उत्पन्न होते हैं।

राजनीतिक समाजीकरण की विशेषताएँ (Features of Political Socialization)

1. **राजनीतिक समाजीकरण एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया**—यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसका सम्बन्ध मनुष्य के मन–मस्तिष्क, विचारों तथा भावनाओं से है। इसके द्वारा मनुष्य के राजनीतिक विचारों, सोच तथा भूमिका को एक विशेष दिशा में मोड़ने तथा ढालने का प्रयास किया जाता है।
2. **राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया सर्वव्यापक तथा सभी राजव्यवस्थाओं में**—राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया को सभी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं में अपनाया जाता है। साम्यवादी तथा अधिनायकवादी प्रणालियों में शासक वर्ग द्वारा इस प्रक्रिया के द्वारा नागरिकों को अपनी विचारधारा के अनुकूल ढालने का प्रयास किया जाता है, ताकि जनता वैसा ही व्यवहार करे जैसा शासक वर्ग चाहता है। इसी प्रकार लोकतान्त्रिक व्यवस्थाओं में नागरिकों को समानता, स्वतन्त्रता, भाईचारे तथा सहिष्णुता आदि मानवीय गुणों का पाठ पढ़ाया जाता है। नागरिकों में अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न की जाती है। इस प्रकार राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया सर्वव्यापक है।
3. **राजनीतिक शिक्षण व प्रशिक्षण की प्रक्रिया**—राजनीतिक समाजीकरण ऐसी प्रक्रिया है, जिसके द्वारा नागरिकों को राजनीति के विभिन्न पक्षों की जानकारी तथा शिक्षा दी जाती है। इतना ही नहीं इस प्रक्रिया द्वारा उसे आदर्श नागरिक बनने का प्रशिक्षण भी दिया जाता है।
4. **निरन्तर तथा गतिशील प्रक्रिया—ऑमण्ड तथा पॉवेल** के अनुसार, "राजनीतिक समाजीकरण एक गतिशील तथा निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है।" उनके अनुसार, राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया व्यक्ति के समस्त जीवन में निरन्तर चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि राजनीति के सम्बन्ध में व्यक्तियों का दृष्टिकोण बचपन से ही निर्धारित हो जाए तथा बाद मे उसमें कोई परिवर्तन न हो। वास्तविकता यह है कि विभिन्न घटनाओं तथा परिस्थितियों का व्यक्ति की सोच तथा दृष्टिकोण पर प्रभाव पड़ता है। जिनके परिणामस्वरूप उसका दृष्टिकोण या तो पहले से ही अधिक दृढ़ हो जाता है या उसमें परिवर्तन हो जाता है। जैसे प्रारम्भ में व्यक्ति अपने परिवार की पृष्ठभूमि के कारण किसी विशेष दल की ओर आकर्षित हो सकता है परन्तु उसके बाद विभिन्न घटनाओं, मित्रों के प्रभाव तथा स्वयं के अनुभवों के आधार पर वह उस दल का विरोधी हो सकता है। कुछ घटनाएँ तो सारे विश्व की राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित कर देती है। जैसे 11 सितम्बर 2001 की अमेरिका में घटी आतंकवादी घटना ने पूरे विश्व को आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया है।
5. **राजनीतिक समाजीकरण एक उद्देश्यपूर्ण तथा मूल्यों पर आधारित अवधारणा तथा प्रक्रिया**—राजनीतिक समाजीकरण का एक निश्चित उद्देश्य है राजनीतिक संस्कृति का विकास तथा उसकी रक्षा या उसका निश्चित दिशा में परिवर्तन करना है। जैसे भारत में राजनीतिक समाजीकरण का उद्देश्य नागरिकों को लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्रीय एकता व अखण्डता की विचारधारा में दीक्षित करना है।

TOUCH 'n PASS

प्र.2. राजनीतिक समाजीकरण की प्रकृति एवं इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए।
Describe the nature and types of political socialization.

उत्तर

राजनीतिक समाजीकरण की प्रकृति
(Nature of Political Socialization)

राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक संस्कृति से जुड़ी हुई प्रक्रिया है जो सतत् रूप में चलती रहती है। यह प्रत्येक देश की राजनीतिक व्यवस्था के व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। यह राजनीतिकरण, राजनीतिक सहभागिता व राजनीतिक भर्ती से अधिक व्यापक संकल्पना भी है। इसमें व्यक्ति की राजनीतिक अभिवृत्तियों, विश्वासों व मान्यताओं का अभिमुखीकरण शामिल है। इससे ये मान्यताएँ मूल्य व विश्वास दूसरी पीढ़ी तक भी जाते हैं। इससे व्यक्ति का राजनीतिक समाज के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण बनता है और उसका समाज, राष्ट्र और शासक वर्ग के प्रति निष्ठा का भाव भी विकसित होता है। राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया सामान्यतया आकस्मिक रूप में कार्य करती है। यह इतने शान्त और सौम्य रूप में संचालित होती है कि लोगों को इसकी खबर भी नहीं होती। इसके अन्तर्गत वे औपचारिक एवं अनौपचारिक राजनीतिक प्रशिक्षण भी शामिल होते हैं जो राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। राजनीतिक समाजीकरण एक ऐसा विचार भी है जो राजनीतिक स्थायित्व के लक्ष्य को प्राप्त करने की भी अपेक्षा रखता है। इसका उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों का प्रशिक्षण और विकास करना है जिससे वे राजनीतिक समाज के अच्छे सदस्य बन सकें। राजनीतिक समाजीकरण व्यक्तियों के मन में मूल्यों, मानकों और अभिविन्यासों का विकास करता है, जिससे उनमें राजनीतिक व्यवस्था के प्रति विश्वास की भावना पैदा हो सके और वे अपने अच्छे कार्यों द्वारा अपने उत्तराधिकारियों पर अमिट छाप छोड़ सके। राजनीतिक समाजीकरण ही वह कड़ी है जो समाज और राजनीतिक व्यवस्था को जोड़ती है।

राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया उस समय से शुरू हो जाती है, जब बच्चा अपने चारों ओर के व्यापक पर्यावरण के बारे में जानने लगता है। इसी अवस्था में 'बच्चों में' समाजीकरण का गुण प्रवेश कर जाता है जो आगे चलकर परिवार, स्कूल, स्वैच्छिक समूह, मित्र-मण्डली, राजनीतिक संरचनाओं आदि के द्वारा पूर्ण विकसित हो जाता है। इससे समाजीकरण का प्रकट व अप्रकट रूप उभरने लगता है। जब व्यक्ति के राजनीति के प्रति अभिवृत्तियाँ जागृत की जाती हैं तो प्रकट रूप उभरता है। जैसे राजनीतिक दलों द्वारा व्यक्ति को अपने चुनावी कार्यक्रमों में आकर्षित करना व अपने कार्यक्रमों की जानकारी दोनों का कार्य किया जाता है तो यह प्रकट समाजीकरण होता है। लेकिन जब जनसम्पर्क के साधनों, मित्र मण्डलियों, स्कूलों आदि से स्वत: ही बनने लगती है और व्यक्ति को इसका पता बाद में लगता है तो यह अप्रकट राजनीतिक समाजीकरण होता है। अप्रकट समाजीकरण से सत्ताधारकों का जन्म लेना कठिन होता है। राजनीतिक समाजीकरण का प्रकट रूप ही सत्ताधारकों का जन्मदाता है। इससे छल-योजन व जोड़-तोड़ द्वारा लोगों में राजनीतिक व्यवस्था के प्रति मूल्य, विश्वास व मान्यताएँ पैदा की जाती हैं। यह समाजीकरण ही सम्पूर्ण सामाजकि व्यवस्था के पुन:निर्माण का आधार होता है। प्रकट राजनीतिक समाजीकरण शासन-तन्त्र द्वारा निर्देशित होता है। साम्यवादी देशों में इसका बहुत महत्त्व है। वहाँ पर सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था के प्रति लोगों का विश्वास बनाये रखने के लिए शासक वर्ग कई तरह की जोड़-तोड़ करते रहते हैं। राज्य निर्देशित शिक्षा प्रणाली इसका प्रमुख साधन होती है। संचार व जनसम्पर्क के साधनों का खुलकर प्रयोग किया जाता है। लेनिन ने जार की तानाशाही को उखाड़ने के लिए इसी प्रकार के समाजीकरण का प्रयोग किया था। चीन में माओ की सांस्कृतिक क्रान्ति इसी कारण सफल हुई थी। इसके विपरीत राजनीतिक समाजीकरण का अप्रकट रूप व्यक्ति में स्वत: ही समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश कर जाता है। इस दृष्टि से राजनीतिक समाजीकरण जीवन भर चलने वाली शाश्वत् प्रक्रिया होती है। इससे व्यक्ति के राजनीतिक व्यवस्था के प्रति विचार व मूल्य अधिक स्थायी होते हैं। इसमें जोड़-तोड़ या छल-योजन का अभाव रहता है। स्थायित्व की दृष्टि से राजनीतिक समाजीकरण का यह रूप प्रकट रूप से अधिक महत्त्व का होता है। इस समाजीकरण के तत्त्व व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग बन जाते हैं और आजीवन उसका पीछा नहीं छोड़ते। इसके विपरीत प्रकट राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक व्यवस्था के लिए लाभकारी व हानिकारक दोनों हो सकता है।

राजनीतिक समाजीकरण के प्रकार
(Types of Political Socialization)

राजनीतिक समाजीकरण के निम्नलिखित रूप हैं—

(I) प्रकट या प्रत्यक्ष राजनीतिक समाजीकरण (Manifest Political Socialization)

जब व्यक्ति प्रत्यक्ष साधनों द्वारा राजनीतिक मूल्यों, संस्कृति, विचारों व झुकाव को ग्रहण करता है तो उसे प्रकट या प्रत्यक्ष राजनीतिक समाजीकरण कहा जाता है। जब राजनीतिक व्यवस्था सम्बन्धी जानकारी, अभिमुखीकरण और मूल्यों का

जान-बूझकर स्पष्ट रूप से सम्प्रेषण या संचरण होता है तो प्रकट राजनीतिक समाजीकरण का जन्म होता है। इस प्रकार के राजनीतिक समाजीकरण में शैक्षिक संस्थाओं को माध्यम बनाकर राजनीतिक समाज अपने उद्देश्य पूरा करता है। चीन में माओ की विशुद्ध राजनीतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाने का यही उद्देश्य है। इसी तरह रूस में भी लम्बे समय तक लेनिन और मार्क्स के क्रान्तिकारी विचारों को स्कूली व कॉलेज स्तर की शिक्षा का अनिवार्य अंग बनाये रखा गया। इन सभी का उद्देश्य प्रकट राजनीतिक समाजीकरण से ही जुड़ा हुआ है। इन देशों में साम्यवादी दल ही प्रारम्भ से साम्यवादी शिक्षा प्रणाली का नियन्त्रक रहा है और उसने ही लोगों के राजनीतिक समाजीकरण की अहम् भूमिका अदा की है। इसमें जोड़-तोड़ व छल-योजन की बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका रहती है। यह समाजीकरण अधिक स्थायी नहीं होता है। शासन-व्यवस्था में आई थोड़ी सी सुस्ती राजनीतिक व्यवस्था को गर्त में धकेल सकती है, जैसा रूस में हुआ। हाल ही में 2003 में ईराक में सद्दाम हुसैन के प्रायोजित राजनीतिक समाजीकरण का जो हर्ष हुआ है, वह सर्वविदित है।

(II) अप्रकट या अप्रत्यक्ष राजनीतिक समाजीकरण (Latent Political Socialization)

जब राजनीतिक अभिमुखीकरणों, प्रतिमानों और सत्ता सम्बन्धों के प्रति मनुष्य की अभिवृत्तियों का निर्माण स्वत: ही होता है, तो उसे अप्रकट या अप्रत्यक्ष राजनीतिक समाजीकरण कहा जाता है। यह समाजीकरण स्वत: ही होता जाता है। इसमें प्रायोजित कार्यक्रमों की आवश्यकता नहीं पड़ती। अप्रकट राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया समाजीकरण की प्रक्रिया के साथ-साथ चलती रहती है। यह जीवन-भर चलने वाली प्रक्रिया या कार्यक्रम है। यह धीरे-धीरे चलता रहता है और इसके परिणाम अधिक स्थायी व दूरगामी होते हैं। यह छल योजन या जोड़-तोड़ से दूर रहने के कारण राजनीतिक संस्कृति से घनिष्ठ रूप से जुड़ा रहता है। इस प्रकार का समाजीकरण स्वैच्छिक संस्थाओं, राजनीतिक संस्थागत संरचनाओं, समुदायों आदि के द्वारा स्वत: ही होता रहता है।

(III) पुरातन राजनीतिक समाजीकरण (Primitive Political Socialization)

यह समाजीरण रूढ़िवादी राजनीतिक समाजों में पाया जाता है जो राजनीतिक जागृति व चेतना से हीन है। इसमें लोगों का रूढ़िवादी मूल्यों, विश्वासों व परम्पराओं से गहरा लगाव होता है। इसमें राजनीतिक सत्ता में शीघ्रता से बदलाव नहीं होता। परम्परावादी होने के कारण इसमें व्यक्ति विशेष के पास ही राजनीतिक सत्ता रहती है और वही राजनीतिक सत्ता व शक्ति का नियामक बना रहता है। इसमें सामाजिक परिवर्तन व राजनीतिक आधुनिकीकरण को विद्रोह माना जाता है। यह केवल कबाइली समाजों में ही पाया जाता है।

(IV) आधुनिक राजनीतिक समाजीकरण (Modern Political Socialization)

यह समाजीकरण सभ्य व उन्नत राजनीतिक समाजों में पाया जाता है। इसमें व्यक्ति को बाल्यकाल से ही राजनीतिक व्यक्ति बनाने के प्रयास किये जाते हैं। इसमें व्यक्ति को राजनीतिक समस्याओं और राजनीतिक संस्थागत संरचनाओं का ज्ञान शुरू से कराया जाता है। ताकि वह परिपक्व होकर राजनीतिक सत्ताधारक बन सके। इस प्रक्रिया में पत्र-पत्रिकाओं, रेडियो, दूरदर्शन, समाचार-पत्रों आदि जनसम्पर्क के साधनों का महत्त्वपूर्ण योगदान रहता है। इससे व्यक्ति में राजनीतिक व्यवस्था के प्रति मूल्य व विश्वासों में वृद्धि होती है और उसकी राजनीतिक चेतना व लगाव इस कद्र तक बढ़ जाती है कि वह राजनीतिक व्यवस्था का अभिन्न अंग बन जाता है।

इसके अतिरिक्त भी राजनीतिक समाजीकरण के कई अन्य रूप भी हो सकते हैं, जैसे—औपचारिक व अनौपचारिक, निरन्तर व बाधित, समरूप व भिन्न। लेकिन इनका सम्बन्ध किसी-न-किसी रूप में उपरोक्त वर्गीकरण से ही सम्बन्धित रहता है। यह अवश्य सत्य है कि प्रत्येक राजनीतिक समाज किसी-न-किसी रूप में राजनीतिक समाजीकरण की व्यवस्था को समेटे हुए है।

प्र.3. राजनीतिक समाजीकरण के अभिकरणों का वर्णन कीजिए।

Describe the agencies of Political Socialization.

उत्तर

राजनीतिक समाजीकरण के अभिकरण
(Agencies of Political Socialization)

राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया प्रत्येक राजनीतिक समाज में चलती रहती है। इसको गतिशील बनाये रखने में अनेक तत्त्वों का योगदान होता है। ये तत्त्व सभी राजनीतिक समाजों में समान प्रकृति के नहीं होते। राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया के चलने का कोई निश्चित समय नहीं होता। **एलेन बाल** ने कहा है कि "राजनीतिक समाजीकरण ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो बाल्यकाल के प्रभावग्रस्त योग्य वर्षों तक सीमित हो, बल्कि यह तो सारे वयस्क जीवन के दौरान चलती रहती है।" इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस लम्बी प्रक्रिया में व्यक्ति पर अनेक कारकों का प्रभाव भी अवश्य पड़ेगा। इसी से व्यक्ति के राजनीतिक समाजीकरण का मार्ग

प्रशस्त होगा। **एस०पी० वर्मा** ने लिखा है—"राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया में परिवार, स्कूल, चर्च, समान लोगों के समूह, जनसम्पर्क के साधन और जन-सम्बन्धों की अहम् भूमिका होती है।" इससे स्पष्ट हो जाता है कि राजनीतिक समाजीकरण के अनेक अभिकरण या साधन होते हैं। यह जरूरी नहीं है कि इन सभी साधनों का व्यक्ति पर समान प्रभाव पड़ता हो। व्यक्ति की आयु, ज्ञान, पारिवारिक वातावरण, अभिरुचि आदि का भी इस प्रक्रिया से गहरा सम्बन्ध रहता है। इसी कारण व्यक्तियों की राजनीतिक भूमिकाओं में भी अन्तर पाया जाता है। लेकिन यह बात तो निर्विवाद रूप से सत्य है कि राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कुछ अभिकरण अवश्य हैं जो व्यक्ति को राजनीतिक मानव बनाते हैं। ये अभिकरण निम्नलिखित हैं—

1. **परिवार** (Family)—परिवार व्यक्ति की प्रथम पाठशाला है। व्यक्ति परिवार से ही अनेक सामाजिक सद्‌गुणों के साथ-साथ राजनीतिक विचारधारा भी ग्रहण करता है। परिवार का बाल्यकाल में व्यक्ति पर सर्वाधिक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। परिवार ही समाजीकरण व राजनीतिक समाजीकरण का महत्त्वपूर्ण अभिकरण है। इस अभिकरण की व्यक्ति के राजनीतिक समाजीकरण में भूमिका परिवार विशेष की राजनीतिक व्यवस्था के प्रति लगाव पर निर्भर करती है। आज परिवार की राजनीतिक समाजीकरण में पहले की अपेक्षा भूमिका में वृद्धि हुई है। लेकिन मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कुछ भागों में आज भी गाँव राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया से पूरी तरह नहीं जुड़ पाये हैं। जहाँ आर्थिक विकास की समस्या है, वहाँ भी राजनीतिक समाजीकरण में परिवार या ग्रामीण समाज का कोई महत्त्वपूर्ण योगदान नहीं रहता। लेकिन आज भारत में बहुत कम ही ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया न पहुँची हो। आज प्रत्येक गाँव में स्थानीय स्वशासन की इकाइयों ने व्यक्ति को राजनीतिक भूमिका अदा करने पर मजबूर कर दिया है। आज गाँवों में ऐसा परिवार मुश्किल से मिलेगा जो राजनीति से दूर हो। आज हर समय खाली वक्त में प्रत्येक परिवार में राजनीतिक बातों पर खुलकर विचार-विमर्श होता है। इसका प्रभाव बच्चे पर भी अवश्य पड़ता है। बच्चा भी धीरे-धीरे राजनीतिक बातों में रुचि लेने लगता है। जब गाँवों में पंचायतों के चुनाव होते हैं तो प्रत्येक बच्चा भी राजनीतिक क्रियाएँ करते हुए देखा जा सकता है। यही हाल शहरी स्वशासन की संस्थाओं के चुनावों में होता है। परिवार में बढ़ती राजनीतिक चेतना बालक के मानस-पटल पर भी अवश्य प्रभाव डालती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो परिवार राजनीतिक दृष्टि से अधिक सामाजिक है, वह अपने बच्चों को भी राजनीतिक मानव बनाने में प्रेरणा के तौर पर कार्य करता है। परिवार में सीखे गए सद्‌गुण ही व्यक्ति के राजनीतिक जीवन में बहुत काम आते हैं। अत: परिवार राजनीतिक समाजीकरण का प्रमुख व प्रथम अभिकरण है।
2. **शिक्षण संस्थाएँ** (Educational Institutions)—शिक्षा राजनीतिक व्यवहार का महत्त्वपूर्ण चर है। बच्चे को राजनीतिक समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने में स्कूल व कॉलेज स्तर की शिक्षा का भी बहुत महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। बच्चा स्कूली स्तर से ही अपने देश की राजनीतिक घटनाओं का ज्ञान प्राप्त करने लगता है और कॉलेज स्तर तक पहुँचते-पहुँचते उसका राजनीति के प्रति लगाव अधिक हो जाता है। इस स्तर पर आकर वह स्वयं ही विद्यार्थी संघ के चुनावों में अभिरुचि लेने लगता है और नेतृत्व की प्रक्रिया में अहम् भूमिका अदा करने की सोचने लगता है। यह शिक्षण प्रक्रिया ही है जो व्यक्ति को सम्पूर्ण राजनीतिक मानव बना देती है। आज शैक्षिक पाठ्यक्रम में राजनीतिक संरचनाओं, इतिहास, शासन तन्त्र, कानून, संविधान, भौतिक अधिकार व स्वतन्त्रताओं आदि को शामिल किया जाता है ताकि बच्चे का राजनीतिक घटनाओं व व्यवस्थाओं से परिचय हो सके। चीन और रूस में शिक्षण संस्थाएँ ही राजनीतिक समाजीकरण का सबसे प्रबल साधन है। राजनीति शास्त्र का विषय आज प्रत्येक देश में पढ़ाया जाता है। इससे नागरिकों में देश व राजनीति के प्रति ज्ञान बढ़ता है जो कई बार प्रकट रूप ले लेता है। छात्र संघ के चुनाव राजनीतिक समाजीकरण का प्रकट रूप ही है। अत: शिक्षण संस्थाएँ भी राजनीतिक समाजीकरण का महत्त्वपूर्ण साधन है।
3. **मित्र-मण्डली** (Friends Circle)—प्रत्येक देश में शिक्षण संस्थाओं के दौरान ही बच्चों के हमजोली या लंगोटिए समूह बन जाते हैं जो बाद में खुलकर विचार-विमर्श करते हैं व गप्पे हाँकते हैं। ये समूह अनौपचारिक होते हैं। इन समूहों में बच्चा विचार-विमर्श की गई बातों को आत्मसात् कर लेता है। अध्यापक द्वारा बताई गई बातों तथा समाचार-पत्रों से प्राप्त राजनीतिक घटनाओं की जानकारी पर ये हमजोली समूह खुलकर चर्चा करते हैं। चुनावों के समय ये हमजोली समूह कुछ-न-कुछ राजनीतिक गतिविधियाँ अवश्य करते हैं। चुनावी प्रचार में जुटे लोगों की बातें सुनना, पर्चे पढ़ना व नारे लगाना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। जब ये वयस्क हो जाते हैं तो इनका गठजोड़ और अधिक मजबूत हो जाता है। ये इस बात पर निर्णय करने लग जाते हैं कि कौन-सी पार्टी ठीक है या कौन-सा नेता ठीक है। पढ़े-लिखे बच्चों में अनपढ़ों की

TOUCH 'n' PASS

अपेक्षा अधिक राजनीतिक चेतना रहती है। ये स्वेच्छिक समूह उम्र के साथ-साथ बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन इनका अस्तित्व अवश्य रहता है। परिपक्व आयु में बनने वाले स्वेच्छिक समूह व्यक्ति का अधिक राजनीतिक समाजीकरण करते हैं और यह राजनीति समाजीकरण स्थायी प्रकृति का होता है।

4. **दबाव व हित समूह** (Pressure and Interest Groups)—आज प्रत्येक लोकतन्त्रीय देश में दबाव या हित समूह अवश्य पाये जाते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि होने के कारण इनका राजनीतिक व्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ये समूह सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं के रूप में भी हो सकते हैं। आज विश्व में कृषकों, मजदूरों, सरकारी कर्मचारियों, व्यापारियों, विद्यार्थियों, स्त्रियों आदि के अनेकों संगठन हैं जो राजनीतिक गतिविधियाँ करके व्यक्ति का राजनीतिक समाजीकरण करते हैं। राजनीतिक दल के साथ लगकर राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए ये हमेशा जोड़-तोड़ करते रहते हैं। जनमत को अपने पक्ष में करने के लिए ये तरह-तरह के तरीके प्रयोग में लाते हैं। ये अपने क्रिया-कलापों द्वारा राजनीतिक समाजीकरण में अहम् भूमिका निभाते हैं। कई बार तो ये राजनीतिक दलों को आर्थिक सहायता देते हैं और राजनीतिक स्तर पर किये जाने वाले नीति-निर्माण को भी प्रभावित करते हैं। इनकी गतिविधियाँ ही राजनीतिक समाजीकरण का अभिकरण है।
5. **राजनीतिक दल** (Political Parties)—आज प्रत्येक देश में राजनीतिक दल विद्यमान है। चुनावी राजनीति को अमली जामा पहचाने में राजनीतिक दलों की ही महत्त्वपूर्ण भूमिका है। आज हर व्यक्ति का राजनीतिकरण करने का प्रयास राजनीतिक दल ही करते हैं। केन्द्र से लेकर ग्रामीण इकाई तक राजनीतिक दलों का जो जाल फैला हुआ है, उसने व्यक्ति का राजनीतिकरण कर दिया है। आज ग्रामीण संस्थाओं के चुनाव भी राजनीतिक दलों के गुप्त मार्गदर्शन में सम्पन्न होने लगे हैं। अब कोई भी व्यक्ति राजनीतिक दलों के प्रभाव से नहीं बच सकता। राजनीतिक दल ही सत्ताधारकों के जन्मदाता हैं। राजनीतिक दल अपनी विशेष राजनीतिक विचारधारा रखते हैं जिसको क्रियारूप देकर वे राजनीतिक समाज का समाजीकरण करते हैं। दलों के वार्षिक अधिवेशन, चुनावी घोषणा-पत्र राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। राजनीतिक दल ही जनता को राजनीति की तरफ आकर्षित करते हैं। राजनीतिक दलों द्वारा चलाये जाने वाले सदस्यता अभियान राजनीतिक समाजीकरण का महत्त्वपूर्ण अंग हैं। राजनीतिक दलों की गतिविधियों के कारण ही आज प्रत्येक वयस्क व्यक्ति राजनीति में रंग के रंग चुका है। अत: राजनीतिक दल भी राजनीतिक समाजीकरण का प्रबल आधार है।
6. **जनसम्पर्क के साधन** (Means of Public Relations)—आज जनसम्पर्क के साधनों ने भी व्यक्ति का राजनीतिक समाजीकरण कर दिया है। समाचार पत्र, रेडियो, टी०वी०, पत्र-पत्रिकाओं से मिलने वाली राजनीतिक घटनाओं की जानकारी व्यक्ति को काफी प्रभावित करती है। इसी से उसके राजनीतिक विचार बनते व बिगड़ते हैं। आज सभी शासन-व्यवस्थाएँ जनसम्पर्क के साधनों का प्रयोग करके अपने नागरिकों का राजनीतिक अभिमुखीकरण करने लगी है। आज हम जो कुछ रेडियो पर सुनते हैं, टी०वी० पर देखते हैं और समाचार-पत्रों में पढ़ते हैं, वह हमारे राजनीतिक जीवन का अभिन्न अंग बन जाता है। साम्यवादी देशों में तो जनसम्पर्क के साधन ही सरकार के पास राजनीतिक अभिमुखीकरण का प्रबल साधन हैं। आज विकासशील व विकसित देशों में भी जन-सम्पर्क के साधन ही समाजीकरण में अहम् भूमिका निभा रहे हैं।
7. **राजनीतिक व्यवस्था** (Political System)—आज राजनीतिक व्यवस्था की संस्थागत संस्थाएँ भी राजनीतिक समाजीकरण का प्रबल साधन बन गई हैं। सरकार द्वारा किये गये कार्यों को नागरिकों की पसंद या ना पसंद से जोड़कर इसका पता लगाया जाता है। साम्यवादी सरकारें जनसम्पर्क के साधनों तथा शिक्षण संस्थाओं का प्रयोग करके शासन-तन्त्र के इच्छित मूल्यों को नागरिकों में सम्प्रेषित करती है और नागरिकों की अभिवृत्तियों, मान्यताओं और आस्थाओं को राजनीतिक समाजीकरण की तरफ मोड़ने के हर प्रयास करती हैं। लोकतन्त्र के अन्तर्गत भी सरकारें अपनी भूमिका निष्पादन के द्वारा लोगों को राजनीतिक सीख देती रहती है। राजनीतिक-व्यवस्था का भी राजनीतिक समाजीकरण से गहरा सम्बन्ध होता है। चीन व सोवियत संघ में लोगों को राजनीतिक शिक्षा देने के लिए स्वैच्छिक युवा वर्गों और संगठनों की आर्थिक मदद भी की जाती रही है। कई बार तो धर्म तक को भी आड़ में लेकर लोगों को राजनीतिक व्यवस्था से जोड़े रखने के प्रयास किये जाते रहे हैं।
8. **आजीविका के साधन** (Means of Livelihood)—आज प्रत्येक व्यक्ति आर्थिक क्रियाओं से किसी-न-किसी रूप में उलझा हुआ है। विभिन्न सरकारी व गैर-सरकारी आर्थिक कार्यों में लगे हुए लोग अपने हितों के लिए संगठन व संघ

TOUCH n PASS

बनाकर राजनीतिक गतिविधियाँ संचालित करते रहते हैं। इस सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया का सहारा लेकर प्रत्येक संगठन अपने उद्देश्यों को भी प्राप्त कर लेता है और इससे उसके सदस्यों का राजनीतिक समाजीकरण भी हो जाता है। संघ के दौरान रहकर सीखने वाली हड़ताल, बन्ध, तोड़फोड़, प्रदर्शन आदि गतिविधियाँ व्यक्ति के राजनीतिक स्वभाव का प्रमुख अंग बन जाती है जो आगे चलकर राजनीतिक जीवन के किसी-न-किसी बिन्दु पर अवश्य प्रकट होने लगती हैं। पावेल ने लिखा है—"नौकरी और इसके इर्द-गिर्द औपचारिक व अनौपचारिक संगठन-क्लब, मजदूर संघ आदि राजनीतिक सूचना और विश्वास तथा मूल्यों से स्पष्ट रूप से संचार सम्बन्धी माध्यम है जो व्यक्ति का राजनीतिकरण करते हैं।"

9. **राष्ट्रीय प्रतीक** (National Symbols)—राष्ट्रीय प्रतीक भी राजनीतिक समाजीकरण का प्रमुख साधन होते हैं। गणतन्त्र दिवस, स्वतन्त्रता दिवस, मई दिवस, आम चुनाव, राज्याभिषेक, गाँधी जयन्ती, राष्ट्रीय झण्डा, राष्ट्रीय गान व गीत, मार्क्स व लेनिन की जयन्तियाँ आदि के कारण भी लोगों में राजनीतिक अभिमुखीकरण होता है। इनका बच्चों से लेकर वयस्क व्यक्ति तक कुछ-न-कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है। इससे लोगों को देश-विदेश की राजनीतिक बातों का पता लगता है और उसके राजनीतिक बातों का पता लगता है और उनके राजनीतिक विचार विकसित होने लगते हैं जो उनको राजनीतिक समाजीकरण की तरफ ले जाते हैं।

उपरोक्त विवेचन के बाद यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति के राजनीतिक समाजीकरण में परिवार, शिक्षा, मित्र-समूह, जनसम्पर्क के साधन, दबाव समूह, राजनीतिक दल, साहित्य, विभिन्न समुदाय आदि का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। साम्यवादी देशों में तो लोगों का राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अभिमुखीकरण करने के लिए स्वयं सरकार द्वारा जनसम्पर्क साधनों व शिक्षण संस्थाओं का खुलकर प्रयोग किया जाता है। इसलिए राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया इन देशों में वह लक्ष्य अस्थायी रूप में ही पूरे कर पाती है। इसके विपरीत लोकतन्त्रीय देशों में समाजीकरण की प्रक्रिया सहज व स्वत: होने के कारण अधिक स्थायी परिणाम देने वाली होती है। इस तरह प्रत्येक देश की राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में पाये जाने वाले अन्तर के कारण वहाँ पर राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया भी दूसरे देशों से भिन्न हो जाती है। विकासशील देशों में तो धर्म की संस्थाएँ भी आज राजनीतिक समाजीकरण का सशक्त माध्यम बनती जा रही हैं। आज धर्म के नाम पर राजनीतिक अभिमुखीकरण करना एक आम बात हो गई है। आर्थिक साधनों के अभाव में कई बार राजनीतिक समाजीकरण के साधन संयुक्त रूप से कार्य नहीं कर पाने के कारण अपने लक्ष्य में पिछड़ जाते हैं। विकासशील देशों में यही समस्या है। विकासशील देशों में राजनीतिक समाजीकरण के कुछ साधन या अभिकरण तो कागजों की शोभा बनकर रह गये हैं। भारत में स्कूली शिक्षा से सभी बच्चों को 2010 तक जोड़ना इस बात का सूचक है कि आने वाले समय में भारतीय समाज में राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया में अवश्य तेजी आएगी जो राजनीतिक व्यवस्था के लिए एक शुभ संकेत होगी। अत: निष्कर्ष तौर पर कहा जा सकता है कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति, राजनीतिक समाज के मूल्य व अभिमुखीकरण, जनसम्पर्क के साधनों की व्यवस्था, आर्थिक विकास की प्रकृति, राजनीतिक संस्कृति का स्वरूप आदि नियामक राजनीतिक समाजीकरण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इनका घटता बढ़ता प्रभाव ही राजनीतिक समाजीकरण की मात्रा को निर्धारित करता है।

प्र.4. समाजवाद के अर्थ, विशेषताएँ, सफलताएँ और आलोचना का वर्णन कीजिए।

Describe the meaning, characteristics, success or merits of Socialism.

उत्तर

समाजवाद का अभिप्राय
(Meaning of Socialism)

समाजवाद का उदय पूँजीवाद की एक वैकल्पिक आर्थिक प्रणाली के रूप में हुआ। समाजवाद के सम्बन्ध में अर्थशास्त्री एवं राजनीतिज्ञ एकमत नहीं है। समाजवाद के विचार विभिन्न राजनीतिज्ञों एवं अर्थशास्त्रियों द्वारा विभिन्न रूपों मे प्रस्तुत किये गये हैं। समाजवाद के स्वरूप को लेकर विभिन्न विचारधाराओं के जो मतभेद परिलक्षित होते हैं, उसके सन्दर्भ में प्रो०सी०ई०एम० जोड ने कहा है—"समाजवाद एक ऐसी टोपी है जिसका रूप प्रत्येक व्यक्ति के पहनने के कारण बिगड़ गया है।" प्रो० जोड के इस व्यंग्यात्मक कथन का अभिप्राय यह है कि समाजवाद का अपना कोई वास्तविक स्वरूप नहीं होता तथा इसके स्वरूप में परिस्थितियों के अनुसार समायोजन हो जाता है।

यद्यपि समाजवाद के अभिप्राय को लेकर अर्थशास्त्रियों में भिन्नता पायी जाती है।

TOUCH n PASS

फिर भी निम्नलिखित परिभाषाओं को समाजवाद की उपयुक्त परिभाषाओं की संज्ञा दी जा सकती है—
प्रो० डिकिन्स के अनुसार, समाजवाद समाज का एक ऐसा आर्थिक संगठन है जिसमें उत्पत्ति के भौतिक साधनों पर सामाजिक स्वामित्व होता है तथा उनका संचालन एक सामान्य योजना के अन्तर्गत, सम्पूर्ण समाज के प्रतिनिधि एवं उसके प्रति उत्तरदायी संस्थाओं के द्वारा किया जाता है।
समाज के सभी सदस्य समान अधिकारों के आधार पर ऐसे नियोजन एवं समाजीकृत उत्पादन के लाभों के अधिकारी होते हैं। प्रो० **लाक्स एवं छूट** के अनुसार—समाजवाद वह आन्दोलन है जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने के उत्पादन में काम आने वाली प्रकृति निर्मित एवं मानव-निर्मित उत्पादन वस्तुओं का स्वामित्व एवं प्रबन्ध व्यक्तियों के स्थान पर समाज को सौंपना है।
ताकि व्यक्ति की आर्थिक प्रेरणा अथवा उसकी व्यावसायिक एवं उपभोग सम्बन्धी चुनाव करने की स्वतन्त्रता को नष्ट किये बिना बड़ी राष्ट्रीय आय का अधिक समान वितरण हो सके।
मॉरिस डाब के अनुसार, समाजवाद की आधारभूत विशेषता यह है कि इसमें सम्पन्न वर्ग की सम्पत्ति का अधिग्रहण एवं भूमि तथा पूँजी का समाजीकरण करके उन वर्ग सम्बन्धों को समाप्त कर दिया जाता है, जो पूँजीवादी उत्पादन का आधार है।
समाजवाद की उपर्युक्त परिभाषा इस बात पर प्रकाश डालती है कि इस आर्थिक प्रणाली में उत्पत्ति के साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व न होकर सामाजिक स्वामित्व (Social Ownership) होता है। साथ ही इन उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग किसी एक व्यक्ति के हित के लिए नहीं किया जाता, बल्कि सामाजिक एवं सामूहिक हित में किया जाता है। इसके अतिरिक्त समाजवादी आर्थिक प्रणाली में उत्पादन एवं राष्ट्रीय आय का न्यायोचित वितरण किया जाता है जिससे मानव द्वारा मानव का शोषण नहीं होने पाता।

समाजवाद की विशेषताएँ (Characteristics of Socialism)

एक समाजवादी आर्थिक प्रणाली में पाये जाने वाले लक्षण एवं विशेषताएँ अग्रलिखित हैं—

1. **उत्पत्ति के साधनों पर सामूहिक एवं सामाजिक स्वामित्व** (Collective and Social Ownership on the Factor of Production)—समाजवाद की नींव महत्त्वपूर्ण विशेषता पर आधारित है कि इस आर्थिक प्रणाली में उत्पत्ति के साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व (Individual-Ownership) न होकर समाज का सामूहिक स्वामित्व (Collective-Ownership) होता है। दूसरे शब्दों में समाजवाद में उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग सामाजिक कल्याण वाले कार्यों के लिए किया जाता है तथा इसमें व्यक्तिगत लाभ की भावना शून्य रहती है।
   उत्पत्ति साधनों का स्वामित्व (Ownership), नियन्त्रण (Control) एवं नियमन (Regulation) राज्य द्वारा किया जाता है जिसके कारण पूँजीवाद की भाँति समाजवाद में आर्थिक शोषण की कोई सम्भावना नहीं रहती तथा सामाजिक कल्याण में वृद्धि होती है। इस प्रकार समाजवाद में अधिकतम सामाजिक कल्याण (Maximum Social Advantage) प्राप्त करना राजकीय कार्यों का एक मौलिक उद्देश्य बन जाता है।
2. **उत्पादन एवं वितरण क्रियाएँ राज्य द्वारा सम्पादित** (Government Performs the Activities of Production and Distribution)—समाजवादी आर्थिक प्रणाली में उत्पादन एवं वितरण सम्बन्धी क्रियाओं पर सरकार का स्वामित्व एवं नियन्त्रण रहता है। क्या उत्पादन होगा (What To produce), कैसे होगा (How to Produce), कितना होगा (How much to Produce) तथा उत्पादन का समाज में किस प्रकार वितरण होगा (How to Distribute), सम्बन्धी सभी फैसले सरकार स्वयं अधिकतम सामाजिक कल्याण की भावना के आधार पर करती है। समाजवाद की इस विशेषता के कारण व्यक्ति के द्वारा व्यक्ति के शोषण की सम्भावना समाप्त हो जाती है। क्योंकि श्रमिक अपनी योग्यतानुसार श्रम का समुचित प्रतिफल सरकार द्वारा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार समाजवाद में शोषण के सभी स्रोत समाप्त हो जाते हैं।
3. **निजी सम्पत्ति का अति-सीमित अधिकार** (Very Limited Ownership Right of Private Property)—उत्पत्ति के सभी साधनों पर राज्य के स्वामित्व का यह अभिप्राय नहीं है कि समाजवाद में निजी सम्पत्ति का अधिकार पूर्णत: नगण्य होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में निजी सम्पत्ति के अधिकार का सीमित अस्तित्व तो होता है, किन्तु इस सम्पत्ति का प्रयोग धनोपार्जन (Creation of Wealth) के लिए नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए, रहने के लिए मकान एवं अन्य आवश्यक सामग्री (जैसे—टी०वी, फ्रिज, फर्नीचर आदि) जैसी निजी सम्पत्ति रखने का अधिकार इस समाजवादी प्रणाली में व्यक्तियों को होता है, किन्तु अपना मकान बेचकर अतिरिक्त आय अथवा लाभ प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता।

4. **एक केन्द्रीकृत नियोजन सत्ता** (A Central Planning Authority)—समाजवादी आर्थिक प्रणाली में आर्थिक क्रियाओं का संचालन करने के लिए एक केन्द्रीकृत नियोजन सत्ता (A Central Planning Authority) गठित की जाती है। यह केन्द्रीकृत सत्ता उत्पादन एवं वितरण सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण फैसले, अधिकतर सामाजिक कल्याण की भावना के आधार पर करती है।
5. **आर्थिक नियोजन** (Economic Planning)—पूँजीवादी आर्थिक प्रणाली के विपरीत समाजवादी आर्थिक प्रणाली सामूहिक शक्ति वाली एक सामाजिक एवं पूर्णत: नियोजित प्रणाली होती है। समाजवाद में केन्द्रीकृत नियोजन सत्ता समाज में उपलब्ध उत्पत्ति के साधनों का अनुकूलतम प्रयोग (Optimum Exploitation of Resources) करने के लिए एवं अधिकतम सामाजिक कल्याण की प्राप्ति के लिए नियोजन का सहारा लेती है। नियोजन की इस प्रक्रिया में केन्द्रीय नियोजन सत्ता, उपभोग, उत्पादन, वितरण, विनियोग, पूँजी निर्माण आदि सभी से सम्बन्धित फैसले लेती है। दूसरे शब्दों में, एक समाजवादी आर्थिक प्रणाली में नियोजन प्रक्रिया द्वारा विभिन्न आर्थिक क्रियाओं को इस प्रकार संगठित किया जाता है कि उपलब्ध संसाधनों (Available Resources) को अनुकूलतम स्तर तक प्रयोग करके अधिकतम सामाजिक कल्याण प्राप्त किया जा सके। इस प्रकार आर्थिक नियोजन के बिना समाजवादी आर्थिक संरचना की कल्पना भी नहीं की जा सकती।
6. **कीमत संयन्त्र की गौण भूमिका** (Passive Role of Price Mechanism)—पूँजीवाद की भाँति समाजवाद में कीमतों का निर्धारण कीमत संयन्त्र (अर्थात् माँग एवं पूर्ति की स्वतन्त्र शक्तियों) द्वारा नहीं किया जाता बल्कि सरकार स्वयं अपने अनुभव के आधार पर कीमत निर्धारित करती है। आर्थिक क्रियाओं के लिए लेखा कीमतों (Accounting Price) का प्रयोग किया जाता है, जिसका निर्धारण सरकार स्वयं उत्पादन लागत एवं सामाजिक हित को ध्यान में रखकर करती है।
7. **आर्थिक समानता** (Economic Equality) अथवा **आर्थिक विषमताओं की समाप्ति** (Elimination of Economic Inequality)—निजी सम्पत्ति के अधिकार, व्यक्तिगत लाभ की अनुपस्थिति, उत्तराधिकार के नियम की समाप्ति के कारण समाजवादी आर्थिक प्रणाली में धन के वितरण की असमानताएँ समाप्त हो जाती हैं। उत्पत्ति के साधनों पर सामूहिक, साामजिक स्वामित्व होने के कारण आर्थिक समानताएँ उपस्थित होती हैं। समाजवादी प्रणाली में आय का मुख्य स्रोत श्रमिक की मजदूरी है। समाजवादी प्रणाली में समाज समान कार्य के लिए समान मजदूरी (Equal Wage for Equal Work) का सिद्धान्त अपनाता है। किन्तु मजदूरी का निर्धारण श्रमिक की योग्यतानुसार किया जाता है।
   इस प्रकार योग्यता के अन्तरों के कारण समाजवादी प्रणाली में मजदूरी दरों की भिन्नता कुछ आर्थिक विषमताओं को उत्पन्न तो करती है, किन्तु यह विषमता समाज में व्यक्तियों को योग्यता विस्तार के लिए प्रोत्साहित करती है। इस प्रकार समाजवादी प्रणाली में आर्थिक विषमता का पूर्ण उन्मूलन नहीं होता, बल्कि आर्थिक विषमताओं को न्यूनतम अवश्य कर दिया जाता है।
8. **शोषण का अन्त** (Elimination of Exploitation)—समाजवादी आर्थिक प्रणाली में उत्पत्ति के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व होने के कारण न्यूनतम आर्थिक विषमताएँ होती हैं, जिसके फलस्वरूप समाज का दो वर्गों सम्पन्न वर्ग एवं विपन्न वर्ग में विभाजन नहीं होता साथ ही वितरण व्यवस्था पर सरकार का स्वामित्व होता है। जिसके कारण मानव द्वारा मानव के शोषण की सम्भावना समाप्त हो जाती है।
9. **प्रतियोगिता का अन्त** (Elimination of Competition)—समाजवादी आर्थिक प्रणाली में उत्पादन एवं वितरण दोनों पर सरकार का अधिकार एवं नियन्त्रण होने के कारण पारस्परिक प्रतियोगिता की कोई सम्भावना नहीं रह जाती। सरकार द्वारा स्वयं उत्पादन का क्षेत्र, उत्पादन मात्रा तथा वस्तु कीमत निर्धारण किये जाने के कारण समाजवाद में प्रतियोगिता उत्पन्न ही नहीं हो पाती, जिसके कारण प्रतियोगिता पर होने वाला अपव्यय समाजवाद में समाप्त हो जाता है।
10. **अनर्जित आय का अन्त** (Elimination of Unearned Income)—समाजवादी आर्थिक प्रणाली में उत्तराधिकार के नियम की उत्पत्ति के कारण किसी भी व्यक्ति को अनर्जित आय प्राप्त होने की कोई सम्भावना नहीं होती, इस आर्थिक प्रणाली में श्रम सर्वोपरि होता है तथा प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करके आय अर्जित करता है।
    समाजवादी आर्थिक प्रणाली के उपर्युक्त विशेषताओं से स्पष्ट होता है कि इस प्रणाली में पूँजीवाद के विपरीत साधनों पर सामाजिक स्वामित्व होने के कारण आर्थिक क्रियाओं का क्रियान्वयन सामाजिक हित को ध्यान में रखकर स्वयं सरकार द्वारा किया जाना है, जिसके फलस्वरूप व्यक्तिगत हित, प्रतियोगिता, शोषण, आर्थिक विषमताएँ उत्पन्न नहीं होती।

TOUCH 'n' PASS

समाजवाद की सफलताएँ अथवा गुण (Success or Merits of Socialism)

समाजवाद की सफलताएँ अथवा गुण निम्नलिखित हैं—

(i) **उत्पत्ति के संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग सम्भव** (Optimum Utilisations of Factors of Production)—समाजवादी अर्थव्यवस्था का मौलिक आधार केन्द्रीकृत नियोजन (Centralised Planning) होने के कारण उत्पत्ति के साधनों का श्रेष्ठतम प्रयोग सम्भव हो पाता है। साथ ही नियोजन द्वारा संसाधनों को कम उत्पादकता एवं वांछनीयता वाले क्षेत्र से निकाल कर अधिक उत्पादकता वाले एवं अधिक सामाजिक हित वाले क्षेत्रों में स्थानान्तरित करके संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करना सम्भव हो पाता है।

पूँजीवाद में स्वहित उद्देश्य सर्वोपरि होने के कारण पूँजीपतियों में पारस्परिक स्पर्धा उत्पन्न होती है तथा संसाधनों का अपव्यय (Wastage of Resources) होता है, जिसके कारण पूँजीवाद में संसाधनों का श्रेष्ठतम प्रयोग सम्भव नहीं हो पाता, किन्तु समाजवाद में नियोजन द्वारा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की आर्थिक क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। जिसके फलस्वरूप संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग सम्भव हो पाता है।

(ii) **व्यापार-चक्रों की समाप्ति एवं आर्थिक स्थायित्व** (Elimination of Trade Cycle and Economic Stability)—समाजवाद में केन्द्रीय नियोजन के कारण तथा उपभोग एवं उत्पादन क्षेत्र के पारस्परिक समन्वयन के कारण अर्थव्यवस्था में अति-उत्पादन (Over-Production) एवं कम उत्पादन (Under Production) की कोई सम्भावना नहीं होती जिसके कारण अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थायित्व बन जाता है। केन्द्रीय नियोजन सत्ता द्वारा आर्थिक क्रियाओं का निष्पादन पूर्व-निश्चित उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता, असन्तुलन एवं अन्तर्विरोध उत्पन्न नहीं होता और आर्थिक स्थायित्व की स्थिति उत्पन्न रहती है।

(iii) **आर्थिक समानता एवं सामाजिक न्याय** (Economic Equality and Social Justice)—समाजवाद में उत्पत्ति के साधनों पर सामूहिक सामाजिक स्वामित्व होने के कारण आय एवं सम्पत्ति के वितरण में विषमताएँ नहीं पायी जाती। समाजवाद में उत्तराधिकार के नियम की अनुपस्थिति होने के कारण समाज के सभी वर्गों को अपनी योग्यतानुसार कार्य करने के समान अवसर प्राप्त होते हैं। इस प्रकार समाजवाद में आर्थिक समानता के साथ-साथ सामाजिक न्याय का घटक स्वत: उपस्थित हो जाता है।

(iv) **सामाजिक परजीविता का अन्त** (Elimination of Social-Parasitism)—पूँजीवाद में उत्तराधिकार के नियम की उपस्थिति के कारण धनी एवं सम्पन्न व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों को अनर्जित आय प्राप्त होती है, जिससे वह गरीब एवं विपन्न लोगों का शोषण करते थे, किन्तु समाजवाद में अनर्जित आय का कोई स्थान नहीं। समाजवादी प्रणाली में आय अर्जन का मुख्य स्रोत श्रमिक की स्वयं मजदूरी है। जो वह अपनी योग्यतानुसार प्राप्त करता है। इस प्रकार समाजवाद में परजीविता के लिए कोई स्थान नहीं।

(v) **वर्ग-संघर्ष की समाप्ति** (Elimination of Class-Struggle)—समाजवाद में उत्पत्ति के साधनों एवं उत्पादन क्रियाओं पर सरकारी स्वामित्व होने के कारण धन के आधार पर समाज का विभाजन सम्भव नहीं होता। समाज में प्रत्येक व्यक्ति श्रमिक होता है, जिसे अपनी योग्यतानुसार कार्य एवं मजदूरी प्राप्त होती है। इस प्रकार समाजवाद में केवल एक ही वर्ग अर्थात् श्रमिक वर्ग (Labour-Class) होता है, जिसके कारण समाज में द्वेष एवं वर्ग संघर्ष की कोई सम्भावना नहीं रहती।

(vi) **आर्थिक शोषण की समाप्ति** (Elimination of Economic Exploitation)—समाजवाद में प्रत्येक व्यक्ति अपनी आजीविका स्वयं अर्जित करता है। जिसके कारण इस प्रणाली को श्रम प्रधान आर्थिक प्रणाली की संज्ञा दी जा सकती है। व्यक्ति द्वारा अपनी योग्यतानुसार धनार्जन करने के कारण एवं उत्पत्ति के समस्त साधनों पर सरकारी स्वामित्व होने के कारण मानव द्वारा मानव के शोषण की कोई सम्भावना नहीं रहती।

(vii) **बेरोजगारी का निराकरण** (Elimination of Unemployment)—समाजवादी अर्थव्यवस्था में नियोजन केन्द्रीय बिन्दु होता है। जिसके कारण समाज में कार्य करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति एकसमान अवसर प्राप्त करता है। सरकार अधिकतम सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखकर विभिन्न उत्पादन क्रियाएँ सम्पादित करती है। जिसके कारण प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यतानुसार कार्य कर पाता है और बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न नहीं होती। जी०डी०एच० कोल के अनुसार समाजवाद के अन्तर्गत केवल बेरोजगारी की समस्या नहीं होती, बल्कि बेरोजगारी की समस्या के उत्पन्न होने की सम्भावना ही नहीं रहती।

(viii) **एकाधिकारी शक्तियों की समाप्ति** (Elimination of Monopoly Powers)—समाजवाद में सभी उत्पत्ति के साधनों एवं आर्थिक क्रियाओं पर सरकारी स्वामित्व होने के कारण समाज में धन एवं सम्पत्ति का किसी व्यक्ति अथवा वर्ग विशेष के हाथों में केन्द्रीयकरण नहीं हो पाता, जिसके कारण समाज में एकाधिकारी शक्तियाँ उत्पन्न नहीं होती।

(ix) **प्रतियोगिता एवं अपव्यय की समाप्ति** (Elimination of Competition and Wastage)—समाजवादी आर्थिक प्रणाली में उत्पादन एवं वितरण दोनों पर सरकार का अधिकार एवं नियन्त्रण होने के कारण सामाजिक प्रतियोगिता की कोई सम्भावना नहीं रहती। सरकार द्वारा स्वयं उत्पादन के क्षेत्र, उत्पादन मात्रा एवं वस्तु कीमत निर्धारित किये जाने के कारण समाजवाद में प्रतियोगिता उत्पन्न नहीं हो पाती, जिसके कारण प्रतियोगिता पर होने वाला अपव्यय (जैसे विज्ञापन एवं प्रचार पर होने वाला व्यय) समाजवाद में समाप्त हो जाता है।

समाजवाद की असफलताएँ अथवा दोष (Failure and Evils of Socialism)

समाजवादी आर्थिक प्रणाली में कुछ कमियाँ एवं दोष भी परिलक्षित होते हैं—

1. **प्रेरणा का अभाव** (Lack of Incentive)—समाजवादी अर्थव्यवस्था वस्तुतः एक सर्वसत्तावादी (Totalitarian) अर्थव्यवस्था है, जिसमें आर्थिक शक्तियों का सरकार के हाथों में केन्द्रीयकरण हो जाता है जिसमें सरकार द्वारा निर्देशित कार्य को सम्पादित करके केवल अपनी मजदूरी अर्जित करना ही श्रमिक का मुख्य उद्देश्य बन जाता है। अधिक उत्पादकता से अर्जित लाभ में श्रमिक की भागीदारी न होने के कारण अधिक कार्य करने की भावना समाप्त हो जाती है। इस प्रकार समाजवादी अर्थव्यवस्था में प्रेरणा का अभाव होता है। साथ ही इस व्यवस्था में नवीन आविष्कारों, उत्पादन तकनीकों आदि का विकास करने में व्यक्ति प्रोत्साहित अनुभव नहीं करता, क्योंकि इस विकार द्वारा अर्जित लाभ में व्यक्तिगत लाभ की सम्भावना शून्य रहती है और व्यक्ति मात्र एक उदासीन श्रमिक बनकर रह जाता है।
2. **कुशलता एवं उत्पादकता में कमी** (Lack of Efficiency of Productivity)—समाजवादी अर्थव्यवस्था में अभाव के कारण श्रमिकों की कुशलता एवं उत्पादकता हतोत्साहित होती है। समाजवाद में श्रमिकों की मजदूरी का निर्धारण उनकी उत्पादकता के आधार पर नहीं होता, बल्कि सरकार स्वयं न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर मजदूरी निर्धारित करती है। इस प्रकार श्रमिकों में आर्थिक प्रेरणा एवं प्रोत्साहन का अभाव उनकी कुशलता एवं उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
3. **लाल फीताशाही एवं नौकरी के दोष उपस्थित** (Presence of Evils of Red-Tapism and Bureaucracy)—सामाजिक आर्थिक व्यवस्था लाल फीताशाही एवं नौकरशाही के दोषों से ग्रसित होती है। उत्पादन के क्षेत्र में नियोजन के विभिन्न चरणों का निर्धारण सरकारी तन्त्र एवं उसके अधिकारियों द्वारा किया जाता है। अधिकारी गण उत्पादन प्रक्रिया को उतनी कुशलता से सम्पन्न नहीं कर पाते जितनी कुशलता से एक व्यक्तिगत उद्यमी उत्पादन क्रिया सम्पन्न करता है क्योंकि—
   (i) व्यक्तिगत उद्यमी निजी स्वार्थ (अर्थात् लाभ) के लिए उत्पादन को उसके अनुकूलतम स्तर तक पहुँचाने का प्रयास करता है, जबकि सरकारी तन्त्र एवं अफसर एक परम्परागत तरीके से बिना निजी स्वार्थ के कार्यशील होते हैं तथा वे उत्पादकता बढ़ाने में व्यक्तिगत उद्यमी की भाँति कार्यरत नहीं होते।
   (ii) सरकारी अफसरों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति का आधार उनकी कुशलता एवं क्षमता नहीं होती।
   (iii) सरकारी अफसरों में खतरा मोल लेकर उत्पादन करने की क्षमता का (अर्थात् उद्यमता) का अभाव पाया जाता है।
   (iv) भ्रष्टाचार एवं लालफीताशाही के अवगुण अवरोध बन जाते हैं।
4. **उपभोक्ता की प्रभुता की समाप्ति** (Elimination of Consumers Sovereignty)—समाजवादी आर्थिक प्रणाली में आर्थिक शक्तियाँ सरकारी हाथों में केन्द्रित होने के कारण उत्पादन सम्बन्धी सभी निर्णय (अर्थात् What? How and How much) सरकार स्वयं लेती है और उपभोक्ता को चयन की स्वतन्त्रता (Freedom of Choice) से वंचित होना पड़ता है। इस प्रकार इस प्रणाली में सरकार द्वारा जिन वस्तुओं का उत्पादन एवं वितरण किया जाता है, उपभोक्ता को विवश होकर उन्हीं वस्तुओं का उपभोग करना पड़ता है। ऐसी दशा में उपभोक्ता की प्रभुसत्ता समाप्त होकर रह जाती है।
5. **व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का अभाव** (Lack of Individual Freedom)—समाजवादी आर्थिक प्रणाली में केन्द्रीय नियोजन होने के कारण उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग सरकार पूर्व-निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करती है तथा इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक क्रियाओं के संचालन योजना के अनुसार कार्य करना पड़ता है।

TOUCH-n-PASS

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्र.1. निम्नलिखित में से कौन-सा विषय तुलनात्मक राजनीति के दायरे में शामिल है?
(क) चयनित संरचनाओं का अध्ययन
(ख) राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन
(ग) समानताओं का विश्लेषण
(घ) राजनीतिक प्रक्रियाओं के बीच मतभेद

उत्तर (घ) राजनीतिक प्रक्रियाओं के बीच मतभेद

प्र.2. निम्नलिखित में से कौन-सा विषय तुलनात्मक राजनीति के दायरे में शामिल है?
(क) सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन
(ख) राजनीति के पर्यावरण एवं बुनियादी ढाँचे का अध्ययन
(ग) राजनीतिक समाजीकरण का अध्ययन
(घ) चयनित संरचनाओं का अध्ययन

उत्तर (ख) राजनीति के पर्यावरण एवं बुनियादी ढाँचे का अध्ययन

प्र.3. ग्रेट ब्रिटेन के पहले ऐतिहासिक चार्टर मैग्नाकार्टा पर किस वर्ष हस्ताक्षर किये?
(क) 1215 (ख) 1628 (ग) 1679 (घ) 1689

उत्तर (क) 1215

प्र.4. 'कानून के शासन' की प्रणाली विकसित हुई—
(क) यू०एस०ए० (ख) ग्रेट ब्रिटेन (ग) फ्रांस (घ) चीन

उत्तर (ख) ग्रेट ब्रिटेन

प्र.5. विश्व की सबसे पुरानी संसद है—
(क) अमेरिकी कांग्रेस
(ख) भारतीय संसद
(ग) ब्रिटिश संसद
(घ) चीनी राष्ट्रीय पीपुल्स कांग्रेस

उत्तर (ग) ब्रिटिश संसद

प्र.6. ब्रिटेन में 'केबिनेट' के अग्रदूत—
(क) कबाल
(ख) गुप्त जानकारी के सम्बन्धित मन्त्रिपरिषद
(ग) महान परिषद
(घ) अन्य कोई नहीं

उत्तर (क) कबाल

प्र.7. गौरवशाली क्रान्ति किस वर्ष हुई थी?
(क) 1688 (ख) 1866 (ग) 1868 (घ) 1658

उत्तर (घ) 1658

प्र.8. ग्रेट ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमन्त्री हैं—
(क) रॉबर्ट वालपोल
(ख) ह्यूबर्ट वाल्टर
(ग) क्रॉमवेल
(घ) लॉर्ड क्लेरेंडन

उत्तर (क) रॉबर्ट वालपोल

प्र.9. ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमन्त्री को 'सभी प्रधानमन्त्रियों के लिए आदर्श' माना?
(क) सर रॉबर्ट पील (ख) पामर्स्टन (ग) ग्लैडस्टोन (घ) रॉबर्ट वालपोल

उत्तर (ग) ग्लैडस्टोन

प्र.10. द्विसदनवाद (दो सदन प्रणाली) का विकास हुआ—
(क) यू०एस०ए० (ख) ग्रेट ब्रिटेन (ग) फ्रांस (घ) चीन

उत्तर (ख) ग्रेट ब्रिटेन

TOUCH 'n' PASS

प्र.11. 'शैडो कैबिनेट' है—

(क) विपक्षी नेता द्वारा आयोजित एक कैबिनेट
(ख) एक तत्काल पिछली कैबिनेट
(ग) एक द्वितीयक कैबिनेट
(घ) अन्य कोई नहीं

उत्तर (क) विपक्षी नेता द्वारा आयोजित एक कैबिनेट

प्र.12. ब्रिटेन में ''क्राउन'' एक संस्था है जिसमें शामिल है—

(क) राजा अकेला
(ख) अकेले कैबिनेट
(ग) अकेले संसद
(घ) राजा, मन्त्रिमण्डल और संसद

उत्तर (घ) राजा, मन्त्रिमण्डल और संसद

प्र.13. निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश क्राउन की विशेषता नहीं है?

(क) क्राउन एक संस्था है
(ख) ताज अमर है
(ग) ब्रिटेन में क्राउन ही वास्तविक कार्यपालिका है
(घ) क्राउन एक व्यक्ति है

उत्तर (घ) क्राउन एक व्यक्ति है

प्र.14. 'वेस्टमिंस्टर मॉडल' का अर्थ है—

(क) ब्रिटिश संसदीय सरकार
(ख) भारतीय संसदीय मॉडल
(ग) अमेरिकी मॉडल प्रशासन
(घ) अन्य कोई नहीं

उत्तर (क) ब्रिटिश संसदीय सरकार

प्र.15. 'किचन कैबिनेट' का अर्थ है—

(क) मन्त्रियों का समूह जिन पर प्रधानमन्त्री का पूरा विश्वास है और वे उनके बहुत करीब हैं
(ख) विपक्षी नेता द्वारा आयोजित कैबिनेट
(ग) रसोई का प्रशासन
(घ) प्रशासन की जाँच के लिए राजा द्वारा गठित मन्त्रिमण्डल

उत्तर (क) मन्त्रियों का समूह जिन पर प्रधानमन्त्री का पूरा विश्वास है और वे उनके बहुत करीब हैं

प्र.16. 'मन्त्रिस्तरीय उत्तरदायित्व' का तात्पर्य है—

(क) मन्त्रियों का राजा के प्रति उत्तरदायित्व
(ख) संसद के समक्ष प्रत्येक मन्त्री की व्यक्तिगत जिम्मेदारी
(ग) हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष मन्त्रालय की सामूहिक जिम्मेदारी
(घ) ये सभी

उत्तर (घ) ये सभी

प्र.17. ब्रिटेन में बजट कौन तैयार करता है और उसका नेतृत्व कौन करता है?

(क) प्रधानमन्त्री
(ख) राजा
(ग) राजकोष के चांसलर
(घ) लॉर्ड चांसलर

उत्तर (ग) राजकोष के चांसलर

प्र.18. निम्नलिखित में से कौन-सा ब्रिटिश प्रधानमन्त्री से सम्बन्धित नहीं है?

(क) मन्त्रिमण्डल का गठन
(ख) विभागों का वितरण
(ग) मन्त्रिमण्डल के अध्यक्ष
(घ) 'छाया मन्त्रिमण्डल' का गठन

उत्तर (घ) छाया मन्त्रिमण्डल का गठन

प्र.19. ''सूर्य जिसके चारों ओर अन्य ग्रह घूमते हैं'' एक कथन है (जेनिंग्स) जो इसकी तुलना करता है—

(क) राजा
(ख) प्रधानमन्त्री
(ग) विपक्ष के नेता
(घ) स्पीकर

उत्तर (ख) प्रधानमन्त्री

❑

TOUCH 'n' PASS

UNIT-IV

राजनीतिक विकास एवं संस्कृति
Political Development and Culture

खण्ड-अ अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. राजनीतिक विकास को विलियम एवं चैम्बर्स के अनुसार परिभाषित कीजिए।

Define the political development by William and Chamber.

उत्तर विलियम एवं चैम्बर्स के अनुसार, "राजनीतिक विकास को एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की ओर बढ़ना माना जा सकता है जिसमें कि उन समस्याओं के संचालन की क्षमता हो, जिनका उसे सामना करना पड़ता है। यह विकास संरचनाओं के विभेदन एवं कार्यों को विशिष्टता उत्पन्न कर व्यवस्था को उत्तरोत्तर केन्द्रीकृत तथा स्वयं को बनाये रखने की क्षमता प्रदान करता है।

प्र.2. राजनीतिक विकास की प्रकृति संक्षेप में लिखिए।

Write in short of nature of the political development.

उत्तर राजनीतिक विकास की प्रकृति गत्यात्मक, संकल्पनात्मक तथा विकासात्मक है। इसमें सतत् रचनाधार्मिता का भाव निहित है। यह वह प्रक्रिया है जो राजनीतिक व्यवस्था को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में गतिशील बनाती है और लोचशील तरीके से उसमें माँगों, लक्ष्यों तथा संगठनों को बनाये रखती है। राजनीतिक विकास समाज में आमूल परिवर्तन करके समाज व व्यवस्था में एकरसता, सहभागिता, प्रतिनिधिपूर्णता तथा उपयोगिता का भाव लाता है। अत: राजनीतिक विकास की दिशा बहुमार्गी है।

प्र.3. राजनीतिक विकास में लौकिकीकरण की क्या विशेषता है?

What is the feature of secularization in political development?

उत्तर लौकिकीकरण (Secularization)—**ऑमण्ड** तथा **पॉवेल** के अनुसार लौकिकीकरण का सम्बन्ध संस्कृति से ही है। इसे पाई की समानता से भी सम्बन्धित माना जाता है, क्योंकि समानता का सम्बन्ध औचित्यपूर्ण तथा व्यवस्था में प्रतिनिष्ठा रखने वाली राजनीतिक संस्कृति तथा भावनाओं से है इसलिए समाज में लौकिकीकरण तभी हो सकता है जब उसमें समानता का गुण हो। परम्परागत से दूर हटकर धर्म निरपेक्षता की तरफ बढ़ने वाला समाज लौकिकीकरण वाला समाज कहलाता है। इसके लिए उसमें समानता का भाव रहना अत्यन्त आवश्यक माना जाता है। इस तरह लौकिकीकरण का अर्थ समाज की धर्मनिरपेक्षता के प्रति बढ़ती अभिवृत्ति से ही लिया जाता है।

प्र.4. उप-व्यवस्था स्वायत्तता से आप क्या समझते हैं?

What do you understand by sub-system autonomy?

उत्तर उप-व्यवस्था स्वायत्तता (Sub-system Autonomy)—यह विशेषता राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता के साथ जुड़ी हुई है। इसे पाई की क्षमता की विशेषता भी माना जाता है। उप-व्यवस्था स्वायत्तता का अर्थ है—राजनीतिक व्यवस्थाओं को उप-व्यवस्थाओं में बाँटना तथा उन्हें कार्य करने की शक्ति प्रदान करना। **ऑमण्ड** का मानना है कि उप-व्यवस्थाओं की स्वायत्तता ही राजनीतिक व्यवस्था में भूमिका विभेदीकरण का गुण लाकर उसकी क्षमता में वृद्धि कर सकती है। उप-व्यवस्था का स्पष्ट संकेत विकेन्द्रीकरण की तरफ होता है। इसमें जनता की माँगें सीधे केन्द्र के पास जाने की बजाय उप-व्यवस्थाओं के पास चली जाती है, जहाँ उन पर उप-व्यवस्थाएँ ही निर्णय लेती हैं। इससे राजनीतिक व्यवस्था का क्षमता स्तर बढ़ता है।

प्र.5. राजनीतिक समाजीकरण का महत्त्व बताइए।

Explain the importance of political socialization.

उत्तर लोकतन्त्र के विकास के कारण आज प्रत्येक व्यक्ति की राजनीति में महत्त्वपूर्ण भूमिका हो गयी है। परन्तु हम राजनीति में सही भूमिका तभी निभा सकते हैं जब हमें राजनीति का भली-भाँति ज्ञान हो। राजनीति समाजीकरण ही लोगों को राजनीति का सही

TOUCH 'n PASS

ज्ञान प्रदान करता है। राजनीतिक समाजीकरण व्यक्ति को राजनीति से जोड़ने वाली कड़ी है। यह व्यक्ति को राजनीति का सही ज्ञान देकर राजनीति के सही मार्ग पर आगे बढ़ाती है। राजनीतिक समाजीकरण राजनीति संस्कृति के निर्माण तथा विकास में निर्णायक भूमिका होती है। इतना ही नहीं आवश्यकता पड़ने पर राजनीतिक संस्कृति में परिवर्तन भी राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा किये जाते हैं।

खण्ड-ब लघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. राजनीतिक विकास का अर्थ व विभिन्न परिभाषाएँ दीजिए।

Give the different definition and meaning of political development.

उत्तर

राजनीतिक विकास का अर्थ व परिभाषा
(Meaning and Definition of Political Development)

राजनीतिक विकास की अवधारणा एक जटिल अवधारणा है। इसका कोई सर्वमान्य व सामान्य अर्थ निकालना असम्भव है। राजनीतिक विकास को साधारण तौर पर विकास की अवधारणा से सम्बन्धित करके यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ना ही राजनीतिक विकास है। इस अर्थ में यह प्रगति का सूचक है। इसे राजनीतिक परिवर्तन भी कहा जाता है। राजनीतिक विकास की व्याख्या अनेक विद्वानों ने अलग-अलग ढंग से दी है। **रुपर्ट** व **एमर्सन** इसे आर्थिक विकास की पूर्व शर्त के रूप में लेते हैं। कुछ विचारक इसे औद्योगिक समाजों की राजनीति से जोड़ते हैं। अधिकतर राजनीतिक विद्वान इसका सम्बन्ध आधुनिकीकरण से बताते हैं। कुछ इसका अर्थ राष्ट्र राज्य तो कुछ प्रशासनिक एवं कानूनी विकास से जोड़ते हैं। प्रजातन्त्रवादी विचारक इसे लोकतन्त्र का पर्याय तथा यथास्थितिवादी विचारक इसे स्थायित्व तथा सुव्यवस्थित परिवर्तनों का नाम देते हैं। कुछ विद्वान इसे एक प्रवृत्ति और एक दिशा के रूप में देखते हैं तो कुछ इसे शक्ति व संघटन के रूप में। वास्तव में विकास को सामाजिक परिवर्तन से जोड़कर ही राजनीतिक विकास को समझने पर अधिकांश विद्वान जोर देने लगे हैं। यह राजनीतिक विकास का एक व्यापक दृष्टिकोण समझा जाता है। इस दृष्टिकोण से राजनीतिक विकास राजनीति विज्ञान की एक गत्यात्मक अवधारणा है। इस अवधारणा का सबसे पहले व्यवस्थित व वैज्ञानिक विश्लेषण लूशियन पाई ने अपनी पुस्तक 'Aspects of Political Development' में किया है। उसने राजनीतिक विकास को परिभाषित करते हुए लिखा है—"राजनीतिक विकास, संस्कृति का विसरण (Diffusion) और जीवन के पुराने प्रतिमानों को नई माँगो के अनुकूल बनाने, उन्हें उनके साथ मिलाने या उनके साथ तालमेल बैठाना है।" लूशियन पाई ने अपनी इस अवधारणा को समानता, क्षमता तथा विभेदीकरण की तीन मूलभूत संकल्पनाओं पर संकेन्द्रित किया है। अन्य विद्वानों द्वारा राजनीतिक विकास के बारे में निम्नलिखित परिभाषाएँ दी गई हैं—

1. **ऑमण्ड व पॉवेल** के अनुसार, "राजनीतिक विकास राजनीतिक संरचनाओं का अभिवृद्ध विभेदीकरण व विशेषीकरण तथा राजनीतिक संस्कृति का बढ़ा हुआ लौकिकीकरण है।"
2. **एलफ्रेड डायमेण्ट** के अनुसार, "राजनीतिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक राजनीतिक व्यवस्था के नये प्रकार के लक्ष्यों को निरन्तर सफल रूप में प्राप्त करने की क्षमता बनी रहती है।"
3. **मैकेंजी** के अनुसार, "राजनीतिक विकास समाज में उच्चस्तरीय अनुकूलन के प्रति अनुकूल होने की क्षमता है।"
4. **एस०एन० इजेनसटेड** के अनुसार, "राजनीतिक विकास के अन्तर्गत एक राजनीतिक व्यवस्था की विभिन्न परिवर्तनशील राजनीतिक माँगों और संगठनों को आत्मसात् करने की योग्यता शामिल है। इसके अन्तर्गत उन नवीन और परिवर्तनशील समस्याओं को हल करने का वह कौशल भी शामिल है जिन्हें राजनीतिक व्यवस्था जन्म देती है या जिन्हें इसे बाह्य स्रोतों से आत्मसात् करना पड़ता है।"
5. **जॉन टी० डोर्सी** के अनुसार, "राजनीतिक विकास उन शक्ति संरचनाओं और प्रक्रियाओं में परिवर्तन की तरफ संकेत करता है जो सामाजिक-व्यवस्था के शक्ति-रूपान्तरण-स्तरों में परिवर्तन के सहभागी होते हैं, चाहे ये स्थानान्तरण स्तर मुख्य रूप से अपने ही राजनीतिक, सामाजिक अथवा आर्थिक अभिव्यक्ति में या इनके विविध युग्मों में परिवर्तित होते हैं।"

TOUCH 'n PASS

प्र.2. राजनीतिक विकास की व्याख्या कीजिए।
State the explanation of political development.

उत्तर

राजनीतिक विकास की व्याख्या
(Explanation of Political Development)

राजनीतिक विकास के अर्थ की तरह राजनीतिक विद्वानों ने इसकी विभिन्न व्याख्याएँ की हैं। रुपर्ट एसमैन, लिपसेट, कोलमैन तथा कर्टराइट ने इसे आर्थिक विकास की राजनीतिक पूर्व शर्त के रूप में मान्यता दी है। रोस्टोव ने इसे औद्योगिक समाजों की राजनीति के समान माना है। डेविड ऐप्टर ने इसे राजनीतिक आधुनिकीकरण का नाम दिया है। बाइण्डर ने इसे राष्ट्र राज्य से सम्बन्धित माना है। एफ० डब्ल्यू रिग्स ने इसे प्रशासनिक और कानूनी विकास के रूप में व्यक्त किया है। डॉयच और कार्ल्स ने इसे जनसंचार और सहभागिता का नाम दिया है। ऑमण्ड-पॉवेल ने इसे प्रजातन्त्र का नाम दिया है। यथास्थितिवादी विचारकों ने स्थायित्व व सुव्यवस्थित परिवर्तनों को राजनीतिक विकास का पर्याय माना है। राबर्ट डॉहल ने इसे सामाजिक परिवर्तन का रूप माना है। पाई ने राजनीतिक विकास में तीन अवधारणाओं—समानता, क्षमता तथा विशेषीकरण को शामिल माना है। ऑमण्ड तथा पॉवेल ने विभिन्नीकरण तथा विशेषीकरण के साथ-साथ राजनीतिक संस्कृति में बढ़ते लौकिकीकरण को भी राजनीतिक विकास का नाम दिया है। आइजन्सटैड ने इसे परिवर्तनों को लगातार आत्मसात् करने की क्षमता का संस्थात्मक प्रबन्ध माना है। हैगन के अनुसार राजनीतिक विकास नई संरचनाओं एवं प्रतिमानों की ऐसी रचना है जो राजव्यवस्था को अपनी आधारभूत समस्याओं का सामना करने के योग्य बनाती है। राजनी कोठारी, होल्ट, टर्नर आदि विचारकों ने राजनीतिक विकास को अनेक कारकों व कारणों का परिणाम ही नहीं मानते बल्कि इसे स्वयं अन्य परिवर्तनों का कारण भी मानते हैं। इस तरह अनेक विचारकों ने राजनीतिक विकास की अपने-अपने तरीकों से व्याख्या की है, जिनमें से पाई, ऑमण्ड-पॉवेल तथा हंटिंगटन की व्याख्याएँ अधिक तर्कसंगत हैं।

प्र.3. राजनीतिक विकास की प्रकृति का उल्लेख कीजिए।
Explain the nature of political development.

उत्तर

राजनीतिक विकास की प्रकृति
(Nature of Political Development)

राजनीतिक विकास की प्रकृति भी काफी जटिल व विवादास्पद है। इसकी प्रकृति के बारे में विद्वानों में काफी मतभेद है। इसी कारण इसके बारे में एकमार्गीय, बहुमार्गीय तथा द्वन्द्वात्मक दृष्टिकोणों का विकास किया है। **फिंकल तथा गेबल** के अनुसार राजनीतिक विकास ऐसी प्रक्रिया है, जिसके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था लक्ष्यों और माँगों के नये प्रकारों की लगातार और सफलतापूर्वक पूर्ति करने की क्षमता बढ़ाती है तथा नये प्रकार के संगठन बना लेती है। साधारण रूप में राजनीतिक विकास को लोचपूर्ण ढंग से नई माँगों, लक्ष्यों तथा संगठनों को सफलतापूर्वक बनाये रखने वाली प्रक्रिया कहा जा सकता है। विकासशील देशों में इसके तीन लक्षण—समानता, क्षमता तथा विभिन्नीकरण एवं एकीकरण होते हैं। ऑमण्ड एवं पॉवेल ने व्यक्तिकार्य-विभिन्नीकरण, उप-व्यवस्थाओं की स्वायत्तता तथा लौकिकीकरण को राजनीतिक विकास की धारणा में स्थान दिया है। उप-व्यवस्थाओं की स्वायत्तता राजनीतिक व्यवस्था में विकेन्द्रीकरण, कार्यकुशलता तथा क्षमता वृद्धि का गुण ला देती है। राजनीतिक विकास की समस्त प्रक्रिया समाज में अधिक समरसता, सहभागिता, समानता, प्रतिनिधिपूर्णता, औचित्यपूर्णता तथा उपयोगिता का भाव पैदा करने वाली होती है। लूशियन पाई ने अपनी पुस्तक 'Aspects of Political Development' में राजनीतिक विकास को एक बहु आयामी धारणा बताय है। उसने राजनीतिक विकास को विस्तार से समझाते हुए उसकी संकल्पनात्मक व्याख्या प्रस्तुत की है। इस व्याख्या के अनुसार राजनीतिक विकास को आर्थिक विकास की राजनीति, पूर्व-शर्त, औद्योगिक समाजों की विशेष राजनीति, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राष्ट्र-राज्य का संचालक, प्रशासकीय एवं कानूनी विकास, जनसंचारण एवं सहभागिता, लोकतन्त्र का निर्माणकर्त्ता, स्थायित्व और व्यवस्थित परिवर्तन, शक्ति संचारक तथा सामाजिक परिवर्तन की बहु-दिशायुक्त प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गाय है। पाई ने अपनी इस व्याख्या में राजनीतिक विकास की प्रकृति का निर्धारण करने वाले तीन तत्त्वों-समानता, समता तथा विभेदीकरण को भी शामिल किया है। इसी तरह अन्य विद्वानों ने भी अपनी-अपनी व्याख्याएँ प्रस्तुत करके राजनीतिक विकास की प्रकृति पर प्रकाश डाला है जिसके परिणामस्वरूप राजनीतिक विकास की प्रकृति के बारे में एकमार्गी तथा बहुमार्गी विचारधारा का जन्म हुआ है।

एकमार्गी विचारधारा रखने वाले विचारकों का मानना है कि सभी राष्ट्र विकास के मार्ग से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इसी कारण राजनीतिक विकास का केवल एक ही मार्ग है। विकास का यह मार्ग भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में है और राष्ट्र विकास की कामना

करने वाले देशों के सामने विकसित देशों का आदर्श है। इस आदर्श को प्राप्त करने में तथा समझने में कोई परेशानी नहीं है। यदि राजनीतिक विकास के संकेतकों का सुनिश्चय करके राजनीतिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं की गत्यात्मकता को समझा जा सकता है और राजनीतिक व्यवस्थाओं का वर्गीकरण करके तुलनात्मक अध्ययन भी किया जा सकता है। इसके विपरीत दूसरी विचारधारा रखने वाले विचारकों का मानना है कि राजनीतिक विकास की प्रकृति बहुमार्गी है। उनका कहना है कि विकास की दिशा बहुआयामी होती है, इसी कारण राजनीतिक विकास की दिशा भी बहुआयामी होती है। बहुमार्गी विचारकों का मानना है कि राजनीतिक विकास सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों में भी उसी तरह ही प्रभावित रहता है, जिस तरह विकास रहता है। इसी कारण राजनीतिक विकास की अवस्था सभी देशों में भिन्नता रखती है। साम्यवादी तथा विकासशील देशों में राजनीतिक विकास की सर्वथा अलग-अलग दिशाएँ हैं। ऐसा ही विकसित व साम्यवादी देशों में है। विकासशील देशों में भी राजनीतिक विकास की अनेक दिशाएँ हैं। भारत तथा पाकिस्तान के राजनीतिक विकास के मार्ग व चरणों में जमीन-आसमान का अन्तर है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि राजनीतिक विकास का मार्ग व प्रकृति सभी देशों में एक समान नहीं है। इसी कारण बहुमार्गीय विचारधारा राजनीतिक विकास की प्रकृति के बारे में सर्वथा सही व तर्कसंगत दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है।

प्र.4. राजनीतिक विकास की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।

Explain the features of political development.

उत्तर

राजनीतिक विकास की विशेषताएँ
(Features of Political Development)

लूशियन पाई, ऑमण्ड, हंटिंगटन आदि विचारकों द्वारा राजनीतिक विकास की बहुआयामी प्रक्रिया व परिभाषाओं का विश्लेषण करके निम्नलिखित विशेषताएँ बतायी गयी हैं—

(क) **लूशियन पाई द्वारा बतायी गयी विशेषताएँ**—लूशियन पाई ने अपनी पुस्तक 'Aspects of Political Development' में विभिन्न लेखकों द्वारा राजनीतिक विकास की व्याख्याओं के सन्दर्भ में तीन विशेषताएँ बतायी हैं। ये विशेषताएँ हैं—

(I) समता (Equity)
(II) क्षमता (Capacity)
(III) विभेदीकरण (Differentiation)

(I) **समता या समानता** का अर्थ है कि देश के अधिक-से-अधिक नागरिक देश की राजनीति में सक्रिय सहगामी हों। यह योगदान प्रजातन्त्र तथा सर्वाधिकारवादी संगठन दोनों रूपों में हो सकता है, किन्तु जनसाधारण के लिए राज्य द्वारा बनाये गये कानून समानता का गुण रखने वाले होने चाहिए। राजनीतिक पदों पर की जाने वाली भर्ती भी समानता के सिद्धान्त के अनुकूल ही हो। इसका सीधा सम्बन्ध इस बात से है कि सरकार का रूप लोकप्रिय ही बना रहे। राजनीतिक विकास के इस लक्षण को निम्नलिखित तरह से समझा जा सकता है—

1. समान राजनीतिक अवसर व सहभागिता।
2. सार्वभौमिक कानून।
3. राजनीतिक भर्ती में पारदर्शिता।
4. सहयोगी जनसमूह।
5. भेदभाव रहित कानून व जन सहभागिता।

उपरोक्त लक्षणों वाला समाज ही समानता का पोषक हो सकता है और समानता आधुनिक युग में राजनीतिक विकास की प्रमुख विशेषता है। समानता से विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था कभी भी राजनीतिक विकास के आदर्श को प्राप्त नहीं कर सकती।

(II) **क्षमता** का सम्बन्ध राजनीतिक व्यवस्था की निर्गत संरचना से है। कोई भी राजनीतिक व्यवस्था क्षमता का जितना अधिक स्तर रखती है, वह राजनीतिक विकास के मार्ग पर आगे भी उतनी ही तेजी से बढ़ती है। क्षमता का अर्थ इस बात से है कि कोई भी राज्य या सरकार आवश्यक कार्यों को निष्पादित करने की कितनी क्षमता या सामर्थ्य रखती है अर्थात् उसमें प्रशासकीय कार्यकुशलता से भी होता है। इसका अन्य अर्थ प्रशासन में विवेकपूर्ण धर्म निरपेक्ष दृष्टिकोण उत्पन्न करने तथा विवादों का तर्कपूर्ण आधार पर समुचित समाधान करने से भी माना जाता है। जब राजनीतिक समाज क्षमता के गुण से युक्त हो जाता है तो वहाँ राजनीतिक विकास की उपस्थिति का बोध होता है।

(III) **विभेदीकरण** का सम्बन्ध राजनीतिक संस्थाओं और संरचनाओं में पाए जाने वाले विशेषीकरण व भूमिका विभेदीकरण से होता है। विभेदीकरण का अर्थ राजनीतिक व्यवस्था का टुकड़ों में बँट जाना न होकर एकीकरण पर आधारित

विशेषीकरण से होता है। जिस राजनीतिक समाज में अलग-अलग कार्यों के लिए अलग-अलग राजनीतिक संरचनाएँ होती हैं और उनके कार्य व शक्तियों का भी स्पष्ट विभाजन होता है तथा कार्यों में सुनिश्चितता का गुण होता है, वह राजनीतिक विकास की अवस्था को प्राप्त कर चुका होता है।

प्र.5. राजनीतिक विकास की अवधारणा का मूल्यांकन कीजिए।
State the evaluation of the concept of political development.

उत्तर

राजनीतिक विकास की अवधारणा का मूल्यांकन
(Evaluation of the Concept of Political Development)

राजनीतिक विकास की अवधारणा द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद नवोदित एशिया, अफ्रीका व लेटिन अमेरिका के राष्ट्रों की राजनीतिक व्यवस्थाओं की राजनीतिक संस्थाओं और संरचनाओं को समझने में महत्त्वपूर्ण मानी जाने लगी, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन नवोदित देशों में राजनीति विकास की दिशा को समझने में इस अवधारणा ने काफी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इस अवधारणा के आगमन से राजनीतिक व्यवस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन में मदद मिली और राजनीतिक व्यवस्थाओं का वर्गीकरण करना आसान हो गया। शिल्स द्वारा राजनीतिक विकास के आधार पर राजनीतिक व्यवस्थाओं को पाँच भागों में बाँटना इस अवधारणा का यह महत्त्व प्रतिपादित करता है। इससे राजनीतिक व्यवस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन को उपयोगी आधार प्राप्त हुआ और राजनीतिक विकास की भूमिका विभेदीकरण, लौकिकीकरण तथा उप-व्यवस्था स्वायत्तता के तत्त्वों द्वारा मापा जाने लगा। इससे राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में सामान्यीकरण की प्रक्रिया को बल मिला। लेकिन इतना होने के बावजूद भी कुछ राजनीतिक विद्वान इस अवधारणा की आलोचना करते हुए कहते हैं कि यह अवधारणा राजनीतिक पतन के बारे में कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं देती और इसमें सिद्धान्त निर्माण जैसी कोई बात नहीं है। यह राजनीतिक आधुनिकीकरण को अपने समान बताकर भ्रामकता उत्पन्न करती है, इसी कारण इस पर अस्पष्टता का लेबल लग गया है। साथ में एक बात और ध्यान देने योग्य यह है कि विचारकों में राजनीतिक विकास की अवधारणा और लक्षणों को लेकर मतभेद हैं। पाई और ऑमण्ड द्वारा राजनीतिक विकास के लक्षण भी आपस में समानता का भाव नहीं रखते। चाहे हम राजनीतिक विकास की अवधारणा की कितनी भी आलोचना कर लें, फिर भी उसका महत्त्व कुछ-न-कुछ तो अवश्य है। सार रूप में कहा जा सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस अवधारणा को जन्म से महत्त्वपूर्ण राजनीतिक व्यवहार की समस्याओं को समझने में मदद मिली है और इसने राष्ट्रवाद को पनपने तथा लोकतन्त्र को मजबूत आधार प्रदान किया है। अत: राजनीतिक विकास की अवधारणा राजनीतिक विज्ञान में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी आधार प्रदान करती है और एक महत्त्वपूर्ण अवधारणा है।

प्र.6. राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा का महत्त्व बताइए।
State the importance of the concept of political culture.

उत्तर

राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा का महत्त्व
(Importance of the Concept of Political Culture)

आधुनिक समय में राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा राजनीति-विज्ञान की महत्त्वपूर्ण अवधारणा मानी जाती है। राजनीतिक संस्कृति के आगमन से राजनीतिक समाजीकरण व राजनीतिक विकास की दिशा व गति का ज्ञान होने लगा है। इसके आगमन से तुलनात्मक अध्ययन में गति आयी है। इसने राजनीति-विज्ञान का विषय क्षेत्र भी महान बना दिया है। इससे राजनीतिक व्यवहार को समझना सरल हो गया है। इसके आगमन से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न राजनीतिक व्यवहार की जटिलताओं का अध्ययन करना आसान हुआ है। इसने राजनीति विज्ञान को औपचारिक संस्थाओं के जटिल अध्ययनों से मुक्ति दिलाई है। अब राजनीतिक व्यवहार को राजनीतिक संरचनाओं, प्रक्रियाओं एवं प्रकार्यों को उनकी अभिवृत्तियों के सन्दर्भ में ही समझा जाने लगा है। लूशियन पाई ने लिखा है—"हर विशिष्ट समाज में एक सीमित और सुस्पष्ट राजनीतिक संस्कृति होती है जो राजनीतिक प्रक्रिया को अर्थ, भविष्यवाणी और ढाँचा प्रदान करती है।" राजनीतिक विकास का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने भी राजनीतिक संस्कृति के अध्ययन को ही प्राथमिकता देना शुरू कर दिया है। राजनीतिक संस्कृति के अध्ययन ने राजनीतिक व्यवहार की वास्तविकताओं को पहचान कर तुलनात्मक अध्ययन की नई दिशा दी है। अब राजनीतिक व्यवहार के गत्यात्मक तत्त्वों की पहचान आसान हो गयी है और उनको सामान्यीकरण के निकट ले जाना सरल हो गया है। मैक्स वेबर, मैनहाम, पाई ऑमण्ड, वर्बा, लर्नर, मोर्टन, रजनी कोठारी आदि विद्वानों ने राजनीतिक संस्कृति पर आनुभाविक अध्ययन करके जो उपयोगी निष्कर्ष निकाले हैं, उनसे इस अवधारणा का महत्त्व काफी बढ़ गया है। अत: निष्कर्ष तौर पर कहा जा सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न राजनीतिक व्यवहार

की पेचिदगियों को समझने में जितनी सहायक यह अवधारणा हुई है, उतनी अन्य कोई नहीं। अत: राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा राजनीति विज्ञान में तुलनात्मक अध्ययन के लिए महत्त्वपूर्ण व उपयोगी अवधारणा है।

प्र.7. उपनिवेशवाद और उपनिवेश से आप क्या समझते हैं?
What do you understand by colonialism and colony?

उत्तर आधुनिक इतिहासकारों ने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से 20वीं शताब्दी के मध्य तक की अवधि को आधुनिक साम्राज्यवाद का युग कहा है। साम्राज्य शब्द 1872 में बेंजामिन डिजरैयली के द्वारा 1874 में ब्रिटेन के आम चुनाव के सन्दर्भ में गढ़ा गया था। साम्राज्यवाद के आलोचकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध नाम है, ब्रिटेन के उदारवादी, जे०ए० हॉब्सन तथा बोल्सेविक क्रान्ति के रूसी मार्क्सवादी नेता, वी०आई० लेनिन।

वास्तव में इसे औपनिवेशिक साम्राज्य का काल कहा जाना चाहिए। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में कार्ल मार्क्स और फेड्रिक एंजिल्स ने उपनिवेशवाद शब्द का प्रयोग किया। हॉब्सन पहला व्यक्ति था जिसने साम्राज्यवाद शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टिकोण से किया था तथा बाद में अनेक राजनीतिक अर्थशास्त्रियों और इतिहासकारों द्वारा प्रबल संवाद आरम्भ हुआ जो अभी तक समाप्त नहीं हुआ है।

साम्राज्यवाद मूल रूप से एक राजनीतिक संकल्पना है जो अन्य देशों के ऊपर एक देश के आधिपत्य को सूचित करता है। उपनिवेशवाद मूलत: एक जनसांख्यिकीय संकल्पना है जो किसी विदेश में आबादी की उपस्थिति का द्योतक है। नि:सन्देह जब एक आबादी अपने मूल देश को छोड़कर किसी अन्य देश में स्थानीय लोगों की शर्तों के रूप में रहती है। ऐसी आबादी को विदेशी या आप्रवासी, या अल्पसंख्यक कहा जाता है। लेकिन जब विदेशी आबादी स्थानीय लोगों पर संख्या या शक्ति या दोनों के सन्दर्भ में आधिपत्य करती है तो प्राय: उन्हें औपनिवेशिक कहा जाता है। नि:सन्देह शक्ति के सन्दर्भ में और सामाजिक विज्ञान के सन्दर्भ में अन्य व्यक्तियों के ऊपर अधिकार का स्पष्ट अर्थ राजनीतिक अधिकार है। लेकिन ये तब तक साम्राज्यवादी अधिकार नहीं है जब तक विदेश में उसका कोई ऐसा केन्द्र न हो जहाँ से अधिकार ग्रहण किये जाते हैं। दूसरी तरफ, उस देश में साम्राज्यवादी नियम के अन्तर्गत साम्राज्यवादी सरकार के कार्मिकों की उपस्थिति आवश्यक होती है चाहे अस्थायी रूप से हो। बहरहाल उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद दोनों में अर्थव्यवस्था का तत्त्व अत्यधिक होता है।

खण्ड-स विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. राजनीतिक विकास की लूशियन पाई द्वारा व्यवस्थाओं का वर्णन कीजिए।
Describe the political development by Lucian Pye.

उत्तर

राजनीतिक विकास की लूशियन पाई द्वारा व्यवस्था
(Explanation of Political Development by Lucian Pye)

लूशियन पाई ने अपनी पुस्तक 'Aspects of Political Development' में राजनीतिक विकास की विस्तारपूर्वक व्याख्या प्रस्तुत की है। उसने राजनीतिक विकास की व्याख्या दस तरह से की है। ये व्याख्याएँ निम्न तरह से हैं—

1. **आर्थिक विकास की राजनीतिक पूर्व शर्त के रूप में राजनीतिक विकास** (Political Development as the Political Pre-requisite of Economic Development)—लूशियन पाई, याल ए० बारान, बेंजामिन हिगिन्स आदि का मानना है कि राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियाँ आर्थिक विकास की प्रेरक या बाधक दोनों हो सकती हैं। इस दृष्टि से विचार किया जाए तो राजनीतिक विकास अधिक विकास की पूर्व शर्त बन जाता है। इस शर्त के रूप में राजनीतिक विकास ही ऐसी स्थिति है जो आर्थिक विकास में निर्णायक भूमिका अदा करती है। इसलिए राजनीतिक विकास तथा आर्थिक विकास में गहरा सम्बन्ध माना जाता है। अत: आर्थिक विकास के लिए राजनीतिक विकास पर ही ध्यान देना चाहिए।

   लेकिन इस परिभाषा या व्याख्या के आधार पर आर्थिक विकास का मार्ग निश्चित करना अव्यावहारिक है, क्योंकि इस व्याख्या में कई दोष उजागर होते हैं। स्वयं लूशियन पाई भी इस व्याख्या को संतोषजनक नहीं मानता है, क्योंकि विकासशील देशों तथा विकसित देशों में आर्थिक विकास तथा राजनीतिक विकास की दिशाएँ सर्वथा एक-दूसरे के विपरीत हैं। विकासशील देशों में राजनीतिक विकास की तुलना में काफी धीरे-धीरे परिवर्तन हुए हैं और कई देशों में तो राजनीतिक विकास के बावजूद भी आर्थिक विकास की सम्भावनाएँ निकट भविष्य में नजर नहीं आती। आज अधिकतर

देश राजनीतिक विकास में ही अधिक रुचि ले रहे हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि राजनीतिक विकास को आर्थिक विकास का एकमात्र निर्णायक तत्त्व मानना सर्वथा सही नहीं है।

2. **औद्योगिक समाजों की विशिष्ट राजनीति के रूप में राजनीतिक विकास** (Political Development as the Politics Typical of Industrial Societies)—रास्टोन जैसे समाज सिद्धान्तशास्त्री राजनीतिक विकास का सम्बन्ध औद्योगिकीकरण से जोड़ते हैं। उनकी दृष्टि में औद्योगिक जीवन कम या अधिक रूप में ऐसे सामान्य प्रकार के राजनीतिक जीवन को प्रकट करता है जिसे कोई भी समाज प्राप्त करने के लिए सदा प्रयत्नशील रहता है, चाहे वह औद्योगीकृत हो या नहीं। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि यह राजनीतिक विकास के आर्थिक विकास की पूर्व राजनीतिक शर्त के सिवाय कुछ नहीं है। साथ में इस व्याख्या पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि यह व्याख्या राजनीति को साधन मात्र बनाकर साध्यों से दूर कर देती है, क्योंकि इसमें मुख्य जोर लक्ष्यों पर न होकर कार्यक्रमों पर रहता है।
3. **राजनीतिक आधुनिकीकरण के रूप में राजनीतिक विकास** (Political Development as Political Modernization)—कोलमैन, कार्ल डयूश, लिप्सटे जैसे समाज सिद्धान्तशास्त्री इस बात पर बल देते हैं कि राजनीतिक विकास का अभिप्राय विकसित पश्चिमी और आधुनिकीकरण की तरफ जा चुके देशों के अध्ययन से है। इसमें उन विकासशील देशों का अध्ययन भी शामिल है जो आधुनिकीकरण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस दृष्टि से राजनीतिक विकास आधुनिकीकरण का पर्याय बन जाता है। जिन देशों में लोकतन्त्र है, जनता देश की राजनीति में सक्रिय भाग लेती है, प्रतिनिधियों द्वारा सार्वभौमिक नियमों का निर्माण किया जाता है, योग्यता प्रणाली को महत्त्व दिया जाता है तथा जहाँ स्वतन्त्र संस्थाओं को अधिक महत्त्व दिया जाता है, वहीं आधुनिकीकरण पाया जाता है। ऐसी परिस्थितियाँ तो उदारवादी पश्चिमी लोकतन्त्र में ही पायी जाती हैं। इसलिए राजनीतिक विकास आधुनिकीकरण की दृष्टि से पश्चिमी लोकतन्त्र का ही अध्ययन है। लेकिन इस बात में कठिनाई यह है कि इस दृष्टिकोण द्वारा पश्चिमी ओर आधुनिक शब्द में भेद कर पाना असम्भव है। साथ में विकासशील देशों में गहरी परम्परागत व्यवस्थाएँ हैं जिनका आधुनिकीकरण के नाम पर बलिदान नहीं किया जा सकता। इसलिए आधुनिकीकरण को पश्चिमी लोकतन्त्र से जोड़ने का तात्पर्य होगा। विकासशील लोकतन्त्र में होने वाले परिवर्तनों की उपेक्षा करना।
4. **राष्ट्र-राज्य के व्यवहार के रूप में राजनीतिक विकास** (Political Development as the operation of Nation-State)—सिल्बर्ट, शील्स तथा मैककोर्ड जैसे समाज-सिद्धान्तशास्त्रियों ने राजनीतिक विकास का सम्बन्ध राष्ट्र-राज्य की क्रियाशीलता से जोड़ा है। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया है कि राजनीतिक विकास में राजनीतिक जीवन का संगठन और राजनीतिक कार्यों की सम्पन्नता उन मानदण्डों के अनुसार होती है जो कि एक राष्ट्र-राज्य के लिए आवश्यक है। इसी कारण राजनीतिक विकास को राष्ट्रवाद की राजनीति भी कहा जाता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार यह माना जाता है कि इतिहास में झांका जाए तो यह तथ्य उभरता है कि ऐतिहासिक रूप में राजनीतिक व्यवस्था के अलग-अलग रूप रहे हैं और सभी देशों में इसका रूप एक-दूसरे से सर्वथा अलग ही रहा; लेकिन राष्ट्र-राज्य के उदय के साथ ही राजनीति में कुछ नवीन तथ्य व माँगें उभरी और राजनीतिक संस्थाओं ने इन माँगों के अनुसार ही कार्य करना शुरू कर दिया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि राजनीतिक विकास को राष्ट्र-राज्य की धारणा के साथ ही समझा जा सकता है। लेकिन राजनीतिक विकास के बारे में यह कहा जाता है कि इसके लिए राष्ट्रवाद आवश्यक है, पर्याप्त नहीं। इसके लिए यह धारणा अधिक तर्कसंगत हो सकती है कि राजनीति का सम्बन्ध राष्ट्र-निर्माण से होना चाहिए, राष्ट्रवाद से नहीं।
5. **प्रशासकीय व कानूनी विकास के रूप में राजनीतिक विकास** (Political Development as an Administrative and Legal Development)—इस व्याख्या के प्रतिपादक मैक्स वेबर, पारसनस, हैंडरसन और जोसफ ला पालोम्बारा हैं। उनका मानना है कि राजनीतिक विकास का समाज की कानूनी तथा प्रशासनिक व्यवस्था से गहरा सम्बन्ध है। इसलिए विकास की प्रक्रिया के लिए प्रभावपूर्ण नौकरशाही की स्थापना जरूरी है। इसके लिए यह जरूरी है कि शासन-प्रणाली का संचालन इस प्रकार किया जाए कि उससे कानूनी तथा प्रशासकीय विकास को प्रोत्साहन मिल सके। इसके लिए तकनीकी ज्ञान व कुशल प्रबन्धन की प्रशासनिक संस्थाओं का होना जरूरी है। कोई भी राजनीतिक व्यवस्था अपने साध्यों को उस समय तक प्राप्त नहीं कर सकती, जब तक वह सार्वजनिक मामलों का प्रभावशाली तरीके से निष्पादन नहीं करती हो। लेकिन इस व्यवस्था में यह दोष है कि इसमें आवश्यकता से अधिक जोर प्रशासन पर दिया गया है। इससे नागरिक शिक्षा, प्रशिक्षण और सक्रिय सहभागिता जैसे तथ्यों का उल्लंघन हो जाता है। वास्तव में ये तथ्य ही राजनीतिक विकास के महत्त्वपूर्ण पहलू हैं।

TOUCH n PASS

6. **सार्वजनिक गतिशीलता एवं सहभागिता के रूप में राजनीतिक विकास** (Political Development as Mass Mobilization and Participation)—होजलिट्ज, आरसनस्टाइट तथा एमर्सन जैसे समाज सिद्धान्तशास्त्री इस बात पर जोर देते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था का मूल्यांकन इस आधार पर करना चाहिए कि वह अपनी पूर्ण शक्ति का प्रयोग किस स्तर या मात्रा में करती है। उनका कहना है कि विस्तारित सार्वजनिक सहभागिता की दिशा में राजनीतिक दृष्टि से जागरूक नागरिकों और लोगों का व्यवहार अधिक महत्त्वपूर्ण होता है। मताधिकार का विस्तार सार्वजनिक सहभागिता के माध्यम से निर्णय-निर्माण प्रक्रिया का विस्तारित रूप माना जाता है। इस दृष्टि से राजनीतिक विकास का अर्थ राजनीतिक चेतना ही उग्रता से लिया जा सकता है। लेकिन इसका दोष यह है कि विकासशील देशों में राजनीतिक चेतना का निर्माण करने वाली उपयुक्त परिस्थितियों का अभाव पाया जाता है, इस स्थिति में राजनीतिक विकास का अर्थ सार्वजनिक गतिशीलता व सहभागिता से लेना नहीं हो सकता। यदि इस दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया जाए तो लोकप्रिय भावनाएँ जन्म लेकर समाज की स्थिति को क्षीण कर देंगी और समाज में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा।
7. **लोकतन्त्र के निर्माण के रूप में राजनीतिक विकास** (Political Development as the Building of Democracy)—इस दृष्टिकोण के प्रतिपादक का पालोम्बारा और जे० रोनाल्ड पिनोक हैं। उनका मानना है कि राजनीतिक विकास के लोकतन्त्र के निर्माण और जनता में प्रजातन्त्रीय व्यवस्था के मूल्यों को स्थापित करने के साथ गहरा सम्बन्ध है। लेकिन इस विचारधारा के आलोचकों का कहना है कि राजनीतिक विकास साम्यवादी, निरंकुश तथा प्रजातन्त्र सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में होता है। इसलिए राजनीतिक विकास की बुनियादी शर्त लोकतन्त्र के निर्माण को स्वीकार करना असंगत है। लोकतन्त्र और विकास समानार्थी न होकर एक दूसरे के विपरीत विचारधाराएँ हैं। अत: इनमें मेल करना अप्रासंगिक व भ्रान्तिपूर्ण है।
8. **स्थायित्व और व्यवस्थित परिवर्तन के रूप में राजनीतिक विकास** (Political Development as stability and Orderly Change)—इस विचार के प्रतिपादक कार्ल डयूश तथा रिग्स हैं। उनका मानना है कि स्थायित्व का औचित्यपूर्ण ढंग से विकास की अवधारणा से सम्बन्ध है, क्योंकि आर्थिक अथवा सामाजिक प्रगति का कोई भी रूप ऐसे वातावरण पर निर्भर करता है जिसमें अनिश्चितता कम हो तथा सुरक्षा की भावना हो। लेकिन जो स्थायित्व यथास्थिति का समर्थक हो, उसके विकास नहीं कहा जा सकता। परिवर्तन या प्रगति की दिशा में उन्मुख स्थायित्व ही विकास हो सकता है। स्थायित्व का सम्बन्ध आर्थिक तथा सामाजिक प्रगति से ही हो सकता है। लेकिन इस विचार में प्रमुख दोष यह सीमा यह है कि समाज में राजनीतिक प्रक्रिया सामाजिक परिवर्तनों को विवेकपूर्ण तथा उद्देश्यपूर्ण ढंग से नियन्त्रित कर सकती है, वहीं पर ही राजनीतिक विकास की प्रक्रिया सम्भव है, अन्यथा नहीं। अत: परिवर्तन और स्थिरता को एक साथ मिलाकर ही आर्थिक तथा राजनीतिक विकास का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।
9. **राजनीतिक विकास गतिशीलता और शक्ति का रूप है** (Political Development as Mobility and Power)—इस विचारधारा के प्रतिपादक कोलमैन, ऑमण्ड और पारसन्स हैं। उनका मानना है कि राजनीतिक विकास की संकल्पना का मूल्यांकन उस निरपेक्ष सत्ता के स्तर अथवा अंश के आधार पर किया जा सकता है जिसे कोई व्यवस्था चलाने योग्य है। इस विचार के अनुसार कुछ समाजों में नीति-निर्माता काफी कमजोर होते हैं और कुछ के काफी शक्तिशाली। राजनीतिक विकास का लाभ शक्तिशाली नीति-निर्माताओं द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि विकास को सत्तावादी रूप दे दिया जाए। इसका तात्पर्य केवल इतना ही होता है कि सरकार में समाज को स्रोतों तथा संसाधनों पर दावा करने की पूर्ण क्षमता होनी चाहिए। इसके लिए सरकार को औचित्यपूर्ण सत्ता व जनसमर्थन दोनों की आवश्कता पड़ती हैं लोकतन्त्रीय देशों में यह कार्य आसानी से हो जाता है। इन देशों में शासन व्यवस्था की गतिशीलता और शक्ति व सत्ता का वैध रूप ही राजनीतिक विकास माना जाता है। लेकिन इस विचार का प्रमुख दोष यह है कि यह विचार लोकतन्त्रीय शासन-प्रणालियों पर ही लागू होता है, सर्वाधिकारवादी तथा निरंकुश शासन-व्यवस्थाओं पर नहीं।
10. **सामाजिक परिवर्तन की बहुआयामी प्रक्रिया के एक पहलू के रूप में राजनीतिक विकास** (Political Development as one Aspect of Multi-dimensional Process of Social Change)—इस विचार के प्रतिपादक मैक्स एफ० मिलिकान, एल०एम० बलैकमर तथा लर्नर हैं। उनका मानना है कि राजनीतिक विकास को विकास की प्रक्रिया व रूपों से अलग करके देखना गलत है। यद्यपि कुछ सीमा तक तो राजनीतिक विकास शेष समाज से स्वतन्त्र हो

सकता है, लेकिन जीवंत राजनीतिक विकास सामाजिक परिवर्तन की बहुआयामी प्रक्रिया का एक आवश्यक पहलू है। विकास पर सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव अवश्य पड़ता है। इसी कारण वह सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों से किसी-न-किसी रूप में सम्बन्धित रहता है। लूशियन पाई ने इसी विचार की प्रशंसा की है। अत: राजनीतिक विकास एक बहुआयामी स्थिति है। उसे समाज की राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक व्यवस्था में से एक के साथ बाँधना अप्रासंगिक है।

उपरोक्त व्याख्याओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजनीतिक विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है। इसका सम्बन्ध राष्ट्रीय आत्मसम्मान तथा अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में भी प्रतिष्ठा से हो सकता है। यह आर्थिक विकास की पूर्व राजनीतिक शर्त, औद्योगिक समाज की राजनीति, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राष्ट्र-राज्य, प्रशासनिक व विधिक विकास, सार्वजनिक गतिशीलता एवं सहभागिता, लोकतन्त्र का निर्माण, स्थायित्व और व्यवस्थित परिवर्तन, किसी भी रूप में हो सकता है। इसलिए इसकी कोई निश्चित व सर्वमान्य परिभाषा देना कठिन है।

प्र.2. राजनीतिक विकास के विभिन्न स्तरों एवं समस्याओं की विवेचना कीजिए।

Examine the different stages and problems of political development.

उत्तर

राजनीतिक विकास के स्तर
(Stages of Political Development)

राजनीतिक विकास की प्रक्रिया बहुआयामी है। उसे समझने के लिए राजनीतिक विद्वानों ने राजनीतिक विकास की अवस्थाओं पर व्यापक दृष्टि डाली है। सबसे पहले रोस्टोव ने अपना सुझाव दिया कि राजनीतिक विकास को भी आर्थिक विकास की तरह ही अवस्थाएँ या स्तर हों। उसके बाद हण्टिंगटन, आइजेन्सटाइड, ऑमण्ड, आरगेन्सकी, पाई, शील्स, एप्टर, होल्ट एवं टर्नर आदि विद्वानों ने राजनीतिक विकास को व्यापक दृष्टिकोण से समझते हुए इसकी अवस्थाओं पर भी अपना ध्यान केन्द्रित किया। जाग्वाराइव ने भी अपनी पुस्तक 'Political Development : A Global Theory and A Latin American Case Study' में राजनीतिक विकास की अवस्थाओं पर प्रकाश डाला। राजनीतिक विकास के विभिन्न स्तरों को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है—

1. **ऑमण्ड के विचार** (Almond's views)—ऑमण्ड ने राजनीतिक विकास की चार अवस्थाओं का वर्णन किया है। उसके अनुसार राजनीतिक विकास के ये चार स्तर निम्नलिखित हैं—
   (i) **राज्य निर्माण का स्तर**—(क) केन्द्रीय सत्ता का निर्माण (ख) इस सत्ता का राजनीति में प्रवेश (ग) विभिन्न समूहों का केन्द्रीय सत्ता के अधिकार क्षेत्र में एकीकरण होना।
   (ii) **राष्ट्र निर्माण का स्तर**—अर्थात् लोगों की राष्ट्र के प्रति भक्ति व निष्ठा उत्पन्न होना ताकि निवेशों के समर्थन बढ़ जाएँ।
   (iii) **सहभागिता का स्तर**—अर्थात् व्यक्ति एवं समूहों को राजनीतिक प्रक्रिया में व्यापक रूप से भागीदार होना।
   (iv) **वितरण का स्तर**—अर्थात् सामाजिक जीवन के लिए राजनीतिक व्यवस्था के लाभों की विभिन्न विधियों द्वारा आम जनता तक पहुँच।

   ऑमण्ड का विचार है कि जिन समाजों में राजनीतिक विकास अपने अन्तिम स्तर पर है वे विकास को प्राप्त कर चुके देश हैं। इसके विपरीत जो देश इन चारों स्तरों में से किसी भी स्तर पर हैं तो वे विकासशील देश ही हो सकते हैं। विकास के अन्तिम स्तर को प्राप्त करने के लिए विकासशील देशों को इसी अनुक्रम पर कायम रहना पड़ेगा। यदि इस अनुक्रम को तोड़ने का प्रयास किया गया तो विकासशील देश कभी भी इस स्तर को प्राप्त नहीं कर सकेंगे जो विकसित देशों ने किया है।

2. **केनेथ आर्गेन्सकी के विचार** (Views of Kenneth Argin sky)—आर्गेन्सकी ने अपनी पुस्तक 'Stages of Political Development' में राजनीतिक विकास की चार अवस्थाओं का वर्णन किया है। उसने राजनीतिक विकास को परिभाषित करने के बाद राजनीतिक विकास के चार स्तर निम्न प्रकार से बताये हैं—
   (i) **राजनीतिक एकीकरण**—यह शक्ति का राज्य के हाथ में केन्द्रीयकरण का द्योतक है। इस अवस्था में राष्ट्रीय सरकारें, अपनी जनसंख्या पर प्रभावशाली राजनीतिक एवं प्रशासनिक नियन्त्रण स्थापित करती हैं। इसके बिना औद्योगीकरण के द्वारा आर्थिक विकास को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस चरण में राज्य का स्थायित्व निश्चित रहता है। इसमें केन्द्रीय सत्ता का निर्माण होता है जिसमें राज्य के चारों तत्त्व—जनसंख्या, निश्चित भूभाग,

सरकार तथा सम्प्रभुता अस्तित्व में रहते हैं। यह अवस्था औद्योगिक क्रान्ति से पहले तक विद्यमान थी। औद्योगिक क्रान्ति के उद्घोष ने इस अवस्था का विकास करके उसे अगली अवस्था तक पहुँचा दिया।

(ii) **औद्योगीकरण**—इस अवस्था में औद्योगीकरण ही राजनीतिक विकास के स्तर तक राजनीतिक व्यवस्था को पहुँचाता है। इस अवस्था में बहुत बड़ी सामाजिक कीमत पर पूँजी संचय करके औद्योगीकरण लाया जाता है, क्योंकि किसी भी देश में इसके बिना आर्थिक विकास का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। इस अवस्था में नये वर्ग निर्मित होते हैं और सहभागिता का विस्तार तथा राष्ट्रीय एकीकरण में वृद्धि होती है। लेकिन इस अवस्था में केन्द्र तथा परिधि के बीच सत्ता के प्रवेशन (Penetration) की समस्या उत्पन्न हो जाती है चाहे वह स्टालिनवादी अथवा फासीवादी पदचिन्हों पर चलकर हो। इसके तीन विकल्प—(क) मध्वर्गीय बुर्जुआ (ख) स्टालिनवादी या साम्यवादी (ग) समन्वयवादी या फासीवादी हो सकते हैं।

(iii) **राष्ट्रीय लोक कल्याण**—यह अवस्था पूँजीवाद को उलट देने वाली प्रक्रिया से सम्बन्धित होती है। इसमें जनता को पूँजी के शोषण से मुक्त रखकर उसके कल्याण को ही प्राथमिकता दी जाती है ताकि शासन में जन-सहभागिता का स्तर भी बढ़ सके और जनता के सार्वजनिक कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो सके।

(iv) **समृद्धि की अवस्था**—यह अवस्था वैज्ञानिक तथा तकनीकी ज्ञान की वृद्धि के कारण उत्पादन की बहुलता का द्योतक है। यह राजनीतिक विकास की जटिल अवस्था है। इसमें उत्पादक रोजगार कम हो जाता है, किन्तु श्रमिक संघों की शक्ति बढ़ने लगती है। इसमें आर्थिक विकास की बजाय राजनीतिक विकास पर अधिक जोर दिया जाता है। इसमें जनता की सुख-सुविधाओं की कोई कमी नहीं रहती। इस अवस्था में समाज का रूप लोकतान्त्रिक भी हो सकता है और समाजवादी भी।

इस विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि आर्गेन्सकी ने राजनीतिक विकास की अवस्थाओं को राष्ट्रीय विकास से सम्बन्धित माना है। उसकी राजनीतिक विकास के स्तरों की व्यवस्था आर्थिक सिद्धान्त पर आधारित है। लेकिन इस सिद्धान्त का प्रमुख दोष यह है कि इसमें सारे समाज के राष्ट्रीय विकास के साथ राजनीतिक विकास व उसकी अवस्थाओं को समझने का प्रयास किया गया है जबकि वास्तव में राजनीतिक विकास व उसके स्तरों का सम्बन्ध विकास के विभिन्न पहलुओं से होता है।

3. **सैमुअल पी० हंटिंगटन के विचार** (Views of Samuel P. Huntington)—हंटिंगटन के अनुसार राजनीतिक विकास की तीन अवस्थाएँ या स्तर होते हैं। उसने अपने निबन्ध 'Political Development and Political Decay' में राजनीतिक विकास की तीन अवस्थाएँ बतायी हैं—

(i) **केन्द्रीयकरण**—इसमें अनेक सत्ताओं के स्थान पर एक केन्द्रीय सत्ता का निर्माण हो जाता है।

(ii) **विभेदीकरण**—इस अवस्था में राजनीतिक व्यवस्था के कार्यों में वृद्धि हो जाने के कारण राजनीतिक संस्थाओं और संरचनाओं का विभेदीकरण या विभिन्नीकरण हो जाता है। इससे राजनीतिक व्यवस्था विविध कार्यों को आसानी से कर लेती है।

(iii) **अभिवृद्ध सहभागिता**—इस स्तर पर समाज के विभिन्न सामाजिक समूह, उप-समूह, व्यक्ति आदि सत्ता में सक्रिय सहभागिता निभाने लग जाते हैं।

हंटिंगटन का मानना है कि ये तीनों अवस्थाएँ क्रमबद्ध रूप से आनी चाहिए अन्यथा विकास की प्रक्रिया असम्भव हो जाएगी। इनमें किसी भी प्रकार का उलट-फेर राजनीतिक विकास के स्थान पर राजनीतिक पतन ही ला सकता है। आधुनिक विकासशील देशों में इसी उलट-फेर के कारण राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। इस स्थिति से बचने का एकमात्र उपाय यही है कि जन-परियोजना की गति धीमी कर दी जाए ताकि परिसर से व्यक्तियों का केन्द्रीय सत्ता तक पहुँचना पूर्ण रूप से आत्मसत्ता के अनुसार ही हो। इसका दूसरा विकल्प यह भी है कि इस विषम स्थिति से बचने के लिए संस्थाओं के निर्माण की प्रक्रिया तेज कर दी जाए ताकि जन-परियोजना को आत्मसात् करने की राजनीतिक में अधिक क्षमता हो जाए। इस तरह हंटिंगटन की यह अवधारणा प्राचीन तथा आधुनिक दोनों युगों पर समान रूप से लागू हो सकती है।

4. **आइजेन्सटाइड के विचार**—आइजेन्सटाइड ने राजनीतिक विकास को आधुनिकीकरण के साथ जोड़ते हुए यह विचार दिया है कि राजनीतिक विकास के दो स्तर हैं—(i) सीमित आधुनिकीकरण, (ii) व्यापक या जन-आधुनिकीकरण।

आइजेन्सटाइड का कहना है कि 18वीं और 19वीं सदी में सीमित आधुनिकीकरण था, जिसमें मध्यम वर्ग के लोगों को नीति-निर्माण की प्रक्रिया तक लाया गया तथा कुछ औद्योगिक विकास किया गया। बीसवीं सदी में आम जनता को नीति-निर्माण के किलों में प्रवेश कराया गया तथा विज्ञान और तकनीक का विकास किया गया। इस तरह आइजेन्सटाइड ने राजनीतिक विकास की और राजनीतिक आधुनिकीकरण को एक-सा मानकर राजनीतिक विकास की व्याख्या की और उसके दो स्तर बताये।

5. **जाग्थसराइब के विचार**—जाग्थसराइब ने अपनी पुस्तक 'Political Development : A General Theory and A Latin American Case Study' में राजनीतिक विकास की विस्तार से व्याख्या की और राजनीतिक विकास के दो पक्ष निर्धारित के दो पक्ष—(i) यथार्थवादी तथा (ii) प्रकार्यात्मक हैं। यथार्थवादी पक्ष में मानव-शक्ति के सामूहिक स्वरूप तथा उसके उपयोग की तथा प्रकार्यात्मक पक्ष में व्यवस्था के नवीन स्वरूप-निर्माण को देखा है। उसने यथार्थवादी पक्ष के आधार पर राजनीतिक विकास के तीन स्तर—(क) समाजीकरण (ख) मशीनीकरण तथा (ग) सामाजिक संगठन बताये हैं। प्रथम स्तर तो समाज पर राजनीतिक नियन्त्रण से सम्बन्ध रखता है जिसमें राजनीतिक एकीकरण के साथ-साथ अतिरिक्त समाजीय विस्तार तथा अन्तरसमाजीय विविधीकरण होता है। मशीनीकरण से औद्योगिकीकरण, अन्तर्राष्ट्रीय विस्तार तथा राष्ट्रीय विविधीकरण का बोध होता है। सामाजिक संगठन के अन्तर्गत सामान्य प्रकार का संगठन, अन्तर्राष्ट्रीयकरण तथा पुनर्मानवीकरण होता है। प्रकार्यवादी या प्रकार्यात्मक पक्ष में राजनीतिक विकास के चार स्तर—(क) प्रारूप निर्माण (ख) राज्य-निर्माण (ग) राष्ट्र-निर्माण तथा (घ) मतैक्य निर्माण होते हैं। इनका महत्त्व सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था की दृष्टि से माना जाता है।
6. **लूशियन पाई के विचार**—पाई ने भी अपनी पुस्तक 'Aspects of Political Development' में इंग्लैण्ड के विकास का राजनीतिक विश्लेषण करते समय राजनीतिक व्यवस्था के 6 संकटों की पहचान की। इन संकटों को राजनीतिक विकास की अवस्थाओं के साथ भी जोड़ा जा सकता है। ये अवस्थाएँ हैं—(i) अभिज्ञान या पहचान, (ii) औचित्यपूर्णता, (iii) प्रवेशन, (iv) सहभागिता, (v) एकीकरण, (vi) वितरण। ये अवस्थाएँ आर्गेन्सकी के विचारों को काफी समीप हैं। लेकिन इस विश्लेषण का प्रमुख दोष यह है कि यह विकसित देशों के सम्पर्क में तो सही है, परन्तु विकासशील देशों में इसका निश्चित क्रम सम्भव नहीं है।
7. **एडवर्ड शिल्स तथा कॉस्ट्स्की के विचार**—एडवर्ड शिल्स ने अपनी पुस्तक 'Political Developmental in the New State' में राजनीतिक विकास का विश्लेषण करके राजनीतिक व्यवस्थाओं का पाँच वर्गों—(i) राजनीतिक प्रजातन्त्र, (ii) अभिभावक प्रजातन्त्र, (iii) आधुनिकीकरणशील अल्पतन्त्र, (iv) सर्वाधिकारवादी अल्पतन्त्र तथा (v) परम्परागत कुलीनतन्त्र में बाँटा है। इसी तरह जॉन कॉस्ट्स्की ने भी अपनी पुस्तक 'Political Change in Underdeveloped Countries Nationalism and Communism' में राजनीतिक विकास को पाँच वर्गों में बाँटा है। उसके अनुसार ये वर्ग—(i) परम्परागत कुलीनतन्त्रात्मक अधिकारवादी अवस्था, (ii) राष्ट्रीय बुद्धिजीवियों के प्रभुत्व की संक्रान्तिकालीन अवस्था, (iii) कुलीनतन्त्रों की सर्वाधिकारवादी अवस्था, (iv) बुद्धिजीवियों की सर्वाधिकारवादी अवस्था तथा (v) प्रजातन्त्रीय अवस्था है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि राजनीतिक विकास के स्तरों पर अनेक राजनीतिक विद्वानों ने अलग-अलग विचार दिए हैं। इनमें से आर्गेन्सकी द्वारा राजनीतिक विकास की अवस्थाओं पर दिया गया विवेच्य अधिक तर्कसंगत मालूम पड़ता है। उसने राजनीतिक विकास के स्तरों को यथार्थवादी आधार पर समझने का प्रयास किया है, जबकि अन्य विद्वानों ने यह कार्य प्रकार्यात्मक आधार पर किया है। राजनीतिक विकास की अवस्थाओं का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए यथार्थवादी तथा प्रकार्यात्मक पहलुओं को साथ मिलाकर चलना आवश्यक माना जाता है। इसी कारण जाग्वाराइब का दृष्टिकोण अधिक तर्कसंगत माना जा सकता है, क्योंकि यह राजनीतिक विकास के यथार्थवादी तथा प्रकार्यात्मक दोनों पहलुओं को साथ लेकर चलता है।

राजनीतिक विकास की समस्याएँ (Problems of Political Development)

राजनीतिक विकास एक बहुआयामी तथा सतत् प्रक्रिया है। राजनीतिक विकास की प्रक्रिया कुछ बाह्य तथा कुछ आन्तरिक दबावों से घिरी रहती है। यह उस पर्यावरण से ज्यादा प्रभावित होती है, जिससे यह घिरी रहती है। रिग्स ने अपनी पुस्तक 'The Ecology of Development' में राजनीतिक विकास की मात्रा तथा विकासशील राज-व्यवस्थाओं पर पड़ने वाले विकासात्मक प्रभाव को

TOUCH n PASS

मापा। उसने निष्कर्ष निकाला कि पर्यावरण से अनुकूलन बनाये रखने की समस्या राजनीतिक व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। इसलिए प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था को विकास के पथ पर बढ़ते हुए अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इसी कारण विकास का कार्य सहज कार्य नहीं है। प्राय: राजनीतिक विकास के मार्ग में अनेक बाधाएँ आती हैं। विकसित देशों में सघन औद्योगिकरण, तकनीकी का समाजशास्त्र एवं जटिल आर्थिक संरचना, उपभोक्तावादी संस्कृति एवं अन्त: राष्ट्र सम्बन्धों में व्यापारिक वर्चस्व की प्रतिस्पर्धा के कारण ही समस्याएँ जन्म लेती हैं, जबकि विकासशील देशों में राजनीतिक विकास के प्रारूप चयन की समस्या, राजनीतिक स्थायित्व की समस्या, राजनीतिक विकास के अभिकरण–राजनीतिक दल, हित समूह और दबाव समूहों के समुचित रूप से संगठित और विकसित होने की समस्या, जनसंख्या विस्फोट की समस्या, आतंकवादी राजनीति की समस्या तथा शासक–शासित सम्बन्धों की दुरुहता के रूप में ये समस्याएँ होती हैं। ये समस्याएँ विकसित और विकासशील देशों में सामान्यतया अलग–अलग तरह की ही रहती हैं।

लूशियन पाई ने अपनी पुस्तक 'Aspects of Political Development' में राजनीतिक विकास की निम्नलिखित समस्याएँ बतायी हैं—

1. राज–व्यवस्था के साथ तादातम्य।
2. औचित्यपूर्णता की समस्या।
3. राजनीतिक व्यवस्था के अन्तर्वेषण या सभी क्षेत्रों में पहुँच की समस्या।
4. सहभागिता की समस्या।
5. समेकन या एकीकरण की समस्या।
6. वितरण की समस्या।

तादात्म्य की समस्या का सम्बन्ध लोगों का अपनी राजनीतिक व्यवस्था के प्रति विश्वास से है। जब नागरिक राष्ट्र प्रेम की भावना से दूर हटते जाते हैं तो संकीर्ण स्वार्थमयी प्रवृत्ति के कारण इस संकट का जन्म होता है। औचित्यपूर्णता की समस्या राजनीतिक उत्तरदायित्व तथा सत्ता के प्राधिकार के बीच सहमति के अभाव के कारण उत्पन्न होती है। अन्तवेषण या प्रवेशन की समस्या समाज के भीतर सरकार द्वारा पहुँचने और उसकी बुनियादी नीतियों को प्रभावित करने की समस्या की ओर संकेत करती है। सहभागिता का संकट लोगों की राजनीतिक नीति–निर्माण को प्रभावित करने की जनता की स्वतन्त्रता से सम्बन्ध रखता है। एकीकरण की समस्या राजनीतिक व्यवस्था की माँगों के सामूहीकरण की दोषपूर्ण व्यवस्था का परिणाम होती है। वितरण की समस्या का सम्बन्ध राजनीतिक व्यवस्था में लाभों की जनता तक पहुँच में कमी का परिणाम होती है। ये संकट एक साथ भी आ सकते हैं और अलग–अलग रूप में भी। यदि इन समस्याओं का समुचित समाधान न किया जाए तो ये राजनीतिक विकास को राजनीतिक पतन की तरफ धकेल देते हैं। इसी कारण इन समस्याओं के समाधान पर सभी राजनीतिक व्यवस्थाएँ अवश्य ध्यान देती हैं। तादात्म्य की समस्या से निजात पाने के लिए सभी सरकारें अपने नागरिकों को देशभक्ति का पाठ सिखाती हैं। चुनावों के माध्यम से सरकारें औचित्यपूर्णता प्राप्त करने पर बल देती हैं और नौकरशाही को सीमित अधिकार देती हैं ताकि जनता को कोई असुविधाजनक अनुभूति न हो। प्रवेशन के लिए सभी सरकारें लोगों की भलाई के लिए कल्याणकारी योजनाएँ लागू करती हैं। सहभागिता की समस्या से बचने के लिए लोगों को अधिक–से–अधिक राजनीतिक क्षेत्रों में प्रवेश कराया जाता है। राजनीतिक दलों व हित समूहों को इस कार्य में भूमिका अदा करने की छूट दी जाती है। एकीकरण की समस्या का समाधान भी दबाव समूह तथा राजनीतिक दलों द्वारा माँगों का समूहीकरण करके कर दिया जाता है। वितरण की समस्या से निपटने के लिए सभी सरकारें राजनीतिक लाभों की जनता तक तथा जनता में समान पहुँच सुनिश्चित करती हैं। इसके लिए कमजोर वर्गों को कुछ विशेष लाभ भी दिये जाते हैं। इस तरह सभी राजनीतिक व्यवस्थाएँ राजनीतिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसके मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए सचेत रहकर प्रयास करती हैं। लूशियन पाई की तरह ऑमण्ड ने भी राजनीतिक विकास की अवधारणा का व्यापक विश्लेषण करने के बाद राजनीतिक विकास की चार समस्याएँ बतायी हैं। उसका कहना है कि प्रत्येक राज–व्यवस्था को इन समस्याओं से अवश्य निपटना पड़ता है। ये समस्याएँ हैं—

1. राज्य–निर्माण की समस्या।
2. राष्ट्र–निर्माण की समस्या।
3. सहभागिता की समस्या।
4. वितरण की समस्या।

ऑमण्ड का कहना है कि राज्य–निर्माण की समस्या तब उत्पन्न होती है जब राजनीतिक व्यवस्था अपने क्षेत्र के भीतर और बाहर तक प्रवेश न करने तथा उनका एकीकरण करने से जूझती है। राष्ट्र–निर्माण की समस्या निष्ठा के अभाव के कारण उत्पन्न होती है। सहभागिता की समस्या समाज के विभिन्न समूहों, वर्गों आदि की शासन की निर्णय–निर्माण प्रक्रिया में भाग लेने सम्बन्धी माँगों के

कारण उत्पन्न होती हैं। वितरण की समस्या लोक कल्याण की माँग से सम्बन्ध रखती हैं। यह घरेलू समाज के दबाव का परिणाम होती हैं। ऑमण्ड का मानना है इन समस्याओं का सम्बन्ध विकास की क्रमिक अवस्थाओं से होता है। विकसित देशों में राजनीतिक विकास का यही क्रम रहा है। विकासशील देशों को भी अपने राजनीतिक विकास के लिए इसी क्रम पर चलना आवश्यक है, अन्यथा वहाँ पर कभी भी राजनीतिक विकास नहीं हो सकता।

उपरोक्त विवेचन के बाद कहा जा सकता है कि राजनीतिक विकास की समस्याओं का सम्बन्ध राजनीतिक व्यवस्था का सामना करने वाली समस्याओं की प्रकृति, व्यवस्था के संसाधन, विदेशी सामाजिक व्यवस्थाओं का राजनीतिक व्यवस्था पर प्रभाव, राजनीतिक व्यवस्था के प्रकार्यात्मक प्रतिमान अभिजन वर्ग की अनुक्रिया आदि बातों से होता है। जब तक इन तत्त्वों की समुचित व्यवस्था को नहीं समझा जाएगा, तब तक राजनीतिक विकास की समस्याओं को न तो समझा जा सकता है और न ही उनका समाधान निकाला जा सकता है। राजनीतिक विकास की समस्याएँ सीमा रहित होती हैं। ये आन्तरिक और बाह्य दोनों हो सकती हैं। ये राजनीतिक या उत्तराधिकार, सही विकास मार्ग के चयन, विकास के लिए साधन प्राप्ति, महाशक्तियों के हस्तक्षेप, सामाजिक दबाव, आर्थिक विवशता एवं अस्थिरता से सम्बन्धित हो सकती हैं। कई बार अधिकारीतन्त्र की लापरवाही के कारण भी इनका जन्म हो सकता है। यह बात तो सत्य है कि राजनीतिक विकास की समस्याएँ विकासशील देशों में विकसित देशों से कुछ भिन्न तरह की है। सार रूप में कहा जा सकता है कि राजनीतिक विकास की प्रमुख समस्याएँ—राष्ट्र निर्माण की समस्या, राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता में वृद्धि की समस्या, समानता लाने की समस्या, असहभागिता में वृद्धि करने की समस्या, वैयता या औचित्यपूर्णता प्राप्त करने की समस्या, आधुनिकीकरण की समस्या आदि रूप में हो सकती है।

प्र.3. राजनीतिक संस्कृति पर विस्तृत लेख लिखिए।

Write a long note on political culture.

उत्तर राजनीतिक संस्कृति का अर्थ—राजनीति विज्ञान में राजनीतिक संस्कृति की धारणा का विशेष महत्त्व हो गया है। राजनैतिक संस्थाओं के अध्ययन के लिए राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन आवश्यक है। यदि हम किसी राष्ट्र की शासन प्रणाली का वास्तविक रूप में अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें उस राष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन अवश्य करना होगा। क्योंकि राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन किये बिना राजनैतिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली को नहीं समझा जा सकता। समान राजनैतिक संस्थाएँ तथा समान शासन प्रणाली होते हुए भी राजनीतिक संस्कृति की भिन्नता के कारण वे अलग-अलग राष्ट्रों में भिन्न-भिन्न प्रकार से कार्य करती है।

राजनीतिक संस्कृति के अन्तर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि जनता का अपनी देश की राजनैतिक संस्थाओं, सरकार व नेतृत्व के प्रति क्या दृष्टिकोण तथा सोच है। राजनीतिक तथा अन्य समस्याओं को जनता किस प्रकार से हल करना चाहती है। जनता का विश्वास संवैधानिक साधनों में है या उग्र साधनों में। राजनीतिक संस्कृति के अन्तर्गत यह भी अध्ययन किया जाता है कि जनता अपने अधिकारों तथा हितों के प्रति सचेत है या नहीं। ऑमण्ड तथा पॉवेल के अनुसार किसी राजनैतिक प्रणाली के सदस्यों के राजनीति के प्रति विचारों व दृष्टिकोण को राजनीतिक संस्कृति कहते हैं। उनके अनुसार, राजनीतिक संस्कृति किसी राज व्यवस्था के सदस्यों में राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिवृत्तियों और दिगविन्यासों का नमूना है। **एलन बॉल** के अनुसार, "राजनीति संस्कृति उन अभिवृत्तियों, विश्वासों, भावनाओं और समाज के मूल्यों से मिलकर बनती है, जिनका सम्बन्ध राजनीतिक पद्धति तथा राजनीति प्रश्नों से होता है।"

राजनीति विज्ञान में राजनीतिक संस्कृति के सिद्धान्त को विकसित करने में ऑमण्ड, लूसियन, सिडनी वरबा आदि की भूमिका है। इस सन्दर्भ में पाई तथा वरबा ने (Political Culture and Political Development) पुस्तक लिखी। भारत में भी रजनी कोठारी ने इस सन्दर्भ में (Politics in India) नामक पुस्तक लिखी।

किसी राष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति कैसी होगी, यह मुख्यत: तीन तत्त्वों पर निर्भर करता है—

राजनीतिक संस्कृति के तत्त्व
(Elements of Political Culture)

1. **ज्ञानात्मक तत्त्व**—किसी भी राष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति आधुनिक होगी या पिछड़ी हुई, इस बात पर निर्भर करता है कि शासन प्रणाली तथा राजनीति के बारे में जनता के ज्ञान का स्तर कैसा है अर्थात् ज्ञान का स्तर उच्च है या निम्न। यदि जनता को अपने राष्ट्र की शासन प्रणाली तथा कार्य प्रणाली का अच्छा ज्ञान है तो उस राष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति आधुनिक, विकसित तथा सहभागी राजनीतिक संस्कृति होगी। यदि जनता को अपने राष्ट्र की शासन प्रणाली के सम्बन्ध में कोई

विशेष ज्ञान नहीं है तो उस राष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति संकुचित तथा पिछड़ी हुई होगी तथा राजनीति पर धर्म, भाषावाद तथा जातिवाद जैसी संकीर्ण विचारधाराओं का प्रभाव रहेगा।

2. **भावात्मक तत्त्व**—इसका अर्थ यह है कि जनता का अपने देश की राजनीतिक व्यवस्था के प्रति भाव कैसा है। अर्थात् जनता का भाव अलगाववादी है या लगाववादी। यदि जनता अपनी व्यवस्था के प्रति लगाववादी दृष्टिकोण रखती है तो उस देश में जनता सक्रिय रूप से राजनीति में भाग लेती है तथा उसे देश की राजनीतिक संस्कृति सहभागी राजनीतिक संस्कृति कहलाती है। यदि जनता राजनीति के प्रति उदासीन रहती है तो उस राष्ट्र में संकुचित राजनीतिक संस्कृति देखने को मिलती है।
3. **मूल्यांकन**—इसका अर्थ है कि क्या जनता अपनी शासन प्रणाली की नीतियों तथा कार्यों का मूल्यांकन अर्थात् विश्लेषण करती है या नहीं। इस तत्त्व का राष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि जनता सरकार की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन करती है तथा मूल्यांकन के आधार पर उसे ऐसा लगता है कि सरकार ठीक प्रकार से कार्य कर रही है तो जनता के मन में अपनी राजनीतिक व्यवस्था के प्रति लगाव बढ़ जाता है तथा जनता सक्रिय रूप से राजनीति में भाग लेने लगती है।

राजनीतिक संस्कृति की प्रकृति व विशेषताएँ (Nature and Features of Political Culture)

राजनीतिक संस्कृति एक विकासशील व गत्यात्मक अवधारणा है। इसकी प्रकृति परिवर्तनशील तथा विकासोन्मुखी होती है। इसका निर्माण ऐतिहासिक विकास की पृष्ठभूमि में होता है। राजनीतिक व्यवहार और राजनीतिक संस्कृति का आपस में गहरा सम्बन्ध है। इससे व्यक्ति और समूह के राजनीतिक आचरण का बोध होता है। यह प्रगतिशील और समन्वयकारी होने के कारण रूढ़िवादी समाज की सांस्कृतिक विरासत होती है। यह राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले दबाव समूह व राजनीतिक दलों की गतिविधियों से भी काफी प्रभावित होती रहती है। इसके ऊपर कुछ आन्तरिक तथा बाह्य शक्तियों का भी प्रभाव पड़ता है। राजनीतिक संस्कृति में समयानुसार परिवर्तन, संशोधन, सुधार एवं विकास होता रहता है। राजनीतिक संस्कृति का विशेष स्वभाव इसकी गतिशीलता है, जड़ता नहीं। एक राजनीतिक संस्कृति कई उप-संस्कृतियों को भी समेटे रखती है। इसे राजनीतिक एकता के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। इसके अनेक रूप होते हैं और यह राजनीतिक व्यवहार को अंगीकार करने में सक्षम होती है। राजनीतिक संस्कृति की इस प्रकृति को इसकी विशेषताओं में भी देखा जा सकता है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

1. राजनीतिक संस्कृति एक व्यक्तिपरक धारणा है, क्योंकि इसमें लोगों के विचारों, विश्वासों व मूल्यों का अध्ययन किया जाता है।
2. राजनीतिक संस्कृति एक व्यापक धारणा है, क्योंकि यह राजनीतिक व्यवहार के अनेक तत्त्वों को अपने में समेटे रहती है।
3. राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति का ही एक अंश होती है, क्योंकि इसमें लोगां के राजनीतिक मूल्य व विश्वास ही शामिल होते हैं।
4. राजनीतिक संस्कृति का स्वरूप प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में अलग-अलग होता है, क्योंकि राजनीतिक संस्कृति के घटकों को प्रत्येक देश में अन्तर पाया जाता है।
5. राजनीतिक संस्कृति एक अमूर्त नैतिक अवधारणा है।
6. राजनीतिक संस्कृति एक गत्यात्मक व परिवर्तनशील अवधारणा है।
7. राजनीतिक संस्कृति व राजनीतिक विकास में गहरा सम्बन्ध होता है।
8. राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक समाजीकरण व आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को भी प्रभावित करती है। अड़ियल प्रकार की राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक आधुनिकीकरण, समाजीकरण व विकास का मार्ग अवरुद्ध कर देती है।
9. भूगोल, परम्पराएँ, इतिहास, आदर्श, जीवन मूल्य, जलवायु, सामाजिक तथा आर्थिक तत्त्व, राष्ट्रीय प्रतीक आदि तत्त्व राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में योगदान देते हैं।
10. राजनीतिक संस्कृति जन-सामान्य के राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करती है।

राजनीतिक संस्कृति के प्रकार
(Types of Political Culture)

राजनीतिक संस्कृति में पायी जाने वाली मात्रात्मक विशेषताएँ अपने अनेक रूपों का परिचय स्वयं ही दे देती हैं। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में लोगों का राजनीतिक व्यवस्था के प्रति लगाव, विश्वास व मूल्य अलग-अलग ढंग का होता है। कहीं पर लोग राजनीतिक व्यवस्था के प्रति गहरा लगाव रखते हैं और राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता रखते हैं तो कहीं पर इसका सर्वथा अभाव पाय जाता है। राजनीतिक समाज के सदस्यों की राजनीतिक सहभागिता ही प्राय: राजनीतिक संस्कृति की प्रतीक का

TOUCH n PASS

निर्धारण करती है। निरन्तरता या सातत्य की दृष्टि से राजनीतिक संस्कृति परम्परागत व आधुनिक दो प्रकार की हो सकती है। जहाँ परस्पर व आधुनिकता में संघर्ष चलता रहता है वहाँ पर राजनीतिक संस्कृति का नवीन रूप भी अस्तित्व में आ जाता है जिसे मिश्रित संस्कृति कहा जा सकता है। विचारवादियों की दृष्टि में राजनीतिक संस्कृति-प्रजातन्त्रीय, साम्यवादी, समाजवादी व एकतन्त्रवादी हो सकती है। भौगोलिक आधार पर यह पर्वतीय, मैदानी, सामुद्रिक, आकाशीय तथा ध्रुवीय हो सकती है। विश्व में पूँजीवादी, सर्वहारा, काली, पीली या श्वेत संस्कृतियों का भी इतिहास में वर्णन मिलता है। एकरूपता की दृष्टि से इसे संकुचित, प्रजाभावी तथा सहभागी संस्कृति में बाँटा जाता है। इस विभाजन का आधार लोगों का राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अभिमुखीकरण माना जाता है। एस०ई० फाइनर ने राज-संस्कृति को प्रौढ़, विकसित, निम्न तथा पूर्व-फ्रांसीसी क्रान्ति सम-न्यूनतम स्तरीय चार भागों में बाँटा है। ऑमण्ड ने भी राजव्यवस्थाओं में जनसहभागिता के सन्दर्भ में इसे तीन भागों में बाँटा है। उसने आगे राजनीतिक संस्कृति के तीन अन्य प्रकार भी बताये हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि राजनीतिक संस्कृति विभिन्न आधारों पर अनेक प्रकार की होती है। राजनीतिक संस्कृति के प्रमुख रूप निम्नलिखित हो सकते हैं—

1. **संख्या व शक्ति के आधार पर**—इस आधार पर राजनीतिक संस्कृति के दो भेद माने जाते हैं—
   (i) **अभिजनात्मक संस्कृति** (Elitist Culture)—यह संस्कृति इस मान्यता का परिणाम है कि प्रत्येक शासन में गिने-चुने लोग ही सत्ता के वास्तविक धारक होते हैं और उनका राजनीतिक व्यवस्था तथा लोगों की जीवन शैली पर व्यापक प्रभाव होता है। भारत में नेहरू व गाँधी जी ने जिस संस्कृति को जन्म दिया। यह अभिजनात्मक होते हुए भी उससे अधिक थी। यह संस्कृति समाज में विशिष्ट वर्ग के हितों की पोषक होने के साथ-साथ जनसामान्य के प्रति अपना दृष्टिकोण ईमानदारी को बनाये रखती है।
   (ii) **जनसंस्कृति** (Mass-Culture)—यह संस्कृति लोकतन्त्रीय अवस्थाओं को समेटे हुए है। यह जन-आस्था एवं रचनात्मक वृत्तियों की द्योतक है। इसमें राजनीतिक प्रक्रिया में जनसाधारण की उपेक्षा नहीं की जा सकती और प्रत्येक स्तर पर जनता की भावनाओं का ख्याल रखा जाता है। विकसित देशों में यह अभिन्न संस्कृति के साथ ही मिलकर चलती है। विकासशील देशों में इस प्रकार की संस्कृति का अधिक प्रचलन बढ़ रहा है।
2. **निरन्तरता व सातत्व की दृष्टि से**—इस आधार पर राजनीतिक संस्कृति को तीन भागों में बाँटा जा सकता है—
   (i) परम्परागत राजनीतिक संस्कृति (Traditional Political Culture)
   (ii) आधुनिक राजनीतिक संस्कृति (Modern Political Culture)
   (iii) मिश्रित राजनीतिक संस्कृति (Mixed Political Culture)

   परम्परावादी संस्कृति का सम्बन्ध जनसामान्य से होता है, जबकि आधुनिक राजनीतिक संस्कृति का सम्बन्ध विशिष्ट वर्गीय शासकों से होता है। ब्रिटेन तथा भारत में मिश्रित संस्कृति पायी जाती है। क्योंकि यहाँ परम्परा व आधुनिकता का सुन्दर मिश्रण है। ब्रिटेन में कुलीनतन्त्रीय राजनीतिक ढाँचे का तादात्म्य ऐसे सामाजिक व आर्थिक ढाँचे के साथ किया गया है कि उसमें विशिष्ट वर्ग व जनसाधारण दोनों के हितों का पोषण हो जाता है। विकासशील देशों में इसी प्रकार की संस्कृति है। सर्वाधिकारवादी देशों में विशिष्ट वर्गीय हितों की पोषक आधुनिक व परम्परावादी दोनों संस्कृतियाँ ही पायी जाती हैं। ऑमण्ड-कोलमैन का मानना है कि सभी राजनीतिक समाजों में राजनीतिक संस्कृति का मिश्रित रूप ही पाया जाता है।
3. **राजनीतिक सहभागिता के आधार पर**—इस आधार पर वर्गीकरण करने वाले प्रमुख विद्वान ऑमण्ड व वर्बा हैं। उनका कहना है कि प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में जनता सहभागिता चाहती है। लेकिन सभी व्यवस्थाओं में पूर्ण व सक्रिय राजनीतिक सहभागिता का होना आवश्यक नहीं है। इसलिए इस आधार पर कि जनसहभागिता का स्तर क्या है। लोग राजनीति के प्रति उदासीन हैं या सक्रिय, राजनीतिक संस्कृति को शुद्ध रूप में तीन भागों में बँटा जाता है—
   (i) **संकीर्ण-राजनीतिक संस्कृति** (Parochial Political Culture)—इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति कम विकसित तथा परम्परागत राजनीतिक समाजों में पायी जाती है। इसका प्रमुख कारण यह होता है कि इन समाजों में कम विशेषीकरण के कारण सभी भूमिकाएँ शासक-वर्ग द्वारा ही अदा की जाती हैं। इसमें जनता राजनीति के प्रति प्राय: उदासीन ही रहती है। राजनीतिक नेता ही धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक भूमिकाओं का एक स्थान निर्वहन करते हैं। इसमें जनता की तरफ से राजनीति के प्रति कोई माँग या निवेश नहीं होता और न ही निर्गतों की तरफ उसका ध्यान रहता है।
   (ii) **पराधीन-राजनीतिक संस्कृति** (Subject-Political Culture)—इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति का जन्म उन समाजों में होता है, जहाँ जनता राजनीति के प्रति अकर्मण्य रहती है और वह शासकीय आदेशों को

TOUCH'n PASS

विवशतावश चुपचाप सहन करती है और उनका पालन करती रहती है। यह राजनीतिक संस्कृति आश्रित उपनिवेशों में ही विद्यमान थीं। इस प्रकार की संस्कृति में जनता निवेशों से तो दूर रहती है, लेकिन निर्गतों पर ध्यान रखती है। इस संस्कृति में लोगों का राजनीतिक अभिमुखीकरण व्यवस्था से लेने के स्तर पर ही सक्रिय होता है। सार रूप में इसमें जनता की राजनीतिक सक्रियता प्राय: सीमित प्रकृति की होती है। कई बार इस प्रकार की संस्कृति निर्गतों के परिणामों के रूप में महान् आन्दोलनों की जनक भी बन जाती है। इस संस्कृति को प्रजामूलक संस्कृति भी कहा जाता है।

(iii) **सहभागी-राजनीतिक संस्कृति** (Participant-Political Culture)—इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति उन समाजों में पायी जाती है, जहाँ जनता को राजनीतिक सहकारिता के पूरे अवसर प्रदान किये जाते हैं। इस संस्कृति में जनता निदेशों व निर्गतों पर समान नजर रखती है। इस प्रकार की संस्कृति विकसित देशों में पायी जाती है। इसमें लोगों का राजनीतिक व्यवस्था के प्रति लगाव व विश्वास उच्च स्तर का बना रहता है। इसमें जनता अपने अधिकारों व कर्त्तव्यों के प्रति जागरूक बनी रहती है। इसे प्रजातन्त्रीय राजनीतिक संस्कृति भी कहा जाता है।

उपरोक्त शुद्ध रूपों के अतिरिक्त भी मिश्रित रूप में ऑमण्ड व वर्बा ने राजनीतिक संस्कृति को तीन भागों में बाँटा है—

(i) संकीर्ण-पराधीन राजनीतिक संस्कृति।
(ii) पराधीन-सहभागी राजनीतिक संस्कृति।
(iii) संकीर्ण सहभागी राजनीतिक संस्कृति।

(i) **संकीर्ण-पराधीन राजनीतिक संस्कृति** (Parochial-Subject Political Culture)—यह संस्कृति मिश्रित प्रकृति की कमी होती है। इसमें दोनों प्रकार की राजनीतिक संस्कृतियों की विशेषता पायी जाती है। इसमें दोनों प्रकार के व्यक्ति पाये जाते हैं। कुछ व्यक्ति तो राजनीति के प्रति लगाव रखते हैं और कुछ दूर रहते हैं।

(ii) **पराधीन-सहभागी राजनीतिक संस्कृति** (Subject-Participant Political Culture)—यह संस्कृति पराधीन राजनीतिक संस्कृति तथा सहभागी राजनीतिक संस्कृति के गुणों से परिपूर्ण रहती है। यह संस्कृति उन समाजों में पायी जाती है जहाँ लोगों का राजनीतिक व्यवस्था के प्रति लगाव होता है। इसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो केवल निवेशों और निर्गतों के प्रति ही रुचि रखते हैं। इस संस्कृति का उदय राजनीतिक व्यवस्था में जनसहभागिता की वृद्धि की शुरुआत के साथ हुआ।

(iii) **संकीर्ण-सहभागी राजनीतिक संस्कृति** (Parochial Participant Political Culture)—इस प्रकार की संस्कृति में शासक वर्ग ही जनता को प्रभावित नहीं करता बल्कि जनता भी शासकीय नीतियों को प्रभावित करती है। इसमें जन इच्छा का पूरा सम्मान किया जाता है। यह संस्कृति संकीर्ण व सहभागी राजनीतिक संस्कृति दोनों की विशेषताएँ समेटे रहती हैं।

4. **गुणात्मक स्वरूप के आधार पर**—एस०ई० फाइनर ने अपनी पुस्तक 'The Man of Horxe Back' में राजनीतिक संस्कृति के चार प्रकार बताये हैं—

(i) प्रौढ़ या परिपक्व राजनीतिक संस्कृति।
(ii) विकसित राजनीतिक संस्कृति।
(iii) निम्न राजनीतिक संस्कृति।
(iv) पूर्व-फ्रांसीसी क्रान्ति-सम अल्पस्तरीय राजनीतिक संस्कृति।

(i) **प्रौढ़ राजनीतिक संस्कृति** (Mature Political Culture)—यह संस्कृति ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया तथा नीदरलैण्ड में पायी जाती है। इसमें राजनीतिक सर्वसम्मति व संगठन की मात्रा बहुत ऊँची होती है। इसमें सैनिक शक्ति का प्रयोग करने से परहेज किया जाता है। इसके अन्तर्गत शासन की सर्वोच्च सत्ता पर नागरिक सरकार का ही अधिकार रहता है। यह संस्कृति राजनीतिक स्थिरता वाले देशों में भी पायी जाती है।

(ii) **विकसित राजनीतिक संस्कृति** (Developed Political Culture)—यह संस्कृति मिस्र, अल्जीरिया और क्यूबा जैसे देशों में पायी जाती है। इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक स्थिरता के साथ-साथ सैनिक खतरों से भी भयभीत रहती है। ऐसे परिवेश में आम जनता को शक्ति का भय दिखाकर शान्त कराने का प्रयास किया जाता है, लेकिन क्रान्ति या तख्ता पलट की सम्भावनाएँ सदा ही बनी रहती हैं। इसमें नागरिक सरकार पर संकट के बादल मँडराते रहते हैं।

TOUCH in PASS

(iii) **निम्न राजनीतिक संस्कृति** (Low Political Culture)—यह संस्कृति उन राजनीतिक समाजों में पायी जाती है, जहाँ लोकमत सशक्त नहीं होता। इसी कारण इसमें जन-विरोध की भावना का अभाव पाया जाता है। इसकी संस्कृति वाले देशों में राजनीतिक संस्थाएँ बहुत ही कमजोर स्थिति में रहती है। इसमें जनता सुशासन की कामना तो रखती है, लेकिन उनका यह स्वप्न पूरा नहीं होता। इस व्यवस्था में लोकतन्त्री आस्थाओं पर सैनिक तानाशाही का शिकंजा कसा रहता है। जनाधार के बंटे होने के कारण यह संस्कृति वियतनाम, सीरिया, बर्मा, इण्डोनेशिया, पाकिस्तान आदि देशों में पायी जाती है।

(iv) **पूर्व-फ्रांसीसी क्रान्ति-सम अल्पस्तरी राजनीतिक संस्कृति** (Like Pre-French Revolution, Minimal Political Culture)—यह संस्कृति उन देशों में पायी जाती है, जहाँ सरकार जनता के विचारों की मनमानी अवहेलना कर सकती है। फ्रांसीसी क्रान्ति से पहले फ्रांस में यह संस्कृति विद्यमान थी। आज इस संस्कृति के लिए कोई स्थान नहीं है।

5. **शासन-व्यवस्था जनित संवेगों के आधार**—इस आधार पर ऑमण्ड ने राष्ट्रों की राजनीतिक व्यवस्था, भौगोलिक प्रणाली, विकासशील प्रवृत्ति आदि के आधार पर राजनीतिक संस्कृति को चार भागों में बाँटा है—

(i) आंग्ल-अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था।
(ii) महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था।
(iii) अपश्चिमी एवं आंशिक रूप से पूर्व-औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था।
(iv) सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था।

(i) **आंग्ल-अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था** (Anglo-American Political Culture)—यह संस्कृति ब्रिटेन और अमेरिका में पायी जाती है। इसमें राजनीतिक साध्यों व साधनों पर आम सहमति पायी जाती है। इसमें आदिकालीन व वर्तमान धर्म-निरपेक्ष मान्यताओं का सुन्दर मेल होता है। इस संस्कृति से सम्बन्धित देशों में वैयक्तिक स्वतन्त्रता, अधिकार व सुरक्षा को विशेष महत्त्व दिया जाता है। इसमें समाज का स्वरूप बहुलवादी होता है। इसमें सत्तावादी शासन की सम्भावनाएँ कम होती हैं और यहाँ पर भूमिकाओं का स्थायित्व भी रहता है। इसमें विशेषीकरण तथा विभेदीकरण का गुण भी पाया जाता है।

(ii) **महाद्वीपीय-यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था** (Continental European Political Culture)—यह राजनीतिक संस्कृति फ्रांस, इटली, स्वीडन, नार्वे, जर्मनी आदि कम विकसित पश्चिमी लोकतन्त्रीय देशों में पायी जाती है। इस राजनीतिक संस्कृति में न तो जनता अपने नेताओं के प्रति पूर्ण आश्वस्त होती है और न ही नेतागण अपने लोगों पर पूर्ण रूप से निर्भर रहते हैं। इस प्रकार की संस्कृति में जनता की बजाय राजनीतिक प्रक्रिया में दबाव समूहों की भूमिका अधिक रहती है। इस प्रकार की संस्कृति कई उप-संस्कृतियों को भी जन्म देती है।

(iii) **अपश्चिमी एवं आंशिक रूप से पूर्व-औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था** (Non-Western or Partially Pre-Industrial Political System)—इस प्रकार की व्यवस्था में शासन प्रणाली पर एक ही दल का प्रभुत्व रहने के कारण राजनीतिक संस्कृति की एकता परिलक्षित होती है। इसमें शक्ति के आधार पर सत्ता व शासन को औचित्यपूर्ण बनाये रखा जाता है। इसमें नौकरशाही का महत्त्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसमें जन-सहभागिता के नाम पर जनता के साथ धोखा किया जाता है। इसमें अधिकारों की अपेक्षा कर्त्तव्यों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार की संस्कृति चीन व अन्य साम्यवादी देशों में पायी जाती है।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के बाद कहा जा सकता है कि विभिन्न आधारों पर राजनीतिक संस्कृति अनेक प्रकार की होती है। उपरोक्त वर्गीकरण के अतिरिक्त भी कुछ विद्वानों द्वारा राजनीतिक संस्कृति के कुछ अन्य रूप भी बताये हैं। उन्होंने पंथ-निरपेक्ष, नागरिक, सैद्धान्तिक, समरूप, खण्डित आदि राजनीतिक संस्कृतियों का भी वर्णन किया है। लेकिन ये रूप भी उपरोक्त विवरण के अन्तर्गत ही घुलकर रह जाते हैं। इनके पृथक विवेचन की कोई आवश्यकता नहीं है। यह बात तो सत्य है कि प्रत्येक देश किसी-न-किसी प्रकार की राजनीतिक संस्कृति से जुड़ा हुआ है। आज सभी देशों में राजनीतिक संस्कृति के साथ-साथ उपराजनीतिक संस्कृतियाँ भी उभर रही हैं। अत: ऑमण्ड-कोलमैन का कथन सही है कि आज विश्व में राज-व्यवस्थाओं में राजनीतिक संस्कृति का मिश्रित रूप ही पाया जाता है।

TOUCH in PASS

प्र.4. अभिजन के सिद्धान्त की विशेषताएँ लिखिए। अभिजन तथा लोकतन्त्र के परस्पर सम्बन्धों की विवेचना कीजिए।
What are the features of Elite theory. Examine the relations between democracy and Elite.

उत्तर अभिजन वर्ग का सिद्धान्त इस विचार पर आधारित है कि लोगों में असमानता होती है। कुछ लोग योग्य तथा सक्षम होते हैं तथा अन्य अयोग्य तथा अक्षम। जो लोग योग्य, सक्षम है तथा जिनमें नेतृत्व की क्षमता है वे अभिजन वर्ग का निर्माण करते हैं। अभिजन वर्ग समाज का विशिष्ट वर्ग होता है जो राजनीतिक, सामाजिक, अभिजन वर्ग समाज का विशिष्ट वर्ग होता है जो राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में समाज को नेतृत्व प्रदान करता है। परेटो, मोस्का, एच०डी० लासवेल, सी० राइटमिल्स, टी०बी० बोटोमोर, कार्ल मैनहीम, कोला बिन्सका तथा शुम्पीटर ने अभिजन की धारणा के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है। मोस्का ने अपनी पुस्तक 'The Ruling Elite' सी० राइटमिल्स ने 'The Power Elite' तथा टी०बी० लोटोमोर ने "Elite and Society" में अभिजन वर्ग के सिद्धान्त का विस्तार से उल्लेख किया है। इन विचारकों ने अभिजन वर्ग के सिद्धान्त की निम्न विशेषताएँ निर्धारित की हैं—

1. **अभिजन वर्ग अल्पसंख्यक होता है**—अभिजन वर्ग में समाज के केवल थोड़े ही व्यक्ति शामिल होते हैं अर्थात् अभिजन वर्ग में शामिल लोगों की संख्या हमेशा कम होती है, क्योंकि समाज में कुछ ही व्यक्ति योग्य, सक्षम तथा नेतृत्व की क्षमता वाले होते हैं। अधिकांश समाज के अधिकांश लोगों में इन तत्त्वों का अभाव रहता है। अल्पसंख्यक योग्य तथा सक्षम व्यक्ति ही अभिजन वर्ग का निर्माण करते हैं। प्रत्येक प्रकार की शासन व्यवस्था पर इन्हीं अल्पसंख्यक योग्य तथा सक्षम लोगों का नियन्त्रण होता है। परन्तु लोकतन्त्रीय तथा अधिनायकवादी प्रणालियों में अभिजन वर्ग की स्थिति में यह अन्तर होता है कि लोकतन्त्र में अभिजन वर्ग पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जनता का नियन्त्रण होता है तथा जनता अभिजन वर्ग में परिवर्तन भी कर सकती है, परन्तु अधिनायकवादी प्रणालियों में अभिजन वर्ग पर सामान्य जनता का नियन्त्रण सम्भव नहीं हो पाता।
2. **सभी शासन प्रणालियों में विशेष महत्त्व**—शासन व्यवस्था लोकतान्त्रिक हो, साम्यवादी हो या अधिनायकवादी सभी में अभिजन वर्ग का विशेष महत्त्व होता है। सभी प्रणालियों में समस्त गतिविधियों का संचालन अभिजन वर्ग द्वारा किया जाता है। अभिजन वर्ग राष्ट्र के लक्ष्यों तथा उन्हें प्राप्ति के साधन निर्धारित करता है।
3. **असमानता में विश्वास**—अभिजन वर्ग का सिद्धान्त इस विचार पर आधारित है कि लोग समान नहीं हैं। लोकतन्त्र में भले ही सिद्धान्त रूप में सभी व्यक्तियों को समान माना गया हो परन्तु व्यवहार में लोगों में भारी असमानताएँ हैं। समाज में केवल थोड़े व्यक्ति ही योग्य तथा सक्षम होते हैं, अधिकांश व्यक्ति अयोग्य तथा अक्षम होते हैं तथा शासन का संचालन केवल थोड़े से योग्य व्यक्ति ही करते हैं।
4. **अभिजन वर्ग में परिवर्तन**—अभिजन वर्ग स्थायी नहीं होता। इसमें निरन्तर परिवर्तन होते रहते हैं। आज जो अभिजन वर्ग है, उसको हटाने के लिए अन्य योग्य व्यक्ति, निरन्तर प्रयास करते रहते हैं। जब उन्हें सफलता प्राप्त हो जाती है तो अभिजन वर्ग में परिवर्तन हो जाता है। अभिजन वर्ग में परिवर्तन सभी शासन व्यवस्थाओं में होते हैं। अन्तर केवल यह है कि लोकतान्त्रिक प्रणालियों में चुनाव के द्वारा शान्तिपूर्ण तरीकों से अभिजन वर्ग में परिवर्तन हो जाता है जबकि अधिनायकवादी तथा निरंकुश तन्त्र पर आधारित प्रणालियों में हिंसा तथा बल के आधार पर परिवर्तन होता है।

अभिजन की धारणा तथा लोकतन्त्र
(The Concept of Elites and Democracy)

अभिजन की धारणा तथा लोकतन्त्र में अन्तर्विरोध है या दोनों में परस्पर कोई विरोध नहीं है। इस सम्बन्ध में दो दृष्टिकोण हैं जैसे—

1. **अभिजन वर्ग की धारणा तथा लोकतन्त्र परस्पर विरोधी**—इस दृष्टिकोण के अनुसार अभिजन वर्ग की धारणा लोकतन्त्र विरोधी है, क्योंकि लोकतान्त्रिक प्रणाली व्यक्तियों की समानता में विश्वास रखती है परन्तु अभिजन वर्ग की धारणा व्यक्तियों की असमानता में विश्वास रखती है। अभिजन वर्ग के सिद्धान्त के अनुसार समाज में सब व्यक्ति समान नहीं होते। कुछ व्यक्ति योग्य तथा सक्षम होते हैं तथा अधिकांश व्यक्ति अयोग्य तथा अक्षम होते हैं। इसके विपरीत लोकतन्त्र सभी की समानता में विश्वास रखता है।

TOUCH 'n' PASS

दूसरी बात यह है कि प्रजातन्त्र बहुमत के शासन के सिद्धान्त में विश्वास रखता है परन्तु अभिजन वर्ग के सिद्धान्त की धारणा है कि शासक वर्ग हमेशा अल्पसंख्यक समुदाय होता है। इन्हीं के आधारों पर यह तर्क दिया जाता है कि वर्ग की धारणा लोकतन्त्र विरोधी है।

2. **अभिजन वर्ग की धारणा प्रजातन्त्र विरोधी नहीं**—दूसरी धारणा के अनुसार प्रजातन्त्र तथा अभिजन वर्ग की धारणा में कोई विरोध नहीं है। प्रजातन्त्र को भले ही बहुमत का शासन कहा जाए परन्तु व्यवहार में बहुमत कभी भी शासन नहीं करता। शासन हमेशा कुछ लोग ही करते हैं। प्रजातन्त्र का महत्त्व इस बात में है कि अभिजन वर्ग का चुनाव जनता का बहुमत करता है तथा अभिजन वर्ग के द्वार प्रत्येक के लिए खुले रहते हैं तथा शक्ति के धारक अपने निर्वाचकों के प्रति उत्तरदायी होते हैं।

   शुम्पीटर, कार्ल मैनहीम तथा मिचेल्स आदि की यह धारणा है कि प्रजातन्त्र का अभिजन वर्ग की धारणा के साथ कोई विरोध नहीं है। इनकी धारणा है कि नीति का निर्धारण अभिजनों के हाथ में होता है परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि समाज लोकतान्त्रिक नहीं है। लोकतन्त्र तथा अधिनायकवाद में अन्तर बहुमत के शासन तथा अल्पसंख्यक वर्ग के शासन के रूप में नहीं है। इनमें अन्तर यह है कि अधिनायकवाद में अल्पसंख्यक वर्ग निरंकुश रूप में शासन करता है। परन्तु लोकतन्त्र में अल्पसंख्यक शासक वर्ग को पद से हटाया जा सकता है, बहुमत के हित में निर्णय लेने हेतु बाध्य किया जा सकता है तथा शक्ति के स्थान प्रत्येक के लिए खुले रहते हैं। अत: अभिजन सिद्धान्त के विचारकों के अनुसार लोकतन्त्र की मूल धारणा समानता का अर्थ है अवसर की समानता, अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति को अभिजन वर्ग में शामिल होने के अवसर प्राप्त होते हैं।

   उपरोक्त आधारों पर अभिजन सिद्धान्त के समर्थकों की धारणा है कि लोकतन्त्र तथा अभिजन वर्ग के सिद्धान्त में कोई विरोध नहीं है।

प्र.5. नागरिक संस्कृति की अवधारणाएँ एवं राजनीतिक संस्कृति के आयामों का वर्णन कीजिए।
Describe the concepts of civic culture and dimensions of political culture.

उत्तर

नागरिक संस्कृति की अवधारणा
(Concept of Civic Culture)

आज का युग लोकतन्त्रीय-कल्याणकारी राज्यों का युग है। लोकतन्त्र का उदारवादी स्वरूप आधुनिक लोकतन्त्र की प्रमुख विशेषता एवं सच्चाई है, जिससे बचने का जोखिम किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को खतरे में डाल सकता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि जनता की शासन-प्रक्रिया में अधिक-से-अधिक भागीदारी सुनिश्चित हो। आज जनसंचार के साधनों तथा बदलते विश्व परिवेश ने सभी देशों को इस बात के प्रति आगाह कर दिया है कि वे नागरिक संस्कृति से उदासीन न रहें। आंग्ल-अमेरिकी व्यवस्था में कुछ सीमा तक नागरिक संस्कृति का ही प्रतिबिम्ब है। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, जन-कल्याण, सुरक्षा आदि तत्त्व नागरिक संस्कृति के निर्माण के आधार हैं। इस प्रकार की संस्कृति साध्यों और साधनों में मतैक्य स्थापित कर सकती है। जिन देशों में नागरिक अपने अधिकार व कर्त्तव्यों के प्रति जागरूक हैं, वहाँ इस प्रकार की संस्कृति का निर्माण आसानी से हो सकता है। इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति में भागीदारी और सहनशीलता का स्तर काफी ऊँचा होता है। इसमें निर्णयकारी संरचनाएँ ही निर्णयों की प्रभावकारिता के लिए उत्तरदायी होती है। इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति न तो शासक वर्ग को मनमानी करने की अनुमति देती है और न ही उस मनमानी को सहन किया जा सकता है। इस प्रकार की संस्कृति ब्रिटेन तथा अमेरिका में विकसित हो चुकी है और आज विश्व के अन्य देशों में भी इसके विकसित होने की आवश्यकता है।

नागरिक संस्कृति का अर्थ (Meaning of Civic Culture)

साधारण अर्थों में उदारवादी लोकतन्त्र की स्थापना करने वाली राजनीतिक संस्कृति को नागरिक संस्कृति कहा जाता है। इस प्रकार की संस्कृति में संकुचित, पराधीन तथा सहभागी सभी राजनीतिक संस्कृतियों के लक्षण पाये जाते हैं। इसलिए इन तीनों के लक्षणों से युक्त संस्कृति ही नागरिक संस्कृति कहलाती है। ऑमण्ड तथा सिडनी वर्बा ने नागरिक संस्कृति को परिभाषित करते हुए कहा है—"उदार लोकतन्त्र को सँभालने में उपयुक्त एवं लोकतन्त्रीय आस्थाओं को रखने व लोकतन्त्रीय मूल्यों का दिग्दर्शन कराने व उन्हें महता प्रदान करने वाली संस्कृति नागरिक संस्कृति कहलाती है।"

नागरिक संस्कृति की व्याख्या (Explanation of Civic Culture)

अनेक विद्वानों ने नागरिक संस्कृति पर अपना-अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए निष्कर्ष प्रस्तुत किया है कि आज तेजी से परिर्वनशील अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था एवं समाज में आवश्यकता इस बात की है कि एक आदर्श नागरिक संस्कृति का निर्माण किया

जाए। उनका मानना है कि नागरिक संस्कृति शासन की क्षमता एवं राजनीतिक प्रक्रिया में नागरिकों की सहभागिता के बीच सामंजस्य स्थापित करके ही निर्मित की जा सकती है। इसकी स्थापना से नागरिकों में अधिकार व कर्त्तव्य बोध का ज्ञान होने के कारण उनकी राजनीतिक प्रक्रिया के प्रति उदासीनता व सक्रियता में सामंजस्य स्थापित हो सकता है। इसलिए इसकी स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि नागरिकों को जनहित के मामलों में अधिक जागरूकता व सक्रियता बनाये रखनी चाहिए ताकि शासक वर्ग की निरंकुशता पर रोक लगाई जा सके व जनहित के प्रति राजनीतिक नेतृत्व को उत्तरदायित्व से युक्त बनाया जा सके। यद्यपि इसके निर्माण में कुछ बाधाओं का उत्पन्न होना भी स्वाभाविक ही है। लेकिन लोकतन्त्रीय शासन व्यवस्था में लोगों की समर्थ कार्य भावना और राष्ट्रीय निष्ठा के कारण इस पर काफी सीमा तक काबू पाया जा सकता है। इसके लोकतन्त्र में मतैक्य और मतभेद के बीच सन्तुलन पैदा किया जा सकता है, क्योंकि लोकतन्त्र में ऐसा सामंजस्य व सन्तुलन थोड़ी बहुत मात्रा में अवश्य पाया जाता है। इसकी स्थापना के लिए केवल इतना ही जरूरी है कि नागरिक समुदाय के राजनीतिक विचार और मूल्य, राजनीतिक समानता और सहभागिता के सिद्धान्तों के अनुकूल ही हों। जनसहमति पर आधारित सरकार द्वारा जनहित में कार्य करके शासक और शासित में सामंजस्यपूर्ण सम्बन्धों की स्थापना के ध्येय के द्वारा इस कार्य को आसान बनाया जा सकता है। इसकी स्थापना के साथ ही नागरिक शासन का जन्म होगा और सभी लोग नागरिक शासन में सहभागिता के उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे और तानाशाही या बलात राज्य की बलात परिवर्तन द्वारा स्थिति क्षीण हो जाएगी तथा एक आदर्श नागरिक समाज की स्थापना होगी जो अपने पूर्ववर्ती समाजों से व्यापक आधार लिए हुए होगा जिसमें सभी की इच्छाओं का सम्मान किया जाएगा।

राजनीतिक संस्कृति के आयाम (Dimensions of Political Culture)

राजनीतिक संस्कृति का स्वरूप बहुआयामी होता है। इसकी स्वयं की गतिशील प्रकृति तथा इसके निर्धारक तत्त्वों के प्रभाव से इसमें सतत् परिवर्तन होते रहते हैं। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था की अलग ही राजनीतिक संस्कृति होती है। सिडनी वर्बा का मानना है कि राजनीतिक संस्कृति के आयाम राजनीतिक व्यवस्था के चारों ओर घूमते हैं। ये आयाम प्रमुख रूप से चार हैं—

1. **राष्ट्रीय पहचान या अभिज्ञान** (National Identity)—राष्ट्रीय अभिज्ञान एक ऐसा विश्वास है जो राजनीतिक व्यवस्था को एकता के सूत्र में बाँधता है। यह ऐसा धागा है जो राजनीतिक संस्कृति के विभिन्न तत्त्वों को आपस में एक माला की तरह पिरोए रखता है। इसका अर्थ लोगों के विश्वासों से इस बात से है कि जिस सीमा तक वे स्वयं को राष्ट्र-राज्य का अंग मानते हैं। राष्ट्रीय अभिज्ञान, राजनीतिक संस्कृति का प्रमुख आयाम होता है। इसी से राजनीतिक व्यवहार में विशिष्टता का गुण आता है। यह अभिजन वर्ग की गतिविधियों की वैधता का आधार है। यह व्यक्ति का राष्ट्र के साथ तादात्म्य की भावना का विकास करके राष्ट्रीय निर्माण में एक निर्णायक भूमिका निभाता है। राष्ट्रीयता की भावना का होना राजनीतिक संस्कृति को सजीव तथा सक्रिय बनाता है। लेकिन संचार साधनों से दूर समाज में अभिजन वर्ग व बुद्धिजीवियों की समाज को परिवर्तित करने की इच्छा के अभाव में राष्ट्रीय एकता का अभाव राजनीतिक व्यवस्था के लिए कोई खतरा नहीं हो सकता। विकासशील देशों में राष्ट्रीय अभिज्ञान में पाई जाने वाली कमी यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता का खतरा पैदा कर रही है। यद्यपि राष्ट्रीय एकात्मय अपने पूर्ण रूप में कभी नहीं पहुँच सकता है, लेकिन समाज के विभिन्न हितों व मतों में भिन्नता होते हुए भी यह आवश्यक माना जाता है कि राजनीतिक व्यवस्था के अधिकांश सदस्य संकीर्णता से ऊपर अवश्य उठें। इस तादात्मकता के महत्त्वपूर्ण व दूरगामी परिणाम निकलते हैं। इसके अभाव में राजनीतिक संस्कृति की एकता व राजनीतिक स्थायित्व दोनों को खतरा उत्पन्न हो जाता है और विभिन्न उप-संस्कृतियों का जन्म होने लगता है तथा समाज में अस्थिरता की स्थिति पैदा हो जाती है। अत: जब तक लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का जन्म नहीं होगा और उनमें तादात्म्य की भावना जन्म नहीं लेगी, तब तक राष्ट्र व राजनीतिक संस्कृति को विशेष पहचान मिलना असम्भव है।
2. **साथी नागरिकों के साथ ऐकमेकता या तादात्म्य** (Identification with Fellow Citizens)—राजनीतिक संस्कृति का यह आयाम समाज में पारस्परिक विश्वास की भावना जागृत करता है। इससे समाज में विघटनकारी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगता है। राष्ट्रीय एकता तथा राष्ट्र के निर्माणकारी तत्त्वों में राष्ट्रीय तादात्म्य तभी सम्भव है जब नागरिकों में व्यक्तिगत स्तर पर ऐकमऐकता हो। राष्ट्रीय हित के मामलों में यह एकता देखने को मिलती है, क्योंकि इस समय लोग संकीर्ण स्वार्थों से ऊपर उठकर काम करने लगते हैं। यह तादात्म्य इस बात पर आधारित है कि राजनीतिक व्यवस्था के लोग एक दूसरे के प्रति तथा राजनीतिक नेतृत्व के प्रति कैसा विश्वास व विचार रखते हैं। यदि नागरिकों में आपस में विभिन्नताओं के होते हुए भी एकता की भावना है तो राजनीतिक संस्कृति का विखण्डन नहीं होगा। नागरिकों की एकरूपता

राष्ट्र की एकता को मजबूत करती है। लेकिन यह तादात्म्य स्वैच्छिक होना चाहिए। सर्वाधिकारवादी देशों की तरह लादा हुआ नहीं। इस तादात्म्य के कारण समाज में विषमताओं के रहते हुए भी राजनीतिक सक्रियता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिस राजनीतिक व्यवस्था में लोगों का नेताओं पर से विश्वास उठ जाता है और शासक तथा शासितों में विरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो लोकतन्त्रीय आस्थाओं का पतन होना शुरू हो जाता है। विकासशील देशों में ऊपर से लादी गई एकरूपता भी लोकतन्त्रीय आस्थाओं की रक्षा नहीं कर सकी, जबकि ब्रिटेन तथा अमेरिका में ये लोकतन्त्री आस्थाएँ तेजी से अपने पैर जमा रही हैं। अत: लोगों का राजनीतिक व्यवस्था, नेतृत्व तथा आपस में विश्वास रहना जरूरी है ताकि शासन में एकरूपता का गुण बनाये रखा जा सके और राजनीतिक व्यवस्था व संस्कृति को पतन से बचाया जा सके।

3. **शासन निर्गतों के प्रति विश्वास** (Belief Towards Government Outputs)—सरकार के प्रति लोगों के विचारों का निर्माण इस बात पर निर्भर है कि सरकार लोगों के लिए क्या करती है। हर व्यक्ति सरकार से जनहित के कार्यों की अपेक्षा रखता है। इसलिए सरकार के कार्य ऐसे होने चाहिए कि जनता की आस्था सरकार में बढ़े और राजनीतिक सहभागिता व सक्रियता के स्तर में भी वृद्धि हो। जनता को यह लगना चाहिए कि शासन के निर्गत सम्पूर्ण समाज के हितों की पोषक हैं, वर्ग–विशेष के हितों के नहीं। इसलिए सरकार के व्यवस्थापन, कार्यपालन तथा न्यायकारी कार्य जन आकांक्षाओं के अनुकूल ही होने चाहिए। शासन–निर्गतों के प्रति विश्वास ही प्रथम दोनों आयामों को ठोसता प्रदान करता है। लोगों का सरकार के कार्यों के प्रति विश्वास ही राजनीतिक संस्कृति को दरार से बचाता है और राष्ट्रीय एकता में वृद्धि करता है।
4. **निर्णय प्रक्रिया में विश्वास** (Faith in Process of Decision Making)—प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में निर्णय प्रक्रिया में गिने चुने लोगों की महत्त्वपूर्ण भूमिका रहती है। लोकतन्त्रीय देशों में ये तो निर्णयकर्त्ता जनता द्वारा ही भेजे जाते हैं और जनता के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। इसलिए सरकार की निर्णय–प्रक्रिया बहुमत के साथ–साथ अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के अनुकूल भी होनी चाहिए क्योंकि वह तो सारे समाज के लिए ही होती है। सर्वाधिकारवादी देशों में अनिच्छापूर्वक लोगों द्वारा राजनीतिक निर्णयों को स्वीकार करने के कारण वहाँ की राजनीतिक संस्कृति क्षरणशील होती है। इसलिए निर्णय प्रक्रिया में जनता की सहभागिता को बढ़ाकर या बनाये रखना ही राजनीतिक संस्कृति को स्थायित्व व गतिशीलता प्रदान की जा सकती है।

प्र.6. आधुनिक उपनिवेशवाद के उद्भव और विस्तार का वर्णन कीजिए।
Discribe the Emergence and expansion of modern colonialism.

उत्तर

आधुनिक उपनिवेशवाद का उद्भव और विस्तार
(Emergence and Expansion of Modern Colonialism)

उपनिवेशवाद की अर्थव्यवस्था (Economy of Colonialism)

उपनिवेश एवं साम्राज्य स्थापित करना दोनों ही प्राचीन परम्पराएँ हैं। प्राचीन यूनान और रोम दोनों के उपनिवेश तथा साम्राज्य के थे। यद्यपि साम्राज्य का अर्थ है उपनिवेशों से बड़ा राज्य क्षेत्र। ऐसे उपनिवेश को गृह देश का सहारा होता है जो बदले में उपनिवेशों से राजस्व प्राप्त करता है। 15वीं और 16वीं शताब्दियों में भूमि और स्वर्ण जैसे प्राकृतिक संसाधनों की तलाश में यूरोपीय अधिकारों का एक बड़ा उपनिवेशवाद चला। अमेरिका और अफ्रीका के महाद्वीप इसके शिकार हुए। बाद में एशिया और ऑस्ट्रेलिया इस आन्दोलन के शिकार हुए। 17वीं शताब्दी के अन्तिम उत्तरार्द्ध में इतिहासकार जी०एम० ट्रेवलियन द्वारा बताया गया कि इंग्लैण्ड के राज्यकर्मियों एवं व्यापारियों ने अपने अमेरिकी उपनिवेशों को उच्च महत्त्व दिया। वे लिखते हैं—समुद्रपार आधिपत्यों को दोहरे उद्देश्य पूरे करने के रूप में आँका गया। एक था, पुराने इंग्लैण्ड के उद्यमियों, विरोधितों, शोषित, ऋणग्रस्त, अपराधियों तथा असफल व्यक्तियों की दुनिया जहाँ अत्यधिक अच्छे या बुरे व्यक्तियों की कर्मठता अपने गृह (देश) में समस्या न बने और उन्हें शायद सामान्य लाभ के लिए उपर्युक्त बनाया जा सके क्योंकि तब तक इंग्लैण्ड में आबादी का अधिक दबाव व आर्थिक संकट का भीषण प्रश्न नहीं था। दूसरा, उपनिवेशों को इंग्लैण्ड के उद्योगों और व्यापार के लाभ हेतु ऐसे बाजार के रूप में देखा गया जहाँ से कच्चा माल प्राप्त किया जा सके तथा तैयार माल बेचा जा सके।

18वीं शताब्दी के अन्त में, उत्तरी अमेरिका के 13 ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य से अलग हो गये तथा यद्यपि उन्होंने शीघ्र ही स्वयं को राज्य घोषित कर दिया, तो भी वे कुल मिलाकर उपनिवेश ही बने रहे। उन्होंने या तो अपना अस्तित्व समाप्त कर लिया था अथवा उनके मूल निवासी आत्म संयमित हो गये थे। लैटिन अमेरिका के पुर्तगाली और स्पेनी उपनिवेशों में भी प्रक्रिया कमोबेश

वहीं थी परन्तु उसमें कुछ मिश्रण था। 19वीं शताब्दी की प्रथम तिमाही में ये इरिक हॉबरबॉम ने जिसे क्रियोल राष्ट्रवाद कहा गया है, की वृद्धि से ब्रिटेन और अमेरिका के समर्थन से अपने साम्राज्यों से पृथक हो गये। 19वीं शताब्दी के मध्य तक ब्रिटेन विश्व का सबसे बड़ा औपनिवेशिक साम्राज्य बन गया था। ब्रिटिश ताज ने 1858 में अंग्रेजी ईस्ट इण्डिया कम्पनी से भारत का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। जल्दी ही उसने अपने सफेद उपनिवेशों को स्थानीय स्वायत्तता प्रदान कर दी लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था पर वित्तीय नियन्त्रण कमोबेश पूरी तरह रहा। नीदरलैण्ड और फ्रांस ने दक्षिण–पूर्व एशिया और अफ्रीका में अपने उपनिवेश स्थापित किये। नये राज्य बेल्जियम ने भी अफ्रीका के कॉंगो में एक उपनिवेश हथिया लिया था। जब जर्मनी इस दौड़ में शामिल हो गया तो 19वीं शताब्दी की अन्तिम तिमाही में अफ्रीका में उपनिवेश हथियाने की तीव्र दुश्मनी के कारण फूट पड़ी और जिसके परिणामस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा।

उपनिवेशवाद का स्वरूप (Form of Colonialism)

1865 में मार्क्स ने तीन प्रकार के उपनिवेशों की पहचान की—

1. वेस्टइण्डीज की तरह बागबानी उपनिवेश
2. मेक्सिको और भारत की तरह के अत्यधिक आबादी वाले देश
3. ऑस्ट्रेलिया की तरह वास्तविक उपनिवेश 19वीं शताब्दी के अन्त में ऐंजल्स द्वारा उपनिवेश की सूची में अफ्रीका की तरह स्टाक मार्केट की सहायक मार्केट शब्द जोड़ा गया।

यद्यपि अनेक ब्रिटिश इतिहासकार इसके साक्षी होंगे कि व्यापार के साथ शासन ने पैर जमाये हैं लेकिन मार्क्स के अनुसार सामान्यत: उपनिवेश का और विशेषकर ब्रिटेन का आरम्भिक व्यापार औद्योगिक पूँजी के लिए आरम्भिक संग्रहण करने की प्रक्रिया का एक हिस्सा था। जैसे—अमेरिका में सोने और चाँदी की खोज करना, आदिवासी आबादी की खानों में दोहन करना, लोगों को दास बनाना तथा दाब के रखना, ईस्ट इण्डीज में विजय अभियान और लूटपाट को आरम्भ करना, काले लोगों के व्यावसायिक शोषण के लिए अफ्रीका को भूल भुलैया में परिवर्तित करना तथा पूँजीवादी उत्पादन के सुनहरी उदय को सूचित करना आदि। ये आदिवासी क्षेत्रों से आरम्भिक संग्रहण करने के लिए ये आदर्श कार्यवाहियों के मुख्य क्षण रहे।
आरम्भिक संग्रहण के विभिन्न क्षणों को अब परस्पर आबंटित किया गया। कमोबेश यह क्रमानुसार था विशेषत: स्पेन, पुर्तगाल, हालैण्ड, फ्रांस और इंग्लैण्ड में यह क्रम लागू किया गया। 17वीं शताब्दी के अन्त में इंग्लैण्ड में वे व्यवस्थित रूप से संगठित हो गये। उपनिवेशों को मिलाने, राष्ट्रीय ऋण, कर के आधुनिक स्वरूप को लागू करने तथा संरक्षण व्यवस्था लागू करने के लिए एकत्रित हुए थे। ये पद्धतियाँ आंशिक रूप से भूमण्डलीय ताकत अर्थात् औपनिवेशिक प्रणाली पर निर्भर थीं। लेकिन उन सभी ने राज्य के अधिकार लागू किये। ये अधिकार केन्द्रित और समाज की संगठित शक्ति थे। ये अधिकार उत्पादन के सामन्ती रूपों की निर्माण प्रक्रिया को पूँजीवादी रूप में परिवर्तित करने तथा परिवर्तन को शीघ्र लागू करने के लिए ताप गृह प्रथा के अनुसार लागू किये गये। ये अधिकार प्राचीन समाज में आने वाली नई विचारधारा के पोषक थे। यह स्वयं में आर्थिक शक्ति थे। मार्क्स के विचार में यह भूमण्डलीय शक्ति राज्य द्वारा पोषित तथा अधीनस्थ देशों के विरुद्ध आर्थिक कपटपूर्ण व्यवस्था थी। इस प्रकार के पूँजीवादी उपनिवेशवाद की कुछ विशेषताएँ हैं। ब्रिटेन की संसदीय कार्यवाही का उदाहरण देते हुए मार्क्स ने दिखाया है कि इंग्लैण्ड भारत के आयात के बदले पूर्ण भुगतान नहीं करता था क्योंकि इसके लिए इंग्लैण्ड अच्छी सरकार प्रदान करने के नाम पर इसका भुगतान लेता था। वह लिखता है, अकेले भारत को अच्छी सरकार के बदले में 5 मिलियन चुकाने पड़ते थे। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश राशि पर ब्याज और लाभांश तथा कर्मचारियों द्वारा वेतन के रूप में की गई बचत एवं इंग्लैण्ड में निवेश करने के लिए व्यापारियों द्वारा लाभ के रूप में सालाना इंग्लैण्ड भेजे गये धन की गणना नहीं की जाती थी। प्रत्येक ब्रिटिश उपनिवेश इसी कारण निरन्तर बड़ी राशि भेजता था। ऑस्ट्रेलिया, वेस्टइण्डीज और कनाडा में अनेक बैंक ब्रिटिश पूँजी के साथ स्थापित हुए तथा उनका लाभांश इंग्लैण्ड में चुकाया जाता था। इसी प्रकार इंग्लैण्ड में अनेक विदेशी प्रतिभूतियाँ, यूरोपीय, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका प्रतिभूतियों का अधिग्रहण कर लिया था जिस पर वह ब्याज अर्जित करता था। इसके अतिरिक्त उसकी विदेशी रेल व्यवस्था, नदियाँ, खदानों आदि में होने वाले लाभांश में भी रुचि थी। इसके अतिरिक्त लगभग इन सभी मदों पर केवल इंग्लैण्ड को होने वाले निर्यात राशि पर छूट प्रदान की जाती थी। दूसरी तरफ इंग्लैण्ड से विदेश स्थित इंग्लिश प्रतिभूतियों के मालिकों को और विदेशों में अंग्रेजों के उपभोग के लिए भेजे जाने वाली मदों में महत्त्वपूर्ण अन्तर होता था।
19वीं शताब्दी के मध्य तक उपनिवेशवाद मार्क्स के कथन के अनुरूप विदेश में ऋण और निवेश के माध्यम से पूँजीवादी उत्पादन के विस्तारित रूप से सम्बद्ध हो गया। इस नीति के मुख्य साधन बैंक तथा स्टॉक एक्सचेंज थे। ये तथ्य लेनिन ने अपने साम्राज्यवाद (पूँजीवादी) के विस्तारण में विशेष रूप से उजागर किये हैं।

TOUCH'N PASS

साम्राज्यवाद के बारे में संवाद (Dialogue about Imperialism)

औपनिवेशिक साम्राज्यवाद हमेशा दो प्रकार का औचित्य सिद्ध करता था। एक यह था कि पिछड़े देशों के लाभार्थ सभ्यता मुहिम चलाना गोरों की जिम्मेदारी थी। दूसरा यह अनजाने में पश्चिम का व्यापार बाधारहित होने के कारण हालात की मजबूरी थी। 1961 में रोबिसन और गैलेफर ने अपने शोध ग्रन्थ में दर्शाया है कि ब्रिटेन ने प्राय: अपने सहयोगियों के माध्यम से गैर-यूरोपीय देशों के साथ व्यापार किया है। वह अकेले तब ही व्यापार करता था जब ऐसे सहयोगी नहीं मिलते थे या वे इसके विपरीत सोचते थे कि वह उनके प्रदेश को भी अपने में मिला लेगा। फिर, ब्रिटेन का अफ्रीका को मिलाना मुख्यत: भारत के लिए व्यापार मार्गों के लिए सुरक्षा कवच था। गैलेफर के भारतीय छात्र अनिल सील ने इस अनुसन्धान को और आगे बढ़ाया, उसने बताया कि ब्रिटेन के द्वारा भारत को अपने साथ मिलाने का मुख्य उद्देश्य उसके ईस्ट इण्डीज के व्यापार मार्गों की सुरक्षा करना था।

जे हॉब्सन द्वारा आर्थिक साम्राज्यवाद पर सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं अपितु इंग्लैण्ड के मुट्ठी भर पूँजीपतियों के लाभ का आरोप लगाने से 20वीं शताब्दी में उपनिवेशी साम्राज्यवाद पर एक गम्भीर संवाद आरम्भ हो गया था। 1917 में लेनिन ने आर्थिक साम्राज्यवाद को पूँजीवाद की एक ऐसी उच्चतम अवस्था माना जिसने सम्पूर्ण विश्व को पश्चिमी नेतृत्व में विभाजित कर दिया जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध हुआ। उसने एकाधिकार का विस्तार, औद्योगिक पूँजी तथा आर्थिक पूँजी की सम्बद्धता तथा उपनिवेशों को पूँजी का निर्यात इस पूँजीवाद की इस समय की प्रमुख विशेषताएँ थीं। फिर भी, 1919 में एक उदार जर्मन अर्थशास्त्री जे०ए० स्कंपीटर ने साम्राज्यवाद समाजशास्त्रीय सिद्धान्त प्रस्तुत किया जिसमें पूँजीवाद और साम्राज्यवाद के अनिवार्य सम्बन्ध से इनकार किया गया है। उसने साम्राज्यवाद को पूर्ववर्ती और सामन्तवादी मनोवृत्तियों तथा कुछ पूँजीवादी सामाजिक संरचनाओं में से प्रवाहित होने वाला माना है।

लेनिन के आलोचकों ने साम्राज्यवाद के तीसरे तथ्य—उपनिवेशों को पूँजी के निर्यात के बारे में चुनौती दी है। उन्होंने यह दिखाने के लिए विवरण प्रस्तुत किया है कि अधिकांश ब्रिटिश विदेश निवेश उनके आत्मनियन्त्रित राज्य क्षेत्रों (गोरे उपनिवेशों) और स्वतन्त्र लेटिन अमेरिकी देशों में किया जाता था न कि भारत में। केवल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही ब्रिटेन ने अफ्रीका में विकास के लिए निवेश करना आरम्भ किया। इस प्रकार लेनिन की यह आलोचना मार्क्स के उपनिवेशों के आरम्भिक स्रोत संग्रहण वाले तर्क को ही दृढ़ करती है। लेकिन लेनिन को उपनिवेशवाद के मुख्य उद्देश्य कच्चे माल का दोहन करने वाले तथ्य की उपेक्षा करने के बारे में दोष नहीं दिया जा सकता। अपितु उसने इस पक्ष को जोर देकर एक गतिशील दिशा प्रदान की कि यह विकसित पूँजीवाद की निरन्तर आवश्यकता थी। उसके अनुसार जितना अधिक पूँजीवाद विकसित होगा। कच्चे माल की उतनी ही अधिक कमी महसूस होगी। इसी प्रकार पूरे विश्व में कच्चे माल के स्रोत के लिए जितनी अधिक प्रतिस्पर्धा और दोहन होगा उतना अधिक ही उपनिवेशों का अधिग्रहण करने के लिए घोर संघर्ष होगा। यहाँ तक कि गैर-मार्क्सवादी इतिहासकारों के द्वारा भी कच्चे माल का दोहन और तैयार वस्तुओं का विपणन उपनिवेशी साम्राज्यवाद की मुख्य विशेषताएँ बतायी गयी हैं। भारत के पूर्व राजनीतिक अर्थशास्त्रियों, जैसे दादा भाई नौरोजी, एम०जी० रानाडे व आर०सी दत्त ने उपनिवेशी अधिकारों के द्वारा सम्बन्धित लोगों के प्रत्यक्ष शोषण वाले पक्ष को उजागर किया है जो भारत के लोगों की गरीबी का मुख्य कारण था।

दूसरी ओर, यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अमेरिकी क्रान्ति के बाद ब्रिटेन के उपनिवेशों को कुछ स्वायत्तता प्रदान की गई जो उत्तरी अमेरिका के उपनिवेशों को कभी नहीं मिली। फिर अमेरिकी क्रान्ति के कुछ वर्ष बाद ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने सम्बन्धों में सुधार किया। 1812 के मोनरॉड डॉक्ट्रीन ने लैटिन अमेरिकी धरती पर ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ स्पर्धा से सभी यूरोपीय अधिकारों को अलग कर दिया। लैटिन अमेरिका स्वास्तिक उपनिवेशों के रूप में विकसित हुआ।

उपनिवेशवाद का सामाजिक प्रभाव (Social Impact of Colonialism)

उपनिवेशवाद का निर्विवाद रूप से मुख्य प्रभाव आर्थिक होता है लेकिन इसका सामाजिक प्रभाव भी होता है। उपनिवेशवादी इतिहास को कैम्ब्रिज विद्यालय के वास्तविक संस्थापक आर० रोबिन्सन ने आरम्भिक व्यापार और उपनिवेशवाद के कार्यान्वयन में सहयोगियों की भूमिका पर प्रमाणिक जोर दिया। स्वाभाविक है कि मुख्य लोगों और जनता के बीच सामाजिक सम्बन्ध ऐसे कार्यान्वयन से प्रभावित होते हैं। कुछ उपनिवेशों में मूल देशवासियों को जानबूझकर नष्ट किया गया या हाशिये पर रखा गया। कुछ स्थानों पर जातीय मिश्रण हुआ और कुछ स्थान घनी आबादी वाले थे, जहाँ लोगों की सांस्कृतिक गतिविधियाँ प्रभावित हुईं। कुछ प्रमुख व्यक्तियों ने आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ने के लिए जो भी मिला ग्रहण कर लिया तथा कुछ लोगों के रूढ़िवादी तरीके से प्रतिक्रिया थी। फिर भी, अधिकतर मामलों में प्रतिक्रियाएँ मिश्रित थीं। कुछ क्षेत्रों में अंशत: आधुनिक तथा कुछ मामलों में। अंशत रूढ़िवादी।

महत्त्वपूर्ण तथ्य यह था कि उपनिवेशवाद के सहयोगी समय-समय पर बदलते रहते थे। पुराना समूह शासकों के प्रति कुण्ठित होकर आलोचक और यहाँ तक कि हिंसक हो जाता था जबकि फिर कुछ नये समूह शामिल कर लिये जाते थे। फिर भी, औपनिवेशिक शासन के सहयोगी या विरोधी आधुनिकता या रूढ़िवादिता से एकदम दूर नहीं होते। यद्यपि कभी-कभार रूढ़िवादी लोग उपनिवेशी शासन व्यवस्थाओ के आधुनिक आन्दोलनों का विरोध करने लगते थे। अफ्रीकी-एशियाई देशों के ऊपर अपने अधिकार जमाने की पश्चिम की आरम्भिक कोशिशों का उपनिवेशी लोगों के द्वारा प्रतिरोध किया गया था। इसका एक विशिष्ट उदाहरण जिसे ब्रिटेन वाले भारतीय विद्रोह कहते हैं। उपनिवेशी सरकारें तथा उनके इतिहासकार ऐसे विद्रोहों को उनकी प्रगतिशील, कल्याणकारी गतिविधियों का रूढ़िवादी प्रतिरोध कहते हैं। कुछ समाजशास्त्रियों ने उन्हें आरम्भिक प्रतिरोधी आन्दोलन कहा है।

प्र.7. उपनिवेशवाद के मामले का अध्ययन एवं उपनिवेश-विरोधी आन्दोलनों के स्वरूप की विवेचना कीजिए।
Case study of colonialism and keys to anti-colonial movements.

उत्तर

उपनिवेशवाद के मामले का अध्ययन
(Study of Post-colonialism)

गैर-यूरोपीय महाद्वीपों के बारे में उपनिवेशवाद और उपनिवेश विरोधी संघर्षों का संक्षिप्त विवरण उपर्युक्त तथ्यों को सिद्ध कर देंगे—

अमेरिका में उपनिवेशवाद (Colonialism in America)

कोलम्बस के कदम पड़ने पर स्पेन और पुर्तगाल के नजदीक आने के साथ अमेरिकी महाद्वीपों में उपनिवेशवाद आरम्भ हुआ। अपने कैथोलिक विश्वास के कारण स्पेन और पुर्तगाल दोनों में पोप के प्रति श्रद्धा होने और पोप के द्वारा हस्तक्षेप करने से उपनिवेश के लिए विश्व गोलार्द्ध में विभाजित हो गया जिसमें पश्चिमी गोलार्द्ध ब्राजील से लेकर पुर्तगाल में तथा पूर्वी गोलार्द्ध ब्राजील से लेकर स्पेन में पड़ता है। स्पेन ने मैक्सिको का अधिग्रहण कर लिया और उसका अधिकांश उत्तरी क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका से सम्बद्ध है। ब्रिटिश और फ्रांसीसी उपनिवेशकों द्वारा दो देश अपना लिये गये। अन्ततः ब्रिटिश औपनिवेशिक फ्रांसीसी और स्पेनी औपनिवेशिकों को परास्त कर या उनके क्षेत्रों पर आधिपत्य कर पर्याप्त रूप से उन्हें विस्थापित कर अन्यों की तुलना में अधिक सफल हुए। 1976 में 13 नये इंग्लैण्ड की कालोनी सम्राट से अलग हो गयी। दूसरी तरफ, कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर में वफादार उपनिवेश के रूप में प्रकट हुआ और 1867 में उसे पर्याप्त स्वायत्तता का पूरा आकार प्रदान किया गया। फ्रांसीसी मूल के कनाडा में विवादित विषयों को सुलझाने के लिए वहाँ सरकार की संघीय व्यवस्था भी स्वीकृत की गई। व्यापक वृक्षारोपण को बढ़ाने के लिए फ्रांसीसी उपनिवेशी शासन कुछ कैरिबियन द्वीपों तक सीमित रह गया था।

19वीं शताब्दी के आरम्भ में ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका की अप्रत्यक्ष सहायता से लैटिन अमेरिकी देशों ने स्वयं को स्वतन्त्र घोषित कर दिया। 1812 में अमेरिका के राष्ट्रपति मुनरो ने घोषणा की कि किसी भी यूरोपीय शक्ति को इस महाद्वीप में नहीं आने दिया जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के राजनीतिक प्रभाव एवं ब्रिटेन के आर्थिक प्रभाव से लैटिन अमेरिकी राज्य सीमित होकर और प्रायः तानाशाही में नेतृत्व में अस्थिर राज्य व्यवस्थाओं के कारण ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के आश्रित होकर रह गए थे। उनकी उपज, खदानें और विशेषतः तेल निर्यात व्यापार एंग्लो-संयुक्त राज्य अमेरिका पर वास्तविक नियन्त्रण के माध्यम से नियन्त्रण में आ गये। केवल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही क्यूबा, चिली, अर्जेन्टीना तथा कुछ अन्य देशों में इस प्रकार की राजनीतिक अर्थव्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह हुआ। फिर भी, क्यूबा के अतिरिक्त इनमें से कोई भी विद्रोह टिक नहीं पाया।

दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में औपनिवेशिक साम्राज्यवाद
(Colonial Imperialism in South and Southeast Asia)

19वीं शताब्दी के आरम्भ में भारत और सिलोन (आधुनिक श्रीलंका) सहित दक्षिणी एशिया ब्रिटिश के नियन्त्रण में था। तो भी भारत में यह अधिकार तकनीकी रूप से दिल्ली मुगल शासकों के पदाधिकारियों के रूप में इंग्लिश ईस्ट इण्डिया के द्वारा लागू किये जाते थे। 1857 में शासकों को पदच्युत कर दिया गया था। 1858 में इंग्लैण्ड की महारानी विक्टोरिया ने राज्य और ब्रिटिश इण्डिया की सरकार का अधिग्रहण कर लिया। फिर भी एक तिहाई उपमहाद्वीप को स्वदेशी राजकुमारों के अधीन नाममात्र रूप से स्वतन्त्र रहने दिया। 1877 में महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया गया तथा राजकुमारों के राज्यों को ब्रिटिश ताज की प्रभुसत्ता के अन्तर्गत लाया गया।

TOUCH N' PASS

तटीय सिलोन (श्रीलंका) की डच राज्य को 1796 में तथा 1815 में आन्तरिक भूमि को भी अधिग्रहण कर लिया गया। बीच के वर्षों में श्रीलंका मद्रास राज्य के अध्यक्ष के एक भाग के रूप में शासित रहा। 1815 में यह ताज का उपनिवेश के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। ब्रिटिश शासकों द्वारा भारत को उसके विशाल और विभिन्न आर्थिक स्रोतों के कारण हीरा समझा जाता था। सिलोन (श्रीलंका) को कृषि उपनिवेश के रूप में विकसित किया गया।

1886 तक बर्मा (म्यांमार) को उसकी जंगलात, तेल और कृषि स्रोतों के कारण साम्राज्य के व्यापक लाभ हेतु मिला लिया गया। ब्रिटेन ने अफगानिस्तान को मिलाने का प्रयास किया लेकिन रूसी बादशाह (जार) के द्वारा यह विफल कर दिया गया। फिर भी 1902 में इस देश का अधिकांश क्षेत्र ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया।

पूर्व की तरह ब्रिटिश, फ्रांसीसी तथा डच में प्रदेशों को हड़पने के लिए प्रतिस्पर्धा थी और उन्होंने दक्षिण-पूर्व एशिया को इस प्रकार विभाजित कर दिया था। सिंगापुर और हांगकांग सहित मलेशिया, ब्रिटेन के लिए थे, इण्डोनेशिया डच के लिए तथा कम्बोडिया (आज का कंपुचिया) लाओस तथा वियतनाम सहित इण्डो-चीन फ्रांस के लिए था। वियतनाम में चीन को छोड़कर फ्रांसीसियों ने राजवंश के शासकों को सीमित राजनीतिक स्वायत्तता प्रदान कर दी थी लेकिन इण्डो-चीन पर सम्पूर्ण आर्थिक नियन्त्रण बनाये रखा।

दक्षिण और पूर्व एशिया में उपनिवेश-विरोधी संघर्ष
(Anti-Colonial Streggle in South and East Asia)

1848 में विद्रोह के बाद सिलोन ने राजा के साथ शान्ति स्थापित की। 1931 में उसे सम्पूर्ण वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया जिसे ब्रिटेन ने भारतीयों को कभी नहीं दिया। सिलोन की स्वतन्त्रता की प्रगति संवैधानिक थी जिसका नेतृत्व आंशिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से तथा अंशतः अन्तर्राष्ट्रीय समाजवाद के सिद्धान्तों से प्रभावित शिक्षित विशिष्ट वर्ग ने किया था। बर्मा को ब्रिटेन-भारत का अप्रत्यक्ष सहारा (बैकयार्ड) माना गया जिसका यह 31 मार्च, 1937 तक एक हिस्सा रहा। इसमें 1919 के वे सुधार स्वीकृत करने से भी इनकार कर दिया गया जिनके द्वारा ब्रिटिश-भारत के अन्य प्रान्तों में दोहरी शासन प्रणाली स्थापित हो गयी थी। इसका मध्य वर्ग जो अधिकांशतः उपजाऊ इरावडी घाटी में स्थापित था उसने उन प्रान्तों की तरह सुधारों के लिए आन्दोलन किया। इस प्रकार 1937 में बर्मा में ब्रिटिश भारत से अलग होने के बाद कुछ स्थानीय स्वायत्तता प्रदान की गयी।

ब्रिटिश शासकों ने ताज उपनिवेश स्थापित नहीं किया जैसा कि उन्होंने मलय-पेनिसुंला में देखा था। उनकी शक्ति का आधार संरक्षक व्यवस्था थी। सम्पूर्ण प्रशासन अपने हाथ में लेकर जो स्थानीय शासकों की प्रभुसत्ता को स्वीकार कर परस्पर तथाकथित समझौतों के माध्यम से की गयी थी। यद्यपि अधिकतर चीनी और भारतीय उपनिवेशों के चीन की कम्युनिस्ट पार्टी कैमिंटंग तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ अच्छे सम्पर्क थे तो भी जापान की द्वितीय विश्व युद्ध में हार के बाद स्थानीय मलेशियाई राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय हो गये थे जब ब्रिटेन ने एक मलय यूनियन बनाने का प्रस्ताव रखा।

फ्रांसीसियों ने संरक्षक के रूप में अधिकांश इंडो-चीन (कम्बोडिया, लाओस, अन्नान व टोंकिन) पर नियन्त्रण किया। केवल कोचीन चीन ही उनके प्रत्यक्ष नियन्त्रण में था। इण्डोचीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में जापानी प्रतिरोधी शक्ति विरोधी ताकतों ने एक गणतन्त्र के रूप में वियतनाम के निर्माण की घोषणा की। यह पश्चिमी ताकतों विशेषतः संयुक्त राज्य अमेरिका को शामिल करते हुए इतिहास में सर्वाधिक बदनाम सिविल युद्धों में से एक युद्ध की शुरुआत थी।

जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिण और पूर्वी एशिया में उपनिवेशवाद की कथा
(Japan and the United States Narrative of Colonialism in South and East Asia)

20वीं शताब्दी के आरम्भ में जापानी साम्राज्य के उत्थान का सन्दर्भ बताये बिना पूरी नहीं होगी। आरम्भ में 1902 में जापान का संघर्ष ब्रिटेन के साथ तथा 1904 में रूसी जार के साथ हुआ। उसने कोरिया का 1905 में अधिग्रहण कर 1911 में अपने में मिला लिया। उसने चीन और पैसिफिक क्षेत्र में साम्राज्यवादी महत्त्वाकांक्षा के साथ संयुक्त पक्ष की तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में लड़ाई की। वास्तव में 1931 में उसने मंजुरिया पर आक्रमण किया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वह मुख्य ताकतों में शमिल हो गया तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया पर हमला करते हुए ब्रिटिश भारत की सीमा रेखा तक आगे बढ़ गया। इससे दक्षिणी-पूर्वी एशिया में राष्ट्रवाद के उत्थान को बहुत सहायता मिली तथा इस क्षेत्र में यूरोपीय ताकतों का नियन्त्रण कमजोर हो गया। यहाँ तक संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1898 में फिलीपिन्स को अधिग्रहण कर लिया और 1946 तक अपने अधिकार में रखा।

एशियाई साम्राज्यों में उपनिवेशवाद (Colonialism in Asian Empires)

शेष एशियाई महाद्वीप लगभग पूरी तरह तीन साम्राज्यों—चीन, रूसी जार तथा तुर्की में विभाजित था। यहाँ उपनिवेशों और एक साम्राज्य के बाहरी हिस्सों में अन्तर किया जाना चाहिए। उपनिवेश भौगोलिक रूप से मुख्य भूमि से पृथक होता है जबकि साम्राज्य

में ऐसा नहीं होता। चीनी और रूसी साम्राज्य तथा कुछ हद तक तुर्की साम्राज्य भौगोलिक रूप से संघटित थे। फिर भी तीनों यूरोपीय उपनिवेशी अधिकारों की क्षेत्रीय अभिलाषाओं तक सीमित थे।

प्रथम विश्व युद्ध के आरम्भ तक ब्रिटेन ने चीन में अफीम के मुक्त व्यापार के अधिकार प्राप्त करने के लिए लड़ाई लड़ी। 1840 की अफीम लड़ाई (ओपॅयम वार ने चीन को पश्चिमी ताकतों के साथ 17 असमान संधियों पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश कर दिया और जापान ने उस देश को इन ताकतों का वास्तविक रूप से आश्रित बना दिया। किसी तरह रूस अपने क्षेत्र में ऐंग्लो-फ्रांसीसी षड्यन्त्र का प्रतिरोध करने में सक्षम रहा और 1907 में उसने ब्रिटेन से ईरान में उसका क्षेत्र छीन लिया। यद्यपि ब्रिटेन ने नवीनतम् खोजे गये व्यापक तेल स्रोतों पर अपना एकाधिकार बनाये रखा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद बोल्शेविक क्रान्ति ने इस साम्राज्य को बहुराष्ट्र संघ में परिवर्तित कर दिया था जो 1990 में समाप्त हो गया।

प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की साम्राज्य बिखर गया तथा इसका पश्चिमी एशियाई अधिकार राष्ट्र लीग के द्वारा ब्रिटेन और फ्रांस को सौंप दिया गया। इन क्षेत्रों में से सऊदी अरब को 1932 में स्वतन्त्रता प्रदान कर दी गई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद शेष अरब देशों ने एक न्यास राज्य क्षेत्र बना लिया और वे ब्रिटेन और फ्रांस के नियन्त्रण में आ गये। 1950 के दशक तक उनको स्वतन्त्र घोषित कर दिया गया।

अफ्रीका में उपनिवेशवाद (Colonialism in Africa)

लैटिन अमेरिका के बाद अफ्रीका सबसे अधिक आक्रान्त था। सहारा मिश्र का उत्तरी क्षेत्र उप-महाद्वीप का सर्वाधिक हिस्सा था। यह किसी भी यूरोपीय शक्ति से विजित नहीं हुआ तो भी ब्रिटेन और कुछ हद तक फ्रांस ने इस पर पर्याप्त अधिकार जमा लिया तथा इस देश पर नियन्त्रण किया। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में ब्रिटेन ने स्वयं को मिश्र का संरक्षक घोषित कर दिया जिससे जनता की नाराजगी बढ़ गई और आन्दोलन होने लगे। ब्रिटेन द्वारा 1922 में संरक्षणता समाप्त करने की घोषणा की लेकिन उन पर ब्रिटेनी दबाव बनाये रखा जिससे 1936 में उसे एक असमान एंग्लो-मिश्र सन्धि पर हस्ताक्षर करने पड़े। जब सन्धि के द्वारा ब्रिटेन को स्वेज नहर और कुछ अन्य क्षेत्र ब्रिटेन को प्राप्त हो गये। मिश्र के पड़ोसी सूडान और इथोपिया अभी भी औपनिवेशिक ताकतों के अधीन जो ट्यूनिशिया, अल्जीरिया, मोरोक्को का एक भाग तथा मध्य और पश्चिमी अफ्रीका से सटा हुआ बड़ा क्षेत्र फ्रांस के अधीन था। लेकिन उपमहाद्वीप का बड़ा हिस्सा ब्रिटेन के अधीन था। अफ्रीका के अन्य स्वामी स्पेन, इटली, बेल्जियम और जर्मनी थे।

अफ्रीका की तरफ आकर्षित करने वाला पहला व्यवसाय था दासता। बाद में हाथी दाँत के व्यवसाय ने व्यापारियों को इस महाद्वीप में अत्यधिक आकर्षित किया। इसमें कुछ धर्म प्रचारक भी आ गये जिन्हें स्थानीय निवासियों द्वारा मार दिया गया। इससे सेना अर्थात् पश्चिमी ताकत महाद्वीप में प्रवेश कर गई। 19वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोपीय ताकतें अफ्रीका में हीरे, स्वर्ण और अन्य बहुमूल्य खनिजों के बारे में जान गई थीं। उन्होंने अफ्रीका को विभाजित करने की उत्तेजक कूटनीतिक गतिविधियाँ चलाईं और 19वीं शताब्दी के अन्त तक उनमें विभाजन आरम्भ हो गया। अब अफ्रीका के लिए छीना-झपटी था जिसने जीवादी साम्राज्यवाद के चरित्र को स्पष्ट रूप से उजागर कर दिया था।

उपनिवेश-विरोधी आन्दोलनों का स्वरूप (Nature of Anti-colonial Movements)

इस वंचित और शोषित होने की भावना ने मुख्य लोगों की निष्क्रियता को तोड़ा। औपनिवेशिक शासन की स्थापना के बाद आधुनिक उच्च वर्गों ने औपनिवेशिक शासन के विरोध का नेतृत्व किया। उन्होंने लोगों को एक मंच पर संगठित किया गया। शासकों से अपनी बात कहने तथा एक समान व्यवहार के अधिकार की माँग की। आरम्भ में उनकी आवाज में नम्रता थी लेकिन बाद में कुण्ठित होकर उनमें उग्रवाद पनपने लगा। जैसे 19वीं शताब्दी के अन्त से तीन दशक पूर्व भारत में क्रान्तिकारी राष्ट्रीय आन्दोलन (जिसे ब्रिटेन ने उग्रवादी कहा है) काफी शक्तिशाली था। दूसरे महाद्वीप के दौरान और उसके बाद एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश-विरोधी आन्दोलनों में हिंसक घटनाओं का व्यापक बोलबाला हो गया था।

शासक व्यवस्था के सहयोगी रूढ़िवादी तथा आधुनिक दोनों पक्षों के सम्पर्क में थे लेकिन स्थानीय समाजों के दोनों वर्गों में उनके विरोधी थे। कहना व्यर्थ है कि एक ही समय में सहयोग लाभ उठाने वाले थे तथा विरोधी उससे वंचित रहते थे। फिर भी, उपनिवेशविरोधी आन्दोलन विभिन्न रूपों में बढ़ते गये।

आदर्श के रूप में भारत (India as an Ideal)

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीयों को एक निष्ठावान लेकिन आलोचनात्मक मंच पर संगठित किया। उसने भारतीय समाज के सभी वर्गों के उच्च लोगों को और यहाँ तक कि ब्रिटिश राज के कुछ सहृदय यूरोपीय लोगों को भी इसमें शामिल कर लिया। इसका

नेतृत्व बेशक उच्च मध्यम वर्ग के पेशेवर लोगों के पास था लेकिन इसमें अनेक भूमिपति और राज विरोधी लोग शामिल थे और वे इसके सम्पर्क थे। 19वीं शताब्दी के अन्त में इसमें एक चरम पंथी वर्ग का उदय हुआ जो क्रान्तिकारी हिंसक उपायों का पक्षधर था। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद मोहनदास करमचन्द गाँधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जनसाधारण का दल बना दिया तथा एक असहयोग आन्दोलन के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति को चुनौती दी। कई आरम्भिक समूहों के इससे अलग होने के बावजूद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ताकत धीरे-धीरे इतनी बढ़ती गईं कि ब्रिटिश राज द्वारा अन्त में इस संगठन को अधिकार सौंपने पड़े। लोक राजनीति और संविधानवाद एक विशेष प्रकार का मिश्रण इस संघर्ष की विशेषता थी।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्पूर्ण औपनिवेशिक विश्व में अपने तरह का प्रथम संगठन था। कई तरीकों से अन्य उपनिवेशों विशेषत: दक्षिण-पूर्व एशिया में उसका अनुकरण किया गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इस राष्ट्रीय प्रवृत्ति का विभिन्न सीमा में समाजवादी विश्व तथा इसके सिद्धान्तों के साथ सम्बन्ध स्थापित हो गया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यहाँ तक कि पश्चिमी ताकतों के साथ अपने विरोध के कारण जापानी साम्राज्य भी दक्षिणपूर्व और दक्षिण एशिया में राष्ट्रीय आन्दोलनों में सहायता करने लगा। अधिकांश अफ्रीका में आरम्भिक प्रतिरोध असफल रहने के कुछ समय बाद उपनिवेश-विरोधी आन्दोलन प्रथम विश्व युद्ध के बाद आधुनिक उच्च वर्ग के नेतृत्व में आरम्भ हुआ लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह मजबूत हुआ।

धर्म बनाम धर्म निरपेक्षता (Religion vs Secularism)

1880 के दशक में धर्म आधारित, पैगम्बरी उपनिवेश-विरोधी संघर्ष सूडान-महदिष्ट (उद्धारक) में आरम्भ हुआ। मुस्लिम दुनिया के कुछ अन्य हिस्सों में अति नैतिक बहावी आन्दोलन पुन: आरम्भ हो गया था। इन आन्दोलनों का मिश्रित प्रमाण अखिल इस्लामी उत्थान के रूप में हुआ। इस्लामी विश्व के खलीफा तुर्की के सुल्तान के अपमान से नाराज मुस्लिम समाज के साथ यह पश्चिमी रोधी दिशा थी जिसने खलीफा आन्दोलन की उत्पत्ति की जिसका भारत और अफगानिस्तान में गहरा प्रभाव पड़ा। फिर भी मुस्लिम समुदाय के अखिल मुस्लिमवाद का अखिल अरबीवाद पर विपरीत प्रभाव पड़ा। अनेक देशों में तुर्की साम्राज्य के खिलाफ नाराजगी थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस नाराजगी को ब्रिटेन द्वारा बढ़ावा दिया गया क्योंकि तुर्की जर्मनी के नेतृत्व में विरोधी खेमे में थे। इसके परिणामस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऐंग्लो-फ्रांस संरक्षण के अन्तर्गत अरबों के लिए अनेक अधीनस्थ क्षेत्रों की उत्पत्ति हो गई। पश्चिमी एशिया में गेलीयोज ने इस व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योगदान प्रदान किया।

प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व 1907-08 में तुर्की या यंग तुर्की के नाम से एक धर्मनिरपेक्षता राष्ट्रीयवादी आन्दोलन चला। परन्तु यह आन्दोलन अति राष्ट्रीयवादी था जो तुर्की के राजशाही शान के पुनरुजीवित करने से सम्बन्धित था। यह अरब आन्दोलनों में परिवर्तित हो गया।

दूसरी तरफ दोनों विश्व युद्धों के बीच की अवधि में तुर्की साम्राज्य में धर्मनिरपेक्ष आन्दोलन छेड़े गये। स्वयं तुर्की में कमल अरातुर्क ने तुर्की राजतन्त्र को उखाड़ फेंका। मिश्र में वफद दल में चुनाव जीता लेकिन मिस्री शासक और उसके ब्रिटिश सहयोगियों के संयुक्त प्रयासों ने उन्हें सत्ता से दूर रखा।

19वीं शताब्दी के अन्त में संगठित अश्वेत अफ्रीकी श्रमिकों ने कई खदान केन्द्रों पर हड़ताल कर दी थी। छात्रों और बड़े आश्चर्य की बात है कि ईसाई चर्च के नेताओं ने अखिल अफ्रीकी आन्दोलन चलाने में उनका नेतृत्व किया। प्रथम अखिल अफ्रीकी कांग्रेस की 1991 में लंदन में बैठक हुई। लेकिन अखिल अफ्रीकीवाद एक वास्तविक उद्देश्य की अपेक्षा विचारधारा अधिक रही। 1920 में ब्रिटिश पश्चिमी अफ्रीका की राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। अन्य संगठन जैसे कीनिया में केन्द्रीय किकीयु एसोसिएशन और दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका अनुकरण किया। चूँकि अफ्रीकी उपनिवेशों की सीमा रेखाएँ अपनी इच्छा से निर्धारित की गई थी और जनजातीय घनिष्ठ सम्बन्ध बहुत दृढ़ थे, इसलिए एक अखिल अफ्रीकी जागरूकता विकसित करने का भी प्रयास किया गया। फिर भी यह दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही हुआ जिसमें अफ्रीकी सैनिकों ने महत्त्वपूर्ण हिस्सा लिया था। इसलिए ये आन्दोलन मजबूत और युद्ध प्रिय बन गये थे। साम्राज्यवादी ताकतों ने सम्पूर्ण अफ्रीकी जातीय दमन आरम्भ कर दिया, परन्तु अन्त में उन्हें यह बन्द करना पड़ा।

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्र.1. इस्लामिक देशों की राजनीतिक संस्कृति सर्वाधिक प्रभावित है—

(क) भौगोलिक स्थिति से (ख) सामाजिक विकास से (ग) धार्मिक मान्यताओं से (घ) इनमें से कोई नहीं

उत्तर (ग) धार्मिक मान्यताओं से

TOUCHING PASS

प्र.2. राजनीतिक संस्कृति प्रभावित करती है—

(क) शासन व्यवहार को (ख) जनसामान्य के राजनीतिक व्यवहार को
(ग) (क) और (ख) दोनों (घ) इनमें से कोई नहीं

उत्तर (ग) (क) और (ख) दोनों

प्र.3. राजनीतिक अर्थव्यवस्था की अवधारणा को स्वीकार करने वाले विद्वान हैं—

(क) एडम स्मिथ (ख) रॉबर्ट माल्थस (ग) डेविड रिकार्डो (घ) ये सभी

उत्तर (घ) ये सभी

प्र.4. 'तुलनात्मक राजनीति' के अध्ययन में निम्नलिखित उपागमों की उत्पत्ति का सही क्रम बताइए—

1. दार्शनिक उपागम 2. व्यवस्था उपागम
3. नव-संस्थात्मक उपागम 4. व्यवहारवादी उपागम

(क) 1, 3, 4, 2 (ख) 1, 4, 2, 3 (ग) 1, 2, 3, 4 (घ) 3, 1, 2, 4

उत्तर (ख) 1, 4, 2, 3

प्र.5. 'इंक्वायरी इन टू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस' के लेखक हैं—

(क) एडम स्मिथ (ख) रॉबर्ट माल्थस (ग) डेविड रिकार्डो (घ) इनमें से कोई नहीं

उत्तर (क) एडम स्मिथ

प्र.6. अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया?

(क) एडम स्मिथ (ख) डेविड रिकार्डो (ग) रॉबर्ट माल्थस (घ) मार्क्स

उत्तर (घ) मार्क्स

प्र.7. नव-संस्थावाद के अंतर्गत किन संकल्पनाओं को शामिल किया जाता है?

(क) संस्थावाद (ख) व्यवहारवाद
(ग) (क) और (ख) दोनों (घ) इनमें से कोई नहीं

उत्तर (ग) (क) और (ख) दोनों

प्र.8. नव-संस्थावाद की अवधारणा का संबंध है—

(क) राजनीतिशास्त्र से (ख) अर्थशास्त्र से (ग) समाजशास्त्र से (घ) उपरोक्त सभी

उत्तर (घ) उपरोक्त सभी

प्र.9. नव-संस्थावाद की संकल्पना का जन्म कहाँ हुआ?

(क) फ्रांस (ख) जर्मनी (ग) ब्रिटेन (घ) संयुक्त राज्य अमेरिका

उत्तर (घ) संयुक्त राज्य अमेरिका

प्र.10. विश्व में तुलनात्मक पद्धति की उपयोगिता कब पड़ी?

(क) प्रथम विश्वयुद्ध के बाद (ख) द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद
(ग) शीतयुद्ध के बाद (घ) ये सभी

उत्तर (ख) द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद

प्र.11. नव-संस्थावाद के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया—

(क) जोहान पी० ऑल्सन (ख) जेम्स जी० मार्क (ग) (क) और (ख) दोनों (घ) इनमें से कोई नहीं

उत्तर (क) (क) और (ख) दोनों

प्र.12. निम्न में से कौन-सी तुलनात्मक पद्धति की विशेषता नहीं है—

(क) यह एक वैज्ञानिक पद्धति है (ख) यह एक आनुभविक संबंधों की खोज है
(ग) यह एक संकीर्ण और विशिष्ट तकनीक है (घ) यह एक तुलनात्मक विश्लेषण की विधि है

उत्तर (ग) यह एक संकीर्ण और विशिष्ट तकनीक है

❑

TOUCH 'n' PASS

UNIT-V

ब्रिटिश संविधान की विशेषताएँ
Features of the British Constitution

खण्ड-अ अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. ब्रिटेन में धर्म का रक्षक किसे कहा जाता है?

Who is called the protector of religion in Britain?

उत्तर ब्रिटेन में धर्म का रक्षक सम्राट को कहा जाता है।

प्र.2. किस सम्राट के शासनकाल से सम्राट को ''धर्मरक्षक'' की उपाधि से विभूषित किया जाता रहा है?

Since the reign of which emperor, the emperor has been honored with the title of "Protector of Dharma"?

उत्तर सम्राट हैनरी अष्टम के शासनकाल से सम्राट को ''धर्मरक्षक'' की उपाधि से विभूषित किया जाता रहा है।

प्र.3. ब्रिटेन में सीमित राजतन्त्र की स्थापना कब हुई?

When was limited monarchy established in Britain?

उत्तर ब्रिटेन में सीमित राजतन्त्र की स्थापना 1688 की महान क्रान्ति के पश्चात् हुई।

प्र.4. ब्रिटिश सम्राट की स्थिति के सम्बन्ध में एक वाक्य लिखिए।

Write one sentence regarding the position of the British Emperor.

उत्तर ब्रिटिश सम्राट शासक तो हैं परन्तु वह शासन नहीं करता।

प्र.5. ब्रिटिश शासन प्रणाली में प्रत्येक कार्य किसके नाम पर किया जाता है?

In whose name is every wok done in the British administrative system?

उत्तर ब्रिटिश शासन प्रणाली में प्रत्येक कार्य सम्राट के नाम पर किया जाता है।

प्र.6. ब्रिटेन में मन्त्रिमण्डल की जननी किसे कहा जाता है?

Who is called the mother of cabinet in Britain?

उत्तर ब्रिटेन में मन्त्रिमण्डल की जननी प्रिवी कौंसिल को कहा जाता है।

प्र.7. ब्रिटिश शासन प्रणाली के सन्दर्भ में कबाल (CABAL) का अर्थ बताइये।

Explain the meaning of Cabal in the context of British system of governance.

उत्तर चार्ल्स II के कार्यकाल में प्रिवी कौंसिल का आकार बढ़ जाने के कारण उसने प्रिवी कौंसिल के कुछ मुख्य सदस्यों से ही सलाह लेनी आरम्भ कर दी। इन सदस्यों को ''कबाल'' के नाम से पुकारा जाने लगा। कबाल शब्द की उत्पत्ति इसके सदस्यों के नाम के प्रथम अक्षरों को मिलाने से हुई। इसी कबाल को बाद में कैबिनेट के नाम से पुकारा गया।

प्र.8. ब्रिटेन में प्रधानमन्त्री के पद को वैधानिक रूप से कब मान्यता दी गयी?

When was the post of prime minister legally recognized in Britain?

उत्तर ब्रिटेन में प्रधानमन्त्री के पद को वैधानिक रूप से 1937 में मिनिस्टरस ऑफ क्राउन एक्ट द्वारा मान्यता दी गयी।

TOUCH 'n' PASS

प्र.9. ब्रिटिश शासन प्रणाली में 1958 के लाइफ पीरेज एक्ट का महत्त्व क्या है?

What is the importance of the Life Peerage Act of 1958 in the British system of governance?

उत्तर इस अधिनियम के द्वारा महिलाओं के लिए भी लार्ड सभा के द्वार खोल दिये गये तथा आजीवन लार्ड्स नियुक्त करने का सिलसिला भी इसी अधिनियम द्वारा किया गया।

प्र.10. ब्रिटेन में मन्त्रिमण्डल किसके प्रति उत्तरदायी है?

To whom is the Cabinet responsible in Britain?

उत्तर ब्रिटेन में मन्त्रिमण्डल संसद के निम्न सदन अर्थात् कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी है।

खण्ड-ब लघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. राजा कोई गलती नहीं करता। इस कथन की व्याख्या करो।

The king makes no mistakes. Explain this statement.

उत्तर ब्रिटिश शासन प्रणाली में एक महत्त्वपूर्ण कहावत है कि राजा कोई गलती नहीं करता है तथा वह कानून से ऊपर है। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन में कानून का शासन है। अर्थात् इंगलैण्ड में एक साधारण व्यक्ति से लेकर प्रधानमन्त्री तक कानून की दृष्टि में समान है। परन्तु कानून का शासन होते हुए भी ब्रिटेन में राजा कानून से ऊपर है क्योंकि "राजा कोई गलती नहीं करता है।" उसे किसी न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इस कहावत के विभिन्न अर्थ हैं जैसे—

1. **कानूनी दृष्टिकोण**—कानूनी दृष्टिकोण के आधार पर इसका अर्थ कि राजा सब कानूनों तथा न्याय का स्रोत है। इस कारण वह कानून से ऊपर है। कोई भी न्यायालय राजा के विरुद्ध कोई निर्णय नहीं सुना सकता। राजा कानून से ऊपर है। प्रत्येक न्यायालय कानून की दृष्टि से यह समझता है कि राजा कोई गलती नहीं कर सकता। इसी कारण उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
2. **संवैधानिक दृष्टिकोण**—इस आधार पर इस कहावत का यह अर्थ है कि ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली होने के कारण सम्राट केवल नाममात्र का अध्यक्ष रह गया है। उसकी समस्त शक्तियों का प्रयोग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद करती है जो कि संसद के प्रति उत्तरदायी है। सम्राट स्वयं कोई कार्य नहीं करता, न ही वह किसी के प्रति उत्तरदायी है। अत: जब सम्राट स्वयं कोई कार्य करता ही नहीं तो वह कोई गलती कर ही नहीं सकता। राजा कोई गलती नहीं करता यही इसका वास्तविक अर्थ है।

प्र.2. राजा तथा ताज (क्राउन) में अन्तर बताइये।

Explain the difference between king and crown.

उत्तर ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री ग्लेडस्टोन ने एक बार कहा था कि "इंगलैण्ड के शासन की शब्दावली में कई महत्त्वपूर्ण भेद हैं परन्तु कोई भेद इतना महत्त्वपूर्ण नहीं जितना कि राजा तथा क्राउन (ताज) के बीच देखने को मिलता है।" वर्तमान में शासन की समस्त शक्तियाँ राजा के हाथों से निकलकर क्राउन के हाथों में आ गयी है। अग्रलिखित दोनों में निम्न अन्तर है—

1. **सम्राट एक व्यक्ति है, क्राउन एक संख्या है**—सम्राट एक शक्ति है। वह जन्म लेता है, सिंहासन पर बैठता है तथा उसकी मृत्यु होती है। इसके विपरीत क्राउन एक संस्था का प्रतीक है। क्राउन एक स्थायी संस्था है जैसे ही किसी सम्राट की मृत्यु होती है वैसे ही तुरन्त दूसरा कोई व्यक्ति क्राउन अर्थात् सिंहासन पर बैठ जाता है। अत: क्राउन एक स्थायी संस्था है।
2. **क्राउन में राजा के अतिरिक्त मन्त्रिमण्डल तथा संसद भी शामिल**—साधारण भाषा में क्राउन का अर्थ राजमुकुट माना जाता है। परन्तु ब्रिटेन में क्राउन का अर्थ है ऐसी संस्था जिसमें शासन की समस्त शक्तियाँ निहित होती हैं। संसद, मन्त्री परिषद प्रधानमन्त्री क्राउन के ही भाग माने जाते हैं।

   फिलिप्स के अनुसार, "क्राउन शब्द शासन की समस्त शक्तियों के योग को प्रकट करता है।"

   सभी शक्तियाँ राजा के हाथों से निकलकर क्राउन के हाथों में आ गयी है—ब्रिटेन में राजा शासक है परन्तु वह शासन नहीं करता। वर्तमान में उसकी शक्तियों का प्रयोग क्राउन अर्थात् संसद तथा मन्त्रिमण्डल करती है।

   अत: स्पष्ट है कि ब्रिटेन में राजा का तात्पर्य एक व्यक्ति से है जबकि क्राउन शब्द से एक संस्था का बोध होता है जिसमें शासन की समस्त शक्तियाँ निहित हैं।

TOUCH-N-PASS

प्र.3. ब्रिटेन में सम्राट के पद की किन आधारों पर आलोचना की जाती है?

On what grounds is the position of the monarch criticized in Britain?

उत्तर 1. राजा पैतृक आधार पर पद ग्रहण करता है जो कि एक अलोकतान्त्रिक प्रक्रिया है।

2. राजा का पद राजतन्त्र का प्रतीक है जबकि ब्रिटेन में संसदीय लोकतन्त्र है।
3. सम्राट के पद की कोई उपयोगिता नहीं है क्योंकि वह केवल मन्त्रिमण्डल के परामर्श के आधार पर ही कार्य करता है।
4. सम्राट का पद अत्यन्त खर्चीला है।

प्र.4. ब्रिटेन में राजा के विशेषाधिकार तथा विमुक्तियों पर संक्षेप में प्रकाश डालिये।

Throw light briefly on the privileges and immunities of the king in Britain.

उत्तर ब्रिटिश सम्राट को अनेक विशेषाधिकार तथा उम्मुक्तियाँ प्राप्त हैं। जैसे—ब्रिटिश सम्राट कानून से ऊपर है, उस पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, उसे किसी भी न्यायालय के सम्मुख पेश होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यदि राजा किसी व्यक्ति की हत्या कर दे, तो भी उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। राजा पर कोई दीवानी मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता। राजा को संसद द्वारा बहुत बड़ी धनराशि ग्रान्ट के रूप में प्रदान की जाती हैं ताकि वह राजसी ठाठबाट के साथ रह सके।

प्र.5. ब्रिटेन में मन्त्रिमण्डल की कार्यप्रणाली के सुधार के सम्बन्ध में सुझाव देने हेतु नियुक्त हाल्डेन समिति की सिफारिशों पर प्रकाश डालें।

Throw light on the recommendations of the Haldane committee appointed to give suggestions regarding the improvement of the functioning of the Cabinet in Britain.

उत्तर 1918 में मन्त्रिमण्डल की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने तथा उसमें सुधार हेतु सुझाव देने के लिए हाल्डेन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने निम्न सुझाव दिये—जैसे मन्त्रिमण्डल का आकार बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, मन्त्रिमण्डल की बैठक जल्दी-जल्दी बुलायी जानी चाहिए, बैठक से पूर्व मन्त्रियों को पहले ही सभी आवश्यक सूचनाएँ प्राप्त हो जानी चाहिए तथा वे बैठक में तैयार होकर आएँ। ताकि निर्णय शीघ्रता से लिये जा सके। समिति ने सुझाव दिया कि इस बात की निश्चित व्यवस्था की जाए कि सरकारी अधिकारी मन्त्रिमण्डल के निर्णयों को तेजी से लागू करें।

प्र.6. ब्रिटेन में मन्त्रिपरिषद तथा मन्त्रिमण्डल में क्या अन्तर है?

What is difference between the Cauncil of Ministers and the Cabinet in Britain?

उत्तर सामान्य भाषा में मन्त्रिमण्डल तथा मन्त्रिपरिषद शब्दों का प्रयोग समान अर्थों में कर लिया जाता है। परन्तु वास्तव में दोनों में अग्रलिखित अन्तर हैं जैसे—

1. **संगठनात्मक अन्तर**—मन्त्रिपरिषद मन्त्रिमण्डल से अधिक व्यापक है। मन्त्रिपरिषद एक विशाल संस्था है जिसमें सभी मन्त्री शामिल हैं। परन्तु मन्त्रिमण्डल में केवल महत्त्वपूर्ण विभागों के अध्यक्ष शामिल होते हैं। मन्त्रिमण्डल का प्रत्येक सदस्य मन्त्रिपरिषद का सदस्य भी होता है परन्तु मन्त्रिपरिषद के सभी सदस्य मन्त्रिमण्डल के सदस्य नहीं होते। मन्त्रिपरिषद में पाँच श्रेणी के मन्त्री होते हैं। मन्त्रिपरिषद के सदस्यों की इन पाँच श्रेणियों में से केवल प्रथम श्रेणी के मन्त्री ही मन्त्रिमण्डल के सदस्य होते हैं। मन्त्रिमण्डल को मन्त्रिपरिषद रूपी वृहत चक्र का आन्तरिक चक्र कहा जाता है।
   मन्त्रिमण्डल का आकार मन्त्रिपरिषद की तुलना में बहुत छोटा है। मन्त्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या सामान्यत: 70 से 90 तक होती है। परन्तु मन्त्रिमण्डल के सदस्यों की संख्या 18 से 22 के बीच होती है।
2. **कार्य तथा शक्ति सम्बन्धी अन्तर**—मन्त्रिमण्डल तथा मन्त्रिपरिषद के बीच मुख्य अन्तर कार्यों तथा शक्तियों के सम्बन्ध में होता है। मन्त्रिमण्डल के सदस्य ही शासन सम्बन्धी नीति बनाते हैं। मन्त्रिमण्डल की बैठकों में केवल मन्त्रिमण्डल के सदस्य ही भाग लेते हैं। मन्त्रिपरिषद के सभी सदस्यों की कभी भी बैठक नहीं बुलायी जाती। मन्त्रिपरिषद के सदस्यों का कार्य मन्त्रिमण्डल की प्रशासनिक कार्यों में सहायता करना है तथा मन्त्रिमण्डल की नीतियों को लागू करना है।

अत: मन्त्रिमण्डल मन्त्रिपरिषद की महत्त्वपूर्ण इकाई है जो नीति निर्माण करती है।

TOUCH'in' PASS

प्र.7. ''ब्रिटिश प्रधानमन्त्री का पद वैसा ही बन जाता है जैसा कि प्रधानमन्त्री उसे बनाना चाहे'' व्याख्या करें।
"The past of British Prime Minister becomes whatever the Prime Minister wishes to make it", Explain.

उत्तर ब्रिटिश प्रधानमन्त्री के विषय में बोलते हुए लार्ड **एसक्विथ** ने कहा था कि ''प्रधानमन्त्री का पद वैसा ही बन जाता है जैसा कि प्रधानमन्त्री उसे बनाना चाहे'' इसका यह अर्थ है कि प्रधानमन्त्री की स्थिति उसके व्यक्तित्व, निजी प्रतिष्ठा तथा दलीय समर्थन पर निर्भर करती है। यदि प्रधानमन्त्री का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली है तो वह बहुत शक्तिशाली होगा परन्तु यदि वह कमजोर व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है तो वह अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पायेगा तथा उसकी स्थिति दुर्बल होगी। इस प्रकार **एसक्विथ** ने उचित ही कहा है कि ''प्रधानमन्त्री का पद वही है जैसा कि इस पद को धारण करने वाला व्यक्ति बनाना चाहे।'' **ग्लैडस्टोन, लायडजार्ज, चर्चिल** आदि बहुत ही शक्तिशाली प्रधानमन्त्री थे। 1979 से 1990 तक प्रधानमन्त्री थैचर बहुत शक्तिशाली रही तथा उन्हें लोहनारी (Iron Lady) कहा जाता था। परन्तु **एटली व मैक्मिलन** का व्यक्तित्व बहुत ही दुर्बल था अत: वे बहुत ही दुर्बल प्रधानमन्त्री थे।

प्र.8. ब्रिटेन में प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिमण्डल की कार्यप्रणाली से सम्बन्धित मुख्य परम्पराएँ लिखिए।
Write the main traditions related to the functioning of the Prime Minister and the cabinet in Britain.

उत्तर उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन में शासनतन्त्र मन्त्रिमण्डल के चारों ओर घूमता है परन्तु मन्त्रिमण्डल की कार्यप्रणाली किसी कानून पर आधारित न होकर परम्पराओं तथा प्रथाओं पर आधारित है जैसे—

1. परम्परा के अनुसार, प्रधानमन्त्री कॉमन सभा का सदस्य ही बनेगा लार्ड सभा का नहीं।
2. मन्त्रिमण्डल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं।
3. परम्परा के अनुसार, यदि कॉमन सभा एक भी मन्त्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दें तो सम्पूर्ण मन्त्रिमण्डल को त्यागपत्र देना पड़ता है।
4. मन्त्रिमण्डल के सदस्य उस दल से सम्बन्धित होते हैं जिस दल को कॉमन सभा में बहुमत प्राप्त रहता है।
5. परम्परा के अनुसार, यदि मन्त्रिमण्डल बहुमत का समर्थन खो देता है तो वह त्यागपत्र दे देता है।

प्र.9. ब्रिटेन में मन्त्रिमण्डलीय प्रणाली के मुख्य लक्षण लिखिए।
Write the main features of the cabinet system in Britain.

उत्तर ब्रिटेन में मन्त्रिमण्डलीय प्रणाली का मुख्य लक्षण है कि राजा नाममात्र का प्रमुख है उसकी समस्त शक्तियों का प्रयोग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिमण्डल करता है।

ब्रिटेन में मन्त्रिमण्डल तथा संसद में घनिष्ठ सम्बन्ध है। मन्त्रिमण्डल के सदस्य संसद के किसी–न–किसी सदन के सदस्य अवश्य ही होते हैं।

ब्रिटेन में मन्त्रिमण्डल प्रधानमन्त्री के अधीन तथा नेतृत्व में कार्य करता है।

मन्त्रिमण्डल गोपनीयता के सिद्धान्त के आधार पर कार्य करता है।

ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल अपनी प्रत्येक नीति तथा कार्य के लिए संसद के निम्न सदन अर्थात् कॉमन सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है।

प्र.10. ब्रिटेन में मन्त्रिमण्डल की तानाशाही स्थापित हो गयी है। स्पष्ट करो।
Cabinet dictatorship has been estabilished in Britain. Please clarify.

उत्तर रेम्जेम्योर जैसे विचारकों की धारणा है कि ब्रिटेन में मन्त्रिमण्डल की तानाशाही स्थापित हो गयी है क्योंकि मन्त्रिमण्डल की शक्तियों का विस्तार दिन–प्रतिदिन होता जा रहा है। राष्ट्र की आन्तरिक तथा बाह्य नीति का निर्माण मन्त्रिमण्डल ही करता है। वर्तमान में मन्त्रिमण्डल की विधायी शक्तियों में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है। संसद की कार्यप्रणाली पर मन्त्रिमण्डल का नियन्त्रण हो गया है। संसद में अधिकांश विधेयक मन्त्रिमण्डल के सदस्यों द्वारा ही प्रस्तुत किये जाते हैं तथा जिस रूप में मन्त्रिमण्डल विधेयक प्रस्तुत करता है उसी रूप में वे पारित हो जाते हैं क्योंकि कॉमन सभा में मन्त्रिमण्डल के दल का बहुमत होता है।

राष्ट्र के वित्त पर भी मन्त्रिमण्डल का पूर्ण नियन्त्रण हो गया है। बजट का निर्माण मन्त्रिमण्डल द्वारा ही किया जाता है। इतना ही नहीं मन्त्रिमण्डल के सदस्य अपने दल के महत्त्वपूर्ण नेता होते हैं तथा दल पर भी उनका नियन्त्रण होता है।

TOUCH 'n' PASS

अत: ब्रिटेन में मन्त्रिमण्डल की शक्तियों का दिन-प्रतिदिन विस्तार हो रहा है। इसी आधार पर कुछ विचारकों की यह धारणा बन गयी है कि ब्रिटेन में मन्त्रिमण्डल की तानाशाही स्थापित हो गयी है।

प्र.11. ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल को तानाशाह कहना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। स्पष्ट करो।
It is not appropriate from any point of view to call the British cabinet a dictator. Please clarify.

उत्तर यद्यपि ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल की शक्तियों में व्यापक रूप से वृद्धि हुई है परन्तु उसे तानाशाह कहना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन में विपक्षी दल बहुत ही सशक्त होता है। वह सरकार की प्रत्येक गलत नीति की आलोचना करता है तथा उसे निरंकुश बनने से रोकता है। मन्त्रिमण्डल पर संसद का भी नियन्त्रण है। वह अपनी प्रत्येक नीति के लिए संसद के निम्न सदन अर्थात् कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी है। ब्रिटेन में जनमत भी बहुत जागरूक तथा सचेत है यदि मन्त्रिमण्डल कोई जनविरोधी कार्य करता है तो जनमत उसके विरुद्ध हो जाता है तथा उसे चुनाव में पराजित कर देगा। समाचार-पत्र भी सरकार के ऊपर नियन्त्रण रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इतना ही नहीं ब्रिटिश जनता स्वभाव से उदारवादी तथा लोकतन्त्र समर्थक है वह निरंकुशतन्त्र को कभी सहन नहीं करती।
अत: ब्रिटेन में मन्त्रिमण्डल की शक्तियों में वृद्धि तो हुई है परन्तु उसे तानाशाह कहना अनुचित है क्योंकि उसके ऊपर अनेक नियन्त्रण लगे हुए हैं।

प्र.12. ब्रिटेन में प्रधानमन्त्रीय शासन प्रणाली स्थापित हो गयी है। स्पष्ट करें।
Prime Ministerial system of governance has been established in Britain. Explain.

उत्तर ब्रिटेन में प्रधानमन्त्री शासन का केन्द्र बिन्दु है। वह वास्तविक कार्यपालिका प्रधान है। सैद्धान्तिक रूप में सम्राट के पास जो भी कार्यपालिका शक्तियाँ हैं व्यवहार में उनका प्रयोग प्रधानमन्त्री ही करता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तो प्रधानमन्त्री की शक्तियों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। मन्त्रिमण्डल के निर्माण तथा अन्त में प्रधानमन्त्री की भूमिका निर्णायक होती है। राष्ट्र की आन्तरिक तथा बाह्य नीति के निर्माण में प्रधानमन्त्री की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमन्त्री सम्राट को परामर्श देकर कॉमन सभा को अवधि पूरा होने से पूर्व ही भंग करा सकता है। देश में आम चुनाव प्रधानमन्त्री के नाम पर होते हैं। अत: प्रधानमन्त्री की व्यापक शक्तियों के कारण ही यह कहा जाने लगा है कि ब्रिटेन में प्रधानमन्त्रीय सरकार की स्थापना हो गयी है।

खण्ड-स विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
Describe the features of the British constitution.

उत्तर

ब्रिटिश संविधान की विशेषताएँ
(Features of the British Constitution)

ब्रिटिश संविधान विश्व का सबसे प्राचीन व अलिखित संविधान है। **मुनरो** ने इसे विश्व संविधान की जननी कहा है। इसने ही विश्व संविधान निर्माताओं का पथ-प्रदर्शन किया है। इसकी मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

1. **अलिखित संविधान** (Unwritten Constitution)—ब्रिटिश संविधान का अधिकांश भाग अलिखित है। यह भारत, अमेरिका तथा चीन के संविधानों की तरह लिखित नहीं है। अलिखित होने के बावजूद भी इसका कुछ अंश संसदीय कानूनों व न्यायिक निर्णयों तथा अधिकार-पत्रों के रूप में लिखित मिल जाता है। इसमें परम्पराओं, रीति-रिवाजों तथा रूढ़ियों का सुन्दर समन्वय है। इस संविधान की कोई प्रति उपलब्ध न होने के कारण इसे अलिखित संविधान की संज्ञा दी जाती है। इसका प्रमुख कारण इसे संविधान सभा द्वारा न बनाया जाना भी है।
2. **विकसित संविधान** (Evolved Constitution)—ब्रिटिश संविधान का निर्माण किसी निश्चित तिथि को किसी संस्था या व्यक्ति द्वारा नहीं हुआ है। इसके विपरीत भारत तथा अमेरिका का संविधान एक संविधान सभा द्वारा बनाया गया था। ब्रिटिश संविधान तो क्रमिक विकास का प्रतिफल है जिसका विकास ऐंग्ले सैंकसन युग से होता आ रहा है। मुनरो ने इसे 'बुद्धि और संयोग की सन्तान कहा है। ब्रिटिश संविधान स्वयं को बदलती परिस्थितियों के अनुसार ढाल रहा है। इसमें चीन तथा रूस की तरह भयंकर परिवर्तन नहीं हुए हैं। **ऑग** ने लिखा है—"ब्रिटिश संविधान एक सचेष्ट जीवधारी के समान है

TOUCH N PASS

जिसमें निरन्तर व स्थायी विकास की क्षमता है।'' इसके विकास ने ब्रिटिश लोगों के स्वभाव, परम्पराओं, न्यायिक निर्णयों तथा संसदीय कानूनों में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

3. **संसदीय शासन प्रणाली** (Parliamentary Form of Government)—ब्रिटेन में संसदीय शासन-प्रणाली की व्यवस्था है। संसदीय शासन प्रणाली में दो प्रकार की कार्यपालिका होती है नाममात्र और वास्तविक। ब्रिटेन में सम्राट तो शासन का नाममात्र का मुखिया है। शासन की समस्त शक्तियों का प्रयोग प्रधानमन्त्री अपने मन्त्रिमण्डल के साथ मिलकर करता है। ब्रिटेन में भी संसद अपने अन्य कार्य मन्त्रिमण्डल के साथ मिलकर करता है। ब्रिटेन में भी अन्य संसदात्मक शासन प्रणालियों की तरह सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त का अस्तित्व है और कार्यपालिका तथा विधायिका में भी घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है। इसमें कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। ब्रिटेन में वास्तविक कार्यपालिका या मन्त्रिमण्डल को संसद में विश्वास मत खो देने पर त्यागपत्र देना पड़ता है। वहाँ व्यवस्थापिका कटौती प्रस्तावों, अविश्वास प्रस्तावों आदि द्वारा कार्यपालिका पर पूरा नियन्त्रण रखती है। यदि कार्यपालिका या मन्त्रिमण्डल विश्वास मत खो देता है तो कॉमन सभा भंग हो जाती है और नये चुनावों का सामना करना पड़ता है। जिस तरह कार्यपालिका पर विधायिका नियन्त्रण रखती है, उसी तरह अविश्वास मत का खतरा तथा नये चुनावों की सम्भावना संसद को भी खतरे में डाल देती है। इसी कारण ब्रिटेन में कार्यपालिका तथा विधायिका में आपसी तालमेल पाया जाता है।

4. **संसद की सर्वोच्चता** (Supermacy of the Parliament)—ब्रिटेन में कानूनी दृष्टि से संसद सम्प्रभु है। कार्यपालिका संसद के प्रति ही उत्तरदायी है। कानून बनाने, संशोधन करने, रद्द करने अथवा कानून का विस्तार करने का अधिकार संसद के पास ही है। संसद द्वारा पारित कानूनों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। संसद की सर्वोच्चता पर **डी० लोमी** ने लिखा है—''ब्रिटिश संसद पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष बनाने के सिवाय और सब कुछ कर सकती है।'' लेकिन व्यवहार में उसकी सम्प्रभु शक्ति पर कुछ परम्परागत संविधानिक अभिसमयों के रूप में सीमाएँ भी हैं।

5. **द्वि-सदनीय विधायिका** (Bicameral Legislature)—ब्रिटेन में द्वि–सदनीय विधायिका है। संसद के निम्न सदन को कॉमन सभा तथा अन्य सदन को हाऊस ऑफ लार्ड्स या लार्ड सभा कहा जाता है। ब्रिटिश संविधान की तरह द्वि–सदनीय विधानमण्डल का इतिहास भी काफी पुराना है।

6. **कानून का शासन** (Rule of Law)—ब्रिटेन में शासन किसी व्यक्ति या संस्था की इच्छानुसार नहीं चलता। वहाँ शासन का संचालन कानून के अनुसार होता है। कानून के शासन का अर्थ यह है कि सब व्यक्ति चाहे वह सम्राट हो या प्रधानमन्त्री, कानून से ऊपर नहीं है। कानून की दृष्टि में सभी समान हैं और किसी व्यक्ति को कानून तोड़ने की अनुमति नहीं है। **डायसी** के अनुसार, ''ब्रिटेन में कानून का शासन संसदीय अधिनियमों, न्यायिक निर्णयों तथा सामान्य विधि में निहित है। इसी आधार पर वहाँ विधि के शासन का विकास हुआ है।''

7. **मिश्रित संविधान** (Mixed Constitution)—ब्रिटेन के संविधान में राजतन्त्र तथा प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों का सुन्दर समन्वय पाया जाता है। सिद्धान्त रूप में वहाँ राजतन्त्र है, लेकिन व्यवहार में संसद की सर्वोच्चता होने के कारण प्रजातन्त्र है। **ऑग** का कहना है—''ब्रिटेन में राज्य–व्यवस्था शुद्ध सैद्धान्तिक रूप से निरंकुश राजतन्त्र है; बाह्य स्वरूप में सीमाबद्ध वैधानिक राजतन्त्र का तथा कॉमन सदन लोकतन्त्र का प्रतिनिधि है। इसलिए ब्रिटिश संविधान को मिश्रित संविधान कहा जाता है।

8. **संवैधानिक राजतन्त्र** (Constitutional Monarchy)—ब्रिटेन में राजा का पद राजतन्त्र का प्रतीक है। लेकिन 1688 की शानदार क्रान्ति के बाद राजा की शक्तियाँ ताज की शक्तियाँ हो गईं जिनका प्रयोग राजा तथा संसद कानूनी सीमाओं के अन्तर्गत करते हैं। वास्तव में राजा कोई भी कार्य मन्त्रिमण्डल तथा प्रधानमन्त्री की सलाह पर ही करता है। राजा और मन्त्रिमण्डल दोनों कानून की परिधि से बाहर जाकर कोई भी कार्य नहीं कर सकते। आज ब्रिटिश राजतन्त्र पूरी तरह लोकतन्त्रीय आदर्शों पर आधारित हो चुका है। इसी कारण उसे संवैधानिक या सीमित राजतन्त्र कहा जाता है।

9. **लचीला संविधान** (Flexible Constitution)—ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषता उसका लचीलापन है। वहाँ संसद जिस तरह साधारण कानून पारित करती है, उसी तरह वह संविधान में सरलता से बिना किसी विशेष प्रक्रिया को अपनाये संशोधन कर सकती है। ब्रिटेन में संसद के पास कानून निर्माण तथा उसमें परिवर्तन की दोनों शक्तियाँ हैं। वहाँ संवैधानिक कानून तथा साधारण कानून में कोई अन्तर नहीं है। भारत तथा अमेरिका की तरह ब्रिटेन में संवैधानिक संशोधन की कोई विधि नहीं है। संसद साधारण बहुमत से संविधान में कोई भी संशोधन कर सकती है।

TOUCH 'n PASS

10. **सबसे प्राचीन संविधान** (The oldest Constitution)—ब्रिटेन का संविधान विश्व के अन्य संविधानों की अपेक्षा काफी प्राचीन है। वहाँ की संसद अन्य संसदों की जननी कहलाती है। अन्य देशों के लोगों ने ब्रिटिश संविधान से काफी कुछ ग्रहण किया है। भारत के संविधान में भी कुछ बातें ब्रिटेन के संविधान से ही ली गई है।
11. **एकात्मक शासन प्रणाली** (Unitary Form of Government)—ब्रिटेन में भारत तथा अमेरिका की तरह संघात्मक शासन प्रणाली नहीं है। वहाँ शासन की शक्तियों व केन्द्र राज्यों में विभाजन नहीं किया गया है। ब्रिटेन में प्रान्तों को जो शक्तियाँ प्राप्त हैं, वे केन्द्र शासन द्वारा प्रदत्त हैं। वर्तमान सरकार जब चाहे उन शक्तियों को वापिस ले सकती है। संसद का कानून समस्त देश के लिए मान्य होता है। केन्द्र सरकार प्रान्तीय सरकारों के अधिकार व शक्तियों में अपनी इच्छानुसार परिवर्तन कर सकती है। स्थानीय शासन को कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है। वह तो केवल केन्द्रीय कानून को लागू करने के लिए उप-नियम बना सकती है।
12. **मौलिक अधिकार व स्वतन्त्रताएँ** (Fundamental Rights and Liberties)—ब्रिटेन में भी भारत तथा अमेरिका की तरह नागरिक स्वतन्त्रताएँ हैं। यद्यपि संविधान में कहीं भी उनका उल्लेख नहीं है, क्योंकि वहाँ संविधान लिखित ही नहीं है। लेकिन 1215 के मैग्नाकार्टा एक्त बन्दी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम 1679 तथा अधिकार पत्र 1669 के तहत वहाँ नागरिक अधिकारों व स्वतन्त्रताओं का विकास हुआ है। आज ब्रिटेन में भी अन्य देशों के नागरिकों की तरह लोगों को अधिकार व स्वतन्त्रताएँ प्राप्त हैं।
13. **द्वि-दलीय प्रणाली** (Two Party System)—ब्रिटेन में प्रारम्भ से अब तक दो दल ही सत्ता में रहे हैं। यद्यपि वहाँ कई अन्य दल भी हैं, लेकिन पिछली सदी से वहाँ अनुदार दल तथा श्रमिक दल की ही सरकारें बनी हैं। वहाँ चुनावों के बाद एक दल सरकार बनाता है तो दूसरा विरोधी दल की भूमिका अदा करता है।
14. **संवैधानिक अभिसमयों का महत्त्व** (Importance of Constitutional Conventions)—ब्रिटेन का संविधान परम्पराओं व रीति-रिवाजों पर आधारित है। यदि ब्रिटिश संविधान से अभिसमयों या परम्पराओं को निकाल दिया जाए तो संविधान केवल निर्जीव शरीर की तरह रह जाएगा। इनके बिना शासन चलाना कठिन है, क्योंकि ये राजनीतिक परम्पराओं के रूप में ब्रिटिश शासन-व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण स्थान पा चुके हैं। यद्यपि इनका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, फिर भी वे संवैधानिक संस्थाओं के कार्य-व्यवहार का आवश्यक अंग है। उदाहरण के लिए प्रधानमन्त्री का कॉमन सदन से होना सम्राट द्वारा किसी बिल की वीटो न करना आदि संवैधानिक कानून न होकर परम्पराओं का ही विकसित रूप है।
15. **राजा और ताज में अन्तर** (Distinction between the King and Crown)—1688 की शानदार क्रान्ति ने राजा की शक्तियों को छीनकर ताज को सौंप दिया। इससे पहले ताज की शक्तियाँ राजा की ही शक्तियाँ थीं। राजा व ताज में कोई संवैधानिक अन्तर नहीं था। लेकिन अब राजा एक मृत्युशील जीवधारी है जबकि ताज एक स्थायी संस्था है जिसका कोई अन्त नहीं है। अत: ब्रिटेन में राजा व ताज में अन्तर किया जाता है। स्वयं राजा भी ताज के अधीन है।
16. **न्यायपालिका की स्वतन्त्रता** (Independence of Judiciary)—ब्रिटिश न्यायालय अपनी निष्पक्षता व स्वतन्त्रता के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। वहाँ न्यायाधीशों पर कार्यपालिका तथा विधायिका का कोई नियन्त्रण या दबाव नहीं है। वहाँ कानून की दृष्टि में सब समान हैं। न्यायाधीशों का कार्यकाल उनके सदाचार पर निर्भर है। न्यायाधीशों का अच्छा वेतन व सुविधाएँ भी उसे स्वतन्त्रता प्रदान करती है। न्यायपालिका की स्वतन्त्रता व प्रभाव का स्पष्टीकरण इस बात से हो जाता है कि ब्रिटेन में न्यायिक निर्णय संविधान का आवश्यक अंग है। सभी व्यक्ति व संस्थाएँ न्यायिक निर्णयों का पूरा सम्मान करते हैं।
17. **पैतृक सिद्धान्त** (Hereditary Principle)—ब्रिटिश संविधान में वंशानुगत तत्त्व भी पाये जाते हैं। वहाँ राजा का पद वंशानुगत है। लार्ड सभा के अधिकांश सदस्य आनुवांशिक पीयर हैं। ब्रिटिश जनता को पैतृक या आनुवांशिक सिद्धान्त से गहरा लगाव है और वे उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। इसी कारण पैतृक सिद्धान्त आज भी ब्रिटिश संविधान के आवश्यक तत्त्व हैं।
18. **निरोध व सन्तुलन का सिद्धान्त** (Principle of Check and Balance)—ब्रिटेन में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धान्त की अपेक्षा विरोध व सन्तुलन का सिद्धान्त अपनाया गया है। वहाँ सरकार के प्रत्येक अंग पर एक-दूसरे का कुछ-न-कुछ नियन्त्रण अवश्य है। उदाहरण के लिए मन्त्रिमण्डल सामूहिक रूप से लोक सदन (कॉमन सभा) के प्रति उत्तरदायी है और प्रधानमन्त्री को सम्राट से कहकर लोक सदन को भंग करने का अधिकार प्राप्त है। इसी तरह संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी भी विधेयक पर सम्राट के हस्ताक्षर होते हैं, लेकिन सम्राट के साथ-साथ उस विधेयक पर

जब किसी मन्त्री के हस्ताक्षर हों, तभी वह विधेयक मान्य हो सकता है। इस तरह सरकार का प्रत्येक अंग एक-दूसरे पर कुछ-न-कुछ नियन्त्रण स्थापित करता है।

19. **सिद्धान्त व व्यवहार में अन्तर** (Difference between Theory and Practice)—ब्रिटेन के संविधान की प्रमुख विशेषता उसके सिद्धान्त व व्यवहार में अन्तर का पाया जाना है। मुनरो ने लिखा है—"ब्रिटेन में कोई बात जैसे दिखाई देती है, वैसी नहीं है और जैसी है वैसी दिखाई नहीं देती।" **ऑग व लिंक** ने भी ब्रिटिश संविधान में सिद्धान्त व व्यवहार में पर्याप्त भेद माना है। सिद्धान्त में तो ब्रिटेन में राजतन्त्र है, लेकिन व्यवहार में राजा की शक्तियों पर मन्त्रिमण्डल का नियन्त्रण है। राजा अपनी शक्तियों का प्रयोग मन्त्रिमण्डल की सलाह से ही करता है। ब्रिटेन में राजा की शक्तियाँ ताज की शक्तियाँ हैं। सिद्धान्त में तो वहाँ संसद सर्वोच्च है, लेकिन व्यवहार में उस पर मन्त्रिमण्डल का नियन्त्रण रहता है। सिद्धान्त में तो वहाँ लार्ड सभा के पास सर्वोच्च शक्ति है, लेकिन व्यवहार में न्याय सम्बन्धी समस्त कार्य कानून लार्डों द्वारा ही किये जाते हैं। सिद्धान्त में ब्रिटेन में शक्तियों का पृथक्करण है, लेकिन व्यवहार में कार्यपालिका तथा विधायिका में घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है। इसी तरह के अन्य कई उदाहरण ब्रिटिश संविधान में मिल जाते हैं जो वहाँ सिद्धान्त और व्यवहार से अन्तर स्पष्ट करते हैं।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि ब्रिटेन में संविधान अलिखित तथा पर्याप्त लचीला है। कानून का शासन तथा संसदीय सर्वोच्चता का अनूठा मिश्रण ब्रिटिश संविधान को विचित्रता का गुण प्रदान करते हैं। ब्रिटिश संविधान में राजतन्त्र तथा प्रजातन्त्र का अनूठा संगम देखने को मिलता है। ब्रिटिश संविधान को विश्व का सबसे प्राचीन संविधान होने का गौरव प्राप्त है तो वहाँ की संसद संसदीय शासन-प्रणालियों की जननी है। आज ब्रिटेन में सिद्धान्त और व्यवहार में काफी अन्तर पाया जाता है, लेकिन फिर भी ब्रिटिश संविधान को विश्व का सर्वाधिक प्रजातन्त्रीय और विकासशील संविधान माना जाता है। जितना लम्बा अतीत का गौरवमय इतिहास ब्रिटिश संविधान समेटे हुए है, वह अन्यत्र दुर्लभ है।

प्र.2. ब्रिटिश सम्राट की शक्तियाँ बताइये तथा उसकी वास्तविक स्थिति पर प्रकाश डालिये।

Discuss the powers and position of British King in the administration.

उत्तर आज जब सम्पूर्ण विश्व में राजतन्त्र समाप्त हो गया है तथा राजा का पद समाप्त कर दिया गया है तब भी इंग्लैण्ड में आज भी सम्राट का पद बना हुआ है। इतना ही नहीं इंग्लैण्ड में जनता सम्राट के प्रति विशेष श्रद्धा तथा सम्मान का भाव रखती है। विभिन्न संसदीय अधिनियमों तथा अधिकार पत्रों के पारित किये जाने के बाद आज भी सम्राट के पास व्यापक शक्तियाँ हैं तथा शासन प्रणाली में उसका विशेष स्थान है। इंग्लैण्ड में राजा का पद सदा रहने वाला पद है। जब भी किसी राजा की मृत्यु होती है उसी क्षण दूसरा व्यक्ति पद ग्रहण कर लेता है।

सम्राट की शक्तियाँ
(Powers of King)

सम्राट की निम्नलिखित शक्तियाँ हैं—

विभिन्न अधिकार पत्रों तथा संसदीय अधिनियमों के पारित किये जाने के बाद भी सम्राट को विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं। इंग्लैण्ड में सम्राट का पद इतना अधिक महत्त्वपूर्ण है कि सम्राट मन्त्रियों को मेरे मन्त्री, सेना को मेरी सेना, राजदूतों को मेरे राजदूत सरकार को मेरी सरकार तथा ब्रिटिश वासियों को मेरी प्रजा कहकर पुकारता है।

1. **कार्यपालिका शक्तियाँ**—संविधान द्वारा समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित की गयी है तथा उनका प्रयोग वह स्वयं अथवा अन्य पदाधिकारियों के माध्यम से करता है। सम्राट की निम्न शक्तियाँ हैं—
   (i) कार्यपालिका शक्तियों के अन्तर्गत सम्राट प्रधानमन्त्री की नियुक्ति करता है।
   (ii) प्रधानमन्त्री के परामर्श से वह अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति करता है।
   (iii) सम्राट प्रधानमन्त्री से शासन सम्बन्धी कोई भी सूचना माँग सकता है तथा प्रधानमन्त्री का भी यह कर्त्तव्य है कि वह समय-समय पर सम्राट को शासन सम्बन्धी जानकारी देता रहे।
   (iv) सम्राट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद को किसी भी विषय पर परामर्श दे सकता है। सम्राट का परामर्श बहुत ही महत्त्वपूर्ण होता है क्योंकि उसे शासन का लम्बा अनुभव होता है तथा वह निष्पक्ष होता है। अत: कोई भी प्रधानमन्त्री सम्राट के परामर्श की अवहेलना करने का साहस नहीं कर सकता।
   (v) सम्राट विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति, न्यायाधीशों व विभिन्न धार्मिक अधिकारियों की नियुक्ति करता है।

TOUCH n PASS

(vi) युद्ध तथा शान्ति की घोषणा भी सम्राट द्वारा की जाती है। अधिराज्यों जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड आदि देशों के गवर्नर जनरल की नियुक्ति सम्राट के नाम पर की जाती है।

(vii) सम्राट राष्ट्रमण्डल का अध्यक्ष होता है।

2. **विधायी शक्तियाँ**—सम्राट संसद का अभिन्न अंग है। विधि निर्माण की शक्ति राजा सहित संसद में निहित है। वह संसद का अधिवेशन बुलाता है तथा उसके समापन की घोषणा करता है।
हर नई संसद का प्रथम अधिवेशन तथा प्रत्येक वार्षिक अधिवेशन सम्राट के भाषण से ही प्रारम्भ होता है। सम्राट भाषण में सरकार की नीतियों व योजनाओं पर प्रकाश डालता है।
सम्राट की स्वीकृति के बिना संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक कानून का रूप धारण नहीं कर सकता। परन्तु ब्रिटेन में यह परम्परा बन गयी है कि सम्राट संसद द्वारा पारित विधेयकों को अपनी स्वीकृति प्रदान कर देता है। 1707 से लेकर आज तक ब्रिटिश सम्राट ने किसी भी विधेयक को अस्वीकार नहीं किया है।
कोई भी वित्त विधेयक कॉमन सभा में सम्राट की अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।
सम्राट संसद के निम्न सदन अर्थात् कॉमन सभा को अवधि पूरी होने से पूर्व ही भंग कर सकता है।
सम्राट को पीयर बनाने का अधिकार प्राप्त है। उल्लेखनीय है कि पीयर ही लार्ड सभा के सदस्य बन सकते हैं।
शासन को ठीक से चलाने हेतु "सपरिषद आदेश" (Orders in Council) जारी करता है। ये सभी नियम तथा आदेश व्यवहार में उतने ही प्रभावी होते हैं जितना संसद द्वारा पारित कोई कानून।
3. **न्यायिक शक्तियाँ**—ब्रिटेन में सम्राट को न्याय का स्रोत (Fountain of Justice) माना जाता है। ब्रिटेन के सभी न्यायालय सम्राट के न्यायालय माने जाते हैं। सम्राट उच्च न्यायाधीशो, काउण्टियों तथा बोरो के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। सम्राट को क्षमादान प्रदान करने, दण्ड को कम करने तथा स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है। जो मुकदमे अधिराज्यों (Dominions) से प्रिवी काउन्सिल की न्यायिक समिति के सामने आते हैं उन सब मुकदमों के सम्बन्ध में न्यायिक समिति सम्राट को सिफारिशें करती है जिनके आधार पर अन्तिम निर्णय सम्राट के द्वारा ही लिया जाता है।
4. **विदेशी मामलों से सम्बन्धित शक्तियाँ**—ब्रिटेन की विदेश नीति का संचालन सम्राट के नाम से किया जाता है। दूसरे देशों के साथ सन्धियाँ तथा समझौते सम्राट के नाम से किये जाते है सम्राट को युद्ध तथा शान्ति की घोषणा करने की शक्ति प्राप्त है।
5. **विभिन्न उपाधियों का वितरण**—सम्राट सम्मान का स्रोत समझा जाता है। सम्राट ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने राज्य की महत्त्वपूर्ण सेवा की है या साहित्य, विज्ञान, आदि क्षेत्रों में विशेष योग्यता का परिचय दिया हो, को विभिन्न पद तथा उपाधि देकर सम्मानित करता है। जैसे सम्राट, लार्ड, नाइट, बेरन आदि उपाधियाँ प्रदान करता है।
6. **धार्मिक शक्तियाँ**—सम्राट इंग्लैण्ड के चर्च का अध्यक्ष है। चर्च के महत्त्वपूर्ण अधिकारियों जैसे आर्कबिशप, बिशपों आदि की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती है। चर्च की राष्ट्रीय सभा के द्वारा बनाये गये समस्त धार्मिक नियमों के सम्राट के पास स्वीकृति के लिए भेजे जाते हैं। सम्राट को ब्रिटेन में "धर्म का रक्षक" कहा जाता है।

सम्राट की वास्तविक स्थिति—ब्रिटिश सम्राट की विभिन्न शक्तियों का विश्लेषण करने के बाद कहा जा सकता है कि उसके पास व्यापक शक्तियाँ है परन्तु जब हम व्यवहार में ब्रिटिश सम्राट की शक्तियों का विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि सम्राट नाममात्र का कार्यपालिका प्रधान है तथा उसकी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिमण्डल करता है। वास्तविकता यह है जैसा कि मैरियट ने कहा कि "राजा शासक तो है पर अब वह शासन नहीं करता।" वह केवल संवैधानिक अध्यक्ष है। **हरमन फाइनर** के अनुसार, "ब्रिटिश राजा विशाल गगन चुम्बी वैभवपूर्ण अट्टालिका के समान है लेकिन वह राजनीतिक शक्ति से शून्य है।" वह अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद के परामर्शनुसार करता है। परम्पराओं के अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद का परामर्श उसके लिए बाध्यकारी होता है। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद के चयन में वह स्वतन्त्र नहीं होता है। कॉमन सभा में बहुमत दल के नेता को ही वह प्रधानमन्त्री के रूप में नियुक्त करता है तथा वे परामर्श से वह अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति करता है। अन्य उच्चाधिकारियों की नियुक्ति भी सम्राट प्रधानमन्त्री के परामर्शनुसार करता है। विधायी शक्तियों का प्रयोग भी वह प्रधानमन्त्री के परामर्शनुसार करता है। संसद में सम्राट द्वारा जो भाषण दिया जाता है उसे मन्त्रिमण्डल ही तैयार करता है। यदि सम्राट के भाषण को संसद अस्वीकृत कर दे तो यह मन्त्रीपरिषद के विरुद्ध अविश्वास माना जाता है और उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। संसद का अधिवेशन बुलाने तथा स्थगित करने तथा कॉमन सभा को भंग करने के सम्बन्ध में सम्राट को कोई स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं है। इस सम्बन्ध में प्रधानमन्त्री की इच्छा ही अन्तिम होती है। जहाँ तक संसद द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करने

TOUCH'n PASS

का प्रश्न है। पिछले 250 वर्षों से ब्रिटिश सम्राट ने किसी भी विधेयक को अस्वीकार नहीं किया। न्यायिक शक्तियों का प्रयोग भी वह मन्त्रिपरिषद के परामर्शनुसार करता है। अत: स्पष्ट है कि सम्राट केवल संवैधानिक अध्यक्ष है। सम्राट की वास्तविक स्थिति का अध्ययन निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है—

1. **सम्राट की असीमित शक्तियों का अन्त**—1649 तथा 1688 की क्रान्ति के बाद तथा विभिन्न समयों पर संसद द्वारा पारित विभिन्न अधिनियमों के बाद राजा की स्वेच्छाचारिता तथा असीमित शक्तियों का अन्त हो गया है तथा वह केवल नाममात्र का कार्यपालिका प्रधान बनकर रह गया है।
2. **राजा शासक तो है परन्तु वह शासन नहीं करता—मैरियट** के अनुसार, "ब्रिटिश सम्राट शासक तो है परन्तु वह शासन नहीं करता है। धीरे-धीरे शासन की समस्त शक्तियाँ सम्राट के हाथों से निकलकर क्राउन के हाथों में चली गयी है। ब्रिटेन में क्राउन का अर्थात् राजमुकुट का बहुत ही व्यापक अर्थ है। क्राउन एक ऐसी संस्था है जिसके अन्तर्गत प्रधानमन्त्री, मन्त्रिमण्डल, संसद तथा सम्राट आदि सभी आते हैं। वर्तमान में सम्राट की समस्त शक्तियों का प्रयोग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिमण्डल करता है।" **ब्राशर** ने ठीक ही लिखा है कि "सम्राट अब मात्र दर्शक बनकर रह गया है, व राजनीति के खेल में सक्रिय में भाग नहीं लेता।"
3. **सम्राट की शक्तियाँ पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई है**—अनेक विचारकों का मत है कि सम्राट की शक्तियाँ भले ही प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद के हाथों में चली गयी है परन्तु उसे नाममात्र का अध्यक्ष कहना उचित नहीं है। **बेजहॉट** (Begehot) के अनुसार, सम्राट के पास आज भी तीन अधिकार हैं; जैसे—
   (i) **परामर्श देने का अधिकार**—सम्राट मन्त्रिमण्डल को किसी भी विषय पर राष्ट्रहित में परामर्श दे सकता है। सम्राट के परामर्श की कोई भी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद अवहेलना करने का साहस नहीं कर सकता क्योंकि सम्राट निष्पक्ष व्यक्ति होता है तथा उस शासन का लम्बा अनुभव होता है।
   (ii) **अनुचित कार्यों के लिए चेतावनी देने का अधिकार**—यदि मन्त्रिमण्डल का किसी नीति या कार्य से राष्ट्रहित को हानि पहुँचाने की सम्भावना है तो सम्राट मन्त्रिमण्डल को चेतावनी दे सकता है। यद्यपि इस चेतावनी को स्वीकार करना या न करना मन्त्रिमण्डल की इच्छा पर निर्भर करता है परन्तु व्यवहार में मन्त्रिमण्डल सम्राट की चेतावनी को अस्वीकार करने का साहस नहीं करेगा क्योंकि सम्राट राष्ट्र का प्रतीक है तथा ब्रिटिश जनता सम्राट के प्रति विशेष सम्मान का भाव रखती है। यदि कोई प्रधानमन्त्री सम्राट की चेतावनी की अवहेलना करता है तो जनमत उसके विरुद्ध हो जाएगा।
   (iii) **प्रोत्साहन देने का अधिकार**—बेजहॉट के अनुसार, सम्राट अच्छे कार्यों के लिए मन्त्रिमण्डल को प्रोत्साहित कर सकता है। सम्राट के प्रोत्साहन का अर्थ होगा कि मन्त्रिमण्डल और भी अधिक उत्साह से कार्य करेगा तथा जनता का भी मन्त्रिमण्डल में विश्वास बढ़ेगा क्योंकि जनता जानती है कि राजा का निर्णय राष्ट्रहित में ही होता है। **बेजहॉट** के अनुसार, "एक बुद्धिमान राजा को इनके अतिरिक्त अन्य किन्हीं अधिकारों की आवश्यकता नहीं है।"
4. **वे परिस्थितियाँ जिनमें सम्राट सक्रिय भूमिका निभा सकता है**—कुछ विशेष परिस्थितियों में सम्राट राजनीति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जैसे प्रधानमन्त्री की नियुक्ति में। यद्यपि इंगलैण्ड में द्विदलीय प्रणाली है तथा चुनाव में किसी-न-किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो जाता है। परन्तु वर्तमान में ब्रिटेन में उदार दल एक तीसरे दल के रूप में विकसित हो रहा है। इसके परिणामस्वरूप हो सकता है कि भविष्य में किसी भी दल के स्पष्ट बहुमत न मिले। ऐसी परिस्थिति में सम्राट प्रधानमन्त्री की नियुक्ति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय चेम्बरलेन के स्थान पर चर्चिल के प्रधानमन्त्री बनाने में सम्राट ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी थी।

यदि प्रधानमन्त्री कॉमन सभा में बहुमत खो देता है तथा वह सम्राट को कॉमन सभा भंग करने का परामर्श दे देता है परन्तु ऐसी परिस्थिति में यदि सम्राट यह समझता है कि चुनाव कराये जाने राष्ट्रहित में नहीं है तथा दूसरा दल सरकार बना सकता है तो वह प्रधानमन्त्री के परामर्श को अस्वीकार करते हुए दूसरे व्यक्ति को प्रधानमन्त्री नियुक्ति कर सकता है।

अत: स्पष्ट है कि यद्यपि सम्राट की शासन सम्बन्धी समस्त शक्तियाँ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिमण्डल के हाथों में चली गयी है परन्तु आज भी ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में सम्राट का विशेष स्थान है। ब्रिटिश सम्राट एक साधारण व्यक्ति नहीं है। उसका पद एक श्रद्धा तथा सम्मान का पद है। उसे शासन का लम्बा अनुभव है तथा वह दलबन्दी की भावनाओं से ऊपर है। इन कारणों से ब्रिटिश शासन प्रणाली में सम्राट का विशेष स्थान बना हुआ है।

TOUCH in PASS

प्र.3. ब्रिटेन में राजा के पद की क्या उपयोगिता या औचित्य है? राजा के पद को समाप्त क्यों नहीं किया जाता? What is the justification of the Institution of Monarchy in England? Why is it not eliminated?

उत्तर ब्रिटिश शासन प्रणाली में सम्राट का पद बहुत ही श्रद्धा तथा सम्मान का पद माना जाता है। परन्तु कुछ विचारक राजा के पद को निरर्थक मानते हैं तथा अनेक आधारों पर वे इसे समाप्त करने का सुझाव देते हैं। परन्तु आलोचनाओं के बाद भी ब्रिटेन में सम्राट का पद बना हुआ है तथा ब्रिटिश जनता सम्राट के पद को समाप्त करने की पक्षधर नहीं है। 1949 में चार्ल्स प्रथम की हत्या के बाद ब्रिटेन में राजतन्त्र समाप्त हो गया था तथा संसद ने राजा के पद को समाप्त कर दिया था। संसद ने घोषणा की थी कि सम्राट का पद निरर्थक तथा खर्चीला है तथा इस पद से लोगों की स्वतन्त्रता तथा हितों को हानि होती है। इन कारणों से जनता सम्राट के पद को समाप्त किये जाने के पक्ष में नहीं है। इसी कारण से 1660 में पुन: सम्राट के पद की स्थापना हुई तथा तब से लेकर आज तक राजा का पद बना हुआ है।

सम्राट के पद के विरुद्ध तर्क
(Arguments against the Position of Emperor)

पद को समाप्त किये जाने का सुझाव दिया जाता है—

1. **सम्राट का पद निरर्थक है**—आलोचकों के अनुसार, "सम्राट के पद की शासन प्रणाली में कोई उपयोगिता नहीं है। क्योंकि यदि राजा प्रधानमन्त्री व मन्त्रिमण्डल के परामर्श की अवहेलना करता है तो वह लोकतन्त्र के मार्ग में बाधा बन जाता है यदि वह केवल प्रधानमन्त्री की इच्छानुसार ही शासन करता है तो इस पद की कोई उपयोगिता नहीं है।"
2. **पैतृक आधार पर आलोचना**—आलोचकों के अनुसर, "राजा पैतृक आधार पर पद ग्रहण करता है जो कि एक अलोकतान्त्रिक प्रक्रिया है तथा यह भी निश्चित नहीं है कि एक योग्य राजा का पुत्र भी योग्य ही होगा।"
3. **खर्चीला पद**—आलोचकों के अनुसार, "राजा का पद बहुत ही खर्चीला है अत: इसे समाप्त कर देना चाहिए।"
4. **लोकतन्त्र तथा राजतन्त्र साथ-साथ नहीं चल सकते**—राजा का पद राजतन्त्र का प्रतीक है। परन्तु ब्रिटेन में संसदीय लोकतन्त्र है ये दोनों प्रणाली एक दूसरे की विरोधी है। ये दोनों साथ-साथ नहीं चल सकती।

सम्राट के पद का औचित्य अथवा पक्ष में तर्क
(Justification or Argument in Favor of the Emperor's Position)

1. **ब्रिटिश जनता स्वभाव से रूढ़िवादी**—ब्रिटिश जनता स्वभाव से रूढ़िवादी तथा परम्परावादी है। वह अपनी प्राचीन सभ्यता संस्कृति तथा परम्पराओं से अत्यधिक लगाव रखती है। राजा का पद उनकी परम्पराओं का एक अनिवार्य अंग है। वह राजा के पद को बहुत ही श्रद्धा तथा सम्मान के साथ देखती है। राजा के पद को समाप्त करने की पक्षधर नहीं है। ब्रिटिश जनता 1649 से लेकर 1660 तक के काल को अपने इतिहास का एक काला धब्बा मानती है क्योंकि इस काल में राजा के पद को समाप्त कर दिया गया था। प्रसिद्ध **डरमोट** (Dermot) के अनुसार, "राजतन्त्र लोगों के जीवन का एक अभिन्न अंग हैं।"
2. **राष्ट्रीय एकता का प्रतीक**—सम्राट राष्ट्र की एकता का प्रतीक है क्योंकि वह दलबन्दी की भावनाओं से ऊपर होता है। वह किसी एक वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करता है अपितु सभी दलों तथा वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है।
3. **सम्राट शासन में निरन्तरता बनाये रखता है**—यदि प्रधानमन्त्री कॉमन सभा में बहुमत खो देने के कारण या अन्य किसी कारण से त्याग-पत्र दे दे तो सम्राट शासन में निरन्तरता बनाये रखने हेतु तुरन्त किसी नये व्यक्ति को प्रधानमन्त्री नियुक्त कर देता है या त्याग-पत्र देने वाले प्रधानमन्त्री को ही कामचलाऊ सरकार के रूप में तब तक कार्य करने के लिए कह सकता है जब तक कि स्थायी व्यवस्था न हो जाए।
4. **सम्राट राष्ट्रपति की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है**—यदि ब्रिटेन में सम्राट के पद को समाप्त भी कर दिया जाए तो उसकी जगह किसी अन्य पद का सर्जन करना पड़ेगा तथा सम्राट का विकल्प जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुना हुआ राष्ट्रपति ही हो सकता है। यदि सम्राट के पद को समाप्त कर राष्ट्रपति का पद सर्जित कर दिया गया तो कोई लाभ नहीं होगा। दूसरे राष्ट्रपति की तुलना में सम्राट अधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि वह दलबन्दी की भावनाओं से ऊपर होता है तथा उसे शासन का लम्बा अनुभव होता है तथा वह दलबन्दी की भावनाओं से ऊपर होता है। उसके सुझाव सदैव राष्ट्रपति में होते हैं।

TOUCH 'n' PASS

5. **राजा का पद एक अच्छा आय का स्रोत**—यह तर्क कि सम्राट का पद एक खर्चीला पद है, उचित है। क्योंकि प्रथम बात तो यह है कि प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्र अध्यक्ष पर भारी खर्चा करता है क्योंकि वह राष्ट्र का प्रतीक है। इतना ही नहीं ब्रिटेन में तो राजा का पद आय का स्रोत बन गया है क्योंकि प्रत्येक वर्ष भारी संख्या में विभिन्न देशों के पर्यटक शाही महल की रौनक को देखने के लिए आते हैं जिससे सरकार की अच्छी आय हो जाती है।
6. **राजतन्त्र लोकतन्त्र के मार्ग में कभी बाधा नहीं बना**—यद्यपि राजतन्त्र तथा लोकतन्त्र एक दूसरे की विरोधी शासन प्रणाली है परन्तु ब्रिटेन में सम्राट जो कि राजतन्त्र का प्रतीक है ने कभी भी लोकतन्त्र के मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं की। सम्राट ने अपने आपको समय तथा परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लिया है। आज सम्राट केवल नाममात्र का कार्यपालिका अध्यक्ष रह गया है। वह प्रधानमन्त्री व मन्त्रिमण्डल के परामर्श के अनुसार ही कार्य करता है।
   अत: जब सम्राट के लोकतन्त्र के मार्ग में कोई बाधा ही उत्पन्न नहीं है तो इस पद को समाप्त करने का कोई औचित्य नहीं है। **प्रो० बार्कर** ने उचित ही कहा है कि "सम्राट का पद प्रगति के मार्ग में बाधक नहीं रहा है।"

प्र.4. ब्रिटेन के मन्त्रिमण्डल के उद्भव तथा विकास पर प्रकाश डालिए।
Trace the growth of British Cabinet.

उत्तर ब्रिटिश शासन प्रणाली में मन्त्रिमण्डल विकास का परिणाम है। मन्त्रिमण्डल का जन्म प्रिवी कौंसिल से हुआ है। प्रिवी कौंसिल का मुख्य कार्य राजा को शासन चलाने के सम्बन्ध में परामर्श देना था। इसके सदस्य राजा द्वारा नियुक्त किये जाते थे तथा वे उसी के प्रति उत्तरदायी थे। परन्तु धीरे-धीरे प्रिवी कौंसिल का आकार इतना बढ़ गया कि वह अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर सकती थी। राजा के लिए यह सम्भव नहीं था कि वह सभी सदस्यों से सलाह ले सके। अत: चार्ल्स II ने प्रिवी कौंसिल के सब सदस्यों के बजाय केवल इसके कुछ मुख्य सदस्यों से सलाह लेनी शुरू कर दी। इन कुछ व्यक्तियों को "कबाल" (Cabal) नामक संस्था के नाम से पुकारा जाने लगा। कबाल शब्द की उत्पत्ति सदस्यों के नाम के प्रथम अक्षर को मिलाने से हुई। इसके सदस्यों के नाम थे, **कलीफोर्ड** (Califford), **एशले** (Ashley), **बकिंघम** (Buckingham), **अर्लिंगटन** (Arlington) तथा **लैडरडेल** (Lauderdale)। इसी कबाल को बाद में कैबिनेट के नाम से पुकारा गया। प्रारम्भ में इस कैबिनेट के मन्त्री राजा द्वारा नियुक्त किये जाते थे तथा वे उसी के प्रति उत्तरदायी होते थे। परन्तु मन्त्रिमण्डलात्मक प्रणाली के विकास के लिए आवश्यक था कि मन्त्री अपने कार्यों के लिए राजा के प्रति नहीं अपितु संसद के प्रति उत्तरदायी हो। संसद ने चार्ल्स-II के शासन काल में ही इस सिद्धान्त की स्थापना कर दी। संसद ने एक मन्त्री डैनबी पर महाभियोग चलाकर उसे हटा दिया।

केवल एक राजनीतिक दल के सदस्यों से बनी कैबिनेट—विलियम III ने गद्दी पर बैठते ही अपना मन्त्रिमण्डल व्हिग पार्टी (Whig Party) तथा टोरी पार्टी (Tory Party) दोनों को मिलाकर बनाया। परन्तु विलियम III को शीघ्र ही यह अनुभव हो गया कि टोरी दल के सदस्य उसकी आलोचना करते हैं। अत: शासन को चलाना कठिन हो गया क्योंकि मन्त्रियों को अपनी इच्छानुसार कानून के निर्माण हेतु संसद के समर्थन की आवश्यकता रहती थी। इसी कारण सम्राट विलियम III इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि सभी उस दल के होने चाहिए जिसका संसद में बहुमत हो। 1696 में विलियम III ने अपनी कैबिनेट में केवल व्हिग दल के लोगों को ही शामिल किया क्योंकि उन दिनों कॉमन सभा में इसी दल का बहुमत था।

कैबिनेट का वास्तविक विकास—कैबिनेट का वास्तविक विकास चार्ज I (1714-1727) तथा जार्ज II (1727-1760) के शासन काल में हुआ। ये दोनों सम्राट जर्मनी मूल के थे तथा अंग्रेजी भाषा व राजनीति से अनभिज्ञ थे। अत: उन्होंने मन्त्रिमण्डल की बैठकों में भाग लेना छोड़ दिया। इनकी अनुपस्थिति में सबसे वरिष्ठ मन्त्री ने मन्त्रिमण्डल की बैठकों की अध्यक्षता करनी प्रारम्भ कर दी तथा कुछ समय बाद वह प्रधानमन्त्री कहलाया। राबर्ट वालपोल पहला प्रधानमन्त्री था। वालपोल ने मन्त्रिमण्डल प्रणाली के महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तों की नींव रखी। जैसे 1730 में वालपोल ने टाउनसेण्ड को मन्त्रिमण्डल से त्याग-पत्र देने के लिए बाध्य कर दिया क्योंकि वह उसकी नीतियों से असहमत था। इससे इस सिद्धान्त की स्थापना हुई कि कोई भी मन्त्री प्रधानमन्त्री की नीतियों का विरोध करने पर मन्त्रिमण्डल में नहीं रह सकता।

1742 में वालपोल ने प्रधानमन्त्री पद से इसलिए त्याग-पत्र दे दिया क्योंकि कॉमन सभा में उसके दल का बहुमत नहीं रहा था। इससे यह सिद्धान्त स्थापित हो गया कि प्रधानमन्त्री तभी तक अपने पद पर रह सकता है जब तक उसे कॉमन सभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त रहे। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वालपोल के त्याग-पत्र देने के साथ ही समस्त मन्त्रिमण्डल ने त्याग-पत्र दे दिया था। यहीं से सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त की स्थापना हुई।

अत: 18वीं सदी तक मन्त्रिमण्डलीय प्रणाली की दो मुख्य विशेषताएँ विकसित हो गयी थी जैसे मन्त्रिमण्डल में प्रधानमन्त्री का स्थान सर्वोपरि है। यदि कोई मन्त्री उसकी नीतियों से असहमत है तो उसे मन्त्रिमण्डल से हटना पड़ेगा तथा मन्त्री परिषद कॉमन

TOUCH in PASS

सभा के प्रति उत्तरदायी है। मन्त्री तभी तक अपने पद पर रह सकते हैं जब तक उन्हें कॉमन सभा का विश्वास प्राप्त हो। 19वीं सदी में ये सिद्धान्त और अधिक सुदृढ़ हुए।

20वीं सदी में मन्त्रिमण्डल के कार्यों में वृद्धि के कारण मन्त्रिमण्डलीय समितियों का प्रचलन प्रारम्भ हुआ। प्रथम विश्व युद्ध (1914-1918) में मन्त्रिमण्डलीय प्रणाली में कुछ नये विकास हुए। संकटकाल का भली-भाँति मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय मन्त्रिमण्डलों की स्थापना का आरम्भ हुआ अर्थात् ऐसे मन्त्रिमण्डल जिनमें सभी दलों के प्रतिनिधि हो। बीसवीं सदी में मन्त्रिमण्डल सचिवालय की स्थापना हुई।

1923 में यह परम्परा स्थापित हो गयी कि प्रधानमन्त्री कॉमन सभा का ही सदस्य होगा लार्ड सभा का नहीं। अत: कैबिनेट प्रणाली विकसित हो रही थी परन्तु अभी पूर्ण रूप से विकसित नही हो पायी थी। प्रधानमन्त्री का पद कानूनी रूप से स्वीकृत नहीं हुआ था वह ट्रेजरी के प्रथम लार्ड के नाम से पुकारा जाता था। 1937 में क्राउन एक्ट पारित हुआ जिसके द्वारा प्रधानमन्त्री के पद को वैधानिक मान्यता प्रदान की गयी। इसी एक्ट के द्वारा विरोधी दल के नेता को भी कानूनी स्थिति प्रदान की गयी।

प्र.5. ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल की रचना तथा संगठन पर प्रकाश डालिए।

Discuss the composition and organisation of British council of ministers.

उत्तर ब्रिटेन में मन्त्रिमण्डल ही वास्तविक कार्यपालिका है। यद्यपि सिद्धान्त में ब्रिटेन शासन तो राजा के नाम पर चलता है परन्तु वास्तविकता यह है कि राजा अपने समस्त कार्य मन्त्रिमण्डल के परामर्श के अनुसार करता है।

मन्त्रिमण्डल का निर्माण
(Formation of Cabinet)

मन्त्रिमण्डल का निर्माण औपचारिक रूप से राजा द्वारा किया जाता है। मन्त्रिमण्डल का केन्द्र-बिन्दु प्रधानमन्त्री है। प्रधानमन्त्री की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती है। परन्तु सम्राट उसी व्यक्ति को प्रधानमन्त्री के पद पर नियुक्त करता है जो कॉमन सभा में बहुमत दल का नेता होता है। जहाँ तक मन्त्रियों की नियुक्ति का प्रश्न है, प्रधानमन्त्री जिन नामों की सूची सम्राट को दे देता है उन्हीं की नियुक्ति सम्राट कर देता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है मन्त्रियों की सूची बनाते समय प्रधानमन्त्री मुख्यत: चार बातों को ध्यान में रखता है जैसे दल में एकता बनाये रखने के लिए प्रधानमन्त्री दल के महत्त्वपूर्ण नेताओं को मन्त्रिमण्डल में शामिल करता है। दूसरे मन्त्रिमण्डल में उद्योग, कृषि, मजदूर यूनियन, सहकारिता आन्दोलन से जुड़े लोगों को शामिल किया जाता है। तीसरे मन्त्रिमण्डल का गठन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि देश के सभी भागों तथा क्षेत्रों को इसमें प्रतिनिधित्व मिले। चौथे मन्त्रिमण्डल में लार्ड सभा के भी कुछ सदस्यों को शामिल किया जाता है। इनके अतिरिक्त मन्त्रियों की नियुक्ति के समय प्रधानमन्त्री योग्यता के तत्त्व को भी ध्यान में रखता है।

प्रधानमन्त्री ही इस बात का निर्धारण करता है कि कौन-सा विभाग किस मन्त्री को देना है।

1. **मन्त्रिमण्डल का आकार**—मन्त्रिमण्डल का आकार निश्चित नहीं रहा है यह परिस्थितियों की आवश्यकतानुसार तथा प्रधानमन्त्री की इच्छानुसार बदलता रहा है। सामान्यत: मन्त्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या 70 से लेकर 90 तक होती है। परन्तु इनमें से मन्त्रिमण्डल के सदस्यों की संख्या 20 से 22 के बीच होती है।
2. **मन्त्रियों की श्रेणियाँ**—ब्रिटेन में मन्त्रियों की निम्न श्रेणियाँ हैं—
   (i) **कैबिनेट मन्त्री**—ये अपने-अपने विभागों के अध्यक्ष होते हैं तथा इनका दर्जा सबसे ऊपर होता है।
   (ii) बिना विभागीय मन्त्री जैसे लार्ड प्रिवीसील, लार्ड प्रेसीडेन्ट ऑफ काउन्सिल।
   (iii) लार्ड चान्सलर
   (iv) राज्य मन्त्री
   (v) उपमन्त्री।

   नीति निर्माण का कार्य कैबिनेट मन्त्रियों द्वारा किया जाता है। अन्य मन्त्री उनके सहायक के रूप में कार्य करते हैं।
3. **मन्त्रिमण्डल की बैठकें**—मन्त्रिमण्डल की बैठक प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता में एक या दो बार होती है तथा वही बैठक की कार्यसूची तैयार करता है।
4. **मन्त्रिमण्डल की अवधि**—मन्त्रिमण्डल की अवधि अनिश्चित होती है। वह तभी तक अपने पद पर रहती है जब तक कि उसे कॉमन सभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहता है। जिस दिन कॉमन सभा मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर देती हैं उसी दिन उसे त्याग-पत्र देना पड़ेगा।

TOUCH'n PASS

5. **मन्त्रिमण्डल की समितियाँ**—आजकल मन्त्रिमण्डल का कार्य बहुत अधिक बढ़ गया है अत: वह अपना समस्त कार्य स्वयं नहीं कर सकता। इसलिए मन्त्रिमण्डल अनेक स्थायी तथा अस्थायी समितियों का गठन करता है जिनके द्वारा वह अपना कार्य करता है। मुख्य स्थायी समितियाँ हैं जैसे विधान समिति, प्रतिरक्षा समिति, उत्पादन समिति तथा आर्थिक नीति समिति आदि।
6. **कैबिनेट सचिवालय**—प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मन्त्रिमण्डल के कार्य बढ़ जाने के कारण कैबिनेट सचिवालय की स्थापना की गयी जो कैबिनेट सचिव की देखरेख में कार्य करता है। सचिवालय के मुख्य कार्य हैं—मन्त्रिमण्डल की बैठकों के कार्य-विवरण को सुरक्षित रखना, कैबिनेट के निर्णयों को सम्बन्धित अधिकारियों तक पहुँचाना तथा मन्त्रियों के पास कार्यसूची तथा आवश्यक प्रपत्र भेजना आदि। सचिवालय में 20-22 लोगों का एक ऐसा स्टाफ होता है जो विज्ञान, अर्थशास्त्र तथा वाणिज्य क्षेत्र में विशेष योग्यता रखता है। इन्हें बुद्धि सरोवर (Think Tank) की संज्ञा दी जाती है। ये मन्त्रिमण्डल को अपने महत्त्वपूर्ण सुझाव भी देते रहते हैं।

प्र.6. ब्रिटेन में मन्त्रिमण्डल की शक्तियों तथा कार्यों पर प्रकाश डालिए।

Discuss the powers and functions of the cabinet in England.

अथवा **''ब्रिटेन में मन्त्रिमण्डल राजनीतिक भवन रूपी मेहराब की आधारशिला है।'' व्याख्या करें।**

"British Cabinet is the key stone of the political arch." Discuss.

अथवा **क्या ब्रिटेन में मन्त्रिमण्डल की तानाशाही स्थापित हो गयी है?**

Has Cabinet in England established its dictatorship?

उत्तर ब्रिटेन में मन्त्रिमण्डल वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त शासन तन्त्र घूमता है। **सरजॉन मेरियट** ने मन्त्रिमण्डल की भूमिका का महत्त्व बताते हुए कहा है कि ''मन्त्रिमण्डल एक धुरी है जिसके चारों ओर समस्त राजनीतिक मशीनरी घूमती है।'' इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए **लॉवेल** ने मन्त्रिमण्डल को **''राजनीतिक मेहराब की आधारशिला कहा है।''** मन्त्रिमण्डल शासन को गति देने वाला यन्त्र है जो राष्ट्र की आन्तरिक तथा बाह्य नीति का निर्माण करता है। **रेम्जे म्योर** ने तो शासन में मन्त्रिमण्डल के महत्त्व को देखते हुए यहाँ तक कह दिया कि ''ब्रिटेन में मन्त्रिमण्डल की तानाशाही है।''

मन्त्रिमण्डल की शक्तियाँ—बीसवीं सदी में मन्त्रिमण्डल की शक्तियों में व्यापक वृद्धि हुई है इसकी निम्न शक्तियाँ हैं—

1. **नीति का निर्माण करना**—मन्त्रिमण्डल राष्ट्र की आन्तरिक तथा बाह्य नीति का निर्धारण करता है। वह युद्ध तथा शान्ति के प्रश्नों पर निर्णय लेता है। सम्राट द्वारा संसद में दिये जाने वाले भाषणों को मन्त्रिमण्डल ही तैयार करता है।
2. **प्रशासनिक कार्य**—मूलत: मन्त्रिमण्डल का कार्य संसद द्वारा निर्मित कानूनों को लागू करना है। मन्त्रिमण्डल के सदस्य शासन के विभिन्न विभागों जैसे रक्षा, वाणिज्य, वित्त आदि के अध्यक्ष होते हैं। वे अपने-अपने विभागों से सम्बन्धित नीतियों व कानूनों को लागू करने के लिए उत्तरदायी हैं। सम्राट द्वारा की जाने वाली महत्त्वपूर्ण नियुक्तियाँ मन्त्रिमण्डल के परामर्श पर ही की जाती है।
3. **विभिन्न मामलों की जाँच पड़ताल करना**—मन्त्रिमण्डल की अनेक समितियाँ होती हैं; जैसे—प्रतिरक्षा समिति (Defence Committee), आर्थिक योजना समिति (Economic Policy Committee) आदि।
4. **विधायी शक्तियाँ**—वर्तमान में विधायी क्षेत्र में मन्त्रिमण्डल की शक्तियों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। आज मन्त्रिमण्डल का संसद की कार्यप्रणाली पर पूर्ण नियन्त्रण हो गया है। आज मन्त्रिमण्डल ही संसद की समय सारणी निर्धारित करता है तथा संसद का अधिवेशन कब होगा, कितने समय तक होगा इसका निर्धारण भी मन्त्रिमण्डल ही करता है। संसद में अधिकांश विधेयक मन्त्रिमण्डल द्वारा ही प्रस्तुत किये जाते हैं तथा जिस रूप में मन्त्रिमण्डल विधेयक प्रस्तुत कर देता है, उसी रूप में वे पारित हो जाते हैं; क्योंकि कॉमन सभा में मन्त्रिमण्डल के दल का बहुमत होता है।
5. **वित्तीय शक्तियाँ**—वित्तीय क्षेत्र में भी मन्त्रिमण्डल का पूर्ण नियन्त्रण स्थापित हो गया है। मन्त्रिमण्डल ही बजट का निर्माण करता है, नए करो का निर्धारण तथा पुराने करों में संशोधन आदि मन्त्रिमण्डल ही करता है।
6. **पार्टी सम्बन्धी कार्य**—वर्तमान में मन्त्रिमण्डल न केवल शासन सम्बन्धी कार्यकर्ता है अपितु मन्त्रीमण अपनी पार्टी का संचालन भी करते हैं। मन्त्री अपनी पार्टी के महत्त्वपूर्ण सदस्य होते हैं। वे अपनी पार्टी की नीतियों का निर्धारण करने तथा चुनाव के समय टिकटों के वितरण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं।

TOUCH 'n' PASS

अत: स्पष्ट है कि ब्रिटेन में मन्त्रिमण्डल की शक्तियाँ बहुत ही व्यापक है तथा दिन प्रतिदिन उनका विस्तार होता जा रहा है। इसी कारण यह कहा जाने लगा है कि ब्रिटेन में मन्त्रिमण्डल की तानाशाही स्थापित हो गई है।

मन्त्रिमण्डल की तानाशाही का प्रश्न

ब्रिटेन में मन्त्रिमण्डल की शक्तियों में व्यापक रूप से वृद्धि है। इसी आधार पर अनेक विचारक यह तर्क देते हैं। कि ब्रिटेन में मन्त्रिमण्डल की तानाशाही स्थापित हो गई है। उनके अनुसार 19वीं सदी के वे दिन समाप्त हो गए जब संसद अपनी इच्छा से मन्त्रिमण्डल को हटाती थी तथा मन्त्रिमण्डल पर नियन्त्रण रखती थी। परन्तु आज मन्त्रिमण्डल संसद पर नियन्त्रण रखती है। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद मन्त्रिमण्डल की शक्तियों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इसी कारण रेम्जेम्योर जैसे लेखकों ने मन्त्रिमण्डल की तानाशाही की चर्चा की है। **मुनरों** के अनुसार, ''आज कॉमनसभा केबिनेट पर नियन्त्रण नहीं रखती बल्कि केबिनेट ही कॉमन सभा पर नियन्त्रण रखती है।'' मन्त्रिमण्डल की शक्तियों में वृद्धि के निम्न कारण हैं—

1. **कठोर दलीय अनुशासन**—कठोर दलीय अनुशासन के कारण मन्त्रिमण्डल हमेशा अपनी नीतियों के लिए अपने दल के सदस्यों का संसद के अन्दर समर्थन प्राप्त कर लेता है। संसद के अन्दर कोई भी दल का सदस्य मन्त्रिमण्डल की नीतियों का विरोध नहीं कर सकता। क्योंकि यदि कोई सदस्य ऐसा करता है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है तथा आने वाले चुनाव में उसका टिकट काट दिया जाता है। इस कारण दल का प्रत्येक सदस्य मन्त्रिमण्डल का समर्थन करता है।
2. **संसद के पास समय तथा विशेष जानकारी का अभाव**—आधुनिक युग में लोकल्याणकारी राज्य की धारणा के विकसित होने के कारण संसद के कार्यों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। आज संसद के पास इतना समय नहीं रहा तथा न ही उसके पास इतनी जानकारी होती कि वह प्रत्येक कानून को ठीक से बना सकें। उसे प्रत्येक पल मन्त्रियों के सहयोग तथा नेतृत्व की आवश्यकता होती है। आज ब्रिटेन में अधिकांश विधेयक मन्त्रियों द्वारा ही प्रस्तुत किये जाते हैं।
3. **प्रदत्त विधायन**—वर्तमान में प्रदत्त विधायन के कारण भी मन्त्रिमण्डल की शक्तियों में वृद्धि हुई है। आज संसद के पास इतना समय नहीं रहा कि वह प्रत्येक कानून को विस्तार से पारित कर सके। इस कारण वह कानून की रूप रेखा को पारित कर देती है तथा शेष बातें मन्त्रिमण्डल पर छोड़ देती है।
4. **संसद की समय सारणी पर मन्त्रिमण्डल का नियन्त्रण**—संसद का अधिवेशन कब होना है, कब समापन होना है, कौन-सा विधेयक कब संसद में प्रस्तुत होना है तथा विधेयक पर कितने समय चर्चा होगी इन सब बातों का निर्धारण मन्त्रिमण्डल ही करता है। इन कारणों से मन्त्रिमण्डल की शक्तियों में अत्यधिक वृद्धि हुई है।
5. **कॉमन सभा को भंग करने की शक्ति**—मन्त्रिमण्डल के पास एक महत्त्वपूर्ण शक्ति यह है कि यदि कॉमन सभा मन्त्रिमण्डल की नीतियों का निरन्तर विरोध करती है तो वह सम्राट को कॉमन सभा भंग करने का परामर्श दे सकती है तथा नये चुनाव करा सकती है। चुनाव के भय के कारण संसद सदस्य मन्त्रिमण्डल का समर्थन करते हैं। इन सब कारणों से मन्त्रिमण्डल की शक्तियों में व्यापक रूप से वृद्धि हुई है।

मन्त्रिमण्डल को तानाशाह नहीं कहा जा सकता
(The Cabinet Cannot be called a Dictator)

यद्यपि मन्त्रिमण्डल की शक्तियों में व्यापक रूप से वृद्धि हुई है परन्तु निम्न कारणों से मन्त्रिमण्डल को तानाशाह नहीं कहा जा सकता है; जैसे—

1. **विपक्षी दल की भूमिका**—ब्रिटेन में संसद के अन्दर विपक्षी दल बहुत ही शक्तिशाली भूमिका निभाता है। वह सरकार की प्रत्येक गलत नीति की आलोचना करता है तथा उसे निरंकुश बनने से रोकता है। ब्रिटेन में विपक्षी दल के नेता को वेतन के अतिरिक्त 12 हजार पौंड इसलिए दिये जाते हैं, ताकि वह सशक्त रूप से शक्तिशाली विपक्ष की भूमिका निभा सकें।
2. **मन्त्रिमण्डल कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी**—मन्त्रिमण्डल अपनी प्रत्येक नीति तथा कार्य के लिए कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यदि कॉमन सभा मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर देती है तो मन्त्रिमण्डल को अपने पद से त्याग-पत्र देना पड़ेगा। जहाँ तक मन्त्रिमण्डल द्वारा कॉमन सभा को भंग करने का प्रश्न है यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यदि मन्त्रिमण्डल कॉमन सभा को भंग करवाती है तो साथ ही मन्त्रिमण्डल भी समाप्त हो जाती है।

TOUCH n PASS

3. **समाचार-पत्रों एवं जनमत का नियन्त्रण**—ब्रिटिश जनता बहुत ही जागरूक है। वह अपने अधिकारों के प्रति बहुत ही सचेत है। यदि मन्त्रिमण्डल कोई जनविरोधी कार्य करता है तो जनमत उसके विरुद्ध हो जाते हैं तथा चुनाव में उसे पराजित कर देंगे। ब्रिटेन में समाचार-पत्र भी सरकार के ऊपर नियन्त्रण रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समाचार-पत्र सरकार की दुर्बलताओं तथा उसके गलत कार्य की निरन्तर आलोचना करते हैं तथा जनता का ध्यान आकर्षित करते हैं।
4. **ब्रिटिश जनता स्वभाव से उदारवादी तथा लोकतन्त्र समर्थक**—ब्रिटिश जनता स्वभाव से लोकतान्त्रिक मूल्यों की समर्थक है। वह निरंकुशतन्त्र को कभी भी सहन नहीं करती। अत: यह बात तो उचित है कि 20वीं सदी में मन्त्रिमण्डल की शक्तियों में व्यापक रूप से वृद्धि हुई है परन्तु यहाँ यह कहना उचित नहीं है कि ब्रिटेन में मन्त्रिमण्डल की तानाशाही स्थापित हो गयी है; क्योंकि मन्त्रिमण्डल के ऊपर विपक्षी दल, समाचार-पत्रों तथा जनमत आदि का नियन्त्रण बना रहता है।

प्र.7. ब्रिटिश प्रधानमन्त्री की शक्तियों तथा स्थिति पर प्रकाश डालिए।

Discuss the powers and position of British prime-minister.

अथवा **''ब्रिटिश प्रधानमन्त्री सितारों में चमकता हुआ चाँद है–सर विलियम हरकोर्ट'' इस कथन की व्याख्या करें।**

"British Prime-minister is a shining moon among stars." Discuss.

अथवा **''प्रधानमन्त्री मन्त्रिमण्डल रूपी मेहराब का शीर्षस्थ पत्थर है–लार्ड मार्ले'' इस कथन की व्याख्या करें।**

"The British Prime-minister is the keystone of the cabinet arch." Discuss.

उत्तर ब्रिटिश प्रधानमन्त्री शासन का केन्द्र-बिन्दु है। प्रधानमन्त्री ही वास्तविक कार्यपालिका प्रधान है। यद्यपि सिद्धान्त रूप में ब्रिटेन में कार्यपालिका शक्तियाँ सम्राट में निहित है। परन्तु व्यवहार में इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमन्त्री ही करता है। संवैधानिक स्थिति यह है कि प्रधानमन्त्री सम्राट को शासन सम्बन्धी कार्यों में परामर्श देता है परन्तु व्यवहार में सम्राट कभी भी प्रधानमन्त्री के परामर्श की अवहेलना नहीं कर सकता। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रधानमन्त्री की शक्तियों में इतनी अधिक वृद्धि हुई है कि क्रासमैन जैसे लेखकों ने यहाँ तक कह दिया कि ब्रिटेन में प्रधानमन्त्री शासन प्रणाली स्थापित हो गयी है।

प्रधानमन्त्री की शक्तियाँ
(Powers of Prime Minister)

प्रधानमन्त्री के पास व्यापक शक्तियाँ हैं। उसकी वास्तविक स्थिति तथा शक्तियों का अध्ययन करने के लिए प्रधानमन्त्री के सम्राट, मन्त्रिमण्डल तथा संसद के साथ सम्बन्धों का अध्ययन किया जाना आवश्यक है—

1. **ब्रिटिश प्रधानमन्त्री सम्राट का मुख्य परामर्शदाता**—ब्रिटिश सम्राट राष्ट्र का अध्यक्ष है तथा वह नाममात्र का कार्यपालिका प्रधान है। प्रधानमन्त्री शासन का अध्यक्ष तथा वास्तविक कार्यपालिका प्रधान है। औपचारिक रूप से सम्राट प्रधानमन्त्री की नियुक्ति करता है तथा उसे पद से भी हटा सकता है। परन्तु व्यवहार में न तो अपनी इच्छा से प्रधानमन्त्री की नियुक्ति करता है तथा न ही अपनी इच्छा से उसे पद से हटा सकता है।

   ब्रिटिश सम्राट प्रधानमन्त्री के परामर्श से कार्य करता है। यदि वह प्रधानमन्त्री के परामर्श की अवहेलना करता है तो प्रधानमन्त्री अपने पद से त्याग-पत्र दे सकता है। ऐसी स्थिति में सम्राट के लिए शासन चलाना असम्भव हो जाएगा।

   प्रधानमन्त्री सम्राट तथा मन्त्रिमण्डल के बीच कड़ी का कार्य करता है। प्रधानमन्त्री सम्राट को समय-समय पर शासन सम्बन्धी जानकारी देता रहता है। इसके अतिरिक्त मन्त्रिमण्डल जो भी निर्णय लेता है उसकी सूचना भी प्रधानमन्त्री ही सम्राट तक पहुँचाता है। सम्राट भी यदि मन्त्रिमण्डल को कोई परामर्श देना चाहता है तो वह प्रधानमन्त्री के माध्यम से ही मन्त्रिमण्डल तक पहुँचाता है।

   प्रधानमन्त्री के परामर्श से ही सम्राट महत्त्वपूर्ण नियुक्तियाँ जैसे—विदेशों में राजदूतों, न्यायाधीशों तथा मन्त्रियों आदि की नियुक्तियाँ करता है।

   सम्राट राष्ट्रमण्डल की गतिविधियों का संचालन तथा राष्ट्रमण्डल के सदस्य राष्ट्रों की यात्रा आदि का निर्धारण प्रधानमन्त्री के परामर्श से ही करता है।

   अत: स्पष्ट है कि वास्तविक रूप से सम्राट की शक्तियों का प्रयोग प्रधानमन्त्री करता है।
2. **प्रधानमन्त्री मन्त्रिमण्डल का आधार स्तम्भ तथा केन्द्र-बिन्दु**—ब्रिटेन में प्रधानमन्त्री एक ऐसा स्तम्भ है जिसके ऊपर पूरा मन्त्रिमण्डल टिका हुआ है। एक युग था जब प्रधानमन्त्री की स्थिति समान लोगों के बीच प्रथम थी परन्तु आज यह बात

TOUCH-n-PASS

बीते दिनों की बनकर रह गयी है। आज मन्त्रिमण्डल में प्रधानमन्त्री की स्थिति समान लोगों के बीच प्रथम ही न रहकर नक्षत्रों के बीच चन्द्रमा के समान हो गयी है। आज प्रधानमन्त्री का मन्त्रिमण्डल पर पूर्ण नियन्त्रण स्थापित हो गया है। **लास्की** के अनुसार, "प्रधानमन्त्री मन्त्रिमण्डल का केन्द्र-बिन्दु है। वह उसके निर्माण, उसके जीवन और उसके अन्त में केन्द्रीय स्थिति रखता है।" **जानमार्ले** ने प्रधानमन्त्री को मन्त्रिमण्डल की मेहराब की आधारशिला कहा है। प्रधानमन्त्री की मन्त्रिमण्डल के बीच निम्न स्थिति है—

(i) **मन्त्रिमण्डल का निर्माण**—मन्त्रिमण्डल के गठन में प्रधानमन्त्री की निर्णायक भूमिका होती है। प्रधानमन्त्री जिन व्यक्तियों के नाम मन्त्रिपद के लिए सम्राट को भेजता है, सम्राट उन्हीं की नियुक्ति कर देता है। किस व्यक्ति को मन्त्रिमण्डल में शामिल करना है किसको नहीं यह निर्णय प्रधानमन्त्री ही लेता है। मन्त्रियों के बीच विभागों का वितरण भी प्रधानमन्त्री द्वारा ही किया जाता है। यह ठीक है कि प्रधानमन्त्री अपने दल में एकता बनाये रखने के लिए दल के महत्त्वपूर्ण नेताओं को मन्त्रिमण्डल में स्थान देता है परन्तु फिर भी मन्त्रिमण्डल के गठन में प्रधानमन्त्री का निर्णय अन्तिम होता है।

(ii) **मन्त्रियों को हटाया जाना**—यदि कोई मन्त्री अयोग्य है या प्रधानमन्त्री की नीतियों से असहमत है तो प्रधानमन्त्री उसे मन्त्रिमण्डल से हटा देता है; जैसे—1962 में प्रधानमन्त्री मैकमिलन ने एक साथ सात मन्त्रियों को मन्त्रिमण्डल से निकाल दिया था। क्योंकि उनका प्रधानमन्त्री के साथ मतभेद था।

(iii) **प्रधानमन्त्री मन्त्रिमण्डल की बैठकों की अध्यक्षता करता है**—प्रधानमन्त्री मन्त्रिमण्डल की बैठक बुलाता है तथा उसकी अध्यक्षता करता है तथा यह निर्धारित करता है कि बैठकों में किन-किन बातों पर विचार होना है।

(iv) **नीति निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका**—शासन की नीतियों के निर्माण में प्रधानमन्त्री की भूमिका निर्णायक होती है। अनेक बार तो प्रधानमन्त्री स्वयं ही नीति सम्बन्धी निर्णय लेता है तथा बाद में उसकी सूचना मन्त्रिमण्डल को देता है।

(v) **विभिन्न विभागों में तालमेल स्थापित करना**—राष्ट्र के विकास के लिए विभिन्न विभागों में तालमेल तथा समन्वय होना अति आवश्यक है। प्रधानमन्त्री ही विभिन्न विभागों के बीच तालमेल स्थापित करता है। यदि विभिन्न विभागों के बीच कोई विवाद है तो उसका निपटारा भी प्रधानमन्त्री ही करता है।

(vi) **मन्त्रिमण्डल का अन्त**—यदि प्रधानमन्त्री स्वयं त्याग-पत्र दे देता है तो उसके त्याग-पत्र के साथ ही पूरी मन्त्रिमण्डल भी भंग हो जाएगी।

इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रधानमन्त्री मन्त्रिमण्डल का आधार स्तम्भ है तथा उसकी इन व्यापक शक्तियों के कारण ही ब्रिटिश शासन प्रणाली को प्रधानमन्त्रीय शासन प्रणाली के नाम से पुकारा जाता है।

3. **संसद में प्रधानमन्त्री की भूमिका**—ब्रिटिश सम्राट प्रधानमन्त्री के परामर्श से ही संसद का अधिवेशन बुलाता है तथा समापन करता है। संसद में अधिकांश विधेयक प्रधानमन्त्री के निर्देशन में ही प्रस्तुत किये जाते हैं।

(i) **नीतियों की घोषणा**—यद्यपि मन्त्रिमण्डल के सदस्य अपने विभागों से सम्बन्धित नीतियों की घोषणा संसद में करते हैं, परन्तु जो नीतियाँ बहुत ही महत्त्वपूर्ण होती है उनकी घोषणा संसद में प्रधानमन्त्री द्वारा की जाती है।

(ii) **संसद में सरकार का बचाव**—अनेक बार विपक्षी दल के सदस्य मन्त्रियों के उत्तर से सन्तुष्ट नहीं होते जिसके परिणामस्वरूप संसद में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति में प्रधानमन्त्री संसद की बहस में हस्तक्षेप करता है तथा अपनी सरकार का बचाव करता है।

(iii) **कॉमन सभा को भंग करना**—प्रधानमन्त्री सम्राट को परामर्श देकर कॉमन सभा को अवधि पूरी होने से पूर्व ही भंग कर सकता है। अनेक बार विभिन्न प्रधानमन्त्रियों ने यह देखकर कि जनमत का रूख उनके पक्ष में है। कॉमन सभा को समय से पूर्व ही भंग कर दिया तथा नये चुनाव कराये। उदाहरण के लिए प्रधानमन्त्री **थैचेर** ने जून 1987 में कॉमन सभा के चुनाव करा दिये जबकि ये चुनाव 1988 में होने थे। क्योंकि श्रीमती थैचेर को यह आभस हो गया था कि जून 1987 में चुनाव कराये जाने पर उनके दल को लाभ मिलेगा।

4. **विदेश नीति का निर्माण**—ब्रिटिश प्रधानमन्त्री राष्ट्र की विदेश नीति का निर्माण करता है। वह विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व करता है तथा दूसरे राष्ट्रों के साथ सन्धि करता है।

5. **दल के नेता के रूप में**—ब्रिटिश प्रधानमन्त्री अपना दल का नेता होता है तथा उसका अपने दल के ऊपर पूर्ण नियन्त्रण रहता है। इसी कारण संसद में उसके दल का प्रत्येक सदस्य उसकी नीतियों का समर्थन करता है।

TOUCH 'n' PASS

6. **राष्ट्र के नेता के रूप में**—प्रधानमन्त्री न केवल अपने दल का बल्कि सम्पूर्ण राष्ट्र का नेता होता है। देश के आम चुनाव प्रधानमन्त्री के नाम पर होते हैं। **ग्लेडस्टोन, चार्चिल, श्रीमती थैचेर** आदि प्रधानमन्त्रियों का ब्रिटिश जनता में विशेष स्थान रहा है तथा इन्हीं लोगों ने प्रधानमन्त्री की शक्ति वृद्धि में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है। ब्रिटिश जनता प्रत्येक महत्त्वपूर्ण नीति के लिए अपने प्रधानमन्त्री की ओर देखती है।

प्रधानमन्त्री को निरंकुश नहीं कहा जा सकता—प्रधानमन्त्री की विभिन्न शक्तियों का विश्लेषण करने के बाद कहा जा सकता है कि प्रधानमन्त्री के पास व्यापक शक्तियाँ हैं तथा वह शासन का आधार है। इसी आधार पर कुछ लोगों की यह धारणा बन गयी है कि ब्रिटिश प्रधानमन्त्री की स्थिति एक निरंकुश शासक के समान हो गयी है। हम इस बात से तो सहमत हैं कि प्रधानमन्त्री के पास व्यापक शक्तियाँ हैं परन्तु उसकी तुलना एक निरंकुश शासक के साथ करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है; क्योंकि प्रधानमन्त्री की शक्तियों पर अनेक प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष नियन्त्रण लगे हुए हैं। **फाइनर** के अनुसार, "वह सीजर नहीं है वह ऐसा देवता नहीं है जिसे चुनौती न दी जा सके। उसके विचार ही आदेश नहीं होते हैं। वह सदैव दया पर निर्भर रहता है। उसकी अवधि उसके द्वारा की गयी लाभदायक सेवापर्यन्त है। किसी भी क्षण कोई विरोधी उसको अपदस्थ कर सकता है।" उस पर निम्न नियन्त्रण है—

1. **संसद का नियन्त्रण**—प्रधानमन्त्री के ऊपर सबसे अधिक नियन्त्रण संसद का होता है। संसद में एक शक्तिशाली विपक्षी दल होता है जो प्रधानमन्त्री की प्रत्येक गलत नीति की आलोचना करता है। प्रधानमन्त्री अपने मन्त्रिमण्डल सहित कॉमन सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। यदि कॉमन सभा प्रधानमन्त्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर देती है तो उसे त्याग-पत्र देना पड़ता है।
2. **प्रधानमन्त्री के ऊपर मन्त्रिमण्डल के वरिष्ठ मन्त्रियों का नियन्त्रण**—ब्रिटिश प्रधानमन्त्री अपने मन्त्रिमण्डल के वरिष्ठ मन्त्रियों के परामर्श के आधार पर ही कार्य करता है। वह उनकी अवहेलना नहीं कर सकता। क्योंकि ये मन्त्री दल के महत्त्वपूर्ण नेता होते हैं तथा दल के अन्दर इनका प्रभाव रहता है। यदि प्रधानमन्त्री इनकी अवहेलना करता है तो दल की एकता संकट में पड़ जाएगी तथा संसद में दल के सदस्य प्रधानमन्त्री का समर्थन नहीं करेंगे। अनेक बार प्रधानमन्त्री को वरिष्ठ मन्त्रियों के दबाव के कारण ही अपनी नीति में परिवर्तन करना पड़ता है। उदाहरण के लिए 1969 में प्रधानमन्त्री मजदूरों के विरुद्ध हड़ताल के कारण कठोर कदम उठाना चाहते थे परन्तु अनेक मन्त्रियों ने इसका विरोध किया। परिणामस्वरूप प्रधानमन्त्री विलसन को अपनी नीति में परिवर्तन करना पड़ा।
3. **दबाव समूहों का नियन्त्रण**—ब्रिटेन में पूँजीपतियों मजदूरों तथा शिक्षक वर्ग आदि के अनेक दबाव समूह है तथा ये बहुत ही संगठित तथा सक्रिय है। कोई भी प्रधानमन्त्री इनकी अवहेलना नहीं कर सकता। यदि वह इनकी अवहेलना करता है तो ये दबाव समूह हड़ताल करके शासनतन्त्र को निष्क्रिय कर देंगे।
4. **जनमत का नियन्त्रण**—ब्रिटेन में जनमत बहुत ही सक्रिय तथा जागरूक है। कोई भी प्रधानमन्त्री जनमत की अवहेलना करके शासन नहीं कर सकता। यदि कोई प्रधानमन्त्री निरंकुशतापूर्ण व्यवहार करता है तो जनमत उसके विरुद्ध हो जाएगा तथा चुनाव में जनता उसे पराजित कर देगी।
5. **समाचार-पत्रों का नियन्त्रण**—ब्रिटेन में समाचार-पत्र भी प्रधानमन्त्री तथा उसकी सरकार पर नियन्त्रण रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समचार-पत्र निरन्तर सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करते हैं तथा जनता का ध्यान आकर्षित करते हैं।

अत: स्पष्ट है कि ब्रिटिश प्रधानमन्त्री को किसी की स्थिति में निरंकुश कहना उचित नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रधानमन्त्री की शक्तियों में व्यापक वृद्धि हुई है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि वह निरंकुश हो गया है; क्योंकि उसके ऊपर संसद, जनमत आदि का नियन्त्रण है। ब्रिटिश प्रधानमन्त्री की स्थिति के सम्बन्ध में **लास्की** का कथन उचित है "प्रधानमन्त्री का दर्जा अन्य मन्त्रियों की अपेक्षा बहुत ऊँचा है, परन्तु एक निरंकुश शासक के मुकाबले में बहुत ही निम्न है।" क्योंकि प्रधानमन्त्री को विभिन्न नियन्त्रणों में रहकर कार्य करना पड़ता है।

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्र.1. संस्थागत उपागम को स्वीकार करने वाले आधुनिक विचारकों में शामिल हैं—

(क) मुनरो (ख) सारटोरी (ग) हेराल्ड जिंक (घ) उपरोक्त सभी

उत्तर (घ) उपरोक्त सभी

TOUCH 'N' PASS

प्र.2. संस्थागत उपागम के समानार्थी के रूप में स्वीकार किया गया है—
(क) व्यवहारिक उपागम (ख) निगमनात्मक उपागम (ग) संरचनात्मक उपागम (घ) इनमें से कोई नहीं

उत्तर (ग) संरचनात्मक उपागम

प्र.3. निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश संविधान की विशेषता नहीं है?
(क) लिखित संविधान (ख) अलिखित संविधान (ग) लचीला संविधान (घ) संसदीय सरकार

उत्तर (क) लिखित संविधान

प्र.4. निम्नलिखित में से कौन-सा देश संसदीय सर्वोच्चता का उदाहरण है?
(क) यू०एस०ए० (ख) फ्रांस (ग) साम्यवादी चीन (घ) ग्रेट ब्रिटेन

उत्तर (घ) ग्रेट ब्रिटेन

प्र.5. 2009 तक कौन-सी संस्था ब्रिटेन में अपील की सर्वोच्च अदालत के रूप में थी?
(क) सुप्रीम कोर्ट (ख) हाउस ऑफ लॉर्ड्स (ग) हाउस ऑफ कॉमन्स (घ) शून्य

उत्तर (ख) हाउस ऑफ लॉर्ड्स

प्र.6. ब्रिटेन का निचला सदन है—
(क) हाउस ऑफ कॉमन्स (ख) हाउस ऑफ लॉर्ड्स (ग) सीनेट (घ) लोगों का घर

उत्तर (क) हाउस ऑफ कॉमन्स

प्र.7. 'राजा कोई गलत काम नहीं कर सकता' यह वाक्यांश किससे सम्बन्धित है?
(क) फ्रांस (ख) चीन (ग) भारत (घ) ब्रिटेन

उत्तर (घ) ब्रिटेन

प्र.8. मैग्नाकार्टा .... से सम्बन्धित एक ऐतिहासिक घटना है।
(क) यू०एस०ए० (ख) भारत (ग) फ्रांस (घ) ब्रिटेन

उत्तर (घ) ब्रिटेन

प्र.9. ब्रिटिश संसद का ऊपरी सदन है—
(क) सुप्रीम कोर्ट (ख) हाउस ऑफ लॉर्ड्स (ग) हाउस ऑफ कॉमन्स (घ) शून्य

उत्तर (ख) हाउस ऑफ लॉर्ड्स

प्र.10. ब्रिटेन का प्रधानमन्त्री .... द्वारा चुना जाता है।
(क) राजा (ख) बहुमत दल (ग) विपक्षी दल (घ) प्रिवी काउंसिल

उत्तर (ख) बहुमत दल

प्र.11. ब्रिटेन में मन्त्रिमण्डल का आयोजन कौन करता है?
(क) प्रधानमन्त्री (ख) हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष
(ग) राजा (घ) इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर (क) प्रधानमन्त्री

प्र.12. हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर का चुनाव .... द्वारा किया जाता है।
(क) राजा (ख) हाउस ऑफ कॉमन्स (ग) विपक्षी नेता (घ) प्रिवी काउंसिल

उत्तर (ख) हाउस ऑफ कॉमन्स

प्र.13. विश्व में संसद का सबसे शक्तिशाली निचला सदन है—
(क) लोकसभा (ख) हाउस ऑफ कॉमन्स
(ग) संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट (घ) कम्युनिस्ट चीन की एनपीसी

उत्तर (ख) हाउस ऑफ कॉमन्स

TOUCH 'n' PASS

प्र.14. ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स का पीठासीन अधिकारी कौन है?

(क) राजा (ख) अध्यक्ष (ग) प्रधानमन्त्री (घ) लॉर्ड चांसलर

उत्तर (ख) अध्यक्ष

प्र.15. एक परम्परा के रूप में ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री .... के होते हैं।

(क) भगवान का घर (ख) हाउस ऑफ कॉमन्स (ग) सीनेट (घ) प्रिवी काउंसिल

उत्तर (ख) हाउस ऑफ कॉमन्स

प्र.16. .... के संसदीय अधिनियम द्वारा हाउस ऑफ लॉर्ड्स की हाउस ऑफ कॉमन्स साथ सह-समान शक्तियाँ कम कर दी गई हैं।

(क) 1911 (ख) 1905 (ग) 1919 (घ) 1947

उत्तर (क) 1911

प्र.17. हाउस ऑफ लॉर्ड्स का पीठासीन अधिकारी है—

(क) स्पीकर (ख) अध्यक्ष (ग) लॉर्ड स्पीकर (घ) प्रधानमन्त्री

उत्तर (ग) लॉर्ड स्पीकर

प्र.18. ''संसद में राजा'' का अर्थ है कि राजा है—

(क) संसद का अभिन्न अंग (ख) राजा संसद का अध्यक्ष होता है

(ग) संसद राजा बनाती है (घ) राजा संसद का निर्वाचित सदस्य होता है

उत्तर (क) संसद का अभिन्न अंग

प्र.19. विश्व का सबसे शक्तिशाली निचला कक्ष है—

(क) लोकसभा (ख) हाउस ऑफ कॉमन्स (ग) लोकसभा (घ) नेशनल असेम्बली

उत्तर (ख) हाउस ऑफ कॉमन्स

प्र.20. निम्नलिखित में से किस दार्शनिक ने यूनानी शहर-राज्यों के सिद्धान्तों, मुद्दों और समस्याओं को समझने और उनका विश्लेषण करने के लिए तुलनात्मक पद्धति का उपयोग किया?

(क) सुकरात (ख) प्लेटो (ग) अरस्तू (घ) सिसरो

उत्तर (ग) अरस्तू

प्र.21. असत्य कथन को पहचानें—

(क) तुलनात्मक राजनीति राजनीति के अध्ययन का आधुनिक तरीका है

(ख) तुलनात्मक राजनीति का दायरा बहुत व्यापक एवं विस्तृत है

(ग) तुलनात्मक राजनीति अध्ययन के वैज्ञानिक-अनुभवजन्य तरीकों पर निर्भर करती है

(घ) तुलनात्मक राजनीति आदर्श राजनीतिक संसाधनों के सिद्धान्त का निर्माण करना चाहती है

उत्तर (घ) तुलनात्मक राजनीति आदर्श राजनीतिक संसाधनों के सिद्धान्त का निर्माण करना चाहती है

प्र.22. निम्नलिखित में से कौन-सा तुलनात्मक राजनीति का लक्षण नहीं है?

(क) तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का आधुनिक तरीका है

(ख) तुलनात्मक राजनीति का दायरा बहुत व्यापक एवं विस्तृत है

(ग) तुलनात्मक राजनीति अध्ययन के वैज्ञानिक-अनुभवजन्य तरीकों पर निर्भर करती है

(घ) तुलनात्मक राजनीति का दायरा बहुत ही संकीर्ण है

उत्तर (घ) तुलनात्मक राजनीति का दायरा बहुत ही संकीर्ण है

TOUCH 'n' PASS

UNIT-VI

संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की विशेषताएँ
Features of the Constitution of USA

खण्ड-अ अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. लार्ड सभा के सदस्यों को कौन-कौन से विशेषाधिकार प्राप्त हैं?

What privileges do the members of the House of Lords enjoy?

उत्तर (i) लार्ड सभा के सदस्यों द्वारा सदन में दिये गये भाषण के लिए उन पर किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।

(ii) सदन के अधिवेशन काल में किसी भी सदस्य को बन्दी नहीं बनाया जा सकता।

(iii) लार्ड सभा के सदस्य व्यक्तिगत रूप से राजा के पास सार्वजनिक मामलों पर बातचीत के लिए जा सकते हैं। कॉमन सभा के सदस्यों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है।

(iv) लार्ड सभा के सदस्यों को अपने विशेषाधिकारों की अवहेलना के विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार है।

प्र.2. लार्ड सभा के सदस्यों की अयोग्यताएँ लिखिए।

Write the disqualification of the members of the House of Lords.

उत्तर (i) लार्ड सभा के सदस्य कॉमन सभा के सदस्य नहीं बन सकते।

(ii) लार्ड सभा के सदस्यों को संसद के चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं है।

(iii) 18 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति, विदेशी, दिवालिए तथा राजद्रोह की सजा पाने वाले व्यक्ति लार्डसभा में नहीं बैठ सकते।

(iv) लार्ड सदन के जो सदस्य सरकारी नौकरी करते हैं वे सदन की बैठकों में तो भाग ले सकते हैं परन्तु उन्हें सदन में बोलने तथा वोट डालने का अधिकार नहीं होता।

प्र.3. सीनेट के प्रति शिष्टाचार का अर्थ लिखिए।

Write the meaning of etiquette towards the senate.

उत्तर अमेरिका में यह परम्परा है कि जब भी राष्ट्रपति विभिन्न राज्यों में संघीय पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है तो वह उस राज्य के दोनों ही सीनेटरों से परामर्श करता है। यदि दोनो सीनेट के सदस्य किसी व्यक्ति की नियुक्ति का समर्थन न करे तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति की नियुक्ति नहीं करता। इसे ही सीनेट के प्रति शिष्टाचार कहते हैं। जब भी किसी राष्ट्रपति ने इस शिष्टाचार को तोड़ने का प्रयास किया। सीनेट के सभी सदस्यों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रपति का विरोध किया है जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रपति को सीनेट की बात माननी पड़ी।

प्र.4. कांग्रेस द्वारा निर्मित किसी भी कानून को अवैध घोषित करने का अधिकार किसके पास है?

Who has the power to declare any low made by congress illegal?

उत्तर कांग्रेस द्वारा निर्मित किसी भी कानून को अवैध घोषित करने का अधिकार न्यायपालिका के पास है।

प्र.5. व्यवस्थापिका की शक्ति अमेरिका में किसको प्राप्त है?

Who was legislative power in America?

उत्तर व्यवस्थापिका की शक्ति अमेरिका में कांग्रेस को प्राप्त है।

TOUCH 'n' PASS

प्र.6. व्यवस्थापिका का क्या कार्य है?
What is the sunction of the legislature?

उत्तर व्यवस्थापिका का कार्य कानून निर्माण है।

प्र.7. अमेरिका में कांग्रेस के कितने सदन हैं?
How many houses of congress are there in America?

उत्तर दो सदन हैं—(i) प्रतिनिधि सभा, (ii) सीनेट।

प्र.8. प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल कितना है?
What is the tenure of the House of Representatives?

उत्तर प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 2 वर्ष है।

प्र.9. प्रतिनिधि सभा का गठन किस आधार पर होता है?
On what basis is the House of Representatives formed?

उत्तर प्रतिनिधि सभा का गठन जनसंख्या के आधार पर होता है।

प्र.10. सीनेट के सदस्यों को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है?
By whom are the members of the Senate elected?

उत्तर सीनेट के सदस्यों को जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है।

प्र.11. सीनेट का पदेन सभापति कौन होता है?
Who is the ex-officio chairman of the Senate?

उत्तर सीनेट का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है।

प्र.12. सीनेट में सदस्यों की संख्या कितनी है?
What is the number of members in Senate?

उत्तर सीनेट में सदस्यों की संख्या 100 होती है।

प्र.13. अमेरिका की शासन प्रणाली में सर्वोच्च न्यायालय के महत्त्व पर प्रकाश डालिए।
Throw light on the importance of the Supreme court in America's governance system?

उत्तर अमेरिका की शासन प्रणाली में सर्वोच्च न्यायालय का महत्त्वपूर्ण स्थान है। सर्वोच्च न्यायालय के पास संविधान की व्याख्या करने की शक्ति है। यह संविधान का रक्षक है तथा इसके पास नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की भी शक्ति है। इसके निर्णय अन्तिम है। अनेक बार संविधान की व्याख्या करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान को नया अर्थ ही प्रदान कर दिया। यदि कांग्रेस या अन्य कोई ऐसा कानून बनाता है या आदेश जारी करता है जिससे संविधान का उल्लंघन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग करते हुए ऐसे कानूनों तथा आदेशों को रद्द घोषित कर देगा। सर्वोच्च न्यायालय के महत्त्व को देखते हुए **प्रो० लास्की** ने इसे ''विधानमण्डल का तीसरा सदन'' कहा है।

प्र.14. अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) की शक्ति पर संक्षेप में प्रकाश डालिए।
Throw light on the power of judicial review of the supreme court in America.

उत्तर सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति वह शक्ति है जिसके द्वारा वह संघीय सरकार व राज्य सरकार के कानूनों, आदेशों आदि की जाँच व परीक्षण करता है कि क्या वे संविधान सम्मत है या नहीं। यदि वे संविधान सम्मत नहीं हैं अर्थात् संविधान का उल्लंघन करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग करते हुए उन्हें रद्द कर देगा। इस शक्ति का प्रयोग सर्वप्रथम जस्टिस मार्शल ने 1803 में मारबरी बनाम मेडिसन के केस में किया था। इस केस में फैसला देते हुए जस्टिस मार्शल ने कहा था कि ''न्यायालय कांग्रेस के किसी ऐसे कानून को लागू नहीं कर सकता जो संविधान के विरुद्ध हो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय संविधान के रक्षक की भूमिका निभाता है।''

TOUCH 'n' PASS

प्र.15. अमेरिका की शासन प्रणाली में निहित शक्तियों के सिद्धान्त की संक्षेप में व्याख्या कीजिए।
Briefly explain the principle of inherent powers in America's system of governance.

उत्तर अमेरिका में केन्द्रीय सरकार की शक्तियों की वृद्धि में निहित शक्तियों के सिद्धान्त ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है। इस सिद्धान्त की स्थापना मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने **मेरीलैंड** नाम मुकदमे में की थी। संविधान में केन्द्र की शक्तियों का उल्लेख करने के बाद कहा गया है कि "उपरोक्त सभी शक्तियों को प्रयोग करने के लिए कांग्रेस किसी भी तरह का कोई भी कानून बना सकती है। इन्हीं शब्दों की आड़ में सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र की निहित शक्तियों का विशाल भवन खड़ा कर दिया। जैसे सब केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय बैंक की स्थापना करनी चाही तो सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि यद्यपि संविधान में इस शक्ति का स्पष्ट कोई उल्लेख नहीं है, परन्तु मुद्रा तथा राष्ट्रीय वित्त के सम्बन्ध में केन्द्र को जो अधिकार प्राप्त हैं उनमें यह शक्ति निहित है।"

खण्ड-ब लघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. अमेरिका की व्यवस्थापिका के कार्यों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए।
Give in brief the functions of America Legislature.

उत्तर

अमेरिका की व्यवस्थापिका के कार्य
(Functions of America Legislature)

व्यवस्थापिका सरकार का सबसे महत्त्वपूर्ण अंग है। इसे जनता का दर्पण माना गया है। सभी देशों में व्यवस्थापिका की भूमिका तथा कार्य समान नहीं होते। इसके कार्य शासन प्रणाली के स्वरूप पर निर्भर रहते हैं। जैसे—निरंकुश तन्त्र में व्यवस्थापिका पूर्णत: कार्यपालिका के नियन्त्रण में रहती है तथा एक परामर्श देने वाली संस्था बनकर रह जाती है, परन्तु लोकतन्त्र में व्यवस्थापिका का स्थान अत्यन्त ऊँचा होता है।

सामान्यत: व्यवस्थापिका के निम्न कार्य हैं—

1. **कानून का निर्माण करना**—व्यवस्थापिका का मुख्य कार्य कानूनों का निर्माण करना है। वह नये कानूनों का निर्माण करती है तथा पुराने कानूनों को आवश्यकतानुसार संशोधित करती है।
2. **कार्यपालिका पर नियन्त्रण**—संसदीय प्रणाली वाले राष्ट्रों; जैसे भारत तथा ब्रिटेन में तो कार्यपालिका पर पूर्णत: व्यवस्थापिका के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करके पद से हटा सकती है। अध्यक्षात्मक प्रणाली में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, परन्तु अनेक तरीकों से व्यवस्थापिका का कार्यपालिका पर नियन्त्रण रहता है। जैसे अमेरिका में कांग्रेस (व्यवस्थापिका) राष्ट्रपति (कार्यपालिका) को महाभियोग द्वारा हटा सकती है तथा राष्ट्रपति द्वारा की गयी सन्धियाँ तथा नियुक्तियाँ तभी प्रभावी होती हैं, जब कांग्रेस का उच्च सदन अर्थात् सीनेट उनका अनुमोदन कर देती है।
3. **वित्तीय कार्य**—राष्ट्र के वित्त पर व्यवस्थापिका का नियन्त्रण होता है। वह बजट पारित करती है। नये कर लगाती है तथा पुराने करों में संशोधन या समाप्त कर सकती है। व्यवस्थापिका की अनुमति के बिना एक पैसा भी खर्च नहीं किया जा सकता।
4. **न्यायिक कार्य**—व्यवस्थापिका अनेक न्यायिक कार्य भी करती है। भारत तथा अमेरिका में व्यवस्थापिका राष्ट्रपति तथा न्यायाधीशों को महाभियोग द्वारा पद से हटा सकती है। ब्रिटेन में लार्ड सभा संसद (व्यवस्थापिका) का उच्च सदन देश का सर्वोच्च न्यायालय है।
5. **निर्वाचन सम्बन्धी कार्य**—संसदीय प्रणाली में व्यवस्थापिका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि का चुनाव करती है। स्विस व्यवस्थापिका (संघीय सभा) मन्त्रिपरिषद् के सदस्यों, न्यायाधीशों, चांसलरों आदि का चुनाव करती है।
6. **संविधान संशोधन सम्बन्धी कार्य**—संविधान में संशोधन का कार्य सामान्यत: व्यवस्थापिका द्वारा किये जाते हैं। भारत तथा अमेरिका में संविधान में संशोधन सम्बन्धी शक्तियाँ व्यवस्थापिका में निहित हैं।
7. **लोकमत का निर्माण तथा अभिव्यक्ति**—व्यवस्थापिका में जनता के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। वे व्यवस्थापिका में जनता की माँगों तथा इच्छाओं को कार्यपालिका के समक्ष रखते हैं। इस प्रकार जनमत का निर्माण होता है।

TOUCH n PASS

प्र.2. सीनेट तथा प्रतिनिधि सभा तथा स्पीकर एवं कॉमन सभा के स्पीकर का संक्षेप में तुलनात्मक अध्ययन कीजिए।
Make a brief comparative study of the senate and the House of Representatives and the Speakes and the Speaker of the House of Commons.

उत्तर सीनेट तथा प्रतिनिधि सभा तथा स्पीकर एवं कॉमन सभा के स्पीकर की तुलना
(Do a Comparative Study in Context of Speaker of the Senate and House of Representatives and the Speaker of the House of Commons)

सामान्यत: कांग्रेस के दोनों सदनों को समान शक्तिशाली माना जाता है; क्योंकि कुछ क्षेत्रों में सीनेट प्रतिनिधि सभा से आगे हैं तथा कुछ क्षेत्रों में प्रतिनिधि सभा सीनेट से आगे है। जैसे वित्त विधेयक तथा महाभियोग की प्रक्रिया प्रतिनिधि सभा में ही शुरू की जाती है, परन्तु राष्ट्रपति द्वारा की गयी सन्धियाँ तथा नियुक्तियों का अनुमोदन सीनेट ही करती हैं। जब हम दोनों सदनों की शक्तियों का गहराई से विश्लेषण करते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि सीनेट प्रतिनिधि सभा से अधिक शक्तिशाली है। व्यवहार में वित्त विधेयक तथा महाभियोग के सम्बन्ध में सीनेट की शक्ति प्रतिनिधि सभा के समान ही है; क्योंकि कोई भी वित्त विधेयक सीनेट की सहमति के बिना पारित नहीं हो सकता है। महाभियोग के सम्बन्ध में भी प्रतिनिधि सभा केवल आरोप-पत्र तैयार करती है; जबकि आरोपों की जाँच-पड़ताल का कार्य सीनेट के द्वारा ही किया जाता है। वास्तव में सीनेट का महत्त्व प्रतिनिधि सभा से अधिक है; क्योंकि सीनेट का कार्यकाल प्रतिनिधि सभा की तुलना में अधिक है तथा सीनेट के सदस्य विशाल क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कॉमन सभा का स्पीकर दलगत व्यक्ति नहीं होगा। स्पीकर का पद ग्रहण करने के बाद वह अपने आपको सक्रिय राजनीति से अलग कर लेता है परन्तु प्रतिनिधि सभा का स्पीकर अपना पद ग्रहण करने के बाद भी अपने दल से जुड़ा रहता है तथा वह सदन में अपने दल के हितों की रक्षा का प्रयास करता है।

कॉमन सभा का स्पीकर सदन के वाद-विवाद में हिस्सा नहीं लेता उसकी भूमिका न्यायाधीश जैसी होती है परन्तु प्रतिनिधि सभा का स्पीकर सदन की कार्यवाही में सक्रिय भाग लेता है तथा सदन का संचालन इस प्रकार से करता है कि उसके दल को अधिक-से-अधिक लाभ पहुँचे। कॉमन सभा का स्पीकर धन विधेयक को प्रमाणित करता है। प्रतिनिधि सभा के स्पीकर के पास यह शक्ति नहीं है। ब्रिटिश स्पीकर के आदेश अन्तिम होते हैं। प्रतिनिधि सभा के स्पीकर के नहीं। अत: कॉमन सभा का स्पीकर एक निष्पक्ष अम्पायर की भाँति कार्य करता है जबकि प्रतिनिधि सभा का स्पीकर दलगत राजनीति से प्रभावित रहता है।

प्र.3. अमेरिकन सीनेट विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है। व्याख्या कीजिए।
The US senate is the most powerful second chamber in the word. Explain.

उत्तर अमेरिकन सीनेट
(American Senate)

सीनेट विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है। आज जब विश्व की सभी शासन प्रणालियों में द्वितीय सदन की शक्तियों का ह्रास हो रहा है वहाँ सीनेट इसका अपवाद है। संसार में कोई भी द्वितीय सदन इतना शक्तिशाली नहीं है जितना कि सीनेट है। विधायी क्षेत्र में इसकी शक्तियाँ प्रतिनिधि सभा के समान है। केवल एक अन्तर है कि वित्त विधेयक प्रथम रूप में प्रतिनिधि सभा में प्रस्तुत किये जाते हैं इसके बाद दोनों की शक्तियाँ समान हैं। राष्ट्रपति द्वारा की गयी सन्धियाँ तथा नियुक्तियाँ तभी लागू होती हैं जब सीनेट उनका अनुमोदन कर देती है। सीनेट महाभियोग की प्रक्रिया में भी भाग लेती है। इतना ही नहीं सीनेट किसी भी मन्त्री (सचिव) के विरुद्ध उसके कार्यों की जाँच पड़ताल करने के लिए जाँच समिति का गठन कर सकती है। अत: सीनेट के पास व्यापक शक्तियाँ हैं। सीनेट की महत्त्वपूर्ण स्थिति का एक महत्त्वपूर्ण कारण यह है कि इसके सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है तथा इसके सदस्यों में एकता बहुत अधिक है।

प्र.4. अमेरिका के राष्ट्रपति की वीटो या निषेधाधिकार की शक्ति पर संक्षेप में प्रकाश डालिए।
Briefly throw light on the veto or veto power of the president of America.

उत्तर अमेरिकी राष्ट्रपति की वीटो शक्ति
(Veto Power of the President of America)

संविधान ने कांग्रेस की शक्तियों को नियन्त्रित करने के लिए राष्ट्रपति को वीटो की शक्ति प्रदान की है। निषेधाधिकार या वीटो का अर्थ है कि राष्ट्रपति कांग्रेस द्वारा पारित किये गये विधेयकों का अनुमोदन नहीं करता। कांग्रेस द्वारा पारित विधेयक तभी कानून बनते हैं जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है। परन्तु यदि राष्ट्रपति उस विधेयक से असहमत है तो वह उसे कांग्रेस को लौटा

देता है। इसी को वीटो की शक्ति कहते हैं। वीटो की शक्ति दो प्रकार की होती है। (1) **विलम्बन वीटो**—इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति कुछ समय के लिए ही विधेयक को कानून बनने से रोक सकता है। यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक को कांग्रेस के पास लौटाता है परन्तु यदि कांग्रेस उस विधेयक को दो तिहाई बहुमत से पूर्व रूप में ही पारित कर दे तो विधेयक कानून का रूप धारण कर लेगा तथा उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं रहेगी। (2) **पाकेट वीटो**—यदि राष्ट्रपति ने कांग्रेस द्वारा भेजे गये विधेयक पर दस दिन के अन्दर न तो हस्ताक्षर किये तथा न ही कांग्रेस को लौटाया तथा इसी बीच कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त हो जाए तो विधेयक भी रद्द माना जाएगा। इसे ही पाकेट वीटो या जेबी वीटो कहते हैं।

प्र.5. अमेरिका में राष्ट्रपति तथा कांग्रेस के सम्बन्धों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए।

Briefly throw light on the relationship between the president and congress in America.

उत्तर

अमेरिका में राष्ट्रपति तथा कांग्रेस के सम्बन्ध
(Relation between the President and Congress in America)

अमेरिका में शक्ति पृथक्करण के कारण राष्ट्रपति तथा कांग्रेस में वैसा प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है जैसा कि ब्रिटेन तथा भारत में कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका के बीच है। अमेरिका में राष्ट्रपति न तो कांग्रेस के किसी सदन का सदस्य होता है तथा न ही उसके प्रति उत्तरदायी है तथा वह कांग्रेस के किसी सदन को अवधि पूरी होने से पूर्व भंग भी नहीं कर सकता। परन्तु संविधान निर्माताओं ने शक्ति पृथक्करण के साथ नियन्त्रण तथा सन्तुलन की व्यवस्था भी की है ताकि ये दोनों अंग एक दूसरे पर कुछ नियन्त्रण भी रखे जैसे राष्ट्रपति द्वारा की गयी सन्धियाँ तथा नियुक्तियाँ तभी लागू होती है जब सीनेट उनका अनुमोदन कर देती है। राष्ट्रपति भी कांग्रेस द्वारा पारित विधेयकों को वीटो की शक्ति का प्रयोग करते हुए कुछ समय के लिए कानून बनने से रोक सकता है। अमेरिका का राष्ट्रपति ब्रिटिश प्रधानमन्त्री की तरह कानून निर्माण में प्रत्यक्ष भूमिका तो नहीं निभाता परन्तु वह कांग्रेस को सन्देश भेजकर तथा सुझाव भेजकर कानून निर्माण को प्रभावित कर सकता है। अत: स्पष्ट है कि अमेरिका में शक्ति पृथक्करण होते हुए भी राष्ट्रपति तथा कांग्रेस एक दूसरे को प्रभावित करते हैं।

प्र.6. अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है?

How is the president elected in America?

उत्तर

अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव
(Presidential Elections in America)

अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मण्डल द्वारा होता है जिसमें उतने ही सदस्य होते हैं जितने कांग्रेस के तथा 3 सदस्य राजधानी का प्रतिनिधित्व करने वाले होते हैं। इस प्रकार निर्वाचक मण्डल में **535 + 3 = 338** सदस्य होते हैं। निर्वाचक मण्डल में प्रत्येक राज्य उतने ही सदस्य भेजता है जितने कि कांग्रेस में वह अपने सदस्य भेजता है। उल्लेखनीय है कि निर्वाचक मण्डल के सदस्य कांग्रेस के सदस्य नहीं होते, उनका कार्य केवल राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करना है। जैसे ही चुनाव कार्य पूर्ण हो जाता है, निर्वाचक मण्डल भी भंग हो जाता है। निर्वाचक मण्डल के 538 सदस्यों के चुनाव के लिए अमेरिका का प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है वोट देने का अधिकारी है। निर्वाचन के बाद निर्वाचक मण्डल के सदस्य राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को अपना मत देते हैं तथा जिस व्यक्ति को 538 में से 270 वोट प्राप्त हो जाते हैं। वह व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाता है। उल्लेखनीय है कि यदि चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो जिस तीन उम्मीदवारों को सबसे अधिक मत प्राप्त हुए हैं उनमें से किसी एक को प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति के रूप में चुन लेती है।

प्र.7. अमेरिका के उपराष्ट्रपति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

Write a short note on the vicepresident of America.

उत्तर अमेरिकी संविधान में व्यवस्था की गयी है कि राष्ट्रपति के पद-त्याग पर या उसकी मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद को सँभालेगा। उपराष्ट्रपति सीनेट का पदेन सभापति होता है।

उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएँ—किसी भी नागरिक में उपराष्ट्रपति पद प्राप्त करने के लिए निम्न योग्यताएँ होनी चाहिए—

(i) वह अमेरिका का जन्मजात नागरिक होना चाहिए।
(ii) उसकी आयु 35 वर्ष से ऊपर हो।

TOUCH N PASS

(iii) अमेरिका में उसके निवास की अवधि कम-से-कम 14 वर्ष होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि वह निरन्तर रूप से रहा हो बल्कि उसके कुल निवास की अवधि 14 वर्ष होनी चाहिए।

कार्यकाल—उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष होता है। उसे महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। वह स्वेच्छा से भी पद-त्याग कर सकता है।

निर्वाचन—राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव एक ही निर्वाचक मण्डल द्वारा किया जाता है। पहले संविधान में पृथक्-पृथक् निर्वाचन की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन संविधान में संशोधन करके दोनों पदों के लिए अलग-अलग मत डालने की विधि अपनायी गई। उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार को बहुमत प्राप्त करना आवश्यक है। यदि किसी उम्मीदवार को बहुमत प्राप्त नहीं होता तो सीनेट द्वारा प्रथम दो उम्मीदवारों में से एक को चुन लिया जाता है।

वेतन तथा भत्ते—उपराष्ट्रपति को 75 हजार डॉलर वार्षिक वेतन प्राप्त होता है। अतिरिक्त भत्ते के रूप में 10 हजार डॉलर मिलते हैं जो आयकर मुक्त होते हैं।

उपराष्ट्रपति के कार्य—उपराष्ट्रपति को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है, इसलिए महत्त्वाकांक्षा रखने वाले व्यक्ति इस पद को नहीं चाहते। उपराष्ट्रपति के कार्य निम्न हैं—

1. उपराष्ट्रपति का महत्त्वपूर्ण कार्य राष्ट्रपति पद के रिक्त स्थान को भरना। राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग अथवा पदच्युति की स्थिति में वह राष्ट्रपति पद का कार्यभार सम्भालता है। राष्ट्रपति का पद मिलने पर वह राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग करता है।
2. उपराष्ट्रपति सीनेट का पदेन सभापति होता है। लेकिन सभापति होते हुए भी उसे कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं हैं। वह सीनेट का सदस्य नहीं होता। निर्णायक मत का प्रयोग बराबर मत आने की स्थिति में कर सकता है।
3. वर्तमान समय में राष्ट्रपति के प्रशासनिक कार्यों में सहायता करता है। कुछ राष्ट्रपति विदेश नीति सम्बधी मामलों में भी उपराष्ट्रपति का परामर्श लेने लगे हैं।

अगर उपराष्ट्रपति के अधिकारों की तरफ ध्यान दिया जाए तो वे बहुत कम हैं। अगर राजनीति में उपराष्ट्रपति की सशक्त भूमिका की आशा की जाए तो उससे पहले उसे शक्तियाँ हस्तान्तरित की जाए, जिससे उसकी भी एक अलग पहचान बन सके। उपराष्ट्रपति के कार्यक्षेत्र पर टिप्पणी करते हुए **लास्की** ने कहा है, "उपराष्ट्रपति को और अधिक कार्य सौंपे जाएँ, जिससे राष्ट्रपति का कार्यभार कुछ हल्का हो।"

प्र.8. "संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति एक सम्राट से कम तथा अधिक है।" लास्की के इस कथन को स्पष्ट कीजिए।
Explain Lasky's statement, "The president of the United States is more and less than an emperor."

उत्तर

अमेरिकन राष्ट्रपति तथा ब्रिटिश सम्राट
(American President and British Emperor)

अमेरिका के राष्ट्रपति तथा ब्रिटिश सम्राट में यद्यपि कुछ बातों में समानता है। परन्तु अधिकांश बातों में असमानता है। दोनों में यह समानता है कि दोनों ही अपने-अपने राज्यों के प्रधान हैं तथा इस नाते दोनों कई औपचारिक कार्य करते हैं। जैसे विदेशी राजदूतों का स्वागत करना, समारोह का उद्घाटन करना आदि। परन्तु दोनों में समानता यहीं समाप्त हो जाती है। दोनों में शक्तियों व भूमिका के सम्बन्ध में मौलिक अन्तर है; जैसे—

ब्रिटिश सम्राट केवल नाममात्र राज्य का प्रधान है। इसके विपरीत अमेरिका का राष्ट्रपति राज्य के साथ-साथ शासन का भी प्रधान है। ब्रिटिश सम्राट नाममात्र की कार्यपालिका है। उसकी समस्त शक्तियों का प्रयोग मन्त्रिपरिषद् करता है परन्तु अमेरिका का राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका प्रधान है। वह स्वयं सरल कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मण्डल द्वारा चार वर्ष के लिए किया जाता है। सम्राट का पद पैतृक है। सम्राट का मन्त्रियों पर कोई नियन्त्रण नहीं होता। राष्ट्रपति का अपने मन्त्रियों पर पूर्ण नियन्त्रण होता है।

यद्यपि शक्तियों के सम्बन्ध में ब्रिटिश सम्राट की स्थिति राष्ट्रपति की तुलना में बहुत दुर्बल है। परन्तु कुछ मामलों में संकट की स्थिति उच्च है। जैसे सम्राट का पद राष्ट्रपति की तुलना में गौरव तथा सम्मान का पद है, क्योंकि सम्राट निष्पक्ष तथा निर्दलीय होता है तथा आजीवन अपने पद पर रहता है। जबकि राष्ट्रपति एक दलीय व्यक्ति है तथा उसका कार्यकाल केवल चार वर्ष है।

TOUCH 'n' PASS

प्र.9. अमेरिका के राष्ट्रपति तथा ब्रिटिश प्रधानमन्त्री की तुलना कीजिए।

Compare the American President and the British Prime Minister?

उत्तर अमेरिका का राष्ट्रपति न केवल ब्रिटिश सम्राट से कुछ कम और कुछ अधिक है, बल्कि वह ब्रिटिश प्रधानमन्त्री से भी कुछ कम और कुछ अधिक है। जैसे—

1. **प्रशासनिक क्षेत्र**—प्रशासनिक क्षेत्र में अमरीकी राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री से अधिक शक्तिशाली है। राष्ट्रपति न केवल शासन का प्रधान है, अपितु राज्य का भी प्रधान है। जबकि ब्रिटिश प्रधानमन्त्री केवल शासन का प्रधान है, राज्य का नहीं।
   अमरीकी राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित होता है, जबकि प्रधानमन्त्री का कार्यकाल कॉमन सभा के विश्वास पर निर्भर करता है।
   अमरीकी राष्ट्रपति अपने मन्त्रिमण्डल के गठन में पूर्ण रूप से स्वतन्त्र होता है तथा उसका मन्त्रिमण्डल पर पूर्ण नियन्त्रण रहता है, परन्तु ब्रिटिश प्रधानमन्त्री का गठन करते समय अनेक बातों को ध्यान में रखना पड़ता है तथा प्रत्येक कार्य में उससे परामर्श करना पड़ता है।
2. **विधायी क्षेत्र में**—विधायी क्षेत्र में ब्रिटिश प्रधानमन्त्री की स्थिति अमरीकी राष्ट्रपति से उच्च है। प्रधानमन्त्री संसद की कार्यवाही में भाग लेता है, संसद में अधिकांश विधेयक प्रधानमन्त्री व मन्त्री परिषद् द्वारा रखे जाते हैं, वित्त मन्त्री द्वारा प्रधानमन्त्री के निर्देशन में बजट तैयार किया जाता है, वह संसद के निम्न सदन को भंग करा सकता है। परन्तु शक्ति पृथक्करण के कारण अमेरिका का राष्ट्रपति कांग्रेस के अधिवेशन में भाग नहीं लेता और न ही वह किसी सदन को भंग करा सकता।
   अत: कुछ मामलों में अमरीकी राष्ट्रपति ब्रिटिश प्रधानमन्त्री से उच्च है तथा कुछ में निम्न।

खण्ड-स विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. लार्ड सदन के गठन, शक्तियों तथा महत्त्व का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए तथा इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए।

Describe the composition, functions and importance of the house of Lords in England.

उत्तर ब्रिटिश संसद के दो सदन हैं लार्ड सभा तथा कॉमन सभा। लार्ड सभा संसद का उच्च सदन है। यह ब्रिटेन की प्रथाओं तथा परम्पराओं तथा प्रतीक है। यह पैतृक आधार पर गठित रहता है। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 1080 है।
लार्ड सभा के सभा सदस्य निम्न 6 प्रकार के हैं—

1. **पैतृक सदस्य**—लार्ड सभा के अधिकांश सदस्य पैतृक आधार पर इसके सदस्य बनते हैं। ये सदस्य पुराने सामन्त, जागीरदारों तथा पूँजीपतियों के परिवारों से सम्बन्धित होते हैं। लार्ड की मृत्यु के पश्चात् उसके ज्येष्ठ पुत्र को लार्ड सभा की सदस्यता प्राप्त हो जाती है। परन्तु यह आवश्यक है कि उसकी आयु कम से कम 21 वर्ष की हो।
2. **राजवंश के राजकुमार**—लार्ड सभा में राजवंश के राजकुमार भी होते हैं। ये दलीय राजनीति से पृथक रहते हैं तथा लार्ड सभा के अधिवेशनों में भाग नहीं लेते।
3. **स्काटलैंड के प्रतिनिधि**—ये भी वंशानुगत होते हैं। स्काटलैंड के सभी पीयर लार्ड सभा के सदस्य होते हैं।
4. **आजीवन सदस्य**—लार्ड सभा के आजीवन सदस्यों की नियुक्ति सम्राट द्वारा प्रधानमन्त्री के परामर्श से की जाती है। सम्राट ऐसे लोगों को नियुक्त करता है जिनका विज्ञान, कला, तथा सार्वजनिक जीवन में विशेष योगदान रहा है। आजीवन लार्डों के उत्तराधिकारियों को लार्ड सभा की सदस्यता प्रदान नहीं की जाती।
5. **आध्यात्मिक लार्डस**—इनमें चर्चों के आर्कबिशप तथा वरिष्ठ बिशप आदि सम्मिलित है।
6. **विधि लार्डस**—विधि लार्डस की नियुक्ति सम्राट द्वारा जीवन काल के लिए की जाती है। इन्हें अपील के लार्डस के नाम से पुकारा जाता है। ये उच्च कोटि के कानूनविद् होते हैं। लार्ड सभा अपील का सर्वोच्च न्यायालय है। जब वह न्याय सम्बन्धी कार्य करती है तो केवल विधि लार्ड्स की कार्यवाही में भाग लेते हैं।

1958 के लाइफ पीरेज अधिनियम के द्वारा महिलाओं के लिए भी लार्ड सभा के द्वार खोल दिये गये। उल्लेखनीय है कि आजीवन लार्ड बनाने का सिलसिला भी इसी अधिनियम द्वारा प्रारम्भ हुआ।

TOUCH n PASS

लार्ड सभा का एक अध्यक्ष होता है जिसे लार्ड चांसलर कहते हैं। वह लार्ड सभा की अध्यक्षता करता है तथा जब भी लार्ड सभा सर्वोच्च न्यायालय के रूप में बैठती है तो लार्ड चांसलर ही मुख्य न्यायाधीश की भूमिका निभाता है।

लार्ड सभा की शक्तियाँ (Power of the House of Lords)

अनेक विचारकों का धारणा है कि लार्ड सभा विश्व का सबसे कमजोर द्वितीय सदन है तथा कानून निर्माण व सरकार पर नियन्त्रण रखने में उसकी कोई विशेष भूमिका नहीं है। **ऑग** तथा **जिंक** के अनुसार, "अब स्थिति यह रह गयी है कि लार्ड सभा दूसरा सदन नहीं अपितु दूसरे दर्जे का सदन हो गया है।" परन्तु आज भी लार्ड सभा की निम्न शक्तियाँ प्राप्त हैं; जैसे—

1. **विधायी शक्तियाँ**—1911 से पूर्व कानून निर्माण के क्षेत्र में लार्ड सभा की शक्तियाँ कॉमन सभा के समान थी। परन्तु 1911 व 1949 के संसदीय अधिनियमों द्वारा लार्ड सभा की शक्तियों में भारी कटौती की गयी; जैसे—
   (i) **साधारण विधेयक के सम्बन्ध में**—ब्रिटेन में यह परम्परा बन गयी है कि साधारण विधेयक भी कॉमन सभा में ही प्रस्तुत किये जाते हैं। लार्ड सभा में नहीं। कॉमन सभा से पारित होकर वे लार्ड सभा में जाते हैं। 1911 के संसदीय अधिनियम द्वारा यह व्यवस्था की गयी थी कि यदि किसी साधारण विधेयक को कॉमन सभा लगातार तीन अधिवेशनों में तीन बार पारित कर दें और लार्ड सभा उसे हर बार रद्द कर दें तो लार्ड सभा की स्वीकृति के बिना भी वह कानून बन जाएगा, शर्त यह है कि विधेयक को प्रथम बार पारित करने तथा तीसरी बार पारित करने की अवधि में दो वर्ष का अन्तर अवश्य होना चाहिए। अत: लार्ड सभा साधारण विधेयक के दो वर्ष तक कानून बनने से रोक सकती थी। परन्तु 1949 के अधिनियम द्वारा यह अवधि घटाकर एक वर्ष कर दी गयी। 1949 के संसदीय अधिनियम द्वारा यह व्यवस्था कर दी गयी कि यदि कॉमन सभा किसी साधारण विधेयक को लगातार दो अधिवेशनों में दो बार पारित कर दे तो लार्ड सभा की स्वीकृति के बिना भी कानून बन जाएगा, शर्त यह है कि उस विधेयक को पहली बार पारित करने तथा दूसरी बार पारित करने की अवधि में कम-से-कम एक वर्ष का अन्तर अवश्य होना चाहिए। अत: अब लार्ड सभा साधारण विधेयक को अधिक-से-अधिक एक वर्ष कानून बनने से रोक सकती है। इस प्रकार विधि निर्माण के क्षेत्र में लार्ड सभा पहले के मुकाबले अब एक बहुत ही शक्तिहीन सदन बन गया है।
   (ii) **वित्त विधेयक सम्बन्धी शक्तियाँ**—वित्तीय क्षेत्र में लार्ड सभा की शक्तियाँ न होने के बराबर है। वित्त विधेयक केवल कॉमन सभा में ही प्रस्तुत किये जा सकते हैं लार्ड सभा में नहीं। कॉमन सभा से पारित होकर वे लार्ड सभा को जाते हैं। लार्ड सभा केवल एक महीने तक वित्त विधेयक को अपने यहाँ रोक सकती है। एक महीने के अन्दर या तो लार्ड सभा वित्त विधेयक को पारित कर दे या अपने सुझावों के साथ कॉमन सभा को लौटा दे। यह कॉमन सभा पर निर्भर करता है कि वह लार्ड सभा द्वारा दिये गये सुझावों को स्वीकार करे या न करे। यदि एक महीने तक लार्ड सभा कोई निर्णय नहीं लेती तो वित्त विधेयक पारित हुआ मान लिया जाएगा।

   अत: कानून निर्माण के क्षेत्र में लार्ड सभा के पास कोई विशेष शक्तियाँ नहीं हैं।
2. **न्यायिक शक्तियाँ**—लार्ड सभा की एक मुख्य शक्ति यह है कि लार्ड सभा ब्रिटेन का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय भी है अर्थात् लार्ड सभा ब्रिटेन में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका भी निभाता है। उल्लेखनीय है कि जब लार्ड सभा सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य करती है तो विधि लार्ड्स ही उसकी कार्यवाही में भाग लेते हैं तथा लार्ड चांसलर मुख्य न्यायाधीश की भूमिका निभाता है।
3. **मन्त्रिमण्डल पर नियन्त्रण करने सम्बन्धी शक्तियाँ**—ब्रिटेन में मन्त्रिमण्डल कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी है लार्ड सभा के प्रति नहीं। लार्ड सभा अविश्वास का प्रस्ताव पारित करके मन्त्रिमण्डल को पद से नहीं हटा सकती। केवल मन्त्रिमण्डल के सदस्यों से प्रश्न पूछ सकती है तथा उनकी आलोचना कर सकती है।
4. **लार्ड सभा के सदस्यों के विशेषाधिकार**—लार्ड सभा के सदस्यों के अनेक विशेषाधिकार है जैसे लार्ड सभा के सदस्यों द्वारा सदन में कही गयी किसी बात तथा भाषण के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती। लार्ड सभा अपनी मानहानि के लिए किसी भी व्यक्ति को दण्डित कर सकती है। सभा के अधिवेशन के दौरान तथा अधिवेशन से 40 दिन पूर्व तथा 40 दिन बाद तक दीवानी मामले में किसी भी लार्ड को बन्दी नहीं बनाया जा सकता।

TOUCH 'n' PASS

आलोचनाएँ (Criticisms)

लार्ड सभा की अनेक विचारकों द्वारा आलोचनाएँ की गयी हैं तथा उनकी धारणा है कि ब्रिटिश शासन प्रणाली में लार्ड सभा की कोई उपयोगिता नहीं है। अत: इसे समाप्त कर देना चाहिए। आलोचकों के अनुसार लार्ड सभा एक अलोकतान्त्रिक तथा अप्रगतिशील सदन है। **चर्चिल** के अनुसार, लार्ड सभा एक विशेष वर्ग के हितों की रक्षा करने वाला, पैतृक आधार पर गठित अप्रतिनिधिक, अनुत्तरदायी तथा अनुपस्थिति के कारण खाली रहने वाला सदन है। निम्न आधारों पर लार्ड सभा की आलोचना की गयी है—

1. **धनिक वर्ग के हितों की रक्षा**—लार्ड सभा के अधिकांश सदस्य पुराने सामन्त, जागीरदार तथा बड़े पूँजीपति होते हैं। यह सदन साधारण जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। यह केवल धनिक वर्ग का ही प्रतिनिधित्व करता है। लार्ड सभा के सदस्यों के सम्बन्ध में **रैम्जे म्योर** ने लिखा है, ''लार्ड सभा के अधिकतर सदस्य अपनी स्थिति के कारण प्राय: रूढ़िवादी होते हैं, रूढ़िवादी ही नहीं, अपितु वे तो प्रतिक्रियावादी और घोर दुराग्री रूढ़िवादी है।''
2. **लार्ड सभा एक अप्रजातान्त्रिक सदन है**—लार्ड सभा के अधिकांश सदस्य पैतृक आधार पर चुने जाते हैं जनता के द्वारा नहीं। यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि आज भी ब्रिटेन जैसे लोकतान्त्रिक राष्ट्र में पैतृक आधार पर गठित एक सदन विद्यमान है।
3. **प्रगतिशील कानूनों के मार्ग में बाधक**—लार्ड सभा के सदस्यों के धनिक वर्ग से जुड़े होने के कारण यह सदन प्रगतिशील कानूनों के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए, 1909 में लार्ड सभा ने राष्ट्रीय बजट को अस्वीकार कर दिया था क्योंकि बजट में आयकर व भूमिकर में वृद्धि कर दी गयी थी।
4. **अनुत्तरदायी सदन**—लार्ड सभा पूर्ण रूप से एक अनुत्तरदायी सदन है। जो एक बार लार्ड सभा का सदस्य बन जाता है। वह आजीवन इसका सदस्य बना रहता है। लार्ड सभा के सदस्यों को जनता से वोट माँगने का कष्ट नहीं उठाना पड़ता अर्थात् उन्हें जनता का सामना नहीं करना पड़ता जो कि एक अलोकतान्त्रिक परम्परा है।
5. **सदस्यों की प्राय: अनुपस्थिति**—लार्ड सभा एक विशाल सदन है परन्तु इसके अधिकांश सदस्य इसके अधिवेशन में भाग ही नहीं लेते हैं। इसी कारण लार्ड सभा का कोरम तीन सदस्य रखा गया है। अत: आलोचक तर्क देते हैं कि जब लार्ड सभा के सदस्य इसके अधिवेशन में भाग ही नहीं लेते तो इस सदन को समाप्त कर देना चाहिए।
6. **लार्ड सभा एक अत्यन्त दुर्बल सदन है**—लार्ड सभा की इस आधार पर भी आलोचना की गयी है कि 1911 व 1949 के अधिनियम के बाद लार्ड सभा के पास कोई विशेष शक्ति नहीं रह गयी है तथा इस कारण से आज ब्रिटिश शासन प्रणाली में इसकी कोई उपयोगिता नहीं रह गयी है। इसलिए इसे समाप्त कर देना चाहिए।

लार्ड सभा की उपयोगिता (Usefulness of Lord House)

यद्यपि लार्ड सभा एक अलोकतान्त्रिक, अनुत्तरदायी तथा दुर्बल सदन है तथा इन आधारों पर आलोचक इसे समाप्त करने का सुझाव देते हैं। परन्तु इन आलोचनाओं के बाद भी लार्ड सभा संसद के उच्च सदन के रूप में विद्यमान है तथा ब्रिटिश शासन प्रणाली में इसकी उपयोगिता बनी हुई है। जैसे—

1. **कॉमन सभा की उग्र तथा क्रान्तिकारी नीतियों पर अंकुश**—कॉमन सभा के सदस्य जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं तथा वे जनता को प्रसन्न करने के लिए उग्र व क्रान्तिकारी नीतियाँ बनाने का प्रयास करते हैं। लार्ड सभा कॉमन सभा को उग्र व क्रान्तिकारी नीतियों को बनाने से रोकता है।
2. **विधेयकों का ठीक से परीक्षण करना**—वर्तमान युग में कॉमन सभा के कार्यों में बहुत अधिक वृद्धि हो गयी है। अत: समय अभाव के कारण कॉमन सभा विधेयकों की ठीक से जाँच पड़ताल नहीं कर पाती तथा जल्दबाजी में उन्हें पारित कर देती है। परन्तु जब ये विधेयक लार्ड सभा में जाते हैं तो लार्ड सभा के अनुभवी सदस्य इनकी विस्तार से जाँच पड़ताल करते हैं तथा उनकी दुर्बलताओं की सूचना कॉमन सभा तथा जनता को देते हैं।
3. **लार्ड सभा की विलम्बकारी सदन के रूप में महत्त्वपूर्ण भूमिका**—यद्यपि लार्ड सभा को कानून निर्माण के क्षेत्र में कोई विशेष शक्ति नहीं है परन्तु वह साधारण विधेयक को एक वर्ष तक पारित होने से रोक सकती है। जनता के दृष्टिकोण को जानने हेतु यह समय पर्याप्त है।

TOUCH 'n' PASS

4. **लार्ड सभा में वाद-विवाद का स्तर**—लार्ड सभा के सदस्य बहुत ही अनुभवी तथा योग्य होते हैं। इस कारण से लार्ड सभा में वाद-विवाद का स्तर बहुत ही ऊँचा होता है जिससे राष्ट्र को बहुत लाभ होता है। लार्ड सभा के अनेक सदस्य सेवानिवृत्त राजदूत, मन्त्री तथा गवर्नर आदि होते हैं।
5. **लार्ड सभा प्रतिभावान व्यक्तियों का पुंज**—यह धारणा है कि लार्ड सभा बहुत ही प्रतिभावान लोगों का गढ़ है। लार्ड सभा ने अनेक योग्य व्यक्ति जैसे—ब्राइस तथा कीन्स आदि दिये हैं।
6. **अधिकांश राष्ट्रों में दो सदन विद्यमान हैं**—लार्ड सभा का समर्थन इस आधार पर भी किया जाता है कि वर्तमान में अधिकांश राष्ट्रों में दो सदन हैं तथा द्वितीय सदन को शासन के लिए लाभकारी बताया जाता है। **ब्राइस** के अनुसार, "व्यवस्थापिका को अत्याचारी व निरंकुश बनने से रोकने के लिए दो सदन अवश्य होने चाहिए ताकि वे एक दूसरे पर नियन्त्रण रख सकें।"

अत: स्पष्ट है कि यद्यपि लार्ड सभा की शक्तियाँ बहुत ही कम हो गयी हैं। परन्तु अनेक कारणों से आज भी ब्रिटिश शासन प्रणाली में लार्ड सभा की उपयोगिता बनी हुई है। लार्ड सभा के सदस्य बहुत ही अनुभवी तथा योग्य होते हैं वे कॉमन सभा द्वारा पारित विधेयकों की ठीक प्रकार से जाँच पड़ताल करते हैं तथा उसे जल्दबाजी में कानून बनाने से रोकते हैं।

प्र.2. कॉमन सभा की शक्तियों तथा इसकी वास्तविक स्थिति पर प्रकाश डालिए। इसकी शक्तियों के ह्रास के क्या कारण हैं?
Describe the composition and powers of the House of Commons. Also explain the causes of decay of its powers.

उत्तर ब्रिटिश संसद के दो सदन हैं—लार्ड सभा तथा कॉमन सभा। लार्ड सभा उच्च सदन है तथा कॉमन सभा निम्न सदन है। कॉमन सभा को जनता का सदन भी कहा जाता है। ब्रिटेन की शासन प्रणाली में संसद सर्वोच्च है। इसके पास कानून निर्माण करने की व्यापक शक्तियाँ हैं। वास्तव में ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता तथा शक्तियों का अर्थ है कॉमन सभा की सर्वोच्चता तथा शक्तियाँ। 1911 व 1949 के संसदीय अधिनियमों के बाद लार्ड सभा की शक्तियाँ लगभग समाप्त हो गयी हैं तथा वे कॉमन सभा में निहित हो गयी हैं। कॉमन सभा के सदस्यों की संख्या 650 है जिनका चुनाव सर्ववयस्क मताधिकार के आधार पर जनता द्वारा पाँच वर्ष के लिए किया जाता है। परन्तु यदि राष्ट्र पर कोई संकट है तो इसके कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है। 1935 में कॉमन सभा का चुनाव हुआ परन्तु द्वितीय विश्व युद्ध के कारण कॉमन सभा का पुन: चुनाव समय से नहीं कराया जा सका। इस कारण से यह, कॉमन सभा 1945 तक चलती रही। कॉमन सभा को उसकी सामान्य अवधि पूरा होने से पूर्व भंग भी किया जा सकता है जैसे 1974 में कॉमन सभा को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही भंग कर दिया गया था। कॉमन सभा का एक वर्ष में एक अधिवेशन होना आवश्यक है।

कॉमन सभा के सदस्यों की योग्यताएँ

1. ब्रिटेन का नागरिक होना चाहिए।
2. उसकी आयु कम-से-कम 21 वर्ष हो।
3. मतदाताओं की सूची में उसका नाम हो।

कॉमन सभा की शक्तियाँ व भूमिका (Role and Powers of Common Commettee)

कॉमन सभा ब्रिटिश लोकतन्त्र की सबसे महत्त्वपूर्ण संस्था मानी जाती है; क्योंकि यह सदन जनता का प्रतिनिधित्व करता है। विधि निर्माण के क्षेत्र में, मन्त्रिमण्डल के निर्माण व उसे हटाने के सम्बन्ध में कॉमन सभा के पास व्यापक शक्तियाँ हैं। इसकी निम्न शक्तियाँ हैं—

1. **विधायी शक्तियाँ**—कॉमन सभा किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। किसी भी कानून को अपनी इच्छानुसार संशोधित कर सकती है तथा किसी भी कानून को रद्द कर सकती है। देश के किसी भी न्यायालय में कॉमन सभा द्वारा बनाये गये कानूनों को चुनौती नहीं दी जा सकती। जहाँ तक सम्राट की स्वीकृति का प्रश्न है यह एक औपचारिकता मात्र है। लगभग 250 वर्षों से सम्राट ने किसी भी विधेयक को अस्वीकार नहीं किया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 1911 व 1949 के संसदीय अधिनियमों के बाद लार्ड सभा के पास कोई विशेष शक्तियाँ नहीं रही। लार्ड सभा कॉमन सभा द्वारा पारित साधारण विधेयकों को अधिक-से-अधिक एक वर्ष तक कानून बनाने से रोक सकती है।
2. **वित्तीय शक्तियाँ**—वर्तमान में समस्त वित्तीय शक्तियाँ कॉमन सभा में निहित हो गयी है। कॉमन सभा की सहमति के बिना जनता पर कोई भी कर नहीं लगाया जा सकता। सभी वित्त विधेयक कॉमन सभा में ही प्रस्तुत किये जाते हैं। लार्ड सभा

केवल एक महीने तक वित्त विधेयक को अपने यहाँ रोक सकती है। एक महीने के अन्दर वह या तो वित्त विधेयक को अपनी स्वीकृति प्रदान कर देती है या अपने सुझावों के साथ कॉमन सभा को लौटा देती है। यह कॉमन सभा पर निर्भर है कि वह उनके सुझावों को माने या न माने।

कॉमन सभा की लेखा समिति यह जाँच पड़ताल करती है कि विभिन्न विभागों ने धन का प्रयोग ठीक प्रकार से किया है या नहीं। अत: वित्तीय क्षेत्र में संसद की शक्तियों का अभिप्राय है कॉमन सभा की शक्तियाँ।

3. **कार्यपालिका पर नियन्त्रण करने सम्बन्धी शक्तियाँ**—ब्रिटेन में कार्यपालिका अर्थात् मन्त्रिमण्डल संसद के निम्न सदन अर्थात् कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी है लार्ड सभा के प्रति नहीं। यदि कॉमन सभा मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर देती है तो मन्त्रिमण्डल के त्याग-पत्र देना पड़ता है। कॉमन सभा के सदस्य मन्त्रिमण्डल के सदस्यों से किसी भी विषय पर प्रश्न पूछ सकती है।
4. **जनमत की अभिव्यक्ति**—कॉमन सभा जनता का सदन है। इसके सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा होता है अत: जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए कॉमन सभा के सदस्य सरकार के समक्ष जनता की विभिन्न समस्याओं तथा माँगों को रखते हैं।
5. **जनमत को राजनीतिक शिक्षा**—कॉमन सभा में विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य अपनी विचारधारा के अनुसार विभिन्न मुद्दों पर वाद-विवाद करते हैं। यह वाद-विवाद समाचार-पत्रों, दूरदर्शन आदि के माध्यम से जनता तक पहुँच जाता है। इसके परिणामस्वरूप जनता को विभिन्न राजनीतिक दलों के दृष्टिकोणों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। इससे जनता में राजनीतिक जाग्रति उत्पन्न होती है।

कॉमन सभा की वास्तविक स्थिति (Actual Status of Common Assembly)

सैद्धान्तिक रूप में कॉमन सभा के पास व्यापक शक्तियाँ हैं, परन्तु व्यवहार में आज कॉमन सभा पर मन्त्रिमण्डल का नियन्त्रण हो गया है। प्रसिद्ध लेखक फेयर ले ने अपनी पुस्तक The Life of Politics में लिखा है कि "कॉमन सभा की परम्परागत शक्तियाँ अब महज दिखावा बनकर रह गयी है; क्योंकि मन्त्रिमण्डल संसद में जो कुछ चाहे पारित करा लेता है।"

यदि हम कॉमन सभा की कानून निर्माण की शक्तियों का विश्लेषण करते हैं तो ज्ञात होता है कि आजकल कॉमन सभा में अधिकांश विधेयक मन्त्रियों द्वारा प्रस्तुत किये जाते हैं तथा मन्त्रिमण्डल जिस रूप में विधेयक प्रस्तुत करता है। कॉमन सभा उसी रूप में पारित कर देती है। आलोचकों के अनुसार, आज कॉमन सभा के तीन कार्य रह गये हैं—

1. **सरकार का समर्थन करना**—बहुमत दल सदैव कॉमन सभा में सरकार का समर्थन करता है। दलीय अनुशासन के कारण वह हमेशा सरकार का बचाव करता है।
2. **सरकार की आलोचना करना**—जहाँ सत्ताधारी सरकार की प्रत्येक नीति का समर्थन करता है वही विपक्षी दल सरकार की प्रत्येक नीति की आलोचना करते हैं।
3. **वाद-विवाद करना**—आलोचकों के अनुसार, वर्तमान में कॉमन सभा केवल एक वाद-विवाद का केन्द्र बनकर रह गया है।

कॉमन सभा की शक्तियों के ह्रास के कारण
(Reasons for the Decline in the Powers of the Common Assembles)

1. **कठोर दलीय अनुशासन**—कठोर दलीय अनुशासन के कारण मन्त्रिमण्डल अपनी प्रत्येक नीति के लिए कॉमन सभा का समर्थन प्राप्त कर लेता है। यदि दल का कोई सदस्य कॉमन सभा में मन्त्रिमण्डल की नीतियों का विरोध करता है तो उसके विरुद्ध अनुशासनहीनता की कार्यवाही की जाती है तथा आने वाले चुनाव में उसका टिकट काट दिया जाता है।
2. **संसद सदस्यों के पास विशेष जानकारी का अभाव**—आधुनिक युग में कानून बनाना एक बहुत ही कठिन कार्य है। इसके लिए विशेष जानकारी की आवश्यकता पड़ती है जो कॉमन सभा को मन्त्रियों से प्राप्त होती है। इस कारण मन्त्रिमण्डल कानून निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
3. **संसद की समय-सारणी पर मन्त्रिमण्डल का नियन्त्रण**—वर्तमान में मन्त्रिमण्डल ही इस बात का निर्धारण करता है कि कॉमन सभा में कौन-सा विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा तथा उस पर कितने समय चर्चा होगी, संसद का अधिवेशन कब बुलाया जाएगा तथा कितने दिन चलेगा आदि।

4. **प्रदत्त विद्यायन**—वर्तमान युग में संसद के पास इतना समय नहीं है कि वह कानून का निर्माण विस्तार से करें। इस कारण से संसद ने प्रदत्त विधायन के माध्यम से अपनी कानून निर्माण करने की शक्ति मन्त्रिमण्डल को प्रदान कर दी है।
5. **कॉमन सभा भंग करवाने की शक्ति**—ब्रिटेन में मन्त्रिमण्डल के पास यह शक्ति है कि वह सम्राट को परामर्श देकर कॉमन सभा को पाँच वर्ष पूर्व ही भंग करा सकता है। कॉमन सभा के सदस्यों को भय रहता है कि यदि वे मन्त्रिमण्डल की नीतियों का समर्थन नहीं करेंगे तो मन्त्रिमण्डल सम्राट को परामर्श देकर कॉमन सभा को भंग करा सकता है तथा नये चुनाव करवा सकता है। अत: चुनाव के भय से कॉमन सभा के सदस्य मन्त्रिमण्डल की नीतियों का समर्थन करते हैं।

अत: स्पष्ट है कि विभिन्न कारणों से कॉमन सभा की शक्तियों का ह्रास हुआ है।

प्र.3. ब्रिटिश संसद की रचना तथा शक्तियों का वर्णन करो। क्या ब्रिटिश संसद सम्प्रभु है? ब्रिटिश संसद की शक्तियों के ह्रास के क्या कारण हैं?

Discuss the composition and powers of the British parliament. What are the causes of decline in its position?

उत्तर

ब्रिटिश संसद की रचना
(Composition of British Parliament)

ब्रिटिश संसद द्विसदनीय है। इसके उच्च सदन को लार्ड सभा तथा निम्न सदन को कॉमन सभा कहा जाता है।

1. **लार्ड सभा**—यह संसद का उच्च सदन है। इसकी सदस्य संख्या 1185 है इसके अधिकतर सदस्य पैतृक आधार पर बनते हैं तथा अधिकतम सदस्य जमींदार धनी व्यक्ति तथा कुलीन पुरुष है। "लार्ड चांसलर लार्ड सभा का अध्यक्ष होता है।" इसकी नियुक्ति राजा द्वारा प्रधानमन्त्री के परामर्श से की जाती है तथा वह मन्त्रिमण्डल का सदस्य होता है। लार्ड सभा की गणपूर्ति केवल 3 हैं परन्तु कोई बिल तब तक पारित नहीं हो सकता जब तक सदन में 30 सदस्य उपस्थित न हो।
2. **कॉमन सभा**—कॉमन सभा संसद का निम्न सदन है। इसके सदस्यों की संख्या 650 है। इनका चुनाव सर्ववयस्क मताधिकार के आधार पर जनता द्वारा किया जाता है। कॉमन सभा की अवधि पाँच वर्ष है। संकट काल में इसकी अवधि को बढ़ाया जा सकता है तथा पाँच वर्ष पूर्व राजा प्रधानमन्त्री के परामर्श से इसे भंग भी कर सकता है।
   कॉमन सभा का अधिवेशन वर्ष में एक बार होना अनिवार्य है। कॉमन सभा की गणपूर्ति 40 है। कॉमन सभा अपने एक स्पीकर का चुनाव करती है। चुनाव के पश्चात् स्पीकर सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेता है।
3. **लार्ड सभा तथा कॉमन सभा में सम्बन्ध**—वर्तमान में लार्ड सभा की शक्तियाँ कॉमन सभा की तुलना में बहुत ही कम है। साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। लार्ड सभा कॉमन सभा द्वारा पारित साधारण विधेयक को केवल एक वर्ष तक कानून बनने से रोक सकती है। धन विधेयक केवल कॉमन सभा में ही प्रस्तुत किये जा सकते हैं। जब कॉमन सभा से पारित होकर वे लार्ड सभा को जाते हैं तो वह उन्हें अधिक-से-अधिक 30 दिन तक कानून बनने से रोक सकती है। यदि तीस दिन के अन्दर वह धन विधेयक को अपने सुझावों के साथ कॉमन सभा को लौटाती है तो यह कॉमन सभा पर निर्भर है कि वह उसके सुझावों को स्वीकार करे या न करे। मन्त्रिपरिषद भी अपने कार्यों के लिए कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी है लार्ड सभा के प्रति नहीं।

संसद की शक्तियाँ
(Power of Parliament)

1. **विधायी शक्तियाँ**—ब्रिटिश संसद का मुख्य कार्य कानून का निर्माण करना है। एकात्मक प्रणाली होने के कारण ब्रिटिश संसद किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, पुराने कानूनों में संशोधन कर सकती है तथा उन्हें रद्द कर सकती है। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को न्यायपालिका अवैध घोषित नहीं कर सकती।
2. **वित्तीय शक्तियाँ**—संसद का राष्ट्र के धन पर पूर्ण नियन्त्रण है। इसकी स्वीकृति के बिना सरकार न तो कोई कर लगा सकती है तथा न ही धन को खर्च कर सकती है। प्रति वर्ष राष्ट्र की आय तथा व्यय का लेखा-जोखा बजट के रूप में संसद के समक्ष रखा जाता है।
3. **कार्यपालिका का नियन्त्रण**—ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली हैं इसलिए मन्त्रिमण्डल अपने प्रत्येक कार्य के लिए संसद के निम्न सदन अर्थात् कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी है। यदि कॉमन सभा मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव

TOUCH in PASS

पारित कर दे तो मन्त्रिपरिषद को त्याग-पत्र देना पड़ता है। संसद सदस्य प्रश्न पूछकर तथा वाद-विवाद करके भी मन्त्रिपरिषद पर नियन्त्रण रखते हैं।

4. **न्यायिक शक्तियाँ**—ब्रिटिश संसद को कुछ न्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त है। संसद का उच्च सदन लार्ड सभा ब्रिटेन का सर्वोच्च न्यायालय है। यहाँ उल्लेखनीय है कि जब लार्ड सभा सर्वोच्च न्यायालय के रूप में बैठता है तो केवल विधि लार्ड्स ही इसकी कार्यवाही में भाग लेते हैं सभी सदस्य नहीं।
5. **संविधान में संशोधन की शक्ति**—ब्रिटिश संसद संविधान के किसी भी भाग में साधारण बहुमत से संशोधन कर सकती है।

अत: स्पष्ट है कि ब्रिटिश संसद के पास कानून निर्माण की सर्वोच्च शक्ति है। ऐसा कोई विषय नहीं है जिस पर वह कानून का निर्माण नहीं कर सकती तथा संविधान का ऐसा कोई भाग नहीं है जिसे वह साधारण बहुमत से न बदल सकती हो। राष्ट्र के धन पर इसका नियन्त्रण है तथा मन्त्रिमण्डल संसद के प्रति उत्तरदायी है। अत: ब्रिटिश संसद के पास व्यापक शक्तियाँ हैं।

क्या ब्रिटिश संसद सर्वोच्च तथा सम्प्रभुता सम्पन्न है?
(Is the British Parliament Supreme and Sovereign)

संसद की सर्वोच्चता ब्रिटिश संविधान की मुख्य विशेषता है। **डायसी** के अनुसार, "वैधानिक दृष्टि से संसद की सम्प्रभुता हमारी राजनीतिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है।" सैद्धान्तिक दृष्टि से ब्रिटिश संसद सर्वोच्च तथा सम्प्रभुता सम्पन्न है; क्योंकि वह किसी भी विषय पर कानून बना सकती है तथा उसके द्वारा निर्मित कानून को कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती। कोई भी न्यायालय संसद द्वारा निर्मित कानूनों को अवैध तथा असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकता। केवल संसद ही अपने द्वारा निर्मित कानून में संशोधन कर सकती है तथा उन्हें रद्द कर सकती है। कानून निर्माण के क्षेत्र में ब्रिटिश संसद को प्राप्त इस असीमित शक्ति को ही संसद की सम्प्रभुता कहा जाता है। **मैरियट** के अनुसार, "संसद का अधिकार क्षेत्र सबसे अधिक विस्तृत है। इसकी शक्तियाँ असीमित हैं। यह धार्मिक तथा लौकिक सभी मामलों में कानून निर्माण की सर्वोच्च शक्ति है।" **डायसी** ने ब्रिटिश संसद की सम्प्रभुता पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि "ब्रिटिश संसद इतनी शक्तिशाली है कि वह शिशु को भी बालिग घोषित कर सकती है।" अत: ब्रिटिश संसद की सम्प्रभुता का निम्न अभिप्राय है—

1. ब्रिटिश संसद किसी भी विषय पर कानून बना सकती है।
2. संसद द्वारा बनाये गये कानून को कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती।
3. कोई भी न्यायालय संसद द्वारा निर्मित कानून को असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकता।
4. केवल संसद ही अपने द्वारा बनाये गये कानून में संशोधन कर सकती है।

संसद की सम्प्रभुता की शक्ति पर सीमाएँ (Limits on the Sovereign Power of Parliament)

यद्यपि सैद्धान्तिक रूप में ब्रिटिश संसद सम्प्रभुता सम्पन्न है, परन्तु व्यवहार में उसकी शक्तियों पर अनेक नियन्त्रण लगे हैं। जैसे—

1. **जनमत**—संसद की शक्ति पर सबसे मुख्य नियन्त्रण जनमत का होता है। संसद के निम्न सदन के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा होता है। इस कारण से कॉमन सभा ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगी जिससे जनता उसके विरुद्ध हो जाए। संसद कानून निर्माण करते समय समाचार-पत्रों आदि के दृष्टिकोणों को भी ध्यान में रखती है; क्योंकि समाचार-पत्र भी जनमत निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
2. **परम्पराएँ**—ब्रिटिश शासन प्रणाली में परम्पराओं का महत्त्वपूर्ण स्थान है। ब्रिटिश जनता स्वभाव से परम्परावादी है। वह अपनी परम्पराओं से अत्यधिक लगाव रखती है। यदि कोई परम्पराओं के उल्लंघन का प्रयास करता है तो ब्रिटिश जनता उसके विरुद्ध हो जाती है। अत: संसद कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जिससे किसी परम्परा का उल्लंघन हो। यदि वह ऐसा करती है तो जनमत उसके विरुद्ध हो जाएगा।
3. **नैतिक बन्धन**—ब्रिटिश संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो ब्रिटेन में प्रचलित नैतिक धारणाओं के विरुद्ध हो। ब्रिटिश जनता नैतिक मूल्यों को अत्यधिक महत्त्व देती है।
4. **विधि का शासन**—ब्रिटिश शासन प्रणाली विधि के शासन के सिद्धान्त पर आधारित है। ब्रिटिश संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो विधि के शासन के सिद्धान्त के विरुद्ध हो। यदि वह ऐसा करती है तो जनमत इसे सहन नहीं करेगा।

5. **अन्तर्राष्ट्रीय कानून**—ब्रिटिश संसद के ऊपर अन्तर्राष्ट्रीय कानून तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं का भी नियन्त्रण है। संसद अन्तर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करती है। वह ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जिससे किसी अन्तर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हो।

अत: सैद्धान्तिक रूप से ब्रिटिश संसद सम्प्रभु हैं, परन्तु व्यवहार में उसकी शक्तियों के ऊपर अनेक नियन्त्रण लगे हैं।

संसद की शक्ति के ह्रास के कारण (Reasons of Decline in Power of Parliament)

संसद की शक्ति के ह्रास के वही कारण हैं जो कॉमन सभा की शक्ति के ह्रास के कारण हैं।

प्र.4. अमेरिका के संविधान की विशेषताओं की विवेचना कीजिए।
Discuss the features of the American Constitution.

उत्तर

अमेरिका के संविधान की विशेषताएँ
(Features of the American Constitution)

अमेरिका का संविधान एक संघात्मक संविधान है जो 1787 के फिलाडेल्फिया सम्मेलन की उपज है। अमेरिकन संविधान में फ्रांस की तरह शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धान्त अपनाया गया है, लेकिन फिर भी उसमें विरोध व सन्तुलन के सिद्धान्त के द्वारा संघात्मक शासन प्रणाली को सफल बनाने का सुन्दर प्रयास किया गया है। इस संविधान की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

1. **लिखित संविधान** (Written Constitution)—अमेरिकन संविधान आधुनिक युग का एक प्राचीनतम लिखित और निर्मित संविधान है। भारत, चीन, स्विस आदि देशों के संविधान उससे बाद के हैं। इसका निर्माण 1787 के फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा गठित महासभा द्वारा किया गया था। इसमें शासन के मूल सिद्धान्तों, शासन के अंगों व कार्यों, नागरिक अधिकारों की स्पष्ट व्याख्या की गयी है। इसमें ब्रिटिश संविधान की तरह परम्पराओं तथा अभिसमयों को भी मान्यता मिली हुई है। ये परम्पराएँ व अभिसमय मन्त्रिमण्डलीय व्यवस्था, राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव, दलीय व्यवस्था का महत्त्व, स्पीकर के अधिकार आदि रूपों में है। इस तरह उसका कुछ भाग अलिखित व विकसित भी है।
2. **संक्षिप्त संविधान** (Short Constitution)—अमेरिकन संविधान विश्व के सभी लिखित संविधानों में सबसे संक्षिप्त है। इसमें कुल चार हजार शब्द हैं और बारह पृष्ठों वाला यह संविधान आधे घण्टे में पढ़ा जा सकता है। इसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं। इसके विपरीत भारत के संविधान में 395, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 तथा दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद हैं। इस तरह यह विश्व में सबसे संक्षिप्त या छोटा संविधान है।
3. **कठोर संविधान** (Rigid Constitution)—अमेरिका का संविधान अपरिवर्तनशील है। इसमें ब्रिटेन की तरह साधारण विधि से संशोधन नहीं किया जा सकता। इसमें संशोधन करने के लिए कांग्रेस के दोनों सदनों के साथ-साथ राज्यों के विधानमण्डलों की भी अनुमति लेनी पड़ती है। इसकी कठोरता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि विगत 225 वर्षों में इसमें केवल 27 संशोधन ही हो पाये हैं, जबकि भारत के संविधान में मात्र 55 वर्ष में लगभग 100 संशोधन हो चुके हैं।
4. **निर्मित संविधान** (Enacted Constitution)—अमेरिकन संविधान ब्रिटिश संविधान की तरह विकसित संविधान नहीं हैं बल्कि यह विशेष अवसर पर संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान की तरह निर्मित संविधान है। इसकी रचना 1787 के फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा गठित संविधान सभा द्वारा की गई है। इसमें कांग्रेस के व्यवस्थापन, संविधान में संशोधन तथा न्यायिक निर्णयों द्वारा विकास के गुण भी आ गये हैं। इस तरह इसका कुछ भाग विकसित भी हैं।
5. **मौलिक अधिकारों व स्वतन्त्रताओं की व्यवस्था** (Provision for Fundamental Rights and Liberties)—अमेरिकन संविधान में नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार व स्वतन्त्रताएँ प्रदान की गई हैं, जिनका उल्लंघन करने का अधिकार किसी को प्राप्त नहीं है। यदि कोई व्यक्ति उन अधिकारों व स्वतन्त्रताओं का अतिक्रमण करता है तो न्यायपालिका द्वारा उसे दण्डित किया जाता है। अमेरिकन न्यायालयों को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बन्दी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार पृच्छा, निषेधाज्ञा जैसे लेख जारी करने का अधिकार है। यद्यपि युद्धकाल या विशेष परिस्थितियों में इन अधिकारों को सीमित अवश्य किया जा सकता है, लेकिन इनका स्थगन या समापन नहीं हो सकता।
6. **न्यायिक सर्वोच्चता** (Judicial Supremacy)—अमेरिकन संविधान न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धान्त प्रतिपादित करता है। संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) को जो शक्ति दी है, उसका

TOUCH IN PASS

प्रयोग वह विधायिका तथा कार्यपालिका द्वारा निर्मित कानूनों की संवैधानिकता जाँचने के लिए कर सकता है। यदि कोई कानून संविधान की आत्मा के विरुद्ध हो तो वह उसे अवैध घोषित कर सकता है।

7. **संविधान की सर्वोच्चता** (Supremacy of the Constitution)—अमेरिकी संविधान देश का सर्वोच्च व मौलिक कानून है। राष्ट्रपति, कांग्रेस तथा सर्वोच्च न्यायालय सभी संविधान के अधीन हैं। संविधान के अनुच्छेद 6 के अन्तर्गत लिखा गया है कि "संविधान और उसके अनुसार निर्मित सभी तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के सभी प्राधिकार के अधीन की गई समस्त सन्धियाँ व समझौते, देश का सर्वोच्च कानून होंगे और प्रत्येक राज्य में न्यायाधीश उसका पालन करने के लिए बाध्य होंगे। जो बात संविधान के विरुद्ध होगी, उसे अवैध माना जाएगा।" इस तरह संविधान ही अमेरिका का सबसे बड़ा कानून है और सभी व्यक्ति और संस्थाएँ उसके अधीन हैं।
8. **अध्यक्षात्मक कार्यपालिका** (Presidential Executive)—अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन-प्रणाली अपनायी गई है। वहाँ राष्ट्रपति ही देश का वास्तविक शासक है। ब्रिटिश की तरह वहाँ नाममात्र और वास्तविक कार्यपालिका में भेद नहीं किया गया है। कार्यपालिका पर विधायिका का कोई नियन्त्रण नहीं है। राष्ट्रपति का निर्वाचन 1 वर्ष के लिए होता है और वह अपने उत्तरदायित्वों का वहन करते समय कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं है।
9. **संघात्मक शासन प्रणाली** (Federal Form of Government)—अमेरिका की शासन व्यवस्था संघात्मक है। संविधान द्वारा शासन की शक्तियों का बँटवारा केन्द्र व राज्यों के बीच किया गया है। राष्ट्रीय महत्त्व के विषय पर केन्द्र सरकार को तथा स्थानीय विषयों पर राज्य सरकारों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। आज तक अमेरिकन संघ को व्यवहार में कोई कठिनाई अनुभव नहीं हुई है। केन्द्र सरकार तथा सभी राज्यों में आपसी सहयोग की भावना ने वहाँ संघात्मक शासन प्रणाली को सफल बनाया है। वहाँ अवशिष्ट शक्तियाँ भी राज्यों को ही प्राप्त हैं। परन्तु धीरे-धीरे शक्तियों का झुकाव केन्द्र की तरफ बढ़ रहा है।
10. **लोकप्रिय सम्प्रभुता** (Popular Sovereignty)—अमेरिका के संविधान में सम्प्रभुता जनता में निहित मानी गई है। अमेरिकन संविधान की प्रस्तावना जन-प्रभुसत्ता का सिद्धान्त स्थापित करती है। अमेरिकन स्वतन्त्रता के घोषणा-पत्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि सरकारें अपनी उचित शक्तियाँ जनता की अनुमति से प्राप्त करती हैं। इसी कारण वहाँ कार्यपालिका तथा विधायिका को जनादेश का सम्मान अवश्य करना पड़ता है। चुनाव वह अस्त्र है जो जनता को सम्प्रभु बना देता है।
11. **शक्तियों का पृथक्करण** (Separation of Powers)—अमेरिका में पहले तो शक्तियों का विभाजन केन्द्र व राज्य सरकारों के बीच किया गया है। उसके बाद केन्द्र सरकार की शक्तियाँ भी कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका को सौंप दी गई हैं। शक्तियों का यह विभाजन सरकार को निरंकुश बनने से रोकने में काफी सहायक सिद्ध हुआ है। इस सिद्धान्त के अनुसार, सरकार का कोई भी अंग निर्धारित सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकता। अमेरिका में विधायी शक्तियाँ कांग्रेस को, कार्यपालक शक्तियाँ राष्ट्रपति को तथा न्यायिक शक्तियाँ सर्वोच्च न्यायालय को सौंपकर इस सिद्धान्त का पालन किया गया है।
12. **निरोध व सन्तुलन का सिद्धान्त** (Principle of Checks and Balances)—अमेरिका में तो सैद्धान्तिक तौर पर शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है, लेकिन व्यवहार में वहाँ निरोध व सन्तुलन का सिद्धान्त भी लागू हुआ है। यदि वहाँ शक्तियों के पृथक्करण को पूरी तरह लागू कर दिया जाता तो प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर सकता है। इसलिए सरकार के प्रत्येक अंग की अपनी क्षेत्र में निरंकुशता रोकने के लिए इस सिद्धान्त का प्रयोग हुआ है। उदाहरण के लिए, देश के समस्त उच्च पदों पर नियुक्तियाँ तो राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन उन पर उसे सीनेट का अनुसमर्थन प्राप्त करना जरूरी है, अन्यथा वे नियुक्तियाँ अवैध मानी जाएँगी। इसी तरह किसी विधेयक पर अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग करके राष्ट्रपति कांग्रेस पर दबाव बना सकता है। एक तरफ तो न्यायपालिका को स्वतन्त्र बनाया गया है, लेकिन दूसरी तरफ न्यायाधीशों को हटाने का अधिकार कांग्रेस व राष्ट्रपति को दे दिया है।
13. **प्रतिनिधि सरकार** (Representative Government)—अमेरिका में प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र की जगह अप्रत्यक्ष प्रजातन्त्र अपनाया गया है। इसे प्रतिनिधि प्रजातन्त्र भी कहा जाता है। अमेरिका में केन्द्र तथा राज्यों का शासन चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता है।

TOUCH'n'PASS

14. **सीमित सरकार** (Limited Government)—अमेरिका में सरकार को निरंकुश शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं। उसकी शक्तियों का विभाजन किया गया है। उन शक्तियों पर संविधान व न्यायपालिका का नियन्त्रण स्थापित किया गया है। कोई भी सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती। उसे संविधान की मर्यादा का निर्वहन करना पड़ता है। संविधान में वर्णित अधिकारों पर भी सरकार की कोई अन्य शक्ति प्रतिबन्ध नहीं लगा सकती। मुनरो का कहना है, कि अमेरिका का संविधान प्रतिबन्धों पर आधारित सीमित सरकार की सुन्दर व्यवस्था स्थापित करता है।
15. **दोहरी नागरिकता** (Dual Citizenship)—अमेरिका के संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। वहाँ प्रत्येक नागरिक सम्बन्धित राज्य का नागरिक होने के साथ-साथ देश का नागरिक भी होता है। दोहरी नागरिकता के कारण वहाँ पृथकतावाद की भावना का विकास नहीं होता।
16. **लूट-प्रणाली** (Spoil System)—अमेरिकन संविधान में लूट प्रथा का प्रावधान है। इस प्रथा के तहत अमेरिकन राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह लोक सेवकों को हटाकर उनके स्थान पर अपने चहेतों को बिठा सकता है। इस प्रथा का प्रारम्भ राष्ट्रपति एण्ड्रयू जैकसन ने किया था और यह प्रथा लम्बे समय तक अमेरिकी राजनीतिक जीवन में काले बादल की तरह छायी रही। लेकिन कांग्रेस ने 'Pendention Pact' लागू करके इस प्रथा का अन्त कर दिया। परन्तु इस प्रथा के अवशेष आज भी वहाँ मौजूद है। अब 10 प्रतिशत पदों पर ही राष्ट्रपति अपने समर्थकों को नियुक्त कर सकता है।
17. **द्वितीय सदन में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व** (Equal Participation of States in Second Chamber)—अमेरिका में कांग्रेस के निम्न सदन 'प्रतिनिधि सभा' में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है चाहे उनकी आकार व जनसंख्या कितनी भी हो। कम या अधिक जनसंख्या होने का प्रतिनिधित्व पर कोई असर नहीं पड़ता।
18. **गणतन्त्रीय सरकार** (Republican Government)—अमेरिका का संविधान लोकतन्त्रीय होने के साथ-साथ गणतन्त्रीय भी है। इसमें ब्रिटेन की तरह पैतृक सिद्धान्त को नहीं अपनाया गया है। गणतन्त्र की प्रमुख विशेषता होती है कि उसमें राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा निर्वाचित व्यक्ति होता है। इसी तरह अमेरिका में भी राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचित होता है। अत: अमेरिका में गणतन्त्रीय सरकार की व्यवस्था है।
19. **अन्य विशेषताएँ** (Miscellaneous Features)—उपरोक्त विशेषताओं के अतिरिक्त भी अमेरिकन संविधान की कुछ अन्य विशेषताएँ भी हैं। प्रथम अमेरिका में ब्रिटेन की तरह प्रथाओं व अभिसमयों ने भी संविधान का विकास किया है। जैसे राजनीतिक दलों का विकास प्रथाओं पर आधारित है। दूसरी बात यह है कि वहाँ अन्य देशों की बजाय दूसरा सदन (सीनेट) अधिक शक्तिशाली है। तीसरी बात यह है कि वहाँ प्रत्येक राज्य का अपना संविधान है। चौथी बात यह है कि वहाँ कानून की उचित प्रक्रिया को अपनाया गया है। पाँचवीं विशेषता यह है कि वहाँ ब्रिटेन व भारत की तरह द्विसदनीय विधानमण्डल है और इसी तरह द्वि-दलीय प्रणाली भी है।

प्र.5. संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिनिधि सभा के संगठन, शक्तियों एवं भूमिका का परीक्षण कीजिए। यह दुर्बल क्यों है?
Discuss the composition, functions and role of the House of Representatives of U.S.A. why is it a weaker chamber?

उत्तर अमेरिका में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को अपनाया गया है। अमेरिका की कांग्रेस (संसद) के दो सदन हैं—(i) प्रतिनिधि सभा, (ii) सीनेट। कांग्रेस को विभिन्न क्षेत्रों में शक्तियाँ प्राप्त हैं, जैसे—कानून निर्माण, चुनाव, कार्यपालिका सम्बन्धी कार्य, प्रशासन का निर्देशन एवं नियन्त्रण, जाँच पड़ताल, नवीन राज्यों को संघ में प्रवेश, वित्तीय व न्यायिक कार्य आदि। दोनों सदनों के प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। प्रतिनिधि सभा में सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है, जबकि सीनेट में सदस्यों की संख्या कम होती है। प्रत्येक राज्य की सीनेट में दो प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होता है।

अमेरिकन व्यवस्थापिका प्रतिनिधि सभा
(House of Representatives)

अमेरिका का लोकप्रिय सदन प्रतिनिधि सभा है। जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि सभा का गठन होता है। इसका कार्यकाल 2 वर्ष होने के कारण सदस्यों पर जनता के विचारों की तत्काल प्रतिक्रिया होती है और वे उसी के अनुसार आचरण भी करते हैं।

1. **संगठन**—अमेरिका के मूल संविधान में लिखा है, "प्रतिनिधि अनेक राज्यों में उनके अनुपात के अनुसार बाँट दिये जाएँगे। जो इण्डियन टैक्स नहीं देते हैं, उनको उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। 30 व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि लिया

TOUCH n PASS

जाएगा, परन्तु प्रत्येक राज्य में कम-से-कम एक प्रतिनिधि जरूर लिया जाएगा।'' शुरू में प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या 65 थी लेकिन जनसंख्या बढ़ने के साथ-साथ बढ़ती जा रही है।

2. **सदस्यों के लिए योग्यताएँ**—प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के लिए निम्न योग्यताएँ होनी चाहिए—
   (i) वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
   (ii) वह 7 वर्ष से अमेरिका में रह रहा हो। इस सम्बन्ध में जन्मजात नागरिक होना आवश्यक नहीं है।
   (iii) वह अमेरिका में नागरिक या सैनिक अधिकारी न हो।
   (iv) उस राज्य का निवासी हो जहाँ से चुनाव लड़ रहा है।
3. **कार्यकाल**—प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष है। इसको न घटाया जा सकता है न बढ़ाया जा सकता है। इसको समय से पहले विघटित नहीं किया जा सकता।
4. **सदस्यों के वेतन व भत्ते**—सदस्यों का वेतन 30 हजार डॉलर है तथा अन्य भत्ते मिलते हैं। अन्य सुविधाएँ सीनेट के सदस्यों के समान ही प्राप्त हैं।
5. **अधिकारीगण**—प्रतिनिधि सभा का मुख्य अधिकारी अध्यक्ष होता है। इसके बाद दलीय नेता व सचेतक होते हैं जो पक्षों के हितों की देखभाल का कार्य करते हैं।
6. **गणपूर्ति**—प्रतिनिधि सभा की बैठकें तभी हो सकती हैं, जब कुल सदस्यों की संख्या का बहुमत उपस्थित हो।

प्रतिनिधि सभा की शक्तियाँ तथा कार्य
(Powers and Functions of the House of Representative)

अमेरिकी संविधान के अनुसार प्रतिनिधि सभा को निम्न शक्तियाँ प्राप्त हैं—

1. **कानूनों का निर्माण**—कानून निर्माण के क्षेत्र में संविधान में लिखित विषयों के अन्तर्निहित विषयों पर भी प्रतिनिधि सभा के द्वारा कार्य किया जाता है। इस सम्बन्ध में दोनों सदनों की शक्ति समान है। कोई भी विधेयक दोनों सदनों से पारित होने के बाद ही कानून का रूप ले पाता है। वित्तीय विधेयक प्रतिनिधि सभा में ही प्रस्तावित किये जाते हैं। आगे की प्रक्रिया में दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त हैं।
2. **संविधान में संशोधन**—कांग्रेस के दोनों सदनों द्वारा अपने दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पास करके संविधान में संशोधन किया जाता है।
3. **राष्ट्रपति को निर्वाचित करना**—राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मण्डल के द्वारा किया जाता है, परन्तु यदि किसी भी उम्मीदवार को निर्वाचक मण्डल का पूर्ण बहुमत प्राप्त न हो तो प्रतिनिधि सभा प्रथम तीन प्रत्याशियों में से किसी एक को राष्ट्रपति निर्वाचित करती है।
4. **कार्यपालिका सम्बन्धी**—कार्यपालिका क्षेत्र में प्रतिनिधि सभा को दो शक्तियाँ प्राप्त हैं। पहली तो सीनेट के साथ मिलकर युद्ध की घेषणा करती है। दूसरी सरकार के प्रशासन तथा न्यायपालिका के कार्यों की जाँच करती है।
5. **न्यायिक शक्तियाँ**—प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाती है। जिसे सीनेट द्वारा स्वीकार कर लिये जाने पर सम्बन्धित अधिकारी को पद से हटना पड़ता है।

प्रतिनिधि सभा की दुर्बलता के कारण
(Reasons of Weakness of the House of Representative)

प्रतिनिधि सभा की कमजोरी के निम्नलिखित कारण हैं—

1. वित्तीय क्षेत्र में प्रतिनिधि सभा को एकाधिकार प्राप्त नहीं है।
2. कानून निर्माण के क्षेत्र में प्रतिनिधि सभा को सीनेट के समान ही शक्तियाँ प्राप्त हैं।
3. अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धान्त काम नहीं करता, इसलिए राष्ट्रपति का मन्त्रिमण्डल प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता।
4. प्रतिनिधि सभा की दुर्बलता का कारण उसकी अल्पावधि है। प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 2 वर्ष का है, जबकि सीनेट का 6 वर्ष है।

TOUCH in PASS

5. प्रतिनिधि सभा का आकार बहुत विशाल है, इसलिए यह प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर पाती।
6. प्रतिनिधि सभा के सदस्य अयोग्य होते हैं। विषय के विशेषज्ञ नहीं होते, अर्थात् इसमें गुणात्मक हीनता होती है।

प्रतिनिधि सभा विश्व का सबसे निर्बल प्रथम सदन
(The Weakest First House Common Assembly in the World)

अमेरिका में कांग्रेस के दोनों सदनों में से सीनेट को शक्तिशाली माना जाता है और प्रतिनिधि सभा को सबसे दुर्बल। भारत, ब्रिटेन, कनाडा, जापान की तुलना में प्रतिनिधि सभा को कम शक्तियाँ प्राप्त हैं। भारत व ब्रिटेन में प्रथम सदन प्रभावशाली है और संसद का आशय प्रथम सदन से ही लिया जाता है। जापान और कनाडा में भी यही स्थिति है। सीनेट द्वितीय सदन होते हुए भी अधिक शक्ति रखता है। कार्यपालिका क्षेत्र में प्रतिनिधि सभा की स्थिति गौण है, जिससे विश्व में उसकी दुर्बलता सिद्ध हो गयी है। **लॉस्की** के शब्दों में, "प्रतिनिधि सभा उन कृत्यों को करने में, जो उसमें अपेक्षित हैं, नितान्त असफल रही है।"

प्र.6. अमेरिकन सीनेट के गठन और शक्तियों का वर्णन कीजिए। यह विश्व में सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन क्यों है?
Describe the composition, powers and functions of the American Senate. Why it is called the strongest second chamber of the world?

उत्तर अमेरिकी व्यवस्थापिका के दो सदन है, प्रथम प्रतिनिधि सभा और द्वितीय सीनेट में सभी इकाईयों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। प्रत्येक राज्य द्वारा सीनेट में अपने दो प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। किसी भी राज्य को बिना उसकी इच्छा के सीनेट की सदस्यता से वंचित नहीं किया जा सकता। सीनेट एक प्रभावशाली सदन है। सीनेट की सदस्य संख्या 100 है, पहले 13 राज्यों ने मिलकर अमेरिकी संघ का निर्माण किया था।

1. **सदस्यों के लिए योग्यताएँ**—सीनेट की सदस्यता के लिए सदस्यों में निम्न योग्यताएँ होनी चाहिए—
   (i) वह 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
   (ii) वह उस राज्य का निवासी हो, जिसका प्रतिनिधित्व सीनेट में करना चाहता है।
   (iii) वह कम-से-कम 9 वर्ष से अमेरिका में निवास करता हो।
2. **सदस्यों का चुनाव**—सीनेट के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। पहले सीनेट के सदस्यों को राज्यों के विधानमण्डलों द्वारा भेजा जाता था, लेकिन आपसी मतभेद के कारण कई बार अनेक राज्यों ने अपने सदस्य नहीं भेजे। इसलिए संवैधानिक संशोधन द्वारा इस प्रणाली में सुधार किया गया।
3. **कार्यकाल**—सीनेट एक स्थाई सदन है। इसके सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित होकर आते हैं। प्रति 2 वर्ष बाद एक तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। उनकी जगह नये सदस्य चुनकर आते हैं।
4. **वेतन भत्ते व उन्मुक्तियाँ**—सीनेट के सदस्यों को 30 हजार डॉलर वार्षिक वेतन मिलता है तथा अन्य भत्ते मिलते हैं। यात्रा, निवास, चिकित्सा व अन्य सुविधाएँ भी मिलती हैं।
5. **सदन के पदाधिकारी**—सीनेट के पदाधिकारियों में मुख्य उपराष्ट्रपति होता है, जो सीनेट का पदेन सभापति होता है। "टाई" (बराबर मत) पड़ने की स्थिति में उपराष्ट्रपति निर्णायक मत का प्रयोग करता है। अध्यक्ष की अनुपस्थित में बहुमत दल का मनोनीत सदस्य बैठकों की अध्यक्षता करता है, जिसे **'सामायिक अध्यक्ष'** कहा जाता है।

सीनेट की शक्तियाँ तथा कार्य
(Powers and Functions of the Senate)

संविधान सभा के द्वारा सीनेट को निम्नलिखित शक्तियाँ दी गयी हैं, जिनके द्वारा वह अपनी प्रभावशाली भूमिका निभाती है। **लॉस्की** का मानना है कि, "सीनेट राष्ट्रपति व प्रतिनिधि सभा के मध्य सन्तुलन का कार्य करती है। सीनेट शासन में आकर्षण का केन्द्र है। एक ओर तो वह प्रतिनिधि सभा की और दूसरी ओर राष्ट्रपति की राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाओं पर रोक लगाने वाली एक सत्ता है।"

1. **कानून निर्माण की शक्ति**—साधारण विधेयकों के सम्बन्ध में सीनेट को प्रतिनिधि सभा के समान शक्तियाँ प्राप्त हैं। साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तावित किये जा सकते हैं और तब तक पारित नहीं समझे जाते जब तक दोनों सदनों द्वारा स्वीकार न कर लिये जाएँ। संवैधानिक विधेयकों के सम्बन्ध में भी दोनों की स्थिति समान है। वित्त विधेयक

केवल प्रतिनिधि सभा में ही प्रस्तावित हो सकता है, लेकिन सीनेट उसमें मनचाहा संशोधन कर सकती है। कभी-कभी तो नाम के अलावा समस्त सामग्री को बदल दिया जाता है।

2. **कार्यपालिका सम्बन्धी शक्ति**—कार्यपालिका क्षेत्र में सीनेट की पहली शक्ति नियुक्तियों के पुष्टिकरण की है। राष्ट्रपति द्वारा की गयी नियुक्तियाँ तभी वैध होती है जब सीनेट द्वारा स्वीकृत हो जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा दो प्रकार की नियुक्तियाँ की जाती हैं, (i) जो सारे राष्ट्र से सम्बन्धित होती है, जैसे—राजदूत, मन्त्रिमण्डल के सदस्य, न्यायालयों के न्यायाधीश; (ii) जो केन्द्र के अधिकारियों से सम्बन्धित होती है, जैसे—जिला संघीय न्यायाधीश, पोस्टमास्टरों के कुछ वर्ग, जिला महान्यायवादी, मार्शल।

   दूसरी शक्ति राष्ट्रपति द्वारा की गयी सन्धियों को स्वीकृति प्रदान करना। सन्धियाँ उस समय तक लागू नहीं होती, जब तक सीनेट अपने 2/3 बहुमत से सन्धि को पारित न कर दे। यह सीनेट का अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में प्रभाव का माध्यम है। इस पर टिप्पणी करते हुए **लॉस्की** ने कहा है कि, "अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में प्रभाव रखने के नाते विश्व की कोई भी विधान सभा सीनेट का मुकाबला नहीं कर सकती।"

3. **न्यायिक शक्तियाँ**—सीनेट की न्यायिक शक्तियों में मुख्य शक्ति, महाभियोग की जाँच करना है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा सैनिक अधिकारियों पर महाभियोग प्रतिनिधि सभा में लगाया जाता है तथा सुनवाई सीनेट में होती है। सुनवाई के दौरान सीनेट न्यायालय के रूप में कार्य करती है। उस समय मुख्य न्यायाधीश सीनेट की अध्यक्षता करता है तथा निर्णय सुनाता है। किसी भी व्यक्ति पर अपराध सिद्धि के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है।

4. **अन्वेषण की शक्ति**—संविधान के द्वारा तो सीनेट कों केवल व्यवस्थापिका सम्बन्धी मामलों की जाँच का कार्य सौंपा गया था, लेकिन सीनेट ने इस शक्ति के आधार पर अनेक बार प्रशासनिक विभागों की जाँच का कार्य किया। सीनेट द्वारा की गयी जाँच के आधार पर ही राष्ट्रपति हार्डिंग के कार्यकाल में तेल संकट प्रकाश में आया तथा तीन मन्त्रियों को इस्तीफा देना पड़ा।

5. **अन्य शक्तियाँ**—सीनेट राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के लिए किये गये मतदान की गणना करती है। तथा बहुमत तथा प्राप्त न करने की स्थिति में प्रथम दो उम्मीदवरों में से उपराष्ट्रपति निर्वचित कर सकती है।

सीनेट का महत्त्व
(Importance of Senate)

सीनेट का महत्त्व इसलिए है; क्योंकि यह महत्त्वपूर्ण कार्य करती है। **सर हेनरी मेन** का मानना है, "जब से आधुनिक प्रजातन्त्र का विकास हुआ है, तब से जितनी भी संस्थाओं का निर्माण किया गया, उनमें यही एकमात्र पूर्ण सफल संस्था रही है।" अनेक बातों के कारण सीनेट का अपना अलग महत्त्व है, जो निम्न है—

1. संविधान निर्माताओं के द्वारा सीनेट को संविधान में महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है। संविधान निर्माता 'सीनेट को संघीय व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मानते थे।'
2. सीनेट में सदस्यों को विचार अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता प्राप्त है, जिससे वे अपने महत्त्वपूर्ण विचार जनता के समक्ष रख सकते हैं।
3. सीनेट के सदस्य अपने विषयों के विशेषज्ञ होते हैं, उनमें गुणात्मक उच्चता होती है।
4. सीनेट को संविधान द्वारा प्रदत्त विशेष शक्तियाँ मिली हैं, जिनका प्रयोग वह अपने प्रभाव के लिए भी करती है।
5. मन्त्रिमण्डलीय पद्धति का अभाव है, इसलिए सीनेट विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्यों को निपटाने में राष्ट्रपति की मदद करती है।
6. सीनेट का चुनाव भी प्रतिनिधि सभा की तरह प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है, इससे भी इसके सदस्य जनता से प्रत्यक्ष रूप में मिलते हैं तथा उनकी समस्याओं को जानते हैं।
7. सीनेट एक स्थाई सदन है, जिसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं।
8. सीनेट का लघु आकार होने के कारण उसका अपना अलग महत्त्व है। इसके सदस्यों की संख्या 100 है।

अमेरिका के दोनों सदनों के सम्बन्ध में विचार व्यक्त करते हुए **डी० टाकविले** ने कहा, "वाशिंगटन की प्रतिनिधि सभा में घुसते ही व्यक्ति का ध्यान उस भद्दी बड़ी सभा के दिखावे की ओर आकृष्ट हुए बिना नहीं रहता। उसकी दीवारों के भीतर प्राय: कोई

TOUCH 'n PASS

प्रतिभा दिखाई नहीं देती। उससे थोड़ी ही दूरी पर सीनेट का द्वार है, जिसके अपने थोड़े से स्थान में अमेरिका के प्रतिभाशाली व्यक्तियों का अधिकांश भाग समाया रहता है।''

सीनेट के विश्व के अन्य सदनों से तुलना
(Comparison of the Senate with other Houses of the World)

अमेरिकी सीनेट व ब्रिटिश लॉर्ड सभा—अमेरिकी सीनेट व लॉर्ड सभा की तुलना निम्न प्रकार से की जा सकती है—

क्र०सं०	सीनेट	लॉर्ड सभा
1.	सीनेट की सदस्य संख्या 100 है।	लॉर्ड सभा की सदस्य संख्या 1061 है।
2.	सीनेट के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर सदन में पहुँचते हैं।	लॉर्ड सभा के सदस्य परम्परा के आधार पर पद प्राप्त करते हैं।
3.	सीनेट का कार्यकाल 6 वर्ष है।	लॉर्ड सभा की सदस्यता आजीवन रहती है।
4.	सीनेट को अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं।	लॉर्ड सभा को कम शक्तियाँ प्राप्त हैं।
5.	न्यायिक क्षेत्र में सीनेट की प्रभावशाली भूमिका है।	न्यायिक क्षेत्र में लॉर्ड सभा को कम शक्तियाँ प्राप्त हैं।

सीनेट व भारत की राज्य सभा
(Senate and Rajya Sabha of India)

सीनेट व भारत की राज्य सभा की तुलना निम्न प्रकार से की जा सकती है—

क्र०सं०	सीनेट	राज्य सभा
1.	वित्त विधेयक के सम्बन्ध में सीनेट की स्थिति सुदृढ़ है।	राज्य सभा वित्त विधेयक को केवल 14 दिन तक रोक सकती है।
2.	सीनेट का कार्यपालिका पर प्रभावशाली नियन्त्रण है।	कार्यपालिका पर नियन्त्रण की अन्तिम शक्ति राज्य सभा के पास नहीं है।
3.	सीनेट न्यायालय के रूप में भी कार्य करती है।	राज्य सभा ऐसा कोई कार्य नहीं करती।

अगर सीनेट की विश्व के अन्य द्वितीय सदनों से तुलना की जाए तो कहा जा सकता है, सीनेट ही सबसे अधिक शक्तिशाली सदन है। विश्व के अन्य सदन क्रमश: धीरे-धीरे अपनी शक्तियाँ खोते जा रहे हैं, जबकि आज तक कोई ऐसा मौका नहीं आया, जब सीनेट ने अपनी शक्ति गँवाई हो, इसलिए 'सीनेट को विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन कहा जा सकता है।'

प्र.7. संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि सदन के स्पीकर की शक्तियों और कार्यों की तथा ग्रेट ब्रिटेन के लोकसदन के स्पीकर के कार्यों तथा शक्तियों की तुलना कीजिए। उनमें क्या समानता तथा अन्तर हैं?

Compare and contrast the powers and position of British and American speaker. What are their similarities and dissimilarities between the two?

उत्तर प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष को **'स्पीकर'** कहते हैं। यह बहुत गरिमा व सम्मान का पद है। यदि किसी विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों के ही पद रिक्त हो जाएँ तो स्पीकर ही राष्ट्रपति पद को धारण करता है।

स्पीकर का चुनाव—संविधान के अनुच्छेद 1 खण्ड 2 में कहा गया है कि, ''प्रतिनिधि सभा के सदस्य, सभा के सभापति व अन्य अधिकारियों का चुनाव करेंगे।'' स्पीकर का चुनाव सर्वसम्मति से नहीं बल्कि बहुमत दल के द्वारा किया जाता है।

शक्तियाँ और कार्य—पहले जब संविधान निर्माण किया गया था तो सोचा गया था कि प्रतिनिधि सभा के सदस्य स्वयं ही अपना नेतृत्व कर लेंगे, लेकिन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था अपनाने के कारण यह कार्य राष्ट्रपति और उसके मन्त्रिमण्डल द्वारा नहीं किया जा सकता। अत: स्पीकर के पद का सृजन हुआ। प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष को निम्न शक्तियाँ प्राप्त हैं—

1. **अध्यक्षता**—स्पीकर बैठकों में सभापति का आसन ग्रहण करता है तथा सदस्यों की पहचान का कार्य भी यही करता है।
2. **सदन में व्यवस्था बनाये रखना**—अध्यक्ष सदन में व्यवस्था बनाये रखने के लिए उसकी आज्ञा का पालन न करने वाले सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करता है। सदस्यों को बोलने की अनुमति देता है तथा उनके बोलने की समय-सीमा निर्धारित करता है।

3. **समितियों का निर्माण**—विभिन्न विधेयक सदन में प्रस्तुत किये जाते हैं। अध्यक्ष को यह अधिकार होता है कि उन विधेयकों पर विचार-विमर्श के लिए विभिन्न समितियों का निर्माण करे तथा विधेयक को उसके सुपुर्द कर दे।
4. **निर्णायक मत देने का अधिकार**—जब सदन में मतदान कराया जाता है और टाई की स्थिति आ जाती है, उस समय अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है।
5. **नियमों की व्याख्या**—सदन में नियमों का निर्माण किया जाता है। संविधान में लिखित कानूनों के अनुसार ही किन्हीं नियमों का निर्माण हो सकता है। अध्यक्ष को अधिकार है कि वह संविधान में लिखित कानूनों की व्याख्या करके सदन के पटल पर रखे।
6. **अन्य**—इन कार्यों के अलाव भी अध्यक्ष अनेक कार्य करता है, जैसे—प्रश्नों पर मत लेता है, निर्णयों की घोषणा करता है, सभी प्रस्तावों, लेखों, विधेयकों पर हस्ताक्षर करता है।

अमेरिकी अध्यक्ष की ब्रिटेन के अध्यक्ष से तुलना
(Comparison of the American President with the British President)

यद्यपि प्रतिनिधि सभा के स्पीकर का पद ब्रिटिश लोक सदन के स्पीकर पद से ही पैदा हुआ है और दोनों के द्वारा समान शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। परन्तु दोनों में भिन्नता भी है—

1. **दलीय स्थिति में अन्तर**—लोक सदन का अध्यक्ष निर्वाचन के बाद अपने दल से सम्बन्ध विच्छेद कर लेता है और दलीय राजनीति से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं रखता। सदन के वाद-विवाद में भाग नहीं लेता। बराबर मत आने पर अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है।
   प्रतिनिधि सभा के स्पीकर का निर्वाचन दलीय आधार होता है। वह अपने दल के हितों के लिए निरन्तर अपनी शक्ति और अधिकार का प्रयोग करता रहता है। वह अन्य सदस्यों की तरह मतदान भी करता है तथा वाद-विवाद में भी हिस्सेदारी करता है।
2. **निर्वाचन में अन्तर**—ब्रिटेन में 'एक अध्यक्ष, सदा के लिए अध्यक्ष' की परम्परा का पालन किया जाता है। सामान्यतया अध्यक्ष को निर्विरोध चुन लिया जाता है। चाहे कोई भी दल सत्ता में हो, लेकिन पहले वाला अध्यक्ष ही कार्य करता है।
   प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष का निर्वाचन दलीय आधार पर होता है। बहुमत दल का व्यक्ति अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होता है।
3. **शक्तियों में अन्तर**—लोक सदन में स्वीकार का निर्णय सभी नियमों के बारे में अन्तिम होता है, परन्तु अमेरिका में स्पीकर का निर्णय अन्तिम नहीं होता और उसके निर्णय के विरुद्ध सदन में अपील की जा सकती है।

दोनों देशों के अध्यक्षों का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद कहा जा सकता है कि प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष का पद लोक सदन के अध्यक्ष की तुलना में अधिक वास्तविक राजनीतिक शक्ति का प्रतीक है, लेकिन इस पद के पास गरिमा, प्रतिष्ठा, सम्मान, वैभव प्राप्त नहीं है।

प्र.8. संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव, शक्तियों और कार्यों का वर्णन कीजिए।
Discuss the election, powers and functions of American president.

अथवा **अमेरिका का राष्ट्रपति एक सम्राट से अधिक या कम है, साथ ही एक प्रधानमन्त्री से भी अधिक या कम है। उसके पद का जितना अध्ययन किया जाए, उतनी की विचित्रताएँ दिखाई पड़ती हैं। समझाइए।**
The president of U.S.A. is both more and less than a king; He is also both more or less than a prime-minister." Explain.

अथवा **अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए।**
Explain in detail the election process of the President of U.S.A.

उत्तर कोई भी महत्त्वपूर्ण संस्था वैसी ही नहीं रहती जैसी कानून उसे बनाता है, यह बात अमेरिकी राष्ट्रपति के सन्दर्भ में कही जाती है, क्योंकि उसकी वास्तविक व औपचारिक स्थिति में अन्तर है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, इसका आधार शक्ति पृथक्करण है। राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष व कार्यपालिका का प्रधान है, उसका कार्यकाल निश्चित है। वह व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 2 में भी राष्ट्रपति की शक्तियाँ स्वीकार की गयी हैं। इसमें कहा गया है, "अमेरिकी संघ की कार्यपालिका शक्ति एक राष्ट्रपति में निहित होगी।" पूर्व राष्ट्रपति **जॉन एफ कनेडी** ने कहा है कि, "राष्ट्रपति अकेला ही

TOUCH 'n' PASS

राज्य का प्रमुख है। वह मुख्य कार्यपालिका ही नहीं, अपितु मुख्य सेनापति, औपचारिक प्रमुख एवं विधायी तथा दलीय नेता भी है।''

राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएँ (Qualifications for the post of President)

राष्ट्रपति पद को प्राप्त करने के लिए किसी भी नागरिक में निम्न योग्यताएँ होनी आवश्यक हैं—

(i) वह अमेरिका का जन्मजात नागरिक हो।

(ii) उसकी आयु 35 वर्ष से कम न हो।

निरन्तर 14 वर्ष से अमेरिका में निवास कर रहा हो, बल्कि कुल मिलाकर निवास की अवधि 14 वर्ष होनी चाहिए।

कार्यकाल—अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष होता है। समय समाप्ति से पूर्व राष्ट्रपति स्वेच्छा से या महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। एक व्यक्ति के कार्यकाल को किसी भी अवस्था में 10 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता और न ही कोई व्यक्ति दो बार से अधिक राष्ट्रपति चुना जा सकता है। राष्ट्रपति के हटने पर उपराष्ट्रपति उसकी जगह कार्य करता है।

वेतन भत्ते व अन्य सुविधाएँ—राष्ट्रपति को 2 लाख डॉलर वार्षिक वेतन मिलता है। मुफ्त चिकित्सा, निवास, निजी हवाई जहाज तथा छोटे से समुद्री जहाज की सुविधा भी उपलब्ध है।

उन्मुक्तियाँ—संविधान में इस सम्बन्ध में कोई उपबन्ध नहीं है, केवल परम्परा के अनुसार ही राष्ट्रपति को ये अधिकार प्राप्त हैं। राष्ट्रपति के खिलाफ कोई मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता, उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। महाभियोग की कार्यवाही के समय उसे न्यायालय में उपस्थित होना पड़ता है।

राष्ट्रपति का निर्वाचन
(Presidential Election)

अमेरिकी राष्ट्रपति का निर्वाचन एक लम्बी प्रक्रिया के बाद होता है। इस पर टिप्पणी करते हुए **लॉस्की** ने कहा है, ''संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो विधि अपनायी थी, उस पर उन्हें विशेष रूप से गर्व था परन्तु उनकी आशाओं में से इससे अधिक और कोई आशा भंग नहीं हुई।'' वर्तमान समय में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निम्न प्रक्रिया अपनायी जाती है—

1. **उम्मीदवारों का मनोनयन**—प्रत्येक दल की राष्ट्रपति समिति अपने-अपने दल के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन के स्थान निश्चित करती है। प्रारम्भिक सम्मेलन के लिए प्रतिनिधि विभिन्न प्रकार से चुने जाते हैं, जैसे—कुछ प्रारम्भिक क्षेत्रों, कुछ राज्य सम्मेलनों से तथा कुछ केन्द्र की समिति के द्वारा। इनकी संख्या 1500 से 3000 के बीच होती है। चुनाव जुलाई या अगस्त महीने में होता है। उम्मीदवार का नाम उसके समर्थक द्वारा पेश किया जाता है या अन्य कोई इसका समर्थन करता है। मतदान की प्रक्रिया तब तक चलती रहती है, जब तक उम्मीदवार को बहुमत प्राप्त न हो जाए। जिन उम्मीदवारों को कम मत प्राप्त होते हैं, उनको बीच में छोड़ दिया जाता है।
2. **चुनाव अभियान**—सम्मेलन समाप्त होने से पूर्व राष्ट्रपति पद के लिए मनोनीत उम्मीदवार के द्वारा अपने दल की एक राष्ट्रीय समिति चुनी जाती है, जो उम्मीदवार के लिए चुनाव अभियान चलाती है। चुनाव पर खर्च की सीमा 30 लाख डालर है, लेकिन अधिक खर्च होने पर कानूनी कार्यवाही नहीं होती। चुनाव अभियान टी०वी०, रेडियो, ट्रेन, समाचार-पत्रों के द्वारा किया जाता है।
3. **निर्वाचक मण्डल का चुनाव**—निर्वाचक मण्डल के लिए दल को अपने उम्मीदवार खड़े करने पड़ते हैं। इन सदस्यों के द्वारा शपथ ली जाती है कि निर्वाचित होने पर वे राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव के मतदान में भाग लेंगे। निर्वाचक मण्डल के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। इसमें प्रत्येक 18 वर्ष के स्त्री व पुरुष को मतदान का अधिकार है। चुनाव सूची प्रणाली के आधार पर होता है, अर्थात् मत किसी उम्मीदवार के लिए नहीं दल के लिए डाले जाते हैं।
4. **निर्वाचक मण्डल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव**—दिसम्बर महीने के दूसरे बुधवार को निर्वाचक मण्डल के सदस्य अपने-अपने राज्यों की राजधानियों में इकट्ठे होते हैं और राष्ट्रपति पद के लिए विभिन्न उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करते हैं। मतों की गणना करके सीनेट के अध्यक्ष के पास भेज दिया जाता है। सीनेट का अध्यक्ष कांग्रेस के दोनों सदनों की बैठक में जाने वाले उम्मीदवार के नाम की घोषणा करता है।

5. **नवीन राष्ट्रपति का पद ग्रहण**—निर्वाचित होने के बाद राष्ट्रपति 20 जनवरी को अपना पद ग्रहण करता है। पद ग्रहण करते समय उसे शपथ लेनी पड़ती है जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है—"मैं गम्भीरतापूर्वक शपथ लेता हूँ कि अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर निष्ठापूर्वक कार्य करूँगा और अपनी योग्यता भर अमेरिका के संविधान का संरक्षण, परिरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा।"

राष्ट्रपति की शक्तियाँ
(Powers of President)

अमेरिकी संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त हैं—

1. **कार्यपालिका शक्तियाँ**—वैसे तो राष्ट्रपति को विभिन्न क्षेत्रों में शक्तियाँ प्राप्त हैं। **ऑग और रे** के शब्दों में, "राष्ट्रपति विधि निर्माता, दलीय नेता या जो कुछ भी हो, वह सर्वप्रथम एक कार्यपालिका ही है।" राष्ट्रपति की कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियाँ निम्न हैं—

   (i) **कानूनों को लागू करना तथा व्यवस्था बनाये रखना**—संविधान के अनुच्छेद 2 की उपधारा तीन के अनुसार—"राष्ट्रपति सभी संघीय कानूनों को लागू करने के लिए उत्तरदायी है। उसका यह प्रमुख दायित्व है कि वह कांग्रेस द्वारा पारित विधियों तथा सीनेट द्वारा अनुमोदित सभी सन्धियों का निष्ठापूर्वक पालन कराये।" कानून लागू करने के साथ ही सम्पूर्ण राज्य में व्यवस्था बनाये रखने का काम भी राष्ट्रपति का ही है। संविधान के अनुच्छेद 4 की उपधारा 4 में लिखा है—"संघीय सरकार प्रत्येक राज्य में एक गणतन्त्रीय सरकार की गारंटी देती है और प्रत्येक राज्य की बाहरी आक्रमण तथा आन्तरिक हिंसा से रक्षा करेगी।"

   (ii) **अधिकारियों की नियुक्ति तथा पदच्युति**—राष्ट्रपति विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति करता है तथा सही काम न करने पर पद से हटाने का भी अधिकार है। केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाने वाली नियुक्तियाँ दो प्रकार की होती हैं—(a) सीनेट की सहमति से राष्ट्रपति करता है, (b) सीनेट व राष्ट्रपति के परामर्श से विभागीय अध्यक्ष तथा न्यायालय नियुक्ति कर सकता है।

   राजदूतों, वाणिज्य दूतों, न्यायाधीशों, विभागीय अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकता है तथा उन्हें हटा भी सकता है।

   (iii) **प्रशासन का संचालन**—राष्ट्रपति का प्रमुख संवैधानिक दायित्व है कि वह उन अधिकारियों पर नजर रखे जो प्राशसनिक कार्यों की देखभाल करते हैं, वे अपना कार्य सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं। शासन के सही संचालन के लिए राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश, नियम, आदेश जारी करता है।

   (iv) **क्षमादान का अधिकार**—राष्ट्रपति अपराधियों को पूर्ण रूप से क्षमा कर सकता है, आजीवन कारावास को कम कर सकता है, फाँसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल सकता है।

   (v) **परराष्ट्र सम्बन्धों का संचालन**—राज्य का प्रधान होने के नाते राष्ट्रपति अमेरिका की विदेश नीति का संचालन करता है। मुख्य न्यायाधीश **मार्शल** का विचार है, "वैदेशिक सम्बन्धों में राष्ट्रपति राष्ट्र का एकमात्र अधिकरण है और विदेशी राष्ट्रों के मध्य वह उसका एकमात्र प्रतिनिधि है।" राष्ट्रपति विदेशी सम्बन्धों के उचित संचालन के लिए निम्न कार्य करता है—

   (a) राष्ट्रपति विदेश नीति का प्रवक्ता है।
   (b) राजदूतों एवं प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है।
   (c) विदेशी सरकार को मान्यता प्रदान करता है।
   (d) सन्धियाँ व प्रशासकीय समझौते करता है।
   (e) विदेशों में अमेरिकी नागरिकों का संरक्षण करता है।
   (f) सशस्त्र सेनाओं का सेनापतित्व करता है।

2. **विधायी शक्तियाँ**—राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र में निम्न शक्तियाँ प्राप्त हैं—

   (i) **कांग्रेस के अधिवेशन आमन्त्रित करना**—सामान्य स्थिति में राष्ट्रपति कांग्रेस का अधिवेशन स्थगित नहीं कर सकता, केवल दोनों सदनों में मतभेद की स्थिति होने पर ही ऐसा किया जा सकता है। यदि कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि अधिवेशन अधिक दिनों तक चले तो राष्ट्रपति इसके लिए अनुरोध कर सकता है।

(ii) **कांग्रेस को सन्देश भेजना**—समय-समय पर राष्ट्रपति कांग्रेस को संघ की स्थिति के बारे में जानकारी देता है, वार्षिक सन्देश भेजता है, ऐसे सुझावों की सिफारिश करता है जिन्हें वह आवश्यक व लाभकारी समझे, जैसे—आवश्यक कानून के निर्माण का सुझाव आदि।

(iii) **निषेधाधिकार**—राष्ट्रपति दो प्रकार के निषेधाधिकार का प्रयोग करता है—(a) विलम्बकारी, (b) जेबी निषेधाधिकार।

(a) **विलम्बकारी**—जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए आता है तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के बजाय उसको सदन को लौटा देता है। यदि सदन उसको (विधेयक) फिर से बहुमत से पारित कर दे तो वह कानून का रूप ले लेता है।

(b) **जेबी**—जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए आता है तो राष्ट्रपति उसको विचार के लिए 10 दिन तक अपने पास रख सकता है, उसके बाद वह स्वयं कानून का रूप ले लेता है। अगर कांग्रेस का अधिवेशन 10 दिन के पूर्व ही समाप्त हो जाए तो विधेयक स्वयं समाप्त हो जाता है।

3. **न्यायिक शक्तियाँ**—सीनेट की सहमति से राष्ट्रपति संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। संघ के विरुद्ध किये गये अपराधियों के अपराध को क्षमा करने का अधिकार है, परन्तु महाभियोग द्वारा दण्डित अपराधियों के अपराध को राष्ट्रपति कम नहीं कर सकता।
4. **अमेरिकी राष्ट्र का प्रथम नेता**—राष्ट्रपति सम्पूर्ण राज्य का नेता होता है। इस सन्दर्भ में पूर्व राष्ट्रपति **विल्सन** ने लिखा है, "समस्त राष्ट्र ने उसे निर्वाचित किया है और उसे यह ध्यान रखना है कि अमेरिकी राष्ट्र का अन्य कोई राजनीतिक प्रवक्ता नहीं है। केवल उसका उद्घोष ही राष्ट्रीय होता है। उसे एक बार देश का विश्वास तथा प्रशंसा जीत लेने दो फिर कोई अकेली शक्ति उसका सामना नहीं कर सकती, कई शक्तियों का संगठन भी उसे आसानी से नहीं हरा सकता। उसकी स्थिति राष्ट्रीय हो जाती है। वह किसी एक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि न होकर समस्त राष्ट्र का प्रतिनिधि होता है।"

राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति बहुत कुछ उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। कुछ राष्ट्रपति संकुचित प्रवृत्ति के होते हैं और कुछ मिलनसार। युद्धकाल या असामान्य स्थिति में राष्ट्रपति की शक्तियाँ बढ़ जाती हैं, लेकिन सामान्य काल में उसे एक तानाशाह नहीं बल्कि लोकतान्त्रिक प्रधान के रूप में कार्य करना पड़ता है।

प्र.9. अमेरिकी मन्त्रिमण्डल के गठन, शक्तियों तथा कार्यों का वर्णन कीजिए।

Discuss the composition, powers and functions of the Cabinet of U.S.A.

उत्तर अमेरिका की शासन व्यवस्था शक्ति पृथक्करण के आधार पर चलती है। शासन के तीनों अंगों की पृथकता के कारण समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति को सौंपी गयी हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों के सम्बन्ध में **लॉस्की** ने लिखा है, "राष्ट्रपति की शक्तियाँ बहुत व्यापक हैं। वह राज्य का प्रधान है।" राष्ट्रपति के लिए संविधान के अन्तर्गत केबिनेट की कोई व्यवस्था नहीं है। यह परम्परा पर आधरित है। केबिनेट राष्ट्रपति को परामर्श देने का कार्य करती है। राष्ट्रपति सीनेट के 2/3 सदस्यों के बहुमत के समर्थन से मन्त्रियों की नियुक्ति करता है।

मन्त्रिमण्डल के सदस्यों की नियुक्ति—वैसे तो राष्ट्रपति मन्त्रिमण्डल के निर्माण में स्वतन्त्र है, क्योंकि उसको ही उनके साथ कार्य करना होता है। ज्यादातर सीनेट में द्वारा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों को स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन कभी-कभी सीनेट सदस्यों की नामजदगी को अस्वीकार भी कर देती है। राष्ट्रपति मन्त्रिमण्डल का निर्माण करते समय निम्न बातों से प्रभावित होता है—(i) अपने मित्रों, समर्थकों को प्रसन्न करने के लिए भी नियुक्तियाँ करनी पड़ती हैं, (ii) बड़े राज्य के प्रतिनिधि को मन्त्री अवश्य चुनता है।

आमतौर पर राष्ट्रपति ऐसे व्यक्तियों को मन्त्री नियुक्त करता है, जिनका कांग्रेस में प्रभाव होता है, जो विशिष्ट प्रशासनिक अनुभव रखते हैं। वाणिज्य, व्यापार, उद्योग-धन्धे व मजदूर आन्दोलन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें से मन्त्रिमण्डल का चुनाव होता है।

मन्त्रिमण्डल के कार्य—मन्त्रिमण्डल का निर्माण इसलिए किया जाता है कि वह राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह दे तथा समय पर उचित मदद करे। मन्त्रिमण्डल के निम्न कार्य हैं—

1. **राष्ट्रपति को परामर्श देना**—मन्त्रिमण्डल का मुख्य और प्रथम कार्य राष्ट्रपति को सलाह देना है। राष्ट्रपति मन्त्रिमण्डल के सदस्यों की सलाह माने या न माने, यह उसकी स्वयं की इच्छा पर निर्भर करता है। **ब्रोगन** ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा, "जिस प्रकार राष्ट्रपति की तनिक सी इच्छा मन्त्रिमण्डल को बनाती है, उसी प्रकार तनिक सी इच्छा से हटा भी

सकता है।'' अगर किसी प्रस्ताव पर मतदान कराया जाए तो यदि 'सात मत विपक्ष में हैं और एक पक्ष में, तो प्रस्ताव के पक्ष में निर्णय होगा।' अत: राष्ट्रपति जिस प्रकार चाहता है, उसी प्रकार का अन्तिम निर्णय देता है।

2. **प्रशासनिक कार्यों की देखभाल**—मन्त्रिमण्डल के द्वारा प्रशासनिक कार्यों की देखभाल भी की जाती है। अपने विभाग के कार्य के लिए मन्त्री पूर्ण रूप से जिम्मेदार होते हैं। अगर वे गलती करते हैं तो उसके उत्तरदायित्व से बच नहीं सकते। कांग्रेस में अपने विभागों के सम्बन्ध में उनको जानकारी देनी पड़ती है, जो प्रश्न उनसे सीनेट के सदस्यों द्वारा पूछे जाते हैं, उनके सटीक उत्तर देने पड़ते हैं।
3. **कांग्रेस के लिए सूचना प्राप्त करना**—अगर कांग्रेस किसी प्रकार की सूचना प्राप्त करना चाहती है तो उसे जुटाने का कार्य भी मन्त्रिमण्डल ही करता है।

केबिनेट की मुख्य विशेषताएँ
(Main Features of the Cabinet)

अमेरिकी मन्त्रिमण्डल की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

1. मन्त्रिमण्डल की समस्त कार्यवाहियाँ गुप्त रखी जाती हैं, केवल उसके परामर्श से ही उन्हें सार्वजनिक किया जा सकता है।
2. मन्त्रिमण्डल में विभिन्न विभागों के मन्त्री कार्य करते हैं, उनके द्वारा पारस्परिक सहयोग से कार्य किया जा सकता है।
3. विभागीय अध्यक्ष द्वारा प्रशासनिक विभागों का निरीक्षण किया जाता है।
4. मन्त्रिमण्डल को राष्ट्रपति के व्यक्तिगत परामर्शदाताओं की संस्था भी कहा जाता है। **ब्रोगन** ने लिखा है, ''वह साथियों की एक परिषद् है, उसकी स्वतन्त्र शक्तियाँ या प्रतिष्ठा नहीं होती।''
5. अमेरिका में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धान्त कार्य नहीं करता, इसलिए सामूहिक रूप में कोई किसी के कृत्य के लिए उत्तरदायी नहीं होता है।

कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मन्त्रिमण्डल राष्ट्रपति की आज्ञाओं का पालन करने वाली संस्था नजर आती है, लेकिन औपचारिक रूप में वह एक परामर्शदात्री संस्था है, व्यवहार में उसका रूप कुछ और ही है। **विलियम हावर्ड टाफ्ट** के शब्दों में कहा जा सकता है, ''मन्त्रिमण्डल राष्ट्रपति की इच्छा का परिणाम मात्र है। इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। इसके अस्तित्व का आधार केवल परम्परा है। यदि राष्ट्रपति मन्त्रिमण्डल का अन्त करना चाहे, तो वह ऐसा भी कर सकता है।''

प्र.10. अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।

Discuss the composition and functions of American Supreme Court with special reference to its power of judicial Review.

अथवा **संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के कार्य बताइए। यह संविधान के संरक्षक के रूप में कहाँ तक कार्य करता है?**

Discuss the functions of the Supreme Court of the U.S.A. How far does it act as the Protector of the Constitution?

अथवा **''अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय एक तृतीय सदन है।'' इस कथन की विवेचना कीजिए।**

The Supreme Court of the U.S.A. is the third chamber. Examine this statement.

अथवा **अमेरिकी संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की क्या भूमिका है?**

What is the role of Supreme Court in American Constitution.

उत्तर अमेरिका में संघीय शासन व्यवस्था है। संघ और इकाईयों में परस्पर मतभेद होने पर राज्य के अन्य झगड़ों के निपटारे के लिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गयी। इसकी स्थापना 1789 के न्यायिक अधिनियम के अनुसार हुई। वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में 1 मुख्य न्यायाधीश तथा 8 अन्य न्यायाधीश हैं।

न्यायाधीशों की नियुक्ति—न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सीनेट की सहमति से की जाती है। संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए कोई योग्यताएँ निर्धारित नहीं की गयी हैं। फिर भी केवल उसी व्यक्ति को पद पर नियुक्त किया जा सकता है, जिसको सीनेट की सहमति मिल गयी हो।

TOUCH 'n' PASS

वेतन तथा अवधि—सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कांग्रेस द्वारा निर्धारित किया जाता है। मुख्य न्यायाधीश को 40 हजार डॉलर और अन्य न्यायाधीशों को 35 हजार डॉलर वेतन मिलता है। न्यायाधीश आजीवन पद पर बने रहते हैं, लेकिन 65 वर्ष की आयु के बाद अवकाश ग्रहण कर सकते हैं।

महाभियोग—अगर न्यायाधीश भ्रष्ट आचरण करे या किसी देशद्रोही कार्य में लगा हुआ हो तो उसे केवल महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की कार्यविधि—सर्वोच्च न्यायालय का अधिवेशन अक्टूबर के प्रथम सोमवार को प्रारम्भ होता है। अभियोगों की सुनवाई मंगल, बुध, गुरु तथा शुक्र को होती है। शनिवार को न्यायाधीश परस्पर विचार-विमर्श करते हैं तथा सोमवार को निर्णय देते हैं।

न्यायालय का क्षेत्राधिकार (Jurisdiction of the Court)

न्यायालय को संविधान से ही शक्तियाँ मिली हैं। इसका क्षेत्राधिकार निम्न है—

(अ) **प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार**—न्यायालय की दो प्रकार के अभियोगों में प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है—

(i) वे सभी विवाद जिनमें राजदूत, अन्य सार्वजनिक मन्त्री, वाणिज्य दूत का कोई पक्ष हो।

(ii) ऐसे विवाद जिसमें संघ और एक या एक से अधिक राज्य हों।

(ब) **अपीलीय क्षेत्राधिकार**—शेष सभी विवादों के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय को अपीलीय अधिकार प्राप्त हैं। (निचले न्यायालयों की अपील उच्च न्यायालय में सुनी जा सकती है) अपीलीय क्षेत्राधिकार में निम्न विषय आते हैं—

(i) जिनमें संघीय कानून तथा सन्धियों को राज्य के न्यायालय में संविधान के विरुद्ध घोषित कर दिया गया हो।

(ii) जिनमें राज्य के किसी कानून को किसी संघीय न्यायालय में संघ के संविधान, किसी कानून अथवा सन्धि के विरुद्ध घोषित कर दिया गया है। जबकि राज्यों के न्यायालय राज्यों में उस कानून को वैध ठहरायें।

जिला न्यायालय के कुछ निर्णयों के विरुद्ध अपील सीधे सर्वोच्च न्यायालयों में की जा सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस का तृतीय सदन
(Supreme Court Third House of Congress)

अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तृतीय सदन भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है, क्योंकि इसके कार्य महत्त्वपूर्ण हैं। न्यायालय की महत्ता को दर्शाते हुए राष्ट्रपति **रूजवेल्ट** का विचार है, "इस बात का महत्त्व नहीं है कि कांग्रेस ने कानून का निर्माण किया है, कार्यपालिका ने उस पर हस्ताक्षर किये हैं और प्रशासकीय तन्त्र उसे क्रियान्वित करने की प्रतीक्षा कर रहा है। न्यायपालिका एक अतिरिक्त कार्य अपने हाथ में ले रही है और उसके द्वारा राष्ट्रीय व्यवस्थापिका के ढीले रूप में संगठित तथा धीमी प्रक्रिया से कार्य करने वाले तृतीय सदन का रूप ग्रहण किया जा रहा है।" राष्ट्रपति के कथन से स्पष्ट है कि न्यायालय क्या-क्या कार्य कर सकता है। न्यायालय मुख्य रूप से निम्न कार्य कर सकता है—

(i) न्यायालय कांग्रेस द्वारा पारित किसी भी कानून की समीक्षा कर सकता है।

(ii) न्यायालय अपने द्वारा दिये गये पूर्व निर्णयों को परिवर्तित कर सकता है।

(iii) कानून की व्याख्या करता है और यह बताता है कि उसे किस प्रकार लागू किया जाए।

(iv) कानून के मूल आशय को संवैधानिक संशोधन के बिना ही परिवर्तित कर सकता है।

न्यायिक पुनरावलोकन
(Judicial Review)

संविधान की धारा 6 में कहा गया है, "संविधान और इसके अन्तर्गत निर्मित संयुक्त राज्य की समस्त विधियाँ तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से की जाने वाली समस्त सन्धियाँ देश की सर्वोच्च विधियाँ होंगी और प्रत्येक राज्य में न्यायाधीश उन्हें मानने के लिए बाध्य होंगे। उनसे असंगत राज्य के संविधान या विधियों को नहीं।" अमेरिका में न्यायपालिका को स्वतन्त्र रखा गया है तथा उसका कार्य कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका के कार्यों का अवलोकन करना है। अगर व्यवस्थापिका किसी ऐसे कानून का निर्माण करती है जो असंवैधानिक है, तो न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है। न्यायपालिका के इसी अधिकार को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार कहा जाता है। **डिमॉक** ने पुनरावलोकन का अर्थ बताते हुए कहा है, "न्यायिक पुनरावलोकन, व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानून और कार्यपालिका या प्रशासकीय अधिकारियों द्वारा किये गये कार्यों से सम्बन्धित अपने सामने

आये मुकदमों में, न्यायालय द्वारा उस जाँच को कहते हैं कि वे कानून या कार्य संविधान द्वारा प्रतिबन्धित हैं या नहीं अथवा संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का अतिक्रमण करते है। या नहीं।''

न्यायिक पुनरावलोकन का संवैधानिक आधार
(Constitutional basis of Judicial Review)

न्यायालय के पुनरावलोकन अधिकार का कोई संवैधानिक आधार नहीं है अर्थात् यह बात संविधान में कहीं पर भी स्वीकार नहीं की गयी है। संविधान के अनुच्छेद 6-3 में कहा गया है, ''यह संविधान सभा तथा अमेरिका के सब कानून तथा उसके अनुसार बनायी सब सन्धियाँ अमेरिका का सर्वोच्च कानून होगा। न्यायाधीश इससे बँधे हुए होंगे। किसी भी राज्य के संविधान तथा कानून में यदि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के विरुद्ध कोई बात होगी, तो वैध नहीं मानी जाएगी।'' संविधान निर्माताओं तथा विधिवेत्ताओं ने भी संघीय न्यायालय की इस शक्ति का समर्थन किया है। हेमिल्टन व न्यायाधीश मार्शल ने भी इसका समर्थन किया है।

न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन का प्रयोग
(Use of Judicial Review by the Court)

सबसे पहले **मारबरी** बनाम् **मेडीसन** विवाद में न्यायाधीश मार्शल ने इसका प्रयोग किया। 1801 में राष्ट्रपति एडम्स ने मारबरी को कोलम्बिया जिले का न्यायाधिकारी नियुक्त किया, लेकिन मारबरी तक आदेश जाने से पहले ही एडम्स का कार्यकाल समाप्त हो गया। नवीन राष्ट्रपति जैफरसन ने नियुक्ति पत्र भेजने से मना कर दिया तो मारबरी ने राष्ट्रपति जैफरसन के विरुद्ध परमादेश जारी करने की प्रार्थना की।

न्यायिक पुनरावलोकन की आलोचना
(Criticism of Judicial Review)

इस सिद्धान्त की आलोचना विभिन्न विद्वानों ने की है। इनमें ब्रोगन, लुई, बोंदा, एडम ब्रुक्स तथा लॉस्की मुख्य हैं। इस सम्बन्ध में **ब्रोगन** का विचार है कि, ''सर्वोच्च न्यायालय कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका के कार्य को तृतीय सदन के रूप में नियमित करने लगा है।'' इस सिद्धान्त की आलोचना निम्न प्रकार की जा सकती है—

1. न्यायिक पुनरावलोकन का कोई संवैधानिक आधार नहीं है।
2. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय राजनीति से प्रेरित होते हैं।
3. न्यायपालिका देश की प्रगति में बाधक होती है, क्योंकि इसके द्वारा स्वयं अपने निर्णयों में परिवर्तन किया जाता है।
4. न्यायाधीशों के द्वारा निर्णय देने के लिए त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया अपनायी जाती है।
5. सामाजिक व आर्थिक जीवन में अस्थिरता न्यायालय के द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार से आती है।

प्र.11. संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय न्यायपालिका की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।
Discuss the important features of American Judiciary.

उत्तर न्यायपालिका का अस्तित्व वर्तमान समय के सभ्य राज्य की प्रथम आवश्यकता समझा जाता है। न्यायपालिका संवैधानिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है। कल्याणकारी राज्य में आम जनता को उचित न्याय उपलब्ध होना चाहिए, इसके लिए ही न्यायालय कार्य करता है। प्रत्येक न्यायपालिका की अपनी कुछ अलग विशेषता होती है। अमेरिकी न्यायपालिका की प्रमुख विशेषताएँ निम्न प्रकार हैं—

1. **संघ और राज्य के बीच कड़ी**—अमेरिका में संघीय शासन की प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें केन्द्र व राज्यों की पृथक्-पृथक् शक्तियाँ होती हैं, तो ऐसी स्थिति में संघ और इकाईयों के बीच झगड़े होना स्वाभाविक है। न्यायालय संघ व केन्द्र के विवादों का निपटारा करता है, इसलिए न्यायालय को केन्द्र व राज्यों के मध्य की कड़ी कहा जा सकता है।
2. **संविधान में प्रमुख स्थिति**—संघीय न्यायालय की संविधान में प्रमुख स्थिति है। इसीलिए इसकी शक्तियों तथा अस्तित्व को **संविधान की धारा 3** में स्वीकार किया गया है, ''न्याय सम्बन्धी शक्ति एक सर्वोच्च न्यायालय व उन अन्य नीचे के न्यायालयों में निहित होगी, जिसकी प्रतिष्ठा व स्थापना कांग्रेस द्वारा समय-समय पर की जाएँगी।''
3. **कांग्रेस द्वारा संगठन**—अमेरिका में न्यायालय के गठन का अधिकार कांग्रेस को दिया गया है। इस अधिकार के तहत् वह अन्य अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना भी करती है। वैसे भी कांग्रेस के द्वारा महत्त्वपूर्ण कार्य किये जाते हैं।

4. **दोहरी न्यायपालिका**—अमेरिका में एक न्यायालय केन्द्र में स्थित है तथा राज्यों में भी एक-एक उच्च न्यायालय स्थापित किये गये हैं। राज्य के न्यायालयों के अधीन अनेक जिला न्यायालय कार्य करते हैं। कुछ विवादों में जिला न्यायालय तथा राज्य के उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है।
5. **कानूनों की व्याख्या तथा लागू करवाना**—न्यायालय के द्वारा संविधान में अवस्थित कानूनों की व्याख्या की जाती है तथा उन्हें सही रूप में लागू किया जाता है। न्यायालय का निर्णय अन्तिम होता है। उसमें सरकार या अन्य कोई शक्ति किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती।
6. **स्वतन्त्र व निष्पक्ष न्यायपालिका**—न्यायपालिका स्वतन्त्र व निष्पक्ष रूप में कार्य करती है, इसीलिए उसको संविधान के द्वारा महत्त्वपूर्ण कार्य सौंपे गये हैं। न्यायालय कांग्रेस द्वारा पारित किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकती है और सरकार को उसे बाध्यकारी रूप से मानना पड़ता है।
7. **संविधान का संरक्षक**—न्यायालय संविधान के संरक्षक के रूप में भी कार्य करता है। अगर सरकार संविधान में लिखित नियमों के विरुद्ध कानून का निर्माण करती है तो न्यायपालिका उसे रोक सकती है।
8. **कांग्रेस क तीसरा सदन**—सर्वोच्च न्यायालय की महत्त्वपूर्ण भूमिका के कारण ही इसे कांग्रेस का तीसरा सदन भी कहा जाता है। वैसे न्यायालय को कानून निर्माण का अधिकार संविधान के द्वारा नहीं दिया गया है, केवल व्यवस्थापिका व कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा का अधिकार दिया गया है।

अमेरिका का न्यायालय विश्व के सभी न्यायालयों से अधिक शक्ति सम्पन्न है, क्योंकि इसे न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है। इसका प्रयोग करके वह अपनी एक महती भूमिका निभाता है। इसके कार्य इसको गरिमा, मान प्रदान करते हैं।

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्र.1. .... लोगों का एक समूह है जो चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता हासिल करने के लिए एक साथ आते हैं।
(क) दबाव समूह (ख) राजनीतिक दल (ग) रुचि समूह (घ) बिजनेस लॉबी

उत्तर (ख) राजनीतिक दल

प्र.2. .... ने चुनाव के समय पार्टियों द्वारा दीवार लेखन पर आधिकारिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया है।
(क) संसद (ख) राष्ट्रपति
(ग) चुनाव आयोग (घ) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)

उत्तर (ग) चुनाव आयोग

प्र.3. राजनीतिक दल समाज में मौलिक .... को प्रतिबिंबित करते हैं। पार्टियाँ समाज का एक हिस्सा होती हैं और इस प्रकार उनमें भागीदारी शामिल होती है।
(क) सामाजिक विभाजन (ख) आर्थिक विभाजन (ग) धार्मिक विभाजन (घ) राजनीतिक विभाजन

उत्तर (घ) राजनीतिक विभाजन

प्र.4. भारत जैसे देशों में, ... चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों का चयन करते हैं।
(क) पार्टी के शीर्ष नेता (ख) पार्टी के सदस्य
(ग) पार्टी के समर्थक (घ) इनमें से कोई नहीं

उत्तर (क) पार्टी के शीर्ष नेता

प्र.5. एक सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी नीतियों को .... द्वारा अपनाई गई लाइन पर आधारित करेगी।
(क) विपक्षी दल (ख) सत्तारूढ़ दल (ग) राष्ट्रपति (घ) संसद

उत्तर (ख) सत्तारूढ़ दल

प्र.6. कई दबाव समूह समाज के विभिन्न वर्गों के बीच .... का विस्तार हैं।
(क) विधायिका (ख) सरकार (ग) राजनीतिक दल (घ) नौकरशाही

उत्तर (ग) राजनीतिक दल

TOUCH N PASS

प्र.7. राजनीतिक दलों का उदय सीधे तौर पर ………………… के उद्भव से जुड़ा है।
(क) मौद्रिक लोकतंत्र (ख) प्रत्यक्ष लोकतंत्र (ग) प्रतिनिधि लोकतंत्र (घ) संवैधानिक लोकतंत्र

उत्तर (ग) प्रत्यक्ष लोकतंत्र

प्र.8. कई राजनीतिक दलों ने कोरियाई स्टील कंपनी पोस्को के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसे राज्य सरकार ने चीन और कोरिया में स्टील संयंत्रों को खिलाने के लिए ……………… से लौह अयस्क निर्यात करने की अनुमति दी थी।
(क) आंध्र प्रदेश (ख) तमिलनाडु (ग) पश्चिम बंगाल (घ) ओडिशा

उत्तर (घ) ओडिशा

प्र.9. भारत में, ……………… पार्टियाँ भारत के चुनाव आयोग के साथ पंजीकृत हैं।
(क) 750 से कम (ख) 75 से कम (ग) 100 से कम (घ) 750 से अधिक

उत्तर (घ) 750 से अधिक

प्र.10. ……………… और यूनाइटेड किंगडम दो-पक्षीय प्रणाली के उदाहरण हैं।
(क) संयुक्त राज्य अमेरिका (ख) रूस
(ग) चीन (घ) कनाडा

उत्तर (क) संयुक्त राज्य अमेरिका

प्र.11. निम्नलिखित में से कौन बहुदलीय प्रणाली का उदाहरण है?
(क) भारत (ख) न्यूजीलैंड (ग) कनाडा (घ) उपरोक्त सभी

उत्तर (घ) उपरोक्त सभी

प्र.12. राजनीतिक दलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?
(क) कनाडा और जापान जैसे कई उन्नत देशों की तुलना में भारत में उन लोगों का अनुपात कम था, जिन्होंने कहा कि वे किसी राजनीतिक दल के सदस्य हैं
(ख) पिछले तीन दशकों में, भारत में राजनीतिक दलों के सदस्य होने की रिपोर्ट करने वालों का अनुपात लगातार कम हो गया है
(ग) भारत में उन लोगों का अनुपात भी कम हो गया है जो कहते हैं कि वे 'किसी राजनीतिक दल के करीब' महसूस करते हैं
(घ) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर (घ) उपरोक्त में से कोई नहीं

प्र.13. राष्ट्रीय दलों की विभिन्न राज्यों में अपनी इकाइयाँ हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये सभी इकाइयाँ उन्हीं नीतियों, कार्यक्रमों और रणनीति का पालन करती हैं जो ……………… में तय की जाती हैं।
(क) राष्ट्रीय स्तर (ख) राज्य स्तर (ग) जिला स्तर (घ) ग्राम स्तर

उत्तर (क) राष्ट्रीय स्तर

प्र.14. एक पार्टी जो किसी राज्य की विधान सभा के चुनाव में कुल वोटों का कम से कम छह प्रतिशत वोट हासिल करती है और कम से कम ……………… जीतती है, उसे राज्य पार्टी के रूप में मान्यता दी जाती है।
(क) दो सीटें (ख) तीन सीटें (ग) एक सीट (घ) चार सीटें

उत्तर (क) दो सीटें

प्र.15. एक पार्टी जो लोकसभा चुनाव या चार राज्यों के विधानसभा चुनावों में कुल वोटों का कम से कम छह प्रतिशत वोट हासिल करती है और लोकसभा में कम से कम ……………… जीतती है, उसे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी जाती हैं।
(क) एक सीट (ख) दो सीटें (ग) चार सीटें (घ) तीन सीटें

उत्तर (ग) चार सीटें

❑

TOUCH'n' PASS

UNIT-VII

वियतनामी संविधान की विशेषताएँ
Features of Vietnamese Constitutions

खण्ड-अ अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. वितनाम का संविधान कब प्रभाव में आया?

When did the constitution of Vietnam come into effect?

उत्तर सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम का संविधान वियतनाम का वर्तमान संविधान है, जिसे 28 नवम्बर, 2013 को तेरहवीं असेम्बली द्वारा अपनाया गया और 1 जनवरी, 2014 को प्रभावी हुआ।

प्र.2. वियतनाम में कानून कौन बनाता है?

Who makes the lows in Vietnam?

उत्तर राष्ट्रीय सभा नेशनल असेम्बली लोगों का सर्वोच्च प्रतिनिधि अंग है और वियतनाम के समाजवादी गणराज्य की राज्य सत्ता का सर्वोच्च अंग है। नेशनल असेम्बली संवैधानिक और विधायी शक्तियों वाला एकमात्र अंग है।

प्र.3. वियतनाम का पुराना नाम क्या है?

What is the old name of Vietnam?

उत्तर **"अन्नम"**, जो सातवीं शताब्दी में एक चीनी नाम के रूप में उत्पन्न हुआ, औपनिवेशिक काल के दौरान देश का सामान्य नाम था। राष्ट्रवादी लेखक फान बई चाउ ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में "वियतनाम" नाम को पुनर्जीवित किया।

प्र.4. वियतनामी कानूनी प्रणाली में संविधान की क्या स्थिति है?

What is the status of the constitution in the Vietnamese legal system?

उत्तर संविधान की नेशनल असेम्बली द्वारा प्रख्यापित किया गया है और यह वियतनाम में उच्चतम कानूनी वैधता वाला मूल कानूनी नियामक दस्तावेज है।

प्र.5. वियतनाम में वर्तमान मुद्दे क्या हैं?

What are the current issues in Vietnam?

उत्तर महत्त्वपूर्ण मानवाधिकार मुद्दों में शामिल हैं—सरकार द्वारा गैरकानूनी या मनमानी हत्याएँ; सरकारी एजेन्टों द्वारा यातना; सरकार द्वारा मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और हिरासत; राजनीतिक कैदियों; न्यायपालिका की स्वतन्त्रता के साथ महत्त्वपूर्ण समस्याएँ; गोपनीयता के साथ मनमाना या गैरकानूनी हस्तक्षेप।

प्र.6. क्या वियतनाम में नागरिक मतदान कर सकते हैं?

Can citizens vote in Vietnam?

उत्तर बिना सूत्रों की सामग्री को चुनौती देकर हटाया जा सकता है। वियतनाम में चुनाव वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी (वीसीपी) की एकदलीय राजनीतिक प्रणाली के तहत होते हैं। वियतनाम कुछ समकालीन पार्टी के नेतृत्व वाली तानाशाही में से एक है जो राष्ट्रीय स्तर पर कोई प्रत्यक्ष चुनाव नही करवाता है।

प्र.7. वियतनाम में कितने राज्य हैं?

How many states are there in Vietnam?

उत्तर वियतनाम (आधिकारिक तौर पर वियतनाम समाजवादी गणराज्य) दक्षिण पूर्व एशिया के हिन्द-चीन प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित एक देश है। इसके उत्तर में चीन, उत्तर पश्चिम में लाओस, दक्षिण पश्चिम में कम्बोडिया और पूर्व में दक्षिण चीन सागर स्थित है।

TOUCH 'n' PASS

प्र.8. वियतनाम कौन-से देश में आता है?

Which country does vietnam belong to?

उत्तर वियतनाम (आधिकारिक तौर पर वियतनाम समाजवादी गणराज्य) दक्षिण पूर्व एशिया के हिन्द-चीन प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित एक देश है। इसके उत्तर में चीन, उत्तर पश्चिम में लाओस, दक्षिण पश्चिम में कम्बोडिया और पूर्व में दक्षिण चीन सागर स्थित है।

खण्ड-ब लघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. वियतनाम का संक्षिप्त परिचय दीजिए।

Give a brief introduction of Vietnam.

उत्तर वियतनाम दक्षिण पूर्वी एशिया में हिन्द-चीन के तीन देशों में से एक है। विदेशी ताकतों द्वारा लम्बे समय तक इसे दास बनाये रखने के इसके प्रभावी इतिहास के अलावा इसे एक ऐसे राष्ट्रीय आन्दोलन का गौरव हासिल है, जिसका उदाहरण इतिहास में नहीं मिल सकता। वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी तथा दो ची-मिन्ह के नेतृत्व में, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानी कब्जे के खिलाफ तथा बाद में फ्रांसीसियों (जिन्हें जापान ने खदेड़ कर बाहर कर दिया था) के खिलाफ, जोकि दोबारा से अपने पूर्व शासित देशों पर कब्जा करना चाहते थे, वियतनाम ने शानदार संघर्ष चलाया था। जनरल जियाप की गुरिल्ला सेनाओं के नेतृत्व में विएन विएन फू में फ्रांसीसी फौजों को 1954 में शिकस्त देने के बाद वियतनाम जिनेवा समझौते के तहत दो देशों में विभाजित कर दिया गया। जनता की राय लेने के लिए वायदे के मुताबिक चुनाव नहीं कराया गया और अमेरिका ने वियतनामी कम्युनिस्टों के खिलाफ युद्ध के लिए भारी मात्रा में अपनी सेनाएँ भेज दी। यह सब साम्यवाद को समाप्त कर देने की विश्व-व्यापी रणनीति का ही एक हिस्सा था। किन्तु यह शायद अमेरिकियों के लिए अब तक की सबसे बड़ी दुर्घटना सिद्ध हुई। यद्यपि वियतनाम को विश्व की सबसे शक्तिशाली ताकत अमेरिका द्वारा सर्वाधिक घिनौने ढंग के सैन्य आक्रमण का निशाना बनाया गया था किन्तु वियतनामी राष्ट्रीय भावना को दबाया नहीं जा सका। लगभग बीस वर्षों तक चले युद्ध के बाद वियतनाम के विरुद्ध युद्ध में लगभग 55000 अमेरिकी सैनिक मारे गये और अन्ततः 1975 में उसे शर्मनाक ढंग से देश छोड़कर भागना पड़ा।

इस जबर्दस्त विजय के बाद, हालाँकि वियतनाम को एकीकरण तथा युद्ध से तबाह हुए देश के पुनर्निर्माण से सम्बन्धित गम्भीर समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसके अलावा वियतनाम के भूतपूर्व समर्थक सोवियत संघ तथा चीन के बीच विचारधारात्मक शत्रुता के फलस्वरूप भी वियतनाम को सोवियत संघ के पक्ष में खड़ा होन पड़ा जिसने उदारता के साथ आर्थिक मदद प्रदान की। साम्यवादी सोवियत संघ के ढह जाने तथा अर्थव्यवस्था के असन्तोषजनक निष्पादन के कारण, हाल ही में वियतनाम को विकास के कुछ पूँजीवादी उपाय अपनाने पड़े। आज वियतनाम लगभग सभी क्षेत्रों में एक तीव्र रूपान्तरण के दौर से गुजर रहा है। अब वह कम्युनिस्ट-विरोधी आसियान (एसोसिएशन ऑफ साउथ-ईस्ट एशियन नेशन्स), अपने पूर्व शत्रु चीन तथा अमेरिका के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध बना रहा है। अब उसने एक उदारीकृत, बाजार-उन्मुख अर्थ-नीति को अपनाना शुरू कर दिया है।

प्र.2. वियतनाम की संविधान एवं सरकार पर टिप्पणी कीजिए।

Comment on the Constitution and Government of Vietnam.

उत्तर

संविधान एवं सरकार
(Constitution and Government)

अन्य कम्युनिस्ट व्यवस्थाओं की तरह ही वियतनाम का शासन भी मूलतः वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा किया जाता है, जोकि सामाजिक-राजनैतिक-आर्थिक एजेण्डा निर्धारित करती है और प्रमुख नीतिगत निर्णय लेती है। पोलिटब्यूरो नामक एक छोटा गुट सबसे अधिक शक्तिशाली निकाय है, जोकि पार्टी नेतृत्व के सबसे अधिक प्रभावशाली संस्था से मिलकर बनता है। पोलिटब्यूरो आम दिशा-निर्देश प्रदान करती रहती है। कम्युनिस्ट-पार्टी की कांग्रेस जोकि प्रायः तीन या चार वर्षों में एक बार आयोजित की जाती है और जिसमें देश भर से पार्टी के प्रतिनिधि भाग लेते हैं, सबसे ज्यादा महत्त्वपूर्ण है। पार्टी कांग्रेस में पोलिटब्यूरो और केन्द्रीय कमेटी समेत, पार्टी नेतृत्व में कोई भी परिवर्तन किया जा सकता है और साथ-ही-साथ पार्टी तथा सरकार के कामों की समीक्षा के माध्यम से पार्टी कांग्रेस ही अगली कांग्रेस आयोजित किये जाने तक के समय के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करती है।

कांग्रेस केन्द्रीय कमेटी का भी चुनाव करती है और केन्द्रीय कमेटी पोलिटब्यूरो का तथा पोलिटब्यूरो कम्युनिस्ट पार्टी के लिए एक महासचिव का चुनाव करता है। यद्यपि पार्टी की शक्तियाँ तथा प्राधिकार अधिक प्रभुत्वशाली होते हैं फिर भी यह सरकार से भिन्न है।

नया संविधान (New Constitution)

तीसरी बार एक नया संविधान, 1980 में अपनाया गया, जोकि अभी भी प्रयोग में लाया जा रहा है, किन्तु शीघ्र ही इसे जरूरी संशोधनों के साथ परिवर्तित किया जाना है। राष्ट्रीय असेम्बली एक निर्वाचित निकाय है किन्तु इसे विधायी शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं। राष्ट्रीय समिति एक शक्तिशाली स्टियरिंग कमेटी मौजूद है, जिसे काउन्सिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। कार्यपालिका शक्तियाँ मन्त्रिपरिषद् में निहित है जिसका नेतृत्व प्रधानमन्त्री करता है। इसके अलावा द राष्ट्रीय सुरक्षा काउन्सिल, द सुप्रीम-मिलिटरी ऑथरिटी तथा सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट, जिसका मुख्य चीफ जस्टिस है, मौजूद।

प्र.3. वियतनाम की विदेश नीति का संक्षेप में उल्लेख कीजिए।

Briefly mention the foreign policy of Vietnam.

उत्तर

विदेश नीति
(Foreign Policy)

चूँकि वियतनाम ने कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में स्वाधीनता प्राप्त की थी, अत: इसने आसियान देशों के साथ सम्बन्धों के मामले में अपनी विदेश नीति में उग्र तेवर अपनाये, क्योंकि आसियान के देश अमेरिका अनुयायी और पूँजीवाद के समर्थक थे। राजनैतिक दिशा तथा आर्थिक सहायता के लिए वियतनाम बुरी तरह से सोवियत संघ और चीन पर निर्भर रहा है। हालाँकि वियतनाम ने सोवियत संघ तथा चीन के साथ बराबर की दूरी बनाये रखने की कोशिश की, जोकि विचारधारा के प्रश्न पर एक-दूसरे को नीचा दिखाने में लगे थे, किन्तु इसमें किसी को सफलता नहीं मिल सकी थी। अनेक कारकों के चलते, खासतौर पर कम्बोडिया में पोल-पोट के नरसंहारी निजाम से जुड़े कारकों, जिसने चीन के पक्ष में खड़ा होना पसन्द किया था, वियतनाम सोवियत शिविर के नजदीक आ गया। 1978 के आखिर में कम्बोडिया में इसके सैन्य-हस्तक्षेप के बाद कम्युनिस्ट-विरोधी आसियान देशों को वियतनाम को अलग-थलग कर देने का एक अच्छा बहाना मिल गया। सोवियतों के साथ घनिष्ठ मैत्री के फलस्वरूप वियतनाम के डानाँग तथा कैम रान्ह खाड़ियों में उन्हें सैनिक अड्डे भी उपलब्ध कराये। चूँकि वियतनाम कम्बोडिया में पोल-पोट के शासन का तख्ता-पलट करने का साधन बना था, अत: 1979 के शुरू में चीन ने इसे सबक सिखाने के लिए वियतनाम पर आक्रमण कर किये। अपनी विदेश नीति में संशोधन करने के लिए विवश कर दिया। वियतनाम ने कम्बोडिया से अपनी सारी सेनाएँ वापस बुला ली है और वह अपनी अर्थव्यवस्था को उदार बनाने की प्रक्रिया में है। निकट अतीत में आसियान देशों के साथ सम्बन्धों में काफी सुधार हुआ है और ऐसा ही चीन के साथ सम्बन्धों में भी हुआ है। इस बात की सम्भावना है कि शीघ्र ही अमेरिका के साथ भी राजनयिक सम्बन्ध पुन: स्थापित हो जाएँगे। वियतनाम आज क्रान्तिकारी लक्ष्यों को लेकर चलने की बजाय, अपने आर्थिक पिछड़ेपन को समाप्त करने में अधिक रुचि ले रहा है।

प्र.4. वियतनाम के वर्तमान संविधान एवं अध्यायों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए।

Briefly mention the present constitution and chapters of Vietnam.

उत्तर वर्तमान संविधान, जिसे 2013 के संविधान के रूप में जाना जाता है, में एक प्रस्तावना और 11 अध्याय शामिल हैं—

अध्याय I: राजनीतिक प्रणाली

अध्याय II: मानवाधिकार, बुनियादी नागरिक अधिकार और नागरिक कर्त्तव्य

अध्याय III: अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण

अध्याय IV: मातृभूमि की रक्षा

अध्याय V: नेशनल असेम्बली

अध्याय VI: गणराज्य के राष्ट्रपति

अध्याय VII: सरकार

अध्याय VIII: पीपुल्स कोर्ट और पीपुल्स प्रोक्यूरेसी

अध्याय IX: स्थानीय सरकार

अध्याय X: राष्ट्रीय चुनाव परिषद और राज्य लेखा परीक्षा कार्यालय

अध्याय XI: संविधान का प्रभाव और संविधान में संशोधन

TOUCH ME PASS

खण्ड-स विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. वियतनाम के आरम्भिक इतिहास की विवेचना कीजिए।
Discuss the early history of Vietnam.

उत्तर

आरम्भिक इतिहास
(Early History)

वियतनाम के आरम्भिक इतिहास में चीनी शासन के अधीन स्वतन्त्रता की माँग करते हुए छिटपुट हिंसक विद्रोहों के अलावा खास कुछ भी नहीं है। 207 ई०पू० में चीन में चिन वंश के पतन के बाद एक चीनी सेनानायक ट्रियू डा ने, जोकि क्वाटुंग एवं क्वांगसी प्रान्तों की बागडोर सँभाले हुए था, रेड खिर डेल्टा को भी अपने आधिपत्य में ले लिया और इस तरह नान–अह अथवा नाम–वियत नामक स्वतन्त्र सल्तनत की स्थापना कर दी। ई०पू० में नाम सल्तनत के खात्मे के बाद नाम–वियत चीनी प्रान्त में बदल गया और अगले एक हजार वर्षों के लिए उसके अधिराजत्व में रख दिया गया। बड़ी संख्या में चीनी लोग रेड खिर डेल्टा में आकर बस गये और उन्होंने बौद्ध धर्म कन्फूशियस के मूल्यों तथा चीनी संस्कृति की वियतनाम में शुरुआत थी।

मध्यकालीन इतिहास (Medieval History)

वियतनाम के मध्यकालीन इतिहास में दो परिवारों का बोलबाला बना रहा, ट्रिन्ह तथा ग्वेन, जोकि एक दूसरे के रिश्तेदार थे किन्तु राजनैतिक प्रतिद्वन्द्वी भी थे। 15वीं शताब्दी तक, डेको–वियत की रियासत टाँगकिंग डेल्टा तक ही लगभग सीमित थी। 1471 में चम्पा की जबर्दस्त पराजय के बाद वियतनामी राज्य अन्ना रेन्ज के थोड़ा दक्षिण तक विस्तार कर लिया। वियतनाम का विभाजन पहली बार 1540 में हुआ। उस समय हुआ जबकि एक दरबारी मन्त्री गुएन द्वारा समर्थित वियतनाम के शासक ली परिवार को एक सेनानायक भेक डैंक ढंग के हाथों गम्भीर आघात झेलना पड़ा जिसने टाँगकिंग में सत्ता हथिया ली। चीन ने मध्यस्थता करते हुए वियतनाम के विभाजन का समर्थन किया। हालाँकि 1592 तक एक अन्य दरबारी कुलीन ट्रिन्ह ने टाँगकिंग में मैंक निजाम को उखाड़ फैंका और ली वंश के नाम से सत्ता पर काबिज हो गया। ट्रिन्ह नाममात्र के भी शासक को चुपचाप हू से हनोई ले जाने में सफल हो गया। अधिराजत्व सत्ता के रूप में चीन के पिछले विभाजन को निरस्त कर दिया और ली वंश को वियतनाम के एकमात्र वैध शासक की मान्यता प्रदान कर दी। किन्तु खेनों को मिटाया नहीं जा सका। अन्नम पहाड़ों से लेकर डाँग होई के पास से समुद्र तक खिंची हुई एक दीवार ट्रिन्ह तथा ग्बुने परिवारों के नियन्त्रण वाले क्षेत्रों को पृथक करती है।
खेनों की शक्ति ट्रिन्ह खतरे को दूर कर देने के बाद तेजी के साथ बढ़ी। चम्पा रियासत के अवशेषों का अन्तिम रूप से सफाया 1720 में हुआ जबकि इसका अन्तिम राजा अपने अधिकांश आदमियों के साथ वर्तमान कम्बोडिया भागकर आ गया। वियतनामियों ने अपने नियन्त्रण का विस्तार कोचीन–चीन के मैकांग डेल्टा तक कर दिया जोकि उस समय तक कम्बोडिया की खेमर रियासत का हिस्सा था। अठारहवीं सदी के मध्य तक, वर्तमान दक्षिण वियतनाम के लगभग सभी खेमर क्षेत्र खेन रियासत का हिस्सा बन गये।

18वीं सदी के अन्तिम 25 वर्षों के दौरान हुए विद्रोह
(Revolt that took Place During the last 25 Years of the 18th Century)

18वीं सदी के अन्तिम 25 वर्षों के दौरान वियतनाम में जबर्दस्त सामाजिक एवं राजनैतिक क्रान्तियाँ हुईं। उत्तर तथा दक्षिण दोनों ही में पुराने प्रतिष्ठित निजामों को उखाड़ फेंका गया। मध्य वियतनाम के ग्वेन वान ह, खेन वान लू तथा ग्वेन वान हू नामक तीन भाइयों ने (जिन्होंने दक्षिणी शासक परिवार ग्वेन का नाम अपना लिया था) क्रान्ति का झण्डा बुलंद किया; साथ ही ट्रिन्ह निजाम के खिलाफ जोकि भ्रष्ट और पक्षपातपूर्ण था, जनता में उपजे असन्तोष ने भी योगदान दिया। 1788 तक उन्होंने समूचे वियतनाम को अपने नियन्त्रण में ले लिया। हक को अन्न का राजा घोषित किया गया जबकि हू तथा लू क्रमशः टाँगकिंग एवं मैकोंण के शासक बने। यद्यपि इन तीनों भाइयों ने वियतनाम का एकीकरण कर दिया, किन्तु दक्षिण में उन्हें अधिक सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था, जहाँ लोग उन्हें बेईमान मानते थे क्योंकि उन्होंने मूल खेन राजा के बिना कोई वयस्क वारिस छोड़े, मर जाने का फायदा उठाया था। अवयस्क राजकुमार खेन अन्ह के साथ लोगों को सहानुभूति थी और उन्होंने चुपचाप उसकी सहायता की।

फ्रांस के साथ अन्योन्य-क्रिया की शुरुआत (Beginning of Interaction with France)

एक फ्रांसीसी धर्मप्रचारक, पिगनौ व बेहैन ने फ्रांस के साथ अन्योन्य–क्रिया का सूत्रपात किया। गवान अन्ह का एक समर्थक अन्ह के पुत्र को, गवान अन्ह को सत्ता में बहाल करने के लिए सैन्य सहायता माँगने के लिए फ्रांस के लुईस XVI के दरबार में ले गया।

राजनैतिक हलचल के बावजूद जोकि 1789 को फ्रांसीसी क्रान्ति से ठीक पहले सम्राट को भुगतनी पड़ रही थी, फ्रांस-वियतनाम संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसके तहत विदेशी व्यापार में इजारेदारी तथा पुओलो केन्डोइ प्रायद्वीप तथा पोर्ट ऑफ डा नांग को अलग किये जाने के बदले में फ्रांसीसी सैन्य सहायता प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया था। फ्रांसीसी सरकार ने पाण्डिचेरी (मद्रास के निकट) के अपने औपनिवेशिक गवर्नर को सैन्य सहायता प्रदान करने के निर्देश जारी किये, किन्तु इस आदेश पर कोई अमल नहीं हो सका। डी बीहेनी ने, हालाँकि पांडिचेरी में 300 स्वयंसेवक तथा काफी सारा फण्ड जमा कर लिया जोकि हथियारों से भरे अनेक जहाजों को खरीदने के लिए पर्याप्त था। वह जून 1789 में, बैस्टली के पतन से ठीक एक माह पहले, जोकि फ्रांसीसी क्रान्ति की शुरुआत का प्रतीक है, वियतनाम पहुँचा था।

फ्रांसीसी सहायता से पहुँचने से पूर्व ही ग्वान अन्ह ने साइगौन पर 1788 में ही कब्जा कर लिया था। जब तक 1801 में उसने ह्यू पर विजय हासिल की और एक साल बाद हनोई को जीता, तब तक उसकी सेना में केवल चार फ्रांसीसी ही मौजूद थे। हालाँकि फ्रांस ने वाउबन जैसे किले तैयार करने, बेहतर और बड़ी तोपों के निर्माण तथा एक जल सेना स्थापित करने में मदद की थी। गवेन अन्ह को 1892 में अन्नम का सम्राट घोषित किया गया और उसे जिया लौंज की उपाधि दी गई, जोकि टाँगकिंग तथा मैकोंग डेल्टाओं के एकीकरण का प्रतीक थी। आगामी वर्षों में उसने चीनी दरबार को सौगात भेजी और पहली बार चीन ने ग्वेन वंश को मान्यता प्रदान की। इसका श्रेय जिया लौंग को दिया जाना चाहिए, जिसने युद्ध से तबाह हुए देश का सफलतापूर्वक नवनिर्माण किया, जिसमें सैंगोन, हु तथा हनोई को जोड़ने वाली 1300 मील लम्बी सड़क का निर्माण भी शामिल है। वह निस्सन्देह वियतनाम को एक सूत्र में बाँधने वाला ही नहीं बल्कि वह ही अब तक का सबसे महान सम्राट हुआ था।

प्र.2. वियतनाम में फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के प्रमुख पहलू एवं राष्ट्रीय आन्दोलन का वर्णन कीजिए।
Discribe the main aspects of French colonial rule and the national movement in Vietnam.

उत्तर

औपनिवेशिक शासन
(Colonial Rule)

यद्यपि वियतनाम के साथ फ्रांसीसी सम्पर्क सत्रहवीं शताब्दी के सुदूर अतीत तक में देखा जा सकता है, फिर भी बाकायदा औपनिवेशिक राज उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध तक स्थापित नहीं हुआ था। 18वीं सदी के अन्त में निरन्तर धर्मान्तरण में रुचि दिखाई पड़ी जबकि लगभग एक चौथाई मिलियन वियतनामियों ने धर्मपरिवर्तन कर लिया, जोकि अधिकांशत: तटीय प्रान्तों के रहने वाले थे। मिन मांग के अधीन 1920 में बड़े पैमाने पर धर्मान्तरित लोगों व धर्मप्रचारकों का दमन किया गया तथा वह थिऊ दी (1841-1847) तथा टू डक शासन (1847-1883) के आरम्भिक चरण तक जारी रहा। कैथोलिकों के प्रति शत्रुता, धर्मप्रचारकों की लगातार दरबारी राजनीति में भागीदारी के फलस्वरूप और अधिक बढ़ती गई। कोचीन-चीन के अर्ध स्वतन्त्र विद्रोही गवर्नर के साथ धर्मप्रचारकों के घनिष्ठ रिश्ते के फलस्वरूप भी सम्राट उनसे बुरी तरह नाराज था। इस गवर्नर ने 1820 में जिया लोंग की मृत्यु के बाद मिन्ह मांग को सत्ता में आने से रोकने की कोशिश की थी। मिन्ह माँग ने 1825 में नये धर्मप्रचारकों के प्रवेश पर रोक लगा दी। आठ साल बाद एक अत्यन्त कठोर डिक्री ने चर्चों को ढहा दिये जाने का आदेश दिया और कैथोलिक विश्वास के पेशे को एक ऐसा दण्डनीय अपराध घोषित कर दिया जिस पर मौत की सजा दी जा सकती थी। यह 1836 में हुआ और यही वह समय था जबकि जहाजों के आवागमन पर चीन ने सख्त पाबंदियाँ लगा दी थी। वियतनामी सम्राट ने अपने बंदरगाहों को यूरोपीय जहाजों के लिए बंद कर दिया।

धर्मप्रचारकों का दमन और फ्रांसीसी हस्तक्षेप
(Supression of Religions Preachers and Interference of French)

धर्मप्रचारकों का दमन फ्रांस के लिए वियतनाम में सीधा हस्तक्षेप करने का उत्कृष्ट बहाना बन गया। 1846 में फ्रांसीसी जहाजों ने दो सप्ताह तक डा नांग को घेरे रखा और फिर बंदरगाह पर गोलाबारी की, साथ ही डोमिनीक लैफेनर की रिहाई की माँग की, जिसे वियतनामी सरकार ने मौत की सजा सुना दी थी। नेपोलियन III की फ्रांस सरकार इस मौके का इस्तेमाल कोचीन-चीन में सफलता हासिल करके अपनी घरेलू गड़बड़ियों से उबरने के लिए भी करना चाहती थी। नया फ्रांसीसी साम्राज्यवाद उस समय चर्च, व्यापारियों तथा नये बाजारों की तलाश करते उद्यमियों के व्यापक हितों के गठजोड़ पर आधारित था तथा उसे राष्ट्रीय शक्ति एवं वैभव को बढ़ाने का सपना देखने वाले और उपनिवेश कायम करने में लगे एक अहंकारी सम्राट का समर्थन हासिल था। व्यापारिक हित वियतनाम में उन्हें प्राप्त विशिष्ट भौगोलिक फायदों से वाकिफ थे, खासतौर पर आन्तरिक चीन के लाभकारी

बाजारों में प्रवेश लेने के सन्दर्भों में। विदेशी बाजारों में रुचि रखने वाले फ्रांसीसी व्यापारी कोचीन-चीन की सरकार का समर्थन इस उम्मीद पर कर रहे थे कि दक्षिण-चीन व्यापार के प्रवाह के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे सिंगापुरा तथा हांगकांग के खिलाफ सैंगोन में एक आधार की स्थापना की जा सके।

टू डक की संधि (Treat of To Duck)

आगामी दस वर्षों के लिए युद्ध सन्धि के बाद फ्रांसीसियों ने 1862 में टू डक से एक और सन्धि की जिसके तहत वियतनामी सम्राट ने सैंगोन समेत कोचीन-चीन में तीन प्रान्त फ्रांस के हवाले कर दिये और यह आश्वासन दिया कि उसकी रियासत का कोई भी हिस्सा फ्रांस के अलावा किसी अन्य शक्ति से गठजोड़ नहीं करेगा। वह दस वार्षिक किश्तों में चार मिलियन पियासात्रे का हर्जाना देने के लिए भी राजी हो गया और साथ ही फ्रांसीसी व्यापार के लिए अन्नम में तीन बंदरगाह खोलने के लिए भी राजी हो गया। भविष्य में ईसाई धर्म को बर्दाश्त किया जाना था तथा मैकौंग का धर्मान्तरित करने का अधिकार था। पाँच साल बाद फ्रांसीसियों ने कोचीन-चीन के बाकी प्रान्तों को भी हासिल कर लिया ताकि मैकोंग डेल्टा पर उनका पूर्ण नियन्त्रण स्थापित हो जाए। 1873 की संधि ने फ्रांस को और अधिक रियायतों के लिए वियतनामी सम्राट पर दबाव डालने का बहाना प्रदान कर दिया, क्योंकि फ्रांस ने आरोप लगाया कि फ्रांस के संरक्षण में रहने के बावजूद चीन को सौगात भेज कर वियतनाम ने संधि का उल्लंघन किया है। अन्नम के सम्राट की भारी विवशता से अन्नम को फ्रांस का औपचारिक तौर पर संरक्षित राज्य बनने, टाँगकिंग प्रान्त की प्रशासनिक जिम्मेदारी फ्रांस के सुपुर्द कर देने तथा हनोई एवं हयू में फ्रांसीसी रेजीडेन्ट को स्वीकार करने पर विवश कर दिया। एक लम्बी लड़ाई और अन्ततः पराजय के बाद चीन की सभ्य सल्तनत ने 1885 में एक संधि पर हस्ताक्षर कर दिये जिसमें अन्नम तथा टाँगकिंग पर फ्रांसीसी संरक्षण को मान्यता दे दी गई, फ्रांसीसी व्यापारियों को उत्तरी चीन में व्यापार की इजाजत मिल गई, चुन्नान में फ्रांस को अन्य सभी यूरोपीय ताकतों पर वरीयता देकर स्वीकार कर लिया गया और फ्रांस को हनोई से कुमिंग तक रैड रिवर घाटी के समानान्तर रेल लाइन बिछाने की मंजूरी दे दी गई। इस सन्धि से वियतनाम एवं चीन के बीच अधीनस्थता के दो हजार साल पुराने सम्बन्धों का अन्त हो गया और समूचे वियतनाम पर फ्रांस का आधिपत्य स्थापित हो गया।

राष्ट्रीय आन्दोलन (National Movement)

दक्षिण-पूर्वी एशिया इस मामले में अनोखा है क्योंकि शायद यह विश्व का एकमात्र ऐसा भाग है जिसमें लगभग सभी औपनिवेशिक ताकतें एक समय पर मौजूद रही हैं; हिन्द-चीन (वियतनाम, कम्बोडिया, लाओस) में फ्रांसीसी, मलाया, सिंगापुर, बूनी व बर्मा में ब्रिटिश, इण्डोनेशिया में डच, फिलीपीन्स में अमेरिकी तथा पूर्वी तीमोर में पुर्तगाली। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान समूचा क्षेत्र जापानी शासन के अधीन रह चुका है। समूचे क्षेत्र में राष्ट्रीय आन्दोलनों का ज्वर भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है जोकि वियतनाम के सबसे ज्यादा रक्तरंजित आन्दोलन से लेकर बूनी के सबसे ज्यादा शान्तिपूर्ण आन्दोलन तक की शृंखलाओं में रहे।

वियतनाम का इतिहास तथा चीनी शासन का अन्त
(History of Vietnam and the End of Chinese)

वितयनाम का इतिहास विभिन्न समयों के दौरान चीनी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए किये गये व्यापक स्तर के आन्दोलनों से भरा पड़ा है। वियतनाम में भी, शेष दक्षिण-पूर्व एशिया की तरह शिक्षा ने राष्ट्रवादी चेतना के विकास में अहम् भूमिका अदा की। कुलीनों में से अनेक लोग जिन्होंने पश्चिम में शिक्षा प्राप्त की थी, वे विभिन्न विचारधाराओं, खासकर मार्क्सवाद के प्रभाव में आये और उन्होंने स्वदेश वापस लौट कर राष्ट्रवादी आन्दोलनों का नेतृत्व किया, जोकि कई बार लड़ाकू तेवरों के साथ लड़े गये थे। अन्य घटनाएँ जिन्होंने राष्ट्रवादी भावनाओं को उभारा, वे भी : 1899 में चीन में पाश्चात्य देशों की मौजूदगी तथा वर्चस्व के खिलाफ बॉक्सर विद्रोह; रूस पर जापान की जबर्दस्त सैन्य विजय जिसने पश्चिमी शक्ति की अपराजेयता के मिथक को चकनाचूर कर दिया था; चीन में वतनशील मान्यू वंश को सफलतापूर्वक सत्ता से उखाड़ फैंका जाना और 1911 में चीनी गणतन्त्र की उद्घोषणा; 1917 में हुई रूसी क्रान्ति जिसने पहली बार सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में एक सर्वहारा राज्य की स्थापना की थी तथा भारत में हुआ राष्ट्रीय आन्दोलन। किन्तु सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण भी दक्षिण-पूर्व एशिया में मौजूद तमाम महानगरीय-शक्तियों पर जापान की विजय तथ समूचे क्षेत्र पर उसका कब्जा, जिसने न सिर्फ एक उत्प्रेरक का काम किया बल्कि राष्ट्रवादी आन्दोलनों को आवश्यक प्रेरणा भी प्रदान की।

फ्रांसीसी शासन का विरोध (Counter of French Rule)

यद्यपि फ्रांसीसियों द्वारा वियतनाम पर कब्जा किये जाने के तुरन्त बाद से ही फ्रांसीसी शासन का विरोध होना शुरू हो गया था, किन्तु आरम्भिक 20वीं शताब्दी के दौरान ही स्वाधीनता संघर्ष नई बुलंदियों पर पहुँच गया था। खाते-पीते परिवारों के अनेक

TOUCH 'n PASS

नौजवान जिन्हें फ्रांस में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला था और जो 1911 में चीनी क्रान्ति के बाद चीन पहुँच गये थे, उन्होंने अनेक छोटे विद्रोहों को उकसाया, खासकर टाँगकिंग तथा कोचीन-चीन में और 1916 में उन्होंने काफी गम्भीर विद्रोह पैदा कर दिया, इन सभी को फ्रांसीसी शासकों द्वारा सख्ती से कुचल दिया गया। 1920 में अनेक भूमिगत गुप्त संगठन बनाये गये जिनमें मार्क्सवादी व गैर-मार्क्सवादी दोनों तरह के संगठन थे। किन्तु वियतनाम के हाल के इतिहास में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण घटना राष्ट्रीय आन्दोलन में महान मार्क्सवादी नेता हो०ची० मिन्ह का प्रवेश था। वह एक केबिन बॉय के रूप में यूरोप गये थे और शीघ्र ही मार्क्सवादी एवं अन्य समाजवादी रचनाओं से उन्हें प्रेरणा मिली। कुछ समय मॉस्को में बिताने के बाद वे राष्ट्रीय आन्दोलन को कम्युनिस्ट आधारों पर संगठित करने के उद्देश्य से 1924 में चीन गये। 1925 में उन्होंने एसोसिएशन ऑफ वियतनामी रिवोल्यूशनरी यूथ की स्थापना की और सैंकड़ों लोगों को मार्क्सवाद का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। 1930 में उन्होंने वियतनाम के तीन प्रभावशाली कम्युनिस्ट गुटों को एक करके एक पार्टी में शामिल कर लिया और उसे इण्डो-चाइना कम्युनिस्ट पार्टी का नाम दिया। यह इस दृष्टि से किया गया कि हिन्द-चीन के तीनों देशों में एक संयुक्त राष्ट्रवादी आन्दोलन का निर्माण किया जा सकता था।

वियतनामी नेशनलिस्ट पार्टी (1927 में स्थापित) नामक प्रमुख गैर-मार्क्सवादी संगठन के नेतृत्व में 1930 के आरम्भ में किये गये एक अपरिपक्व एवं गलत ढंग से नियोजित विद्रोह को फ्रांस ने निर्ममता से कुचल दिया था। इण्डो-चाइना कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा हड़तालों व असहयोग आन्दोलनों के माध्यम से किसान जनता के असन्तोष को संगठित करने के प्रयासों को भी कुचल दिया गया। हालाँकि इण्डो-चाइना कम्युनिस्ट पार्टी ने स्वयं को शीघ्र ही पुनर्संगठित कर लिया क्योंकि इसके पास बेहतरीन संगठन और पार्टी अनुशासन मौजूद था। आई०सी०पी० ने फ्रांस के भीतर की उदार राजनैतिक परिस्थिति का फायदा, फाम वान डाँग तथा वो ग्वेन लियाप के नेतृत्व में एक व्यापक जनवादी राष्ट्रीय मोर्चा गठित करने में उठाया जिसका उद्देश्य सभी सामाजिक वर्गों तथा राजनैतिक समूहों को संगठित करना था। युद्ध भड़क उठने के साथ ही पौपुलर फ्रंट सरकार फ्रांस में गिरा दी गई और उसके फलस्वरूप इंडो-चाइना कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया।

प्र.3. वियतमिन्ह तथा अमेरिकी हस्तक्षेप पर टिप्पणी कीजिए।

Commert on Vietnamese and American intervention.

उत्तर

वियतमिन्ह तथा अमेरिकी हस्तक्षेप
(The Vietminh and the American Intervention)

दूसरे विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस तथा जापान की सेनाओं के बीच एक मामूली झड़प के बाद जापान तथा फ्रांस को विची सरकार के बीच एक समझौता हो गया जिसमें यह प्रावधान किया गया कि हिन्द-चीन में फ्रांस की प्रभुसत्ता एवं प्रशासन बरकरार रहेगा और इसके बदले में हिन्द-चीन की सैन्य-सुविधाएँ तथा आर्थिक संसाधन जापान की इच्छा पर छोड़ दिये जाएँगे। हो ची मिन्ह च्यांग काई शेक के आदेश पर चीन की जेल से रिहा कर दिये गये ताकि वे जापानी प्रभुत्व वाली विची सरकार के खिलाफ वियतनाम में प्रतिरोध आन्दोलन का नेतृत्व कर सकें। उन्हें सैन्य तथा अन्य सामानों की आपूर्ति की गई। आई०सी०पी० की मई 1941 में चीन में हुई बैठक में एक खेतिहर आन्दोलन शुरू करने का फैसला किया गया। वियतमिन्ह अथवा वियतनाम इंडिपेण्डैन्स लोग नामक एक नया संगठन खड़ा किया गया जिसमें उम्र दौलत, लिंग, धर्म अथवा राजनैतिक दृष्टिकोण का भेद किये बिना सभी लोगों को शामिल किया जाना था और इसका एकमात्र उद्देश्य देश को स्वाधीन बनाना था। वो युएन जियाप के नेतृत्व में 5000 लोगों की एक सेना तैयार की गई। जापान द्वारा आत्मसमर्पण किये जाने से तीन माह पूर्व ही फ्रांस से वियतनाम का प्रशासन अपने हाथ में लेने के बाद वियतमिन्ह ने छ: प्रान्तों में गुरिल्ला अड्डे तथा प्रशासन कायम कर लिया था। जापान के रवाना होने से ठीक पहले वियतमिन्ह ने हनोई पर कब्जा कर लिया और हो ची मिन्ह ने डैमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम (डी०आर०वी०) की स्वाधीनता का ऐलान कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि उस अवसर पर अपनाया गया सम्पूर्ण कार्यक्रम राष्ट्रवादी था न कि कम्युनिस्ट। इस कार्यक्रम में पूर्ण करो के उन्मूलन, स्वतन्त्रता हासिल करने, एक सैन्यबल का विकास करने, जनतान्त्रिक अधिकारों की घोषणा, सामुदायिक भूमि के पुनर्वितरण तथा मित्र देशों से मित्रता आदि जैसे लक्षणों में देखा जा सकता है। दरअसल जब हो ची मिन्ह ने 50 हजार की एक विशाल जनसभा को सम्बोधित करते हुए वियतनामी जनतान्त्रिक गणतन्त्र की स्थापना की घोषणा की थी तो वे 1776 के अमेरिकी स्वतन्त्रता घोषणा-पत्र से ही अधिकांश उदाहरण दे रहे थे।

नया गणतन्त्र तथा उपस्थित समस्याएँ (New Republic and)

नये गणतन्त्र को किसी भी देश ने मान्यता प्रदान नहीं की और पोस्टडेम में मित्र देशों की बैठक में वियतनाम के उत्तरी हिस्से को राष्ट्रवादी चीन के अधीन रखे जाने तथा दक्षिणी हिस्से को ब्रिटेन के अधीन रखे जाने का निर्णय लिया गया। ब्रिटिशों ने फ्रांसीसी

बंदियों को रिहा कर देने के बाद दक्षिण का प्रशासन फ्रांस के हवाले कर दिया। फ्रांसीसियों ने हिन्द–चीन में अपने औपनिवेशिक अधिकारों को पुन: प्राप्त करने की कोशिश की।

फ्रांसीसी महत्त्वाकांक्षाएँ एवं मंसूबे (French ambitions and intentions)

चीनी सेनाओं से पीछा छुड़ाने के लिए हो ची मिन्ह ने आई०सी०पी० के विघटन की घोषणा की और 1945 के अन्त में अन्य स्वतन्त्र संगठनों के साथ सत्ता में साझीदारी की पेशकश की, मुख्यत: फ्रांस से मान्यता प्राप्त करने के लिए। हालाँकि फ्रांस भी इस बात का निर्धारण करने के लिए एक जनमत–संग्रह कराने पर सहमत हो गया कि क्या चीन–चीन को संघ में शामिल हो जाना चाहिए और समूचे वियतनाम से धीरे–धीरे अपनी सेनाएँ वापस बुला लेनी चाहिए। किन्तु उसने सत्ता छोड़ने की कोई इच्छा नहीं दिखाई। इसके विपरीत, फ्रांस ने अपनी सैन्य एवं राजनैतिक स्थिति को दृढ़ करना शुरू कर दिया। जनमत संग्रह को टालते हुए उसने चीन–चीन को स्वायत्त गणतन्त्र की स्थापना किये जाने की घोषणा की। अन्तत: 23 नवम्बर को फ्रांसीसी युद्धपोत सफरेन ने हाइफाँग के वियतनामी क्षेत्र पर बमबारी की और कुछ ही घंटों में 6 हजार से भी अधिक वियतनामियों को मौत के घाट उतार दिया। इसने फ्रांस और वियतनाम के बीच शत्रुता पैदा कर दी। उत्तरी व दक्षिणी वियतनामों में पहला हिन्द–चीन युद्ध भड़क उठा जो कि 1946 से 1954 तक चलता रहा। लोगों को जिस बात ने आकर्षित किया वह कम्युनिस्ट विचारधारा नहीं बल्कि वियतमिन्ह का लड़ाकू चरित्र ही था।

सारे वियतनाम में चले इस युद्ध ने दोनों पक्षों के अनगिनत लोगों की जानें लीं। फ्रांस में वियतनाम युद्ध के कारण अनेक मन्त्रिमण्डलों का पतन हुआ। फ्रांसीसी फौजों का मनोबल बुरी तरह टूट गया, खासतौर पर फ्रांस के भीतर घरेलू जनमत के चलते जिसने व्यापक तौर पर इस ''घिनौने युद्ध'' को समाप्त करने के लिए दबाव डाला। लाभकारी रबड़ तथा चावल की आपूर्ति से हाथ धो बैठने के अलावा फ्रांसीसी वियतनामी स्वतन्त्रता के अन्य फ्रांसीसी उपनिवेशों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर भी चिन्तित थे, खासतौर पर अफ्रीका में स्थित उपनिवेशों पर 7 मई, 1954 को डी एन बि एन फू में फ्रांस को अपमानजनक पराजय का मुँह देखना पड़ा। जनरल लियाप जो कि कभी एक प्राथमिक स्कूल शिक्षक थे और एक महानतम् गुरिल्ला लड़ाकू बन गये थे, उनके नेतृत्व में वियतमिन्ह के हाथों फ्रांस की करारी हार हुई थी। फ्रांस के इस सफाये का परिणाम 1954 के जिनेवा समझौते के रूप में सामने आया जिसमें सत्रहवीं समानान्तर रेखा के द्वारा वियतनाम का उत्तर एवं दक्षिण वियतनाम में विभाजन कर दिया गया। पुन: एकीकरण के प्रश्न पर 1956 के देश व्यापी चुनाव द्वारा निर्णय किया जाना था।

वियतनाम तथा शीत युद्ध की छाया (Vietnam and the Shadow of Cold War)

वियतनामियों को जो अकथनीय दुख झेलने पड़े उनसे शायद बचा जा सकता था यदि शीत युद्ध को वियतनाम में न लाया गया होता और महाशक्तियों ने शक्ति का खेल न खेला होता। चुनावों का पर्यवेक्षण एक अन्तर्राष्ट्रीय कन्ट्रोल कमीशन को करना था जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा था और कनाडा व पोलैण्ड इसके सदस्य थे। इस कमीशन को जिनेवा सम्मेलन के संयुक्त अध्यक्ष देश सोवियत संघ तथा ब्रिटेन को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। अमेरिका जोकि साम्यवाद को दबाने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध था, उसने सितम्बर में एक क्षेत्रीय संगठन साउथ–ईस्ट एशिया ट्रीटी आर्गनाइजेशन (सीएटो) बनाकर खड़ा कर दिया जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपीन्स, थाईलैण्ड तथा पाकिस्तान सदस्य देश थे। सिएटो की धारा IV ने हिन्द–चीन के देशों को ऐसे प्रोटोकॉल देशों के रूप में शामिल कर लिया। जिनकी सुरक्षा सीएटो परिवारों की जानी थी और इस तरह आगे आने वाले समय में अमेरिकी हस्तक्षेप को वैधता प्रदान कर दी।

गो दिन्ह डिएम को अमेरिकी समर्थन (American Support for Go Dinh Diem)

अमेरिका के सक्रिय समर्थन से गो दिन्ह डिएम ने, जिसे फ्रांसीसियों ने उस समय प्रधानमन्त्री नियुक्त कर दिया था जबकि जिनेवा सम्मेलन चल रहा था, अक्टूबर 1955 में हुए जनमत संग्रह में धाँधली करने के बाद स्वयं को राज्य का प्रमुख घोषित कर दिया। शीघ्र ही उसने दक्षिण वियतनाम को एक गणतन्त्र तथा स्वयं को उसका राष्ट्रपति घोषित कर दिया। डिएम ने मार्च 1956 में राष्ट्रीय असेम्बली के एकतरफा चुनाव की योजना का थी ऐलान किया जोकि जिनेवा समझौते के किसी भी दायित्व को निभाने का ढोंग भर था। इस गणतन्त्र को अमेरिका व उसके सहयोगियों ने मान्यता दे दी और हर तरह से इसे एक स्वतन्त्र देश मान लिया। दरअसल डिएम को न तो जनता द्वारा चुना गया था और न ही उसका जनता से कोई सम्पर्क ही था।

अमेरिकी समर्थन के नशे में चूर, डिएम ने अपने नजदीकी रिश्तेदारों को पदवियाँ बाँटते हुए एक तानाशाह की तरह शासन किया। एक कैथोलिक होने के नाते उसने एक बौद्ध–बाहुल्य देश में कैथोलिकों का नाजायज रूप से पक्षपात किया। उसने स्वयं को आम जनता से और भी अधिक काट लिया। उसने कम्युनिस्ट व गैर–कम्युनिस्ट का बेरहमी से दमन किया। यहाँ तक कि जब भी उन्होंने

TOUCHPAGE

थोड़ा-सा भी विरोध किया था, वह उन पर टूट पड़ा। अपनी गलत कृषि नीतियों के कारण, वह किसानों के बढ़ते असन्तोष को नहीं रोक सका। दिसम्बर 1960 में कम्युनिस्टों ने देश को स्वाधीनता दिलाने और उसका एकीकरण करने के उद्देश्य से नेशनल लिब्रेशन फ्रंट (एन०एल०एफ०) की स्थापना दक्षिण वियतनाम में की। अमेरीकियों ने सामाजिक व आर्थिक समस्याओं को अनदेखी करते हुए डीएम पूरा समर्थन देना जारी रखा। जब तक उन्हें डीएम की अलोकप्रियता का अहसास हुआ, तब तक साठ के दशक की शुरुआत में एक बौद्ध प्रतिरोध ने उभरकर प्रमुख संकट का रूप ले लिया था। जब सेना के जनरलों ने राष्ट्रपति डीएम का तख्ता-पलट कर उसका कत्ल कर दिया, तब भी उन्होंने उन्हें निरुत्साहित नहीं किया। उन्होंने दक्षिण वियतनाम की मूल समस्याओं का समाधान नहीं किया। दूसरी तरफ जनरलों के बीच सत्ता के लिए सेना के भीतर संघर्ष ने स्थिति को और अधिक गम्भीर बना दिया, जोकि सहायता व समर्थन के लिए पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर थे।

1966 की टाँगकिंग घटना (Tong King Incident of 1966)

1966 की टाँगकिंग घटना, जबकि उत्तरी वियतनाम द्वारा इसके तट के समीप खुफियागिरी करते एक अमेरिकी जहाज पर हमला कर दिया गया था, अमेरिका के लिए असीमित युद्ध छेड़ देने का मुँहमागा बहाना साबित हुआ। 1968 तक अमेरिका ने आधे मिलियन से भी अधिक सैनिक वहाँ भेज दिये थे। अमेरीकियों ने, जिनका पाला वियतनाम में उभार पर आ गये राष्ट्रवाद से पड़ा था, इस देश में जिस स्तर की विनाशशीता की, उसकी मिसाल इतिहास में कहीं नहीं मिलती। अमेरिका ने हिन्द-चीन पर 70 लाख टन से भी अधिक की बमबारी की जोकि दूसरे विश्व युद्ध तथा कोरियाई युद्ध दोनों को मिलाकर की गई कुल बमबारी के परिणाम से तीन गुना अधिक थी, इसके अलावा 1 लाख टन रासायनिक एवं अन्य जहरीले पदार्थों को उस भूमि पर छोड़ा था। लगभग 8000 अमेरिकी हवाईजहाज एवं हैलीकॉप्टर नष्ट हो गये। वियतनाम युद्ध में अमेरिका का खर्च 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर से भी अधिक का रहा। अमेरीकियों ने हर तरह के प्रयोगात्मक हथियारों; जैसे—रसायन, गैस, नापौंग, फॉस्फोरस के अवयवी अस्त्र तथा जीवाणु शस्त्रों का प्रयोग किया। विनाश के नये तरीकों के तौर पर "एजेण्ट ओरैन्ज", "कारपेट बॉम्बिग", "लेजी डॉग" तथा अन्य विभिन्न तरह के हथकण्डों के ईजाद की गई और वियतनाम में उनका भरपूर इस्तेमाल किया गया। खेतों, पुलों और नहरों पर बमबारी की गई और उन्हें नष्ट कर दिया गया ताकि लोग शहरी इलाकों की तरफ जंगलों पर जहरीली दवाएँ छिड़क दी गईं ताकि गुरिल्ला लोगों को भोजन और आवास न मिल सके तथा गाँव के गाँव तबाह करके नष्ट कर देने के लिए "कारपेट बॉम्बिग" की गई।

जब तक अमेरीकियों को इस बात का असहास हुआ कि वियतनाम युद्ध को जीता नहीं जा सकता, तब तक उनके 58,000 सैनिक मारे जा चुके थे। किन्तु साथ ही उन्होंने 40 लाख से भी अधिक अमेरीकियों की जानें ले ली थी। पराजय के अपमान से भी अधिक अमेरिका आज तक उस मनोवैज्ञानिक सदमें से नहीं उबर पाया है, जिसे "वियतनाम संलक्षण" कहा जाता है। वियतनाम से सूचना दी गई थी कि 5 लाख की अमेरिकी अभियान सेना "एक नशेबाज, विद्रोही एवं टूटे मनोबल वाली भीड़" बनकर रह गई है। 1973 में, पेरिस वार्ताएँ की गई और वियतनाम से अमेरिका की वापसी का रास्ता निकालने का यत्न किया गया। 1975 के बसंत में, कम्युनिस्टों की न केवल उत्तरी वियतनाम में विजय हुई बल्कि साथ ही लाओस और कम्बोडिया में भी वे विजयी हुए। 2 जनवरी, 1976 को दक्षिण वियतनाम का औपचारिक तौर पर उत्तरी वियतनाम के साथ एकीकरण हो गया और वह पुनः एक देश बन गया।

प्र.4. वियतनाम की अर्थव्यवस्था पर विवेचना कीजिए।
Discuss the economy of Vietnam.

उत्तर

अर्थव्यवस्था
(Economy)

वियतनाम का आर्थिक नियोजन एवं विकास अस्सी के दशक के अन्त तक काफी हद तक विकासशील समाजवादी देशों से मिलता जुलता रहा है। इसका प्रमुख उद्देश्य एक खेतिहर पितृतन्त्रात्मक-सामन्ती व्यवस्था को धीरे-धीरे एक समाजवादी अर्थव्यवस्था से रूपान्तरित कर देना रहा है।

आर्थिक नियोजन की उत्पत्ति (Origin of Economic Planning)

आर्थिक नियोजन की शुरुआत उत्तरी वियतनाम में 1955 के आखिर में एक राष्ट्रीय नियोजन बोर्ड तथा एक केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय की स्थापना के साथ हुई थी। अर्थव्यवस्था की बहाली तथा संस्कृति के विकास के लिए एक तीन वर्षीय योजना शुरू की

गई जिसमें औद्योगिक क्षेत्र के लिए खासी राशि का आबंटन किया गया। दो–तीन वर्षीय योजनाओं के सफलतापूर्वक सम्पन्न हो जाने के बाद 1960 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। तीसरी योजना की अवधि (1965) के अन्त तक यद्यपि अधिकांश निर्धारित लक्ष्यों को हासिल कर लिया गया था, किन्तु कृषि के सामूहिकीकरण से वांछित परिणाम देखने को नहीं मिले, जिसके फलस्वरूप खाद्यान्न की कमी पड़ गई। प्रत्यक्ष अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप तथा समर्पित युद्ध के उत्तरी वियतनाम में भड़क उठने के साथ ही 1965-73 की अवधि के लिए कोई योजना तैयार नहीं की जा सकी। समूची अर्थव्यवस्था को युद्ध प्रयासों में ही लगाया गया।

युद्धोत्तर काल में आर्थिक नियोजन एवं विकास
(Economic Planning and Development in the post-war Period)

अमेरिका पर विजय हासिल कर लेने के बाद ही वियतनाम अपने नियोजित आर्थिक विकास को पुन: शुरू कर सका। दूसरी पंचवर्षीय योजना (1976-80) में कृषि, उद्योग, व्यापार, संस्कृति तथा जन–स्वास्थ्य तथा जनता के आम जीवन–स्तर में सुधार किये जाने को प्राथमिकता के क्षेत्रों के रूप में सूचीबद्ध किया गया। यह योजना मूलत: 1974 में तैयार की गई थी और अब इसे 1975 में आशा से पहले अमेरिका पर प्राप्त विजय तथा उत्तरी व दक्षिणी वियतनाम के एकीकरण के बाद की पृष्ठभूमि में समूचे वियतनाम में संशोधित करके लागू किया जाना था। हालाँकि इन घटनाओं ने अनुमान से अधिक गम्भीर समस्याएँ पैदा कर दी थी। आर्थिक विकास का समाजवादी पैटर्न आसानी से उत्तर से दक्षिण वियतनाम में विस्तारित नहीं किया जा सका। दक्षिण वियतनाम, अमेरिकी संरक्षण में एक बाजार–उन्मुक्त मुक्त उद्यमशीलता की व्यवस्था के तौर पर उदित हो गया था और मूलत: उसे अमेरिकी युद्ध मशीन की सेवा करने के लिए हिसाब से चलाया गया था। एक बार फिर, व्यापक स्तर के युद्ध के चलते, ग्रामीण क्षेत्रों में वियतमिन्ह को अपना प्रभाव–क्षेत्र विस्तृत बनाने से रोकने के लिए मानवीय आवासों को बुरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। लोगों को शहरी इलाकों, खासकर साइगौन की तरफ जाने के लिए प्रोत्साहित किया गया था और इस तरह वियतनाम की पारम्परिक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई थी।

विशेष समस्याएँ (Special Problems)

इसके अलावा कम्युनिस्ट नेतृत्व को उन अपराजेय सामाजिक समस्याओं का सामना करना था जोकि अमेरिकी सैन्य उपस्थिति की अवशेष थी। उन्हें तुरन्त दक्षिण वियतनामी निजाम के दस लाख सैनिकों के बारे में निर्णय करना था। इन सैनिकों को बिखराव की स्थिति में छोड़ दिया गया था और वे प्राय: विजेताओं के प्रति शत्रुता का भाव रखते थे। इसके अलावा करीब दस लाख नागरिकों की समस्याएँ थी जोकि विभिन्न हैसियतों पर पुराने निजाम की सेवा करते रहे थे। वहाँ लगभग बीस लाख बेरोजगार किसान मौजूद थे जोकि युद्ध के दौरान बलपूर्वक शहरीकरण के कार्यक्रम के तहत शहरी केन्द्रों में धकेल दिये गये थे। जब तक अमेरिकी देश छोड़कर गये, तब तक वहाँ 30 लाख लोग ऐसे थे जोकि यौन रोगों से पीड़ित हो गये थे, दस लाख लोगों को क्षयरोग लग गया था और अन्य 50 लाख लोग वेश्यावृत्ति के धंधे को अपनाने के लिए विवश कर दिये गये थे। हालाँकि ऊपर से 50 लाख लोग नशीली दवाओं का सेवन करने वाले 40 लाख यतीम तथा 20 लाख भिखारी भी मौजूद थे। चूँकि समूची अर्थव्यवस्था पूरी तौर पर अमेरिकी सहायता पर टिकी रही थी, अत: ज्यों ही अमेरीकियों ने देश छोड़ा, यह धराशायी हो गई।

आन्तरिक समस्याएँ (Internal Problems)

सत्तर के दशक के मध्य तक अमेरिकी हस्तक्षेप खत्म हो गया। किन्तु वियतनाम की समस्याएँ समाप्त नहीं हुई। 1977 तक कम्बोडिया में शासन कर रहे बदनाम पोल–पोट तथा उसके गिरोह के साथ सीमाओं को लेकर झड़पें शुरू हो गईं और उसके परिणामस्वरूप लगभग चार दशकों तक इसके शुरू रहे कम्युनिस्ट चीन के साथ गम्भीर मतभेद पैदा हो गये। अनेक कारणों से वियतनाम को विचारधारात्मक रूप से सोवियत संघ के नजदीक आना पड़ा। मॉस्को तथा पूर्वी यूरोप के कम्युनिस्ट देशों पर यह निर्भरता वियतनाम की अर्थव्यवस्था में खास सहायक सिद्ध नहीं हुई। दरअसल इसका उल्टा असर ही पड़ा।

वियतनाम में पेरिस्त्रोइका (Perestroika Invietnam)

गोर्बाचोव द्वारा भूतपूर्व सोवियत संघ में पेरिस्त्रोइका शुरू किये जाने के बाद जिसके फलस्वरूप सहायता में कटौती हुई तथा आंशिक तौर पर असन्तोषजनक आर्थिक निष्पादन की वजह से वियतनाम को अपनी आर्थिक रणनीति बदलनी पड़ी। सामूहिकीकरण के कारण कृषि पैदावार में ठहराव आ गया और उद्योगों का निष्पादन निराशाजनक था। अति–केन्द्रीकृत तथा आदेशों पर चलने वाली अर्थव्यवस्था ऊपर से 1978 के आखिर में कम्बोडिया में इसके सैन्य हस्तक्षेप के कारण सहायता पर

पश्चिमी प्रतिबन्ध तथा व्यापार पर रोक तथा सोवियत संघ के धराशाही हो जाने के फलस्वरूप वियतनाम के पास पेरिस्त्रोइका से स्वयं अपने तरीके पर पूरी ताकत से अमल करने के सिवा कोई विकल्प भी नहीं बचा था। 1987 से सुधारों के शुरू किये जाने से लेकर आज तक विदेशी निवेश धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं जिससे उद्योगों को गति मिल रही है, जिसकी उन्हें काफी आवश्यकता है। कृषि में किये गये सुधारों के चलते वियतनाम नब्बे के दशक की शुरुआत के समय ही विश्व का सबसे बड़ा चावल निर्यात करने वाला देश बनकर उभरा है। अभी भी पूर्ण बहाली में सबसे बड़ा रोड़ा राहत व व्यापार पर अमेरिकी प्रतिबन्ध ही है। हाल में हुए राजनैतिक घटना विकास के फलस्वरूप वियतनाम तथा अमेरिका के बीच राजनयिक सम्बन्ध बहाल होने की सम्भावनाएँ हैं।
अपने पड़ोसी आसियान देशों की तुलना में वियतनाम आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। किन्तु गरीबी के बावजूद शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसकी गति प्रशंसनीय रही है। एक ऐसे राष्ट्रीय संघर्ष को छोड़ने के बाद जिसकी इतिहास में मिसाल नहीं मिल सकती थी और अन्तत: विश्व की सबसे अधिक ताकतवर सत्ता को पराजित करने की पृष्ठभूमि में युद्ध की तीव्रता और तबाही को नजरअंदाज करते हुए मात्र वियतनाम को ''पिछड़ा'' कह देना अनुचित हैं पुन: अतीत के कारण किसी भी अन्य विकासशील देशों की तुलना में इसकी बहाली तथा प्रगति की रफ्तार धीमी होना आवश्यक है। हाल में किये गये उपाय शायद शीघ्र ही अर्थव्यवस्था में नई जान फूँक सकेंगे।

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्र.1. प्रोफेसर एवी डाइसी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में 'कानून के शासन' की अवधारणा व्याख्या की—
(क) संविधान का कानून (ख) न्याय और प्रशासनिक कानून
(ग) संवैधानिक कानून (घ) इंग्लैंड में प्रशासनिक कानून
उत्तर (क) संविधान का कानून

प्र.2. ब्रिटेन में 'लिबरल पार्टी' का पुराना नाम था—
(क) टोरीज़ (ख) व्हिग्स (ग) श्रम (घ) कम्युनिस्ट
उत्तर (ख) व्हिग्स

प्र.3. वर्ष 1776 में अपनाई गई 'स्वतंत्रता की घोषणा' ने .... की घोषणा की।
(क) यू०एस०ए० (ख) सोवियत संघ (ग) यू०के० (घ) भारत
उत्तर (क) यू०एस०ए०

प्र.4. संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के अग्रदूत—
(क) ब्रिटिश संविधान (ख) महाधिकार-पत्र (ग) अधिकारों का विधेयक (घ) परिसंघ के लेख
उत्तर (घ) परिसंघ के लेख

प्र.5. कांग्रेस ने परिसंघ के अनुच्छेदों को वर्ष .... में अपनाया।
(क) 1766 (ख) 1777 (ग) 1788 (घ) 1789
उत्तर (ख) 1777

प्र.6. जेफरसन ने निम्नलिखित में से किसे ''देवताओं की सभा'' के रूप में सलाम किया?
(क) अमेरिकी कांग्रेस (ख) फ़िलाडेल्फ़िया कन्वेंशन 1787
(ग) ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स (घ) इनमें से कोई नहीं
उत्तर (ख) फ़िलाडेल्फ़िया कन्वेंशन 1787

प्र.7. 1787 के प्रसिद्ध फिलाडेल्फिया कन्वेंशन के अध्यक्ष कौन थे?
(क) जेम्स मैडिसन (ख) अलेक्जेंडर हैमिल्टन (ग) बेंजामिन फ्रैंकलिन (घ) जॉर्ज वाशिंगटन
उत्तर (घ) जॉर्ज वाशिंगटन

प्र.8. संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे?
(क) जेम्स मैडिसन (ख) अलेक्जेंडर हैमिल्टन (ग) बेंजामिन फ्रैंकलिन (घ) जॉर्ज वॉशिंगटन
उत्तर (घ) जॉर्ज वॉशिंगटन

TOUCH 'n' PASS

प्र.9. विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान कौन-सा है?
(क) स्विट्जरलैंड का संविधान (ख) भारत का संविधान
(ग) फ्रांस का संविधान (घ) संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान

उत्तर (घ) संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान

प्र.10. निम्नलिखित में से कौन-सी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की विशेषता है?
(क) लोकप्रिय संप्रभुता (ख) एक संघीय व्यवस्था
(ग) जाँचें (अ) (घ) संतुलन प्रणाली एवं लिखित प्रकृति

उत्तर (घ) संतुलन प्रणाली एवं लिखित प्रकृति

प्र.11. ग्लैडस्टोन ने विश्व के किस संविधान को ''मनुष्य के मस्तिष्क और उद्देश्य द्वार निश्चित समय में बनाया गया अब तक का सबसे अद्‌भुत कार्य'' कहा है।
(क) स्विट्जरलैंड का संविधान (ख) भारत का संविधान
(ग) फ्रांस का संविधान (घ) संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान

उत्तर (घ) संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान

प्र.12. अमेरिकी संविधान में निहित सरकार की प्रणाली .... है।
(क) एक संघीय व्यवस्था (ख) एकात्मक प्रणाली
(ग) संघीय दोनों का मिश्रण (घ) इनमें से कोई नहीं

उत्तर (क) एक संघीय व्यवस्था

प्र.13. संयुक्त राज्य अमेरिका में, अवशिष्ट शक्तियाँ .... के पास हैं।
(क) राष्ट्रीय सरकार (ख) राज्य सरकारें
(ग) दोनों केंद्र सरकार एवं राज्य सभा (घ) इनमें से कोई नहीं

उत्तर (ख) राज्य सरकारें

प्र.14. अमेरिकी संविधान के प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रीय सरकार और राज्य सरकार के विवादों का निपटारा कहाँ किया जाना चाहिए?
(क) कांग्रेस (ख) संघीय न्यायालय (ग) सीनेट (घ) संसदीय समिति

उत्तर (ख) संघीय न्यायालय

प्र.15. शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रमुख प्रतिपादक किसे माना जाता है?
(क) ए० मोंटेस्क्यू (ख) जॉन लोके (ग) काला पत्थर (घ) जेम्स मैडिसन

उत्तर (क) ए० मोंटेस्क्यू

प्र.16. शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत मुख्य रूप से .... से सम्बन्धित है।
(क) ए० मोंटेस्क्यू (ख) जॉन लोके (ग) रूसो (घ) जेम्स मैडिसन

उत्तर (क) ए० मोंटेस्क्यू

प्र.17. 'शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत' .... से सार्थक है।
(क) जाँच और संतुलन प्रणाली (ख) प्रत्योजित विधान
(ग) संसदीय संप्रभुता (घ) न्यायपालिका की सर्वोच्चता

उत्तर (क) जाँच और संतुलन प्रणाली

प्र.18. अमेरिकी संविधान का कौन-सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को कार्यकारी शक्ति प्रदान करता है?
(क) अनुच्छेद 1 (ख) अनुच्छेद 2 (ग) अनुच्छेद 3 (घ) अनुच्छेद 4

उत्तर (ख) अनुच्छेद 2

❑

TOUCH 'n' PASS

UNIT-VIII

स्विट्जरलैण्ड की प्रशासनिक व्यवस्था
The Administrative System of Switzerland

खण्ड-अ अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. स्विस में मत देने वालों की कम-से-कम आयु क्या है?
What is the minimum age to vote in Switzerland?

उत्तर 20 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक स्त्री-पुरुष को यह अधिकार है।

प्र.2. स्विट्जरलैण्ड में संसद को क्या कहते हैं?
What is the parliament called in Switzerland?

उत्तर स्विट्जरलैण्ड में संसद को संघीय सभा कहते हैं।

प्र.3. संघीय सभा के कितने सदन हैं?
How many houses are there in the Federal Assembly?

उत्तर संघीय सभा के दो सदन हैं—(1) राष्ट्रीय परिषद (National Council) (2) राज्य परिषद (State Parliament)।

प्र.4. राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों की कितनी संख्या है?
What is the numbers of members of the National Council?

उत्तर राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों की संख्या 200 हैं।

प्र.5. राष्ट्रीय परिषद में कितनी जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाता है?
On what basis of population is a representative elected in the National Council?

उत्तर राष्ट्रीय परिषद में 24,000 जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को चुना जाता है।

प्र.6. राष्ट्रीय परिषद के प्रतिनिधि के लिये कौन-कौन लोग चुनाव में नहीं खड़े हो सकते हैं?
Who cannot stand for election for representative to the National Council?

उत्तर पादरी, फेडरल सरकार के कर्मचारी व राज्यसभा के सदस्य चुनाव में नहीं खड़े हो सकते हैं।

प्र.7. राष्ट्रीय परिषद का कितना कार्यकाल होता है?
What is the tenure of the National Council?

उत्तर राष्ट्रीय परिषद का कार्यकाल 4 वर्ष होता है।

प्र.8. प्रतिवर्ष राष्ट्रीय परिषद की बैठक कौन-कौन से महीनों में होती हैं?
In which months are the National Council meeting held every year?

उत्तर मार्च, जून, सितम्बर और दिसम्बर में बैठकें होना अत्यन्त आवश्यक होता है।

प्र.9. राष्ट्रीय परिषद के प्रधान का कार्यकाल क्या है?
What is the tenure of the President of the National Council?

उत्तर राष्ट्रीय परिषद के प्रधान का कार्यकाल एक वर्ष है।

प्र.10. स्विस की विदेश नीति का आधार क्या है?
What is the basis of Swiss foreign policy?

उत्तर स्विस की विदेश नीति का आधार तटस्थता है।

TOUCH 'n' PASS

प्र.11. निचला सदन किसे कहते हैं?
What is called lower house?

उत्तर निचला सदन राष्ट्रीय परिषद (National Council) को कहते हैं।

प्र.12. उच्च सदन किसे कहते हैं?
What is called upper house?

उत्तर उच्च सदन राज्य परिषद (Council of States) को कहते हैं।

प्र.13. राज्य परिषद में कैण्टनों के प्रतिनिधित्व की कैसी व्यवस्था है?
What is the system of representation of cantons in the State Council?

उत्तर राज्य परिषद में कैण्टनों को समान प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है।

प्र.14. राज्य परिषद में कुल कितने सदस्य हैं?
How many total members are there in the State Council?

उत्तर राज्य परिषद में कुल 44 सदस्य होते हैं।

प्र.15. राज्य परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना है?
What is the tenure of the members of the state council?

उत्तर सदस्यों का कार्यकाल निश्चित नहीं हैं। उनका कार्यकाल कैण्टनों की इच्छा पर निर्भर करता है।

प्र.16. राज्य परिषद में गणपूर्ति के लिए (Quorum) कितनी सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है?
How many members are required to be present for quorum in the State Council?

उत्तर राज्य परिषद में गणपूर्ति के लिए (Quorum) 44 में से 23 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है।

प्र.17. संघीय सभा को संविधान के अनुसार किस क्षेत्र में आने वाले सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है?
According to the constitution, the Federal Assembly has the right to make lows on all Subjects falling within which area?

उत्तर संघीय सभा को संविधान के अनुसार संघीय क्षेत्र में आने वाले सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है।

प्र.18. स्विट्ज़रलैण्ड में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहते हैं?
What is the supereme court called in Switzerland?

उत्तर स्विट्ज़रलैण्ड में सर्वोच्च न्यायालय को संघीय न्याय मण्डल (Federal Tribunal) कहते हैं।

प्र.19. संघीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कम है?
The number of judges in the Federal Courts is less?

उत्तर संघीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 22-28 तक होती है।

प्र.20. संघीय न्यायालय में कितने वैकल्पिक जजों की व्यवस्था है?
How many alternate judges are there in the Federal Court?

उत्तर संघीय न्यायालय में 11 से 13 जजों तक की व्यवस्था होती है।

प्र.21. चीन की न्यायिक व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।
Throw light on the main features of China's judicials system.

उत्तर चीन में न्यायपालिका स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष नहीं है। व्यवहार में यह साम्यवादी दल के नियन्त्रण में है। न्यायपालिका का कर्त्तव्य है कि वह समाजवादी प्रणाली की रक्षा करे। चीन में न्यायाधीश जन कांग्रेस द्वारा चुने जाते हैं। चीन में साम्यवादी व्यवस्था में विश्वास रखने वाले ही न्यायाधीश चुने जाते हैं। चीन में न्यायपालिका को अमेरिकी न्यायपालिका की तरह न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त नहीं है। न्यायाधीशों का चुनाव पाँच वर्ष के लिए किया जाता है। सर्वोच्च जन न्यायालय चीन का सबसे बड़ा न्यायालय है।

TOUCH 'n' PASS

खण्ड-ब लघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. स्विट्जरलैण्ड की फैडरल असेम्बली (संघीय विधानमण्डल) के दोनों सदनों (राष्ट्रीय सभा तथा राज्यसभा) के पारस्परिक सम्बन्धों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए।

Briefly throw light on the mutual relations between the two houses of the Federal Assembly.

उत्तर स्विस फैडरल असेम्बली के दोनों सदनों को सभी विषयों में समान शक्तियाँ प्राप्त हैं। स्विट्जरलैण्ड के निम्न सदन राष्ट्रीय सभा को अन्य देशों के निम्न सदन की तरह ऊपरी सदन से अर्थात् राज्यसभा से अधिक शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं। जो कुछ भी संघीय विधान मण्डल के क्षेत्राधिकार में आता है। इसके लिए दोनों सदनों की सहमति अनिवार्य है। सभी वैधानिक निर्णय दोनों सदनों की स्वीकृति से ही पारित किये जाते हैं। यदि किसी विषय पर दोनों सदनों में असहमति हो जाए तो मध्यस्थ समिति द्वारा मतभेद दूर करने का प्रयास किया जाता है यदि फिर भी मतभेद दूर न हो तो उस विषय को छोड़ दिया जाता है तथा उस पर आगे बहस नहीं होती। स्विट्जरलैण्ड में किसी भी बिल को किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरे देशों की तरह स्विट्जरलैण्ड में यह आवश्यक नहीं है कि धन सम्बन्धी बिल को निम्न सदन में ही प्रस्तुत किया जाए। अत: स्पष्ट है कि स्विट्जरलैण्ड ही विश्व में ऐसा राष्ट्र है जहाँ संघीय विधानमण्डल के दोनों सदनों को समान शक्तियाँ प्राप्त हैं।

प्र.2. स्विट्जरलैण्ड में संघीय विधानमण्डल के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब-कब बुलाये जाते हैं?

When is a joint session of both houses of the Federal Legislature called in Switzerland?

उत्तर 1. संघीय परिषद के सदस्यों, प्रधान, उपप्रधान, संघीय न्यायपालिका के न्यायाधीशों, राज्य संघ के चांसलर का चुनाव संयुक्त अधिवेशन में किया जाता है।

2. जब किसी को क्षमा अथवा दोष मुक्त करना हो तब भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है।
3. संघीय सेना के सबसे बड़े अधिकारी की नियुक्ति भी संयुक्त अधिवेशन में की जाती है।
4. जब संघीय परिषद तथा संघीय न्यायपालिका में अधिकार क्षेत्र के सम्बन्ध में कोई झगड़ा उत्पन्न हो जाता है अथवा संघीय अधिकारियों में कोई मतभेद उत्पन्न हो जाता है तब भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है।

जब दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तब राष्ट्रीय सभा का प्रधान इसकी अध्यक्षता करता है तथा संयुक्त अधिवेशन में सभी निर्णय बहुमत से लिये जाते हैं।

प्र.3. स्विट्जरलैण्ड की संघीय परिषद विश्व में एक अनोखी संस्था है। इस कथन की व्याख्या करें।

The federal council of Switzerland is a unique institution in the world Explain this statement.

उत्तर स्विस संघीय परिषद को विश्व भर में अनोखी संस्था है। विश्व में अन्य कहीं ऐसी कार्यपालिका का उदाहरण देखने को मिलता है। स्विट्जरलैण्ड में संघीय कार्यपालिका को संसदीय तथा अध्यक्षात्मक दोनों ही शासन प्रणालियों के दोषों से मुक्त रखा गया है परन्तु दोनों के गुणों का शासन प्रणालियों के दोषों से मुक्त रखा गया है परन्तु दोनों के गुणों का मिश्रण किया गया है। संसदीय प्रणाली की तरह संघीय परिषद के सदस्य संघीय विधानमण्डल की बैठकों में भाग लेते हैं, बिल प्रस्तुत करते हैं परन्तु परिषद् के सदस्य संघीय व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते न ही उन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त होता है। अविश्वास का प्रस्ताव पारित करके संघीय व्यवस्थापिका संघीय परिषद को नहीं हटा सकती। इसकी अवधि निश्चित है।

संघीय परिषद का अनोखापन यह भी है कि यह बहुत कार्यपालिका है। स्विट्जरलैण्ड में अमेरिका की तरह समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ न तो राष्ट्रपति में निहित है तथा ब्रिटेन की तरह न ही प्रधानमन्त्री है। वहाँ शक्ति परिषद के सातों सदस्यों में निहित है। सातों सदस्यों की शक्तियाँ समान है। संघीय परिषद का एक प्रधान होता है परन्तु उसकी शक्ति अन्य सदस्यों से अधिक नहीं है। संघीय परिषद के सदस्य भिन्न-भिन्न राजनीतिक दलों के होते हैं। परन्तु फिर भी परिषद के सदस्यों में दलबन्दी नहीं है तथा वे राजनीतिक पक्षपात से ऊपर है तथा राष्ट्रहित में एकजुट होकर कार्य करते हैं। संघीय परिषद का कार्यकाल चार वर्ष है।

प्र.4. स्विस कार्यपालिका की ब्रिटिश कार्यपालिका अर्थात् मन्त्री परिषद् से तुलना करें।

Compare the Swiss executive with the British executive the council of ministers.

उत्तर **समानताएँ**—1. ब्रिटिश सम्राट के समान स्विस संघीय परिषद् का अध्यक्ष भी कार्यपालिका का नाममात्र का प्रधान है।

2. स्विस संघीय परिषद् के सदस्य ब्रिटिश मन्त्री परिषद् की भाँति व्यवस्थापिका की कार्यवाही में भाग लेते हैं तथा विधि निर्माण व बजट निर्माण में सहयोग देते हैं।

असमानताएँ—1. ब्रिटिश मन्त्रि परिषद् के सदस्य अनिवार्य रूप से संसद के सदस्य होते हैं। परन्तु स्विस संघीय परिषद् के सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते।

2. ब्रिटिश मन्त्री परिषद् के सदस्यों की भाँति स्विस संघीय परिषद् सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के आधार पर कार्य नहीं करता।
3. ब्रिटेन में कार्यपालिका गोपनीयता के सिद्धान्त के आधार पर कार्य करती है। परन्तु स्विस कार्यपालिका गोपनीयता के सिद्धान्त के आधार पर कार्य नहीं करती।
4. ब्रिटिश कार्यपालिका का कार्यकाल अनिश्चित है। स्विस कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित है। ब्रिटिश मन्त्री परिषद् में एक ही दल के सदस्य होते हैं। स्विस कार्यपालिका में सभी दलों के सदस्य होते हैं।

प्र.5. जनवादी चीन में राष्ट्रपति पद पर प्रकाश डालिए।

Throw light the President in People's China.

उत्तर 1975 में संविधान द्वारा चीन में राष्ट्रपति का पद समाप्त कर दिया था। परन्तु 1982 के संविधान द्वारा पुन: राष्ट्रपति के पद की पुनर्स्थापना की गयी। चीन में राष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रीय जन कांग्रेस द्वारा किया जाएगा। चीन का कोई भी नागरिक जिसकी आयु कम-से-कम 45 वर्ष है। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है। कोई भी व्यक्ति अधिक-से-अधिक दो बार राष्ट्रपति के पद रह सकता है।

चीन का राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री, उप-प्रधानमन्त्री, राज्य परिषद् के महासचिव की नियुक्ति करता है तथा उन्हें पद से हटाता है। वह विदेशों में चीन का प्रतिनिधित्व करता है तथा विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति करता है। उसे क्षमादान की शक्ति भी प्राप्त है।

उल्लेखनीय है कि चीनी राष्ट्रपति की शक्तियाँ नाममाद की है। वह अपने समस्त कार्य राष्ट्रीय जन कांग्रेस तथा उसकी स्थायी समिति की इच्छानुसार करता है।

प्र.6. जनवादी चीन में राज्य परिषद् पर टिप्पणी लिखो।

Write a note on the state council in People's China.

उत्तर चीन में कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियाँ राज्य परिषद् को प्रदान की गयी है। राज्य परिषद् का गठन प्रधानमन्त्री, उप-प्रधानमन्त्रियों, मन्त्रालयों के मन्त्री, आयोगों की मन्त्री तथा महासचिव से मिलकर होता है। राज्य परिषद् का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री होता है तथा राज्य परिषद् प्रधानमन्त्री के निर्देशन में कार्य करती है। यदि हम चीनी प्रधानमन्त्री की तुलना ब्रिटिश प्रधानमन्त्री से करते हैं। तो स्पष्ट हो जाता है कि उसके अधिकार बहुत ही कम हैं। परन्तु चीनी प्रधानमन्त्री साम्यवादी दल का महत्त्वपूर्ण व्यक्ति होता है। इसलिए शासन व्यवस्था में भी उसकी महत्तवपूर्ण स्थिति होती है।

राज्य परिषद् की अवधि की अवधि पाँच वर्ष है। राज्य परिषद् राष्ट्रीय जनकांग्रेस स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी है। राज्य परिषद् के महत्त्वपूर्ण कार्य प्रशासनिक योजनाएँ तैयार करना, कानून निर्माण सम्बन्धी विधेयकों को राष्ट्रीय जन कांग्रेस तथा उसकी स्थायी समिति के सम्मुख रहना, विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना, राष्ट्रीय आर्थिक योजनाओं को लागू करना, विदेश नीति का संचालन करना, सशस्त्र सेनाओं का संचालन करना आदि। यद्यपि चीन में राज्य परिषद् सर्वोच्च प्रशासनिक तथा कार्यपालिका अंग है परन्तु उसकी स्थिति ब्रिटिश मन्त्रिपरिषद् के समान महत्त्वपूर्ण नहीं है। ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल की तुलना में चीन की राज्य परिषद् की शक्तियाँ उत्पन्न सीमित है। इसकी दुर्बल स्थिति का प्रमुख कारण यह है कि राज्य परिषद् पर साम्यवादी दल का पूर्ण नियन्त्रण है।

प्र.7. क्या चीन की राज्य परिषद् एक मन्त्रिमण्डल है?

Is the state council of China a cabinet?

उत्तर चीन में राज्य परिषद् की शक्तियाँ एवं कार्य संसदीय प्रणाली के मन्त्रिमण्डल से काफी मिलती जुलती है। संसदीय प्रणाली की भाँति जिस तरह मन्त्रिमण्डल संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, उसी प्रकार राज्य परिषद् भी राष्ट्रीय जन कांग्रेस के प्रति

TOUCH 'n' PASS

उत्तरदायी है। राष्ट्रीय जन कांग्रेस के सदस्य राज्य परिषद् के सदस्यों से प्रश्न पूछ सकते हैं। परन्तु इन बातों के बाद भी राज्य परिषद् को मन्त्रिमण्डल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चीन के प्रधानमन्त्री की स्थिति ब्रिटिश प्रधानमन्त्री के समान नहीं है। चीन में सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव है। मुख्य बात यह है कि चीन में साम्यवादी दल का नियन्त्रण है तथा विपक्षी दल का अभाव है। इस कारण राज्य परिषद् का उत्तरदायित्व महत्त्वहीन है। इतना ही नहीं राज्य परिषद् के सदस्य होते हैं। इस कारण वे ही राष्ट्रीय जन कांग्रेस पर अपना नियन्त्रण कर लेते हैं। अत: राज्य परिषद् मन्त्रिमण्डल नहीं है।

प्र.8. चीन में राष्ट्रीय जन कांग्रेस की स्थायी समिति ही वास्तविक रूप में शक्तियों का प्रयोग करती है। व्याख्या करें।
Explain. In China, only the Standing Committee of the National People's Congress actually exercise power.

उत्तर चीनी संविधान द्वारा राष्ट्रीय जनकांग्रेस को जो भी शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं। व्यवहार में उनका प्रयोग स्थायी समिति ही करती हैं। राष्ट्रीय जन कांग्रेस की सदस्य संख्या बहुत अधिक है तथा इसका अधिवेशन भी वर्ष में एक बार होता है। वह भी केवल एक सप्ताह से दो सप्ताह तक चलता है। इन कारणों से राष्ट्रीय जन कांग्रेस की स्थायी समिति ही उसकी समस्त शक्तियों का प्रयोग करती है। स्थायी समिति राष्ट्रीय जन कांग्रेस का अधिवेशन बुलाती है, संविधान तथा कानूनों की व्याख्या करती है। यह मन्त्रिपरिषद् के उन निर्णयों तथा आदेशों को रद्द कर सकती है जो उसकी दृष्टि में असंवैधानिक है। व्यवहार में कानून निर्माण का कार्य स्थायी समिति ही करती है। राष्ट्रीय जन कांग्रेस तो केवल समिति के निर्णयों पर मोहर लगाने वाली संस्था बनकर रह गयी है। स्थायी समिति ही केन्द्रीय सैन्य आयोग तथा सर्वोच्च जन न्यायालय आदि के कार्यों का निरीक्षण करती है। चीन की विदेश नीति का संचालन भी स्थायी समिति करती है।

अत: चीन की शासन प्रणाली में स्थायी समिति ही शक्ति का केन्द्र है।

प्र.9. स्विस संघीय न्यायालय एवं अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों में क्या अन्तर है?
Compare Federal Tribunal with the American Supreme Court.

उत्तर दोनों में अग्रलिखित अन्तर हैं—

(i) अमेरिका की भाँति स्विट्जरलैण्ड के संघीय न्यायालय के अधीन क्षेत्रीय तथा जिला संघीय न्यायालय नहीं होते हैं।

(ii) अमेरिका न्याय व्यवस्था की भाँति स्विस संघीय न्यायालय के अधीन अपने निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए पृथक संघीय कर्मचारी नहीं होते हैं।

(iii) स्विस में न्यायाधीशों का चुनाव होता है तथा अमेरिका में राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करता है।

(iv) अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस एवं राज्यों की विधियों को अवैधानिक घोषित करने का अधिकार है जबकि स्विस संघीय न्यायालय केवल कैण्टनों की विधियों को ही असंवैधानिक घोषित कर सकता है।

(v) अमेरिका में न्यायाधीशों को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। परन्तु स्विस में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

(vi) अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय दीवानी तथा फौजदारी अभियोगों को नहीं सुनते। उनका क्षेत्राधिकार केवल संवैधानिक अभियोगों तक है। वह केन्द्र और राज्य के मध्य विवादों को सुन सकती है। स्विट्जरलैण्ड में दीवानी एवं फौजदारी के अधिकतम मुकदमे इसी न्यायालय द्वारा सुने जा सकते हैं।

(vii) स्विट्जरलैण्ड में संविधान की व्याख्या एवं संघीय विधियों के निर्वाचन का अधिकार संघीय सभाओं को प्रदान किया गया है। जबकि अमेरिकी विधिवेत्ताओं के अनुसार संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का अतिक्रमण विधानमण्डल किसी भी अवस्था में नहीं कर सकता।

यह स्पष्ट है कि स्विस संघीय कार्यालय अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की भाँति शक्तिशाली नहीं है। अमेरिका में न्यायिक प्रधानता को स्वीकार किया गया है। इसके विपरीत स्विस में प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र का सिद्धान्त मान्य है। स्विट्जरलैण्ड में जनता को कानून व संविधान संशोधन तक का अधिकार प्राप्त है।

जर्जर का मत है "स्विस संघीय न्यायालय को यदि न्यायिक पुर्ननिरीक्षण की शक्ति दे भी दी जाती है तो भी अपने सीमित एवं अव्यवस्थित क्षेत्राधिकार के कारण वह संघीय विधियों के पुर्ननिरीक्षण का प्रभावशाली यन्त्र नहीं हो सकता था।"

संक्षेप में स्विस शासन में संघीय न्यायालय का वह महत्त्व नहीं है जो अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय का है।

TOUCH 'n' PASS

प्र.10. स्विस संघीय न्यायपालिका (फैडरल ट्रिब्यूनल) तथा अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की संक्षेप में तुलना करें।
Briefly compare the swiss Federal Judiciary (Federal Tribunal) and the US Supreme Court.

उत्तर स्विट्ज़रलैण्ड तथा अमेरिका दोनों में ही संघात्मक को अपनाया गया है। संघात्मक प्रणाली के अन्तर्गत एक सर्वोच्च न्यायालय का होना आवश्यक है। इसीलिए दोनों देशों में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गयी है। स्विट्ज़रलैण्ड में इसे फैडरल ट्रिब्यूनल कहा जाता है तथा अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। परन्तु दोनों में अनेक अन्तर हैं; जैसे—

अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति से सलाह करता है। परन्तु स्विट्ज़रलैण्ड के न्यायाधीशों का चुनाव फैडरल असेम्बली द्वारा किया जाता है।

स्विस फैडरल ट्रिब्यूनल के न्यायाधीश 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं।

में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अच्छे व्यवहार की शर्त को पूरा करते हुए कभी-कभी पद पर रह सकते हैं।

स्विट्ज़रलैण्ड के फैडरल ट्रिब्यूनल की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त नहीं है।

अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान प्राप्त है।

अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धान्त के आधार पर की गयी है। स्विट्ज़रलैण्ड में फैडरल ट्रिब्यूनल की स्थापना जनता की सर्वोच्चता के सिद्धान्त के आधार पर की गयी है।

अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की तुलना में स्विस फैडरल ट्रिब्यूनल एक दुर्बल अंग है।

प्र.11. स्विस संविधान की विशेषताओं का विस्तार से वर्णन कीजिए।
Discribe in detail the features of the Swiss Constitution.

उत्तर

स्विस संविधान की विशेषताएँ
(Features of the Swiss-Constitution)

स्विस शासन प्रणाली प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र का घर है। वहाँ पर अमेरिका की तरह न तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है और न ही ब्रिटेन की तरह संसदात्मक शासन प्रणाली है, बल्कि दोनों का संयोग है। स्विट्ज़रलैण्ड का वर्तमान संविधान 1820 में निर्मित संविधान का 1874 में संशोधित रूप को समेटे हुए हैं। इस संविधान की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

1. **लिखित संविधान** (Written Constitution)—स्विस संविधान भारत तथा अमेरिका की तरह लिखित संविधान है, इसमें 123 धाराएँ तथा 3 अध्याय हैं। इसमें राज्य-जीवन के मूल सिद्धान्त नियम, अधिकार व कर्त्तव्य, सरकार के संगठन व कार्य लिपिबद्ध हैं। लिखित संविधान होने के बावजूद भी इसका कुछ भाग विकसित भी हुआ है।
2. **निर्मित संविधान** (Enacted Constitution)—स्विस संविधान ब्रिटिश संविधान की तरह विकास का परिणाम है। इसे तो संविधान आयोग ने बनाया है जिसमें 14 सदस्य थे। आयोग ने 17 फरवरी, 1848 से 8 अप्रैल, 1848 तक निरन्तर विचार-विमर्श द्वारा इस संविधान की रचना की और उसके बाद यह स्विस राज्य-मण्डल की डाइट द्वारा स्वीकृत हुआ। 1874 में संविधान में संशोधन हुए और इसका निर्मित रूप और अधिक आधुनिक बनाया गया।
3. **कठोर संविधान** (Rigid Constitution)—स्विस संविधान एक दुष्परिवर्तनशील संविधान है। इस संविधान में सरलता से संशोधन नहीं हो सकता। स्विट्ज़रलैण्ड में साधारण कानून बनाने तथा संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया में अन्तर है। स्विट्ज़रलैण्ड में संविधान में परिवर्तन जनता, कैण्टनों तथा संघीय सरकार द्वारा मिलकर ही किया जा सकता है। संशोधन की यह विधि इतनी जटिल व लम्बी है कि इसमें आसानी से संशोधन नहीं हो सकता। इसी कारण पिछले 11 वर्षों में इसमें केवल 57 संशोधन ही हुए हैं। परन्तु अमेरिका की तुलना में यह कम कठोर है।
4. **गतिशील संविधान** (Dynamic Constitution)—स्विस संविधान में गतिशीलता का गुण है। यह समयानुसार स्वयं को परिवर्तित करता रहा है। इसने अपने में से अनावश्यक तत्त्वों को बाहर निकाला है और आवश्यक तत्त्वों को ग्रहण भी किया है। 1877, 1908 तथा 1920 के अधिनियमों के औद्योगिक शोषण का अन्त करके आर्थिक उदारवाद की स्थापना की है। 1885 तथा 1930 के नशाबन्दी अधिनियमों ने व्यक्ति के स्वास्थ्य व सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था की है। इस तरह के अनेक अधिनियमों द्वारा स्विस संविधान अधिक गतिशील बन चुका है और उसकी गतिशीलता जारी है।
5. **संघीय विधायिका** (Federal Legislature)—स्विस संविधान में संघीय विधानमण्डल की व्यवस्था है। इसमें विधानमण्डल के दो सदन राज्य सभा (उच्च सदन) तथा राष्ट्रीय परिषद (निम्न सदन) हैं। राज्य सभा तो कैण्टनों का

TOUCH 'n' PASS

प्रतिनिधित्व करती है, जबकि राष्ट्रीय आम जनता का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि राष्ट्रीय परिषद आम जनता का प्रतिनिधित्व करती है।

6. **बहुल कार्यपालिका** (Plural Executive)—स्विट्ज़रलैण्ड में अमेरिका तथा भारत की तरह एकल कार्यपालिका नहीं है। वहाँ कार्यपालिका की शक्तियाँ किसी व्यक्ति विशेष के पास नहीं है। वहाँ तो एक बहुल कार्यपालिका के रूप में संघीय परिषद है जिसके सदस्यों का चुनाव 4 वर्ष के लिए विधान सभा या संघीय सभा द्वारा किया जाता है। परिषद ही वास्तविक कार्यपालिका होती है। इसमें अध्यक्षा तथा अन्य सदस्यों में समान स्तर की शक्तियाँ व महत्त्व होता है। यह परिषद ही प्रधान कार्यपालिका तथा देश का सर्वोच्च शासक है। राष्ट्र की समस्त कार्यपालक शक्तियाँ इसी के पास है।
7. **मौलिक अधिकार** (Fundamental Rights)—स्विस संविधान में भारत तथा अमेरिका की तरह संविधान के मूल रूप में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था तो नहीं है, अर्थात् कहीं भी संविधान में औपचारिक अधिकार पत्र नहीं है। परन्तु संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में इधर-उधर मौलिक अधिकारों की व्यवस्था अवश्य है। अनुच्छेद 1 के अनुसार सभी नागरिक कानून की नजर में समान हैं। स्विस संविधान का अनुच्छेद 31 व्यवसाय से तथा अनुच्छेद 49 धार्मिक स्वतन्त्रता से सम्बन्धित है। अनुच्छेद 56 भी समुदाय बनाने की स्वतन्त्रता देता है। अधिकारों के साथ-साथ संविधान में कर्त्तव्यों का भी वर्णन किया गया है। यदि किसी नागरिक के अधिकारों व स्वतन्त्रताओं का हनन होता हो तो वह संघीय न्यायाधिकरण की शरण ले सकता है।
8. **प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र** (Direct Democracy)—स्विस संविधान में स्विट्ज़रलैण्ड को प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र घोषित किया गया है। इसमें जनता शासन के प्रत्येक कार्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवश्य भाग लेती है। वह कैण्टनों से अधिक महत्त्व कम्यूनों का है। वहाँ 20 वर्ष की आयु वाले सभी स्त्री-पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया गया। वहाँ Refe Initiative तथा Recall जैसी व्यवस्थाएँ जनता को सम्प्रभु बना देती है। जनता को किसी भी विधि को प्रस्तावित करने, पारित करने तथा अपने प्रतिनिधियों को पद से हटाने का अधिकार प्राप्त है। इसी कारण स्विट्ज़रलैण्ड का प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र का घर कहा जाता है। **ज़ुर्चर** ने लिखा है कि "विगत वर्षों में स्विट्ज़रलैण्ड तथा लोकतन्त्र प्राय: समानार्थी बन गये हैं।"
9. **संसदीय तथा अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों का समन्वय** (Integration of Parliamentary and Presidential Systems of Government)—स्विट्ज़रलैण्ड में संसदीय शासन प्रणाली के साथ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को भी ग्रहण किया गया है। **स्ट्रांग** ने लिखा है "संसार में स्विस व्यवस्थापिका ही ऐसी व्यवस्थापिका है जिसके दोनों सदनों में कोई महत्त्वपूर्ण भेद नहीं है।" स्विट्ज़रलैण्ड में शासन का प्रमुख प्रधानमन्त्री भी है और राष्ट्रपति भी। दोनों ही वास्तविक शासक भी हैं और नाममात्र भी। स्विस कार्यपालिका संसद से ली जाती है और संसद की कार्यवाही में भाग भी लेती है तथा उसके प्रति उत्तरदायी भी होती है, लेकिन संसद में अविश्वास मत पास हो जाने पर उसे त्यागपत्र नहीं देना पड़ता। वहाँ सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना होने के बावजूद भी मन्त्रियों को अपना पद नहीं छोड़ना पड़ता। वहाँ दोनों सदनों के अधिकार बराबर हैं और शक्तियों के पृथक्करण का अभाव है।
10. **संघात्मक शासन प्रणाली** (Federal Form of Government)—स्विट्ज़रलैण्ड में 25 कैण्टन (19 पूर्ण तथा 6 अर्द्ध) हैं। अमेरिका की तरह वहाँ प्रत्येक कैण्टन का अपना अलग संविधान है, नागरिकता के नियम हैं और उनकी अपनी विधियाँ, प्रथाएँ, इतिहास व विचार हैं। स्विस संविधान में शक्तियों का विभाजन केन्द्र तथा इकाईयों के बीच में किया गया है। वहाँ द्विसदीय विधानमण्डल हैं, जिसमें एक सदन राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। इसी कारण के०सी० व्हीयर ने स्विस संविधान को संघीय संविधान कहा है। वहाँ अमेरिका की तरह दोहरी नागरिकता भी है।
11. **संघीय न्यायमण्डल** (Federal Tribunal)—स्विस संविधान में भी अमेरिका की तरह सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था है। वहाँ सर्वोच्च न्यायालय को संघीय न्यायाधिकरण कहा जाता है। स्विस न्यायालय अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की तरह न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार नहीं रखता है। इस संविधान के निर्वाचन का अधिकार प्राप्त नहीं है।
12. **विभिन्नता में एकता का प्रतीक** (Symbol of Unity in Diversity)—स्विस संविधान विभिन्नता में एकता स्थापित करता है। स्विट्ज़रलैण्ड में विभिन्न धर्मों, जातियों, भाषाओं के लोग रहते हैं, लेकिन जनता राष्ट्रीयता की भावना के प्रति ही लगाव व्यक्त करती है। स्विट्ज़रलैण्ड में कभी भी धन व जाति के आधार पर कोई झगड़ा नहीं हुआ है। इसी कारण वहाँ धर्म व जाति के आधार पर कोई झगड़ा नहीं हुआ है। इसी कारण वहाँ धर्म, जाति व भाषा को राष्ट्रीयता में बाधक नहीं माना जाता है।

TOUCHING PASS

13. **प्रशासकीय कानून** (Administrative Law)—स्विस संविधान फ्रांस की तरह प्रशासकीय कानून व न्याय की व्यवस्था करता है। वह आम जनता तथा नौकरशाही के विरुद्ध शिकायतें सुनने के लिए अलग-अलग न्यायिक व्यवस्थाएँ हैं। वहाँ प्रशासकीय कानून नागरिक अधिकारों व स्वतन्त्रताओं की रक्षा के लिए ही है।
14. **अन्य विशेषताएँ** (Miscellaneous Features)—स्विस संविधान कई अन्य अनूठी विशेषताएँ भी लिए हुए है। प्रथम, संविधान उदारवादी दर्शन के प्रभाव के कारण समाजवाद की दिशा में अग्रसर हो रहा है। द्वितीय, स्विस न्यायपालिका के पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति नहीं है। तृतीय स्विट्जरलैण्ड में शक्ति-पृथक्करण के सिद्धान्त का अभाव है, चतुर्थ, स्विस संविधान में धर्म-निरपेक्ष राज्य के विचार का समर्थन करता है, पञ्चम स्विट्जरलैण्ड विश्व में सबसे प्राचीन गणराज्य है। छठी स्विस संविधान जर्मन, फ्रेंच, इटालियन तथा रोमन चार राष्ट्र भाषाएँ घोषित करता है। सप्तम स्विस संविधान एक लम्बा प्रलेख भी है। इसमें 133 धाराएँ हैं। अष्टम, स्विस संविधान में नीति-निर्देशक सिद्धान्तों का अभाव है। नवम् स्विट्जरलैण्ड में संविधान की बजाय संसद की सर्वोच्चता है, क्योंकि वहाँ न्यायपालिका संघ की संसद की किसी भी विधि को अवैध नहीं ठहरा सकती।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि स्विस संविधान संसदीय तथा अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों का संयोग है। यह संघात्मक शासन प्रणाली के गुण भी रखता है। यह स्विट्जरलैण्ड को प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र घोषित करता है। अपनी मौलिक तथा अनूठी विशेषताओं के कारण आज स्विस संविधान विश्व के उदारवादी प्रजातन्त्रीय देशों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करता है।

प्र.12. स्विस संघीय सभा के दोनों सदनों के गठन, कार्य और शक्तियों का वर्णन करो।
Discuss the organisation, powers and functions of the Federal Assembly in Switzerland.

उत्तर स्विस संघीय विधानमण्डल को संघीय सभा (Federal Assembly) की संज्ञा दी गई है। इसके दो सदन हैं— 1. निचला सदन राष्ट्रीय परिषद (National Council) तथा 2. उच्च सदन राज्य परिषद (Council of States) कहलाता है। दोनों सदनों की शक्तियाँ संविधानुसार समान है। स्विस संविधान के अनुच्छेद 71 में लिखा है कि "संघीय सभा, जनता एवं कैण्टनों के लिए सुरक्षित अधिकारों को छोड़कर, परिसंघ की सर्वोच्च शक्ति का उपभोग करती है।"

शक्तियाँ (Powers)—1. स्विस संघीय सभा स्विस शासन का सर्वोच्च अंग है। स्विस संघीय परिषद संघीय सभा के प्रति उत्तरदायी होता है तथा संघीय न्यायाधिकरण के सदस्यों को संघीय सभा द्वारा चुना जाता है। स्विट्जरलैण्ड में जनमत संग्रह की व्यवस्था होने के कारण जनता इसके निर्णयों में संशोधन कर सकती है। संविधान में संशोधन के लिए भी जनता को संघीय सभा के पास अपने प्रस्ताव भेजने का अधिकार है।

2. दोनों सदनों की शक्तियाँ समान है। प्रोफेसर **सी०एफ० स्ट्रांग** ने लिखा है कि "स्विस विधानमण्डल भी कार्यपालिका की भाँति अनोखी संस्था है। विश्व का यही एकमात्र विधानमण्डल है जिसके उच्च सदन के कार्य निम्न सदन से किसी प्रकार से भिन्न नहीं है।"

संघीय सभा का संगठन
(Organization of Federal Assembly)

संघीय सभा द्विसदनात्मक है। निम्न सदन को राष्ट्रीय परिषद (National Council) व उच्च सदन को राज्य परिषद (Council of States) कहते हैं।

1. राष्ट्रीय परिषद (National Council)

यह जनता का सदन है। इसके सदस्यों को वयस्क मताधिकार पर गुप्त, प्रत्यक्ष एवं आनुपातिक प्रतिनिधित्व की रति से निर्वाचित किया जाता है। राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों की संख्या 200 है। प्रति 24 हजार नागरिकों पर एक प्रतिनिधि चुना जाता है। उसके अतिरिक्त 12,000 या उससे अधिक जनसंख्या होने पर भी एक प्रतिनिधि चुना जाता है। प्रत्येक पूर्ण या अर्द्ध कैण्टन को कम-से-कम एक-एक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार अवश्य होता है। इसके अतिरिक्त जनसंख्या वृद्धि एवं निर्धारित अधिकतम संख्या 200 को देखते हुए समय-समय पर निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या बढ़ा दी जाती है।

कार्यकाल—इस सदन का कार्यकाल 4 वर्ष है। अधिकतर "इस सदन के सदस्यों की सदस्यता स्थायी-सी होती है क्योंकि अधिकांश सदस्य पुनः चुन लिये जाते हैं।"

निर्वाचन (Election)—स्विट्ज़रलैण्ड में 20 वर्ष या अधिक आयु वाले प्रत्येक पुरुष को राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों को निर्वाचित करने का अधिकार है। स्विट्ज़रलैण्ड में स्त्रियों को मत देने का अधिकार 8 फरवरी, 1971 को प्रदान किया गया है। पूरा कैण्टन एक निर्वाचन क्षेत्र होता है। मतदाता किसी एक राजनीतिक दल के उम्मीदवारों की एक सूची को ही अपना मत देता है। पादरी, कार्यपालिका एवं प्रशासनिक अधिकारी एवं राष्ट्रीय परिषद के सदस्य को मतदान का अधिकार नहीं है। स्विट्ज़रलैण्ड में कोई उपचुनाव (By Election) की व्यवस्था नहीं है। यदि कोई खाली स्थान होता है, तो वह दल उस स्थान को भर देता है जिसे वह स्थान चुनाव में प्राप्त हुआ था।

सदस्यों की योग्यता (Qualification of Members)—राष्ट्रीय परिषद की सदस्यता के लिए योग्यताएँ इस प्रकार हैं—

(i) सदस्य की आयु 20 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
(ii) उसे किसी एक कैण्टन की नागरिकता अवश्य प्राप्त होनी चाहिए।
(iii) पादरी, संघीय परिषद, राज्य परिषद एवं संघीय शासन के प्रमुख कर्मचारी राष्ट्रीय परिषद के लिए प्रत्याशी नहीं हो सकते हैं।

पदाधिकारी (Office Bearers)—**अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष** (President & Vice President)—राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हर वर्ष अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। ये पदाधिकारी पुन: उसी पद के लिए नहीं चुने जा सकते हैं। परम्परानुसार पिछले वर्ष उपाध्यक्ष को ही अगले वर्ष का अध्यक्ष बना दिया जाता है।

अध्यक्ष के कार्य (Functions of President)—(i) अध्यक्ष सदन की अध्यक्षता करता है। उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष उसके दायित्वों को निभाता है।

(ii) अध्यक्ष द्वारा सदन का कार्य संचालन, व्यवस्था एवं शान्ति की स्थापना, सम्मान व प्रतिष्ठा की रक्षा की जाती है।
(iii) किसी विधेयक या विषय पर बार-बार मत होने पर वह अपना निर्णायक मत देने का अधिकारी है।
(iv) वह सदस्यों के व्यक्तिगत तथा सदन के विशेष अधिकारों की रक्षा करता है।

भाषाएँ (Languages)—राष्ट्रीय परिषद का प्रत्येक प्रलेख (Document) जर्मन, फ्रेंच, इटालियन भाषा में प्रकाशित किया जाता है। अब रोमन भाषा को भी राष्ट्रीय दर्जा दे दिया गया है।

2. राज्य परिषद (The Council of States)

यह कैण्टनों का सदन है। प्रत्येक कैण्टन को और अर्द्ध कैण्टन को एक सदस्य प्रतिनिधि के रूप में भेजने का अधिकार है। 19 पूर्ण कैण्टनों द्वारा 38 एवं 6 अर्द्धकैण्टनों के द्वारा 6 सदस्य चुने जाते हैं। इस प्रकार इस सदन के कुल संख्या 44 है।

निर्वाचन (Election)—स्विट्ज़रलैण्ड के संघीय संविधान में राज्य परिषद के सदस्यों की चुनाव प्रणाली को कैण्टनों की इच्छा अपनी और व्यवस्था के अनुसार करने की छूट है। 15 पूर्ण एवं 1 अर्द्धकैण्टन में प्रतिनिधियों का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रीति से करती है। 4 कैण्टन जनसभाओं द्वारा तथा 4 कैण्टन अपने विधानमण्डलों द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं।

कार्यकाल (Time Period)—विभिन्न कैण्टनों के प्रतिनिधि सदस्यों का कार्यकाल अलग-अलग है। 14 कैण्टनों में सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष, 8 कैण्टनों में 3 वर्ष तथा शेष 3 कैण्टनों में यह एक वर्ष है। इस प्रकार सदस्यों का कार्यकाल 1 से 4 वर्ष तक होता है। दो कैण्टनों में प्रतिनिधियों के प्रत्यावर्तन की भी व्यवस्था है।

सदस्यों की योग्यताएँ—राष्ट्रीय परिषद तथा संघीय परिषद के सदस्य, राज्य परिषद के सदस्य नहीं हो सकते। राज्य सभा के सदस्य अनुभवी और कार्यकुशल होते हैं। इसीलिए अधिकतर 55 से 60 वर्ष तक की आयु के व्यक्तियों को ही सदस्य चुनने का अधिकार है।

अधिवेशन (Session)—इसकी कुल अवधि 10 से 12 सप्ताह की होती है। अधिवेशन मार्च, जून तथा सितम्बर में बुलाये जाते हैं। राज्य परिषद् के चौथाई सदस्यों अथवा चौथाई कैण्टनों की माँग पर संघीय परिषद् के दोनों सदनों की एक सम्मिलित बैठक बुलाई जानी आवश्यक है।

अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष (President and Vice President)—राज्य परिषद में एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष होता है जो सदस्यों द्वारा एक वर्ष के लिए चुने जाते हैं। वे इस पद पर पुर्ननिर्वाचित नहीं हो सकते। परम्परानुसार, गत वर्ष के उपाध्यक्ष को ही अगले वर्ष का अध्यक्ष बना दिया जाता है। यदि किसी विषय पर मत बराबर हो जाएँ तो अध्यक्ष को अपना मत देने का अधिकार होता है।

संघीय सभा की शक्तियाँ तथा कार्य
(Powers and Functions of Federal Assembly)

संघीय सभा स्विट्जरलैण्ड की संसद या पार्लियामेन्ट को कहते हैं। इसे न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधायिनी सम्बन्धी जो शक्तियाँ प्राप्त हैं वह इस प्रकार हैं—

1. **विधि निर्माण सम्बन्धी** (Legislative Powers)—संघीय सभा की शक्तियों को स्विस संविधान को अनुच्छेद 84 में दिया गया है जो इस प्रकार हैं—
   (i) संघीय सभा को संसदीय विषयों पर विधि निर्माण का एकाधिकार प्राप्त है।
   (ii) सम्मिलित विषयों जैसे कि शिक्षा, प्रेस पर नियन्त्रण, उद्योगों का विनियमन, बैंक, आवास और सड़कों पर विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त है।
   (iii) वार्षिक आय-व्यय बजट भी संघीय सभा द्वारा पारित किया जाता है।
   (iv) इसे संघीय सरकार के अधिकारियों के चुनाव तथा संगठन सम्बन्धी कानून बनाने का अधिकार है।
   (v) इसे कैण्टनों की क्षेत्रीय एकता तथा उनके संविधानों की रक्षा और देश की आन्तरिक सुरक्षा को बनाये रखने के लिए कानून बनाने का अधिकार है।
2. **कार्यपालिका की शक्तियाँ**—(i) इसको नियुक्ति सम्बन्धी व्यापक अधिकार प्राप्त है।
   (ii) दोनों सदन अपने संयुक्त अधिवेशन में संघीय परिषद के सदस्यों, संघ के चांसलर, परिसंघ के अध्यक्ष, प्रधान सेनापति का निर्वाचन करने का अधिकार है।
   (iii) युद्धकाल में संघीय परिषद का चांसलर प्रधान सेनाध्यक्ष होता है।
   (iv) इसे युद्ध की घोषणा, राष्ट्र की सेना का नियन्त्रण एवं निरीक्षण, राजस्व एकत्र करना, देश की सुरक्षा व स्वतन्त्रता का अधिकार प्राप्त है।
   (v) इसी संघीय प्रशासन की सामान्य निगरानी करनी पड़ती है।
   (vi) इसे कैण्टनों की क्षेत्रीय सुरक्षा एवं स्वतन्त्रता की रक्षा, कैण्टनों द्वारा परस्पर तथा विदेशों को की जाने वाली सन्धियों का अनुमोदन करने का अधिकार है।
   (vii) संघीय परिषद अपने सब प्रशासनीय कार्यों तथा नीतियों के लिए संघीय सभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
   (viii) यदि कोई कैण्टन संघीय कानून का उल्लंघन करता है या अपने कर्त्तव्यों का पालन नहीं करता है तो उसके विरुद्ध संघीय सभा को कार्यवाही करने का अधिकार है।
3. **वित्तीय शक्तियाँ** (Financial Powers)—(i) यह न्याय-प्रशासन का निरीक्षण करती है।
   (ii) यह विद्रोहियों को आम क्षमा प्रदान करने में सक्षम है।
   (iii) यह जनता की याचिकाओं पर अपना निर्णय देती है।
   (iv) यह संघीय न्यायाधिकरण के न्यायाधीशों को चुनने का कार्य भी करती है।

दोनों सदनों के आपसी सम्बन्ध (Mutual Relations Between two Houses)—दोनों सदनों की शक्तियाँ समान हैं। राष्ट्रीय परिषद में सामान्य बजट प्रस्तुत किया जाता है और रेलवे बजट राज्य परिषद् में। अन्य सभी विधेयक दोनों सदनों में एक साथ प्रस्तुत किये जाते हैं। एक सदन दूसरे सदन के विचार-विमर्श से प्रभावित नहीं होता है। यदि सदनों में मतभेद हो जाता है तो एक मध्यस्थता समिति गठित की जाती है सामान्यत विवाद इस समिति द्वारा हल कर लिये जाते हैं। यदि फिर भी गतिरोध दूर न हो तो सम्बन्धित मामले को वहीं छोड़ दिया जाता है।

प्र.13. स्विस विधि निर्माण प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए।

Describe the procedure of law making in Switzerland.

***अथवा* स्विस समिति व्यवस्था का विवरण दीजिए।**

Explain the Swiss Committee System.

उत्तर स्विट्जरलैण्ड की संघीय सभा में दोनों सदनों की शक्तियाँ समान हैं। संघीय सभा का प्रमुख कार्य कानून निर्माण करना है। संघीय सभा दो प्रकार के कानून का निर्माण करती है। इसमें एक को कानून व दूसरे को आज्ञप्ति (Decree) कहते हैं। संक्षेप में स्विस विधायी प्रक्रिया इस प्रकार है—

TOUCH 'n PASS

1. **विधेयक प्रस्तुत करना** (Introduction of Bill)—संविधान के अनुसार दोनों सदनों, उनके पार्षदों, प्रत्येक पूर्ण एवं अर्द्ध कैण्टन एवं संघीय परिषद को विधेयक प्रस्तावित करने का अधिकार है। मगर अधिकतर विधेयक संघीय परिषद के सदस्यों द्वारा सभा में पेश किये जाते हैं। वित्त विधेयक को संघीय परिषद ही प्रस्तावित करती है। संघीय परिषद विशेषज्ञों की सहायता से विधेयक को तैयार करवाती है। यदि फैडलर असेम्बली किसी प्रकार के कानून का निर्माण आवश्यक समझे, तो एक प्रस्ताव करके संघीय परिषद से कानून बनाने के लिए आग्रह कर सकती है। संघीय परिषद् सम्बन्धित विषयों पर विधेयक का प्रारूप तैयार करके प्रस्तुत तो करती है परन्तु उसे संघीय सभा से विधेयक को अस्वीकृत कर देने की प्रार्थना करने का भी अधिकार है। कोई भी विधेयक उसी समय पास माना जाता है जब वह दोनों सदनों में पास हो जाता है। विधेयक किसी भी सदन में सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन परम्परानुसार वित्त विधेयक सर्वप्रथम निम्न सदन-राष्ट्रीय परिषद में ही प्रस्तुत किया जाता है। किसी भी सदन को विधेयक पर विचार के सम्बन्ध में वरीयता प्राप्त नहीं है। दोनों सदन के अध्यक्ष आपस में विचार कर लेते हैं कि किस सदन में पहले विचार किया जाए। यदि संघीय परिषद ने किसी विधेयक को जरूरी घोषित कर दिया, तो भी वह इसकी स्वीकृति दोनों सदनों में लेना जरूरी है।
2. **समिति व्यवस्था** (Committee System)—विभिन्न समितियों में सम्बन्धित विधेयकों पर विचार-विमर्श होता है। समितियाँ विधेयक पर विचार करने के लिए देश के विभिन्न भागों में अपनी बैठक बुला सकती है। समितियाँ प्राय: विधेयकों की मौलिक बातों अथवा प्रारूप में परिवर्तन नहीं करती है और केवल आवश्यक संशोधनों का ही सुझाव देती है।
3. **विचार-विमर्श करना** (Consultations)—विधेयक पर समिति की रिपोर्ट पर सदन में प्रत्येक धारा पर विचार-विमर्श होता है। तत्पश्चात् सम्पूर्ण विधेयक पर मतदान होता है। एक सदन में पास होने के बाद विधेयक दूसरे सदन में जाता है वहाँ पर भी यही प्रक्रिया दोहरायी जाती है। दोनों सदनों में पास होने के बाद विधेयक पास समझा जाता है।
यदि दोनों सदन आपस में असहमत हैं तो उसे संयुक्त सम्मेलन की समिति में भेज दिया जाता है। इसकी अध्यक्षता उस सदन का सदस्य करता है जिसमें विधेयक सर्वप्रथम पारित हुआ हो। इसमें दोनों सदनों के बराबर सदस्य होते हैं। यदि उस संयुक्त समिति के द्वारा रखे हुए सुझावों को भी कोई सदन अस्वीकार कर दे तो विधेयक समाप्त समझ लिया जाता है।
4. **प्रकाशन व्यवस्था** (Publication)—दोनों सदनों में पास होने के पश्चात् विधेयक का अधिकृत प्रारूप तैयार करने के लिए इसमें संघीय सचिवालय को भेज दिया जाता है। इस पर दोनों सदनों के अध्यक्षों एवं सचिवों के हस्ताक्षर कराकर विधेयक को संघीय परिषद के पास प्रकाशनार्थ तथा लागू करने के लिए भेज दिया जाता है। यदि विधेयक के प्रकाशन के 5 दिन या तय अवधि के बीच में जनता जनमत संग्रह की माँग नहीं करती तो विधेयक को प्रभावी मान लिया जाता है।

संघीय सभा की समिति व्यवस्था
(Committee System of the Federal Assembly)

स्विस संघीय सभा में अन्य विधानमण्डलों की भाँति समितियाँ होती हैं इन्हें कमीशन कहते हैं। इनके कारण निर्माण कार्य शीघ्रतापूर्वक सम्पादित किया जाता है।

स्थायी समिति—राष्ट्रीय परिषद में 12 और राज्य परिषद में 10 स्थायी समितियाँ हैं। दोनों सदनों में निम्नलिखित स्थायी समितियाँ हैं—

(i) वित्तीय समिति, (ii) प्रशासन समिति, (iii) मादक द्रव्य समिति, (iv) याचिका समिति, (v) क्षमादान समिति, (vi) रेलवे रियायत समिति, (vii) विदेश समिति, (viii) सीमा शुल्क समिति, (ix) संघीय समिति, (x) सैनिक मामलों सम्बन्धी समिति।

इन समितियों में सदस्य विभिन्न राजनैतिक दलों को संघीय सभा में प्राप्त प्रतिनिधित्व के अनुपात में नियुक्त किये जाते हैं। ये समितियाँ विधेयकों के बारे में सभी आवश्यक तथ्य एकत्रित करती हैं और उन पर विचार-विमर्श करती हैं। इससे समय की बचत होती है। **हुंग्स** के अनुसार "समितियाँ (Commissions) लोकसेवा एवं राजनीतिक दलों में समन्वय का प्रधानस्रोत है।"

प्र.14. स्विस संघीय परिषद की रचना, शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन करो।

Describe the composition, powers and role of Swiss Federal Council.

उत्तर

स्विट्जरलैण्ड की संघीय कार्यपालिका
(Federal Council of Switzerland)

स्विस संघीय परिषद, आई०जी० घोष के शब्दों में "आधुनिक लोकतन्त्र की एक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है।" इनमें संसदीय एवं अध्यक्षात्मक कार्यपालिकाओं की विशेषताओं का समन्वय पाया जाता है। **लार्ड ब्राइस** ने इसकी विशेषताओं को व्यक्त करते

हुए कहा है कि किसी भी अन्य स्वतन्त्र देश में कार्यपालिका शक्ति एक व्यक्ति को न सौंपकर समिति में अधिष्ठित नहीं की गई है और न अन्य किसी कार्यपालिका का राजनीति से इतना कम सम्बन्ध है।

1. **रचना** (Composition)—स्विस संविधान के अनुच्छेद 96 में दिया है कि "स्विस राज्यमण्डल की सर्वोच्च निर्देशन तथा कार्यपालिका शक्ति 7 सदस्यों की एक संघीय परिषद द्वारा प्रयुक्त की जाती है।" अत: यह 7 सदस्यों की एक समिति है। इसके सदस्य 4 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संघीय परिषद के इन सात सदस्यों का निर्वाचन संघीय सभा के दोनों सदन अपनी एक बैठक में करते हैं। संविधान निर्माताओं ने संघीय परिषद के चुनाव को राजनीतिक दलबन्दी से अलग रखने के लिए उसका अप्रत्यक्ष चुनाव कराया है।
2. **योग्यता** (Qualifications)—संघीय परिषद के लिए ऐसा प्रत्येक स्विस नागरिक चुना जा सकता है जो राष्ट्रीय परिषद की सदस्यता के लिए निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। इसमें केवल दो वैधानिक प्रतिबन्ध लगाये जाते हैं—
   (i) रक्त एवं विवाह द्वारा सम्बद्ध दो व्यक्ति एक ही साथ संघीय परिषद के सदस्य नहीं चुने जा सकते।
   (ii) संघीय प्रतिबन्ध के लिए कैण्टन से केवल एक सदस्य चुना जा सकता है। व्यवस्थापिका के बाहर से संघीय परिषद के सदस्यों को चुनने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है लेकिन सदस्य चुने जाने पर उसे व्यवस्थापिका की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ता है। इससे कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के पूर्ण पृथक्करण सम्भव होता है। सामान्यत: सात सदस्यों में से चार जर्मन भाषा-भाषी, दो फ्रेंच भाषा-भाषी एवं एक इतावली भाषा-भाषी का होता है।
3. **कार्यकाल** (Period)—इनका कार्यकाल चार वर्ष होता है। सदस्यों के पुर्ननिर्वाचन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। फलस्वरूप कुछ सदस्यों का कार्यकाल 20 से 32 वर्षों तक रहा है। संघीय परिषद में दलीय शक्ति के कारण सदस्यों को नियुक्त नहीं किया जाता है अपितु उन्हें उनकी योग्यता के कारण जैसे प्रशासकीय योग्यता, मानसिक उत्कृष्टता, प्रतिभा आदि गुणों के कारण निर्वाचित किया जाता है।
4. **परिसंघ का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष** (The President and Vice President of Confederation)—संघीय परिषद के सात सदस्यों में से एक सदस्य संघीय सभा द्वारा एक वर्ष के लिए स्विस परिसंघ का राष्ट्रपति व एक उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। इस चुनाव में ज्येष्ठता का नियम (Seniority Rule) का पालन होता है। परिषद के उपाध्यक्ष के परम्परानुसार अगले वर्ष के लिए अध्यक्ष चुना जाता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष राष्ट्रपति पद पर कार्य करता है।

राष्ट्रपति के अधिकार और कार्य
(Powers and Functions of the President)

परिसंघ के राष्ट्रपति की शक्ति संघीय परिषद के अन्य सदस्यों के समान होती है। **ब्राइस** के अनुसार "उसे राष्ट्रपति या परिषद के अध्यक्ष के रूप में कोई विशेष शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं।" उसे केवल विवाद की स्थिति में मत देने का अधिकार है। राष्ट्रपति के कार्य दो प्रकार के होते हैं—

(i) **राज्यमण्डल के राष्ट्रपति के रूप में** (As President of the Confederation)—1914 के "संघीय प्रशासन संगठन अधिनियम में राष्ट्रपति ब्रिटिश सम्राट की भाँति स्विस राष्ट्र का प्रतीक कहा गया है। उसे संघीय परिषद के अपने सहयोगी सदस्यों की तुलना में प्राथमिकता और वरीयता प्राप्त है। यह महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय अवसरों पर राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। वह विदेशों में स्विस मण्डल का प्रतिनिधि व अधिवक्ता माना जाता है।"

(ii) **संघीय परिषद के सभापति के रूप में** (As Chairmen of the Council)—संघीय परिषद के सभापति के रूप में वह परिषद के अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है। परिषद के अन्य सदस्यों के निर्णयों को परिवर्तित करने का उसे कोई अधिकार नहीं है। उसे केवल विवाद की स्थिति में अपना मत देने का अधिकार है। उसे संघीय परिषद के अन्य सदस्यों के विभागीय कार्यों के निरीक्षण का अधिकार है। परन्तु वह केवल सुझाव दे सकता है, आदेश नहीं। वह परिषद के सदस्यों को न तो नियुक्त कर सकता है न ही हटा सकता है। **लावेल** के अनुसार "वह केवल राष्ट्र की कार्यपालिका समिति का अध्यक्ष है अत: उसे सदस्यों द्वारा किये जाने वाले कार्यों की सूचना रहती है तथा वह राज्य के नाममात्र के समारोह सम्बन्धी कर्त्तव्यों को पूर्ण करता है।"

राष्ट्रपति पद की स्थिति (Position of President)—स्विस परिसंघ का राष्ट्रपति केवल समकक्षों में प्रथम है। उसे 'महत्त्वहीन राष्ट्रपति' की संज्ञा प्रदान की गयी है। उसकी अमेरिका के राष्ट्रपति, ब्रिटिश प्रधानमन्त्री या किसी अन्य कार्यपालिका के प्रधान से तुलना करना नितान्त भ्रमपूर्ण है। वह ब्रिटेन के राजा या भारत के राष्ट्रपति की भाँति नाममात्र का ही कार्यपालिका अध्यक्ष होता है। यह किसी प्रशासनिक विभाग की अध्यक्षता नहीं करता है। **रैपर्ड** के अनुसार, "उसके पद का कोई राष्ट्रीय महत्त्व नहीं है। उसका न कोई विशेष अधिकार हैं और न कोई विशेष प्रभाव है।" स्विस राष्ट्रपति का पद भले ही शक्ति व प्रभाव का न हो परन्तु सम्मान का अवश्य है। उसे अपने सहयोगियों की तुलना में प्राथमिकता व वरीयता प्राप्त है। प्रायः प्रत्येक स्विस राजनीतिज्ञ इस पद की कामना करते हैं तथा उसे जीवन की एक उपलब्धि मानता है।

प्रशासन के विभाग (Administrative Departments)—स्विट्ज़रलैण्ड में प्रशासनिक विभागों की संख्या निश्चित कर दी गयी है। संघीय परिषद् में सात सदस्यों के कारण सभी प्रशासनिक कार्यों को सात विभागों में बाँटा गया है और प्रत्येक एक विभाग का प्रमुख है—

1. राजनीतिक विभाग (Political Department), 2. न्याय और पुलिस विभाग (Department of Police & Justice), 3. गृह विभाग (Department of Interior), 4. सेना विभाग (Military Department), 5. वित्त एवं प्रशुल्क विभाग (Department of Finance and Custom), 6. सार्वजनिक अर्थ विभाग (Department of Public Economy), 7. डाक और रेल विभाग (Posts and Railways Department)

स्विट्ज़रलैण्ड में संघीय परिषद के सदस्य साधारणतया अपनी बैठक में बातचीत के आधार पर अपना विभाग तय करते हैं। अधिकतर समय सदस्यों को वही विभाग दिया जाता है जिसका संचालन वह पहले कर रहा था जिससे उसके अनुभव का लाभ विभाग को मिल सके। प्रत्येक विभाग का प्रमुख, अन्य विभाग का उपप्रमुख भी होता है जिससे प्रमुख की अनुपस्थिति में वह विभाग का कार्य सम्भाल सके।

संघीय परिषद की शक्तियाँ और कार्य
(Powers & Functions of Federal Assembly)

1. **कार्यपालिका शक्तियाँ** (Executive Power)—संघीय परिषद स्विस राज्यमण्डल की सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति है और इस क्षेत्र में उसकी शक्तियाँ बहुत व्यापक है—
   - (i) संघीय परिषद देश में शान्ति एवं व्यवस्था की स्थापना के लिए उत्तरदायी होती है।
   - (ii) विदेश नीति का निर्धारण एवं क्रियान्वयन करना उसका उत्तरदायित्व है।
   - (iii) यह संघीय सभा द्वारा पारित विधियों का क्रियान्वयन करती है।
   - (iv) नियुक्तियाँ करने की शक्ति संघीय सभा, न्यायालय या अन्य किसी संघीय प्राधिकारी के पास नहीं है उन सब पर संघीय परिषद नियुक्ति करती है।
   - (v) देश की सुरक्षा की व्यवस्था एवं उसके लिए सेना का संगठन तथा नियन्त्रण करने का उत्तरदायित्व है।
   - (vi) कैण्टनों द्वारा परस्पर एवं विदेशों से की जाने वाली सन्धियों की जाँच परिषद करती है। यदि कोई कैण्टन संघ शासन के साथ सहयोग नहीं देता है तो संघीय परिषद को इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का अधिकार है।
   - (vii) यह कैण्टनों में चल रहे वित्तीय, सैनिक तथा प्रशासनिक कार्यों का भी निरीक्षण करती है।
   - (viii) संघीय प्रशासनिक अधिकारियों के आचरण का निरीक्षण भी परिषद का कार्य है।
   - (ix) विदेशी अतिथियों का स्वागत, राजदूतों से परिचय पत्र प्राप्त करना, राष्ट्रीय समारोह और मनोरंजन आयोजनों में भाग लेना आदि कुछ औपचारिक कार्य भी हैं।
2. **विधायी शक्तियाँ** (Legislative Powers)—विधि निर्माण कार्य में भी संघीय परिषद के सदस्यों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। संघीय सभा के समक्ष 95% विधि प्रस्ताव परिषद द्वारा ही प्रस्तुत किये जाते हैं। परिषद को संविधान संशोधन सम्बन्धी विधेयक भी पेश करने का अधिकार है। संघीय सभा के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा जितने विधेयक पेश किये जाते हैं। संघीय सभा में विचार से पहले, उन्हें परिषद के सदस्यों के पास उनके विचार-विमर्श के लिए भेजा जाता है। परिषद के सदस्य संघीय सभा की समितियों के विचार-विमर्श बैठकों में भी भाग लेकर कानून निर्माण के कार्य को अपने अनुरूप चलाने का प्रयास करते हैं।

TOUCH 'n' PASS

संघीय परिषद को अध्यादेश जारी करने तथा 'प्रदत्त व्यवस्थापन' की प्रणाली के अन्तर्गत कानूनों को लागू करते हुए नियम बनाने का भी अधिकार प्राप्त है। उन कानूनों को न्यायालय द्वारा भी मान्यता प्राप्त होती है। संघीय परिषद की इन विधायी शक्तियों के सम्बन्ध में **रैयार्ड** ने लिखा है कि "वस्तुत: और संवैधानिक धारणा के नितान्त विपरीत संघीय परिषद कार्यपालिका और प्रशासनिक कार्यों के साथ-साथ महत्त्वपूर्ण कार्य भी करती है।"

3. **न्यायिक शक्तियाँ** (Judicial Powers)—(i) विभिन्न प्रशासनिक विभागों एवं संघीय रेलवे प्रशासन के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें संघीय परिषद में की जा सकती हैं।
   (ii) यदि कैण्टनों में धार्मिक आधार पर विद्यालयों में भेदभाव, निर्वाचन आदि में कोई भेदभाव हो तो यह ऐसे कैण्टनों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें सुनती है।
   (iii) इसे कैण्टनों के मध्य पारस्परिक सन्धियों, व्यापार, सीमा शुल्क और पेटेन्ट सम्बन्धी मामलों में लिए गए निर्णयों तथा संविधान की कुछ धाराओं के अन्तर्गत उत्पन्न विवादों के सम्बन्ध में संघीय परिषद के निर्णय के विरुद्ध संघीय न्यायालय तथा संघीय सभा में आवेदन किया जा सकता है।
   (iv) संघीय अधिकारियों के आचरण सम्बन्धी मामलों का निर्णय संघीय परिषद न्यायिक संस्था के रूप में कार्य करती है।
4. **वित्तीय शक्तियाँ** (Financial Powers)—संघीय परिषद स्विस संघ के वित्तीय प्रशासन का संचालन भी करती है। यह संघीय बजट तैयार कर उसे संघीय सभा में स्वीकृति के लिए रखती है। यह संघीय सरकार के आय व व्यय का हिसाब भी संघीय सभा के सामने रखती है।

स्विस संघीय परिषद एवं संघीय सभा
(Swiss Federal Council and Federal Assembly)

संघीय परिषद को स्विस शासन व्यवस्था की एक विलक्षण संस्था कहा जाता है। इसको व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं। लेकिन विविध दृष्टि से स्विस परिषद संघीय सभा से स्वतन्त्र एवं उनके समकक्ष नहीं हैं। परिषद की स्थिति एक अधीनस्थ जैसी है। इसका कारण यह है कि स्विस संविधान शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त पर आधारित नहीं है। नीति निर्धारण में संघीय सभा का स्थान प्रमुख है। धारा 71 के अनुसार "परिसंघ की सर्वोच्च सत्ता संघीय सभा में निहित है।" संघीय परिषद की शक्तियाँ केवल निरीक्षात्मक है उसे प्रत्येक कदम पर संघीय सभा से आदेश ग्रहण करने पड़ते हैं। यदि परिषद के विचार या मत से संघीय सभा सहमत नहीं है तो परिषद के सदस्यों को ही झुकना पड़ता है। विधि निर्माण कार्य में संघीय परिषद के सदस्य महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संघीय सभा के समक्ष 95% विधि प्रस्ताव परिषद द्वारा ही प्रस्तुत किये जाते हैं। निजी सदस्यों द्वारा सदन में प्रस्तुत किये जाने वाले विधेयक भी सर्वप्रथम संघीय परिषद के पास निरीक्षण के लिए जाते हैं। संघीय परिषद कानून निर्माण के कार्य में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। संघीय परिषद के सदस्य संघीय सभा की बैठकों में भाग लेने, प्रश्नों को उत्तर देते, वाद-विवाद में भाग लेते तथा मतदान के अतिरिक्त अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करते हैं। विविध दृष्टि से संघीय सभा के अधीन हैं लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं है। परिषद में अनुभवी राजनीतिज्ञ होते हैं, अत: वे व्यवस्थापिका का भी नेतृत्व करते हैं। **लार्ड ब्राइस** का मत है कि "वैधानिक दृष्टि से परिषद व्यवस्थापिका की सेवक है परन्तु व्यवहार में वह इंग्लैण्ड के मन्त्रिमण्डल की भाँति तथा फ्रांस के मन्त्रिमण्डल से अधिक शक्ति का प्रयोग करती है।"

संघीय परिषद की विशेषताएँ—प्रो० स्ट्रांग के शब्दों में, "स्विट्ज़रलैण्ड की संघीय परिषद विश्व की अन्य सभी कार्यपालिका में से अधिक ध्यान देने योग्य है।" संघीय परिषद की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

1. **बहुल कार्यपालिका**—संविधान के अनुच्छेद 95 के अनुसार "राज्य संघ की सर्वोच्च निर्देशन तथा कार्यशक्ति 7 सदस्यों की संघीय परिषद द्वारा प्रयुक्त की जाती है।" संयुक्त राज्य अमेरिका की भाँति एक व्यक्ति राष्ट्रपति में निहित नहीं है। इंग्लैण्ड में मन्त्रिमण्डल कार्यपालिका है परन्तु उसके प्रमुख प्रधानमन्त्री की स्थिति केन्द्रीय होती है। स्विस परिषद में अध्यक्ष की स्थिति केन्द्रीय नहीं होती है। यह कार्यपालिका बहुल इस दृष्टि से है क्योंकि इसमें सभी सदस्यों की स्थिति समान है। अध्यक्ष को अन्य सदस्यों की भाँति ही अधिकार प्राप्त है। इसी कारण **हेन्स हूबर** लिखते हैं कि "राज्यमण्डल का कोई अध्यक्ष नहीं है।" स्विस नागरिकों में प्रजातन्त्रीय और गणतन्त्रीय भावनाओं की अधिकता के कारण ही उनके द्वारा बहुत कार्यपालिका को अपनाया गया है। स्विट्ज़रलैण्ड में बहुल कार्यपालिका सफलतापूर्वक कार्य कर रही है।
2. **स्थायित्व**—स्विस कार्यपालिका का कार्यकाल चार वर्ष है। इससे पूर्व इसको भंग नहीं किया जा सकता। संघीय परिषद के सदस्यों को दलीय भावना से निर्वाचित नहीं किया जा सकता है। प्राय: एक बार निर्वाचित होने पर वे पुन: निर्वाचित कर

लिये जाते हैं। अनुभव व योग्यता को महत्त्व दिया जाता है। संघीय सभा में संघीय परिषद के किसी प्रस्ताव के गिर जाने या अविश्वास के प्रस्ताव के पारित हो जाने पर उसे पद त्याग नहीं करना पड़ता है।

3. **विधानमण्डल के प्रति उत्तरदायित्व**—संघीय परिषद सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसके सदस्य संघीय सभा द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं। संघीय सभा के सदस्य न होने पर भी वे संघीय सभा के अधिवेशनों में भाग लेते हैं, प्रश्नों का उत्तर देते हैं, विधेयकों को प्रस्तावित व पारित कराते हैं। इसको प्रत्येक सदस्य अपने कार्य के प्रति उत्तरदायी होता है। सिद्धान्त परिषद संघीय सभा की प्रधानता स्वीकार करती हैं एवं उसके आदेशों का पालन करती है।
4. **निर्दलीयता**—परिषद की एक की महत्त्वपूर्ण विशेषता उसका निर्दलीय स्वरूप है। इसमें एक ही राजनीतिक दल के सदस्य न होकर, सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। परिषद के सदस्य अपने राजनीतिक दलों की सीमाओं में बँधकर कार्य नहीं करते वरन् अपने विवेक के अनुसार स्वतन्त्रतापूर्वक विचार व्यक्त करते हैं और कार्य करते हैं। निर्दलीय होते हुए भी ब्राइस के अनुसार वे कुछ-न-कुछ दलीय रंग में रंगे होते हैं।
5. **संसदात्मक व अध्यक्षात्मक प्रणालियों का समन्वय**—इसमें दो प्रकार की पद्धतियों का समावेश किया गया है। (i) प्रथम संसदात्मक जिसका आदर्श उदाहरण ब्रिटेन है और दूसरी (ii) अध्यक्षात्मक जिसका आदर्श उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका है। संसदीय पद्धति के प्रधान गुण उत्तरदायित्व एवं अध्यक्षात्मक पद्धति की प्रमुख विशेषता स्थायित्व, दोनों का समन्वय किया गया है। **डायसी** के अनुसार, ''स्विस संघीय परिषद निर्देशक मण्डल की भाँति है जिसकी नियुक्ति परिसंघ के मामलों की व्यवस्था संघीय सभा की इच्छानुसार करने के लिए नहीं की गई है।'' **मुनरो** के शब्दों में, ''बहुल कार्यपालिका होते हुए भी इसमें एकल कार्यपालिका के गुण पाये जाते हैं।''

फैडरल चांसलरी (Federal Chancellory)—इसकी स्थापना 1803 में की गयी थी। यह संघीय सभा और संघीय परिषद का मुख्य सचिवालय है। अनुच्छेद 105 से इसका अध्यक्ष संघीय सचिव (Federal Chancellor) होता है। इसका निर्वाचन संघीय सभा के दोनों सदनों द्वारा 4 वर्ष के लिए किया जाता है। उसके अधीन एक उपचांसलर होता है जो उसके कार्यों में सहायता करता है। इसके विशेष कर्त्तव्यों में संघीय सभा और परिषद द्वारा पारित कानूनों का प्रशासन, प्रशासनीय प्रलेखों का अनुवाद और उन्हें अपने अधिकार में रखना संघीय चुनावों व लोक निर्णय और आरम्भिक की व्यवस्था करना है। संघीय चांसलर संघीय परिषद व संघीय सभा, दोनों के सचिव के रूप में कार्य करता है। वह संघीय सभा व परिषद के कार्य का पूरा रिकार्ड रखता है। वास्तव में संघीय चांसलर समस्त नागरिक सेवाओं का प्रधान होता है।

प्र.15. स्विस संघीय न्यायाधिकार के गठन, कार्यों और शक्तियों का वर्णन कीजिए।

Discuss the composition, powers and functions of the Federal Tribunal in Switzerland.

उत्तर

स्विस संघीय न्यायालय
(Swiss Federal Tribunal)

स्विस संघीय न्यायालय का नाम बुण्डसजीएजट (Bundesgericht) है। इस न्यायालय की व्यवस्था 1874 के संविधान में की गयी थी। उसकी शक्तियाँ समिति थी। सन् 1893 में संघीय न्यायालय को संविधान, दिवालियापन एवं प्रशासनीय विधि सम्बन्धी कुछ विवादों में शक्ति प्रदान की गयी थी। 1898 में संघीय न्यायालय के दीवानी एवं अपराधिक क्षेत्र में वृद्धि की गयी। **सी हूग्स** के अनुसार, ''1875 में वर्तमान संघीय कार्यालय की स्थापना के समय से उसके क्षेत्राधिकार में अनेक बार वृद्धि मुख्यत: संघीय परिषद के मूल्य पर होती रही है।''

संगठन (Composition)—प्रत्येक नागरिक जो राष्ट्रीय परिषद का सदस्य होने की योग्यता रखता हो संघीय न्यायालय के लिए चुना जा सकता है। संघीय न्यायाधिकरण में 26 से 28 न्यायाधीश तथा 11 से 13 तक वैकल्पिक जजों की व्यवस्था की गयी है। संघीय न्यायालय के न्यायाधीश संघीय सभा द्वारा 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। इसमें एक ही प्रधान व उप-प्रधान होता है। उनका कार्यकाल 2 वर्ष होता है। इन्हें तुरन्त ही दूसरे सत्र में नहीं चुना जा सकता है। परम्परा के अनुसार न्यायाधीश जब तक चाहते हैं उन्हें निर्वाचित किया जा सकता है। न्यायाधीश अपना कार्य निर्भरता, निष्पक्ष एवं स्वतन्त्रतापूर्वक करते हैं। चुनाव की दलबन्दी का उन पर कोई असर नहीं होता।

योग्यताएँ (Qualifications)—संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता का संविधान में कोई जिक्र नहीं है। संविधान में केवल यह कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक जो राष्ट्रीय परिषद का सदस्य होने की योग्यता रखता हो संघीय न्यायालय के लिए

TOUCH n PASS

नियुक्त किया जा सकता है। संघीय सभा व परिषद के सदस्य तथा उनके द्वारा नियुक्त किये गये अधिकारी संघीय न्यायाधिकरण के सदस्य नहीं हो सकते। संविधान द्वारा केवल एक शर्त निश्चित की गयी है कि संघीय न्यायालय के लिए जजों का चुनाव करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि परिसंघ की तीनों भाषाओं, क्षेत्रों, प्रमुख राजनैतिक दलों और दो बड़े धर्मों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके।

विशेषाधिकार तथा प्रतिबन्ध—स्विस संघीय न्यायालय वाण्ड नामक कैण्टन की राजधानी लुसा ने (Lausanne) में स्थित है। सभी न्यायाधीशों का वहीं रहना आवश्यक है जहाँ के वे निवासी होते हैं। उन्हीं कैण्टनों में वे राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। संघीय न्यायाधिकरण के सदस्य स्विस राज्यमण्डल या कैण्टन में कोई अन्य नौकरी नहीं कर सकते हैं और न ही अपना कोई उद्योग या व्यवसाय कर सकते हैं।

संघीय न्यायाधिकरण की कार्य प्रणाली—इसके नियम सामान्य हैं न तो ज्यादा कठोर हैं और न ही सरल। न्यायाधिकरण तीन भागों में बँटा हुआ है—

1. संवैधानिक व प्रशासनीय कानून कार्यालय,
2. दीवानी कानून कार्यालय,
3. फौजदारी अपील कार्यालय। फौजी न्यायालयों के न्यायाधीशों को छोड़कर अन्य दोनों विभागों के अध्यक्ष, न्यायाधिकरण की उस बैठक में चुने जाते हैं जिसमें सब सदस्य उपस्थित हों। फौजदारी न्यायालय में 5 जज होते हैं। इसमें प्रत्येक अभियोग विचार करने व सुनवाई करने के लिए अपने में से एक को अध्यक्ष चुन लेते हैं। संघीय न्यायालय की कार्यवाहियाँ (Proceedings) खुली होती है, जनता उसे देख और सुन सकती है।

संघीय न्यायालय की शक्तियाँ व क्षेत्राधिकार
(Jurisdiction of Federal Tribunal)

स्विस संघीय न्यायालयों को निम्नलिखित दीवानी, अपराधिक, संवैधानिक एवं प्रशासकीय विवादों में मौलिक एवं पुनरावेदनीय क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं—

1. **दीवानी क्षेत्राधिकार**—निम्न प्रकार के दीवानी मुकदमों की इसमें सुनवाई होती है—
   (i) जो स्विस राज्यमण्डल तथा कैण्टनों के बीच हों।
   (ii) जो स्विस मण्डल तथा निगमों के बीच या निजी व्यक्तियों के बीच 8000 फेंक से अधिक मूल्य के दीवानी विवादों में संघीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।
   (iii) राष्ट्रीयता व नागरिकता के खत्म होने के अभियोग।
   (iv) जो कैण्टनों के बीच के मुकदमे हो।

   इसके अतिरिक्त व्यापार एवं चल सम्पत्ति, ऋण, दिवालियापन, कापी राइट का संरक्षण आदि सभी विधियों को देश में समान रूप से क्रियान्वयन करना संघीय न्यायालय का दायित्व है।
2. **अपराधिक क्षेत्राधिकार**—संघीय न्यायालय को निम्नलिखित विवादों में फौजदारी या आपराधिक विवादों में मौलिक क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं—
   (i) परिसंघ एवं संघीय अधिकारियों के विरुद्ध विद्रोह तथा हिंसा प्रदर्शन।
   (ii) अपराध जो अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के विरुद्ध किया जाता हो।
   (iii) राजनीतिक अपराध एवं दुराचार के ऐसे मामले जिनके कारण अव्यवस्था फैलने से संघीय हस्तक्षेप आवश्यक हो जाए।
   (iv) गैर कानूनी मुद्रा बनाने का।
   (v) उच्च संघीय अधिकारियों द्वारा अपने कर्मचारियों पर लगाये गये अपराधों के सम्बन्ध में।

   फौजदारी न्याय कार्य के लिए संघीय न्यायालय को चार कक्षों—(i) संघीय फौजदारी न्यायालय (Federal Criminal Courts), (ii) अभियोग न्यायालय (Courts of Accusation), (iii) सुनवाई कार्यालय (Court of Causation), एवं (iv) सुनवाई सप्त न्यायाधीश विशेष न्यायालय (Extra the Ordinary Court of causation of seven Judges) में विभाजित किया गया है। फौजदारी मुकदमों के लिए स्विट्ज़रलैण्ड को पाँच जिलों में सुनने की व्यवस्था है।

प्रत्येक जिले में केस को सुनने के लिए 12 व्यक्तियों की एक जूरी (Jury) की व्यवस्था की गयी हैं। किसी अपराधी को दण्ड देने के लिए 5-6 जूरियों की सहमति आवश्यक है।

3. **संवैधानिक अधिकार**—न्यायालय को निम्नलिखित संवैधानिक मामलों में एकाधिकार प्राप्त हैं—
   (i) परिसंघ एवं कैण्टनों के अधिकारियों के मध्य क्षेत्राधिकार सम्बन्धी विवाद।
   (ii) कैण्टनों में सार्वजनिक कानून के कारण उत्पन्न विवाद।
   (iii) अन्तर्राष्ट्रीय कानून, सन्धियों और समझौतों के उल्लंघन के कारण नागरिकों द्वारा दायर विवाद।
   (iv) कैण्टनों के निर्वाचन एवं धार्मिक स्वतन्त्रता विषयक विवाद।
   (v) संघ एवं कैण्टनों के संविधानों तथा कैण्टनों के मध्य सन्धियों या समझौतों के फलस्वरूप नागरिक को प्राप्त अधिकारों के अतिक्रमण सम्बन्धी विवाद।
4. **प्रशासकीय अधिकार**—न्यायालय को निम्नलिखित प्रशासकीय मामलों में एकाधिकार प्राप्त है।
   (i) सार्वजनिक कर्मचारियों की कानूनी क्षमता, योग्यता अथवा क्षेत्राधिकार के सम्बन्धी विवाद।
   (ii) इसके अतिरिक्त रेलवे प्रशासन एवं करारोपण सम्बन्धी अनेक प्रशासनिक विवादों का निर्णय करने के अधिकार प्रदान किये गये हैं।

स्विस संघीय न्यायालय की स्थिति—स्विस संघीय न्यायालय को अपने निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए कैण्टनों के अधिकारियों पर निर्भर रहना पड़ता है। वह केवल कैण्टनों की विधियों को ही अवैधानिक घोषित कर सकता है। संघीय सभा की विधियों को अवैधानिक घोषित करने की शक्ति उसे प्राप्त नहीं है। संविधान में यह स्पष्ट है कि संघीय न्यायालय संघीय सभा द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक लागू करेगा तथा स्वीकृत प्रत्येक समझौते एवं सन्धि को मान्यता प्रदान करेगा। संघीय न्यायालय का कार्य कैण्टनों के संविधानों की रक्षा करना भी है।

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्र.1. अमेरिकी संविधान का कौन-सा अनुच्छेद न्यायिक शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान करता है?
(क) अनुच्छेद 1 (ख) अनुच्छेद 2 (ग) अनुच्छेद 3 (घ) अनुच्छेद 4

उत्तर (ग) अनुच्छेद 3

प्र.2. निम्नलिखित में से कौन अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए योग्यता नहीं है?
(क) संयुक्त राज्य अमेरिका का प्राकृतिक रूप से जन्मा नागरिक
(ख) 35 वर्ष की आयु प्राप्ति की
(ग) चौदह वर्षों से संयुक्त राज्य अमेरिका का निवासी
(घ) अमेरिकी सीनेट के सदस्य

उत्तर (घ) अमेरिकी सीनेट का सदस्य

प्र.3. अमेरिकी राष्ट्रपति का वेतन और अन्य परिलब्धियाँ .... द्वारा तय की जाती हैं।
(क) राष्ट्रपति (ख) कांग्रेस (ग) सर्वोच्च न्यायालय (घ) मतदाता

उत्तर (ख) कांग्रेस

प्र.4. अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम, जो चार बार अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए चुने गये—
(क) जॉर्ज वाशिंगटन (ख) केल्विन कूलिज
(ग) वुडरो विल्सन (घ) फ्रैंकलिन रूज़वेल्ट।

उत्तर (घ) फ्रैंकलिन रूज़वेल्ट

प्र.5. कौन-सा संवैधानिक संशोधन एक अमेरिकी नागरिक को दो बार से अधिक राज्य के लिए चुने जाने से रोकता है?
(क) 22वाँ (ख) 24वाँ (ग) 25वाँ (घ) 26वाँ

उत्तर (क) 22वाँ

प्र.6. 22वें संशोधन के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में किसी भी राष्ट्रपति का कुल अधिकतम .... वर्ष निर्धारित किया गया है।

(क) 10 (ख) 7 (ग) 8 (घ) 4.

उत्तर (क) 10

प्र.7. यदि किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की कार्यालय में मृत्यु हो जाती है, तो उसका उत्तराधिकारी कौन होता है?

(क) सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश
(ख) प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष
(ग) सबसे वरिष्ठ सीनेटर
(घ) संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति

उत्तर (घ) संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति

प्र.8. अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव, संवैधानिक रूप से, राष्ट्रपति निर्वाचकों से युक्त निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है—

(क) जैसा कि कांग्रेस के दोनों सदनों में सदस्यों की संख्या है
(ख) जैसा कि अकेले प्रतिनिधि सभा में सदस्यों की संख्या है
(ग) जैसा कि अकेले सीनेट में सदस्यों की संख्या है
(घ) इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर (क) जैसा कि कांग्रेस के दोनों सदनों में सदस्यों की संख्या है

प्र.9. एक अमेरिकी राज्य द्वारा सीनेट के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं?

(क) 02 (ख) 01
(ग) 03 (घ) 04

उत्तर (क) 02

प्र.10. अब किस तारीख को नए निर्वाचित राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है?

(क) कोई विशेष तारीख नहीं (ख) 06 जनवरी
(ग) 04 मार्च (घ) जनवरी 20

उत्तर (घ) जनवरी 20

प्र.11. अमेरिकी राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है?

(क) सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (ख) संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति
(ग) सीनेट के अध्यक्ष (घ) प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष

उत्तर (क) सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

प्र.12. अमेरिकी राष्ट्रपति का अधिकारिक निवास—

(क) राष्ट्रपति भवन (ख) बकिंघम महल
(ग) सफेद घर (घ) राष्ट्रपति का महल

उत्तर (घ) राष्ट्रपति का महल (व्हाइट हाउस)

प्र.13. निम्नलिखित में से कौन-सी अमेरिकी राष्ट्रपति की विधायी शक्ति नहीं है?

(क) कांग्रेस को बुलाने, सत्रावसान करने और भंग करने की शक्ति
(ख) कांग्रेस को संदेश भेजने की शक्ति
(ग) कांग्रेस का विशेष सत्र बुलाने की शक्ति
(घ) वीटो शक्ति का प्रयोग करने की शक्ति

उत्तर (क) कांग्रेस को बुलाने, सत्रावसान करने और भंग करने की शक्ति

TOUCH 'n' PASS

प्र.14. संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है?
(क) अमेरिकी सीनेट के सदस्य
(ख) कांग्रेस के दोनों सदनों के सदस्य
(ग) प्रतिनिधि सभा के सदस्य
(घ) राष्ट्रपति के चुनाव के साथ-साथ राष्ट्रपति के निर्वाचक भी

उत्तर (घ) राष्ट्रपति के चुनाव के साथ-साथ राष्ट्रपति के निर्वाचक भी

प्र.15. अमेरिकी सीनेट के दो सदन कौन-से हैं?
(क) हाउस ऑफ कॉमन्स और सीनेट (ख) हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स
(ग) प्रतिनिधि सभा ए (घ) सीनेट हाउस ऑफ द पीपल और सीनेट

उत्तर (ग) प्रतिनिधि सभा

प्र.16. संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिनिधि सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम सीमा है—
(क) 30 (ख) 18 (ग) 21 (घ) 25

उत्तर (घ) 25

प्र.17. प्रतिनिधि सभा का एक सदस्य निम्नलिखित का निवासी होना चाहिए—
(क) वह राज्य जहाँ से वह चुना गया है (ख) अमेरिकी संघ का कोई भी राज्य
(ग) उस राज्य के बाहर जहाँ से वह चुना गया है (घ) इनमें से कोई नहीं

उत्तर (क) वह राज्य जहाँ से वह चुना गया है

प्र.18. संयुक्त राज्य अमेरिका में "गेरीमैंडरिंग" का अर्थ है—
(क) जिलों का समायोजन इस प्रकार किया जाए कि प्रमुख दल के हितों की पूर्ति हो सके
(ख) जिलों का समायोजन इस प्रकार किया जाए कि विपक्षी दल का हित सध जाए
(ग) सीनेट में सीटों का समायोजन इस प्रकार किया जाए कि प्रमुख दल के हितों की पूर्ति हो सके
(घ) इनमें से कोई नहीं

उत्तर (क) जिलों का समायोजन इस प्रकार किया जाए कि प्रमुख दल के हितों की पूर्ति हो सके

प्र.19. संवैधानिक रूप से, संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिनिधि सभा, एक वर्ष में ………………… रखती है।
(क) एक सत्र (ख) दो सत्र (ग) तीन सत्र (घ) जितने सत्र

उत्तर (क) एक सत्र

प्र.20. संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिनिधि सभा के पीठासीन अधिकार को ………………… है।
(क) अध्यक्ष (ख) डैश (ग) स्पीकर (घ) कुलाधिपति

उत्तर (ग) स्पीकर

❑

TOUCH'n' PASS

- यद्यपि इस पुस्तक को यथासम्भव शुद्ध एवं त्रुटिरहित प्रस्तुत करने का भरसक प्रयास किया गया है, तथापि इसमें कोई कमी अथवा त्रुटि अनिच्छाकृत ढंग से रह गई हो तो उससे कारित क्षति अथवा सन्ताप के लिए लेखक, प्रकाशक तथा मुद्रक का कोई दायित्व नहीं होगा। सभी विवादित मामलों का न्यायक्षेत्र मेरठ न्यायालय के अधीन होगा।
- इस पुस्तक में समाहित सम्पूर्ण पाठ्य-सामग्री (रेखा व छायाचित्रों सहित) के सर्वाधिकार प्रकाशक के अधीन हैं। अत: कोई भी व्यक्ति इस पुस्तक का नाम, टाइटिल-डिजाइन तथा पाठ्य-सामग्री आदि को आंशिक या पूर्ण रूप से तोड़-मरोड़कर प्रकाशित करने का प्रयास न करें, अन्यथा कानूनी तौर पर हर्जे-खर्चे व हानि के जिम्मेदार होंगे।
- इस पुस्तक में रह गई तथ्यात्मक त्रुटियों तथा अन्य किसी भी कमी के लिए विद्वत् पाठकगण से भूल-सुधार/सुझाव एवं टिप्पणियाँ सादर आमन्त्रित हैं। प्राप्त सुझावों अथवा त्रुटियों का समायोजन आगामी संस्करण में कर दिया जाएगा। किसी भी प्रकार के भूल-सुधार/सुझाव आप info@vidyauniversitypress.com पर भी ई-मेल कर सकते हैं।